लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सोलहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

दिनांक 11-3-1996 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	1 और 2	1995	1996
विषय सूची (i)	13	522-407	322-407
विषय सूची (ii)	10	श्री प्रथमेश मुखर्जी	श्री प्रमथेश मुखर्जी
विषय सूची (iii)	2	श्री माणिक राव होडल्या गावीत	श्री माणिक राव होडल्या गावीत
•	14	1996	1996-97
30	नीचे से 4	मोहम्मद अली अशरफ फातमी से पहले "श्री" पढ़िए ।	
75	23	म्यामा	म्यामार
79	3	श्री खेलनराम जांगगे	श्री खेलन राम जांगडे
90, 159 तथा 248	क्रमशः 24, 10, तथा 12	जी नहीं से पहले (क) पढ़िए ।	
93, 97	17, 20	श्री एम॰शेखर मूर्ति	श्री एम. राजशेखर मूर्ति
94	4	श्रीर अयूब खां	श्री अयूब खां
95	नीचे से 2	(ख) से (घ)	(ख), (ङ), (च) और (छ)
116	5	इस्पत	इस्पात
123	14	(क)	(क) और (ख)
203	13	"1995-96 से पहले "(घ)" पढ़िए ।	
204	1	"विवरण" का लोप किया जाए	
204	अंतिम पंक्ति	"(ख) प्रश्न नहीं उठता" का लोप किया जाए	
212	16	से	और
318	9	(उलबेरिया)	(उलूबेरिया)
352, 353	अंतिम 8	प्रो॰पी॰जी॰कुरियन	प्रो० पी॰जे॰कुरियन
414	पंक्ति 7 और 8	के बीच में "व्याख्यान" पढ़िए ।	
414	नीचे से 14	अन्तरिक बजट	अन्तरिम बजट
550	8	राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी रखने की स्वीकृति के बारे में	राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन के बारे में

580	3	"अनुदानों" के पूर्व "-1996" और जोड़ा जाए	
580	4	मांगी	मांगे
580	4	"1996" का लोप किया जाए	
580	4	"जम्मू और कश्मीर" के पश्चात	"-1995-96" जोड़ा जाए ।
588	नीचे से 4	पुन: स्थापित	पुर: स्थापित**
588	पाद टिप्पण	भाग-2-2	भाग 2
589	1	श्री एन.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति	श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति
590	नीचे से 4 अंतिम	सभा आज दिनांक 11 बजे म.पू.तक	सभा / मंगलवार, 12 मार्च, 1996/22 फाल्गुन, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक

विषय सूची

दशम माला, खंड : 47, सोलहवां सत्र, 1996 / 1917 (शक)

अंक : 9, सोमवार 11 मार्च, 1996 / 21 फाल्गुन, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	141, 142 और 144	1-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	143 और 145 से 160	22-49
अतरांकित प्रश्न संख्या :	1139 से 1367, 1370 और 1371	49-310
भारतीय क्रिकेट टीम को उसकी विजय पर बधाई		312
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		312-314
दलितो तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हमले के बारे में		314-320
विशेषाधिकार का प्रश्न		522-407
28 जुलाई, 1993 को अविश्वास प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान करने के लिए कुछ सदस्यों को कथित रूप से धन दिए जाने और प्रलोभन दिए जाने के बारे में		
	श्री अर्जुन सिंह	322-328
		331-335
		408-410
	श्री जसवन्त सिंह	324-329
		341-350
	श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	359-362
	श्री सोमनाथ चटर्जी	363-365
	श्री पवन कुमार बंसल	365-370
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	371-373
	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील	373-375
	श्री रबी राय	375-377
	श्री चन्द्रशेखर	377-379
	श्री श्रीकान्त जेना	379-381
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	381-384
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	384-390
	श्री उमराव सिंह	390-392
	श्री शरद दिघे	392-395
	श्री मणि शंकर अय्यर	395-405
	श्री इन्द्रजीत	405-407

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

अन्तरिम बजट (सामान्य) 1996	418
लेखानुदानों की मांगे (सामान्य) 1996 और	418-426
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1995-96	426-483
श्रीमती गीतामुखर्जी	429-432
श्री बोंलाबुल्ली रामय्या	432-433
डा. मुमताज अंसारी	433-435
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	436-442
श्री मुरली देवरा	450-452
श्री पी.सी. थामस	452-453
श्री प्रथमेश मुखर्जी	453-454
श्री याइमा सिंह युमनाम	454-455
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	455-457
श्री चित्त बसु	457-459
श्री भोगेन्द्र झा	459-461
श्री सोमनाथ चटर्जी	461-466
श्री जार्ज फर्नान्डीज	466-472
श्री मनमोहन सिंह	472-483
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1996 - पारीत	485-486
विनियोग विधेयक, 1996 - पारित	486-487
वित्त विधेयक, 1996 - पारित	488
अंतरिम बजट (रेल) - 1996 ;	488
लेखानुदानों की मांगे (रेल) - 1996	488-489
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल) - 1995-96 और	489-490
अनुदानों की अतिरिक्त मांगे (रेल) 1993-94	491-536
श्री राम कापसे	506-510
श्री बसुदेव आचार्य	510-514
श्री रवी राय	514-516
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	517-519
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	519-520
कुमारी ममता बनर्जी	520-522
श्री भोगेन्द्र झा	523-524
श्री राम नाईक	523-525
श्रीमती सुशीला गोपालन	525-528
श्री सुभाष चन्द्र नायक	528-529
श्री शिवाजी पटनायक	530-531
श्री उमराव सिंह	533-534
श्री शरत पटनायक	534

श्री संत राम सिंगला	534-535
श्री मणिक राव होडल्या गावीत	535
डा. आर. मल्लू	535
श्री बापू हरि चौरे	535
श्री ओस्कर फर्नान्डीज	535
डा. (श्रीमती) पद्मा	536
श्री सुरेश कलमाडी	536-544
विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1996 - पारित	546-547
विनियोग (रेल) संख्यांक - 2 विधेयक, 1996 - पारित	547-548
विनियोग (रेल) विधेयक, 1996 - पारित	548-550
उत्तर प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प - स्वीकृत	550
उत्तर प्रदेश बजट - 1996	550
लेखानुदानों की मांगे (उत्तर प्रदेश) - 1996	550-552
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (उत्तर प्रदेश) - 1995-96	550-573
सैयद सिब्ते रजी	550-552
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी	561-568
श्री संतोष कुमार गंगवार	568-570
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	570-571
श्री भोगेन्द्र झा	571-572
श्री श्याम बिहारी मिश्र	572-573
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1996 - पारित	577
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1996 - पारित	578
जम्मू और कश्मीर बजट - 1996	580
लेखानुदानों की मांगे (जम्मू और कश्मीर) - 1996 और	580-582
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (जम्मू और कश्मीर) - 1995-96	582-588
श्रीमती सुमित्रा महाजन	583-586
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	586-587
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	587-588
जम्मू और कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1996 - पारित	588-589
जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 1996 - पारित	589-590

लोक सभा

सोमवार, 11 मार्च, 1996/21 फाल्गुन, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्रिकेट टीम को शानदार विजय पर बधाई देना चाहता हूं . . . .(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम यह इसके पश्चात् करेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

खोपरा का समर्थन मूल्य

*141. **श्री रमेश चेन्नित्तला :**

श्री पी.सी. थामस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 के लिए खोपरा का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने वर्ष 1996 के मौसम के लिए खोपरा का समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में कोई सिफारिशें की हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या खोपरा के लिए और अधिक समर्थन मूल्य की मांग की गई है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हाँ। सरकार ने 1996 मौसम के लिए दाना खोपरा (एफ.ए.क्यू.) के लिए प्रति क्विंटल 2725 रुपए तथा मिलिंग खोपरा (एफ.ए.क्यू.) के लिए प्रति क्विंटल 2500 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।

(ग) और (घ) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि 1996 मौसम के लिए खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित न किया जाए और खोपरा उत्पादकों को अपेक्षित मूल्य समर्थन मण्डी हस्तक्षेप/खुले बाजार से क्रय के माध्यम से दिया जाए। फिर भी, सरकार ने खोपरा उत्पादकों के हित में खोपरा के लिए ऊपर (क तथा ख) पर बताए अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का फैसला किया है।

(ङ) जी, हां।

(च) नारियल की अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए खोपरा के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य हाल ही में, फरवरी 1996 के प्रथम सप्ताह में निर्धारित किए गए थे, अत: खोपरा के न्यूनतम समर्थन मल्यों में कोई परिवर्तन किए जाने के लिए अब कोई नए कारक सामने नहीं आए हैं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : अध्यक्ष महोदय, नारियल केरल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। राज्य की एक-तिहाई आबादी की आजीविका पूर्णतया इसी फसल पर आश्रित है। माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। राज्य सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग के पास यह प्रस्ताव भेजा था कि मिलिंग खोपरा और दाना खोपरा के लिए क्रमश: 3700 रुपए और 3900 रुपए निर्धारित किए जाएं। लेकिन, दुर्भाग्य से भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और इस वर्ष मूल्य में एक रुपए की भी वृद्धि नहीं की गई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण हैं कि इस वर्ष खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक रुपए की भी वृद्धि नहीं की गई है।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, कोकोनेट के लिये सी.ए.सी.पी. ने जो सिफारिश की थी, उसके तहत उसके प्राइस नहीं बढ़ाने के लिये कहा था लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने दाना खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2725 रुपये और मिलिंग खोपरा के 2500 रुपये निर्धारित किये। पिछले साल इसके प्राइस बढ़ाये गये लेकिन इस साल नहीं बढ़ाये गये। इसके प्राइस बढ़ने पर भी इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। इसके मार्किट में जो प्राइस है, वे इस प्राइस से ज्यादा हैं। इससे किसानों को फायदा हो रहा है। इस कारण भी इस साल इसके प्राइस नहीं बढ़ाये गये। केरल सरकार ने जो सिफारिश की, उसमें और सी.ए.सी.पी. की सिफारिश के बीच तालमेल नहीं है और वह सिफारिश आंकड़ों के मुताबिक मैच नहीं करती है। इसलिये उसकी सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया गया।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : यह तो बिल्कुल भेदभावपूर्ण है। अन्य फसलों, उदाहरणार्थ रबी, गेहूं, जौ, सरसों और सूर्यमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं तथा इनके मूल्य में संशोधन कर दिए गए हैं। मूल्य-वृद्धि 2.5 प्रतिशत से पांच प्रतिशत के बीच की गई है। पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान, खोपरा को छोड़कर, नारियल की आदान-लागत में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा वृद्धि की गई है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट बिल्कुल निराशाजनक है। उन्होंने राज्य सरकार की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने उत्पादन-लागत को ध्यान में नहीं रखा है।

इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में सरकार पुनर्विचार करेगी ताकि देश में नारियल उत्पादकों को कम-से-कम एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाब सदरे मोहतरम, वर्ष 1991 में मिलिंग को-आपरेटिव में प्राइस 1700 रुपये थी जो अब 2500 रुपये है। इस तरह से पांच सालों में यह 800 रुपये बढ़ोत्तरी की गयी है। बाल खोपरे की कीमत को 850 रुपये से 2725 रुपये कर दिया गया है और इसमें 875 रुपये का अंतर है। इसी डिफरेंस के बदौलत 1991 में खोपरे का प्राडक्शन 9730 मीट्रिक नट्स था जो बढ़कर 12355 मीट्रिक नट्स हो गया। यह प्राडक्शन हमारे हार्टिकल्चर द्वारा कोकोनट को दी गयी सहायता की बदौलत हुआ है। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि स्टेट की सिफारिश हुई है जिसे सीएसीपी ने पूरी डैप्थ के साथ किया है। स्टेट के आकड़े सीएसीपी को एक्सैप्ट नहीं है। इसलिये सीएसीपी ने सिफारिश की है कि इस साल कोकोनेट की प्राइस न बढ़ाई जाये। दूसरा माननीय सदस्य ने जो फिक्र जाहिर की है, उसके लिये रिक्वैस्ट करूंगा कि वे कोकोनेट के प्रोडक्शन का सही इस्तेमाल करने के लिये अपने राज्य के बाकी साथियों से मिलकर कोई फैक्टरी लगाये जाने की बात नहीं कर पायेंगे तो किसानों को फायदा होने वाला नहीं है। हमारी सरकार कोकोनेट ग्रोअर्स के लिये पूरी सहायता देने के लिये वचनबद्ध है। मैंने उनके फायदे के लिये यह बात कही है कि मार्किट में कोकोनेट की प्राइस अनाऊन्स्ड प्राइस से ज्यादा है।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नित्तला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि आप मिनीमम सपोर्ट प्राइस के बारे में रिव्यु करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि कोकोनेट ग्रोअर्स को जो प्राइस मिल रहा है वह बहुत कम है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बात पर विचार करके उसमें एनहैंस करेगी या नहीं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री और कृषि मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पैंडी, व्हीट के मीनिमम सपोर्ट प्राइस के संदर्भ में कोकोनेट प्राइस का जिक्र किया है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि एपीसी ने केवल खोपरा मिलिंग और खोपरा फार्म के संबंध में जो अनुशंसा की थी उसमें सरकार ने लगातार बढ़ोत्तरी की है। वर्ष 1993 में 150 रुपये की गयी, 1994 में 125 रुपये और 1995 में यह वृद्धि 150 रुपये की गयी है। चूंकि पिछले वर्ष लगातार अनुशंसा के बावजूद सरकार ने बढ़ोत्तरी की है, इसलिये इस समय बढ़ोत्तरी का मामला नहीं बनता है कि मूल्य निर्धारण न किया जाये। यह उनकी स्पष्ट अनुशंसा थी फिर भी, सरकार ने उत्पादकों के हित में इस साल न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया है। दूसरी और पैडी और व्हीट के मामले में सामान्यतया सरकार की तरफ से 5-10 रुपये की ही बढ़ोत्तरी की अनुशंसा होती है और इतनी बढ़ोत्तरी धान या गेहूं के मूल्यों में सरकार ने कभी नहीं की है। इसलिये सरकार ने खोपरा उत्पादकों के हित में सभी बिन्दुओं पर विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में एक विरोधाभास है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग का प्रस्ताव है कि 1996 के लिए किसी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा न की जाए और इसने यह भी सिफारिश की है कि बाजार हस्तक्षेप एवं खुला बाजार क्रय के माध्यम से उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जा सकता है। इसकी बजाय सरकार ने न्यूनतम मूल्य घोषित कर दिया है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिश से बचने के लिए सरकार को खुले बाजार से खरीद करके बाजार हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार ने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। क्या वास्तव में सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप किया है। ताकि उत्पादों को उचित मूल्य मिल सके?

प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या सरकार ने इस पहलू की जांच कृषि की है कि कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा किया गया अध्ययन वास्तविकता पर आधारित है अथवा कृषि लागत तथा मूल्य आयोग ने नैमित्तिक आधार पर यह सिफारिश प्रस्तुत की है। कोई भी नीति घोषित करने से पूर्व, नारियल और खोपरे के कुल उत्पादन और मांग पर, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में, विचार करना आवश्यक है। अतः, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा वास्तविकता-आधारित अध्ययन किया गया है अथवा नहीं। यदि ऐसा अध्ययन किया गया है, तो फिर क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने से पूर्व इसकी जांच की गई है।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : सीएसीपी ने इसलिए उनकी सिफारिश को मना किया था कि सीएसीपी की सिफारिश थी कि इसका प्राइस अनाउंस न

किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने फार्मर्स के हित को मद्देनजर रखते हुए जो प्राइस पिछले साल था, उसको मुकर्रर करने की तज़वीज की। यह इसलिए कि अगर प्राइस इससे नीचे जाता है तो नेफेड तथा हमारी सरकारी एजैन्सियों को बोलना चाहिए कि वह फार्मर्स के हित के लिए इसको खरीद लें। 1994 में प्राइस के नीचे भाव चला गया था। नेफेड ने इसको खरीदा जिसमें नेफेड को 58 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसलिए सीएसीपी पूरी डैप्थ में जाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाती है और उनकी मामूली से मामूली डीटेल्स लेकर, किसानों के नज़दीक से नज़दीक जाकर उनकी पूरी इनफॉर्मेशन लेती है। तब जाकर सीएसीपी रेकमंड करती है। कोकोनट में सीएसीपी ने पूरी डैप्थ में जाकर तजवीज की कि इस साल कोकोनट की प्राइस न बढ़ाई जाए और इसका कारण मैंने बताया।

श्री वी. धनंजय कुमार : इसका मतलब यह है कि आपके पास पूरी जानकारी रहती है।

[अनुवाद]

श्री अयूब खां : जी हां।

[हिन्दी]

श्री वी. धनंजय कुमार : इसको नजर में रखकर आपने किया है क्या ?

[अनुवाद]

श्री अयूब खां : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आप हां कह रहे हैं और मैं 'ना' कह रहा हूं . . . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह मत बोलिये।

श्री ई. अहमद : माननीय केबिनेट मंत्री ने इस सभा में बताया है कि जो कीमत निर्धारित की गई है, वह कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश से बहुत अधिक है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो सिफारिश की है, उससे यह बहुत कम है। गरी के लिए राज्य सरकार ने 3,500 रुपये की सिफारिश की थी, जबकि सरकार ने इसे 2,755 रुपये निर्धारित किया है। इसी प्रकार से, मिल गरी के लिए राज्य सरकार ने 3,700 रुपये की सिफारिश की थी जबकि सरकार ने इसे 2,500 रुपये निर्धारित किया है। यह राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश से बहुत कम है। गरी अथवा नारियल केरल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है लेकिन नारियल की कमी तथा केरल की अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति को देखते हुए भी सरकार ने बाजार खरीद के लिए नेफेड को एक पैसा भी नहीं दिया है। इससे नारियल उत्पादकों के हित, प्रभावित हो रहे हैं, जो केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि नारियल उत्पादों की परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है।

मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि केरल में नारियल उत्पादन के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाब सदरे मोहतरम, माननीय सदस्य साहब का प्रश्न बहुत ही अहमियत रखने वाला है। यही एक ऐसी फसल है जिसके लिए सरकार की तरफ से, पार्लियामेन्ट की तरफ से एक कोकोनट बोर्ड मुकर्रर है। सरकार ने सातवें प्लान में इसके लिए 7.7 करोड़ रुपया रखा हुआ था, जबकि इस साल आठवें प्लान में . . . ।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की तरफ से अकेला कोकोनट बोर्ड ही मुकर्रर नहीं है, कॉफी बोर्ड है, टी-बोर्ड है। उसके लिए भी सदस्य चुनकर जाते हैं।

श्री अयूब खां : आप अच्छी तरह से सुन लें। हॉर्टिकल्चर में इसी फसल के लिए 79.4 करोड़ रुपया आठवें प्लान में रखा गया है।

जबकि सातवीं योजना में इसका 7.7 करोड़ रुपया ही था। आप अंदाजा लगाइये कि सरकार ने कितनी जबर्दस्त एलोकेशन में बढ़ोत्तरी की है। उसके बाद सिर्फ केरल राज्य के लिए 30.6 करोड़ रुपया रखा गया और हर पेड़ के लिए जो पेड़ खराब होता है, उसके लिए दो सौ रुपया उसको उखाड़ने के लिए रखा। जो पेड़ दोबारा लगाया जाता है उसके लिए पांच रुपया रखा और उसकी सब्सिडी के लिए आठ रुपया रखा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में इंटर क्रास सैक्शन फसल के लिए दो सौ रुपये रखे। इस तरह सरकार ने कोकोनट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंसेटिव दिया है। मैं केरल के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा क्योंकि आज दुनिया में हम कोकोनट की प्रोडक्शन के लिए दूसरे नम्बर पर आते हैं। इंडोनेशिया के बाद हम सबसे ज्यादा कोकोनेट की प्रोडक्शन करने वालों में हैं। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, जो कोकोनट की 38 चीजों का प्रोडक्शन' करता है और 83 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप लोग केरल के अंदर कोकोनट की इंडस्ट्री लाइए और उसकी प्रोडक्ट तैयार कीजिए ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं; कोकोनेट प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फायदा मिल सके, और इसकी असली खपत भी हो सके।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : इस बार जिस तरीके से गरी का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, उससे हम बहुत नाखुश हैं। राज्य सरकार ने कुछ धनराशि की सिफारिश की है और कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है, वह बिल्कुल अपर्याप्त है। श्रीलंका और अन्य राष्ट्रों से स्थिति की तुलना करके केरल की समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। जैसाकि बताया गया है, नारियल उनकी जीविका का मुख्य आधार है। फसल का लगभग एक-चौथाई भाग जड़ें कुम्हलाने की बीमारी से प्रभावित हुआ है और इसके पौधे पुनः लगाने में वर्षों लग जाते हैं। दुर्भाग्य से, नारियल का तेल वाणिज्यिक और खाद्य दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है और इसके मूल्य का अधिकांश भाग वाणिज्यिक क्षेत्र के पास चला जाता है

और अब माननीय मंत्री कहते हैं कि हमें उद्योग विभाग के पास जाना पड़ेगा। महोदय, वह बिल्कुल एक अलग चीज है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केरल सरकार की सिफारिशों और केरल के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा गया था। मैं अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरीके से नारियल के साथ भेदभाव किया गया है, उससे लोग अत्यधिक नाखुश हैं।

महोदय, नारियल को तिलहन घोषित करने का अनुरोध किया गया था और पिछली बार हमें मूर्ख बनाया गया था। हमें बताया गया कि इसे तिलहन घोषित किया गया है लेकिन इसके तिलहन होने का कोई भी फायदा नहीं पहुंचाया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि केरल सरकार की सिफारिशों, जनता तथा इस सभा की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, वे पहले से लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइये। अब मेरे विचार में आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री ए. चार्ल्स : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने फरवरी, 1996 में एक निर्णय लिया है लेकिन लोग नाखुश हैं। हम फरवरी में लिये गये निर्णय का विरोध कर रहे हैं। हम उस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे हमें आश्वासन देंगे कि वे उसकी पुन: जांच-पड़ताल करके गरी के लिए एक लाभकारी मूल्य निर्धारित करेंगे। महोदय, मुझे बस इतना ही कहना है।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : सर, कुछ पेड़ खराब हो जाते हैं। एक पेड़ की तकरीबन डेढ़ सौ नट्स से अधिक की होती है। जो पेड़ 40 नट्स तक देने लग जाते हैं उसको उखाड़ने के लिए सरकार की तरफ से, जैसे मैंने बताया दो सौ रुपये से ऊपर उस पेड़ के लिए हैं। अभी हमने केरल के लिए जो 30.6 करोड़ रुपया मार्क किया था, उसमें 25 करोड़ रुपया जो पेड़ खराब हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए रखा है। इतनी बड़ी ह्यूज मनी केरल में जो पेड़ होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हैं। मैं माननीय सदस्यों की इस फिक्र के लिए, जोकि अपने ग्रोअर्स के लिए हमारी प्राइस बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, इतना कर सकते हैं कि इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलायेंगे तथा उनकी और संस्थाओं से उनकी समस्याओं पर जानकारी हासिल करेंगे और उसका आदान-प्रदान करेंगे और जहां तक हो सकता है उसकी जांच करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन : अध्यक्ष महोदय, केरल के आठ समुद्रतटीय जिलों में नारियल लोगों की जीविका का मुख्य आधार है। लोग पूर्ण तौर पर इसी पर निर्भर करते हैं और अब उनकी आमदनी बहुत कम हो गई है। ताड़ के तेल के सिवाय और कोई ऐसा तेल नहीं है जो अब नारियल तेल से सस्ता हो। यदि सरकार का उद्देश्य उद्योगपतियों की सहायता करना नहीं है तो गरी की कीमतें बढ़ाना तो संभव है क्योंकि लाखों लोग नारियल पर निर्भर करते हैं। गरी की कीमतें बढ़ाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

महोदय, नारियल अन्य राज्यों में भी उगाया जा रहा है। इसके महत्व को देखते हुए कि लाखों लोग नारियल पर निर्भर करते हैं और इसकी कीमतें काफी कम हैं, नारियल तेल की कीमतें बढ़ाना संभव है। इसीलिए केरल सरकार ने यह सुझाव दिया है इसकी उपज-लागत काफी अधिक है और नारियल उगाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। नारियल की उपज में मदद करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। यह एक व्यापक समस्या है और सरकार ने जो कदम उठाये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। सरकार जड़ें कुम्हलाने की बीमारी को दूर करने में असमर्थ है और यह अन्य राज्यों में भी फैल रही है। इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? नारियल के उत्पादन पर लोग बहुत अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं। सात-आठ वर्षों के पश्चात् उन्हें इसका फायदा मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया प्रश्न पर आइये।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अध्यक्ष महोदय, आपको इसका महत्व समझना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका महत्व समझता हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, समुद्रतटीय क्षेत्र में केरल की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर नारियल पर निर्भर करती है और दूसरे उद्योग भी इसी के बलबूते पर फल-फूल रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को आगे आकर और अधिक सहायता करनी पड़ेगी और नारियल की कीमत बढ़ानी होगी।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, ऑनरेबल मैम्बर का वैसे प्रश्न तो कुछ नहीं था, लेकिन उन्हीं बातों पर उन्होंने जोर दिया है। मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जितना हमारा कोकोनट का प्रोडक्शन है, उसका 5 परसेंट पानी के लिये इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से 35 परसेंट ऑयल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, 56 परसेंट हाऊस ह्यूज के लिए और छ: परसेंट गिरी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ डेढ़ परसेंट प्रोडक्ट के रूप में या पाउडर के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस प्रोडक्ट को हम बढ़ायेंगे तभी सारी समस्याओं को दूर कर सकेंगे। अभी कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में एक-एक इंडस्ट्री आई है, जिससे हम इस तकलीफ को दूर कर सकेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया, हम दोबारा विचार जरूर करेंगे, बातचीत करेंगे और जितना भी कर सकते हैं, उसे मालूम करके हम उनको सूचित करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको : अध्यक्ष महोदय, इस सभा में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये जा रहे हैं। किसानों को किसी भी तकनीकी व्याख्या से संतुष्टि नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि वह इस बात पर सहमत हो गये हैं कि केरल सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित

की जायेगी और निर्णय लिया जायेगा। कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ऐसी कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार ने आयोग की सिफारिशों के बिना ही निर्णय लिया था। अत:, ऐसा पूर्वोदाहरण रहा है कि आयोग की सिफारिशों के बिना ही केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

महोदय, यहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जबकि राज्य सरकार ने मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की है। लेकिन जब मूल्य की घोषणा की गई थी तब इसकी कोई सराहना नहीं की गई थी। बढ़ती हुई लागत और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के लिए शीघ्र ही कोई निर्णय लेना आवश्यक हो गया है। अब सरकार एक बैठक आयोजित करने के लिए सहमत हो गई है। पिछली बार फसल का मौसम शुरु होने के काफी समय बाद निर्णय लिया गया था। अब फसल का मौसम शुरु हो गया है और अगर निर्णय तीन महीने के पश्चात् लिया जाये तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। अत:, क्या मंत्री महोदय एक आश्वासन देंगे कि दो सप्ताह के अंदर शीघ्र ही बैठक बुलाई जायेगी और निर्णय की घोषणा की जायेगी ताकि इस फसल के दौरान ही किसानों को लाभ मिल सके ?

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : हम जल्दी मीटिंग बुलाने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आश्वासन दिया गया है।

श्री मृत्युंजयनायक : महोदय, मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मुझे एक अनुरोध करना है। एक विशेष प्रश्न पर सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने से पहले मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि उन्हें व्यक्तिगतरूप से देश की भौगोलिक और भू-वैज्ञानिक स्थिति का जायजा लेना चाहिये क्योंकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी समुद्रतटीय क्षेत्र के मुख्य भाग हैं और वहां नारियल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।

समस्या यह है कि फसल कि किस्म अच्छे स्तर की नहीं है। यह एक बात है। अन्य बात यह है कि फसल कुछ रोगों से भी प्रभावित हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार न केवल और अधिक प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी बल्कि कीटनाशक आदि जैसी और सुविधाएं देने पर भी विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका सुझाव स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि उड़ीसा के लिए 112 करोड़ रुपया कोकोनट प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्व-रोजगार योजना

*142. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने समेकित-ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण सुविधा से जुड़ी स्व-रोजगार पैकेज योजना शुरु की है ;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने ग्रामीण व्यक्तियों को लाभ मिलने की संभावना है ;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत अत्यधिक भ्रष्टाचार होने की रिपोर्टें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री तथा कृषि मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋण सुविधा से जुड़ा है जिसे 1980-81 से देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 1.1.1996 से एक नये पैकेज की घोषणा की गई थी जिसके तहत समूह गतिविधियों को 1.25 लाख रुपये की अधिकतम सब्सिडी राशि अथवा परियोजना लागत के 50% जो भी कम हो, के साथ वित्त-पोषित किया जा सकता है तथा प्रशिक्षित शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 7,500 रुपये तक की सब्सिडी के साथ सहायता दी जा सकती है। नयी पहलों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित बजटीय आबंटनों के अनुसार लागू किया जाएगा। इस नयी पैकेज से लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या का अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) और (घ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मार्च, 1993 की रिपोर्ट में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार के कुछ मामलों को उदधृत किया गया है। सरकार ने कार्यक्रम के अंतर्गत भ्रष्टाचार/कदाचार को कम करने के लिए कई उपचारात्मक कदम उठाए हैं। इनमें कार्य से पहले सब्सिडी देने के स्थान पर कार्योत्तर सब्सिडी प्रदान करना, क्रय समितियों का उन्मूलन करना तथा देश के 50% खंडों में नकद वितरण योजना को शुरु करना तुथा राज्य, जिला और खंड स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन करना शामिल है। इन सबसे अलग, ग्राम प्रधान/पंचायत समिति के अध्यक्ष, चुनी गयी महिला अध्यक्ष/सदस्य, अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य तथा क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि वाली गैर सरकारी समिति के समक्ष बैंकों द्वारा ऋणों के वितरण को सुनिश्चित

करने के लिए एक निर्णय लिया गया और तत्संबंधी निर्देश जारी किए गए। इससे बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, 2 अक्तूबर, 1980 को इस कार्यक्रम को देशव्यापी रूप से लागू किया गया था। इसके मूल में भावना यह थी कि देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी व ग्रामीण अंचल के लिए हमारी युवा शक्ति को कार्य में लगाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पिछले 16 वर्षों में सभी सांसद अपने-अपने क्षेत्र में इस विषय को समझ रहे हैं। मेरा सीधा सा यह कहना है कि जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग चले थे वह पूर्णत: असफल हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि समय-समय पर आईआरडीपी के अंतर्गत इन्होंने संशोधन किया है। लेकिन क्या वास्तव में जिन लोगों को हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों तक लाभ पहुंचा है या नहीं ? इसके लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर व ब्लाक स्तर पर समन्वय समितियां बनाई गईं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये समितियां कागजों तक सीमित रह गईं और उन्होंने किसानों व बेरोजगार युवाओं को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। सच्चाई यह है कि आज जो सब्सिडी दी जा रही है, जिसको हमारी सरकार छोटे किसानों को 25 प्रतिशत, सीमांत किसानों को 33 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 58 प्रतिशत देती है, इसका अधिकांश भाग खंड स्तर के कर्मचारियों और बैंकों के कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है। हम सांसद व विधायक भी इसको रोकने में असमर्थ हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा . . .

डा. जगन्नाथ मिश्र : सवाल क्या चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मैं प्रश्न कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि 1994-95 में हमारा लक्ष्य क्या था व हमने इस कार्य के लिए टोटल बजट कितना जुटाया और उस लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई और कितने लोग लाभान्वित हुए ?

डा. जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम 1980 से प्रारम्भ हुआ है और अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से 4 करोड़ 70 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया है और उन्हें बैंकों की ओर से 14,585 करोड़ रुपया दिया गया है तथा सरकार की तरफ से 9,197 करोड़ रुपया सहायता के रूप में दिया गया है। इसलिए यह कहना कि कार्यक्रम प्रभावी नहीं हुआ है, लोगों को लाभ नहीं मिला है, सही नहीं है। जहां तक पिछले चार साल का सवाल है, आप आंकड़ों को देखेंगे तो चार वर्षों में भी 3,742 करोड़ रुपया हमने सहायता के रूप में दिया है और बैंकों की ओर से 6,594 करोड़ रुपया दिया है, टोटल 10,391 करोड़ रुपया इन चार वर्षों में दिया है और लगभग 74 लाख परिवारों को हमने लाभान्वित किया है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक दूसरा पक्ष है, अनियमितताओं और दोषों का सम्बन्ध है, उन सभी बातों पर सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ मिलकर विचार किया है और उसकी इच्छानुसार इस सम्पूर्ण प्रोग्राम की जांच एक डी.आर.मेहता कमेटी का गठन कर के करा ली गई है और उस कमेटी ने अपनी अनुशंसाएं दे दी हैं और सरकार ने उनको स्वीकार कर लिया है और जो कमियां तथा त्रुटियां थीं, उनको दूर करने की कोशिश की है और 1-1-1996 से नई प्रणाली लागू कर दी जिसके अन्तर्गत हमने दो नए वर्गों का प्रवेश करवाया है। एक वह वर्ग है जो आठवीं कक्षा तक पढ़-लिख कर बेरोजगार होता है, उसको हम इस योजना के अन्तर्गत साढ़े सात हजार रुपए की विशेष सहायता देंगे और दूसरा वर्ग वह है, जो पांच या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर यदि कोई काम करेंगे, तो उनको लागत का पचास प्रतिशत धन या अधिकतम सवा लाख रुपए की हम सहायता देंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने अन्य बातें समन्वय और निगरानी की उठाई हैं उनके बारे में हमने विचार किया है तथा सरकार के स्तर से प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर निगरानी और मानीटरिंग कमेटियां बनाई हैं जिनमें विधायकों और सांसदों के अतिरिक्त सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हमने इसमें शामिल किया है और सभी राज्यों में ऐसा किया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर को सुनकर माननीय सदस्यों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उसको देखकर आप इस प्रश्न के महत्व और सरकार की चिन्ता को समझ गए होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हमारे मंडल आयुक्त, सीनियर आई.ए.एस. आफीसर और जिला अधिकारी, परगना अधिकारी, पी.सी.एस. आफीसर होते हैं और उनकी जो एक फौज वहां बैठी होती है, उनका भी इस योजना में गड़बड़ी को रोकने का कोई दायित्व निश्चित किया गया है या नहीं ? या सिर्फ उनका यही काम है कि जिला स्तर तक घूमें फिरें और कुछ लोगों से सम्पर्क करें ?

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि यह केन्द्र सरकार की योजना है, लेकिन सांसदों का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं रखा गया है। क्या मंत्री महोदय, सांसदों की अध्यक्षता से त्रैमासिक रूप में इसकी जांच करने के लिए और इस योजना की प्रगति जानने के लिए कोई समिति गठित करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत आवश्यक है। आज वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की कोई भी कमेटी नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय, ने जो आंकड़े यहां प्रस्तुत किए हैं इस संबंध में मेरा यह कहना कि भारत सरकार के आंकड़े प्रस्तुत करने में माहिर है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस योजना में ऐसे लोगों को ऋण दिया जाता है जिनको ऋण की आवश्यकता ही नहीं होती है। 'ट्राइसम' एक योजना है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षित करके लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सच्चाई यह है कि जिनको इस योजना के अन्तर्गत वजीफा दिया जाता है, उसमें दलाल और खंड स्तर के कर्मचारी मिलकर ऐसे लोगों का चयन कर लेते हैं तथा 50 प्रतिशत भाग उस व्यक्ति को मिलता है, शेष 50 प्रतिशत भाग उस दलाल और खंड स्तर के कार्यालय के अधिकारियों की जेब में चला जाता है। इसके लिए मैं कहना

चाहूंगा कि जब तक आप इसके लिए डी.एम. को जिम्मेदार नहीं ठहरायेंगे, तब तक इस समस्या का निकराकरण नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आज तक इस विषय को लेकर कितने लोगों को दंडित किया गया है और निकट-भविष्य में इस गड़बड़ी को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा सांसदों की अध्यक्षता में त्रैमासिक रूप से कोई बैठक करवाने एवं इस मीटिंग में डी.एम. को भी सम्मिलित करने के लिए क्या सरकार विचार रखती है ?

डा. जगन्नाथ मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो बातें पूछी हैं, उस सम्बन्ध में हम कहना चाहेंगे कि पंचायतराज व्यवस्था के लागू होने के उपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि यह पूरा का पूरा कार्यक्रम पंचायतराज संस्थाओं को सौंप दिया जाए और जो लाभान्वित लोग हैं, उनकी सूची का चयन ग्राम सभा में किया जाए। जो शिकायत माननीय सदस्य ने की है कि गलत लोगों का चयन कर लिया जाता है, मैं बताना चाहूंगा कि अब यह प्रथा हमने समाप्त कर दी है। अब ग्राम सभा में उनका नाम स्वीकृत किया जाएगा और उन्हीं को ऋण दिया जाएगा।

दूसरी शिकायत माननीय सदस्य ने की है कि गलत लोगों को अनुदान दे दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि अब हमने उस प्रथा को भी समाप्त कर दिया है।

इसमें यह व्यवस्था थी कि जो नाम सुपुर्द हुए, उनको सरकार की सहायता दे दी जाती थी। अब हमने यह प्रथा चलाई है कि पहले उस आदमी को सहायता मिल जाएगी, वह कारोबार शुरु कर देगा और उसके उपरान्त ही हम उसके बैंक खाते में सरकारी सहायता जमा करेंगे। उस राशि का दुरुपयोग न हो इसलिए हमारी यह चेष्टा है कि बैंक के कर्जे की अदायगी में अन्त में उस पैसे का समायोजन किया जाए।

इसमें जो वितरण होगा, वह गैर-सरकारी सदस्यों की मौजूदगी में होगा, यह आदेश भी हमने हाल ही में निर्गत किया है। पहले जो गलतियां, त्रुटियां या भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रही हैं, उस आधार पर हमने तमाम संशोधन करने का काम किया है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, राज्य सरकारों को कमेटियां बनानी हैं। हमने दिशा-निर्देश दे दिए हैं, अमल राज्य सरकारों को करना हैं। लेकिन इसके लिए हमने कलैक्टर को जिम्मेदार बनाया है कि यदि भारत सरकार द्वारा प्रेषित मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया तो कलैक्टर को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। यह आदेश हमने किया है।

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ने अभी अपने उत्तर में यह बताया कि इसमें बहुत त्रुटिपूर्ण व्यवस्था थी, उसे ठीक करने के लिए कमेटियां बना रहे हैं। कमेटी तो पहले से ही बनी हुई थी कि उनका चयन खुली ग्राम सभा की बैठक में होगा।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है, उसके लिए इनका क्या विचार है और अब तक कितने ऐसे मामले पाए गए जिसमें लोगों ने गलतियां कीं और उनको सजा दी गई।

डा. जगन्नाथ मिश्र : सामान्य रूप से बैठकों में, सभाओं में शिकायतें होती हैं। हमने ऐलान करके भी कहा है कि यदि खास तरह की शिकायत हमारे स्तर पर लाई जाएगी तो उस पर कार्यवाही की जाएगी हालांकि कार्यवाही राज्य सरकारों को ही करनी है, पदाधिकारी राज्य सरकार के ही हैं। हम केवल राज्य सरकार को भेजेंगे कि अमुक शिकायत, अमुक प्रखंड में, अमुक जिले के अमुक पदाधिकारी के विरूद्ध है, राज्य सरकार इसकी पूरी जांच कराए। ऐसी शिकायतें कभी आई हैं तो हमने उनको भेजा है।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन होता क्यों है - आबंटन की वजह से। एक जगह अनपढ़ लोगों को स्कीम देनी है। यदि एक पंचायत में उनकी आबादी चार हजार की है तो वहां पर मुश्किल से दस आदमियों का चुनाव किया जाएगा कि दस लोगों को यह स्कीम देनी है। उसमें कम्पीटिशन की वजह से बैंक और कर्मचारी मिलीभगत करके करप्शन करते हैं जिसको सरकार ने स्वीकार किया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारों की इस भयावह स्थिति को आप देखते हुए उन्हें स्व-रोजगार देने के लिए क्या आप आबंटन बढ़ाने जा रहे हैं ताकि करप्शन के मुद्दे को समाप्त किया जा सके ?

बैंक के नियम ऐसे हैं जिसके कारण लोगों को अधिक परेशानी होती है। वे बैंक में दौड़ते रहते हैं। नियम जटिल हैं, इस वजह से भी उनको सब्सिडी के सारे रुपये बैंक में देने पड़ते हैं। क्या आप बैंक के नियमों को सुलभ करवाने की व्यवस्था करवाएंगे ? आप भारत सरकार हैं, आप कर सकते हैं। यह आपकी सीधी स्कीम है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का जो उद्देश्य है, गांवों में उस उद्देश्य की पूर्ति अच्छी तरह से नहीं होती है।

डा. जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष जी, जहां तक धन का सवाल है, प्रत्येक वर्ष हम आबंटन में बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन सम्पूर्णता में जो धन है, उसी में से हम वितरण करेंगे। बेरोजगारी की जितनी बड़ी समस्या है, उस अनुपात में तो धन हमारे पास नहीं है कि तत्काल हम धन आबंटित कर दें, लेकिन 1992-93 में जहां 693 करोड़ रुपये का आबंटन था, इस वर्ष हमने 1097 करोड़ रुपये का आबंटन इस कार्य के लिए किया है।

उसी तरह से बैंकों की कर्ज की सीमा भी हमने बढ़वाई है, लेकिन बैंकों से पूर्ण सहयोग मिले और जो लक्ष्य उनके क्रेडिट के लिए निर्धारित है, उसे पूरा करें। इस सम्बन्ध में हमने वित्त मंत्री को अलग से निवेदन भी किया है कि जो हमारे लक्ष्य भिन्न-भिन्न राज्यों में हैं, उस अनुपात में बैंकों से सहायता नहीं मिलती है, इसलिए बैंकों के ऊपर सख्ती की जाए कि जो लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर निर्धारित हो जायें, उसकी पूर्ति बैंकों को करनी चाहिए।

जहां तक शिकायतों की बात कही है, उसकी चर्चा मैंने प्रारम्भ में कर दी है। उसको कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है, पर कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसको निर्मूल किया जा सकता है,

क्रिन प्रक्रियाओं को अधिक विकसित करके, सुदृढ़ करके इन त्रुटियों को हम कम कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, ऊपर से नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार के इस माहौल में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अनेक शर्तों पर आरम्भ करना होगा। जब तक यहां पंचायत प्रणाली की व्यवस्था नहीं हो जाती जिन्हें वंचित लोगों द्वारा चलाया जाये और पंचायतों को प्रभावपूर्ण तरीके से चलाया जाये और यदि देश में पंचायत प्रणाली भी उच्चाधिकारियों द्वारा चलाई जाती है तो तब तक कुछ नहीं होगा। इस प्रकार यह बहुत कठिन कार्य है। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी द्वारा इस पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है। अनुभव बहुत रोचक है। कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ बैंक से लिया गया ऋण तत्काल अदा कर दिया जाता है, क्यों ? ऐसा इसलिये होता है क्योंकि राजसहायता का हिस्सा हड़प लिया जाता है। यह वह राजसहायता है जिसे उनके द्वारा लिया जाता है और वह ऋण को तत्काल अदा कर देते हैं। यह एक अनुभव है। एक अन्य अनुभव यह है कि ऋण की पुर्नअदायगी कभी नहीं होती है। क्योंकि धन कुछ इस तरह के कार्यों के लिए लिया जाता है जोकि उत्पादक नहीं होते हैं, लाभदायक नहीं होते हैं इसलिए ऋण बढ़ता जाता है। मैं नहीं जानता कि आपका इस समस्या की ओर कैसा दृष्टिकोण है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में वित्त राज्य मंत्री डा. पाल ने बैंकों को निदेश दिए हैं कि अगले कुछ दिनों के दौरान 15 नवम्बर तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दिए गए आवेदनों को निपटाना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या अनुभव रहा ? सभी बैंकों ने सर्वसम्मति से उस आदेश को लागू करने से इंकार कर दिया। क्यों ? वे कहते हैं कि पुर्नअदायगी बहुत ही कम है और उनके पास पर्याप्त निधि नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। इसलिए उन्होंने देने से इंकार कर दिया। हम इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। जो बात मुझे विस्मित करने वाली है वह यह है कि आपने इसका मूल्यांकन किया था। उसका क्या हुआ ? आप कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि कितना पैसा वसूल किया जाएगा। यदि आप यह नहीं बता सकते कि इस संबंध में आपका समवर्ती मूल्यांकन क्या हैं, तो हम इसे कैसे प्राप्त कर सकेंगे ?

दूसरे, क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूं ? अब आप कहते हैं कि आपने सुझाव दिया है कि 1 जनवरी, 1996 से इसे लागू किया जाना चाहिए। यह पूर्णत: चुनाव संबंधी चालें हैं। चलिए, हम उस पहलू में न जाएं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप बैंकों पर दबाव डाल सकते हैं - हम बार-बार वित्त मंत्रालय से यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक शाखा के लिए स्थानीय पंचायतों, मुख्य प्रतिनिधियों तथा शायद कर्जदारों को भी सम्मिलित करके एक समिति गठित जायेगी ? उड़ीसा में कोई पंचायत प्रणाली नहीं है। इसलिए मैं नहीं जानता कि यह कैसे होगा ? क्या आप उस पर जोर देंगे ? तीसरे, कृपया मुझे वह आंकड़े दीजिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी धनराशि का अभी पुर्नभुगतान नहीं किया गया है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कारण ऋणों तथा बट्टेखातों की स्थिति क्या है ?

[हिन्दी]

डा. जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष जी, जो समवर्ती आकलन हो रहा है, अद्यतन सूचना के मुताबिक 58 प्रतिशत लोगों ने अपने कर्जों की अदायगी कर दी है और वे कर्ज मुक्त हो गये हैं। उनकी आमदनी में 2 हजार रुपये की वृद्धि हुई है, इसकी भी सम्पुष्टि हुई है। जो सहायता दी जाती है उसका वहीं समावेश कर दिया जाता है इसलिए इसे समाप्त करने के लिए बैंक इंडेट की प्रणाली हमने पहली जनवरी से अपनाई है कि अनुदान की राशि सब्सिडी में नहीं दी जायेगी। वह उनके बैंक खाते में दी जायेगी, जब उनका कारोबार शुरु हो जायेगा, व्यवहार में आ जाये तब वह शुरु हो जायेगी। उसके पश्चात जो अनुदान दिया जा रहा है उसमें समावेश किया जायेगा बैंकों की ऋण अदायगी करने में इसलिए जो शिकायतें आती थीं कि सरकार के अनुदान की राशि को बैंकों के साथ समझौता करके रख लिया जाता था, उस सम्भावना को समाप्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपका आकलन क्या है ?

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष जी, समेकित विकास योजना के अंतर्गत जो कार्य देने के लिए सरकार ने तय किया है, ठीक है कि मंत्री महोदय चाहे जिस प्रकार का आंकड़ा प्रस्तुत कर दें, उसकी असफलता के पीछे कोई कारण है जो व्यवहार और नीयत का कारण है। मैं मंत्री महोदय को जानकारी देते हुए उनसे जानना चाहता हूं कि रोजगार देने के लिए जिस प्रकार के रोजगार को आपने तय किया है उस रोजगार के लिए जो खर्च होने वाला है, उसकी जो लागत होने वाली है, क्या इस वर्तमान समय में उस काम पर जितना पैसा खर्च होने वाला है उस काम को कर लेने में सक्षम है ? जो लागत है उसके आधार पर क्या किसी प्रशिक्षार्थी को रोजगार के लिए उतना धन उपलब्ध कराते हैं, यदि नहीं कराते हैं तो क्या सरकार प्रत्येक वर्ष में जब समेकित विकास योजना के लिए धन का आबंटन करेगी उसमें इस प्रकार के कार्यों को समेकित विकास योजना में लेना है और उसके क्रियान्वयन में जितनी पूंजी लगने वाली है, उस लगने वाली पूंजी को ध्यान में रखकर, सरकार कार्य में उतना पैसा ऋण के रूप में देने के लिए कोई योजना बनाने की सोच रही है?

डा. जगन्नाथ मिश्र : यह जो कार्यक्रम है बैंकों के ऋण के साथ सम्बद्ध है, पहले जो योजना बनती है उस योजना की लागत होती है। उसका अनुमान किया जाता है, फिर हमारा नियम है कि 50 प्रतिशत आफ

दि टोटल कॉस्ट या साढ़े सात हजार रुपये की बढ़ोत्तरी की है, वह दी जायेगी। आठवीं कक्षा तक पढ़े हुए नौजवानों के लिए जो प्रावधान किया है उसके मुताबिक भी साढ़े सात हजार रुपये की सहायता देंगे। अगर वे समूह बनाकर आना चाहते हैं तो सवा लाख रुपये की सहायता देंगे। यह स्कीम व्यवहार में है, चल रही है। लेकिन जब बैंक सहायता दे उसके बाद ही उन्हें हम अनुदान देंगे। इसलिए बैंक इंडेंट की जो प्रथा चलाई है वह इसलिए चलाई है कि जब योजना चालू हो जाये, बैंक की सहायता मिल जाये, वह सरजमी पर आ जाये तभी हम इस प्रकार की सहायता देंगे। माननीय सदस्य ने जो आंशका दर्ज की है, जो हमने पहली जनवरी से योजना लागू की है उससे ये त्रुटियां स्वत: ही समाप्त हो जायेंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शीघ्र तथा संक्षेप में पूछिए क्योंकि अन्य सदस्य भी अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र: यह समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1981 से कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना की उपलब्धि तथा उपयोग को जानने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया गया है अथवा कोई निगरानी प्रणाली आरम्भ की गई है। इस कार्यक्रम के आर्थिक विकास की प्रतिशतता क्या है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसकी गणना की गई है और यदि हां, तो मंत्री महोदय को हमें आंकड़े उपलब्ध करवाने चाहिएं।

[हिन्दी]

डा. जगन्नथ मिश्र : अभी हमने सूचना दी थी कि कंकेट वेल्यू हमारी तरफ से की गई है उसके मुताबिक जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की परिभाषा थी वह 6400 रुपये की थी। उसके हिसाब से 50 प्रतिशत लाभान्वित हुए हैं और गरीबी रेखा से ऊपर आये हैं। लेकिन नई परिभाषा जो 11000 रुपये की है उसके अनुपात में जो वृद्धि हुई है उससे केवल 16 प्रतिशत लोगों को लाभ मिला है।

इसलिए यह बात सही है कि हम लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, कंक्रीट इवेल्युएशन करा रहे हैं लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। इसी वजह से नया संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

*144. **श्री छेदी पासवान :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य-वार कितने गांवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) इनके विद्युतीकरण के लिए क्या समय-सारणी बनाई गई है; और (ग) उक्त विद्युतीकरण कार्यक्रम पर कितना व्यय होने की सम्भावना है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1995-96 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की वार्षिक योजना के अनुसार वर्ष के दौरान 4325 गांवों को विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न राज्यों के विद्युतीकृत क्षेत्रों में भार तीव्रीकरण, प्रणाली सुधार, पम्पसेटों का ऊर्जीकरण तथा गांवों का विद्युतीकरण शामिल है, के लिए वर्ष 1995-96 हेतु योजना आयोग द्वारा 1166.91 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

अनुबंध

वर्ष 1995-96 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	गांवों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	*
2.	अरूणाचल प्रदेश	120
3.	असम	900
4.	बिहार	400
5.	गोवा	*
6.	गुजरात	*
7.	हरियाणा	*
8.	हिमाचल प्रदेश	*
9.	जम्मू एवं कश्मीर	65
10.	कर्नाटक	*
11.	केरल	*
12.	मध्य प्रदेश	350
13.	महाराष्ट्र	*
14.	मणिपुर	75
15.	मेघालय	60
16.	मिजोरम	45
17.	नागालैण्ड	*
18.	उड़ीसा	220
19.	पंजाब	*
20.	राजस्थान	750
21.	सिक्किम	*
22.	तमिलनाडु	*
23.	त्रिपुरा	20
24.	उत्तर प्रदेश	800
25.	पश्चिम बंगाल	520
	जोड़	4325

* शत-प्रतिशत विद्युतीकृत गांवों वाले राज्य

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि योजना आयोग द्वारा 1995-96 के वित्तीय वर्ष में 1166.91 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। करीब-करीब वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और नया वित्तीय वर्ष शुरु होने को है। 1166.91 करोड़ रुपये में कितनी धनराशि निर्गत कर दी गई है और इस वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित 4325 गांव हैं, इनमें बिहार जैसे बड़े राज्य में गांवों की संख्या 44 है, महाराष्ट्र में 350, असम में 900 और राजस्थान में 750 है, तो मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि गांवों का नाम और गांवों की संख्या निर्धारित करने का मापदंड क्या हैं ?

श्रीमती उर्मिला सी.पटेल : गांव की संख्या निर्धारित करने का मापदंड यह है कि जो पिछड़े गांव हैं, जहां एस.सी./एस.टी. की आबादी ज्यादा है, उनको वरीयता दी जाती है। लेकिन गांवों का चुनाव राज्य सरकार करती है और वह सिफारिश करती है, उसी के आधार पर तय किया जाता है।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर संतोषजनक नहीं है। उदाहरण के तौर पर हमारे क्षेत्र में एक प्रखण्ड है जो सिर्फ आदिवासी बाहुल इलाका है, जिसमें करीब-करीब 800 गांव हैं और कागज में तो सभी गांवों में विद्युतीकरण कर दिया गया है लेकिन किसी गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि बिजली आज के भौतिकवादी युग में जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है, अत: सारे भारत के सम्पूर्ण गांवों में सरकार कब तक विद्युतीकरण करने का विचार रखती है।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : गांवों का विद्युतीकरण गांवों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पॉवर डिपार्टमेंट जागरूक है और जो भी फाइनेंस इसके लिए उपलब्ध है, इसका विद्युतीकरण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा राज्य सरकारों की सहायता से किया जाता है लेकिन कहीं-कहीं राज्य सरकार इसमें दिलचस्पी कम लेती है या तो उनको जो प्रोजेक्ट भेजने चाहिएं, वह नहीं भेज सकते हैं और या फिर उनके ओवर ड्यूज बाकी हैं, इसके कारण उनको सहायता नहीं मिल पाती है। इन सब इश्यूज के बजाय जो कमी आपको महसूस होती है, वह दिखाई देती है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष महोदय, जवाब में मंत्री महोदय ने गांवों के आंकड़े दिये हैं कि अगले साल कितने गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए 800 की संख्या दी गई है। पता नहीं, मंत्री महोदय, को अनुभव है या जानकारी है लेकिन मेरा अनुभव0 है कि पिछले 3-4 सालों से जो आंकड़े, जो टारगेट आप फिक्स करते हैं, वे कभी भी पूरे नहीं होते हैं। मैं मंत्री महोदया के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि पहाड़ों में मेरे क्षेत्र के अन्दर उदाहरण के तौर पर 120 का टारगेट रखा गया था, वह साल के बीच में आते-आते 60 का टारगेट हो जाता है और पिछले 2-3 साल से वास्तव में जितने गांवों में विद्युतीकरण हो रहा है, वह 10-15 के बीच में है। इसलिए मैं इस विषय में मंत्री महोदया से पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि जो आंकड़े, टारगेट यहां पर निर्धारित किए जाते हैं। वे कभी भी पूरे नहीं होते हैं, वे कभी भी अचीव नही किए जाते हैं । वे कभी भी संभव नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं, और मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि वहां पर उत्तर प्रदेश के यू.पी. एस.ई. बी. के पास पैसा नहीं है। रूरल इंजीनियरिंग कोरपोरेशन पैसा देता नहीं है। क्योंकि पिछला लोन वापस नहीं किया गया है और इस प्रक्रिया में गांव के लोग सफर कर रहे हैं। उनको बिजली नहीं मिली है। पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के अन्दर आज तक मेरे प्रत्येक जिले में हजारों गांव ऐसे हैं, जहां पर बिजली नहीं है। आज जबकि यह 20वीं सदी समाप्त हो रही है।

दूसरे साधन नहीं हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या आपने इस बॉटलनैक को खत्म करने के बारे में कोई योजना बनाई है ? अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोड्र्स पैसा देंगे, तो वास्तव में गांव के लोग सफर नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल और चमोली के लिए आप क्या विशेष व्यवस्था करेंगे, ताकि यहां के लिए धन की उपलब्धि रूरल इन्जीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा दी जाए और लोन के रिटर्न से इसको न जोड़ा जाए।

श्रीमती उर्मिला सी.पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह सच बात है कि उत्तर प्रदेश के 800 ही गांव हैं और इसकी वजह दो हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के करीब 329 करोड़ रुपये ओवर-ड्यूज हैं और बार-बार उनके चीफ-मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर के साथ डिसकशन होते हुए भी कोई स्पेशल ड्यूज देने के निर्णय करने के बारे में जो प्रोग्राम चौक-आउट करना चाहिए, वह करने में इन्टरैस्ट बताया नहीं गया है। इसकी वजह से जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम है, उसको बढ़ावा नहीं मिलता है। अगर वे कोई प्रोग्राम चौक-आउट करें, तो जरूर उनको ज्यादा . . .

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : केन्द्र की तरफ के क्या कर रहे हैं ? केन्द्र की तरफ से भी कुछ करेंगे या असहाय होकर बैठे रहेंगे। . . . (व्यवधान)

श्रीमती उर्मिला सी.पटेल : असहाय होकर नहीं बैठे हैं। हमको असहाय राज्य सरकारों ने बना रखा है। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। . . . (व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : उत्तर प्रदेश में पिछले साढ़े तीन साल में से डेढ़ साल तो राज्यपाल का शासन है। आप कम से कम उन के माध्यम से तो कुछ करिए। . . . (व्यवधान)

श्रीमती उर्मिला सी.पटेल : जो रिपेमेंट करना है, वह तो सरकार को करना है। . . . (व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : कोई व्यवस्था तो कराइए, नहीं तो हम को तो बिजली मिलने वाली नहीं है। आपको कुछ व्यवस्था तो करनी चाहिए।

श्रीमती उर्मिला सी.पटेल : कोई भी आदमी समझ सकता है, ओवर-ड्यूज-पे नहीं करेंगे, तो नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : विद्युतीकरण विशेषत: गांवों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मैं पूर्व महाराष्ट्र सरकार, तमिलनाडु सरकार, कर्नाटक सरकार केरल सरकार तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत विद्युतीरकण हासिल कर लिया है। लेकिन देश के पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में हमने अभी तक 60 प्रतिशत विद्युतीकरण भी नहीं कर पाये हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं। कि क्या सरकार यह जानने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाएगी कि पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विद्युत प्रदान करने की योजना में शामिल न करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार कोई आवश्यक कार्यवाही कर रही है ?

[हिन्दी]

श्रीमती उर्मिला सी.पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को मैं बताना चाहती हूं, वेस्ट बंगाल का ओवर-ड्यूज 168.91 करोड़ रुपए हैं। इसी तरह से उड़ीसा के ओवर-ड्यूज 508 करोड़ रुपए हैं और मैंने अभी उत्तर प्रदेश के बारे में ओवर-ड्यूज बताएं हैं। जिन सरकारों ने ओवर-ड्यूज देने के बारे में कोई प्रोग्राम तय करने का इंट्रेस्ट नहीं बताया है, उन सरकारों के साथ काम करना मुश्किल होता है। बिजली को पैदा करने में भी खर्च करना पड़ता है, अगर वे ड्यूज नहीं देंगे, तो बिजली का प्रोडक्शन नहीं होगा। अन्य सरकारों ने 100 परसेंट दिया हुआ है। उन सरकारों ने जैसे गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा आदि ने अपने ड्यूज ही नहीं दिए हैं, बल्कि ज्यादा फन्ड्स दे कर रखे हैं। नेचुरली उन स्टेट्स को 100 प्रतिशत दिया है।

[अनुवाद]

सैयद शहाबुद्दीन : मैं उन राज्यों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन, महोदय, यह केवल नाम ही होगा। कई बार केवल एक बल्ब जलता है और वे कहते हैं कि पूरे गांव का विद्युतीकरण हो गया है, जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्री जी जोकि एक कुआं खुदवाते हैं और कहते हैं कि पूरे गांव को पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया गया है।

मेरा प्रश्न अन्य राज्यों के बारे में है जिनको गांवों का एक कोटा आबंटित किया गया है। मैं वर्ष 1995-96 के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार उन राज्यों में विद्युतीकरण के स्तर तथा विद्युतीकरण गांवों की प्रतिशतता के बारे में जानना चाहूंगा। यदि ये सभी कोटे वर्ष 1995-96 के अन्त तक पूरे किये जायेंगे तो विद्युतीकरण की प्रतिशतता क्या होगी। जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जैसे बड़े-बड़े राज्यों में हैं ?

[हिन्दी]

श्रीमती उर्मिला सी.पटेल : महोदय, जिस स्टेट की गवर्नमेंट के ड्यूस बाकी हैं उनके मिनिस्टर अगर यहां आकर रिपेमेंट का एश्योरेंस दे दें तो उनको आर.ई.सी. जरूर मदद करेगी। वे जो प्रोजेक्ट रखेंगे उसको हम पूरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैंने आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एन.एल.सी. जीरो यूनिट प्रोजेक्ट

*143. **श्री एस.एस.आर. राजेन्द्र कुमार** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 210 मेगावाट क्षमता वाले नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन जीरो यूनिट प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना शुरु कर देगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना का कार्यान्वयन गैर-सरकारी क्षेत्र में कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख) नेवेली लिग्नाइट निगम (एनएलसी) की 210 मे.वा. वाली जीरो यूनिट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) द्वारा दिनांक 10.8.1988 को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी और सरकार द्वारा दिनांक 23.3.1989 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। तथापि, संसाधनों की कमी के कारण एनएलसी इस यूनिट की अधिष्ठापना के सम्बन्ध में कार्रवाई नहीं कर सका।

(ग) 'और (घ) भारत सरकार ने, परियोजना को एक निजी विकासकर्ता को सौंपने के एनएलसी के निर्णय को 14.8.1992 को अपना अनुमोदन प्रदान किया था, जिसके अनुसरण में जीरो यूनिट के किए जाने वाले निर्माण और प्रचालन कार्य को मै0 एस टी सी एम एस इलैक्ट्रिक कंपनी को हस्तांतरित करने के लिए एन एल सी और मै0 एसटी पावर सिस्टम इंक. यूएसए के बीच दिनांक 31.8.1992 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एम ओ यू के अन्तर्गत जीरो यूनिट की अधिष्ठापित क्षमता 210 मे.वा. के आरम्भिक प्रस्ताव की अपेक्षा 250 मे. वा. होगी। परियोजना के वित्तीय समापन के बाद 38 माह के भीतर पूरा होने की प्रत्याशा है।

हिन्दुस्तान एंटीबॉयटिक्स लिमिटेड

*145. श्री अम्मा जोशी : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पुणे स्थित हिन्दुस्तान एंटीबॉयटिक्स लिमिटेड में निष्पादित किए गए कार्य का मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान एंटीबॉयटिक्स लि. को एक संयुक्त उद्यम को सस्ते दामों में बेच दिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं,

(ङ) क्या इस कारखाने की बिक्री से पूर्व विशेषज्ञ समिति ने किसी न्यूनतम आरक्षित मूल्य का सुझाव दिया था ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के कार्य निष्पादन की आवधिक आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। हिन्दुस्तान एंटीबॉयोटिक्स लिमिटेड की 31.12.1995 तक के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा 9 जनवरी, 1996 को की गई थी। यह पाया गया था कि दिसम्बर, 1995 तक 156 करोड़ रुपये के लक्षित उत्पादन की तुलना में 125 करोड़ मूल्य का उत्पादन हुआ। दिसम्बर, 1995 तक की अवधि के दौरान बिक्री 155 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 118 करोड़ रुपये की हुई थी। कंपनी को अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सभी प्रयास करने की सलाह दी गई थी।

(ग) एच ए एल को किसी संयुक्त उद्यम कंपनी को नहीं बेचा गया है।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

डी.टी.सी. को पूंजी

*146. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री जनार्दन मिश्र :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 27 नवम्बर, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 में दिल्ली में एक कारगर, पर्याप्त, मितव्ययी एवं उपयुक्त रूप से समन्वयी परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित एवं विकसित करने हेतु दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) को धन उपलब्ध कराने का प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक डी.टी.सी. को पर्याप्त धन उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप डी.टी.सी. को धन उपलब्ध कराने के साथ ही दिल्ली में एक समन्वित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निजी बस सेवा को इसके अंतर्गत रखने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत सरकार, दिल्ली परिवहन निगम को उसके उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए अथवा उससे संबंधित कार्यों के लिए अपेक्षित पूंजी उपलब्ध करा सकती है।

(ख) से (ङ) सरकार बजट गत संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर दि.प.नि. को पूंजी उपलब्ध कराती रही है। दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली बस सेवाओं को दि.प.नि. के अंतर्गत रखना कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय है।

पाकिस्तान व चीन के बीच परमाणु सहयोग

*147. श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु सामग्री का उत्पादन करने वाले परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम कम्पोनेंट की आपूर्ति करने, परमाणु अस्त्रों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण करने तथा परमाणु विद्युत संयंत्रों के विकास के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग किए जाने की रिपोर्टें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस संबंध में भारत को सुरक्षा के लिए यदि कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को अमरीका तथा चीन के साथ उठाया है ;

(ङ) यदि हां, तो इस पर अमरीका तथा चीन की अलग-अलग क्या प्रतिक्रियाएं हैं ;

(च) क्या अमरीका का विचार पाकिस्तान को सैन्य सहायता बन्द करने का है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (छ) पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के लिए कतिपय महत्वपूर्ण घटकों का चीन द्वारा पाकिस्तान को निर्यात किए जाने से संबंधित खबरें सरकार ने देखी हैं।

पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम में चीन की भागीदारी सुविख्यात है। इसमें प्रौद्योगिकी का अन्तरण तथा सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल है। दोनों देशों ने यह कहा है कि यह सहयोग शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और इस प्रकार के सहयोग के अन्तर्गत जिन संयन्त्रों की स्थापना की गई है वे पूरी तरह आई ए ई ए सुरक्षा उपायों के अधीन रहेंगे। इस समय चीन और पाकिस्तान चश्मा में 300 मेगावाट का एक नाभिकीय शक्ति संयंत्र विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं।

पाकिस्तान के शस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम संबन्धी सरकार की चिन्ता सर्वविदित है। इस कार्यक्रम को मिल रही बाहरी सहायता के संबंध में अपनी चिन्ता से हमने चीन को अवगत करा दिया है। ऐसी चिन्ताओं से अमरीका की सरकार को भी अवगत करा दिया गया है।

भारत की सुरक्षा के लिए सरकार बराबर सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

हमारे डिमार्श के प्रति चीन ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि यह अन्य देशों को नाभिकीय शस्त्र विकसित करने में समर्थन अथवा सहायता नहीं देता।

रिंग मैग्नेट्स की बिक्री के संबंध में बताते हुए 15 फरवरी, 1996 को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने किसी देश को नाभिकीय शस्त्र निर्माण के लिए उपकरण अथवा प्रौद्योगिकी का अन्तरण न तो किया है और न भविष्य में करेगा। नाभिकीय अप्रसार संधि का पक्षकार होने के नाते चीन नाभिकीय प्रसार की न तो वकालत करता है, न उसका संवर्धन करता है अथवा उसमें संलग्न होता है।

अमरीका ने हमारे डिमार्श का यह उत्तर दिया है कि वह उसका मूल्यांकन करके ही अपना दृष्टिकोण निर्धारण करेगा।

28 फरवरी, 1996 को अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने कहा कि मामले की समीक्षा की जा रही है और अमरीका राजनयिक तौर पर मामले के तथ्यों का निर्धारण करने में चीन के साथ विचार कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट की बातचीत का परिणाम मिलने तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अमरीका के एक्जिम बैंक से कहा है कि वह चीन को दिए जाने वाले ऋण के अनुमोदन या अस्वीकृति को रोक ले। बताया जाता है कि पाकिस्तान के संबंध में अमरीकी सरकार ने कहा है कि शस्त्र पैकेज देने में उन्हें कठिनाई है क्योंकि चीन द्वारा पाकिस्तान को 5000 रिंग मैग्नेट्स दिए जाने का अंदेशा है। कई सीनेटरों और कांग्रेस सदस्यों ने अमरीका सरकार से शस्त्र पैकेज को अभी कुछ समय के रोक लेने के लिए कहा है।

गांवों मे पेयजल सुविधाएं

*148. **डा. विश्वनाथम कैनिथी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 के आरंभ में देश के कितने गांवों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं ;

(ख) उक्त गांवों विशेषकर समस्याग्रस्त समझे जाने वाले गांवों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या योजनाएं बनायी गयी हैं तथा क्रियान्वित की जा रही हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री तथा कृषि मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र) : (क) 1985 के सर्वेक्षण में पता लगाए गए बिना पेयजल सुविधा वाले समस्याग्रस्त गांवों की संख्या देश में 1,61,722 थी। इनमें से 1993-94 के आरम्भ में, 750 शेष कवर न किए गए गांव थे।

1991 से 1993 के दौरान ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने एक नवीन सर्वेक्षण शुरु किया था, जो कि 1994 में वैधीकृत हुआ था। इस सर्वेक्षण के दौरान, 1.4.1994 तक 24,113 मुख्य और 1,16,862 अन्य बसावटें थीं जिन्हें स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के साथ कवर नहीं किया गया था।

(ख) उपरोक्त गांवों/बसावटों के स्वच्छ पेयजल सुविधा मुहैया कराने के लिये ये योजनाएं राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित की जा रही हैं। कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों में स्वच्छ पेयजल सुविधा मुहैया कराने हेतु केन्द्रीय सहायता त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को दी जाती है। राज्यों से नीचे दर्शायी गई प्राथमिकता का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है : -

(1) कवर न की गई बसावटें

(2) 10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से कम पेयजल वाली आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें

(3) 10-40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पेयजल वाली पूर्ण रूप से कवर की गई बसावटें।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुविधा मुहैया कराने में प्राप्त की गई प्रगति निम्नानुसार है :

अवधि	1985 के सर्वेक्षण में से कवर किए गए		
	समस्याग्रस्त गांव (बिना पेयजल स्रोत के)	अन्य (बसावटों सहित)	कुल
1993-94	472	41016	41488

अवधि	1994 के सर्वेक्षण में से कवर किए गए		
	कवर न की गई बसावटें	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें	
1994-95	23546	47388	70934
1995-96 (जनवरी 96 तक)	29584	30152	59736

गहरे समुद्र में मात्स्यिकी संबंधी पी. मुरारी समिति की रिपोर्ट

*149. **श्री रवि राय :**

श्री राम कापसे :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मात्स्यिकी और इससे सम्बद्ध उद्योगों की नीतियों की समीक्षा करने के लिए श्री पी. मुरारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा उन पर सिफारिशवार क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में हुए विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक अंतिम रूप देकर प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ;

(ङ) क्या सरकार ने सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक कुछ अंतरिम उपायों की घोषणा करने का निर्णय लिया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) सिफारिशों पर अंतरमंत्रालय विचार-विमर्श द्वारा विचार किया जा रहा है ताकि कानूनी आवश्यकताओं, मछुआरों के हितों और राष्ट्रहित के अनुरूप निर्णय लिया जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :

भारत सरकार ने 1995 में वर्षा ऋतु के दौरान केरल तट से दूर गहन समुद्री मत्स्यन पर 45 दिन का रोक राज्य सरकार द्वारा इस आशय से किए गए एक अनुरोध के आधार पर लगाया और इस अवधि के दौरान उन्होंने भी तटवर्त्ती जल में ट्रालिंग करने पर यही रोक लगा दी। भारत सरकार ने अब निर्णय लिया है कि राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित तटवर्त्ती क्षेत्रों में गहन समुद्री मत्स्यन पर रोक लगाने की सिफारिश किए जाने पर प्रजनन ऋतुओं के दौरान रोक लगा दी जाएगी बशर्ते कि वे भी तटवर्ती जल में ट्रालिंग करने पर ऐसी ही रोक लगाएं। इस मामले में उनकी सिफारिशें जरूरी होंगी क्योंकि विभिन्न प्रजातियों और अलग-अलग क्षेत्रों में प्रजनन की ऋतुएं भिन्न-भिन्न होती हैं। ऐसा मात्स्यिकी संसाधनों, पर्यावरण सुरक्षा और पारंपरिक मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। गहन समुद्री मत्स्यन संबंधी इस समय वैध सभी अनुमोदनों को अनुमोदन में दी गई शर्तों पर कार्यान्वित करने दिया जाएगा। भविष्य में किसी प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1981 और 1986 की चार्टर नीतियां धीरे-धीरे समाप्त की जा रही हैं तथा मौजूदा चार्टर मंजूरियों के तहत चल रहे जलयानों का कार्यकाल सितम्बर, 1997 तक समाप्त हो जाने की आशा है। केवल उन्हीं मामलों में दी गई अनुमतियों पर विचार किया जाएगा यहां ऐसा करना कानूनी रूप से जरूरी हो।

लीजिंग परमिटों का नवीकरण उनके मौजूदा कार्यकाल के दौरान नहीं किया जाएगा।

विवरण

गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें

1. संयुक्त उद्यम/चार्टर/लीज/टेस्ट फिशिंग द्वारा मत्स्यन के लिए जारी की गई सभी मंजूरियों को अपेक्षित कानूनी कार्यवाही के अध्याधीन तत्काल रद्द कर दिया जाए।

2. भविष्य में संयुक्त उद्यम/चार्टर/लीज/टेस्ट फिशिंग जलयानों को मत्स्यन के लिए कोई नया लाइसेंस/अनुमति न दी जाए और न ही नवीनीकरण/कार्यकरण बढ़ाया जाए।

3. मत्स्यन संबंधी सभी लाइसेंसों/परमिटों को सार्वजनिक दस्तावेज माना जाए और उनकी प्रतियां निरीक्षण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध हों।

4. 20 मीटर से कम लम्बाई वाली पारम्परिक नौकाओं अथवा मशीनीकृत जलयानों को चलाने वाले मछुआरों द्वारा जिन क्षेत्रों का दोहन किया जा रहा है अथवा किया जाएगा उनका दोहन करने के लिए सिफारिश संख्या एक और सात के अनुसार फिलहाल करंट एरिया में चल रहे भारतीय जलयानों को छोड़कर 20 मीटर से अधिक लम्बाई वाले किसी जलयान को अनुमति न दी जाए।

5. 20 मीटर से कम लम्बी भारतीय मशीनीकृत नौकाएं लगभग 70-90 मीटर तक की गहराई में मछली पकड़ सकती हैं इसलिए पश्चिम तट पर पैरा 4 में उल्लिखित जलयानों को छोड़कर 20 मीटर से अधिक लम्बाई वाले सभी जलयानों को 150 मीटर गहराई तक मत्स्यन करने की अनुमति न दी जाए। जहां 150 मीटर की गहराई किसी तट से 100 समुद्री मील की कम दूरी पर है वहां 20 मीटर से कम लम्बे भारतीय जलयानों को 100 समुद्री मील तक की दूरी तक मत्स्यन करने दिया जाए। पूर्वी तट पर, जो कि कन्याकुमारी से शुरु होता है, 20 मीटर से कम लम्बे भारतीय जलयान तट से 15 समुद्री मील तक अथवा 100 मीटर गहराई तक जो भी दूर हो/मत्स्यन कर सकें। समन्वयकों द्वारा तट से दूरी का उल्लेख करते हुए गहराई वाले क्षेत्र का भी निर्धारण किया जाए। दूरी का निर्धारण राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय/तटरक्षक बल/भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा।

6. जहां तक अंडमान और निकोबार तथा लक्ष्यद्वीप समूह का संबंध है तट से 50 समुद्री मील तक की दूरी पैरा-4 में दिए परन्तुक के अनुसार 20 मीटर से कम लम्बे भारतीय जलयानों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित की जाए। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो सीमा का निर्धारण द्वीपों के बीच वाले जल को भारतीय जलयानों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित करने की जरूरत को ध्यान में रखकर किया जाए चाहे उसमें से कोई हिस्सा 50 समुद्री मील की सीमा से बाहर पड़ता हो।

7. जो क्षेत्र 20 मीटर से अधिक लम्बे जलयानों के लिए हैं वहां मध्यवर्ती जल अथवा प्लैजिक क्षेत्रों, ट्रूना तथा ट्रूना जैसी मछलियों स्किपजैक और कटल फिश, गहन समुद्री फिन मछली तथा समुद्री ट्रूना के दोहन, ट्रूना, लांग लाइनिंग, ट्रूना पर्स सीनिंग,

स्क्विड जिगिंग तथा मिड वाटर ट्रालिंग द्वारा करने की अनुमति है बशर्ते वह वास्तव में भारतीय स्वामित्व वाले पंजीकृत जलयान हों। भारतीय मालिकों की कम से कम 51 प्रतिशत ऋण अथवा इक्विटी होनी चाहिए।

8. विभिन्न मत्स्यन समुदाय क्षेत्रों के लिए मत्स्यन बेड़ों के आकार का निर्धारण संसाधनों के संरक्षण की जरूरत और अधिकतम निरन्तर उत्पादन को ध्यान में रखकर तय किया जाए।

9. हमारे जल में मात्सियकी संसाधनों के संरक्षण, मछुआरों की रक्षा और समुद्र में होने वाली झड़पों को कम करने के लिए संसद को मत्स्यन समुदाय से विचार-विमर्श करने के बाद गहन समुद्री मत्स्यन संबंधी विनियम बनाना चाहिए।

10. पारम्परिक, छोटे मशीनीकृत, बड़े गहन समुद्री जलयानों के बीच झड़पों को रोकने के लिए तटरक्षक बल द्वारा बड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। तटरक्षक बल द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए, उसका विस्तार किया जाना चाहिए। नौचालन, निगरानी और शस्त्र की अति आधुनिक प्रणाली से तकनीकी रूप से उसका उन्नयन किया जाना चाहिए तथा स्वदेशी जलयानों द्वारा अपनी निर्धारित सीमा में रहने तथा विदेशी जलयानों द्वारा गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उसे उपयुक्त रूप से लैस किया जाना चाहिए। अगर यह कार्य तटरक्षक बल नहीं कर पाता तो राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी और ऐजेंसी का पता लगाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित क्षेत्रों में जिन जलयानों को नहीं आना चाहिए वे इन प्रतिबंधों का उल्लंघन न करें।

11. सरकार को भारतीय गहन समुद्री मत्स्यन बेड़े तथा पारम्परिक मछुआरों द्वारा मशीनीकृत नौकाओं में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों तथा प्रौद्योगिकीय कुशलता के उन्नयन के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिएं तथा वित्त उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे कानून अथवा परम्परा और आरक्षित क्षेत्रों में कारगर ढंग से मत्स्यन कर सकें। शुल्क संबंधी रियायतें तथा रियायती दरों पर वित्त की सुविधा तीनों प्रकार की श्रेणियों लेकिन इसमें पारम्परिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए, को क्षमता बढ़ाने से लेकर अति आधुनिक टेक्नॉलाजी को ध्यान में रखते हुए नौचालन के साथ-साथ मत्स्यन उपकरणों के लिए दी जाए।

12. पारम्परिक और लघु मशीनीकृत क्षेत्र को गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखकर सब्सिडी हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल, ईंधन की पर्याप्त नियमित सप्लाई दी जाए।

13. सभी प्रकार के समुद्री मात्स्यिकी एक मंत्रालय के तहत होनी चाहिए। सरकार को एक ऐसे भारतीय मात्सियकी प्राधिकरण की स्थापना पर विचार करना चाहिए जिस तरह के अन्य देशों में स्थित हैं और जो नीतियों को बनाने और उनको लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

14. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को भी आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरण देकर तकनीकी रूप से बेहतर बनाया जाना चाहिए ताकि वे सभी प्रकार की मछलियों के क्षेत्र का, विभिन्न प्रौद्योगिकियों के प्रभाव और पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन कर सकें। इस उद्देश्यों से राष्ट्रीय रिमोर्ट सैंसिंग एजेंसी और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के बीच उपयुक्त समन्वय और सहयोग होना चाहिए।

15. सरकार को मात्स्यिकी संसाधनों की बरबादी, जोकि मछलीइतर वस्तुओं को समुद्र में फैंकने के कारण होती है, को रोकने के लिए बुनियादी सुविधाओं/के सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे मछुआरों और उनकी सहकारिताओं द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए कोल्ड स्टोरेज, बर्फ के कारखानों, मछली प्रसंस्करण सुविधाओं, फिस मील आहार द्वारा उन्नयन किया जा सकता है।

16. पूर्व और पश्चिम तट के साथ-साथ लक्ष्यद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूदा और आधुनिक अपग्रेडिड नौकाओं के लिए मत्स्यन बंदरगाहों जैसी बुनियादी सुविधाओं का सृजन प्राथमिकता आधार पर किया जाए।

17. मछुआरों/मछुआरिनों और उनकी सहकारिताओं को विपणन तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए बड़े जलयानों की खरीद और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता दी जाए ।

18. सरकार को फिश हैंडलिंग और प्रसंस्करण के अन्य पहुओं के अलावा नये उपकरणों, बड़े जलयानों और नई मत्स्यन तकनीकी के बारे में मछुआरों/मछुआरिनों को प्रशिक्षण देने में प्राथमिकता बरतनी चाहिए।

19. सरकार को उद्योगों द्वारा बहिस्राव/प्रदूषकों/सीवेज के कारण उत्पन्न किए जा रहे संकट को रोकने के लिए कारगर उपाय करने चाहिएं क्योंकि इनसे समुद्री जीवन पर बुरा असर पड़ता है।

20. सरकार को 6 महीने में समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेना होगा।

21. गहन समुद्री मत्स्यन नीति को समय-समय पर अर्थात हर 3-5 वर्षों में संशोधित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

एल्यूमिनियम का उत्पादन

*150. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम का उत्पादन लगातार घटता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु तथा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) धातु उत्पादन के लिए इकाइयां स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एल्यूमिनियम उद्योग को आवश्यक लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दी है। इसके अलावा, एल्यूमिनियम के उत्पादन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने धातु और इसके उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाया है। यह उत्पाद शुल्क पहले लगभग 28 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच था उसे घटाकर 15 प्रतिशत एडवेलोरम करा दिया है तथा समय-समय पर एल्यूमिनियम उद्योग पर मोडवेट लाभों को बढ़ाया है।

एल्यूमिनियम उद्योग को इन उद्योगों की सूची में भी शामिल किया गया है जिनमें इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की स्वत: मंजूरी मिली हुई है।

गंगा नदी में नौपरिवहन सुविधाएं

*151. श्री लाल बाबू राय : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी में नौपरिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के इलाहाबाद हल्दिया खंड (1620 कि.मी.) को अक्टूबर, 1996 में राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 के रूप में घोषित किया गया था। तभी से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण चरणबद्ध रूप में इस जलमार्ग का रख-रखाव और सुधार कार्य कर रहा है।

वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 3.43 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की स्कीमें तैयार की हैं और हल्दिया-पटना खंड (1020 कि.मी.) में दिन के समय नौचालन चिह्नों से युक्त 2 मीटर गहरी चैनल की व्यवस्था करके नौचालन चैनल के विकास के लिए वे स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1996-97 के दौरान कार्यान्वयन के लिए ऐसी स्कीमें तैयार कर रहा है जिससे कि कलकत्ता फरक्का खंड (420 कि. मी.) में रात्रि नौचालन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

हल्दिया, कलकत्ता में टीटी शेड और जगरनाथ घाट, पाकुर, फरक्का, भागलपुर, मुंगेर और पटना में टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 7.24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गायघाट, पटना में एक सामान्य कार्गो बर्थ के निर्माण के लिए अनुमोदन दे दिया है और 1996-97 के दौरान कार्य शुरु हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जी आर जेट्टी कलकत्ता में एक अतिरिक्त टर्मिनल की व्यवस्था करने की योजना बनाई है।

पटना-मोकामा खंड में अर्द्ध स्थायी और स्थायी नदी ट्रेनिंग कार्यों की व्यवस्था के प्रयोजन से उपयुक्त नदी ट्रेनिंग उपाय सुझाने के लिए मैं. इंजीनियर्स इंडिया लि. के माध्यम से कराया जा रहा अध्ययन प्रगति पर है।

[अनुवाद]

'इस्को' का आधुनिकीकरण

*152. श्री चित्त बसु :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'इस्को' के आधुनिकीकरण के मामले पर अब तक काई अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने 'इस्को' के आधुनिकीकरण के लिए न्यूनतम बजटीय आबंटन पर अनुकूल रवैया नहीं अपनाया है ; और (ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं। चूंकि इस कम्पनी का मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेज दिया गया है। इसलिए 'इस्को' के आधुनिकीकरण के लिए शुरु की जाने वाली योजना इस बारे में बी.आई. एफ.आर. के आदेशों के अनुसार होगी।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) संसाधनों की कमी के कारण 'इस्को' के आधुनीकीकरण के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध कराना सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

ग्रेनाइट का खनन

*153. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेनाइट के सुव्यवस्थित खनन में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रेनाइट खनन में तेजी लाने के लिए वैज्ञानिक विधियां अपनाने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) हाल के वर्षों में ग्रेनाइट को मिले महत्व को देखते हुए देश में इसके भंडारों का आंकलन करने हेतु एक कार्यवाही योजना तैयार की गई है और इसी के अनुसरण में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 14 राज्यों में अन्वेषण कार्य पहले ही आरंभ कर दिया है। ग्रेनाइट के गौण खनिज होने के कारण इसके खनन को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। केन्द्र सरकार ने ग्रेनाइट विकास परिषद के रूप में एक मंच का गठन किया है जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ग्रेनाइट उद्योग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के प्रतिनिधि होंगे।

उर्वरक उद्योगों की उत्पादन क्षमता

*154. **डा. के.वी.आर. चौधरी :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरक उद्योगों की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये उद्योग अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप उर्वरकों का उत्पादन कर रहे हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान जिन उर्वरक उद्योगों ने अपनी क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति मांगी थी उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक अनुरोध पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) देश में उर्वरक उद्योग की वर्तमान स्थापित क्षमता 93.06 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन तथा 28.22 लाख मीट्रिक टन फास्फेट है। क्षमता उपयोगिता का विद्यमान स्तर पूर्णरूपेण संतोषजनक है जो नाइट्रोजन के मामले में 96.7 प्रतिशत तथा फास्फेट के मामले में 91.1 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) 24.7.1991 की औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तथापि उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के एककों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों से अधिक पूंजी व्यय करने के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी पड़ती है। कार्यान्वयनाधीन इन उपक्रमों की प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। देश के भीतर उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे जिन्हें निर्धारित मंजूरी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, संलग्न विवरण - II में दिए गए हैं।

विवरण - I

देश में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं.	कम्पनी/सहकारी समिति का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़ में)	परिकल्पित उत्पादन उत्पाद क्षमता (लाख मी.टन प्रति वर्ष)		शून्य तारीख	आरम्भण की सम्भावित तारीख
1	2	3	4	5		6	7
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	आंवला (उ.प्र. विस्तार)	960.00	यूरिया	7.26	30.9.93	1.1.97
2.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	कलोल (गुजरात विस्तार)	119.08	यूरिया	1.50	1.3.95	1.9.97
3.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	फूलपुर (उ.प्र. विस्तार)	993.00	यूरिया	7.26	20.4.95	20.1.98
4.	नेशनल फर्टिलाइजर लि. (एन एफ एल)	विजयपुर (म.प्र. विस्तार)	987.30	यूरिया	7.26	30.9.93	1.1.97
5.	मद्रास फर्टिलाइजर लि. (मद्रास)	मनाली (मद्रास) (विस्तार)	487.47	यूरिया एनपीके	0.76 1.84	1.1.93	30.6.96
6.	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट)	उद्योग मण्डल केरल	618.00	अमोनिया	2.97	10.5.93	31.3.97

1	2	3	4	5	6	7
		(अमोनिया प्रतिस्थापन संयंत्र)				
7.	नेशनल फर्टिलाइजर लि. (एन एफएल)	नांगल, पंजाब (डी-बोल्ल्नेकिंग)	50.00	यूरिया 2.14	1.5.95	अगस्त, 97
8.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि. (आर सी एफ)	थाल फेस-I	49.00	यूरिया 1.65	7.3.94	7.10.96
		फेस-II (अमोनिया रेट्रोफिट)	93.00	यूरिया 1.10	1.11.95	1.11.97

विवरण - II

क्रमांक	कम्पनी / उपक्रम का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़ों में)	उत्पादन उत्पाद	परिकल्पित क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)
1	2	3	4	5	6
1.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. (इफको)	कांडला गुजरात (विस्तार)	212.80	फास्फेट न्यूट्रिएन्ट	2.11
2.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. (इफको)	नेल्लौर, आन्ध्र प्रदेश (ग्रासरूट)	1468.20	यूरिया	7.26
3.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको)	हजीरा गुजरात (ग्रासरूट)	637.87	एनपी (20:20) सीएएन (25%एन)	3.00 2.85
4.	कृषक भारतीय कोआपरेटिव लि. (कृभको)	हजीरा, गुजरात (विस्तार)	979.00	यूरिया	7.26
5.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल)	पानीपत हरियाणा (विस्तार)	1231.00	यूरिया	7.26
6.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ)	थाल, महाराष्ट्र (विस्तार)	1145.52	यूरिया	7.26

[हिन्दी]

भण्डारण, परिवहन, विपणन और प्रसंस्करण सुविधाएं

*155. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भण्डारण, परिवहन और विपणन संबंधी अपर्याप्त सुविधाओं के अभाव में प्रतिवर्ष औसतन कुल कितनी मात्रा में फल और सब्जियां सड़ जाती हैं ;

(ख) सरकार द्वारा फल और सब्जियों को सड़ने से बचाने हेतु राज्यवार तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों को कुटीर उद्योग के रूप में भी बढ़ावा देने का है ताकि ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) फलों व सब्जियों की वास्तविक बरबादी का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है, पर 1981 में एक कमेटी द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि कुछ फलों व सब्जियों के जल्दी सड़ जाने, फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं जैसे भंडारण, ढुलाई, विपणन और प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में गुणवत्ता में क्रमी और बरबादी लगभग 25-30 प्रतिशत तक होती है। मात्रा की दृष्टि से कुल हानि कुल उत्पादन के 5 से 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होती।

फल और सब्जियों का भंडारण, ढुलाई, विपणन और प्रसंस्करण सामान्यत: निजी और सहकारी क्षेत्र में होता है। लेकिन उद्योग को सहायता देने और फल और सब्जियों के फसलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए सरकार इन जल्दी सड़ जाने वाली वस्तुओं के भंडारण, ढुलाई, विपणन और प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना जिनमें प्रशिक्षण हेतु खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता देना शामिल है, अनेक योजना स्कीमें चला रही है ताकि फल तथा सब्जी प्रसंस्करण को कुटीर उद्योग के रूप में बढ़ावा मिले और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा हों। यद्यपि राज्यवार कोई आबंटन नहीं किए गए ह, फलों व सब्जियों के प्रसंस्करण समेत फसलोत्तर सुविधाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता संबंधी स्कीम।
2. फल एवं सब्जी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता संबंधी स्कीम।
3. फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/उन्नयन तथा प्रसंस्करणकर्ता तथा किसान के बीच बैकवर्ड लिंकेज के लिए सहायता संबंधी स्कीम।
4. प्रसंस्कृत फलों के व्यापक विज्ञापन तथा विपणन सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्कीम।
5. फल एवं सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सहायता संबंधी स्कीम।
6. फसलोत्तर बुनियादी सुविधा के प्रबंधन पर एकीकृत परियोजना।
7. आसान शर्तों पर ऋण में भागीदारी द्वारा विपणन तथा बागवानी उत्पाद के विकास संबंधी स्कीम।
8. फल रस/फल आधारित पेयों के विपणन के लिए वैकल्पिक संरचना।
9. बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवाएं।
10. पैकेजिंग विकास संबंधी स्कीम।
11. बागवानी निर्यातों की वायुयानों द्वारा ढुलाई को प्रोत्साहन देने संबंधी स्कीम।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में भारत-नेपाल समझौता

*156. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल ने फरवरी, 1996 में विद्युत क्षेत्र में कोई समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) भारत ने विद्युत क्षेत्र में नेपाल की कितनी सहायता करना स्वीकार किया है ;

(घ) क्या भारत की निजी पार्टियां नेपाल में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सहमत हो गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) भारत और नेपाल के बीच विद्युत व्यापार के बारे में 17.2.96 को एक समझौते पर आद्याक्षर किए गए। (दोनों देशों द्वारा अपनी-अपनी ओर से अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी किए जाने के पश्चात् समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे)।

(ख) इस समझौते के अनुसार भारत अथवा नेपाल की कोई भी पार्टी अन्य देश की किसी पार्टी के साथ विद्युत व्यापार के लिए समझौता कर सकेगी और इस प्रकार की व्यवस्था हेतु स्वयं शर्तों को निर्धारण कर सकेगी, बशर्ते संबंधित देशों को इसके बारे में कानूनों एवं विनियमों में निहित सभी आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति की जाए तथा प्रत्येक देश की

आवश्यक तकनीकी अपेक्षाओं के लिए उनके साथ बैठक आयोजित की जाए।

(ग) इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर नेपाल जहां पर अभिज्ञात न की गई पर्याप्त मात्रा में जल विद्युत शक्यता विद्यमान हैं, भारत विद्युत का आयात कर सकेगा और नेपाल को भी विद्युत हेतु भारत में व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

राज्य विद्युत बोर्डों को विश्व बैंक की सहायता

*157. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

डा. बसंत पवार :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है राज्य विद्युत बोर्डों को राज्यवार कितनी-कितनी राशि प्रदान की जायेगी ;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों ने भी अपनी ओर से नये ऋणों के लिए विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजे हैं ;

(घ) इसके परिणामस्वरूप राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य-निष्पादन में किस सीमा तक सुधार होगा ;

(ङ) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा पहले लिए गए ऋणों का समुचित उपयोग किया गया है ; और

(च) केन्द्रीय सरकार राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा लिए गए ऋणों के भुगतान के लिए किस हद तक जिम्मेदार है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान प्रत्येक के लिए 2 मिलियन अमरीकी डालर तथा बिहार के लिए 1.5 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की सहायता से इन राज्यों में राज्य स्तर के विद्युत उद्योग का पुनर्गठन किए जाने/इनमें सुधार लाने हेतु निदानात्मक अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृत किया है।

(ग) 350 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए शीघ्र ही विश्व बैंक तथा उड़ीसा सरकार के बीच वार्ता रखे जाने का कार्यक्रम है। विश्व बैंक से एक पूर्व अनुमोदन मिशन ने हरियाणा में विद्युत क्षेत्र के लिए ऋण हेतु राज्य का दौरा भी किया है। अन्य राज्यों जहां पुनर्गठन प्रक्रिया आरम्भ की गई है, को ऋण प्रदान किए जाने पर विश्व बैंक द्वारा विचार परामर्शदाताओं की सिफारिशें प्राप्त किए जाने तथा राज्यों द्वारा कुछ प्रारंभिक कदम उठाये जाने के बाद ही किया जाएगा।

(घ) पुनर्गठन प्रक्रिया से राज्य बिजली बोर्डों के भौतिक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा उनके प्रचालन कार्यों को और अधिक वाणिज्यिक व व्यवहार्य बनाने में सहायता मिलेगी।

(ङ) जी हां।

(च) विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से इन राज्यों को निधियों का प्रवाह और उनकी वापसी अदायगी भारत सरकार के माध्यम से होती है।

[हिन्दी]

राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

*158. श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में कोई आकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की गई ;

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान, राज्य-वार कितने खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना की जाएगी ;

(च) इन एककों की स्थापना करने में राज्यवार, कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ; और

(छ) इससे कितने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (छ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के वास्ते विभिन्न विकास स्कीमों को तैयार करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की तैयारी हेतु एक सामान्य मूल्यांकन किया गया था। विभिन्न संगठनों/राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न राज्यों में किए गए अध्ययन जिसके लिए मंत्रालय द्वारा योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी से पता चलता है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की बहुत संभावना है। इन अध्ययनों से उद्योगों के विकास में पेश आने वाली दिक्कतों का भी पता चलता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न योजना उपाय किए हैं और राजकोषीय प्रोत्साहनों समेत प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आठवीं योजना के दौरान विभिन्न योजना स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा योजना आयोग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में एक कार्यदल का भी गठन किया गया है जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने की संभावना का मूल्यांकन करेगा।

अल्कोहल पेयों के किण्वन तथा आसवन तथा जो लघु क्षेत्र के लिए

आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों लाइसेंस मुक्त हैं। इसलिए ऐसे मामलों को लाइसेंस मुक्त उद्योग के मामले में किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती बल्कि उद्यमियों द्वारा केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल करना होता है।

फिर भी, संयुक्त उद्यमों / 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/विदेशी सहयोग इत्यादि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमोदन सरकार/रिजर्व सरकार/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाते हैं।

अगस्त 1991 से दिसम्बर 1995 तक 42,347 करोड़ रुपये के निवेश वाले और 5.72 लाख लोगों को रोजगार देने वाले 3422 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दाखिल किए गए हैं। जिनकी राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान 11232 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले तथा 1.85 लाख लोगों को रोजगार देने वाले 798 प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। जिनकी राज्यवार सूचना संलग्न विवरण - II में दी गई है।

प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में से 454 कार्यान्वित किए गए हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

संलग्न विवरण - IV में दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिए गए अनुमोदनों में से 96 पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

विवरण - I

जनवरी, 95 तक दाखिल किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों का राज्यवार ब्यौरा

(रुपये हजारों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	पेश किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की सं.	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित निवेश
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	221	44560	191283
2	असम	4	205	1899300
3	बिहार	22	1878	3338440
4	गुजरात	249	36993	34316424
5	हरियाणा	369	62644	33150677
6	हिमाचल प्रदेश	37	5737	2860500
7	जम्मू व कश्मीर	10	986	317403
8	कर्नाटक	86	10131	10536673
9	केरल	40	5519	9043633
10	मध्य प्रदेश	305	46544	27834842
11	महाराष्ट्र	488	76949	98797252
12	मणिपुर	0	0	0
13	मेघालय	1	50	50000
14	नागालैण्ड	1	140	8400
15	उड़ीसा	17	3195	1154214
16	पंजाब	280	71071	32420418
17	राजस्थान	318	47563	34482818
18	तमिलनाडु	139	17052	8838905
19	त्रिपुरा	0	0	0
20	उत्तर प्रदेश	656	117684	90744157
21	पश्चिम बंगाल	94	14099	12381859
22	सिक्किम	1	85	16000
23	अंडमान और निकोबार	1	260	45000
24	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
25	चंडीगढ़	2	320	61905

1	2	3	4	5
26	दादर एवं नगर हवेली	13	735	502402
27	दिल्ली	42	3861	913388
28	दमन एवं दीव	9	588	157100
29	एल.एम. एंड. ए. आइसलैंड	0	0	0
30	मिजोरम	0	0	0
31	पांडिचेरी	13	1563	674178
32	गोआ	9	1311	903475
	कुल योग	3422	571723	423467742

विवरण - II

दिसम्बर, 95 तक मंजूर किए गए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्ताव की संख्या	कुल परियोजना लागत	अनिवासी भारतीय	अन्य	कुल	रोजगार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	144	1489	74	79	173	19232
2	असम	1	14	-	1	1	347
3	बिहार	6	31	-	1	1	483
4	गुजरात	40	360	21	78	99	5268
5	हरियाणा	70	554	27	23	50	7256
6	हिमाचल प्रदेश	19	351	26	66	92	2251
7	जम्मू व कश्मीर	4	38	-	-	-	400
8	कर्नाटक	39	240	7	38	45	4414
9	केरल	43	213	3	24	27	3870
10	मध्य प्रदेश	24	416	12	14	26	3441
11	महाराष्ट्र	138	1900	55	440	495	49576
12	मणिपुर	-	-	-	-	-	-
13	मेघालय	-	-	-	-	-	-
14	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-
15	उड़ीसा	6	31	1	-	1	644
16	पंजाब	18	528	4	224	228	27848
17	राजस्थान	42	301	14	9	23	16583
18	तमिलनाडु	63	839	5	447	452	8267
19	त्रिपुरा	1	2	-	1	1	80
20	उत्तर प्रदेश	61	1080	13	343	356	7349
21	पश्चिम बंगाल	18	245	3	19	22	3014
22	सिक्किम	1	10	-	-	-	100
23	अंडमान और निकोबार	4	28	1	-	1	60
24	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
25	चंडीगढ़	1	13	1	–	1	960
26	दादर एवं नगर हवेली	8	1	–	–	–	42
27	दिल्ली	4	31	–	–	–	311
28	दमन एवं दीव	7	50	–	–	–	649
29	एल.एम. एंड. ए. आइसलैंड	–	–	–	–	–	–
30	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
31	पांडिचेरी	2	13	–	–	–	592
32	गोआ	19	488	13	14	27	2902
33	स्थान का उल्लेख नहीं एक मे अधिक जगह पर स्थित यूनिटों की संख्या	21	1966	32	1189	1221	19770
	कुल योग	798	11232	332	3010	3342	185809

विवरण - III

(01/08/91-31/12/95) के दौरान (कार्यान्वित) औद्योगिक ज्ञापनों का राज्यवार ब्यौरा

(हजार रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	पेश किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की सं.	प्रस्तावित रोजगार	वास्तविक निवेश
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	45	5097	1713848
2	असम	0	0	0
3	बिहार	1	108	61980
4	गुजरात	73	7117	14921046
5	हरियाणा	24	2692	677079
6	हिमाचल प्रदेश	2	355	203914
7	जम्मू व कश्मीर	1	30	3455
8	कर्नाटक	7	604	351070
9	केरल	2	70	20930
10	मध्य प्रदेश	64	7480	3957844
11	महाराष्ट्र	89	10722	11762229
12	मणिपुर	0	0	0
13	मेघालय	0	0	0
14	नागालैण्ड	0	0	0
15	उड़ीसा	2	403	40100
16	पंजाब	24	11842	1756559
17	राजस्थान	19	2969	1789407
18	तमिलनाडु	22	1571	908050
19	त्रिपुरा	0	0	0
20	उत्तर प्रदेश	70	9196	16462829
21	पश्चिम बंगाल	2	1010	110000

1	2	3	4	5
22	सिक्किम	0	0	0
23	अंडमान और निकोबार	0	0	0
24	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
25	चंडीगढ़	0	0	0
26	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0
27	दिल्ली	2	105	0
28	दमन एवं दीव	1	60	10000
29	एल.एम. एंड. ए. आइसलैंड	0	0	0
30	मिजोरम	0	0	0
31	पांडिचेरी	0	0	0
32	गोवा	4	348	56825
	कुल योग	454	61779	54807165

विवरण - IV

कार्यान्वित परियोजनाओं के क्षेत्रवार ब्यौरे

क्षेत्र	यूनिटों की संख्या	कुल परियोजना लागत (लाख रुपये में)	कुल विदेशी इक्विटी (लाख रुपये में)	प्रत्यक्ष रोजगार (व्यक्ति)
1	2	3	4	5
फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	30	23863.00	3015.73	9572
उपभोक्ता	9	41267.20	32299.20	43092
मछली प्रसंस्करण	26	31361.00	1943.44	1016
दूध व दूध से बनी वस्तुएं	2	29150.00	28481.00	800
अनाज मिलिंग	8	24568.00	20892.00	580
किण्वन	8	9320.00	6220.00	1053
मांस व मांस उत्पाद	14	12142.00	891.00	2001
कुल योग	96	171668.20	93741.37	58304

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मत्स्यनपोतों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव

*159. **श्री ए. चार्ल्स** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के तटीय भागों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मत्स्यनपोतों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है क्योंकि इससे पारम्परिक तरीकों से मछली पकड़ने वाले मछुआरों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) 1995 में केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि राज्य के तटवर्ती जल में गहन समुद्री मत्स्यन पर रोक लगा दी जाए तथा वे भी तटवर्ती जल में मशीनीकृत नौकाओं द्वारा की जाने वाली ट्रालिंग पर रोक लगा देंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव के उत्तर में सरकार ने 15.6.95 से 45 दिन तक कोचीन बंदरगाह से गहन समुद्री मत्स्यन प्रचालन पर रोक लगा दी थी। इस बीच केन्द्र सरकार ने केरल समेत सभी तटवर्ती राज्यों से अनुरोध किया है कि वे प्रजनन ऋतु के दौरान ट्रालिंग पर लगाई जाने वाली रोक की सही अवधि और समय का उल्लेख करें और निर्णय लिया है कि जिस अवधि के दौरान संबंधित राज्य सरकारें तटवर्ती जल में ट्रालिंग पर रोक लगाएंगी उस दौरान गहन समुद्री मत्स्यन पर रोक लगा दी जाएगी।

डी.ए.पी. की खपत

*160. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान अब तक भारतीय किसानों द्वारा डाई अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) की खपत किस प्रकार से रही है ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने डी.ए.पी. की खपत में कमी के प्रति चिन्ता व्यक्त की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने डी.ए.पी. उर्वरक की खपत बढ़ाने के लिए कोई सुझाव दिए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री तथा कृषि मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान डी.ए.पी. का खपत प्रतिमान निम्नवत् है :

	(लाख मीटरी टन)
1993-94	34.80
1994-95	35.86
1995-96 (अनुमानित) (1.4.95 से 31.12.95)	29.16

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा परीक्षण संबंधी सिफारिशों के आधार पर अम्लीय मृदाओं में रॉक सल्फेट के प्रयोग तथा उर्वरकों के प्रयोग को तर्कसंगत बनाने की अनुशंसा की है। परिषद ने रासायनिक उर्वरकों के साथ कार्बनिक फसलों के अवशिष्ट पदार्थों, फार्म यार्ड खाद, कम्पोस्ट तथा हरी खादों के प्रयोग की भी अनुशंसा की है डी.ए.पी. का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार किसानों को स्वदेशी डी.ए.पी. की बिक्री पर प्रति टन 1000 रुपये की रियायत दे रही है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मत्स्यन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना

1139. सैयद शाहाबुद्दीन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरारी समिति ने समुद्री मत्स्यन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ;

(ग) पारंपरिक मत्स्यन के लिए आरक्षित तटीय क्षेत्र की वर्तमान चौड़ाई क्या है ;

(घ) क्या इस तटीय क्षेत्र में आधुनिक नौकाओं से मत्स्यन की अनुमति है ;

(ङ) तटवर्ती क्षेत्र के बाहर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत लाइसेंस प्राप्त मत्स्य नौकाओं की क्या संख्या है ;

(च) उपर्युक्त (ङ) में सम्मिलित विदेशी लाइसेंसों की संख्या क्या है ; और

(छ) लाइसेंसों के अन्तर्गत कार्यरत मत्स्य नौकाओं के बेड़े में विदेशी लाइसेंसों की क्या हिस्सेदारी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। वैधानिक और संवैधानिक आवश्यकताओं, संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के अनुरूप गहन समुद्री मत्स्यन नीति की समीक्षा करने के लिए गठित समीक्षा की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अन्तर मंत्रालय स्तर पर कार्रवाई शुरु की जा चुकी है।

(ग) और (घ) तटवर्ती जल में मत्स्यन कार्यों को तटवर्ती राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम/नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में तद्नुसार अपने समुद्री मत्स्यन विनियमतन अधिनियम/विनियम बना लिए हैं। जिनके तहत देश के तटवर्ती क्षेत्र में पारंपरिक मत्स्यन और मशीनीकृत मत्स्यन के लिए क्षेत्र अनन्य रूप से आरक्षित कर दिए गए हैं। पारंपरिक मत्स्यन के लिए आरक्षित क्षेत्र और मशीनीकृत मत्स्यन के लिए आरक्षित क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण - II पर दिया गया है।

(ङ) इस समय निम्नलिखित अनुमतियां वैध हैं :

1.	संयुक्त उद्यम :	16 कंपनियां	61 जलयान (भारती झंडे वाले)
2.	लीजिंग :	11 कंपनियां	57 जलयान (विदेशी झंडे वाले)
3.	चार्टर :	8 कंपनियां	23 जलयान (विदेशी झंडे वाले)

लेकिन 29.2.96 की स्थिति के अनुसार इनमें से 40 जलयान ही वास्तव में चल रहे हैं। इसके अलावा भारतीय स्वामित्व वाले लगभग 180 जलयान हैं।

(च) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहन समुद्री मत्स्यन जलयान चलाने के लिए किसी विदेशी कंपनी को कोई लाइसेंस नहीं दिए गए हैं।

(छ) प्रश्न हीं उठता।

विवरण - I

गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें

1. संयुक्त उद्यम/चार्टर/लीज/टेस्ट फिशिंग द्वारा मत्स्यन के लिए जारी की गई सभी मंजूरियों को अपेक्षित कानूनी कार्यवाही के अध्यधीन तत्काल रद्द कर दिया जाए।
2. भविष्य में संयुक्त उद्यम/चार्टर/लीज/टेस्ट फिशिंग जलयानों को मत्स्यन के लिए कोई नया लाइसेंस/अनुमति न दी जाए और न ही नवीनीकरण/कार्यकाल बढ़ाया जाए।

3. मत्स्यन संबंधी सभी लाइसेंसों/परमिटों को सार्वजनिक दस्तावेज माना जाए और उनकी प्रतियां निरीक्षण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध हों।

4. 20 मीटर से कम लम्बाई वाली पारम्परिक नौकाओं अथवा मशीनीकृत जलयानों को चलाने वाले मछुवारों द्वारा जिन क्षेत्रों का दोहन किया जा रहा है अथवा किया जाएगा उनका दोहन करने के लिए सिफारिश संख्या एक और सात के अनुसार फिलहाल करंट एरिया में चल रहे भारतीय जलयानों को छोड़कर 20 मीटर से अधिक लम्बाई वाले किसी जलयान को अनुमति न दी जाए।

5. 20 मीटर से कम लम्बी भारतीय मशीनीकृत नौकाएं लगभग 70-90 मीटर तक की गहराई में मछली पकड़ सकती हैं इसलिए पश्चिम तट पर पैरा 4 में उल्लिखित जलयानों को छोड़कर 20 मीटर से अधिक लम्बाई वाले सभी जलयानों को 150 मीटर गहराई तक मत्स्यन करने की अनुमति न दी जाए। जहां 150 मीटर की गहराई किसी तट से 100 समुद्री मील की कम दूरी पर हैं वहां 20 मीटर से कम लम्बे भारतीय जलयानों को 100 समुद्री मील तक की दूरी तक मत्सय करने दिया जाए। पूर्वी तट पर, जो कि कन्याकुमारी से शुरु होता है, 20 मीटर से कम लम्बे भारतीय जलयान तट से 15 समुद्री मील तक अथवा 100 मीटर गहराई तक, जो भी दूर हो मत्स्यन कर सकें। समन्वयकों द्वारा तट से दूरी का उल्लेख करते हुए गहराई वाले क्षेत्र का भी निर्धारण किया जाए। दूरी का निर्धारण राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय/तटरक्षक बल/भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा।

6. जहां तक अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह का संबंध है तट से 50 समुद्री मील तक की दूरी पैरा 4 में दिए परन्तुक के अनुसार 20 मीटर से कम लम्बे भारतीय जलयानों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित की जाए। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो सीमा का निर्धारण द्वीपों के बीच वाले जल को भारतीय जलयानों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित करने की जरूरत को ध्यान में रखकर किया जाए चाहे उसमें से कोई हिस्सा 50 समुद्री मील की सीमा से बाहर पड़ता हो।

7. जो क्षेत्र 20 मीटर से अधिक लम्बे जलयानों के लिए हैं वहां मध्यवर्ती जल अथवा प्लैजिक क्षेत्रों, टूना तथा टूना जैसी मछलियां, स्किवड और कटल फिश, गहन समुद्री फिन मछली तथा समुद्री टूना के दोहन, टूना लांग लाइनिंग, टूना पर्स सीनिंग, स्क्विड जिंगिंग तथा मिड वाटर ट्रालिंग द्वारा करने की अनुमति है बशर्ते वह वास्तव में भारतीय स्वामित्व वाले पंजीकृत जलयान हों। भारतीय मालिकों की कम से कम 51 प्रतिशत ऋण अथवा इक्विटी होनी चाहिए।

8. विभिन्न मत्स्यन क्षेत्रों के लिए मत्स्यन बेडों के आकार का निर्धारण संसाधनों के संरक्षण की जरूरत और अधिकतम निरन्तर उत्पादन को ध्यान में रखकर तय किया जाए।

9. हमारे जल में मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण, मछुवारों की रक्षा और समुद्र में होने वाली झड़पों को कम करने के लिए संसद को मत्स्यन समुदाय से विचार विमर्श करने के बाद गहन समुद्री मत्स्यन संबंधी विनियम बनाना चाहिए।

10. पारम्परिक, छोटे मशीनीकृत, बड़े गहन समुद्री जलयानों के बीच झड़पों को रोकने के लिए तटरक्षक बल द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। तटरक्षक बल द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए, उसका विस्तार किया जाना चाहिए। नौचालन, निगरानी और शस्त्र की अति आधुनिक प्रणाली से तकनीकी रूप से उसका उन्नयन किया जाना चाहिए तथा स्वदेशी जलयानों द्वारा अपनी निर्धारित सीमा में रहने तथा विदेशी जलयानों द्वारा गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए से उपयुक्त रूप से लैस किया जाना चाहिए। अगर यह कार्य तटरक्षक बल नहीं कर पाता तो राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी और एजेंसी का पता लगाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित क्षेत्रों में जिन जलयानों को नहीं आना चाहिए वे इन प्रतिबंधों का उल्लंघन न करें।

11. सरकार को भारतीय गहन समुद्री मत्स्यन बेड़े तथा पारम्परिक मछुवारों द्वारा मशीनीकृत नौकाओं में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों तथा प्रौद्योगिकीय कुशलता के उन्नयन के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिएं तथा वित्त उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे कानून अथवा परम्परा और आरक्षित क्षेत्रों में कारगर ढंग से मत्सयन कर सकें। शुल्क संबंधी रियायतों तथा रियायती दरों पर वित्त की सुविधा तीनों प्रकार की श्रेणियों लेकिन इसमें पारम्परिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए, को क्षमता बढ़ाने से लेकर अति आधुनिक टेक्नॉलॉजी को ध्यान में रखते हुए नौचालन के साथ-साथ मत्स्यन उपकरणों के लिए दी जाए।

12. पारम्परिक और लघु मशीनीकृत क्षेत्र को गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखकर सब्सिडी हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल, ईंधन की पर्याप्त नियमित सप्लाई दी जाए।

13. सभी प्रकार के समुद्री मात्स्यिकी एक मंत्रालय के तहत होनी चाहिए। सरकार को एक ऐसे भारतीय मात्स्यिकी प्राधिकरण की स्थापना पर विचार करना चाहिए जिस तरह के अन्य देशों में स्थित हैं और जो नीतियों को बनाने और उनको लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

14. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को भी आधुनिक प्रौद्योगिकी और

उपकरण देकर तकनीकी रूप से बेहतर बनाया जाना चाहिए ताकि वे सभी प्रकार की मछलियों के क्षेत्र का, विभिन्न प्रौद्योगिकियों के प्रभाव और पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन कर सकें। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय रिमोट सैंसिंग एजेंसी और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के बीच उपयुक्त समन्वय और सहयोग होना चाहिए।

15. सरकार को मात्स्यिकी संसाधनों की बरबादी, जो कि मछलीइतर वस्तुओं को समुद्र में फेकने के कारण होती है, को रोकने के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा मछुआरों और उनकी सहकारिताओं द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए कोल्ड स्टोरेज, बर्फ के कारखानों मछली प्रसंस्करण सुविधाओं, फिश मील आहार द्वारा उन्नयन किया जा सकता है।

16. पूर्व और पश्चिम तट के साथ-साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूदा और आधुनिक अपग्रेडिड नौकाओं के लिए मत्स्यन बदंरगाहों जैसी बुनियादी सुविधाओं का सृजन प्राथमिकता आधार पर किया जाए।

17. मछुआरों/मछुआरिनों और उनकी सहकारिताओं को विपर्णन तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए बड़े जलयानों की खरीद और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।

18. सरकार को फिश हैंडलिंग और प्रसंस्करण के अन्य पहलुओं के अलावा नये उपकरणों, बड़े जलयानों और नई मत्स्यन तकनीक के बारे में मछुवारों/मछुवारिनों को प्रशिक्षण देने में प्राथमिकता बरतनी चाहिए।

19. सरकार को उद्योगों द्वारा बहिस्राव/प्रदूषकों/सीवेज के कारण उत्पन्न किए जा रहे संकट को रोकने के लिए कारगर उपाय करने चाहिएं क्योंकि इनसे समुद्री जीवन पर बुरा असर पड़ता है।

20. सरकार को 6 महीने में समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेना होगा।

21. गहन समुद्री मत्स्यन नीति को समय-समय पर अर्थात हर 3-5 वर्षों में संशोधन किया जाना चाहिए।

विवरण - II

राज्य समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम/नियमों के तहत तटवर्ती राज्यों के परंपरागत जल क्षेत्र में नौकाओं तथा मशीनीकृत जलयानों के लिए क्षेत्र आरक्षण

क्र.सं.	राज्य/अधिनियम	केवल परंपरागत नौकाओं के लिए क्षेत्र	मशीनीकृत जलयान के लिए क्षेत्र
1.	गुजरात	राज्य का समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम विचाराधीन है।	
2.	महाराष्ट्र एम.एफ.आर.ए. 1981	(9-18 मी. गहराई)	
3.	गोवा, एम.एफ.आर.ए. 1980	5 कि.मी.	5 कि.मी. के बाहर
4.	कर्नाटक, एम.एफ.आर.ए. 1986	6 कि.मी.	6 कि.मी. के बाहर
5.	केरल, एम.एफ.आर.ए. 1980	10 कि.मी.	10 कि.मी. के बाहर
6.	तमिलनाडु	3 समुद्री मील (5.4 कि.मी.)	3 समुद्री मील के बाहर
7.	आंध्र प्रदेश, एम.एफ.आर.ए. 1994	10 कि.मी.	10 कि.मी. के बाहर
8.	उड़ीसा, एम.एफ.आर.ए. 1982	5 कि.मी.	1. 5 कि.मी. के बाद 15 एम.ओ.ए.एल तक 2. 10 कि.मी. के बाद 15 एम.ओ.ए.एल के ऊपर
	पं. बंगाल एम.एफ.आर.ए. 1994	उसके तहत बनाए गए नियम अभी प्राप्त होने हैं।	

* परंपरागत नौकाएं समुद्र में कहीं भी मछली पकड़ सकती हैं। उल्लिखित आरक्षण से अभिप्राय है कि अन्य प्रकार के जलयान परंपरागत नौकाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र में मछली न पकड़ सकें।

टेट्रासाइक्लिन

1140. श्री परसराम भारद्वाज : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेट्रासाइक्लिन का देश में उत्पादन हो रहा है और इसका आयात भी किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना उत्पादन किया गया और प्रत्येक उत्पादक द्वारा इसकी क्या कीमत निर्धारित की गयी तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया तथा प्रत्येक वर्ष प्रति किलो औसत सी.आई.एफ. मूल्य कितना था;

(ग) क्या मूल्य निर्धारण से पूर्व उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) देश में संगठित क्षेत्र में उत्पादन तथा टेट्रासाइक्लिन के आयात के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :-

वर्ष	उत्पादन (एम टी)	आयात (एम टी)	औसत सी आई एफ दर (रुपये कि.ग्रा.)	आयात की औसत अवतरित लागत (रुपये/कि.ग्रा.)
1992-93	134.00	303.32	501.81	1063.84
1993-94	51.86	254.26	425.87	796.38
1994-95	124.50	184.17	480.24	802.00

प्रपुंज औषधों की कीमतें औषधवार अधिसूचित की जाती हैं, न कि एककवार। टेट्रासाइक्लिन के संबंध में उपरोक्त अवधि के दौरान अधिसूचित कीमत नीचे दी जाती है :-

तारीख	अधिसूचित कीमत (रुपये/कि.ग्रा.)
16-6-1992	1294.00
23-11-1992	1263.00
5-12-1994	1641.00

(ग) और (घ) कीमत निर्धारण प्रवर्तमान औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश के उपबन्धों के अनुसार औद्योगिक लागत एवं कीमत ब्यूरो के द्वारा लागत और तकनीकी अध्ययन करने के बाद किया जाता है, जो निर्माणों एककों का मौके पर दौरा करके आंकड़ों की जांच करता है। सरकार द्वारा इस तरह से निकाली गई तथा अधिसूचित की गई कीमत सभी एककों के लिए लागू होती है।

हृदय रोग संबंधी दवायें

1141. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय रोगों की कुछ दवाओं को डी.पी.सी.ओ. की सीमा से बाहर रखा गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप उनकी कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो डी.पी.सी.ओ. की घोषणा के पश्चात् विशेषकर गत तीन वर्षों के दौरान कीमतों में वृद्धि के संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसे डी.पी.सी.ओ. की सीमा के अंदर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (घ) कीमत नियंत्रण के अधीन रखी गई औषधों की सूची 'औषध-नीति में संशोधन, 1996' में दिए गए मानदण्ड के आधार पर तैयार की गई है, जिसे विशेषज्ञ दल द्वारा एकत्र किए गए तथा संकलित किए गए आंकड़ों को बोर्ड में आमने-सामने बैठकर तय किया गया था। उक्त सूची में शामिल दवाओं सहित औषधों को हृदय-वक्ष संबंधी बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके मामले में कोई एकाधिकार की स्थिति नहीं है, यदि बिक्री कारोबार 100 लाख रुपये से अधिक हो या बाजार प्रतिस्पर्धा हो, या बिक्री कारोबार 400 लाख रुपये या उससे अधिक हो तो कीमत नियंत्रण से बाहर होती है।

मुद्रास्फीतिक स्थितियों के कारण समय-समय पर विनिमय दरों में परिवर्तन और कच्चे माल/मध्यवर्तियों के कीमतों में दवाइयों की कीमतों में वृद्धि होने से जैसे कि अन्य वस्तुओं के मामलों में होता है, वृद्धि दिखाई देती है। फिर भी, कीमतों में अनुचित व असंगत वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से सरकार नजर रखे हुए है।

जल प्रबंधन निदेशालय

1142. श्री राम नाईक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार तथा महात्मा फूले विश्वविद्यालय, राहूरी महाराष्ट्र में जल प्रबंधन निदेशालय का कार्यालय खोलने में कुछ सहायता तथा सहयोग दिया है ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई रियायत तथा सहायता के संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आई.सी.ए.आर. ने राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि का अभी तक अधिग्रहण नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ङ) क्या आई.सी.ए.आर. ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सहायता को इसलिए स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उसने महाराष्ट्र में निदेशालय का कार्यालय नहीं खोलने का निर्णय ले लिया है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) निदेशालय को करनाल (हरियाणा) से राहूरी (महाराष्ट्र) में

अक्तूबर, 1990 में स्थानांतरित करने पर महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ से कार्यालय, प्रयोगशाला कार्य और आवास संबंधी सीमित सुविधाएं ही उपलब्ध हो पाई थीं। विश्वविद्यालय के फार्म पर अनुसंधान कार्य भी सीमित रूप से हो सका। फिर भी, अनुसंधान फार्म की स्थापना के लिए सिंचित भूमि की मुख्य आवश्यकता तथा अन्य संरचनात्मक ढांचे से संबंधित सुविधाएं निदेशालय के स्थानांतरण के बाद 5 वर्ष बाद तक उपलब्ध नहीं हो पाई। जून, 1995 में, महाराष्ट्र सरकार ने विश्वविद्यालय की भूमि निदेशालय को हस्तांतरित करने के लिए सरकारी आदेश निकाला था।

(ग) जी, हां। भा.कृ.अ.प. ने भूमि का स्वामित्व अभी प्राप्त नहीं किया है।

(घ) भा.कृ.अ.प. ने मार्च, 1995 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जो निदेशालय के दर्जे और कार्यकलाप की जांच करेगा तथा राहूरी में या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर इसके तेजी से विकास के लिए उपाय सुझाएगी क्योंकि राहूरी में भूमि न उपलब्ध होने तथा स्थानीय बाधाओं के कारण निदेशालय के विकास को काफी नुकसान पहुंचा है। विभिन्न स्थानों की उपयुक्तता के मूल्यांकन के आधार पर समिति ने सिफारिश की कि निदेशालय को राहूरी से लखनऊ में स्थानान्तरित करना चाहिए। इन परिस्थितियों में भूमि के अधिग्रहण को स्थगित कर दिया गया है।

(ङ) निदेशालय की स्थापना के संबंध में अन्तिम निर्णय के लिए विशेष समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है।

(च) जैसा उपरोक्त (ङ) में बताया गया है।

[हिन्दी]

'ब्रेड' विनिर्माताओं को सस्ती दरों पर गेहूं की उपलब्धता

1143. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी 'ब्रेड' विनिर्माताओं को सस्ती दरों पर गेहूं प्रदान करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सुविधा से किन-किन विनिर्माताओं को लाभ होने की संभावना है; और

(घ) सभी 'ब्रेड' विनिर्माताओं को ये लाभ उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निम्नलिखित कारणों से रियायती दर पर गेहूं की आपूर्ति मॉडर्न फूड इंडस्ट्री लि. और उसकी विशेषाधिकार यूनिटों को की जाती है और दूसरे डबल रोटी निर्माताओं को नहीं :-

देशभर में डबल रोटी बनाने वाली लगभग 65000 यूनिटें हैं और उन्हें रियायती दरों पर गेहूं का आबंटन करने में सब्सिडी की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी और इस समय सरकार सब्सिडी देने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार के पास, इन यूनिटों द्वारा गेहूं के उचित उपयोग को मॉनीटर करने और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में अनुरूप कमी की जांच हेतु कोई तंत्र भी नहीं है।

[अनुवाद]

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

1144. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य, विशेष रूप से इसके खेड़ा जिले के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत किए गए कार्य का क्या ब्यौरा है ;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने क्षेत्रों में कार्य किया गया है; और

(ग) इससे हुए लाभ का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) गुजरात में, वर्षासिंचित क्षेत्रों की राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत 97.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 168 माइक्रो-पनधारा परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं जिसमें 334261 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया हैं।

खेड़ा जिले में 9.23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8 माइक्रो-पनधारा परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। जिसमें 31822 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। 2.99 करोड़ रुपए की लागत से 26671 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है।

(ग) इस परियोजना से, स्व-स्थाने नमी के संरक्षण को बढ़ावा देने तथा परियोजना के अन्तर्गत आरम्भ किए गए विभिन्न संरक्षण एवं उत्पादन उपायों के माध्यम से अच्छी फसल उत्पादन में मदद मिली है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा

1145. **श्री तारा सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए गए घाटे का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को हुए घाटे को कम करने के लिए उपाय किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) :

(क) (लाख रुपये में)

		हानि (-)/लाभ(+)		
		1992-93	1993-94	1994-95
(एक)	राष्ट्रीय बीज निगम	(-)587.26	(-)337.25	(-)186.54
(दो)	भारतीय राज्य फार्म निगम	(-)603.87	(-)176.44	(+)281.64

(ख) और (ग) निगमों के कार्यकरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शुरु किए गए उपचारी उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं ताकि हानि करने वाले कारकों की रोकथाम की जा सके : -

I. राष्ट्रीय बीज निगम :

(क) आर्थिक रूप से अव्यवहार्य उप-इकाइयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को बन्द करना और फील्ड स्तर पर सुविधाओं को सुदृढ़ करके प्रसंस्करण संयंत्रों की संख्या को कम करना।

(ख) नियमित कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और दैनिक वेतन और संहत वेतन के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक वियोजन योजना शुरु करके अतिरिक्त जनशक्ति को कम करना।

(ग) जनशक्ति संबंधी जरूरत को कम करने के लिए सुसम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादन की व्यवस्था करना और यात्रा-भत्ते सहित अन्य ऊपरी खर्चे कम करना।

(घ) अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए फालतू स्थान को किराए पर देना।

(ङ) निगम की कार्यक्षमता, उत्पादकता तथा लाभ की स्थिति को उन्नत बनाने के विचार से भारत सरकार ने मैसर्स टाटा परामर्शी सेवा को निगम की एक नैदानिक समीक्षा करने तथा विश्व बैंक की सहायता से कुल 236.01 करोड़ रुपए की लागत वाली मार्च, 1990 में प्रवर्तित राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-3 के तहत सुदृढ़ तथा कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक प्रचालित परामर्शी के रूप में नियुक्त किया है। प्रचालित परामर्शी की जांच के परिणामों पर आधारित एक स्वीकृति कार्य योजना तैयार की गई थी तथा यह क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है।

II. भारतीय राज्य फार्म निगम :

निगम के लाभ को बढ़ाने के लिए भारतीय राज्य फार्म निगम ने अपने क्रियाकलापों का विविधिकरण किया है जिससे मार्जिनल निवेश करके अधिक लाभ मिल सकेगा। कम्पाइन्स, ट्रैक्टरों आदि जैसी पुराने तथा अप्रचलित मशीनों को बदला जा रहा है। डीलरों तथा वितरकों की नियुक्ति के द्वारा विपणन के नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। सिंचित फसलों के तहत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने के लिए फार्म पर सिंचाई

सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। फार्म स्टाफ को अच्छी तकनीकी जानकारी मुहैया कराने के लिए कृषि अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के साथ तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ किया जा रहा है। उत्पादन कार्यक्रम में उन फसलों, जो अधिक मूल्य पर बिकती हैं, को शामिल किया जा रहा है। विभिन्न स्तरों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के माध्यम से मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

1146. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नानौर जिले को आबंटित कृषि विज्ञान केन्द्र ने कार्य करण शुरु कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केरल कृषि विश्वविद्यालय ने उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र को चलाने का कोई प्रस्ताव किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) भा.कृ.अनु. परिषद ने वर्ष 1992 के दौरान राज्य फार्म कॉरपोरेशन के एरलाम फार्म, कन्नानौर (कन्नूर) को एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्वीकृति दी थी, लेकिन मेजबान संस्थान ने धन देने की पद्धति को स्वीकार नहीं किया। इन परिस्थितियों के कारण वहां से कृषि विज्ञान केन्द्र को वापस ले लिया गया और उसे अन्य जिले में समायोजित कर दिया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। केरल कृषि विश्वविद्यालय से कन्नानौर (कन्नूर) में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है लेकिन विस्तृत प्रस्ताव का अभी इंतजार किया जा रहा है, जिस पर, जैसे ही और जब परिषद को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा, विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की भूमिका

1147. श्री राम सिंह कस्वां : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से गाय के महत्व का आकलन कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गायों सहित पशुधन के

योगदान का आकलन के लिए सरकार ने समय-समय पर अध्ययन कराया है।

(ग) योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय योजनाएं

1. केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन ।
2. केन्द्रीय आहार तथा चारा विकास संगठन।
3. पशु स्वास्थ्य निदेशालय।
4. पशुपालन विस्तार कार्यक्रम।
5. विशिष्ट पशुधन विकास कार्यक्रम।
6. सैनिक फार्मों के सहयोग से विशिष्ट परियोजनाएं।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार।
2. आहार/चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।
3. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजनाएं।
4. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।
5. व्यवसायिक दक्षता विकास।
6. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।

[अनुवाद]

अलेप्पी बाईपास

1148. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अलेप्पी बाईपास के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ;

(घ) क्या सरकार ने अलेप्पी बाईपास के चरण-दो का परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) सितम्बर, 1995 तक अलेप्पी बाईपास चरण-। के निर्माण की प्रगति लगभग 50 प्रतिशत है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपर्युक्त कार्यों के साथ-साथ सामान्य विकास कार्यों के लिए 26.20 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(ग) जून, 1996 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ और (ङ) अलेप्पी बाईपास चरण-।। के लिए तकनीकी प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

गुजरात की आर्सेनिक मुक्त जल परियोजना

1149. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के विभिन्न जिले में आर्सेनिक मुक्त जल की आपूर्ति के लिए परियोजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजी भाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

न्यायमूर्ति कासलीवाल-रिपोर्ट

1150. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति कासलीवाल ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत में रिपोर्ट दी है न कि सरकार की समिति के रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य सुझाव/सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) न्यायमूर्ति कासलीवाल रिपोर्ट/नोट की मुख्य बातों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) न्यायाधीश कासलीवाल की रिपोर्ट में मुख्य सुझाव प्रभावित और अप्रभावित वार्डों के कुछ क्षेत्रों का पुन: वर्गीकरण, प्रभावित और अप्रभावित वार्डों में दाबों के निपटान के लिए सबूतों के मानक में विशिष्टिता, दावेदारों की कुछ श्रेणियों के लिए क्षतिपूर्ति की मात्रा में संशोधन और भोपाल गैर रिसाव त्रासदी (पंजीकरण और दावों का संसाधन) योजना 1985 के पैरा 4 में संशोधन से संबंधित थे।

(ग) न्यायाधीश कासलीवाल द्वारा दिए गए सुझाव जांचाधीन हैं।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन

1151. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1995-96 के चालू वित्त वर्ष में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन और वास्तविक वितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : चालू वित्तीय वर्ष (1995-96) के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों के आबंटन और वास्तविक वितरण के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1995-96 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों की रिलीज और केन्द्रीय आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन	रिलीज (रुपये लाख में)
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	27623.75	26158.69
2	अरूणाचल प्रदेश	258.01	216.90
3	असम	8273.61	5523.56
4	बिहार	58748.97	35830.43
5	गोआ	278.77	209.12
6	गुजरात	10776.74	9519.63
7	हरियाणा	2216.15	2246.15
8	हिमाचल प्रदेश	885.81	442.90
9	जम्मू और कश्मीर	2141.00	1058.28
10	कर्नाटक	18757.55	16514.53
11	केरल	6139.55	6122.70
12	मध्य प्रदेश	37922.86	30443.12
13	महाराष्ट्र	31460.16	19808.84
14	मणिपुर	330.69	266.16
15	मेघालय	386.94	106.74
16	मिजोरम	163.01	173.01
17	नागालैंड	414.77	188.71
18	उड़ीसा	23571.56	17655.26
19	पंजाब	1575.94	787.97
20	राजस्थान	15048.21	11484.05
21	सिक्किम	151.01	312.01
22	तमिलनाडु	24606.63	24653.17
23	त्रिपुरा	429.52	439.52
24	उत्तर प्रदेश	65439.74	62725.49
25	पश्चिम बंगाल	25588.62	22891.93
26	अंडमान निकोबार	152.69	76.34
27	दादर एवं नगर हवेली	82.88	92.88
28	दमन व द्वीव	48.83	24.41
29	लक्षद्वीप	76.55	38.27
30	पांडिचेरी	149.48	76.71
	कुल :	363700.00	296085.51

* फरवरी 1996 तक

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को डेनमार्क के सहयोग से लागू किया जाना

1152. श्री एन.जे. राठवा : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में डेनमार्क के सहयोग से कुछ समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत गुजरात राज्य को भी शामिल किया गया है ;

(ग) इन कार्यक्रमों में डेनमार्क का क्या योगदान है ;

(घ) इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ङ) उन विदेशी संगठनों के क्या नाम हैं जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देश के ग्रामीण पिछड़े जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं; और

(च) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु किसी भी तरह की विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, डबाकरा जो कि आई.आर.डी.पी. की एक उपयोजना है, में यूनिसेफ द्वारा 31 दिसम्बर 1995 तक निधियों का कुछ भाग प्रदान किया जाता था। अब यह सहायता बंद कर दी गई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

'सेल' के इस्पात संयंत्र

1153. श्री ए.इन्द्रकरन रेड्डी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नियंत्रणाधीन कितने इस्पात संयंत्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) इन इस्पात संयंत्रों की वार्षिक उत्पादन क्षमता और गत दो वर्षों के दौरान इनके वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान लाभ कमाने वाले संयंत्रों का संयंत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) घाटा उठाने वाले संयंत्रों के घाटे पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के नियंत्रणाधीन प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित छः इस्पात संयंत्र काम कर रहे हैं :-

1. भिलाई इस्पात संयंत्र
2. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
3. राउरकेला इस्पात संयंत्र
4. बोकारो इस्पात संयंत्र
5. अलॉय इस्पात संयंत्र
6. सेलम इस्पात संयंत्र

'सेल' की निम्नलिखित सहायक कम्पनियां भी हैं :-

1. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि. (इस्को)

(क) 'इस्को' उज्जैन पाइप एंड फाऊन्डरी कंपनी लि., (इस्को की सहायक कम्पनी)

2. महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड
3. विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड

(ख) 'सेल' संयंत्रों की उत्पादन क्षमता तथा पिछले दो वर्षों के दौरान विक्रय इस्पात का वास्तविक उत्पादन सहित उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

इकाई (हजार टन)

संयंत्र/इकाई	1993-94		1994-95	
	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
भिलाई इस्पात संयंत्र	3153	335	3153	3409
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	938	642	1000	852
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1170	1130	1170	1201
बोकारो इस्पात संयंत्र	3156	3205	3156	3168
अलॉए इस्पात संयंत्र	184	160	184	154
सेलम इस्पात संयंत्र	70	46	70	56
'इस्को', बर्नपुर	406	333	406	332
विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, भद्रावती	113	61	113	58

(ग) 'सेल' के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र पिछले दो वर्षों से लाभ कमा रहे हैं :-

संयंत्र	लाभ (करोड़ रुपए)	
	1993-94	1994-95
- भिलाई इस्पात संयंत्र	368	639
- राउरकेला इस्पात संयंत्र	3	19
- बोकारो इस्पात संयंत्र	468	662
- सेलम इस्पात संयंत्र	4	21

(घ) 'सेल' हानि में चल रहे संयंत्रों की हानि को रोकने के लिए अनवरत आधार पर निम्नलिखित कदम उठा रहा है,

1. क्षमता उपयोगिता बढ़ाना।
2. उत्पादकता में सुधार करना।
3. ऊर्जा में बचत करने के उपाय शुरु करना।
4. प्रभावी अनुरक्षण के माध्यम से उपकरणों की उपलब्धता में सुधार करना।
5. उत्पाद-मिश्र में सुधार करना, मूल्य वर्धित मदों को बनाना तथा उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना।
6. कोक, ऊर्जा, भण्डार एवं अतिरिक्त कल-पुर्जों आदि की खपत में कमी करना।
7. आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकीय उन्नयन कार्यों के लिए निवेश करना।

[हिन्दी]

इस्पात के निर्यात में गिरावट

1154. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्पात के निर्यात में तेजी से आ रही गिरावट की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार घरेलू उत्पादकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से देश में इस्पात के उत्पादन और उसकी खपत में वृद्धि करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) अप्रैल-जनवरी, 1996 की अवधि के दौरान 9.9 लाख टन विक्रय इस्पात का निर्यात किया गया था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 9.4 लाख टन का निर्यात किया गया था।

(ख) और (ग) देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के कार्य शुरु किए गए हैं। निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताएं सृजित करने की सुविधा के लिए और प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपाय भी किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : -

(1) लोहा और इस्पात की सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकालना।

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना।

(3) विदेशी निवेश के उद्देश्य से लोहा और इस्पात को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(4) लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना।

(5) पूंजीगत सामान के आयात शुल्क में कमी करना; और

(6) आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण।

उच्च आर्थिक विकास और इस्पात के वर्धित उत्पादन से इस्पात की खपत में भी वृद्धि होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में केन्द्र प्रायोजित योजना

1155. श्री प्रकाश वी.पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में किसानों के लाभ के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु लागू की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये योजनाएं किस-किस तारीख को आरम्भ की गई थीं ;

(ख) राज्य में इन योजनाओं को लागू किए जाने के बाद प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस राज्य ने इन योजनाओं को लागू करने से क्रमशः कपास और तिलहन का पर्याप्त उत्पादन प्राप्त किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) 1994-95 के दौरान इन योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ङ) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में क्रियान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, उनके शुरु किए जाने की तारीखें और 1994-95 के दौरान इन योजनाओं के लिए राज्य को निर्मुक्त की गई वित्तीय सहायता प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र में खाद्यान्नों का उत्पादन 1991-92 में 83.7 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1994-95 में 115.3 लाख मीटरी टन हो गया है। इसी अवधि के दौरान मोटे अनाजों का उत्पादन 47.1 लाख मीटरी टन से बढ़कर 63.2 लाख मीटरी टन, कपास का 11.55 लाख गांठों से बढ़कर 23.61 लाख गांठें और तिलहनों का उत्पादन 10.95 लाख मीटरी टन से बढ़कर 18.14 लाख मीटरी टन हो गया।

विवरण

महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	शुरु होने की तारीख	1994-95 के दौरान निर्मुक्त सहायता
1.	मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी. - मोटे अनाज)	1994-95	-
2.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	1971-72	381.96
3.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	1990-91	961.52
4	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम	1985-86	456.81
5.	वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	1990-91	3100.00
6.	नदी घाटी परियोजनाओं के ग्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	1962-63	700.00
7.	कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग	1991-92	1263.00
8.	काजू विकास	1987-88	144.18
9.	उष्णकटिबंधी, शुष्क तथा शीतोष्ण फलों का विकास	1991-92	136.55
10.	मसाला विकास	1990-91	88.00
	कुल		7232.02

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग

1156. श्री विजय एन.पाटील : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से कृषि आधारित उद्योग सफलतापूर्वक चल रहे हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) कृषि आधारित उद्योगों में विभिन्न प्रकार के उद्योग आते हैं। इनमें कृषि खाद्य उद्योग तथा खाद्य-भिन्न उद्योग शामिल हैं। कृषि आधारित खाद्य उद्योग में अनाज और दाल मिलिंग उद्योग, फल और चीनी और खांडसारी उद्योग, फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग; मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण उद्योग, दूध प्रसंस्करण और दूध उत्पाद उद्योग, मसाला प्रसंस्करण उद्योग, गरी प्रसंस्करण उद्योग ; मछली प्रसंस्करण उद्योग और कृषि उत्पाद तथा सहायक कार्यों से तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेय शामिल हैं। कृषि आधारित उद्योग चूंकि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चल रहे उद्योगों समेत उनकी संख्या के संबंध में केन्द्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती। फिर भी, 1987-88 में लघु क्षेत्र यूनिटों की अखिल भारतीय गणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पेय की 62559 चालू यूनिटें थीं। इसी प्रकार उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 1991-92 के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 10926 खाद्य और पेय यूनिटें कार्यरत थीं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत उपाय तथा प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं। इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण - III में दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त मंत्रालय विभिन्न विकासात्मक योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिनके तहत राज्य सरकार के संगठनों/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों/स्वयंसेवी संगठनों/सहकारिताओं इत्यादि को वित्तीय सहायता दी जाती है। 91-92 से 94-95 के दौरान दी गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। सहायता देते समय उन यूनिटों को प्राथमिकता दी जाती है। जिनकी ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापना प्रस्तावित है।

8वीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 250 खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता में से योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों में 150 केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी गई है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण - I में दिए गए हैं।

विवरण - I

क्र.सं.	राज्य	सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	16
4.	बिहार	16
5.	गोआ	-
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	8
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू एंड कश्मीर	5
10.	कर्नाटक	4
11.	केरल	5
12.	मध्य प्रदेश	2
13.	महाराष्ट्र	5
14.	मणिपुर	-
15.	मेघालय	-
16.	मिजोरम	6
17.	नागालैंड	2
18.	उड़ीसा	30
19.	पंजाब	-
20.	राजस्थान	3
21.	सिक्किम	-
22.	तमिलनाडु	5
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	25
25.	पश्चिम बंगाल	9
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	-
27.	चंडीगढ़	-
28.	दादर एवं नागर हवेली	-
29.	दमण एवं द्वीव	-
30.	दिल्ली	-
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पाण्डिचेरी	-
	कुल	150

विवरण - II

91-92 से 94-95 तथा मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत विभिन्न राज्य सरकारों तथा संस्थाओं को दी गई योजना सहायता

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाख रुपये में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	277.366
2.	अण्डमान निकोबार	98.185
3.	अरूणाचल प्रदेश	2.730
4.	असम	706.137
5.	बिहार	72.330
6.	चंडीगढ़	105.500
7.	दिल्ली	214.987
8.	गोवा	15.700
9.	गुजरात	129.300
10.	हरियाणा	69.800

1	2	3
11.	हिमाचल प्रदेश	267.965
12.	जम्मू कश्मीर	3.000
13.	कर्नाटक	267.965
14.	केरल	207.030
15.	लक्षद्वीप	114.260
16.	मध्य प्रदेश	231.930
17.	महाराष्ट्र	283.727
18.	मणिपुर	84.849
19.	मिजोरम	423.130
20.	नागालैंड	62.582
21.	उड़ीसा	212.50
22.	पांडिचेरी	7.850
23.	पंजाब	481.800
24.	राजस्थान	6.700
25.	सिक्किम	0.350
26.	तमिलनाडु	117.500
27.	त्रिपुरा	21.150
28.	उत्तर प्रदेश	172.958
29.	पं. बंगाल	500.100
अनुसंधान एवं विकास संस्थान		
1.	सी.एफ.टी.	378.920
2.	पी.पी.आर.सी.	151.500
3.	आई.आई.पी.	29.000
दूसरे संस्थान		
1.	एम.पी.ई.डी.ए.	222.000
2.	एस.सी.आई.सी.आई.	256.509
3.	ए.पी.ई.डी.ए.	169.00
4.	तटरक्षक	265.000
5.	अन्य	50.140
	कुल	6681.198

विवरण - III

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के ब्यौरे -

1. अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला घोषित करना।
2. अल्कोहलयुक्त पेयों के किण्वन तथा आसवान और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना।
3. घरेलू/विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेश को प्रोत्साहन।
4. अनेक खाद्य उत्पादों में उत्पाद शुल्कों में कमी अथवा उनके उन्मूलन द्वारा राजकोषीय राहतें देना।
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पाद तथा सीमा-शुल्क में शुल्क राहतें देना।
6. योजना स्कीमों द्वारा राज्य सरकारों द्वारा पता लगाई गई नोडल एजेंसियों को सहायता देना तथा राज्य सरकारों से नेटवर्क बनाना।
7. बैकवर्ड लिंकेज की संकल्पना का प्रचार।
8. फसलोत्तर बुनियादी सुविधा, कोल्ड चेन इत्यादि के उन्नयन के लिए सहायता देना।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम विकास के लिए प्रौद्योगिकी के प्रचार हेतु खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता देना।
10. सर्वव्यापी योजनाबद्ध विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पूरक के रूप में देखे जाते हैं। व्यक्तिगत प्रयास तथा निजी पहल पर उत्तरोत्तर जोर दिया जा रहा है।
11. खाद्य प्रसंस्करण-उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें चलाना।

[हिन्दी]

कृषि स्नातक

1157. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि आयुक्त ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को वर्ष 1992-93 के दौरान कोई ऐसा पत्र जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि देश के नये कृषि स्नातक अपने नामों से पहले 'डाक्टर' की उपाधि जोड़ सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन निदेशों के क्रियान्वयन हेतु अब तक कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) ऐसा कोई सुस्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कृषि आयुक्त ने 1992-93 में हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय को कोई पत्र लिखा हो जिसमें यह कहा गया हो कि देश में नए कृषि स्नातक अपने नाम से पहले 'डाक्टर' की उपाधि लगा सकते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

काजू के उत्पादक

1158. प्रो. सावित्री लक्ष्मण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोवा में पहले से ही विद्यमान एक

काजू 'फेनी' कारखाने पेटर्न पर केरल में ऐसे ही कारखाने लगाने और विकसित करने का है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया प्रौद्योगिकी के कारण टनों काजू बर्बाद हो जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप काजू उत्पादकों पर बुरा असर पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो काजू उत्पादकों के हित की रक्षा करने के लिए क्या उपचारी कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) काजू के फल बर्बाद हो जाते हैं परन्तु काजू की गिरी नहीं।

(ग) आठवीं योजना के दौरान फार्म आधारित माडल काजू फल प्रसंस्करण एकक के विकास के लिये एक कार्यक्रम को काजू के केन्द्रीय प्रायोजित समेकित विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा

1159. **श्री नवल किशोर राय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरत संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा लागू करने वाले देशों में शामिल हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संशोधित मार्गनिर्देशों को स्वीकृति दे दी है और संयुक्त राष्ट्र संघ को इस प्रसंविदा संबंधी अपने विचार और किये गये प्रयासों का ब्यौरा भेजने से पूर्व गैर सरकारी संगठनों से भी विचार किया है/करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (आई सी ई एस सी आर) को 1979 में स्वीकार किया।

(ग) और (घ) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबद्ध समिति, जो अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रसंविदा के तहत मान्यता प्राप्त अधिकारों के अनुपालन के लिए किये गये उपायों तथा इस सम्बन्ध में हुई प्रगति के बारे में पक्षकार राज्यों द्वारा पेश की गई रिपोर्टों की जांच करती है, इस प्रकार की आवधिक रिपोर्टें तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करती है। भारत पारदर्शी तरीके से सूचना देने सम्बन्धी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए इन दायित्वों को ध्यान में रखता है और साथ ही अन्य बातों के साथ-साथ संगत मंत्रालयों, विभागों और संगठनों, गैर सरकारी संगठनों से परामर्श भी करता है।

बसों को परमिट

1160. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य परिवहन प्राधिकरण के अंतर्गत चल रही बसों को परमिट दिए जाने के संबंध में इसके द्वारा अपनाए जा रहे मानदंडों के संबंध में और अधिक दिशा निर्देश जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.शेखर मूर्ति): (क) से (ग) जी नहीं, सरकार को किसी राज्य परिवहन निगम (एस.टी.ए.) से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में बिजली के गलत बिल बनाना

1161. **डा. मुमताज अंसारी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैडुल सियून, पौड़ी क्षेत्र के लोगों में बिजली के भारी राशि के तथा गलत बिल बनाए जाने के कारण काफी ज्यादा असंतोष है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या किसी अफसर को इस कार्य के लिए फटकार लगायी गई हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ङ) सूचना उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमिहीन बेरोजगार मजदूरों को रोजगार

1162. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भूमिहीन बेरोजगार मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की कोई योजना शुरु की है ; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए महाराष्ट्र में जिलावार कितनी ग्राम पंचायत समितियों को पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना 1993 से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन में है।

योजना के अन्तर्गत, योजना में कवर किए खंडों के गांवों में सामान्यतया रहने वाले 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के पुरुष व महिला दोनों को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है।

(ख) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को दी जाती हैं। ग्राम पंचायत समितियों द्वारा जारी की गई निधियों के ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

आई. एन. ए. मेमोरियल मिशन

1163. **श्री मंजय लाल :**

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी 'आई.एन.ए. मेमोरियल मिशन' को प्रायोजित किया था जिसके द्वारा हाल ही में सिंगापुर से इम्फाल तक भूमि मार्ग से यात्रा करने का कार्यक्रम निर्धारित था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या म्यांमार सरकार ने मिशन को म्यांमार से गुजरने की अनुमति दे दी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी नहीं। एक गैर-सरकारी संगठन 'युवा शक्ति)' द्वारा युवा पहल के रूप में 'आजाद हिन्द फौज' के अन्तिम प्रयाण की 50वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव में 'आजाद हिन्द - अभियान' नामक अभियान चलाया गया था। इस अभियान का उद्देश्य सिंगापुर से नई दिल्ली तक भू-मार्ग से यात्रा करके 50 वीं वर्षगांठ मनाना था।

(ग) से (ङ) म्यांमा की सरकार ने आजाद हिन्द अभियान दल को थल मार्ग से यांगोन के उत्तर से, जो प्रारम्भ में अनुमोदित मार्ग था, से होकर जाने की इजाजत नहीं दी थी। अभियान के समक्ष आने वाली दिक्कतों को देखते हुए, सरकार ने अभियान दल को यांगोन से इम्फाल तक वायुयान द्वारा पहुंचाने का प्रबन्ध कर दिया था, ताकि उनकी यात्रा पूरी हो सके।

गेहूं की नई किस्म

1164. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में अधिक पैदावार वाली पूर्णतया रोग एवं कीट रोधी गेहूं की नई किस्म को विकसित किया है ;

(ख) यदि हां, तो गेहूं की नई किस्म की विशिष्टता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किसानों द्वारा वाणिज्यिक तौर पर अपनाने हेतु गेहूं की उपरोक्त नई किस्म को कब तक उपलब्ध कराया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त, 1995 के दौरान अखिल भारतीय गेहूं अनुसंधान कार्यशाला द्वारा गेहूं की दो नई किस्में यथा-एच.डी. 2643 तथा एच. डब्ल्यू 2004 की पहचान की गई है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

एच.डी. 2643 :- यह किस्म अधिक उर्वरता, उत्तर-पूर्व मैदानी क्षेत्रों की असिंचित क्षेत्रों की पछेती बुवाई वाली परिस्थितियों के लिए पहचानी गई हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा 13.1 प्रतिशत के साथ तृण-मणि, दाने सख्त और मध्यम मजबूत होते हैं। इसमें जीन वाई आर 9 + पाया जाता है जो कि भारत में पाए जाने वाले सभी पीले रतुआ रोगों की प्रतिरोधी है। सीमावर्ती देशों में खतरा बन रही पीत रतुआ महामारी का सामना करने में यह किस्म मददगार सिद्ध होगी। यह करनाल बंट रोग के प्रतिरोधी है।

एच.डब्ल्यू 2004 :- यह किस्म समय से बौने, मध्य भारत की बारानी परिस्थितियों के लिए पहचानी गई है। यह कहरूवा रंग की होती है, तथा इसके दाने मझोले आकार के होते हैं। इस किस्म में अंकुर और प्रौढ़ पौधों, दोनों की अवस्था में पत्ता रतुआ की समस्त भारतीय किस्मों के विरूद्ध अधिक प्रभावशाली असंबद्ध जीन एल.आर. 24 पाया जाता है।

(ग) जून, 1996 में इन दोनों किस्मों के जारी किए जाने की संभावना है।

ड्रिप सिंचाई के लिए राज सहायता

1165. **श्री महेश कनोडिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही ड्रिप सिंचाई हेतु राज सहायता संबंधी दिशा निर्देशों का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) ड्रिप सिंचाई से संबंधित दिशा निर्देशों को 1995-96 में संशोधित किया गया था ताकि एक हैक्टेयर भूमि की उच्चतम सीमा को हटाया जा सके और आयातित सामग्री को राज़ सहायता प्राप्त करने का पात बनाया जा सके। एक किसान अब सम्बद्ध राज्य के भूमि परिसीमन कानून के अंतर्गत अपने स्वामित्व की समूची जोत के लिए ड्रिप सिंचाई संस्थापन करने के लिए राज सहायता का लाभ उठा सकता है। इसी प्रकार, विनिर्माता संघटकों का आयात कर सकते हैं और राज सहायता प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं, बशर्ते क्वालिटी की जांच की जाए और देश में विनिर्माण करने का निश्चय किया गया हो।

[हिन्दी]

भुजिया का उत्पादन

1166. श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1996 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित 'भुजिया लॉबी अप इन आर्म्स' शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कुटीर उद्योग द्वारा चलाए जा रहे भुजिया उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाने से कुटीर उद्योग द्वारा चलाये जा रहे भुजिया उद्योग में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कुछ भुजिया उत्पादकों ने भुजिया व्यापार में पेप्सी कंपनी के प्रवेश का विरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मैसर्स पेप्सी फूड्स लि. ने बीकानेरी भुजिया बनाने वाली दिल्ली स्थित एक यूनिट से 'लहर नमकीन' ब्रांड नाम से तकनीकी और विपणन सहयोग किया है। कंपनी ने उल्लेख किया है कि इस करार में उत्पादन प्रक्रिया और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार, विपणन और वितरण कार्य शामिल है। आशा है कि इससे उद्योग का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

(घ) और (ङ) बीकानेरी भुजिया निर्माताओं के कुछ वर्गों ने आशंका व्यक्त की है कि इस उद्योग में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से बीकानेरी भुजिया उद्योग के कारोबार पर विपरीत असर पड़ेगा जो मुख्यत: कुटीर और लघु क्षेत्र में स्थित है। बहरहाल, रोजगार के अवसरों में कमी का कोई विशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(च) भुजिया और नमकीन का निर्माण अनन्य रूप से लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है। इसके निर्माण को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। 'बीकानेरी भुजिया' एक व्यापक शब्द है और कोई भी भारतीय कंपनी इसे बना सकती है। मैसर्स पेप्सी फूड्स लिमिटेड भारत में पंजीकृत एक कंपनी है और कानूनी तौर पर इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने 'बीकानेरी भुजिया' ब्रांड नाम से कोई पंजीकरण नहीं कराया है।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

1167. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का कार्य धीमी गति से किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत धनराशि में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त धनराशि का आबंटन किये जाने की संभावना है ; और

(च) इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष कितने ग्रामीण लोगों को लाभ मिलने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हजरजी भाई पटेल) : (क) और (ख) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ ग्रामीण स्वच्छता में सुधार लाने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम क्रियान्वयनाधीन है :

(1) अस्वच्छ वातावरण एवं जल से पैदा होने वाली बीमारी और खराब स्वास्थ्य वे दुष्चक्र को धीरे-धीरे समाप्त करते हुए तथा ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रयासों को प्रोत्साहनों देते हुए ग्रामीण आबादी विशेष कर गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को स्वच्छता सुविधाओं के अन्तर्गत शामिल करने की प्रक्रिया को तीव्रतर बनाना।

(2) स्वैच्छिक संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करते हुए जागरूकता का सृजन कर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देकर स्वच्छता की आवश्यकता को महसूस कराना, जिससे उन्हें सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता को कम करते हुए स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने में सहायता प्रदान की जा सके।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त विद्यमान शुष्क शौचालयों को अल्प-लागत स्वच्छ शौचालयों में बदल कर सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना।

(4) अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपर्युक्त, कम लागत वाली और समुचित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

(ग) 1992-93, 1993-94 तथा 1995-96 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता हेतु निर्धारित धनराशि क्रमश: 20 करोड़ रुपये, 30 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 38 लाख की ग्रामीण आबादी के लाभान्वित होने की आशा है।

गुजरात में बंजर भूमि विकास

1168. श्री काशीराम राणा :
श्री खेलन राम जांगघे :

क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंजर भूमि के विकास के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश में कोई योजना आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र में वानिकी के लिए लवणीय भूमि तथा बंजर भूमि के विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिए चयनित जिलों को योजनावार ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन योजनाओं में कुल कितने हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है ;

(ङ) इन योजनाओं को कब तक आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है ; और

(च) इन योजनाओं से कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) जी हां, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

(1) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम।

(2) अनुदान सहायता योजना।

(3) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना।

(4) बंजरभूमि विकास कार्य दल। यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

1169. श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री अन्ना जोशी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान को अमरीका द्वारा हथियारों की सप्लाई की अद्यतन स्थिति क्या है ;

(ख) क्या अमरीकी सरकार ने ऐसी कोई गारंटी दी है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियारों का प्रयोग भारत के विरूद्ध नहीं किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत-अमरीका समझौतों में ऐसी किसी गारंटी का उल्लेख है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) बहुत से अमरीकी सिनेटरों और कांग्रेस सदस्यों ने राष्ट्रपति क्लिंटन और सेक्रेटरी आफ स्टेट श्री क्रिस्टोफर को पत्र लिखकर यह कहा है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी अन्तरित किये जाने के बारे में अमेरिकी आसूचना खबरों को देखते हुए 368 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हथियारों की खेप रोक दी जाए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव

1170. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव कराने हेतु कदम उठाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ये चुनाव कब तक कराये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजीभाई पटेल): (क) और (ख) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराना राज्य सरकार/राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इन निकायों के संबंध में चुनाव प्रक्रिया उतने समय में पूरी कर लें जो चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए नितांत आवश्यक है। आज तक बिहार सरकार ने राज्य में पंचायती राज निकायों के चुनाव कराने हेतु कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई है। बिहार सरकार से शीघ्र चुनाव करवाने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति

1171. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड और सिंगरैनी कोयला क्षेत्र द्वारा कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण कौन-कौन सी विद्युत उत्पादन इकाइयों को बन्द करना पड़ा है ;

(ख) क्या उक्त एककों द्वारा कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय स्थिति में सुधार करने और संरचागत परिवर्तन करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या फरक्का विद्युत संयंत्र के पास कोयले की अपनी मांग की पूर्ति हेतु रक्षित कोयला खाने हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए कुछ विद्युत केन्द्रों के यूनिटों को आंशिक भार पर अथवा अल्पावधि के लिए आंतरायिक रूप से बंद करना अथवा प्रचालित करना पड़ा था। इसके कारण जिन केन्द्रों में विद्युत उत्पादन में हानि हुई, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की स्थिति की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है और अंत:विभागीय बैठकों में इसकी समीक्षा की जाती है तथा स्थिति में सुधार करने के लिए समय-समय पर उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(घ) से (च) एनटीपीसी के फरक्का विद्युत केन्द्र की अपनी कैप्टिव कोयला माइन नहीं है। कोयले की नियमित सप्लाई के लिए विद्युत केन्द्र को राजमहल कोयला खान से संबद्ध किया गया है।

विवरण

ऐसे केन्द्र जिनमें कोयले की कमी के कारण वर्ष 1995-96 के दौरान क्रम विद्युत उत्पादन हुआ

क्र.सं.	ताप विद्युत केन्द्र का नाम
1.	बदरपुर
2.	फरीदाबाद
3.	पानीपत
4.	दादरी
5.	उकई
6.	सतपुड़ा
7.	चन्द्रपुर
8.	कोराड़ी
9.	पारली
10.	धानू
11.	रामागुंडम एसटीपीएस
12.	रायचूर
13.	एन्नौर
14.	परिच्छा

मौलाना अबुल कलाम आजाद की कृतियों की पांडुलिपि

1172. **डा. एस.पी. यादव :**
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के ग्रंथालय से मौलाना अबुल कलाम आजाद की कृतियों की बहुमूल्य पांडुलिपि और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य के अन्य दस्तावेज गायब हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन बहुमूल्य दस्तावेजों की सुरक्षा में लापरवाही के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा गायब कागजातों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) संकलन की प्रारम्भिक जांच की गई और यह पाया गया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के सभी व्यक्तिगत क़ागजात और पाण्डुलिपियां भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के पुस्तकालय में मौजूद हैं। तथापि, अन्य लेखकों की पांच पाण्डुलिपियां संकलन के सम्बन्धित खण्डों में नहीं हैं।

(ख) विवरण इस प्रकार है :-

1. कुलीगेट - सी - सदी ऑफ सदी मुशीहुद्दीन
2. दीवान ब्राह्मण
3. दीवान शाही सब्जराते
4. दीवान निजाम
5. दीवान फरिश्ता एम. कासिम

(ग) दस्तावेजों को खोजने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद मौलाना आजाद के दुर्लभ संकलन की परतबन्दी का कार्य अलग से कर रहा है। और इन पुस्तकों और कागजातों के संरक्षण के लिए इनकी माइक्रोफिल्मिंग का कार्य भी शुरु करेगा।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव

1173. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों को स्थागित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इससे संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों का उल्लंघन नहीं होता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजीभाई पटेल) : (क) और (ख) संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इन राज्यों में पंचायतों संबंधी वर्तमान नियमों के लाए जाने के तुरन्त बाद ही बिहार और तमिलनाडु में सभी स्तर पर तथा गोवा, मणिपुर एवं उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में जिला परिषद स्तर पर पंचायतों का गठन कर लिया जाना था। इसी प्रकार, वैधानिक औपचारिकताओं के पूरा कर लिए जाने के तुरन्त बाद ही बिहार, तमिलनाडु तथा उड़ीसा में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव

हो जाने चाहिए थे। उड़ीसा में अगस्त, 1995 में भंग कर दिए गए ग्राम पंचायतों एवं मध्य स्तरीय पंचायतों का पुनर्गठन फरवरी, 1996 तक हो जाना चाहिए था। राज्य सरकार ने सूचित किया गया है कि वे निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण, जिन्हें पुनर्निधारित किया जाना था, के कारण ऐसा नहीं कर पाए।

(ग) और (घ) इस मामले को जोरदार ढंग से संबंधित राज्यों के समक्ष उठाया जा रहा है और ऐसी आशा की जाती है कि वे शीघ्र ही चुनाव करा लेंगे।

बंगलादेश में प्रशिक्षण शिविर

1174. **श्री मोहन रावले :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगलादेश में विद्रोहियों के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविरों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार की चिंता से बंगलादेश सरकार को अवगत करा दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार को विद्रोहियों के लिए बंगलादेश में प्रशिक्षण शिविरों के बारे में कई खबरें मिली हैं।

(ख) से (घ) इस मामले को बंगलादेश के प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता रहा है जिसमें उच्चतम स्तर पर बातचीत भी शामिल है। इस मामले को ढाका में 19 से 21 अप्रैल, 1995 की सम्पन्न भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्य दल की द्वितीय बैठक में भी उठाया गया है। विद्रोही गतिविधियों से सम्बद्ध सूचना भी बंगलादेश प्राधिकारियों को दोनों देशों की सरकारों के नोडल अधिकारियों के माध्यम से दी गई है। यह मुद्दा विदेश सचिव की जून, 1995 में ढाका की यात्रा के दौरान पुन: उठाया गया।

(ङ) बंगलादेश की सरकार ने इस बात से इंकार किया है कि बंगलादेश के प्रदेश का उपयोग भारतीय विद्रोहियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की समिति

1175. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रक्रियाओं में नियोजन और कार्यान्वयन की देखरेख हेतु कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्कालीन डिप्टी गवर्नर श्री डी.आर.मेहता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

(ख) इस समिति की मुख्य सिफारिशें, जैसी कि उनकी अन्तरिम रिपोर्ट में है निम्नानुसार हैं :

(I) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिकतम भागेदारी।

(II) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले वैसे परिवारों का चयन किया जाना, जो परिसम्पत्तियों की देखरेख करने का अनुभव, क्षमता और योग्यता रखते हों। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य को भी सहायता दी जा सकती है, यदि उन्होंने ट्राइसेम अथवा अन्य संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अपनी योग्यता को प्राप्त कर लिया हो या उन्हें संवर्द्धित कर लिया हो।

(III) वर्तमान में कार्य से पूर्व दी जाने वाली सब्सिडी का कार्योत्तर सब्सिडी में परिवर्तन

(IV) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों की बेहतर वसूली के लिए उपाय।

(V) वास्तविक पुनर्भुगतान अनुसूचियों तथा प्रतिभूति रहित सीमाओं में वृद्धि।

(VI) कार्यशील पूंजी की मांग को पूरा करने की आवश्यकता।

(VII) ढांचे की बेहतर आयोजना और विकास पर बल।

(VIII) बड़ी संख्या में ऋण और अधिकतम सब्सिडी प्रदान करते हुए प्रगति परिवार सहायता के स्तर में वृद्धि।

(IX) सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

1176. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 1995-96 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए राज्य-वार कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) ग्रामीण स्वच्छता के लिए किन-किन राज्यों ने और अधिक धनराशि की मांग की है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आदर्श गांवों के विकास का निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजीभाई पटेल) : (क) 1995-96 के

लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन राज्यवार आंबटन बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1995-96 में ग्रामीण स्वच्छता के लिए निम्नलिखित राज्यों ने अतिरिक्त धनराशियों की मांग की है।

(1) आंध्र प्रदेश (2) गोआ (3) कर्नाटक (4) मध्य प्रदेश (5) मणिपुर (6) सिक्किम (7) उत्तर प्रदेश (8) हरियाणा (9) हिमाचल प्रदेश।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार ने 73 माडल गांवों का विकास करने के लिए एक योजना को अनुमोदित किया है।

विवरण

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1995-96 के दौरान आबंटन

(लाख रुपये में)

1	2
आंध्रप्रदेश	331.000
अरूणाचल प्रदेश	8.000
असम	126.000
बिहार	589.000
गोआ	5.000
गुजरात	149.000
हरियाणा	54.000
हिमाचल प्रदेश	52.000
जम्मू व कश्मीर	73.000
कर्नाटक	269.000
केरल	207.000
मध्य प्रदेश	388.000
महाराष्ट्र	424.000
मणिपुर	16.000
मेघालय	16.000
मिजोरम	5.000
नागालैण्ड	10.000
उड़ीसा	233.000
पंजाब	55.000
राजस्थान	200.000
सिक्किम	5.000
तमिलनाडु	351.000
त्रिपुरा	25.000
उत्तर प्रदेश	824.000
पश्चिम बंगाल	319.000
दादर व नगर हवेली	5.000
अंडमान निकोबार	5.000
लक्षद्वीप	5.000
पांडिचेरी	5.000
दिल्ली	5.000
दमन व द्वीप	5.000
चण्डीगढ़	5.000
कोपार्ट (सी.ए.पी.ए.आर.टी.) (जन कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद)	170.000
जोड़	4939.000

[अनुवाद]

हुडको द्वारा ऋण

1177. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए व्यापक आवास कार्यक्रम शुरु करने के लिए हुडको के माध्यम से अतिरिक्त ऋण सहायता मांगी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम

1178. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1996 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित 'पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम फिर शुरु' शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए अन्य देशों को इसके बारे में अवगत कराया है ; और

(ग) यदि हां, तो देशवार इस संबंध में उन देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार को पाकिस्तान के चोरी-छिपे शस्त्रोन्मुखी

परमाणु कार्यक्रम के बारे में खबरों की जानकारी है। इस कार्यक्रम के विषय में हम अपनी चिन्ता से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रत्येक उपयुक्त अवसर पर भली-भांति और सुस्पष्ट शब्दों में अवगत कराते रहे हैं।

पाकिस्तान द्वारा प्रचार

1179. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान एजेंटों ने अपनी नई युद्ध नीतियों के तहत सीमा पर गोलीबारी बंद कर दी है और ऐसे गुब्बारे उड़ाने का एक नया प्रचार अभियान आरम्भ किया है जिन पर भड़काने वाले भारत विरोधी नारे लिखे रहते हैं और पोस्टर चिपके रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा आरम्भ, किए गए ऐसे भड़काने वाले प्रचार के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि 5 फरवरी, 1996 को जम्मू के अग्रवर्ती क्षेत्र में भारत-पाक सीमा के पार भारत-विरोधी प्रचार के बैनरों वाले गुब्बारे उड़ाए गये थे। पाक रेंजर रुक-रुक कर भारतीय सीमा चौकियों पर गोलिबारी कर रहे हैं।

(ख) से (घ) सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी रेजरों के समक्ष इस सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया।

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत भूमि

1180. **श्री सुखदेव पासवान :** क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए क्या अर्हता निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या इस सुविधा का लाभ ऐसे निर्धन कृषक भी उठा सकें। जिनके पास तीन एकड़ अथवा इससे कम भूमि है ;

(ग) यदि हां, तो क्या म्यांमार से स्वदेश लौटे निर्धन कृषकों के विस्थापित परिवारों, जिनका पुनर्वास सरकार द्वारा बिहार के सुपौल और अररिया जिलों में तीन एकड़ भूमि में फैली झुग्गी झोपड़ी बस्ती में किया गया था, ने इन्दिरा आवास योजना में भी आवेदन किया है ;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अंतर्गत इन निर्धन, पिछड़े विस्थापित कृषकों को मकानों की मंजूरी देने के लिए कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के लिए आवेदन करने वाले पात्र परिवारों में योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बंधुआ मजदूर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के परिवार आते हैं। मार्ग दर्शिकाओं के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों हेतु पात्रता में भू-स्वामित्व का कोई मानदंड नहीं है।

(ग) से (ङ) म्यांमार से विस्थापित हुए स्वदेश लौटे परिवारों के कुछ आवेदन इंदिरा आवास योजना के मकानों के आबंटन हेतु बिहार सरकार को प्राप्त हुए हैं। केन्द्र सरकार सीधे इंदिरा आवास योजना के मकानों का आबंटन नहीं करती। इंदिरा आवास योजना के मकानों को मार्ग दर्शिकाओं के अनुसार स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है।

स्वीकृति हेतु लम्बित महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की परियोजनायें

1181. **श्री राज नारायण :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परियोजनाएं केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार और क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की इन परियोजनाओं की स्वीकृति के संबंध में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों के कुछ प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो परियोजनावार और प्रस्तावावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) प्रत्येक परियोजना में हुई प्रगति का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ;

(च) लम्बित पड़ी इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई ह्मरजीभाई पटेल) : (क) से (छ) जवाहर रोजगार योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक चालू परियोजना है, जिसे देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 1993-94 से विशेष कर पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों में नई एवं विशिष्ट परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जो श्रमिक को रोकने तथा उनमें परिवर्तन लाने, महिलाओं के रोजगार में वृद्धि करने, इत्यादि के लिए लक्षित है। ऐसी परियोजना का एक प्रस्ताव महाराष्ट्र से तथा तीन प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से (ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।) प्राप्त हुआ है,

जिसे कुछेक स्पष्टीकरणों के लिए राज्य सरकारों के पास से वापिस भेज दिया गया है। आवश्यक स्पष्टीकरणों की प्राप्ति के बाद ही, अन्तिम स्वीकृति के लिए इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। किसी भी प्रस्ताव को सीधे केन्द्र में प्राप्त होने पर, उन्हें राज्य सरकार के पास उनकी टिप्पणियों के लिए वापस भेज दिया जाता है।

विवरण

इस मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरणों के लिए वापस भेज दी गई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम
1	2	3
	महाराष्ट्र	
1.		महाराष्ट्र के बीच जिले में झींगा मछली का पालन।
	उत्तर प्रदेश	
1.		ललितपुर जिले में सहरिया समुदाय का विकास।
2.		उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हथकरघा बुनकरों का विकास और हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना।
3.		उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में साठ-गावों का समन्वित विकास।

[अनुवाद]

नाइलोन की कीमतें

1182. श्री श्रीकान्त जेना : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइलोन की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण नाइलोन फिलामेंट यार्न के हथकरघा बुनकर प्रभावित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान नाइलोन की कीमतों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ग) नाइलोन की कीमतों में तेजी से वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (घ) एन.एफ.वाई. की कीमतों में बाजार में समय-समय पर उतार-चढ़ाव होता रहता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीनों में बाजार में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पेट्रो-रसायनों की कीमतें बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं और प्रशासित मूल्य नियंत्रण तन्त्र में शामिल नहीं हैं। पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मूल्यों को प्रतियोगी बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने एन.एफ.वाई. को ओपन जनरल लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अन्तर्गत रखा है।

काजू बोर्ड का गठन

1183. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में काजू उद्योग के विकास हेतु काजू बोर्ड का गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में केरल सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) इस बोर्ड का कब तक गठन किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

आइसक्रीम का उत्पादन

1184. कुमारी उमा भारती : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेश कंपनी ने गत कुछ वर्षों के दौरान आइसक्रीम के उत्पादन में लगे प्रमुख भारतीय कम्पनियों का अधिग्रहण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रमुख भारतीय कम्पनियों का अधिग्रहण किए जाने के बाद उक्त कंपनी का आइसक्रीम उत्पादन में एकाधिकार का क्या प्रतिशत है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत में निर्मित विदेशी शराब की नीलामी

1185. श्री मनोरंजन भक्त : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकमुश्त रूप से समूचे संघ राज्य के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारत में निर्मित विदेशी शराब की नीलामी के संबंध में कोई सूचना जारी की थी ;

(ख) यदि हां, तो नीलामी की तारीख क्या थी ;

(ग) क्या सरकार ने नीलामी के लिए समचे क्षेत्र के लिए एकमुश्त के स्थान पर दुकानवार नीलामी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश को पन विद्युत रायल्टी का भुगतान

1186. प्रो. प्रेम धूमल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश को पन विद्युत के लिए की जाने वाली रायल्टी भुगतान सम्बन्धी मुद्दे का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक कब आयोजित की गई थी और क्या इसमें हिमाचल प्रदेश को दी जाने वाली रायल्टी मे वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विद्युत उत्पादन पर कर लगाने के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश से कोई प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) और (ङ) गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा अनुमोदित 'हिमाचल प्रदेश विद्युत (विद्युत उत्पादन पर कर) बिल, 1995' प्राप्त किया है, जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की जानी है। बिल में राज्य में उत्पादित जल विद्युत ऊर्जा पर विद्युत उत्पादन पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्तावित विधायन पर, गृह मंत्रालय पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कृषि भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग

1187. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खण्डूरी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि भूमि को अनाज की फसलों की बजाए के.एफ.सी. के रेस्त्राओं के लिए मुर्गीपालन हेतु उपयोग किए जाने की कोई समीक्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं। कैण्टकी फाइड चिकन (के.एफ.सी.) के रूप में केवल रेस्त्राओं की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में पेयजल की समस्या

1188. श्री प्रेम चन्द्र राम : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अनेक गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है और बिहार में इन गांवों में कब तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार बिहार में 21542 बसावटें कवर नहीं की गई हैं।

(ग) केन्द्र सरकार सभी कवर न की गई बसावटों को कवर करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारें भी इसी को समान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में मैचिंग अंश प्रदान करती है। सभी कवर न की गई बसावटों को 15.8.1997 तक कवर करने का लक्ष्य है।

यूरिया की कमी

1189. श्री जीवन शर्मा : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में यूरिया की तस्करी, कालाबाजारी और कृत्रिम कमी के मामले सरकार के ध्यान में आएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यूरिया की कमी से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि गत दो वर्षों के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत कालाबाजारी के निम्नलिखित मामले दर्ज किए गए।

वर्ष	दर्ज प्राथमिक रिपोर्टों (एफआईआर) की संख्या	जेल भेजे गये व्यक्तियों की संख्या
1994-95	42	42
1995-96	21	6

(जनवरी, 96 तक)

1995-96 (दिसम्बर 95 तक) के दौरान निवारक निरीक्षण के दौरान भारत-नेपाल बोर्डर पर सोनोली (जिला महाराजगंज) में 14.3 मीटरी टन उर्वरक पकड़ा गया।

(घ) रबी 1995-96 (29.2.1996 तक) के दौरान राज्य में 24.30 लाख मीटरी टन यूरिया उपलब्ध कराया गया। इस अवधि के दौरान यूरिया की बिक्री 19.64 लाख मीटरी टन हुई। सम्पूर्ण उपलब्धता यूरिया की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रही है। राज्य के पास फरवरी, 96 के अन्त तक 4.67 लाख मीटरी टन का अनुमानित इतिशेष भण्डार था।

राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को चार लेनों वाला बनाना

1190. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को चौड़ा करके चार लेनों वाला बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो जिन खंडों (सेक्शनों) को चार लेनों वाला बनाए जाने की संभावना है, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) इस राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाने के कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जलभूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.शेखर मूर्ति): (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 नंदाग्राम-विजयवाड़ा खंड को 252/0 से 265/0 कि.मी. तक चार लेन का बनाने का कार्य एशियाई विकास बैंक को ऋण सहायता के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव है। यह कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9, के नंदीग्राम-विजयवाड़ा खंड को सुधार परियोजना का एक हिस्सा है जिसमें 217/0 से 265/0 कि.मी. तक मौजूदा दो लेनों को सुदृढ़ बनाना शामिल है जिसके लिए 67.32 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं। इस परियोजना के 1996-97 के दौरान शुरु हो जाने की संभावना है और इसकी शुरुआत से 42 महीनों के अंदर इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

समर्थन मूल्य

1191. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री पी.सी. थामस :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री प्रकाश बी.पाटील :
श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री विजय एन. पाटील :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी और खरीफ फसलों के लिए मूल्य में हाल ही में संशोधन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना किस प्रकार निर्धारित किया गया है ; और

(घ) वृद्धि को प्रभावी बनाने के लिये कृषि मूल्य और लागत आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीर अयूब खां) : (क) और (ख) 1995-96 की खरीफ व रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं। 1995-96 मौसम के लिए विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्ष 1995-96 के लिए मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मन्त्रालयों आदि के मतों पर विचार करने के बाद निर्धारित किए गए हैं। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें प्रतिपादित करते समय, कृषि लागत व मूल्य आयोग उत्पादन की लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान/उपज मूल्य समानता, बाजार/कीमतों का रुख किसानों द्वारा प्रदत्त मूल्यों और प्राप्त मूल्यों के मध्य समानता (व्यापार की शर्तें) आदि जैसे महत्वपूर्ण कई घटकों को ध्यान में रखता है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
फसल वर्ष के अनुसार

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	1995-96
1	2	3	4
1.	धान	सामान्य	360.00
		अच्छी	375.00
		उत्तम	395.00
2.	मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा तथा रागी)	एफ.ए.क्यू.	300.00
3.	मक्का	एफ.ए.क्यू.	310.00
4.	गेहूं	एफ.ए.क्यू.	380.00
5.	जौ	एफ.ए.क्यू.	295.00
6.	चना	एफ.ए.क्यू.	700.00
7.	अरहर	एफ.ए.क्यू.	800.00
8.	मूंग	एफ.ए.क्यू.	800.00
9.	उड़द	एफ.ए.क्यू.	800.00
10.	गन्ना*	एफ.ए.क्यू.	42.50
11.	कपास	एफ-414/ एच-777	1150.00
12.	उव-4	1350.00	
12.	छिलके वाली मूंगफली	एफ.ए.क्यू.	900.00
13.	पटसन	टी.डी.5 ग्रेड	490.00

1	2	3	4
14.	तोरिया/सरसों	एफ.ए.क्यू.	560.00
15.	सूरजमुखी के बीज	एफ.ए.क्यू	950.00
16.	सोयाबीन	काली	600.00
		पीली	680.00
17.	कुसुम	एफ.ए.क्यू.	800.00
18.	तम्बाकू	वी.एफ.सी. एफ.-2	19.00
	(काली मृदा)		
	(रुपये प्रति कि.ग्रा.)		
	(हल्की मृदा)	एल.-2 ग्रेड	21.50
19.	खोपरा (मिलिंग)	एफ.ए.क्यू.	2500.00
	(कैलेन्डर वर्ष)	एफ.ए.क्यू.	2725.00
	(दाना)		
20.	तिल	एफ.ए.क्यू	850.00
21.	तिल्ली	एफ.ए.क्यू.	700.00

* 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली के लिये सांविधिक न्यूनतम मूल्य।

[हिन्दी]

गुजरात के लिये पेयजल योजना

1192. **श्री हरिभाई पटेल :**
श्री दिलीप भाई संघाणी :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने फ्लोराइड प्रभावित गांवों के लिए पेयजल योजनायें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को उक्त योजना कब प्राप्त हुई और इस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) गुजरात के कितने गांव फ्लोराइड की कमी से ग्रस्त हैं ;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या गुजरात सरकार को योजना के अनुमोदन के पश्चात इसकी स्वीकृति की जानकारी दे दी गई है ;

(च) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में मंजूरी कब तक दिए जाने और गुजरात सरकार को सूचित किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (छ) अप्रैल, 1995 में चार परियोजनाएं प्राप्त हुई थी जिनमें 4543.46 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 549 बसावटों के लाभ के लिए 186 योजनाएं शामिल थीं। केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1995 में गुजरात जल सप्लाई और सीवरेज बोर्ड को सूचित किया था कि इन योजनाओं पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक अधिक फ्लोराइड/फलुरोसिस से प्रभावित 589 बसावटों के लिए 6672.36 लाख रुपए की लागत से पहले से स्वीकृत क्षेत्रीय/अलग-अलग योजनाओं का कार्यान्वयन शुरु नहीं किया जाता।

(ग) 1.4.94 तक गुजरात में अधिक फ्लोराइड से प्रभावित 2413 बसावटें थीं।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने 2742.53 लाख रुपये की सहायता जारी की थी किन्तु राज्य सरकार ने अब तक किसी भी राशि का उपयोग नहीं किया है।

भारत-नेपाल संबंध

1193. **डा. लाल बहादुर रावल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए तथा उनसे हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (I) पिछले दो वर्षों के दौरान नेपाल, जिसके साथ भारत के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने और संवर्धित करने के सभी प्रयास किए गए।

(II) भारत नेपाल के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत को बढ़ाने और जारी रखने के लिए बराबर प्रयास करता रहा है। 1994 में जिन भारतीय गणमान्य व्यक्तियों ने नेपाल की यात्रा की उनमें प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में श्री भुवनेश चतुर्वेदी ने जून में और तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री बी. शंकरानंद ने, अक्तूबर में नेपाल की यात्रा की तथा नेपाल के युवराज श्री दीपेन्द्र बीर विक्रम शाह देव अगस्त में भारत की प्रथम सरकारी यात्रा पर आए।

(III) 1995 में नेपाल के तत्कालीन उप प्रधान मंत्री श्री माधव कुमार नेपाल (6 से 10 फरवरी) और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मनमोहन अधिकारी (10 से 14 अप्रैल) की भारत यात्राओं से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में सहायता मिली। इस वर्ष के दौरान विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की नेपाल यात्रा (26-29 जनवरी) और नेपाल के प्रधान मंत्री श्री देउबा की भारत यात्रा (11 से 17 फरवरी) से दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को बेहतर बनाने और सहयोग को बढ़ाने में सहायता मिली। प्रधान मंत्री श्री देउबा की भारत यात्रा के दौरान महाकाली नदी और शारदा बैराज, टनकपुर बैराज तथा पंचेश्वर परियोजना के एकीकृत विकास के संबंध में सन्धि संपन्न होने होने से इस क्षेत्र में नदी जल का आपसी लाभ के लिए उपयोग एक बड़ी सफलता का द्योतक है। उनकी इस यात्रा के दौरान नेपाल में कोहलपुर-महाकाली राजमार्ग पर भारतीय सहायता से 22 पुल बनाने के संबंध में भी एक करार संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त इस यात्रा के दौरान विद्युत शक्ति

व्यापार करार पर आद्याक्षर हुए जिससे नेपाली और भारतीय पक्षों के बीच चाहे ये पक्ष सरकारी हो या अर्ध सरकारी या निजी हों विद्युत व्यापार करार संपन्न करने में सहायता मिलेगी।

(IV) नेपाल के विकास प्रयासों में भारत बराबर एक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। भारत सरकार की सहायता से जो बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं उनमें धरान में एक मेडिकल कालेज और इंस्टीट्यूट की स्थापना और पश्चिमी नेपाल में पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर 22 पुलों का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त जयनगर-जनकपुर रेलवे क्षेत्र में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल के इंजनों और डिब्बों की आपूर्ति की जा रही है। पूर्व-पश्चिम विद्युत रेलवे, जनकपुर में बाहरी रिंग रोड, रक्सोल और सिरसिया के बीच ब्रांड गेज रेल संपर्क तथा और परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण का कार्य भी शुरु किया गया है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त पत्तन भूमि

1194. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अतिरिक्त पत्तन भूमि को पट्टे पर दिये जाने हेतु सरकार द्वारा भूमि को पट्टे पर देने संबंधी कोई नियम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. शेखर मूर्ति): (क) और (ख) जी नहीं। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के प्रावधान के अनुसार सरकार पत्तन सुविधाओं और सेवाओं के सृजन के लिए पत्तन न्यास मंडलों द्वारा सिफारिश की गई भूमि को पट्टे पर दिए जाने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती रही है। इस प्रयोजनार्थ कतिपय मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा निंदा और दुष्प्रचार अभियान

1195. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा की जा रही निरन्तर निंदा और दुष्प्रचार की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग द्वारा उक्त दुष्प्रचार अभियान का सफलतापूर्वक उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख). जी हां। सरकार को जम्मू एवं कश्मीर के मामले में भारत के विरूद्ध पाकिस्तान द्वारा छेड़े गये निन्दा अभियान की जानकारी है।

पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार का प्रतिवाद करना एक सतत प्रक्रिया है। पकिस्तान के मिथ्या एवं दुष्प्रेरित प्रचारों के विरूद्ध त्वरित, व्यापक एवं कारगर कार्रवाई की जाती है। निर्णयकर्ताओं समाचार तंत्र और विदेशी सरकारों को विदेश स्थित भारतीय मिशनों और साथ ही भारत स्थित विदेशी मिशनों के माध्यम से वास्तविक सूचना नियमित आधार पर प्रदान की जाती है।

विश्व समुदाय को इस बात से अवगत कराया जाता रहा है कि पाकिस्तान भारत विशेषरूप से कश्मीर में आतंकवाद को पोषित कर रहा है, कश्मीरी समाज के सदियों पुराने समस्तापूर्ण सामाजिक माहौल को तोड़ने का प्रयास कर रहा है; धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं को तोड़ने और नष्ट करने के लिए तथा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेने का प्रयास कर रहा है। विश्व समुदाय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता रहा है कि अपनी प्रादेशिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पाकिस्तान 1947 से ही विध्वंस और आतंकवाद का सहारा ले रहा है। इसे स्वंतत्र संगठनों जैसे कि मानवाधिकार अस्त्र निगरानी परियोजना तथा अन्यों ने दस्तावेजबद्ध किया है। यह समझा जाता है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कई देशों ने पाकिस्तान को कहा है कि उसे भारत के साथ सभी अनसुलझे मामलों को बातचीत के जरिये सुलझाना चाहिए और भारत में आतंकवाद को पोषित नहीं करना चाहिए।

गुजरात में डीजल विद्युत परियोजनायें

1196. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में डीज़ल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु प्रौद्योगिकी - आर्थिक स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मॉडल तम्बाकू नर्सरियां

1197. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजामुद्री स्थित केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने प्रदर्शनार्थ कोई आदर्श तम्बाकू नर्सरियां विकसित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने तम्बाकू कृषकों को जानकारी प्रदान करने हेतु कोई कार्यक्रम शुरु किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुंद्री द्वारा वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान विकसित तम्बाकू की मॉडल नर्सरियां निम्न प्रकार से हैं : -

1) डोम्मेरू
2) मोरामयुड़ी
3) वेल्लामपल्ली
4) ओंगोले
5) कपावरम
6) कालिगिरी

ये सब आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। (1) और (2) पर केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और (3) से (6) तक तम्बाकू बोर्ड द्वारा केन्द्रीय तम्बाकू संस्थान के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।)

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान में तम्बाकू उगाने वाले किसानों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं : -

(I) तम्बाकू की नई विकसित किस्मों के खेतों में परीक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष किसानों के खेतों में उन पर परीक्षण करना जिससे कि किसानों को नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया जा सके।

(II) तम्बाकू उगाने वाले किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए तम्बाकू उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर किसान सम्मेलन आयोजित करना। इन पहलुओं में रोग और कीट-नियंत्रण प्रौद्योगिकी, तम्बाकू संसाधन आदि भी शामिल है।

(III) तम्बाकू उगाने वाले किसान समुदाय को प्रेस, पत्रिकाओं और दूरदर्शन माध्यम से महत्वपूर्ण सुझाव/सिफारिशें भेजी जा रही हैं।

(IV) तम्बाकू बोर्ड के साथ मिलकर अनुसंधान एंव विकास कार्यक्रमों के माध्यम से तम्बाकू उगाने वाले किसानों के लिए तम्बाकू उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में राजसहायता

1198. श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र को दी जा रही राजसहायता को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप विद्युत दरों में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) : (क) जी, नहीं। उपभोक्ताओं के विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत की बिक्री के लिए टेरिफ, उपलब्धि कराई जाने वाली आर्थिक सहायता की मात्रा का निर्धारण राज्य बिजली बोर्डों द्वारा सम्बद्ध राज्य सरकारों के अनुमोदन से किया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1199. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1992-93 तथा 1994-95 के दौरान प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया ;

(ग) क्या सरकार इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम की कमियों से अवगत हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन कमियों को दूर करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 1992-93 एवं 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने/लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है।

वर्ष	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (लाभार्थी लाख में)	जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रम दिन)	सुनिश्चित रोजगार* योजना (लाख श्रम दिन)
1992-93	3.88	1496.3	-
1994-95	3.70	1395.9	165.6

*सुनिश्चित रोजगार योजना 1993-94 में शुरु हुई थी।

(ग) से (ङ) भारत सरकार को किसी तरह की कमी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, जब भी और जैसे ही कोई शिकायत मिलती है, उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

मछली/झींगा पालन संबंधी कानून

1200. श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री हरिलाल ननजी पटेल :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु एक्वाकल्चर रेग्यूलेशन एक्ट, 1995 के आधार पर एक आदर्श कानून बनाने का है ताकि आर्थिक और पर्यावरण रूप से व्यवहार्य मछली/झींगा पालन प्रौद्योगिकी को राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन मिले ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) भारत के संविधान की अनुसूची 7 में मात्स्यिकी विषय राज्य की सूची में आता है।

गुजरात में बाक्साइट के भंडार

1201. **श्री हरिलाल ननजी पटेल** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के किन-किन स्थानों में बाक्साइट के भंडार पाये गये हैं और वाणिज्यिक, उत्खनन हेतु उपलब्ध है ;

(ख) वाणिज्यिक उत्खनन हेतु बाक्साइट के उपयोग के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) गुजरात में बाक्साइट आधारित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) गुजरात के कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली साबरकंठा, खेड़ा तथा वलसाड जिलों में बाक्साइट पाया गया है तथा यह वाणिज्यिक विदोहन के लिए उपलब्ध है।

(ख) गुजरात में बाक्साइट का वाणिज्यिक विदोहन निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। गुजरात खनिज विकास निगम ने रेथान इंजीनियरिंग एंड कन्सल्टेन्ट यू.एस.ए. से प्रौद्योगिकी सहायता लेकर तथा गुजरात एल्कालिज के सहयोग से 60,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले एल्यूमिना संयंत्र के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

(ग) गुजरात राज्य में बाक्साइट का प्रयोग मुख्य रूप से रिफ्रेक्टरी और अब्रेसिव उद्योगों में किया जाता है। बाक्साइट आधारित प्रमुख उद्योगों का विवरण इस प्रकार है : -

	कम्पनी का नाम	उत्पाद	वार्षिक संस्थापित क्षमता (ह. टन)
1.	एमरी (इंडिया प्रा. लि.)	एमरी ग्रेन्स (अब्रेसिव)	7.00
2.	नौरोजी एन एण्ड कम्पनी पाटरी वर्क्स	स्टोनवेयर पाइप एण्ड फिटिंग, फायर ब्रिक्स एण्ड रिफ्रैक्टरी कैमिकल्स	7.32
3.	कारबारंडम यूनीवर्सल लि.	कैल्साइड बाक्साइट	24.00
4.	परूघुराम पाटरी वर्क्स कंपनी लि.	रिफ्रैक्टरी	9.00
		सेनिटरीवेयर	5.00
		स्टोनवेयर	1.80
5.	गुजरात रिफ्रैक्टरी लि.	हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी	7.50
6.	गुजरात मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि.	कैल्साइंड बाक्साइड	50.00
7.	सौराष्ट्र केल्साइन	कैल्साइंड बाक्साइड	9.00

इस्पात का निर्यात

1202. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति में कितने सदस्य हैं तथा इसके निदेश पद क्या हैं ; और

(ग) समिति द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक दिए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) डा. नीतिश सेन गुप्ता, पूर्व सदस्य-सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में लोहे और इस्पात के निर्यात के संबंध में नीति तैयार करने तथा उसके संबंध में सिफारिशें करने के लिए जनवरी, 1996 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। विशेषज्ञ दल का गठन निम्नलिखित प्रकार किया है :-

(1)	डा. नीतीश सेन गुप्ता, पूर्व सदस्य सचिव, योजना आयोग	अध्यक्ष
(2)	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय	सदस्य
(3)	श्री ए.पी. श्रवण, पूर्व प्रधान सचिव, असम सरकार	सदस्य
(4)	श्री विक्रम प्रकाश, पूर्व अध्यक्ष, मसाला व्यापार निगम, (वाणिज्य मंत्रालय)	सदस्य
(5)	'सेल', वी.एस.पी. तथा 'टिस्को' के प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	सी.आई.आई. का प्रतिनिधि	सदस्य
(7)	औद्योगिक सलाहकार, इस्पात मंत्रालय	सदस्य
(8)	वाणिज्यिक मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
(9)	श्री ए.के. ठाकुर, निदेशक, इस्पात मंत्रालय	सदस्य
(10)	गौण उत्पादों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	डा. ए.एस. फिरोज, मुख्य अर्थशास्त्री, ई.आर.यू.	संयोजक
(12)	मेस्को तथा ऊषा इस्पात के प्रतिनिधि	

दल आवश्यकतानुसार किसी को अतिरिक्त सदस्य के रूप में भी सहयोजित कर सकता है।

दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :-

(I) इस्पात मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के तहत आने वाले कच्चे लोहे, स्पंज लोहे, इस्पात तथा उनके उपात्दों के निर्यात योग्य, अधिशेष माल का वर्षवार 1996-97 से 2006-2007 तक का, श्रेणीवार आंकन।

(II) निर्यात अधिशेष, निर्यात क्षमता तथा उनका राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्यात नीति तैयार करना।

(III) नीति और कार्य पद्धति में अपेक्षित परिवर्तन।

(IV) अवसंरचनात्मक संबंधी जरूरतें।

(V) उपरोक्त से संबंधित कोई अन्य मामला।

विशेषज्ञ दल द्वारा मार्च, 1996 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

भूमि सुधार

1203. **श्री रामप्रसाद सिंह** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम के संबंध में कोई नीति तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भूमि सुधार कार्यक्रम में अड़चन डालने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने और उनके साथ सख्ती से निपटने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई झरजीभाई पटेल) : (क) विस्तृत भूमि सुधार कार्यक्रम के बारे में भारत सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति तैयार नहीं की है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मेगा विद्युत परियोजनाएं

1204. **श्री दिलीपभाई संघाणी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार को ओमान गैस पाइपलाइन पर आधारित 2500 मेगावाट की मेगा विद्युत परियोजना प्रत्येक राज्य में लगाने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे गुजरात के कितने भाग में गैस मिलेगी और परियोजना हेतु राज्य में किन स्थानों का चयन किया गया है ;

(ग) क्या पिपावाव विद्युत परियोजना को भी इस गैस की आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो कोयले के स्थान पर गैस की आपूर्ति किए जाने का क्या कारण हैं ; और

(ङ) उक्त परियोजना को कितनी मात्रा में गैस उपलबध की जायगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर ओ.आई.सी. देशों का आंकलन

1205. **श्री एन. डेनिस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर पर इस्लामिक देशों के संघ के सदस्य राष्ट्रों के रूख में कुछ परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में वास्तविक स्थिति और इस राज्य में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद भड़काने की गतिविधियों के बारे में इन राष्ट्रों को तथ्यों से अवगत कराने के लिये क्या विभिन्न कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर की स्थिति और इस राज्य में आतंकवाद और उग्रवाद फैलाने में पाकिस्तान का हाथ होने के बारे में ओ आई सी के सदस्य देशों को अवगत कराने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में उच्चतम सम्भव स्तर पर इन देशों के सरकारी प्राधिकारियों को स्थिति की जानकारी देना और और उसके बाद विदेश मंत्रालय द्वारा दिल्ली के इन देशों के राजदूतों को जानकारी देना और संबंधित देशों में हमारे मिशनों और नई दिल्ली में उनके मिशनों के माध्यम से स्मारक पत्र देना शामिल है। विदेश मंत्री ने ओ आई सी के बहुत से देशों के विदेश मंत्रियों को पत्र लिखकर भी इस बात से अवगत कराया है कि जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद को बाहर से प्रोत्साहन और समर्थन मिल रहा है। जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में इन देशों को लगातार तथ्यात्मक सूचना भेजने के अलावा सरकार इन देशों के विधायकों, समाचार तंत्र, विद्वानों, विचारकों और विभिन्न अन्य मतनिर्माताओं को समुचित जानकारी देने के लिए भी कदम उठाए हैं।

कर्नाटक में विदेशी निवेश

1206. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विदेशी कंपनियां कर्नाटक में विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए इच्छुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में विदेशी निवेश के कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए हैं ;

(ग) इनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं ; और

(घ) इनमें से कितने प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।.

(ख) छः।

(ग) दो।

(घ) चार।

रोजगार आश्वासन योजना

1207. **श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सर्वाधिक गरीब ब्लाकों में रोजगार आश्वासन योजना लागू कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे ब्लाकों के चयन के क्या मानदंड अपनाए गये हैं ;

(ग) क्या पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ब्लाकों विशेष रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र के ब्लाकों को इस योजना में शामिल किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार पश्चिमी घाट क्षेत्र में भी इस योजना को लागू करने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना सूखाप्रवण क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तथा हिमालय की नदियों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के चयनित पिछड़े खण्डों में कार्यान्वित की जा रही है। 1.1.96 से गहन जवाहर रोजगार योजना का विलय सुनिश्चित रोजगार योजना में कर दिया गया है इसके परिणामस्वरूप गहन जवाहर रोजगार योजना जिलों के गैर-सुनिश्चित रोजगार योजना के 722 खण्डों को इस योजना द्वारा कवर कर लिया गया है।

(ख) प्रारंभ में योजना का विस्तार पहाड़ी क्षेत्रों के उन सभी खंण्डों में किया जाता था जिन्हें पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना द्वारा कवर किया जाता था। बाद में, सुनिश्चित रोजगार योजना का विस्तार विशेष मामले के रूप में जम्मू व कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के 46 खण्डों में किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ये सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत खण्डों के चयन हेतु मानदंड में नहीं आते हैं।

(ङ) वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बंजर भूमि

1208. **श्री दत्ता मेघे** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जिलेवार कितनी बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया ;

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बंजर भूमि के विकास पर अनुमानित खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वैज्ञानिकों ने बंजर भूमि को कम लागत पर कृषि योग्य बनाने हेतु कोई अनुसंधान किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

श्रीलंका के तमिलों के लिये अन्तरण पैकेज

1209. **श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका के तमिलों के लिये बहुचर्चित अन्तरण पैकेज श्रीलंका की सरकार के विचाराधीन है जिससे उन्हें 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते की तुलना में कम अधिकार मिलते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा इस अन्तरण पैकेज में उल्लेखनीय सुधार लाने हेतु श्रीलंका सरकार को समझाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) इस समय शक्तियों के अंतरण से सम्बद्ध श्रीलंका की सरकार के प्रस्ताव पर श्रीलंका की संसद की संवैधानिक सुधार प्रवरण समिति में सम्बद्ध पक्ष विचार-विमर्श कर रहे हैं। अतः शक्ति अंतरण के पूर्व प्रस्तावों से उसकी तुलना का प्रश्न नहीं उठता। सरकार ने कहा है कि भारत हमेशा श्रीलंका के संकट का बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण समाधान के पक्ष में रहा है।

भारतीय विद्युत अधिनियम

1210. **डा. रमेश चन्द्र तोमर** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विद्युत क्षेत्र के तीन कानूनों यथा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और भारतीय विद्युत नियम, 1956 को मिलाकर एक ही अधिनियम बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) हाल ही में विद्युत मंत्रालय में विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा करने और भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 तथा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में उपयुक्त विधायी परिवर्तनों को सुझाने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के एककों का पुनर्गठन

1211. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के एककों का पुनर्गठन करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशें अब तक दे दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) सरकार ने 16.6.94 को एक तकनीकी समिति का गठन किया था ताकि यह जांच की जा सके कि क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) के दुर्गापुर, बरौनी और नामरूप-। और ।। एककों में जो सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम हैं, में समस्यात्मक उपस्करों का सामान्य निवेश पर नवीनीकरण/प्रतिस्थापन करके प्रचालन कर सकते हैं।

(ख) तकनीकी समिति ने 19.7.94 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें समस्या प्रवण उपस्करों की पहचान करना तथा दुर्बल क्षेत्रों के लिए प्रतिस्थापन, मरम्मत और सुधारों के साथ उपरोक्त एककों में प्रचालनों को जारी रखने के लिए अन्य आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए हैं। समिति ने 263.18 करोड़ रुपए के आवश्यक निवेश का अनुमान लगाया है तथा इन एककों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उत्पादन क्षमताओं और स्ट्रीम दिवसों का भी मूल्यांकन किया है।

(ग) तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा अन्य सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए एच एफ सी के लिए पुनरूद्धार पैकेज तैयार किया गया था। पूंजी पुनसंरचना तथा अन्य वित्तीय राहतों को छोड़कर, 464.93 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी, दुर्गापुर तथा नामरूप एककों में पुररूद्धार की परिकल्पना की गई है। इन एककों के पुनरूद्धार के लिए निधियों की काफी समय से व्यवस्था नहीं की गई है। औद्योगिक साख तथा निवेश कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (आई.सी.आई.सी.आई.) द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं और एच एफ सी के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक संयुक्त दल का गठन किया गया है ताकि एच एफ सी की प्रौद्योगिक आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में वित्तीय संस्थाओं के द्वारा निधिकरण के लिए इसके मूल्यांकन के संदर्भ में आई सी आई सी आई द्वारा की गयी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एच एफ सी के पुनरूद्धार पैकेज को पुनर्निर्धारित किया जा सके। एच एफ सी की हल्दिया परियोजना के पुनरूद्धार को तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था तथा इसके पुनर्वास के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करने के निर्णय के विकल्प पर विचार किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में अनुसंधान केन्द्र

1212. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत कौन-कौन सी अनुसंधान परिषद, अनुसंधान केन्द्र तथा परियोजना कार्यरत हैं तथा उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रत्येक केन्द्रों तथा परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च हुई ; और

(ग) इन अनुसंधान कार्यों का राज्य के कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) अनुसंधान केन्द्रों, प्रायोजनाओं के नाम तथा स्थान और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर किये गये खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) फसल विज्ञान में, राज्य में स्थित केन्द्रों के अनुसंधान कार्य से फसलों की उन्नत किस्मों को विकसित करने तथा कम लागत के उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद मिली है।

बागवानी में, फसलों की कई नयी किस्में नामत: लीची, खीरा, बैंगन जारी की गई।

मृदाओं में, सस्य विज्ञान तथा कृषि वानिकी में अनुसंधान कार्यक्रम स्थान विशिष्ट उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायक रही हैं।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना ने किसानों की आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास किया है।

कृषि विस्तार में, विभिन्न उन्नत कृषि क्रियाओं के प्रदर्शन से कई फसलों की पैदावार की प्रतिशतता में वृद्धि हुई, जो 85 से 195 प्रतिशत तक रही।

विवरण

बिहार में स्थित अनुसंधान केन्द्रों के नाम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर किया गया खर्च

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	प्रायोजना का नाम	स्थान	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
क.	फसल विज्ञान : अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना •				
1.	चारा वाली फसलें	बि.कृ.वि. रांची	4.14	3.66	3.40
2.	पूरी तरह उपयोग में न लाए गए पौधे	बि.कृ.वि., रांची	1.37	1.33	1.48
3.	छोटे अनाज	बि.कृ.वि., रांची	2.31	9.13	7.02
4.	मुलार्प	बि.कृ.वि.,	5.08	6.45	5.62
5.	अरहर	रा.कृ.वि. पूसा	11.14	12.21	11.20
6.	चावल	रा.कृ.वि. पूसा एवं बि.कृ.वि., रांची	10.73	18.00	10.68
7.	गेहूं	बि.कृ.वि., रांची एवं रा.कृ.वि. साबोर	5.13	4.49	2.67
8.	मक्का	रा.कृ.वि., ढोली एवं - अगवानपुर	10.81	16.94	13.57
9.	गन्ना	रा.कृ.वि. पूसा	7.16	5.76	4.62
10.	पटसन तथा रेशे	रा.कृ.वि. कटिहार	3.96	4.97	4.15
11.	तिलहन	बि.कृ.वि., कांके	5.10	5.17	6.10
12.	तोरिया सरसों	बि.कृ.वि., चिरांकी तथा रा.कृ.वि.ढोली	-	-	8.09
13.	सोयाबीन	बि.कृ.वि., रांची	1.00	1.42	1.61
14.	गोलकृमि	रा.कृ.वि.,पूसा	0.83	0.79	1.58
15.	कीटनाशी तथा अवशिष्ट	रा.कृ.वि.,पूसा	2.85	3.26	3.02

1	2	3	4	5	6
16.	कृषि एक्रोलॉजी	रा.कृ.वि., पूसा	1.51	0.73	1.32
17.	मधु मक्खियां	रा.कृ.वि., पूसा	1.58	1.18	1.66
18.	एन.एस.पी. (फसल)	रा.कृ.वि.,ढेली एवं बि.कृ.वि., रांची	11.81	11.81	18.12
19.	चयनित फसलों में संकर	–	1.50	3.50	3.66
20.	एन.एस.पी.–।। (विश्व बैंक)	रा.कृ.वि.ढेली	3.50	23.00	30.22
ख.	बागवानी : संस्थान अ.भा.स.अ.प्रा.				
21.	सी.पी.आर.आई. क्षेत्रीय केन्द्र	पो.आ.सहदनगर	30.43	43.05	44.24
22.	भा.बा.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र	रांची	63.09	104.80	102.61
23.	शीतोष्ण फल	रा.कृ.वि., पूसा	1.99	4.61	5.52
24.	उपोष्ण कटिबंधीय फल	बि.कृ.वि.साबोर	5.35	7.77	4.82
25.	बागवानी फसलों पर पी.एच.टी.	रा.कृ.वि., पूसा	नयी	केन्द्र	2.56
26.	ताड़	रा.कृ.वि.,जलालगढ़	0.78	1.75	1.88
27.	मसाले	रा.कृ.वि.,ढेली	नयी	0.96	1.79
28.	पान	रा.कृ.वि.,पूसा	1.96	3.82	3.64
29.	आलू	रा.कृ.वि.,ढेली	नयी	केन्द्र	0.92
30.	सब्जी वाली फसलें	बि.कृ.वि., साबोर	3.56	5.42	3.33
31.	कंदवर्गीय फसल	बि.कृ.वि., रांची और रा.कृ.वि. ढेली	6.04	6.10	11.57
ग.	मृदा सस्य विज्ञान तथा कृषि वानिकी : अ.भा.स.अ.प्रा.				
32.	बारानी कृषि	कांके	9.40	6.12	12.38
33.	फसल प्रणाली अनुसंधान	रांची	8.07	8.19	9.02
34.	खरपतवार नियन्त्रण	कांके	2.61	4.03	1.39
35.	कृषि मौसम विज्ञान	रांची	1.89	1.68	2.10
36.	दियाराभूमि	साबौर एवं पूसा	7.79	5.88	3.67
37.	जल प्रबन्ध अनुसंधान	पूसा	4.06	7.53	9.94
38.	सूक्ष्म जीव विज्ञान संबंधी विगलन	रांची	2.42	2.88	5.26
39.	जुताई की आवश्यकता	साबोर	4.08	3.57	3.63

1	2	3	4	5	6
40.	सूक्ष्म गौण-पोषक तत्व	ढेली	3.73	3.29	4.78
41.	दीर्घावधि के उर्वरक निर्यात	रांची	1.35	1.94	0.85
42.	मृदा जांच फसल अनुक्रिया	ढेली	3.46	7.15	4.82
	घ. कृषि अभियांत्रिकी				
	अ.भा.स.अ.प्रा.				
43.	फार्म उपकरण तथा मशीनरी	बि.कृ.वि. रांची	8.89	5.60	5.80
		रा.कृ.वि., पूसा	3.46	1.86	2.10
44.	पावर टिलर	रा.कृ.वि., पूसा	2.44	2.43	4.26
45.	फसल के कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	रा.कृ.वि., पूसा	1.17	2.52	15.75
45.	भारतीय लाख अनुसंधान	रांची	156.19	177.83	233.68
	(क) संस्थान				
	ङ. कृषि शिक्षा				
46.	नार्प: क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र	रा.कृ.वि. साबौर, माधोपुर और अगवानपुर	48.38	58.07	48.50
47.	नार्प:क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र	बि.कृ.वि., दुमका दरीसाई और चिआन्की	17.95	47.23	68.50
	च. कृषि विस्तार कृ.वि.के.				
48.	कृषि विज्ञान केन्द्र	अगवानपुर(वर्ह)	4.42	29.03	21.40
49.	-वही-	अगवानपुर (सहारा)	6.06	14.19	15.16
50.	-वही-	बंका	5.98	14.61	29.13
51.	-वही-	हरनौट (नालंदा)	4.37	23.58	28.35
52.	-वही-	खुदामनपुर(बेगुसराय)	11.87	27.58	21.85
53.	-वही-	मुंगेर	6.70	21.29	11.83
54.	-वही-	भोजपुर (आरा)	नया	केन्द्र	6.53
55.	-वही-	खादीग्राम(जम्मू)	नया	केन्द्र	6.53
56.	-वही-	अधौरा(भबुआ)	13.94	27.60	11.87
57.	-वही-	नवादा(सोखोदेबरा)	7.88	16.88	13.51
58.	-वही-	हजारीबाग	6.86	10.34	10.88
59.	-वही-	मोराबाड़ी(रांची)	8.49	26.02	12.91
60.	-वही-	सुजानी (घोरलाश)	6.69	15.73	29.05
61.	-वही-	जगन्नाथपुर (सिंहभूम)	6.33	14.84	18.75
62.	-वही-	सिन्द्री(धनबाद)	नया	केन्द्र	6.53
63.	-वही-	मधुबनी	नया	केन्द्र	6.53

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु प्रस्ताव

1213. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियों के संयुक्त उद्यम से खाद्य प्रंसस्करण उद्योग की स्थापना हेतु कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) अब तक कितने उद्योगों में कार्य आरम्भ हो गया है;

(ग) इन उद्योगों में आज तक इन विदेशी कम्पनियों द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(घ) इन उद्योगों द्वारा मशीनों, आदि के आयात पर तथा मुनाफों के लेन-देन पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है; और

(ङ) इन उद्योगों द्वारा आज तक निर्यात, यदि कोई किया गया है, के द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) पिछले 3 वित्तीय वर्षों (अप्रैल 1992 से मार्च 1995) के दौरान सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों/अनिवासी भारतीयों/ओ.सी.बी. द्वारा विदेशी पूंजी निवेश करने के 221 मामलों को मंजूरी दी है।

(ख) और (ग) प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 937 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी निवेश वाली 73 यूनिटों ने काम शुरु कर दिया है।

(घ) और (ङ) यह सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती लेकिन दी जाने वाली विदेशी मंजूरियों में लाभांश संतुलन ओर अधिकांश मामलों में विदेशी मुद्रा के देश से बाहर न जाने का उल्लेख होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

1214. **श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं शुरु करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का क्षमता उपयोग

1215. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1996 तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में संयंत्रवार क्षमता उपयोग का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसमें ऊंची उत्पादन लागत और घटिया इस्पात के उत्पादन में क्या कारण हैं ; और

(ग) घटिया इस्पात का उत्पादन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जनवरी, 1996 तक 'सेल' के संयंत्रों में विक्रय इस्पात की क्षमता उपयोगिता का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

संयंत्र/इकाई	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत)
भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई	108
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर	74
राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला	89
बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो	103
मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर	99
सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम	51
इस्को, बर्नपुर	74
वी.आई.एस.एल., भद्रावती	54

(ख) और (ग) अन्य देशों में इस्पात की उत्पादन लागत के संबंध में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अत: स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) की उत्पादन लागत की तुलना दूसरे इस्पात उत्पादक देशों की उत्पादन लागत से करना सम्भव नहीं है। तथापि, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी.) ने इस्पात उद्योग की लागत के अध्ययन के संबंध में हाल ही में एक दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1994-95 के दौरान स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों में विक्रय इस्पात की उत्पादन लागत कोरिया (पोस्को का पोहांग संयंत्र) और जापान (निप्पोन का कीमित्सू संयंत्र) में उत्पादन लागत की तुलना में कम थी। 1994 के दौरान 'सेल' के विक्रय इस्पात की उत्पादन लागत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी में उत्पादन की लागत से कम थी।

अवमानक इस्पात का कतिपय उत्पादन अपरिहार्य है क्योंकि यह प्रक्रिया में उत्क्षेप है। 'सेल' धीरे-धीरे अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण कर रहा है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रक्रिया उत्क्षेप में कमी होगी।

सुरक्षित पेयजल आपूर्ति योजनाएं

1216. **श्रीमती शीला गौतम** :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चालू योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सुरक्षित पेयजल आपूर्ति योजनाओं में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया ;

(ख) क्या सरकार ने इन योजनाओं की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक हासिल की गई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजी भाई पटेल) : (क) चालू प्लान अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति योजना पर 2941.83 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) चालू प्लान अवधि के दौरान गांवों/बसावटों की कवरेज संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आठवीं योजना अवधि में जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों/बसावटों की कवरेज अवधि के दौरान कवर किए गए गांव/बसावटें

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र	1992-93 (गांव)			1993-94(गांव)			1994-95(गांव/बसावटें)			1995-96 (बसावटें)		
		N-Cat	P-Cat	Total	N-Cat	P-Cat	Total	N-Cat	P-Cat	Total	N-Cat	P-Cat	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	0	691	691	0	1408	1408	2519	255	2774	1202	1244	2446
2	अरूणाचल प्रदेश	0	169	169	0	149	149	148	0	148	95	25	120
3	असम	4	152	156	5	746	751	800	736	1536	649	0	649
4	बिहार	0	5188	5188	0	3530	3530	0	7185	7185	2129	3604	5733
5	गोआ	0	54	54	0	56	56	0	62	62	5	27	32
6	गुजरात	17	439	456	2	456	458	37	427	464	380	347	727
7	हरियाणा	0	334	334	0	700	700	0	845	845	0	540	540
8	हिमाचल प्रदेश	337	236	573	0	570	570	538	262	800	594	112	706
9	जम्मू व कश्मीर	93	1	94	76		76	107	0	107	353	0	353
10	कर्नाटक	0	5056	5056	0	5150	5150	8	4927	4935	368	4151	4519
11	केरल	0	252	252	0	164	164	0	214	214	47	379	426
12	मध्य प्रदेश	35	5631	5666	0	5963	5963	1121	11017	12138	5041	2529	7570
13	महाराष्ट्र,	17	797	814	0	1373	1373	2758	4070	6828	202	3176	3378
14	मणिपुर	0	86	86	0	155	155	86	84	170	111	44	155
15	मेघालय	491	197	688	210	533	743	223	140	363	42	0	42
16	मिजोरम	0	154	154	0	167	167	0	222	222	4	71	75
17	नागालैण्ड	0	49	49	0	65	65	0	0	0	0	0	0
18	उड़ीसा	530	1070	1600	20	5440	5460	4914	2437	7351	5106	1160	6266
19	पंजाब	508	142	650	0	343	343	426	0	426	248	3	251
20	राजस्थान	25	1985	2010	51	2277	2328	1460	1594	3054	3183	623	3806
21	सिक्किम	0	18	18	0	70	70	0	66	66	60	44	104
22	तमिलनाडु	0	2663	2663	0	3751	3751	172	3636	3808	109	1591	1700
23	त्रिपुरा	7	207	214	0	215	215	537	73	610	614	0	614
24	उत्तर प्रदेश	154	4810	4964	108	5939	6047	3719	7564	11283	6837	8827	15664
25	पं. बंगाल	0	1715	1715	0	1750	1750	3973	1399	5372	2205	1556	3761
26	अंडमान निकोबर	0	18	18	0	19	19	0	20	20	0	16	16
27	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	112	112	0	50	50
28	दमन व दीव	0	4	4	0	2	2	0	11	11	0	11	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	लक्षद्वीप	0	4	4	0	4	4	0	2	2	0	3	3
31	पांडिचेरी	0	20	20	0	21	21	0	28	28	0	19	19
	कुल	2218	32142	34360	472	41016	41488	23546	47388	70934	29584	30152	59736

[अनुवाद]

फलों तथा सब्जियों का उत्पादन

1217. श्री के. प्रधानी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फलों तथा सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है;

(ख) भारत से कितने प्रतिशत फलों तथा सब्जियों का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) निर्यात के इस प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) विभिन्न राज्यों विशेषकर उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित किए जाने संबंधी निर्णय किस स्थिति में है; और

(ङ) उड़ीसा में इ.पी.टी.सी.एस. की शीघ्र स्थापना किए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) भारत विश्व में फल और सब्जियां उगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह अपने फल उत्पादन का लगभग 0.26 प्रतिशत और सब्जियों का 0.69 प्रतिशत निर्यात करता है।

(ग) सरकार अपनी योजना स्कीमों के तहत विभिन्न संगठनों/एजेंसियों को फल और सब्जियों के प्री-कूलिंग, ग्रेडिंग कोल्ड/कूल स्टोरेज और प्रशीतित ढुलाई आदि जैसी फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता देती है ताकि निर्यात के लिए फल और सब्जियों की शैल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण उत्पादकों तथा निर्यातकों को तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहायता देता है।

(घ) और (ङ) फरवरी, 1996 तक मंत्रालय ने देश में संगठनों को 179 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता दी है जिनमें से 31 केन्द्र उड़ीसा राज्य में हैं। खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1992-93 से 1995-96 तक (फरवरी 26 तक) सहायता प्रदत्त खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र जिन्हें सहायता दी गई
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	1
2	अरूणाचल प्रदेश	1
3	असम	21
4	बिहार	18
5	गोआ	-
6	गुजरात	3
7	हरियाणा	8
8	हिमाचल प्रदेश	4
9	जम्मू व कश्मीर	6
10	कर्नाटक	8
11	केरल	6
12	मध्य प्रदेश	5
13	महाराष्ट्र,	5
14	मणिपुर	-
15	मेघालय	-
16	मिजोरम	6
17	नागालैण्ड	2
18	उड़ीसा	32
19	पंजाब	-
20	राजस्थान	3
21	सिक्किम	-
22	तमिलनाडु	10
23	त्रिपुरा	1
24	उत्तर प्रदेश	29
25	पं. बंगाल	9
26	ए.एन.आई. लैंड	-27
27	चंडीगढ़	-
28	दादर व नगर हवेली	-
29	दमण दियू	-

1	2	3
30	दिल्ली	1
31	लक्षद्वीप	-
32	पांडेचेरी	-
	कुल	179

अमेरिकी रक्षा सचिव का दौरा

1218. श्री हरिन पाठक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के रक्षा सचिव ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो चर्चा की प्रस्तावित कार्यसूची क्या थी और उनके दौरे के दौरान वास्तव में किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी ;

(ग) क्या सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को भड़काने से अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के बारे में कोई उल्लेख किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली में बिजली की कमी

1219. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नवल किशोर राय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिजली की उपलब्धता इसकी मांग की अपेक्षा कम है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा अपने स्रोतों से वर्षवार उत्पादित बिजली की औसत मात्रा कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अन्य स्रोतों से कितनी बिजली खरीदी गई ; और

(ग) 'डेसू' द्वारा अधिक विद्युत का उत्पादन करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ऊर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान डेसू अपने स्वयं के संसाधनों से उत्पादित और अन्य स्रोतों से खरीदी गई विद्युत की मात्रा निम्नलिखित थी:-

(आंकड़े मि.यू. में)

वर्ष	अपने स्वयं के केन्द्रों द्वारा उत्पादित विद्युत	अन्य स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा
1993-94	2301	8703
1994-95	2303	9789
1995-96	2056	9968

(फरवरी, 96 तक)

(ग) दो नई परियोजनाओं यथा डेसू की विद्यमान गैस टरबाईन यूनिटों पर 3×24 मे.वा. वाली वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट और बवाना स्थित संयुक्त साइकल गैस आधारित संयंत्र, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

अफगानिस्तान को राहत सहायता

1220. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1996 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'काबुल्स प्लेश अपील फार रिलीफ' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार का अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने का कार्यक्रम है, जिसके तहत उस देश को द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के माध्यम से राहत सामग्री भेजी जाती रही है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, अफगानिस्तान को दवाइंया, चाय, चीनी, दुग्ध-चूर्ण, खाद्य तेल, कम्बल और ऊनी कपड़े भेजे गये हैं। सरकार अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने का अपना कार्यक्रम जारी रखेगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

1221. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कार्य करने के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के संबंध में संविधान में संशोधन लाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं तैयार करने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु आधारभूत ढांचे के सृजन के लिए आबंटन के 20, 25 प्रतिशत निधियां उत्तर पूर्वी राज्यों में और 20 प्रतिशत उपयोग अन्य राज्यों में किया जाता है। इसी तरह ट्राइसेम के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण के लिए ढांचागत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

बहादुरशाह जफ़र की मज़ार

1222. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह जफ़र की रंगून, म्यांमार स्थित मज़ार अपेक्षित स्थिति में हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मज़ार के जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी नहीं। बहादुर शाह जफ़र की मज़ार और उसके निकटवर्ती स्मारक हाल की देखभाल ठीक ढंग से की जाती रही है। सरकार ने मज़ार के रखरखाव और नवीकरण तथा स्मारक हाल के निर्माण के लिए दिया था और स्मारक हाल का उद्घाटन दिसम्बर, 1994 में हुआ था। संपूर्ण परिसर की देखभाल अब म्यांमा की सरकार के धार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक पर्यवेक्षी समिति कर रही है।

व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि

1223. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री सनत कुमार मंडल :
क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेनेवा में व्यापक प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) के संबंध में हुए निरस्त्रीकरण सम्मेलन पर भारत का वर्तमान राजनयिक दृष्टिकोण क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने से परमाणु शस्त्र रहित देशों पर प्रतिबंध लग जायेगा और इससे परमाणु शस्त्र संपन्न देशों द्वारा परमाणु शस्त्र रखना वैध हो जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) पर जनवरी, 1994 से जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सी डी) में वार्ताएं चलती रही हैं। हालांकि इस बातचीत में प्रगति हुई है फिर भी, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अभी सुलझाए जाने हैं। सी.टी.बी.टी. का प्रस्ताव है कि नाभिकीय शस्त्र परीक्षण संबंधी गतिविधियों के संबंध में सभी देशों पर एक समान प्रतिबंध लगाया जाए। तथापि भारत ने सी.टी.बी.टी. और नाभिकीय निरस्त्रीकरण दोनों से संबद्ध हमारी नीति के अनुरूप कई ऐसे सार्थक प्रस्ताव पेश किए हैं जो सी.टी.बी.टी. को सार्वभौम निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध हमारे लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने संबंधी निर्णय वार्ताओं के परिणाम पर निर्भर होगा।

[हिन्दी]

'नेफेड' में घाटा

1224. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नेफेड के प्रत्येक एकक को गत तीन वर्षों के दौरान घाटे का क्या ब्यौरा है ;

(ख) इस घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन घाटे में चलने वाले एककों को बन्द करने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घाटे के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) दिल्ली में नेफेड द्वारा संशोधित फूड की तीन औद्योगिक इकाइयां और इसकी तीन शाखाएं हैं। गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक के द्वारा वहन की गयी हानि संलग्न विवरण में दी है।

(ख) नेफेड की औद्योगिक इकाइयों में हानि का कारण अप्रचलित व पुराने संयंत्र और मशीनरी तथा अधिक प्रशासनिक खर्च का होना है जबकि शाखाओं में इसका कारण, किसानों और ग्राहकों की सहायता करने के लिए कम गुंजाइश रखना तथा जिन कृषि जिन्सों में वे लेन-देन करते हैं, उनकी कीमतों में अस्थिरता का होना है।

(ग) और (घ) दिल्ली में नेफेड की सभी इकाइयां/शाखाएं प्रचालन में हैं। नेफेड की निदेशक मंडल की कार्य समिति और परियोजना समिति समय-समय पर इन इकाइयों की स्थिति की समीक्षा करती है और उपचारी कार्यवाही का सुझाव देती हैं भ्रष्टाचार के कोई मामले नहीं हैं और नेफेड संसाधित फूड को छोड़कर इन इकाइयों में किसी में भी इन हानियों के लिए कोई विशिष्ट व्यक्ति उत्तरदायी नहीं हैं, उपरोक्त नेफेड संसाधित फूड में 21 लाख रुपये का गबन हुआ है जिसके लिए दो कर्मचारियों अर्थात् श्री नारायण दास, लेखाकार और श्रीमती उषा रानी, कैशियर, के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। दोनों को निलम्बित किया जा चुका है और मामले पर अपराध शाखा द्वारा जांच चल रही है।

विवरण

1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान दिल्ली में नेफेड की इकाइयों/शाखाओं द्वारा वहन की गई हानि के ब्यौरे

(हानि लाख रुपये)

	शाखा/इकाई का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
	औद्योगिक इकाइयां			
1.	नेफेड द्वारा संसाधित खाद्य	(44.60)	55.14	(130.50)
2.	नेफेड शीतागार	कोई हानि नहीं	कोई हानि नहीं	कोई हानि नहीं
3.	नेफेड एग्रो सेवा केन्द्र	कोई हानि नहीं	(8.93)	(21.20)
	शाखाएं			
1.	दिल्ली शाखा	(18.29)	कोई हानि नहीं	(58.76)
2.	ग्राहक वितरण केन्द्र	(1.23)	(5.66)	(12.44)
3.	आजादपुर शाखा	(28.63)	(17.84)	(8.28)

[अनुवाद]

मुथलापोझी मत्स्यन पत्तन परियोजना

1225. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या कृषि मन्त्री 28 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार से मुथलापोझी मत्स्यन पत्तन परियोजना के संबंध में अब मृदा परीक्षण सब-सोयल इन्वेस्टीगेशन और मॉडल अध्ययन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या उनके पास इस संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता है ;

(ग) क्या सरकार को संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) जी, हां। चूंकि प्रस्तावित स्थल प्राकृतिक पत्तन नहीं है इसलिए राज्य सरकार से प्रस्तावित कणन जल की सिधाई की तकनीकी समुचितता सुनिश्चित करने के लिए सब-सॉयल इन्वेस्टीगेशन तथा मॉडल अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) वह संशोधित परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय युद्धबंदी

1226. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की जेलों में अभी तक कितने भारतीय युद्धबंदी है;

(ख) क्या यह सच है कि चौवन सेना अफसर तथा कर्मी जो 1965 तथा 1971 के युद्धों में बंदी बनाए गए थे, वे पाकिस्तान की कई जेलों में अभी भी पड़े हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इनमें से कुछ जेलों में मर गए हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या इनमें से कुछ अमानवीय यातना दिए जाने के कारण पागल हो गए हैं ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ज) उनके जल्द से जल्द छोड़े जाने तथा भारत में प्रत्यावर्तन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेशी मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1965 और 1971 के युद्धों से लापता 54 भारतीय रक्षा कार्मिकों के बारे में यह विश्वास है कि वे पाकिस्तान की अभिरक्षा में हैं। दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान बराबर यह कहता रहा है कि ऐसा कोई कार्मिक उसकी अभिरक्षा में नहीं है।

(घ) से (छ) पाकिस्तान भारतीय युद्धबंदियों के अपने जेलों में होने की बात नहीं मानता है और उनके कुशलक्षेम के विषय में सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ज) पाकिस्तान की जेलों में बन्द सभी भारतीय बन्दियों जिनमें युद्धबन्दी भी शामिल हैं, की शीघ्र रिहाई और उनके प्रत्यावर्तन का प्रश्न पाकिस्तान की सरकार के साथ बार-बार उठाया जाता रहा है। ये प्रयत्न जारी हैं।

यह खेद की बात है कि भारतीय पक्ष की ओर से कई वर्षों से इस मानवीय मसले को हल करने के कई रचनात्मक प्रस्तावों का पाकिस्तान ने अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। पाकिस्तान को अभी तक इस लम्बे समय से चल रहे मामले का पारस्परिक समाधान खोजने के लिए भारत के साथ दिल्ली में अगस्त 1992 में तकनीकी स्तर के विचार-विमर्शों के लिए विदेश सचिव स्तर के छठे दौर में किए गए विशिष्ट वचनों को पूरा करना है।

कालीकट बाईपास चरण-I

1227. श्री के. मुरलीधरन : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संशोधित प्राक्कलन को मंजूरी न मिलने के कारण पान्थीरनकाबू से रामनात्तुकरण तक चरण-एक में 20.870 कि.मी. से 28.124 कि.मी. तक के कालीकट बाईपास के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित प्राक्कलन को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख) राज्य सरकार से स्पष्टीकरण के पश्चात् संशोधित प्राक्कलन 6.3.96 को प्राप्त हुआ है और इसकी जांच की जा रही है।

(ग) इस स्तर पर इसके पूरा होने की संभावित तारीख अभी नहीं बतायी जा सकती।

मदर डेयरी द्वारा वाहनों को किराये पर लिया जाना

1228. श्री मृत्युजन्य नायक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी की फल और सब्जी इकाई निजी वाहनों को किराये पर ले रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका मानक (आधार) क्या है;

(ग) क्या सरकार को निजी वाहनों को किराये पर लेने के लिए मदर डेयरी द्वारा ठेके देने में हो रही अनियमितताओं की जानकारी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) निजी वाहनों को किराए पर लेने के लिए राष्ट्रपति डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कुछ निश्चित निबंधन और शर्तों का अनुसरण किया जा रहा है, जिसमें वाहन विनिर्देश, वाहक द्वारा बैंक-गारंटी तथा दुर्घटना की स्थिति में और उसके कारण फल और सब्जी इकाई की वस्तुओं को हुए नुकसान के बदले सामान की लागत की वास्तविक वसूली इत्यादि शामिल हैं।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

वन भूमि में फलों के वृक्ष लगाना

1229. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजनावधि के दौरान वन भूमि क्षेत्र में फलों के वृक्ष लगाने संबंधी कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन राज्यों में इस योजना को क्रियान्वित किया गया है;

(घ) राज्यवार कितनी क्षेत्रफल भूमि में इस प्रकार का वृक्षारोपण किया गया है; और

(ङ) इस मद पर राज्यवार कितनी धनराशि का व्यय किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) जी नहीं, तथापि फलदार वृक्षों का रोपण वन भूमि पर किया जा सकता है, अगर प्रजातियां देशी हों और वन क्षेत्र के लिए समस्त वनीकरण कार्यक्रम का एक भाग हो।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

चावल की खेती

1230. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कई राज्यों में चावल की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में क्रमिक कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चावल की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि के लिए सरकार क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) अधिकतर राज्यों में गत तीन वर्षों में चावल की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आई है सिवाय आन्ध्र प्रदेश और केरल में मार्जिनल कमी के गत चार वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश और केरल में चावल की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र निम्नानुसार रहा :-

(लाख हैक्टेयर)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
आन्ध्रप्रदेश	39.36	36.04	35.47	35.13
केरल	5.41	5.38	5.08	5.01

इन राज्यों में चावल की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण चावल के क्षेत्र का वाणिज्यिक फसलों में परिवर्तन किया जाना है।

(ग) सरकार की नीति चावल के उत्पादन में वृद्धि मुख्यत: फसल की प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाकर करने की है बजाए इसके कि इसकी खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार किया जाए।

ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गठित समितियां

1231. श्री राम नाईक : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए दिलीप सिंह भूरिया, संसद, सदस्य और डी.आर. मेहता, अध्यक्ष, 'सेबी' की अध्यक्षता में बनाई दो समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को ये सिफारिशें किस किस तारीख को प्राप्त हुई ;

(ग) इन सिफारिशों की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उपरोक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजी भाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) जी दिलीप .सिंह भूरिया सांसद की अध्यक्षता में चयनित सांसदों/विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1995 में प्रस्तुत कर दी थी और रिजर्व बैंक द्वारा गठित सेबी के अध्यक्ष श्री डी. आर. मेहता की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 1994 में प्रस्तुत कर दी थी।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :-

I श्री दिलीप सिंह भूरिया सांसद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें :-

(1) संसद द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कानूनों को पारित करते समय संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को मुख्य रूप से शामिल करते समय जनजातीय समाज और जनजातीय क्षेत्रों की कुछेक विशिष्टताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। विशेषतया प्रचलित कानूनों, स्थानीय संस्थाओं, परम्परागत आदतों सामुदायिक विशिष्टताओं, उनके रहन-सहन के तरीके, संगठन सांस्कृतिक रीति रिवाज आदि और उनके वर्तमान शोषण की संभावनाओं, अधिकारहीन होने सीमाओं आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(2) जनजातीय समुदाय के बारे में ध्यान रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजातीय समुदाय के शोषण को रोकने में उन्हें सशक्त बनाने हेतु उनके राजनीतिक, विधिक प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि जनजातीय लोगों में भूमि बेदखली, स्थान परिवर्तन, वनों की कटाई, पारिस्थितिक अवनति, ऋण ग्रस्तता, उत्पाद नीति आदि से संबंधित समस्याओं से निपटा जा सके।

(3) संविधान के भाग 9 में परिकल्पना की गई है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पर सभा के साथ जिले स्तर, मध्य-स्तर व ग्राम-स्तर की पंचायत प्रणाली होगी। तथापि समिति के विचार-विमर्श से उभर कर सामने आये तथ्य जिनकी समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। मध्य भारत के वृहत्त जनजातीय क्षेत्र जिसमें अनुसूचित क्षेत्र आते हैं नौवीं अनुसूची की पंचायती अनुसूची के ढांचे के भीतर उसी अनुसूची के अनुरूप पंचायती ढांचे में महत्वपूर्ण विचल की बात है। छठी अनुसूची स्वायत्ता देने के बारे में स्वनिर्णय लेने के मुख्य चार्टर के रूप में आदर्श प्रपत्र है जबकि पांचवी अनुसूची में अन्य आवश्यक विधानों के नियमन अथवा बनाने की बात है। समसमिति ने छठी अनुसूची में दिए अनुसार मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्र में जातीय भावनाओं को संतुष्ट करने और स्वप्रबंध की अवधारणा को अपनाने के लिए स्वायत्त जिला परिषद की सिफारिश की है। छठी अनुसूची जिला परिषदों को कार्यकार, विकासात्मक और वित्तीय जिम्मेदारियों के अलावा विधि बनाने और न्याय के प्रशासन की शक्तियां प्रदान करती है। समिति ने सिफारिश की है कि इस प्रारूप को पांचवें अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में लागू किया जाए लेकिन संविधान की ग्याहरवीं अनुसूची में पंचायतों के सभी विषयों को इसमें शामिल किया जाए।

(4) संविधान के भाग 9 में तीन स्तरीय प्रतिनिध जनतंत्र व्यवस्था राज्यों को पंचायतों के विभिन्न स्तरों को शक्तियों और प्राधिकारियों की सुपुर्दगी की बात करता है। जबकि समिति की रिपोर्ट में विशेषतया जनजातीय समुदायों की भूमि की बेदखली, स्थान परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध जंगलों के निस्तार अधिकार, न्याय व्यवस्था मंदिर बनाना और उसकी बिक्री आदि पर नियंत्रण को समस्याओं के बारे में पंचायतों को आवश्यक रूप से शक्तियों और प्राधिकारों की सुपुर्दगी की सिफारिश की गई है।

(5) समिति की दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश ग्राम सभा के बारे में है। भारत की अधिकांश जनजातियों की पहचान समानता की भावना वाले समुदाय के रूप में की जाती है। उनके विशिष्ट परम्परागत ढांचे और रीति रिवाजों का जनजातीय क्षेत्रों में जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर विचार करने के समय ध्यान रखा जाना चाहिए। उबड़-खाबड़ और पर्वतीय क्षेत्रों जिसमें गांव की जनसंख्या बिखरी हुई रहती है जिन्हें छोटी बसावटें कह सकते हैं। एक ग्राम सभा में ऐसी सभी बसावटें आती हैं। समिति यह भली प्रकार जानती है कि ऐसे जनजातीय समुदायों में परम्परागत ग्राम सभा को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। समिति ने अपनी सिफारिशों में जोर दिया है कि ग्राम सभा वही होनी चाहिए जो सजीव और संचलनात्मक हो।

(6) उनकी मजबूत सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व जनतंत्र को पंचायती राज ढांचे में प्रमुखता दी जानी चाहिए। ग्राम सभाओं के उत्तरदायित्व तथा शक्तियां और कार्यों को देने के लिए समिति ने विस्तृत सुझाव तैयार किए हैं। संविधा (73 वां संशोधन) अधिनियम ने ग्राम सभाओं की शक्तियां और कार्यों को प्रदान करने का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया है। वे अपने आप संविधान से क्रियान्वित नहीं हो सकते। ग्राम सभाओं

को शक्तियां, कार्यों तथा प्राधिकार दिए जाने के मामले में समिति की सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं।

(7) समिति का यह मत है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को अपनी स्पष्ट परम्परागत भूमिका विशेषकर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध सहित निर्धारित विभिन्न पारंपरिक कार्यों के संचलन की अनुमति दी जानी चाहिए। रिपोर्ट में बल दिया है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों तक जनजाति लोगों की पहुंच हो और उनका उपयोग करने के लिए उन्हें समुचित रूप से शक्तियां दी जाएं।

(8) इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा में एक परम्परागत ग्राम परिषद भी होनी चाहिए जो धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, आर्थिक-न्यायिक आदि जैसे विभिन्न कार्यों को निष्पादित करें। इन्हें कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी भूमिका को वर्तमान ढांचे के अनुरूप बनाया जाए। ऐसी निकाय न होने पर संवैधानिक ग्राम सभा के सृजन से अन्य कार्यों और विकास कार्यों को शुरु करने के लिए कार्यकारी ग्राम परिषद सृजित की जाए।

(9) समिति की कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों वाली अनुसूचित जनजातियों की पंचायतों के तीन स्तरों में प्रतिनिधित्व के बारे में हैं और इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद अनुसूचित जनजातियों के होने चाहिएं। इसके अतिरिक्त, अन्त:स्थ: और जिला स्तर पर केवल अनुसूचित जनजाति के सांसद पंचायतों के साथ सहयोजित होने चाहिएं।

(10) स्थानों के गठन के अलावा अल्पसंख्यक जनजाति समुदायों के लिए जिला परिषद मे नांमाकन हेतु सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं होनी चाहिए जो चुनाव प्रक्रिया की मार्फत स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

(11) पंचायत के भंग करने के लिए प्राधिकारी राज्यपाल होना चाहिए।

(12) निधियों के विचलन और दुरूपयोग को रोकने के लिए सभी जनजाति उप योजना की निधियों चाहे वे राज्य योजना अथवा विशेष केन्द्रीय सहायता अथवा किसी अन्य से संबंधित हो, को निर्धारित किया जाना चाहिए और इसे संबंधित सरकारी बजट की प्रभारित श्रेणी में रखा जाए। इसके अतिरिक्त, इन निधियों को पंचायतों और ऊपर विकास आयुक्तों के अधिकार में रखा जाना चाहिए और ऊपर विकास आयुक्तों को निधियों के प्रत्यक्ष आबंटन के लिए प्रक्रियाओं को बनाया जाना चाहिए।

सिफारिशें अभी तक विचाराधीन हैं।

II. श्री डी.आर. मेहता, अध्यक्ष 'सेबी' की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं ।

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की बेहतर भागीदारी।
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का चयन उनके कौशल, क्षमता और परिसम्पत्तियों को संभालने के अनुभव के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्य लोगों को अन्य संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा ट्राइसेम के अन्तर्गत उनकी कुशलता के अर्जन अथवा विकास की शर्त के आधार पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी सहायता दी जा सकती है।
3. वर्तमान कार्य से पूर्व सब्सिडी की प्रणाली को कार्योत्तर सब्सिडी के रूप में बदलना।
4. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों की बेहतर अदायगी के लिए उपाय।
5. वास्तविक पुर्नअदायगी अनुसूचियों तथा प्रतिभूति मुक्त सीमाओं को बढ़ाना।
6. अपेक्षित कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना।
7. ढांचों की बेहतर आयोजना और विकास पर बल देना।
8. अधिक ऋण और उच्चतर सब्सिडी मुहैया कराकर प्रति परिवार सहायता के स्तर को बढ़ाना।
9. समूह गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

समिति की सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए 22.12.1995 को केन्द्रीय मंत्री मंडल ने नीति निर्णयों को अनुमोदित किया था। इस संबंध में 1.1.96 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का समुचित हिदायतें जारी कर दी गई थीं ताकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को गरीबी उपशमन का और अधिक उपयोगी साधन बनाया जा सके। सिफारिशों के संबंध में नीति निर्णयों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हिदायतें पहले ही जारी कर दी गई थीं।

गुजरात में उर्वरक संयंत्र

1232. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के संबंध में कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार एवं स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजना संबंधी प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) निर्धारित मंजूरी प्रक्रिया जो उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू है के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए गुजरात राज्य से संबंधित निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

क्रमांक	कम्पनी	परियोजना के ब्यौरे
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	- 212.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 2.11 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष फास्फेटिक पोषक की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए काण्डला में फास्फेटिक संयंत्र का विस्तार।
2.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको)	- 637.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 3.0 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष एनपी (20:20) तथा 2.85 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष सीएएन (25 प्रतिशत एन) का उत्पादन करने के लिए हजीरा में नाइट्रोफास्फेट संयंत्र स्थापित करना।
3.	कृषक भारतीय कोआपरेटिव लि. (कृभको)	- 979 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 7.26 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष यूरिया के उत्पादन के लिए हजीरा में तीसरे अमोनिया-यूरिया स्ट्रीम को स्थापित करना।

इन परियोजनाओं के संबंध में अन्तिम निर्णय की इस स्तर पर प्रत्याशा नहीं की जा सकती है।

विदेशी दलों का भारत का दौरा

1233. डा. वसंत पवार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान किसी विदेशी औद्योगिक दल ने विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने में रूचि दर्शाते हुए भारत का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी दलों के क्या नाम हैं तथा विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए कौन-कौन से प्रस्तावित स्थान निर्दिष्ट किए गए हैं ;

(ग) क्या इन दलों ने जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने में कोई रूचि दिखलाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ) विद्युत के उत्पादन और वितरण में क्षमता अभिवृद्धि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों की कमी के मद्देनजर, निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1992 में एक नीति तैयार की गई थी। इस नीति के प्रति घरेलू और विदेशी संप्रवर्तकों (अनिवासी भारतीयों समेत) की प्रतिक्रिया अति उत्साहवर्द्धक रही है। विदेशी निवेशक, विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना करने के संभावनाओं का पता लगाने और अपने प्रस्तावों पर कार्रवाई करवाने हेतु समय-समय पर भारत का दौरा करते रहे हैं।

अब तक 30,875 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि हेतु विदेशी निवेशकों से 48 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1,36,256.380 करोड़ रुपये की निवेश आएगा। इन प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रकट की गई रूचियों का अनंतिम ब्यौरा 6.3.96 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विदेशी/ भारतीय	क्षमता (मे.वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कंपनी का नाम
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	गोदावरी	विदेशी/ भारतीय जेवी	208 मे.वा.	748.430	पेक्ट्रम टेक. यूएसए/जया फूड्स और एनटीपीसी
2.	जेरुपाड जीबीपीपी	विदेशी/ भारतीय-जेवी	216 मे.वा.	827.000	जीवीके इंडस्ट्रीज लि., यूएसए
3.	कृष्णापटनम् 'बी' टीपीएस	विदेशी	500 मे.वा.	1750.000	बेसीक्रोप इंटर पावर

1	2	3	4	5	6
4.	विशाखापटनम टीपीएस	विदेशी/ भारतीय-जेवी	2×500 मे.वा.	4797.000	मै. हिंदुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लिमिटेड
	जोड़ : 4			1924.00	8122.430
अरूणाचल प्रदेश					
5.	कामेंग एचईपी	विदेशी/ भारतीय-जेवी	600 मे.वा.	1800.000	इंटरकोर्प. इंडस्ट्रीज लि./स्नोवी माउन्टेन इंजीनियरिंग लि.
6.	खारसांग जीबीपीपी	विदेशी/ भारतीय जेवी	48 मे.वा.	223.000	इंटर कोप./ स्नोवी माउन्टेन इंजीनियरिंग आस्ट्रेलिया
	जोड़ : 2		648.00	2023.000	
असम					
7.	अमगड़ी जीबीपीपी	विदेशी	266 मे.वा.	1042.800	असम पावर पार्टनर्स
	जोड़ : 1		266.00	1042.800	
बिहार					
8.	जोजोबेड़ा	विदेशी/ भारतीय-जेवी	3×67.5 मे.वा.	1240.000	टाटा स्टील/ निशन एनर्जी, यूएसए
	जोड़ : 1		202.50	1240.00	
गुजरात					
9.	पगथान जीबीपीपी	विदेशी/ भारतीय-जेवी	655 मे.वा.	2298.140	गुजरात टोरेंट एनर्जी कारपोरेशन लि./सीमन्स, जर्मन
	जोड़ : 1		655.00	2298.140	
हिमाचल प्रदेश					
10.	धामवारी एचईपी	विदेशी	70 मे.वा.	463.080	हर्जा इंजीनियरिंग कंपनी, यूएसए
11.	हिब्रा एचईपी	विदेशी	231 मे.वा.	1020.000	हर्जा इंजीनियरिंग कंपनी, यूएसए
	जोड़ : 2		301.00	1483.080	
हरियाणा					
12.	यमुना नगर टीपीएस	विदेशी	2×350 मे.वा.	3500.000	आईजनब ग्रुप ऑफ कंपनी, इजरायल
	जोड़ : 1		700.00	3500.000	

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक					
13.	अलमट्टी एन. धनमावल	विदेशी	600 मे.वा.	1900.00	मै. चामुंदी पावर कंपनी लिमिटेड
14.	अंकोला कोमटा	विदेशी	2×250 मे.वा.	2240.000	डेकन पावर कारपो-रेशन लिमिटेड
15.	बेलेरी हॉरपेट	विदेशी/ भारतीय	2×130 मे.वा.	1082.000	जिंदल/ट्रैक्टबेल पावर कंपनी लि.
16.	हरंगी एलबीसी एचईपी	विदेशी	4.5 मे.वा.	15.750	नॉर्थ ईस्ट एनर्जी सर्विसिस, यूएसए
17.	मंगलौर टीपीएस	विदेशी	4×250 मे.वा.	3.650	कोर्जेट्रिक्स इंक यूएसए
18.	नंजनगुडा	विदेशी	100 मे.वा.	356.100	इन्डिपेंडेंट पावर सर्विस कंपनी, यूएसए
	जोड़ : 6		2464.50	5597.500	
केरल					
19.	विपीन	विदेशी	2×600 मे.वा.	2866.000	सियासिन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
20.	वैस्टर्न कल्लार एचईपी	भारतीय/ विदेशी-जेवी	5 मे.वा.	14.240	आयडियल प्रोजेक्ट एंड सर्विसिस (प्रा.) लि. एंड मैं. केनेडियन हाइड्रोडवलपमेंट
	जोड़ : 2		1205.00	2880.240	
मध्य प्रदेश					
21.	वीरसिंहपुर टीपीएस	विदेशी	500 मे.वा.	2000.000	हॉस्टन इन्ड एनर्जी इंडिया इंक, गुजरात, अंबुजा सीमेंट लि.
22.	ग्वालियर (डीजल) पीपी	विदेशी	120.00 मे.वा.	420.000	वर्तसिला डीजल फिनलैंड
23.	कोरबा ईस्ट टीपीएस	विदेशी	2×500 मे.वा.	4630.000	डिबू कोरपोरेशन साउथ कोरिया
24.	महेश्वर एचईपी	विदेशी/ भारतीय-जेवी	10×40 मे.वा.	1073.000	मै.एस.कुमार्स/ बचटेल,यूएसए
25.	पेंच टीपीएस	विदेशी	500 मे.वा.	2500.000	सोरस एंड मेनेजमेंट, यूएसए
	जोड़ : 5		2520.00	10623.000	

महाराष्ट्र					
26.	भद्रावती टीपीएस चरण-1 व 2	विदेशी	2×536 मे.वा.	5187.000	इस्पात एलॉस लि./ईसीजीडी, यूके/ईडीएफ, फ्रांस
27.	डभोल सीसीजीटी (एलएनजी)	विदेशी	695 मे.वा.	9051.270	ऐनरॉन डेवेलपमेंट कोरपोरेशन, जी ई एंड बचटेल यूएसए
28.	खापरखेड़ा टीपीएस यू-5 एंड 6	विदेशी	2×210 मे.वा.	1353.000	अरंको लाइन सिपिंग कंपनी, माल्टा/सिंगापुर
	जोड़ : 3		21.8700	15591.270	
उड़ीसा					
29.	बोमेलाई टीपीएस	विदेशी	500 मे.वा.	2361.800	गेलेक्सी पावर कंपनी, यूएसए एंड इंडेटक ऑफ शिकागो
30.	डूबरी टीपीएस	विदेशी/ भारतीय जेवी	2×250 मे.वा.	2363.000	कालिंगा पावर कारपोरेशन (एनई पावर, यूएसए)
31.	हिरमा-टीपीएस एस.टी.-I	विदेशी	8×660 मे.वा.	14033.000	मै.सीईपीए, हांगकांग
32.	ईब नेवली टीपीएस यूनिट 3 एंड 4	विदेशी	420 मे.वा.	1993.630	ईब नेवली कारपोरेशन
33.	कमलांगपा टीपीएस	विदेशी	2×250 मे.वा.	2400.000	एल एंड टी विद सीईए, यूएसए
34.	लापंगा टीपीएस	विदेशी	500 मे.वा.	2264.000	समलाई पावर (लापंगा) कं.लि.
35.	मेसको	विदेशी	240 मे.वा.	840.000	मै.इन्डेक एनर्जी सर्विसिस प्रा. यूएसए
	जोड़ : 7		2712.00	26255.430	
तमिलनाडु					
36.	जायमकोण्डम लिग्नाइट पीपी	विदेशी	3×500 मे.वा.	4679.000	मेकेनली भारत इंजीनियरिंग कं. लि. एंड टिडको जेवी

1	2	3	4	5	6
37.	नॉर्थ मद्रास टीपीपी-3	विदेशी	500 मे.वा.	2400.000	मै. त्रि-शक्ति एनर्जी प्रा.लि. मद्रास
38.	पिलै पेरू मलनाल्लूर	विदेशी/ भारतीयजेवी	1×320 मे.वा.	1121.400	देना विजन ऑफ रेडी ग्रुप/जे मकारकी, यूएसए
39.	वेम्बर टीपीपी	भारतीय	2000 मे.वा.	7000.000	मैं. इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स लि. मद्रास
40.	जीरी यूनिट (एनएलसी)	विदेशी	250 मे.वा.	1200.000	एसटी पावर सिस्टम इंक यूएसए
	जोड़ : 5		4570.00	16400.400	
उत्तर प्रदेश					
41.	जवाहरपुर टीपीएस	विदेशी	800 मे.वा.	2896.000	पेसिफिक इलेक्ट्रिक पावर डीईवी. कारपोरेशन कनाडा
42.	रोसा टीपीएस	विदेशी/ भारतीयजेवी	2×250+1×250 मे.वा.	2587.470	इंडो-गल्फ फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल इंडिया एंड पावर जेनरेशन पीएलसी, यूके
	जोड़ : 2			1550.00	5483.470
पश्चिम बंगाल					
43.	बकरेश्वर टीपीसी (4 एंड 5)	विदेशी/ भारतीय-जेवी	2×210 मे.वा.	1860.000	डीसीएल कुलजियान कोरपोरेशन सीएमएस, जेनेरेशन, यूएसए एंड डब्ल्यू बीपीडीसीएल
44.	बालागढ़ टीपीएस	विदेशी/ भारतीय-जेवी	2×250 मे.वा.	2065.000	बालागढ़ पावर कं.लि. (सीईएससी/ एडीबी/टीएफसी)
45.	गौरीपुर टीपीएस	विदेशी/ भारतीय-जेवी	2X75 मे.वा.	680.620	गौरीपुर पावर कारपोरेशन लि. कलकत्ता
46.	सागरदीघी टीपीएस	विदेशी/ भारतीय-जेवी	2×500 मे.वा.	4960.000	डीसीएल कुलजियाम कारपोरेशन, सीएमएस जेरेनेरशन, यूएसए एंड डब्ल्यू बीपीडीसीएल
	जोड़ : 4		2070.00	9565.620	

1	2	3	4	5	6
47.	ग्रुप आफ पावर विदेशी प्रोजेक्ट		6700 मे.वा.	23450.000	कंसोलीडेटिड इलेक्ट्रिक पावर एशिया लि. हांगकांग
	जोड़ : 1		6700.00	23450.000	
48.	एनर्जीइफिसिएंसी सेंटर	विदेशी/ भारतीय-जेवी	200 मे.वा.	700.000	*मै.जेएमसी डेवलपमेंट, यूएसए/अपोलो हॉस्पिटल्स
	जोड़ 1		200.00	700.000	
	कुल जोड़ 48		30875.00	136256.380	

* जहां कहीं भी राज्य/संप्रवर्तकों द्वारा अनंतिम लागत अनुमान नहीं दिए गए हैं। 3.5 करोड़ रुपये मे.वा. को पूंजीगत लागत के रूप में माना गया है।

छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता

1234. श्री तारा सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आठवीं योजना के दौरान आज तक हरियाणा को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है ;

(ख) इससे कितने किसानों को लाभ पहुंचा है ; और

(ग) इस राज्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग) 1992-93 से 1995-96 के दौरान कृषि विकास हेतु मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए हरियाणा को 49.52 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। योजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

योजनाओं से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या की गणना करना सम्भव नहीं है। वार्षिक योजना 1996-97 के लिए हरियाणा सहित राज्यवार निधियों के आबंटन को विभाग द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

हरियाणा में कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1992-93 से 1995-96 तक (अब तक) निर्मुक्त सहायता
1	2	3
1.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	389.34*
2.	बाढ़ प्रवण नदियों के जलाग्रहण क्षेत्र में समेकित पनधारा प्रबंध	295.00
3.	क्षारीय मृदा का सुधार	617.00
4.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	438.31
5.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	174.56
6.	उष्ण कटिबंधीय शुष्क और शीतोष्ण फलों का विकास	156.20
7.	मसाला विकास	85.41
8.	कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग	233.06
9.	गेहूं आधारित फसल पद्धति क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	2,067.98
10.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	272.52
11.	गन्ना आधारित फसल पद्धति का सतत् विकास	70.00
12.	चावल आधारित फसल पद्धति क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	152.95
	कुल	4,952.33

* इसमें सातवीं योजना का अव्ययित बकाया शामिल है।

डी.पी.ई.ए. के अन्तर्गत नोटिस

1235. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.पी.ई.ए. के अन्तर्गत कोई नोटिस जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कंपनियों को ये नोटिस जारी किए गए हैं और इनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) देय राशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति द्वारा देयता की मात्रा की जांच की जा रही है।

दिल्ली की सड़कें

1236. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने राजधानी में सड़कों के संबंध में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या देश में राजधानी की सड़कें सर्वाधिक जोखिमपूर्ण हैं और जानलेवा दुर्घटनाओं और वाहनों के खराब होने के लिए जिम्मेदार हैं; और

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली में सड़कों की हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) संवैधानिक रूप से केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के लिए जिम्मेदार है जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। तथापि यह सूचना मिली है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने राजधानी में सड़कों की स्थिति के संबंध में एक अध्ययन किया है। प्रस्तुत रिपोर्ट पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) भारत के सभी महानगरों में से दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के कारण मृतकों की संख्या सर्वाधिक है। तथापि, केवल सड़कें ही मृत्यु और वाहनों की खराबी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सड़कों का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य उपलब्ध निधियों के अंतर्गत किया जाता है।

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए कार्ययोजना

1237. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु बनायी गई कार्ययोजना के संबंध में वित्तीय प्रावधान तथा वित्त उपलब्ध कराने में केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी के संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कार्य योजना की अवधि 29 फरवरी, 1996 से आगे बढ़ाये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो भोपाल गैस पीड़ितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से संबंधित कितने मामले इस समय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़े हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) कार्रवाई योजना पर कुल व्यय का तीन-चौथाई केन्द्रीय सरकार द्वारा और शेष मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। कार्रवाई योजना का वित्तीय उपबन्ध निम्न प्रकार है :-

		(रुपये लाख में)
1.	चिकित्सा पुनर्वास	7702.91
2.	आर्थिक पुनर्वास	1398.75
3.	सामाजिक पुनर्वास	3771.88
4.	पर्यावरण पुनर्वास	2194.93
5.	विविध पुनर्वास	1241.53

(ख) जी, हां।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या 13 है।

गंगा नदी का हल्दिया-इलाहाबाद के बीच का क्षेत्र

1238. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया-इलाहाबाद क्षेत्र के बीच बह रही गंगा नदी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (इलाहाबाद-हल्दिया) एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। हल्दिया से सागर खंड को पहले ही इस राष्ट्रीय जलमार्ग में शामिल कर लिया गया है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं : "त्रिवेणी में गंगा और यमुना नदियों के संगम से धारा के प्रतिकूल 2 कि.मी. पर इलाहाबाद में गंगा नदी पर सड़क पुल से हुगली नदी के ज्वार-जल पर अंतर्देशीय जलमार्ग की सीमा तक . . . . . "। अंतर्देशीय जलमार्ग सीमा से आगे हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चुंगी

1239. श्री एन.जे. राठवा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे सेतुओं की संख्या कितनी है; जिन पर चुंगी वसूल की जा रही है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कुल कितनी चुंगी वसूल की गई ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) 3 (तीन)

(ख) पिछले तीन वर्षों में गुजरात राज्य में पुलों पर चुंगी की वसूली

से अर्जित कुल राजस्व इस प्रकार है : -

(लाख रुपये)

वर्ष	कुल राजस्व
1992-93	356.48
1993-94	496.27
1994-95	513.13

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बल्क औषधियों का उत्पादन

1240. **श्री ए.इन्द्रकरन रेड्डी** : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्क औषधियों के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि अनुमानित वृद्धि के आंकड़ों की तुलना में कम हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बल्क औषधियों के उत्पादन की निगरानी उत्पाद-वार आधार पर की जा रही है और उत्पादन का रिकार्ड रखा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) कुल मिलाकर 1990-91 से 1994-95 के दौरान प्रपुंज औषधों का उत्पादन आठवीं योजना कार्यदल द्वारा परिकल्पित लक्षित वृद्धि से अधिक था। फिर भी, अलग-अलग औषधों के मामले में आठवीं योजना कार्यदल द्वारा की गई परिकल्पना के अनुसार वृद्धि का मिश्रित रूख कम या अधिक पाया गया है।

(ग) और (घ) संगठित सेक्टर में चुनिंदा प्रपुंज औषधों का उत्पादन उत्पादवार विभाग द्वारा मानीटर किया जाता है और उसके ब्यौरे विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रोकार्बन ईंधन

1241. **श्री राम कापसे** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्पादन के लिए हाईड्रोकार्बन ईंधन के उपयोग के लिए व्यापक नीति तैयार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 6 नवम्बर, 1995 के संकल्प/अधिसूचना के जरिए विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए हाइड्रोकार्बन ईंधनों जैसे नापथा, निम्न सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस), भारी फर्नेस तेल (एचएफओ), फर्नेस तेल (एफओ), को प्रमुख ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने को अनुमति प्रदान कर दी है।

बकरेश्वर विद्युत परियोजना

1242. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विद्युत मंत्री ने निविदा आकलन समिति द्वारा बकरेश्वर विद्युत परियोजना का ठेका 'भेल-ईटोच' को संयुक्त रूप से देने की सिफारिश सम्बन्धी निर्णय का अनुसमर्थन करने हेतु उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा इस ठेके के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) के निर्णय पर लगायी गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बकरेश्वर परियोजना पर उनके मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से किस प्रकार विचार करके इसकी स्वीकृति दी गई है जिससे डब्ल्यूबीपीडीसीएल 210 मेगावाट के तीन एककों के क्रयादेश मार्च तक जारी कर सके तथा इस पर कार्य जून, 1996 तक शुरु किया जा सके ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम (डब्ल्यू पीडीसीएल) ने मुख्य संयंत्र टर्न-की पैकेज यूनिट-। तथा 2(2×210 मे.वा.) की आपूर्ति करने, चालू करने और उत्थापन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन करते समय निविदा दस्तावेजों की संविदा सम्बन्धी सामान्य शर्तों में निर्धारित बोली मूल्यांकन प्रक्रिया का पूर्णत: पालन नहीं किया है।

(ग) विद्युत मंत्रालय इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार तथा डब्ल्यूबीपीडीसीएल के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा आपत्तिजनक पुस्तकों और ग्लोबों की बिक्री

1243. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में आयोजित 'विश्व पुस्तक मेले' में पाकिस्तान द्वारा बड़ी संख्या में आपत्तिजनक पुस्तकें और ग्लोब बिक्री हेतु लाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को अपना विरोध जताया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) बारहवें विश्व पुस्तक मेले के दौरान, एक पाकिस्तानी पुस्तक विक्रेता द्वारा भेजी गई कुछ पुस्तकें आपत्तिजनक पाई गई थीं और खेप प्रदर्शन के लिए सौंपे जाने से पूर्व ही नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा अपने अधिकार में रख ली गई थीं। कोई भी पाकिस्तानी पुस्तक विक्रेता कोई ग्लोब नहीं लाया था। चूंकि यह कृत्य निजी पुस्तक विक्रेता से संबंधित है, इसलिए अधिकारिक स्तर पर कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया।

[अनुवाद]

राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1244. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र पर्याप्त संख्या में स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना मूलत: राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। बहरहाल सरकार ने देश के विभिन्न भागों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने में सहायता देने हेतु अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ संलग्न विवरण में उल्लिखित उपाय शामिल हैं। किये गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप उदारीकरण से लेकर दिसम्बर, 1995 तक राजस्थान राज्य में 47563 लोगों को रोजगार देने वाले और 3448 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश वाले 318 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। इस अवधि के दौरान 301 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश वाले और 16503 लोगों को रोजगार देने वाले 12 अनुमोदनों को भी मंजूर किया गया।

(ग) और (घ) वर्ष 1993-94 के दौरान राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए हमारी योजना स्कीमों के तहत 5.21 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। आमतौर पर खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत तथा सिफारिश किए होते हैं और उन पर राज्य सरकार तेजी से कार्रवाई करती है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के ब्यौरे

1. अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला घोषित करना।
2. अल्कोहलयुक्त पेयों के किण्वन तथा आसवन और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना।
3. घरेलू/विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेश को प्रोत्साहन।
4. अनेक खाद्य उत्पादों में उत्पाद शुल्कों में कमी अथवा उनके उन्मूलन द्वारा राजकोषीय राहतें देना।
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पाद तथा सीमा-शुल्क में शुल्क राहतें देना।
6. योजना स्कीमों द्वारा राज्य सरकारों द्वारा पता लगाई गई नोडल एजेंसियों को सहायता देना तथा राज्य सरकारों से नेटवर्क बनाना।
7. बैकवर्ड लिंकेज की संकल्पना का प्रचार।
8. फसलोत्तर बुनियादी सुविधा, कोल्ड चेन इत्यादि के उन्नयन के लिए सहायता देना।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम विकास के लिए प्रौद्योगिकी के प्रचार हेतु खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता देना। अब तक ऐसे 179 केन्द्रों को सहायता दी जा चुकी है।
10. सर्वव्यापी योजनाबद्ध विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पूरक के रूप में देखे जाते हैं। व्यक्तिगत प्रयास तथा निजी पहल पर उत्तरोत्तर जोर दिया जा रहा है।
11. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें चलाना।

सिसलडी-रिखनी खाल मार्ग को पक्का बनाने का कार्य

1245. **श्री बलराज पासी** : क्या ग्रामीण तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में सिसलडी-रिखनी खाल सड़क को पक्का बनाने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कब तक पूरे मार्ग को पक्का कर दिया जायेगा ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजीभाई पटेल) : (क) से (ग) यह मंत्रालय राज्य सड़कों के जिलेवार और ग्रामवार आंकड़े नहीं रखता है।

जैव फार्मिंग

1246. श्री नवल किशोर राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोसाइटी फॉर सिटीजन्स कंसर्न्स, नई दिल्ली (एस.एस.सी.) और इन्स्टीट्यूट ऑफ नेचुरल आर्गेनिक एग्रीकल्चर, पुणे जैसे कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जैव फार्मिंग की अवधारणा का किए जा रहे प्रबल समर्थन का सरकार भी समर्थन करती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्राकृतिक जैव कृषि संस्थान और सोसायटी फॉर सिटीजन्स कंसर्न्स सहयोग स्थापित करने और देश में कुछ स्थानों पर पायलट प्लांट यूनिटों पर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) फार्मिंग प्रणालियों की उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से तथा कृषि रसायनों की बढ़ती हुई कीमतों, पारिस्थितिकी पर उनके प्रभावों तथा मृदा एवं फसल उत्पादन पर कार्बनिक खादों के लाभप्रद प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार, निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित करके राज्य सरकारों के माध्यम से, एकीकृत पोषकों तथा कीट प्रबन्ध की अवधारणा को प्रोत्साहन दे रही है, (1) उर्वरकों का सन्तुलित एवं एकीकृत प्रयोग (2) कम खपत वाले वर्षासिंचित क्षेत्रों में उर्वरक प्रयोग का विकास (3) जैव-उर्वरकों के विकास और प्रयोग की राष्ट्रीय परियोजना (4) एकीकृत कीट प्रबन्ध क्रियान्वयन कार्यक्रम तथा (5) अलग-अलग योजनाओं के अन्तर्गत हरी खाद के बीजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देकर।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से फार्मिंग के लिए कार्बनिक एप्रोच को बढ़ावा दिया, जो इस प्रकार हैं जैसे (1) जैविकीय नाईट्रोजन फिक्सेशन (2) फसल के अवशिष्टों तथा शहर के कूड़े का माईक्रो-बायो-डिकम्पोजिशन (3) मृदा परीक्षण पर फसल अनुक्रिया (4) परियोजना निदेशालय, फसल प्रणाली अनुसंधान तथा (5) दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण।

(ग) और (घ) इन्स्टीट्यूट ऑफ नेचुरल आर्गेनिक एग्रीकल्चर, पुणे, तथा सोसाइटी फॉर सिटीजन कन्सर्न्स, नई दिल्ली वोर्मी कम्पोस्ट यूनिटों की स्थापना करने और देश में कुछ स्थानों पर प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं।

बुबाखाल से ज्वालापा देवी मंदिर तक मोटर मार्ग

1247. डा. मुमताज अंसारी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में बुबाखाल से ज्वालापा मंदिर तक के मोटर मार्ग को पक्का बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके कब तक पक्का मार्ग बना दिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। पौड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में बुबाखाल से ज्वालापा देवी तक की मोटर-सड़क उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और इसके विकास के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है।

नारियल उत्पादों का विपणन

1248. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्डों ने नारियल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अन्य वस्तु बोर्डों की तरह नारियल बोर्ड के क्रियाकलापों को कारगर बनाने हेतु कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) नारियल विकास बोर्ड विपणन संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित परियोजनायें क्रियान्वित कर रहा है:

(1) खोपरा सुखाने के आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में 10,000/- रुपये अथवा खोपरा सुखाने वाले यन्त्र की लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता देना। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभानुभोगियों के मामले में यह राशि 15,000/- अथवा लागत के 75 प्रतिशत तक हो सकती है।

(2) भण्डारण शैड, सुखाने के यार्ड भट्टा आदि के निर्माण जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सहकारी संस्थाओं, रजिस्टर्ड कृषक एसोसिएशनों आदि जैसे संगठित क्षेत्र में प्राइमरी प्रसंस्करण और विपणन संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देना। इसके लिए सहायता अनुदान के रूप में 1 लाख रुपये अथवा विकसित की गई आधारभूत संरचना की लागत के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता देना।

(3) गुणवत्ता प्राप्त नारियल उत्पादों के बारे में जनचेतना पैदा करने के लिए बोर्ड ने देश के अलग-अलग भागों में कुछ बिक्री केन्द्र खोले हैं।

(4) तकनीकोलोजी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बोर्ड नारियल प्रसंस्करण उद्योगों, सुखाये गये नारियल एककों आदि की सहायता के लिए योजनायें क्रियान्वित करता रहता है। नारियल उत्पादों पर

आधारित दस्तकारी वस्तुओं के विनिर्माण के कार्य में लगे दस्तकारों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सड़क निधि

1249. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय सड़क निधि से जारी धनराशि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वरोजगार वाले उत्पादक उद्यम

1250. श्री झेगेन्द्र झा : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिले की मलिन बस्तियों में स्वरोजगार वाले उत्पादक उद्यमों की स्थापना हेतु आधारभूत ढांचे का निर्माण किया गया है अथवा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वरोजगार वाले उत्पादक उद्यमों को तत्काल लाभकारी बनाने हेतु क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) दरभंगा जिले में स्वरोजगार कार्यों के लिए सांसद के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना तथा गहन जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण उत्पादन सह विपणन केन्द्रों को चार ब्लाकों में छः स्थानों पर निर्मित किया जा रहा है। इसी के अनुरूप, मधुबनी में सांसद के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत छः ब्लाकों में प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों की 115 इकाइयों को निर्मित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मधुबनी में समन्वित ग्रामीण विकास अवसंरचना कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान 46 ट्राइसेम प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रों को निर्मित किया गया है। ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने और उसके बाद आयोपार्जक स्वरोजगार कार्यों को शुरु करने हेतु लाभार्थियों को ऋण देने संबंधी कार्रवाई चल रही है।

मदर डेयरी दुग्ध बूथ

1251. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में मदर डेयरी में दुग्ध बूथों की मरम्मत करायी गई है ताकि वहां आईसक्रीम और अन्य दुग्ध उत्पादों की बिक्री हो सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने बूथों की मरम्मत कराई गई है, मरम्मत कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ;

(ग) क्या सभी दुग्ध बूथों की मरम्मत कराई गई थी अथवा यह कार्य चयनित आधार पर किया गया है;

(घ) क्या यह मरम्मत संबंधी कार्य विभाग द्वारा किया गया अथवा इसे ठेकेदारों द्वारा कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मरम्मत किए गए इन बूथों को आईसक्रीम और दूध की बिक्री के लिए दिनभर खुला रखने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस मरम्मत कार्य को कराने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय किया गया जबकि आईसक्रीम की बिक्री संबंधी कार्य सब्जी और फल बूथों को सौंपा जा सकता था जो कि लगभग दिनभर खुले रहते हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) 388 दूध के बूथों में फेर-बदल किया गया है ताकि उनमें और अधिक जगह निकल सके। इस फेर-बदल करने की कुल अनुमानित लागत लगभग 25 हजार रुपए प्रति बूथ है।

(ग) मदर डेयरी के सभी बूथों का इसी प्रकार जीर्णोद्धार करना तय किया गया है।

(घ) और (ङ) बूथों का जीर्णोद्धार खुली निविदाओं द्वारा तथा प्रतिस्पर्धात्मक पेशकश के आधार पर ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया है।

(च) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए मदर डेयरी दिन के समय दूध के बूथों को और अधिक समय तक खुला रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(छ) दिल्ली में फल तथा सब्जियों के बूथों की संख्या 200 है। इसके अलावा मदर डेयरी ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभिन्न सुविधाजनक स्थानों पर 460 दूध के बूथ चालू किए हैं। मदर डेयरी ने अपने सभी दूध के बूथों के साथ-साथ फल तथा सब्जी के बूथों पर आईसक्रीम बेचने का भी निर्णय लिया है।

पेयजल योजना

1252. श्री बी.श्रीनिवास प्रसाद : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर पौड़ी गढ़वाल के पादुल स्यून में पेयजल योजना ग्राम द्वारा समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/करने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय में (ग्रामीण विकास विभाग) राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जल भराव क्षेत्रों का विकास

1253. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लघु और सीमान्त किसानों के लाभार्थ जल भराव क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरु किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान विभिन्न राज्यों में कौन-कौन से क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) इन क्षेत्रों पर अब तक राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत सूक्ष्म पनधारा परियोजनाएं शुरु की गई हैं ताकि लघु और सीमान्त कृषकों सहित पनधारा समुदाय के हितों के लिए जलाक्रांत क्षेत्रों का विकास किया जा सके।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक 472.479 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

विवरण

राज्य का नाम		जिले का नाम	ब्लाक का नाम	पनधारा का नाम
उत्तर प्रदेश	1.	बाराबंकी	निन्दुरा	कल्याणी नदी
	2.	सीतापुर	सिद्धौली	कल्याणी नदी
		कासमान्दा		
		पाहाल		
	3.	लखीमपुर	धौरारा	घागरा नदी
		ईशानगर		
	4.	बहराइच	शिवपुर	गन्दौरा नाला
	5.	गोंडा	पारसपुर	ककरिया नाला
	6.	आजमगढ़	अतरौलिया	दोहिया नाला
	7.	देवरिया	हाता, सुकरौली,	कुरना नाला
		गौरी बाजार,		
			बेतालपुर	
	8.	बलिया	चिलकाहार,	सुहेलापाकरी ताल
		गरवार, पन्डा		
	9.	महराजगंज	निचलौल	छोटी गंडक
	10.	सिद्धार्थनगर	जोगिया, बासी	फचिहाट्वा नाला
	11.	जौनपुर	मछली शहर	बसूही नदी

[अनुवाद]

पत्तनों पर जहाजों की भीड़-भाड़

1254. श्री एस.एस.आर. राजेन्द्र कुमार :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कई महीनों से देश के प्रमुख पत्तनों विशेषत: मद्रास पत्तन पर जहाजों की अत्यधिक भीड़-भाड़ के कारण बड़ी संख्या में जहाजों को स्थान प्राप्त करने के लिए कई-कई सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो पत्तनों पर जहाजों की भीड़-भाड़ को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास प्रमुख पत्तनों पर सुविधाओं को बढ़ाने/विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन वार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान अनेक जलयानों के एक साथ पहुंचने के कारण मद्रास सहित कुछ पत्तनों पर भीड़-भाड़ हुई। इसके अतिरिक्त, तूफानी मौसम/चक्रवाती मौसम ने उर्वरक जैसे कार्गो की हैंडलिंग को और प्रभावित किया जिसके फलस्वरूप जलयानों के टर्न राउण्ड समय में वृद्धि हुई और बर्थ-पूर्व विलम्ब बढ़ा।

(ख) पत्तन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जलयानों के टर्न राउण्ड समय में कमी हो और बर्थ-दिवस कारोबार में सुधार हो जिससे भीड़-भाड़ कम हो, कार्गो की पोत से तट के लिए हैंडलिंग पर निरन्तर निगरानी रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ पत्तनों ने कार्गो की लदाई और उतराई के लिए न्यूनतम कार्य-निष्पादन मापदण्ड भी निर्धारित किए हैं। मद्रास पत्तन में 1.1.1996 से 'ग्रुप बर्थिंग' नामक एक नई स्कीम शुरु की गई है जिसने भीड़-भाड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ग) और (घ) जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सभी महापत्तनों में विभिन्न सुविधाओं की वृद्धि/विस्तार के लिए 2984 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित कर दिया है। कुछ बृहत् परियोजनाओं में जिनकी लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है और सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) इन्नौर में एक नए पत्तन का विकास।

(ii) पारादीप में कोयला हैंडलिंग सुविधाओं का विकास।

(iii) बम्बई पत्तन में सब-मैरिन पाइप लाइनों का बदलना।

(iv) नव मंगलूर में तेल हैंडलिंग सुविधाओं का विकास।

(v) मद्रास पत्तन में कंटेनर टर्मिनल का विस्तार।

आठवीं पंचवर्षीय योजना-स्कीमों के कार्यान्वयन से कुल पत्तन क्षमता मौजूदा 174 मिलियन टन से बढ़कर 237 मिलियन टन हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की स्कीमों से भी पत्तन क्षमताओं में वृद्धि होगी।

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

1255. **श्री काशीराम राणा :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री छेदी पासवान :
श्री महेश कनोडिया :

क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास राज्यवार कितनी ग्रामीण विकास योजनाएं/परियोजनाएं मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं ; और

(ख) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जायेगी ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजी भाई पटेल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु परीक्षण

1256. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्तियों ने भारत द्वारा मिसाइल कार्यक्रम चलाने का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी-8 ग्रुप के देशों ने भारत के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की है। जी-8 ग्रुप में चार नाभिकीय शस्त्र संपन्न देश हैं अर्थात अमरीका, यू.के., फ्रांस और रूस। सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह इस मामले में जी - 8 के मूल्यांकन से सहमत नहीं है। सरकार भारत की सुरक्षा स्थिति की बराबर समीक्षा करती है विशेषरूप से आस-पड़ोस में होने वाली घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में, और राष्ट्र की सुरक्षा को पेश आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

कपास उत्पादक किसान

1257. **श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 के दौरान देश में कपास का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या महाराष्ट्र के किसानों को कपास के मूल्य की बकाया राशि के भुगतान में असमान्य देरी हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को कपास के मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) 1995-96 के कपास मौसम के दौरान कपास का सम्भावित उत्पादन प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की 123.4 लाख गांठे होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों को भुगतान निविदा की तारीख से 30 से 40 दिनों के विलम्ब में मौजूदा आधार पर किया जाता है। इस सीमित अवधि के विलम्ब के कारण अपर्याप्त क्रियाशील पूंजी तथा बैंक वित्त की अनुपलब्धता हैं।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने कपास उत्पादकों को तत्काल भुगतान किये जाने के लिए वित्तीय सहायता तथा योजक ऋण प्रदान किया है।

[अनुवाद]

खाड़ी युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

1258. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उन सभी जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है जिन्होंने खाड़ी युद्ध संबंधी मुआवजे का दावा किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से मुआवजा दावों के सम्भावित प्राप्तकर्ताओं को एक विशेष बचत बैंक खाता खोलना होगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से रकम प्राप्त होते ही दि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित मनोनीत राष्ट्रीयकृत बैंक दावों की रकम उसमें अंतरित कर देंगे। 1000/- रुपए की इस जमा राशि पर ब्याज की दर किसी अन्य बचत बैंक खाते में देय ब्याज दर के बराबर होगी। भारत सरकार ने इस संबंध में अलग कोई अनुदेश नहीं दिये हैं।

महाराष्ट्र में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनायें

1259. **श्री अन्ना जोशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में क्रियान्वयनाधीन विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के नाम क्या हैं और ये परियोजनायें किन-किन स्थानों में लगायी जाएंगी ;

(ख) इन परियोजनाओं की लागत कितनी है, ये कब से आरम्भ की जायेगी और कब तक पूरी जाएंगी ;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा इन परियोजनाओं की समीक्षा कर ली गयी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी धनराशि जारी की गई है और अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) महाराष्ट्र राज्य में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त दो केन्द्रीय योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में भाग लेने वाले राज्यों में से महाराष्ट्र एक है -

1. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना में महाराष्ट्र के निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं :-

(1) कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली, रत्नागिरी (महाराष्ट्र)

(2) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी (महाराष्ट्र)

(3) मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी (महाराष्ट्र)

(4) पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, कृषिनगर, अकोला (महाराष्ट्र)

2. राष्ट्रीय बीज परियोजना-III

महाराष्ट्र राज्य की लाभग्राही एजेंसियां निम्नलिखित हैं :

(क) महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लि. तथा,

(ख) महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी।

(ख)	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	प्रभावी तारीख	समापन की तारीख
		(अमेरिकी डालर)		
1.	रा.कृ.अ.प.-II	110.90	21.4.86	30.6.96
2.	रा.बी.प.-III	177.50	28.8.89	30.6.96

(ग) और (घ) जी, हां। विश्व बैंक के अधिकारी इन परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा कर रहे हैं। पिछली समीक्षा रा.कृ.अ.प.-II के लिए अप्रैल-दिसम्बर, 1995 के दौरान तथा रा.बी.प.-III के लिए दिसम्बर, 95-जनवरी, 96 के दौरान की गयी थी। रा.कृ.अ.प. परियोजना महाराष्ट्र राज्य की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाने में सफल रही है। जनवरी, 95 में की गई पिछली समीक्षा के पश्चात् रा.बी.प.-III के लिए कार्यान्वयन की गति में सुधार हुआ है।

(ङ) महाराष्ट्र राज्य को परियोजनावार निर्मुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है -

(रुपये लाख में)

(क) रा.कृ.अ.प.-II	2142.51
(ख) रा.बी.प.-III	906.02

रा.कृ.अ.प. परियोजना बढ़े हुए, वैज्ञानिक तथा सहायक स्टाफ, प्रयोगशाला, भवन, आवासीय क्वार्टरों, परिवहन, फार्म उपस्कर तथा प्रचालनात्मक अनुसंधान आकस्मिकताओं से संबंधित सुविधायें देकर महाराष्ट्र राज्य की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने में सफल रही है।

राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लि. को कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना), कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी, पूंजीगत निवेश के लिये मार्जिन मनी आदि के लिए 853.66 लाख रुपये निर्मुक्त किये गये थे। महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को बीज परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण, बीज परीक्षण प्रयोगशाला के उपकरण के लिए तथा स्टाफ की गतिशीलता को बढ़ाने, आफिस आटोमेशन के लिए 102.36 लाख रुपये दिये गये हैं।

[हिन्दी]

डी.टी.सी. कर्मचारियों को वेतन

1260. **श्री जनार्दन मिश्र** :

श्री प्रेमचन्द्र राम :

डा. लाल बहादुर रावल :

श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री वी.एल.शर्मा प्रेम :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि धनराशि के अभाव के कारण डी.टी.सी. के कर्मचारियों को 1993 से महंगाई भत्ते तथा बोनस का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डी.टी.सी. के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने कर्मचारियों को अब तक कितने महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय इस स्थिति से निपटने के लिए डी.टी.सी. को और धनराशि देने पर सहमत हो गया है;

(च) यदि हां, तो डी.टी.सी. के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते तथा बोनस की बकाया राशि कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है; और

(छ) भविष्य में डी.टी.सी. के कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने के प्रस्ताव हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

		(करोड़ रुपए में)
1.	मंहगाई भत्ता/अन्तरिम राहत का बकाया	11.00
2.	बोनस/अनुग्रह राशि	15.00
	जोड़	26.00

(ग) और (घ) दि.प.नि. को पिछले कई वर्षों से भारी घाटा हो रहा है। दि.प.नि. के आंतरिक संसाधन, अपनी वचनबद्ध देयताओं का समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने में कुछ विलम्ब हुआ है। तथापि, दि.प.नि. के कर्मचारियों को जनवरी, 1996 के महीने तक वेतन का भुगतान पहले ही कर दिया गया है।

(ङ) जी हां।

(च) और (छ) वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियां दि.प.नि. के वर्तमान कार्यशील घाटे को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त होंगी। सरकार ने दि.प.नि. को निधियां उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं और दि.प.नि. भी और अधिक निधियां अर्जित करने के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है ताकि अपनी वचनबद्ध देयताओं का भुगतान कर सके। [अनुवाद]

पनकी ताप विद्युत संयंत्र

1261. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
डा. एस.पी. यादव :
श्रीमती सरोज दुबे :
क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनकी (उत्तर प्रदेश) ताप विद्युत संयंत्र की हालत दयनीय है और इसका उत्पादन अधिस्थापित क्षमता से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1995-96 के दौरान इसकी अधिस्थापित क्षमता की तुलना में इसका विद्युत उत्पादन कितना है; और

(ग) अधिकतम उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत संयंत्रों के कार्यकरण में अड़चनों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। 274 मेगावाट की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाले 4 यूनिटों में से इस समय केवल यूनिट-2 (32 मेगावाट) और यूनिट-3 (105 मेगावाट) प्रचालनाधीन हैं। अप्रैल, 95 से फरवरी, 96 के दौरान वस्तुत: 509 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया गया था और केन्द्र का संयंत्र भार अनुपात 23.1 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के इस केन्द्र द्वारा कम विद्युत उत्पादन किए जाने के मुख्य कारण, टबाईन में अधिक कम्पन होने के परिणामस्वरूप यूनिट-1(132 मेगावाट) को 30.11.95 से बन्द किया जाना और राज्य बिजली बोर्ड द्वारा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य हाथ में लिए जाने के कारण 30.6.94 से यूनिट -4 (105 मेगावाट) का बन्दी की स्थिति में होना है।

(ग) अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम समुपयोजन किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों में पुराने यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना शामिल हैं।

कृषि क्षेत्र में श्रमिकों हेतु रोजगार के अवसर

1262. **डा. विश्वनाथ कैनिथी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसमी कार्य के अलावा अन्य दिनों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यक्रम क्रियान्वयनाधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि मौसम के दौरान मजदूरी सेजगार प्रदान करने वाली दो प्रमुख योजनाएं हैं : जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना।

[हिन्दी]

कुवैत से भारत वापस आये भारतीयों को मुआवजा

1263. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री मोहन रावले :
श्री महेश कनोडिया :
श्री वी.एस.विजयराघवन:
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जनवरी, 1996 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'गल्फ वॉर काम्पेन्सेशन, यू.एन.सेज इट हैस नो मनी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी भारतीय दावेदारों को मुआवजें के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) कुवैत प्रकोष्ठ द्वारा श्रेणीवार निपटाए गए और संयुक्त राष्ट्र मुआवजा समिति को भेजे गए दावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा यदि कोई मुआवजा जारी किया गया है तो उसका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या मुआवजे के संबंध में सरकार के आदेशों के क्रियान्वयन में विलम्ब संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) सरकार इस मामले में संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के संपर्क में है।

(ग) विशेष कुवैत सेल दावों को अन्तिम रूप नहीं देता है। विशेष कुवैत सेल को प्राप्त होने वाले सभी फार्म संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग, जेनेवा को भेजे जाते हैं। फार्मों की जांच करना तथा दावों का अनुमोदन करना अथवा उन्हें नामंजूर करना संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग का कार्य है। दावों का श्रेणीवार ब्यौरा उनके निश्चित मूल्य सहित नीचे दिया गया है:

विवरण

दावों का प्रकार	विवरण	अग्रेषित दावों की संख्या	निश्चित किया गया मूल्य
श्रेणी 'क'	2500 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति अथवा 5000 अमरीकी डालर प्रति परिवार यदि दावेदार अन्य श्रेणियों के अन्तर्गत भी आवेदन कर रहा है; अन्यथा 4000 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति और 8000 अमरीकी डालर प्रति परिवार	1,05,010	409.62 मिलियन डालर
श्रेणी 'ख'	इराकी आक्रमण के प्रत्यक्षत: परिणामस्वरूप मृत्यु अथवा चोट लगाना	258	1.01 मिलियन अमरीकी डालर
श्रेणी 'ग'	व्यक्तिगत संपत्ति की हानि/क्षति - 100,000 अमरीकी डालर तक	39,435	1210.38 मिलियन अमरीकी डालर
श्रेणी 'घ'	100,000 अमरीकी डालर से अधिक की संपत्ति की हानि/क्षति	937	356.74 मिलियन अमरीकी डालर
श्रेणी 'ङ'	नियमित दावे	118	1378.49 मिलियन अमरीकी डालर
श्रेणी 'च'	सरकारी दावे	1	130.90 मिलियन अमरीकी डालर
		1,45,759	3487.14 मिलियन अमरीकी डालर

(घ) अभी तक श्रेणी 'ख' अर्थात् कुवैत पर इराकी हमले के प्रत्यक्ष परिणाम-स्वरूप घायल अथवा मृतक व्यक्तियों के मामले में मुआवजा दिया गया है। विशेष कुवैत सैल द्वारा अग्रेषित 'ख' श्रेणी के दावों की संख्या 258 थी । इनमें से 183 दावों का अनुमोदन हुआ था और 700,000 अमरीकी डालर अभी तक संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने भुगतान के लिए दिए हैं। ये भुगतान अब मनोनीत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दावेदारों को संवितरित किए जा रहे हैं।

(ङ) यद्यपि दावों का भुगतान न होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं परन्तु ये शिकायतें गलत फहमी से की गई हैं क्योंकि सरकार मुआवजा भुगतान के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग को मुआवजा संबंधी निर्णय लेना है तथा दावाकर्ताओं का मुआवजा उनकी राष्ट्रीय सरकारों के माध्यम से देना है। अतः इस संबंध में अलग से कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया है।

'कपार्ट' के माध्यम से संस्थानों को सहायता

1264. श्री लाल बाबू राय : क्या ग्रामीण तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास और संवर्द्धन परिषद् (कापार्ट) के माध्यम से प्रत्येक संस्थान को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यह पता लगाने हेतु कि क्या इस धनराशि का उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है किन-किन संस्थानों की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी थी; और

(ग) किन-किन संस्थानों के विरूद्ध मुकदमा दायर किया गया है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उतम भाई हारजी भाई पटेल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एनरॉन विद्युत परियोजना

1265. श्री चित्त बसु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनरॉन ने महाराष्ट्र में डाबोल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत को कम किया है;

(ख) यदि हां, तो मदवार कितनी कमी की गई है;

(ग) क्या सरकार ने डाबोल परियोजना के अनुभव को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों में फास्ट ट्रैक परियोजनाओं के निवेशकों से अनुमानित लागत कम करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निवेशक कम्पनियों (परियोजनावार) की प्रतिक्रिया क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने कुछ संशोधनों के साथ दभोल परियोजना को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है। तथापि, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विस्तृत संशोधित स्कीम उपलब्ध कराने के बाद ही विचार कर सकती है।

(ग) और (घ) निवेशकों के साथ निजी विद्युत परियोजनाओं पर विचार-विमर्श करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, भारत सरकार साथ ही राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है, ताकि वे फास्ट ट्रैक परियोजनाओं समेत सभी निजी विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में युक्तिसंगत लागत और टैरिफ पर विचार विमर्श कर सकें। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी लागत और टैरिफ की युक्तिसंगत से संतुष्ट होने के बाद ही निजी विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करता है।

सड़क क्षेत्र का निजीकरण

1266. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क निर्माण गतिविधियां शुरु करने वाले निजी उद्यमियों को दी जाने वाली प्रस्तावित शक्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) निजी क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण की जाने वाली और प्रयोग में लायी जाने वाली किन-किन सड़कों का चयन किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) (I) उद्यमी, अपनी प्रदत्त सेवाओं के बदले शुल्क वसूलने तथा वसूली गई राशि को अपने पास रखने का हकदार होगा। शुल्क की दरें केन्द्र सरकार द्वारा नियत की जाएंगी,

(II) उद्यमी, मोटर वाहन अधिनियम अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अनुरूप उस सुविधा पर यातायात विनियंत्रित कर सकेगा,

(III) उस सुविधा पर ऐसा किसी प्रकार का अतिक्रमण, जिससे सुविधा कम सुरक्षित अथवा यातायात के लिए असंभव बनती हो, एक दंडनीय अपराध मान लिया गया है। उद्यमी इस बारे में प्रवर्तन अधिकारियों की सहायता ले सकते हैं।

(ख) निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण आधार पर निजी क्षेत्र के तहत शुरु किए जाने के लिए पता लगाई गई सड़क/पुल परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1.	महाराष्ट्र में थाणे-भिवंडी बाईपास।
2.	आंध्र प्रदेश में नल्लोर बाईपास।
3.	तमिलनाडु में कोयम्बटूर बाईपास।
4.	कर्नाटक में हुबली-धारवाड़ बाईपास।
5.	गुजरात में दूसरा नर्मदा पुल।

6. पश्चिम बंगाल में दूसरा विवेकानन्द पुल।
7. गुजरात में चाल्थान रोड ओवर ब्रिज।
8. महाराष्ट्र में पनवेल बाईपास।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

1267. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और मदवार राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) इस संबंध में सरकार के विचाराधीन राज्यवार कितने आवेदन हैं और इन आवेदनों को निपटाए जाने के पश्चात् हरियाणा और अन्य राज्यों में कितने उद्योग लगाए जाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रहीं योजना स्कीमें राज्य विशिष्ट नहीं होती और उनमें विभिन्न क्षेत्र जैसे फल तथा सब्जी प्रसंस्करण, मांस तथा पाल्ट्री प्रसंस्करण, खाद्यान्न प्रसंस्करण, मात्स्यिकी, उपभोक्ता उद्योग और सचिवालय आर्थिक सेवाएं शामिल हैं। आठवीं योजना के शुरु के 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित व्यय हुआ है : -

1992-93	32.15 करोड़
1993-94	38.52 करोड़
1994-95	29.74 करोड़

मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता। प्राप्त, प्रस्तावों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए परियोजना की व्यवहार्यता और उपलब्ध परिव्यय के आधार पर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

पत्तनों का निजीकरण

1268. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पत्तनों के कार्य-संचालन को निजी हाथों में सौंपने संबंधी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अनुमानत: कितनी धनराशि के निवेश की आवश्यकता होगी ;

(घ) इस संबंध में अनुमानत: कितनी धनराशि के निवेश की आवश्यकता होगी ;

(ङ) क्या निजी क्षेत्र पत्तन विकास कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए तत्पर हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। जल-भूतल परिवहन मंत्रालय दिनांक 12.4.1993 के पत्र सं. पी डी-11013/3/89-पीवीटी, दिनांक 1.4.1995 और 25.1.1996 के पत्र सं. पीटी -17011/55/87-पी टी के तहत मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2010 तक पत्तन सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के व्यय की आवश्यकता होगी। इसका कुछ भाग निजी क्षेत्र से मिलने की संभावना है।

(घ) पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता पहले ही प्रारंभ हो चुकी है।

(ङ) और (च) जी हां। महा पत्तनों में सहायक सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव पहले ही स्वीकार कर लिए गए हैं।

खाड़ी देशों से मृतकों के शवों को लाया जाना

1269. **श्री ए. चार्ल्स** :
श्री वी.एस. विजयराघवन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय लोगों की मृत्यु की घटनाओं में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मृत्यु होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है/कराने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को मृतकों के परिजनों को मृतकों के शवों को भारत में लाने में होने वाली परेशानियों तथा ऐसे अधिकतर मामलों में कई-कई सप्ताह का समय लगने की जानकारी है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(च) क्या सरकार का मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत लाये जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये प्रभावी कदम उठाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) खाड़ी देशों में मरने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि का अनुपात भारतीय जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात के लगभग बराबर है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि मृतक के पार्थिव शरीर को लाने में मृतक के निकटतम सम्बन्धी को विलम्ब

का सामना करना पड़ता है। खाड़ी देशों में मृत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीरों को वापस भारत लाने से सम्बद्ध जिन मामलों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, उन सभी में सरकार हमेशा सहायता करती है। विदेश स्थित भारतीय मिशन मृत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीरों को भारत भेजने के कार्य को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। जैसे ही किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु का पता लगता है तुरन्त ही पार्थिव अवशेषों को वापस भेजने के लिए अनापत्ती प्रमाण-पत्र के सत्यापन जारी करने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र, चिकित्सा रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए प्रायोजक तथा (मृतक के) निकट संबंधी से संपर्क किया जाता है। अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में शव को भेजने से पहले होने वाली पुलिस जांच के पूरी होने की स्थानीय जरूरतों के कारण विलम्ब होता है।

(च) और (छ) क्रियाविधियों को प्रभावशाली ढंग से कारगर बनाया गया है और सहायता के सभी अनुरोधों पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है। तथापि, मेजबान देश के कानूनों से संबंधित कतिपय स्थानीय क्रियाविधियां भी होती हैं जो भारतीय मिशनों के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं है।

कीटनाशकों संबंधी समिति

1270. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा. बामी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति को कीटनाशकों संबंधी रिपोर्ट पुनरीक्षण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को यह रिपोर्ट किस तिथि को प्राप्त हुई है ; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस संबंध में क्या रवैया अपनाया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र

1271. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रों के साथ भेदभाव के बारे में जनरल एकाउंट आफिस द्वारा तैयार अमरीका शिक्षा विभाग के सिविल अधिकार निर्देश रिपोर्ट की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर अमरीका के साथ बातचीत की है/करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार ने अमरीका के शिक्षा विभाग की 'एशियाई अमरीकी शिकायतों को दूर करने के लिए सिविल कार्यालय के प्रयत्न' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग) सरकार को किसी भी भारतीय अमरीकी छात्र से तथाकथित भेदभाव के मामले से सम्बद्ध कोई भी शिकायत न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही सामूहिक रूप से प्राप्त हुई है। सरकार ने रिपोर्ट की विषय वस्तु पर गौर किया है और स्थिति पर निगाह रखेगी।

आन्ध्र प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं

1272. **श्री रामकृष्ण कौंताला :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक आन्ध्र प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, उनमें परियोजनावार कितनी लागत अर्न्तग्रस्त है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है;

(ख) केवल निजी क्षेत्र में क्रियान्वयनाधी प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं तथा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन / अथवा स्थापित की जाने वाली प्रत्येक परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(घ) उनके पूर्ण होने की समय-सूची क्या है और इन्हें कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) : (क) से (घ) : आन्ध्र प्रदेश में अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र में क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा, परियोजनावार शामिल लागत एवं आबंटित निधियों की मात्रा सहित संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जिन परियोजनाओं को केरल निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने जा प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की तारीख तथा उनकी प्रचालन समय सारणी का ब्यौरा संलग्न विवरण -II में दिया गया है।

विवरण - I

आन्ध्र प्रदेश में अभी तक क्रियान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम/क्षमता	अनुमानित लागत (अद्यतन) (करोड़ रुपये)	सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में आबंटित राशि (करोड़ रुपये)	पूरा होने/ चालू करने की सम्भाव्य तिथि
1	2	3	4	5
1.	कोठगुडम टीपीएस	1424.0	10	96/97

1	2	3	4	5
	चरण-5 (2×250मे.वा.)			
2.	सिंगूर एचईएस (2×7.5मे.वा.)	40.5	22.4	1/96,3/96
3.	श्रीसेलम बाया तट एचईएस (6×150 मे.वा.)	1513.1	3264.4	3/97

विवरण - II

निजी क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ क्षमता	अनुमानित लागत (अद्यतन) (करोड़ रुपये)	एम.ओ.यू. की तिथि	पूरा होने/चालू किए जाने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5
1.	जैगुरूपाडु जीटीसीस (216 मे.वा.) मै.जीवीके इण्डस्ट्रीज़	827.0	16.3.92	*
2.	गोदावरी जीटीसीसी (208 मे.वा.) मै. स्प्रैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि.	748.4	-	*
3.	विशाखापट्टनम टीपीएस (2×500मे.वा.) मै. हिन्दूजा नेशनल पावर कारपोरेशन लि.	4797.0	17.7.92	*
4.	रामागुण्डम विस्तार टीपीएस (2×250 मे.वा.) मै. बीपीएल पावर प्रोजेक्ट	1603.7	-	*
5.	सोमालिया एचईपी (2×5 मेगावाट) मै. बालाजी स्टील कारपोरेशन/घरेलू	24.9	-	1998-99
6.	गुंटूर ब्रांच कैनाल-। (3×1.25 मेगावाट) मै. डिक्कन सीमेंट लि., हैदराबाद	14.5	-	1996-97
7.	गुंटूर ब्रांच कैनाल-2 (2×2.25 मे.वा.) मै. सागर सीमेंट लि., हैदराबाद	17.4	-	1997-98
8.	के.सी. कैनाल (4 मेगावाट) मै. सागर सीमेंट लि., हैदराबाद	14.7.	-	
9.	गुंटूर कैनाल-3 (8.25 मे.वा.) मै. के.सी.पी.	25.5	-	1996

1	2	3	4	5
10.	अट्टानकी ब्रांच कैनाल (6.00 मेगावाट) (मै. धनलक्ष्मी कॉटन मिल्स)	23.8	-	1996-97

* परियोजनाओं को सभी आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां प्राप्त होने तथा वित्तीय समापन होने के पश्चात् ही चालू किया जाएगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा डी बी एम का उपभोग

1273. श्री जीवन शर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा संयत्रवार प्रतिवर्ष डेड बर्नट् मेग्नेसाइट (डी.बी.एम.) का कुल कितना उपभोग किया जाता है;

(ख) डेड बर्न मेगनेसाइट की खरीद का स्रोत क्या है और इसे किस दर पर आयात किया गया और इस पर पत्तन से संयंत्र तक कितना माल भाड़ा खर्च किया गया, संयंत्रवार ब्यौरा क्या है और सीमा शुल्क और प्रति टन कितना व्यय किया गया, पिछले तीन वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अलमोड़ा मेगनेसाइट लि. जो डी.बी.एम. का उत्पादन करता है और इसकी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. को आपूर्ति करता है; भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की इक्विटी है;

(घ) यदि हां, तो किस दर पर इसकी आपूर्ति की जाती है ;

(ङ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण को अलमोड़ा मेग्नेसाइट लि. से इसकी बहाली के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान डेड बर्नट मैंगनेसाइट (डी बी एम) की संयंत्रवार कुल खपत नीचे दर्शाई गई है : -

ईकाई : टन

संयंत्र	1992-93	1993-94	1994-95
भिलाई इस्पात संयंत्र	31552	22892	21770
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	6258	5583	4944
बोकारो इस्पात संयंत्र	402	305	268
राउरकेला इस्पात संयंत्र	240	240	240
अलॉय इस्पात संयंत्र	210	297	85

(ख) खरीद के स्रोत तथा दर आदि का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

भिलाई इस्पात संयंत्र

वर्णन

वर्ष	1992-93	1993-94	1994-95
स्रोत	चीन	चीन	चीन
1	2	3	4
मात्रा : (एम.टी.)	4,986.950	19,798.310	4,608.310
अमरीकी डालर में दर प्रति एम.टी.	123.00 (सी. एंड एफ. एफ.ओ.)	79.00 (सी.एंड एफ. एफ.ओ.)	86.90 (सी.एंड एफ. ओ.)
दिया गया सीमा शुल्क रुपये प्रति टन	2775.70	शून्य	शून्य
पत्तन से संयंत्र तक भाड़ा प्रति एम.टी.	400.00 रुपये	400.00 रुपये	400.00 रुपये
कुल दर प्रति टन	7040.00 रुपये	3000.00 रुपये	3200.00 रुपये

जहां कहीं अदा किया गया सीमा शुल्क शून्य बताया गया है, वहां मद को खुले लाइसेंस के तहत आयातित किया गया है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

(डोलोमाइट को संवर्धित करने के लिए आयातित प्राकृतिक डी.बी.एम.)

वर्ष	1994-95
स्रोत	पिमिलको ग्रीस
मात्रा दर प्रति एम.टी.	300 एम.टी.
सी.आई.एफ.	यू.एस.डी. 455.23 प्रति एम. टी.
सीमा-शुल्क	शून्य
पत्तन से संयंत्र तक भाड़ा	500 रुपये प्रति एम. टी.
कुल दर	15514 रुपये

वर्ष 1992-93, 1993-94 के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कोई आयात नहीं किया गया।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र तथा अलॉय इस्पात संयंत्र में डी बी एम का कोई आयात नहीं किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) 5650 रुपये प्रति टन कारखाना बाह्य

(ङ) और (च) ए.एम.एल. को बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित किया गया है। उसकी प्रचालन एजेंसी, एस.बी.आई. लखनऊ ए.एफ.एल. के पुनरूद्धार के लिए कार्य कर रही है। ए.एम.एल. ने अपने पुनरूद्धार के लिए 'सेल' तथा अन्य प्रवर्तकों से सहायता करने का अनुरोध किया है।

बी. आई. एफ. आर. की 22.2.96 की कार्यवाही के दौरान, बी.आई. एफ. आर. बैंच द्वारा 'सेल' तथा अन्य प्रवर्तकों को ए.एम.एल. के

पुनरूद्धार में उनकी अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार सहायता देने के लिए प्रचालन ऐजेंसी को अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिए गए थे। यह मामला बी.आई.एफ.आर. के सामने पुन: 25.3.96 को रखा जाएगा।

चावल और गेहूं का उत्पादन

1274. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं को राज्यवार प्रति हैक्टेयर ओसत उत्पादन दर क्या है;

(ख) अनेक राज्यों में प्रति हैक्टेयर कम उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(ग) बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ रही मांग को पूरा करने हेतु उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन से विशेष कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) चावल और गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन (उपज) की राज्यवार औसत दर संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) कुछ राज्यों में प्रति हेक्टेयर कम उपज होने का मुख्य कारण इन राज्यों की कृषि जलवायुवीय और सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां हो सकती हैं।

(ग) चावल और गेहूं की फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.)-चावल फसल और गेहूं पर आधारित फसल प्रणालियां अपनायी जा रही हैं। इन कार्यक्रमों के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :-

(1) नई निर्मुक्त की गयी व उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का प्रसार करना तथा रोग संभावी पुरानी किस्मों को बदलना।

(2) समय पर खेतों के कामकाज को पूरा करने तथा बुआई के लिए किसानों के आधारभूत स्रोतों में सुधार करना जिसमें उपस्कर और स्प्रिंकलर सिंचाई सेटों के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

(3) प्रमुख और सामान्य प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अंतरण।

(4) समेकित कीट प्रबंध का प्रचार प्रसार करना।

इसके अलावा, प्रभावी कीमतों और मंडी की भी व्यवस्था की जाती है।

विवरण

चावल और गेहूं की राज्यवार उपज

(कि.ग्रा./हेक्टेयर)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चावल			गेहूं		
	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2439	2696	2625	*	*	*
अरूणाचल प्रदेश	1014	1100	910	*	*	*
असम	1308	1331	1350	1865	1278	1290
बिहार	806	1295	1305	1747	2105	2090
गोआ	2562	2519	2519	*	*	*
गुजरात	1441	1403	1543	2225	1905	2723
हरियाणा	2659	2732	2801	3621	3619	3677
हिमाचल प्रदेश	1347	1238	1358	1618	1104	1104
जम्मू व कश्मीर	1863	1857	1857	1396	1419	1419
कर्नाटक	2331	2317	2441	706	810	706
केरल	2017	1977	1921	*	*	*
मध्य प्रदेश	1024	1142	1187	1428	1631	1724
महाराष्ट्र	1532	1602	1559	1174	1402	1449
मणिपुर	1799	2154	2139	*	*	*
मेघालय	1094	1128	1154	*	*	*
मिजोरम	1370	1550	1498	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7
नागालैण्ड	1304	1343	1279	*	*	*
उड़ीसा	1213	1452	1426	*	*	*
पंजाब	3391	3507	3383	3770	4011	4090
राजस्थान	1234	1017	1098	2287	1719	2417
सिक्किम	1286	1286	1286	1763	1763	1763
तमिलनाडु	3116	2927	3289	*	*	*
त्रिपुरा	1813	1915	1915	*	*	*
उत्तर प्रदेश	1773	1902	1867	2226	2306	2508
पश्चिम बंगाल	2010	2061	2159	2158	2060	2287
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2633	2631	2631	*	*	*
दादर व नगर हवेली	1947	1888	1888	*	*	*
दमन व दीव	*	*	*	*	*	*
दिल्ली	*	*	*	*	*	*
पांडिचेरी	2485	2156	2162	*	*	*
अखिल भारती	1744	1888	1921	2327	2380	2553

* महत्वपूर्ण फसल न होने के कारण इनकी प्रति हेक्टेयर ऊन का आकलन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

हीरे की खानों का ठेका

1275. **श्री छेदी पासवान** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रिलायन्स उद्योग समूह को मध्य प्रदेश के जसपुर-रायपुर जिलों में हीरे की खानों के अन्वेषण का ठेका दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ठेके की शर्तें क्या हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि वैज्ञानिक

1276. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने नई पेंटेंट व्यवस्था, बौद्धिक अधिकार तथा 'गैट' के कारण उनके बहुमूल्य अनुसंधानों को चोरी होने से बचाने के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग) व्यापार एवं तटकर संबंधी आम समझौता (जी.ए.टी.टी.) के अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी व्यापार समझौता में पौधों की किस्मों को पेटेण्ट या कारगर अद्वितीय प्रणाली या उनके किसी समिश्रण से संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। पौधों की किस्मों का संरक्षण करने के लिए एक अद्वितीय प्रणाली का विकास करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्तावित अद्वितीय प्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ किसानों के परम्परागत अधिकारों को तथा पादप प्रजनकों और शोधकर्त्ताओं को संरक्षण दिया गया है। फार्म वैज्ञानिकों ने पैटेण्ट, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, और जी.ए.टी.टी. के अनुसंधान पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। प्रस्तावित कानून से फार्म वैज्ञानिकों को स्वयं उनके द्वारा विकसित नई किस्मों के प्रति कानूनी संरक्षण मिल सकेगा।

चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

1277. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तान्तरित करने के विरोध में अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी देशों का समर्थन जुटाने के लिये कोई प्रयास किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) पाकिस्तान के हथियारोन्मुख परमाणु कार्यक्रम के बारे में सरकार की चिन्ता सुज्ञात है। सरकार ने पाकिस्तान को चीन द्वारा परमाणु उपकरणों की आपूर्ति के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें देखी हैं। हमने द्विपक्षीय तौर पर चीन, अमरीका तथा कतिपय अन्य देशों को इस संबंध में अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया है।

केरल के मत्स्यन बन्दरगाह

1278. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :**
श्री थाइल जॉन अंजलोज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पुन्नप्रा और पोलाथ मछली उतराई केन्द्रों और कायाकुलम और पोन्नानी मत्स्यन बन्दरगाहों के निर्माण के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना हेतु मंजूर और जारी की गई धनराशि कितनी-कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) ब्यौरा-संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	मात्स्यिकी बन्दरगाह/ मछली उतारने के केन्द्र का नाम	स्वीकृत लागत (रुपये लाखों में)	निर्मुक्त धन (रू. लाखों में)	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5
	मात्स्यिकी बन्दरगाह :			
1.	कायाकुलम	624.60	शून्य	भूमि अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य पर कोई खर्च नहीं किया गया है।
2.	पोन्नानी	-	-	इस परियोजना के 916.00 लाख रुपये के लिये राज्य सरकार से प्राप्त हुए प्रस्ताव की जांच की गई तथा माडल अध्ययन करने तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है ताकि इस परियोजना को समुचितता तथा आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।
	मछली उतारने के केन्द्र			
1.	पुन्नपरा	36.80	शून्य	भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा नहीं हुआ है और राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्यों पर कोई खर्च नहीं किया गया है।
2.	पोल्लाथाई	50.25	शून्य	भूमि अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ है और राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्यों पर कोई खर्च नहीं किया गया है।

गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु दिए गए लाइसेंस वापिस लेना

1279. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री तारा सिंह :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय जल क्षेत्र में गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए व्यापारियों/संयुक्त उद्यम को दिए गए लाइसेंस अथवा पट्टे वापस लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो गहरे समुद्र में मत्स्यन के बारे में बनाई जाने वाली नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मछुवारों को अत्याधुनिक मत्स्यन नौकाएं और मत्स्यन उपस्कर उपलब्ध करने संबंधी कोई विशिष्ट योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) गहन समुद्री मत्स्यन नीति की समीक्षा के आधार पर सिफारिशें करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में संयुक्त उद्यम/चार्टर/लीज/टेस्ट फिशिंग द्वारा मछली पकड़ने के लिए जारी किए गए सभी परमिटों को यथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत रद्द करने की सिफारिश की है।

(ख) समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अंतर मंत्रालय स्तर पर कार्रवाई शुरु की गई है।

(ग) और (घ) सरकार तटवर्ती मात्स्यिकी के विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रही है, और इनमें से कुछ के द्वारा मछुआरों को अधिक परिष्कृत मत्स्यन नौकाओं और मत्स्यन गियर खरीदने के लिए सहायता दी जाती है।

जिनमें अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. परम्परागत नौकाओं का मोटरीकरण
2. प्लाईवुड जलयान की शुरुआत ; तथा
3. तट से दूर प्लैजिक मछली पकड़ने के लिए मध्यवर्ती प्रकार की नौका की शुरुआत

गहन समुद्री मत्स्यन पुनरीक्षण समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार को गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा और पारपम्परिक नौकाओं के लिए परम्परागत मछुआरों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों तथा प्रौद्योगिकीय कौशल के उन्नयन के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए तथा वित्त उपलब्ध कराना चाहिए। वैधानिक और संवैधानिक आवश्यकताओं, संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय समझोतों, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के अनुरूप गहन समुद्री मत्स्यन नीति की समीक्षा के लिए गठित समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अंतर मंत्रालय स्तर पर कार्रवाई शुरु की गई है।

[हिन्दी]

कांडला पत्तन का विकास

1280. श्री हरिभाई पटेल :
श्री दिलीप भाई संघाणी :
श्री हरिन पाठक :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को गुजरात में कांडला पत्तन के विकास के लिए निजी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार के साथ परामर्श कर प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो काम कब तक शुरु होगा और कब तक पूरा हो जाएगा तथा इसमें कितनी लागत आएगी ;

(ङ) क्या गुजरात में अन्य पत्तनों के विकास के लिए भी ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो राज्य में विकसित किए जाने वाले प्रत्येक ऐसे पत्तन का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) कांडला पत्तन पर कन्टेनरों की हैंडलिंग के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाएं विकसित करने के बारे में एक और दसवें सामान्य कार्गो बर्थ के निर्माण के लिए विज्ञापन जारी किया है और इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) हैंडलिंग सुविधाओं के विकास संबंधी परियोजना को निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के 18 माह के भीतर पूरा किया जाना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 65 करोड़ रुपये है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। चूंकि गुजरात राज्य में अन्य पत्तन, लघु पत्तन हैं, अत: इनके विकास के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार हैं।

खाद्यान्न का उत्पादन

1281. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री नरेश कुमार बालियान :
श्री तारा सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसका राज्यवार और खाद्यान्नवार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1995-96 के दौरान प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है और उसका खाद्यान्नवार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1996-97 के लिए प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नवार खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ;

(घ) क्या कुछ राज्य चावल तथा अन्य कई खाद्यान्नों के उत्पादन में पिछड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन राज्यों में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) वर्ष 1994-95 में खाद्यान्नों का राज्यवार और खाद्यान्नावार उत्पादन का विवरण संलग्न है।

(ख) चूंकि ग्रीष्म फसलों को बुवाई तथा रबी फसलों की कटाई अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए इतनी जल्दी 1995-96 के लिये प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न उत्पादन के अनुमान नहीं दिए जा सकते। लेकिन, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 1995-96 में विभिन्न खाद्यान्नों का सम्भावित भारतीय उत्पादन इस प्रकार है : -

	(मिलियन मीटरी टन)
चावल	80.00
गेहूं	65.20
मोटे अनाज	30.00
दलहन	14.80
कुल खाद्यान्न	190.00

(ग) वर्ष 1996-97 के लिये खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) विभिन्न खाद्यान्नों फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्यों में चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों के संबंध में विभिन्न फसलों पर आधारित प्रणालियों के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा उर्वरकों

के उपयोग को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में नई निर्मुक्त हुई अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रसार और रोग लगने के सन्देह वाली पुरानी किस्मों को बदलना, किसानों के संसाधन आधार में सुधार, प्रमुख और सामान्य प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण तथा समेकित कृषि प्रबन्ध का प्रचार शामिल है। इसके अतिरिक्त, किसानों को पूंजी निवेश बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये प्रेरित करने हेतु मूल्य और मंडी समर्थन भी मुहैया कराया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों का कुल उत्पादन

(मिलियन मीटरी टन में)

राज्य	1994-95				
	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दलहन	कुल
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	9.22	-	1.79	0.64	11.65
असम	3.31	0.10	0.02	0.06	3.49
बिहार	6.17	4.27	1.60	0.81	12.85
गुजरात	0.94	1.96	1.82	0.52	5.24
हरियाणा	2.23	7.30	0.97	0.49	10.99
हिमाचल प्रदेश	0.11	0.41	0.67	0.01	1.20
जम्मू व कश्मीर	0.51	0.35	0.58	0.02	1.46
कर्नाटक	3.19	0.17	4.24	0.63	8.23
केरल	0.96	-	-	0.03	0.90
मध्य प्रदेश	6.00	7.16	2.12	3.57	18.85
महाराष्ट्र	2.40	1.11	6.32	1.70	11.53
उड़ीसा	6.35	-	0.32	0.56	7.23
पंजाब	7.70	13.54	0.48	0.09	21.81
राजस्थान	0.17	5.61	3.95	1.97	11.70
तमिलनाडु	7.69	-	1.46	0.40	9.55
उत्तर प्रदेश	10.12	22.56	3.61	2.42	38.71
पश्चिम बंगाल	12.46	0.74	0.16	0.15	13.51
अन्य	1.63	0.19	0.24	0.05	2.11
अखिल भारत	81.16	65.47	30.55	14.12	191.10

[अनुवाद]

कच्चे लाख शल्क लाक्षा का उत्पादन

1282. डा. एस.पी. यादव :
श्रीमती सरोज दुबे :
प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमुख लाख शल्क लाक्षा उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन राज्यों का राज्यवार उत्पादन कितना-कितना था ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने-कितने भू-क्षेत्र पर लाख पैदा किया जाता है ;

(ग) अनुमानत: कच्चे लाख की कितनी मात्रा का निर्यात किया जाता है और इससे अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कच्चे लाख का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का दोहन करने और इन क्षेत्रों हेतु नई प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसका उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कच्चे लाख के मुख्य उत्पादक राज्य तथा वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है :-

	उत्पादन (मी.टन)	
राज्य	1993-94	1994-95
बिहार	11,795	13,730
मध्य प्रदेश	4,385	4,485
पश्चिम बंगाल	3,560	3,243
महाराष्ट्र	290	550
उत्तर प्रदेश	270	325
अन्य	220	125

लाख के उत्पादन के अधीन कवर किए गए क्षेत्र का सरकारी अनुमान लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए वृक्षों पर इसका उत्पादन किया जाता है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान 4.66 मीटरी टन कच्चा लाख का निर्यात किया गया और इससे 46.03 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई।

(घ) (I) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ने लाख के उत्पादन, प्रसंस्करण और उपयोग के लिए कई प्रौद्योगिकियां विकसित हैं। इनमें से 25 अंतरित कर दी गई हैं और 1000 प्रबंध/पर्यवेक्षकीय स्तर के उम्मीदवारों तथा 11,000 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

(II) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् के अधीन वानिकी उत्पादकता संस्थान उत्पादकों को ब्रूड लाख की सप्लाई के लिए न्यूक्लियस ब्रूड लाख फार्म का रख-रखाव कर रहा है। इसके साथ ही यह खेती की उन्नत तकनीकों के प्रशिक्षण दे रहा है, प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन दे रहा है और यह लाख का समय से पहले संग्रह नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

अंतर्राज्यीय परिवहन योजनाएं

1283. डा. लाल बहादुर रावल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत अंतर्राज्यीय परिवहन योजनाओं को उनकी अनुमानित लागत सहित ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) अंतर्राज्यीय प्रचालनों के लिए परिवहन की स्कीमें, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88, 99 और 100 के अनुसार स्वयं राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती है। तथापि, राज्य के परिवहन उपक्रमों द्वारा प्रचालित की जाने वाली किसी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन स्कीम के मामले में केन्द्र सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं भेजी गई है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता

1284. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्री के.एम. मैथ्यू :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री हरि केवल प्रसाद :
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता प्राप्त करने हेतु गत तीन महीनों के दौरान सरकार को कुछ और देशों का समर्थन हासिल करने में सफलता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिसने भारत को समर्थन देने का आश्वासन दिया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) काफी बड़ी संख्या में देशों ने सुरक्षा परिषद के व्यापक विस्तार के लिए एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका तथा कैरीबियाई देशों के विकासशील राज्यों को स्थायी सदस्य के दर्जे में शामिल करने का प्रस्ताव किया है। मारीशस, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य तथा भूटान ने विशेष तौर पर सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य के रुप में शामिल करने का समर्थन किया है। अभी तक स्थाई सदस्यता के लिए विशिष्ट उम्मीदवारों अथवा मानदण्डों के संबंध में कोई करार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित आपन सन्डेड कार्यदल' में विचार विमर्श जारी है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र, बरेली

1285. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की संख्या पूर्ण है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त कर्मचारियों को वहां कब तक पूर्ण संख्या में नियुक्त कर दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) रिक्त पदों को भर्ती नियमों में वर्णित नियुक्ति संबंधी विभिन्न तरीकों से भरा जाता है जैसे विभागीय पदोन्नति समितियों/चयन समितियों/कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल द्वारा यह एक अनवरत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

पारपत्रों का जारी किया जाना

1286. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 के दौरान पारपत्रों के लिए कार्यालयवार कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने पारपत्र जारी किए गए ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने पारपत्र जारी किए गए;

(ग) कार्यालयवार उक्त वर्ष का कुल कितना काम शेष है ;

(घ) शेष कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या विशेष परिस्थितियों में अल्प अवधि में पारपत्र जारी करने का कोई प्रावधान है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) शीघ्रता से पासपोर्ट जारी करने के लिए सरकार सभी पासपोर्ट कार्यालयों में आवश्यक कदम उठाती रही है और उठाती रहेगी यथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना, कार्यालय सुविधाओं का उन्नयन जिनमें कम्प्यूटरीकरण शामिल हैं, विलम्ब को दूर करने के लिए प्रणालियों और क्रियाविधियों की समीक्षा और पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(ङ) जी हां।

(च) किसी आवेदक को लघु वैधता पासपोर्ट तब जारी किया जाता है जब उसने अपनी विदेश यात्रा की शीघ्र आवश्यकता के संबंध में वह दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए हों जो विदेश राज्य मंत्री द्वारा अनुमोदित मार्गनिर्देशों में उल्लिखित हैं और जिनसे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार और केन्द्र सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1995 के दौरान प्राप्त आवेदनों, जारी किए गए पासपोर्टों तथा वर्ष 1995 के अन्त में विलंबित पड़े आवेदनों की कुल संख्या

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या	विलंबित पड़े पासपोर्ट आवेदनों की संख्या
1.	अहमदाबाद	105955	99089	19999
2.	बंगलौर	97741	95672	10675
3.	बरेली	36863	35880	4700
4.	भोपाल	20297	20148	2821
5.	भुवनेश्वर	6995	5309	3012
6.	बम्बई	223397	218043	18885
7.	कलकत्ता	50045	47601	13555
8.	चंडीगढ़	84608	31700	8290
9.	कोचीन	80686	80009	2529
10.	दिल्ली	121389	106607	18652
11.	गोआ	15329	14220	2595
12.	गुवाहाटी	7486	6739	2957
13.	हैदराबाद	149422	142770	18916
14.	जयपुर	52942	51893	8586
15.	जालंधर	69384	100743	14564
16.	कोजीकोड	133067	135892	22012
17.	लखनऊ	91266	99127	14613
18.	मद्रास	117333	112475	13533
19.	नागपुर	9541	9037	1170
20.	पटना	41156	38498	6230
21.	त्रिची	164577	139332	26934
22.	त्रिवेंद्रम	90432	83461	11860
23.	जम्मू	11457	8713	16819
	कुल योग	1781368	1682958	263907

कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र

1287. श्री थाइल जॉन अंबलोज :
श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ;

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए एनटीपीसी द्वारा इस परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या परियोजना को किसी अन्य देश/विदेशी एजेंसी द्वारा धन उपलब्ध कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे धन कहां से उपलब्ध कराया जा रहा है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही कायमकुलम कम्बाइण्ड साइकल विद्युत परियोजना (400 मे.वा.) को सरकार ने अगस्त, 1995 में अनुमोदित कर दिया था। परियोजना से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां संतोषजनक रूप से प्रगति कर रही हैं। प्रमुख संयंत्र उपस्कर हेतु बोलियों का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) संशोधित लागत 1995-96 और बजट अनुमान 1996-97 के लिए परियोजना हेतु अनुमोदित पूंजीगत परिव्यय क्रमशः 6.63 करोड़ रुपये तथा 170.57 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ङ) अगस्त, 1995 में प्रदान किए गए सरकार के अनुमोदन के अनुसार परियोजना के लिए वित्तपोषण कम्पनी के आंतरिक संसाधनों, बाजार उधार और विदेशी वाणिज्यिक उधार के जरिए किया जायेगा। तथापि, विश्व बैंक से प्राप्त 400 मिलियन अमरीकी डालर के आवधिक ऋण के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों का समुपयोजन करने के लिए एनटीपीसी द्वारा इसके प्रति विश्व बैंक/सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्पादन दर

1288. श्री नीतीश कुमार :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कृषि उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा और वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी वृद्धि का अनुमान है ;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 से 1989-90 के दौरान उत्पादन की वार्षिक दर वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान की उत्पादन दर से अधिक रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान उत्पादन की वार्षिक दर में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इन लक्ष्यों को प्राप्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान कृषि उत्पादन के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.8 प्रतिशत आंकी गई। वर्ष 1995-96 के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि का इस तरह का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान कृषि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है।

(ख) और (ग) जी, हां। 1985-86 से 1989-90 की अवधि में कृषि उत्पादन के मूल्य की औसत वार्षिक दर 3.1 प्रतिशत आंकी गई थी, जबकि 1900-91 से 1994-95 की अवधि के दौरान यह वृद्धि 2.92 प्रतिशत रही।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना, अर्थात् 1992-93 से 1996-97 के दौरान कृषि उत्पादन के मूल्य में वृद्धि की वार्षिक दर का लक्ष्य 4.1 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

(च) कृषि उत्पादन की लक्षित वृद्धि दर प्राप्त करने में गिरावट आने के कारण हैं - विभिन्न वर्षों में देश के कुछ क्षेत्रों/राज्यों में कुछ हद तक प्रति कूल वर्षा तथा मौसम की स्थिति।

[अनुवाद]

तम्बाकू विकास परिषद

1289. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तम्बाकू विकास परिषद का पुनर्गठन किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) वर्तमान तम्बाकू विकास परिषद का कार्यकाल कब तक है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्तमान परिषद का कार्यकाल यदि भारत सरकार के एक विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा कम नहीं किया जाता या बढ़ाया नहीं जाता, तो 14 दिसम्बर, 1995 से तीन वर्ष का है।

विवरण

सदस्यों के नाम/पदनाम

I.	अध्यक्ष	1. श्री के. ब्रह्मानन्द राव नायडू (बी.आर. के. नायडू) माणिक्य भवन, राजकीय जनरल अस्पताल के पास मेन रोड़, अमलापुरम्-533201 बी.जी.डी.टी. आंध्र प्रदेश - 21561
		2. बी-215 बसंत बिहार, नई दिल्ली-57 फोन : 6871706
II.	उपाध्यक्ष	कृषि आयुक्त कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली
III.	सदस्य	
क.	संसद सदस्य	1. श्री वी.वी. नवले संसद सदस्य (लोक सभा)
		(क) 353 सन्वर पेट, पूना (महाराष्ट्र)
		(ख) 72 साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011
		2. श्री एस. गंगाचरा, संसद सदस्य (लोक सदस्य)
		3. श्री जी. प्रधना रेड्डी संसद सदस्य (राज्य सभा)
ख.	राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	
1.	आंध्रप्रदेश	सचिव खाद्य और कृषि विभाग आंध प्रदेश सरकार, हैदराबाद
2.	बिहार	कृषि निदेशक

बिहार सरकार, पटना

3. गुजरात — कृषि निदेशक, गुजरात सरकार, अहमदाबाद

4. मध्य प्रदेश — कृषि निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल

(ग) केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि

1. डा. एम.के. माथुर, संयुक्त सलाहकार (कृषि), योजना आयोग, नई दिल्ली
2. निदेशक, ई.पी. (कृषि), वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन
3. निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश
4. संयुक्त आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग
5. अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ लि.

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि

1. आंध्र प्रदेश
   1. श्री रविपति मल्लनन्दय्या, प्रकाशम, जिला-आंध्र प्रदेश
   2. श्री वेंकटप्पा, कोपरेड्डिडयार, डाक बाया मेओरेलु, तुनलुतालुक, गुन्टुर, आंध्र प्रदेश
2. बिहार — श्री जगदानन्द सिंह, समस्तीपुर, बिहार
3. गुजरात — श्री नरेन्द्र सिंह ए. जाला, अध्यक्ष, गुजरात सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ लि. आनंद
4. तमिलनाडु — श्री पी.वी. राजेन्द्रन, करूप्पाम्बुलम (गांव), वेदनारायण के पास, जिला-तंजावर, तमिलनाडु

(ङ.)व्यापार के प्रतिनिधि — श्री मद्दडी वेंकटेश्वर राव, प्रबंध निदेशक, मद्दडी वेकट रत्नम एण्ड कम्पनी (प्रा.) लि. चिलकलुपिपट तालुक जिला-गुन्टूर, आंध्र प्रदेश

(च.)उद्योग के प्रतिनिधि — सदस्य, अनुसंधान और विकास इन्का. लि. जे.एल.आई.डी. प्रभाग पो.बा. 317, गुन्टूर - 522 004 (आं. प्र.)

(छ) मजदूरों के प्रतिनिधि

I. फार्म में कार्यरत - श्री आर.के. सोल्लापुरकर, तम्बाकू उत्पादक, पो.बा. 32, निपानी, कर्नाटक - 591237

II. कारखानों में कार्यरत — श्री बी.रमेश राय, प्रबन्धक हिस्सेदार, भारत तम्बाकू ट्रेडिंग क., पी.बी. रोड़, पो.बा. - 46, निपानी - 591237

(ज) ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किया जाए :-

1. श्री दामोदर प्रसाद शर्मा, श्री कल्याण आरोग्य सदन, बजाज ग्राम, सांवली (राजस्थान)
2. श्री ओंकार सिंह, टाक, वकील, मायापुरा, मंडोर, जोधपुर (राजस्थान)
3. श्री एस. राजाराम, 37, रामनगर नार्थ स्ट्रीट, अलवारपेट, मद्रास-600018
4. श्री एन.पी. सिंह, बंगलोगढ़, दरभंगा-841004 (बिहार)
5. श्री अन्नाराव बी. पाटिल, पूर्व विधायक एट फोस्ट, कोरेहल्लिक, ता. अलन्द, जिला-गुलबर्गा, कर्नाटक
6. श्री जार्ज वर्गीस, विशेष संवाददाता, यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, 30 समाचार एपार्टमेंट, मयूर विहार-I, नई दिल्ली
7. श्री डी.पी. गिरी बाबू, तम्बाकू किसान, मंगापूर रोड़, सुन्दर नगर, ओंगोल, आंध्र प्रदेश
8. श्री पी.गणेश कुमार राजा, एडवोकेट (कानूनी प्रकोष्ठ संचालक), डी.बी.पी. कालोनी, जिला धर्मापुरी, तमिलनाडु-636701

9. श्री संजय जैन
1-5 फाइन होम एपार्टमेंट
मयूर विहार-।
नई दिल्ली-110091

10. श्री ए.एम.अन्सारी
93/71, रजबी रोड़,
कानपुर-208 001

IV. सदस्य सचिव — निदेशक,
तम्बाकू विकास निदेशालय
27, एल्डम्स, रोड़,
तोयनमपेट
मद्रास-600018

V. विशेष आमंत्रिती — परिषद को इसके विचार-विमर्श में मदद देने के लिए आवश्यक आमंत्रिती की विशेषज्ञता या अनुभव के सम्बन्ध में परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार।

आतंकवाद पर हुए समझौते का अनुमोदन

1290. **श्री मोहन रावले** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवाद का मुआवजा करने के लिए भारत ने किन-किन देशों के साथ समझौते किए हैं और कितने समझौतों का अब तक अनुमोदन हो चुका है ;

(ख) भारत ने किन-किन देशों के साथ इस संबंध में समझौते किए हैं परन्तु अब तक उनका अनुमोदन नहीं हो पाया है; और

(ग) इन समझौतों का अनुमोदन कब तक हो जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) भारत ने आतंकवाद तथा सुनियोजित अपराधों इत्यादि को रोकने के लिए प्रत्यर्पण संधियां, आपसी विधिक सहायता करार तथा अन्य विशिष्ट करार सम्पन्न किए हैं। कनाडा, यू.के., नीदरलैन्डस, बेल्जियम, नेपाल, भूटान और संयुक्त राज्य अमेरीका के साथ प्रत्यर्पण संधियां की गई हैं। आपसी विधिक सहायता संधियां यू.के., कनाडा, तुर्की और स्विटजरलैन्ड के साथ सम्पन्न की गई हैं। रूसी परिसंघ, बुल्गारिया, मिस्र, रोमानिया के साथ किए गए करारों का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सुनियोजित अपराधों, अन्तर्राष्ट्रीय अवैध आर्थिक कार्यकलापों तथा स्वापक औषधों तथा मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकना है।

कनाडा, यू.के., नीदरलैन्डस, बेल्जियम, नेपाल, भूटान, संयुक्त राज्य अमरीका, तुर्की, स्विटजरलैंड और रूसी परिसंघ के साथ संधियां इस समय लागू हैं।

(ख) और (ग) बुल्गारिया, रोमानिया और मिस्र के साथ सम्पन्न संधियां भारत तथा संबंधित देशों के साथ उनके अपने देश की विधिक प्रक्रियाओं की पुष्टि के पश्चात अधिसूचनाओं के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होंगी। ये अधिसूचनाएं शीघ्र ही जारी की जा रही हैं। [हिन्दी]

गांवों में पेयजल का अभाव

1291. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री कुंजी लाल :

क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेयजल के अभाव के कारण समस्याग्रस्त गांवों तथा स्थानों के संबंध में करवाए गए अद्यतन सर्वेक्षण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा गुजरात के राज्यों में पूरी तरह शामिल किए गए/शामिल नहीं किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुमानित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) 1996-97 के लिए इन योजनाओं के लिए आबंटित धनराशियों के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने गांव/स्थान राज्यवार शामिल किए जाने की संभावना है; और

(च) अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल बचे गांवों/स्थानों की क्या संख्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजी भाई पटेल) : (क) और (ख) 1.4.1994 की स्थिति के अनुसार कवर न किए गए, पूरी तरह कवर किए गए और अंशत: कवर किए बसावटों और 1995-96 के लक्ष्य को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इन कवर न किए गए और आंशिक रूप से कवर बसावटों को कवर करने के लिए वित्तीय आवश्यकता लगभग 12048.95 करोड़ रुपये की होगी।

(घ) 1996-97 के लिए अभी तक धनराशियों का आबंटन नहीं किया गया है।

(ङ) सभी कवर न किए गए और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों (10 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से कम) के आठवीं योजना के दौरान कवर किए जाने की आशा है।

(च) शेष आंशिक रूप से कवर की गई सभी बसावटों को नौवीं पंचवर्षीय योजना में कवर किया जाएगा।

विवरण

1.4.1994 और 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार

क्र.	राज्य/संघ	1.4.94 की स्थिति				1994-95 के दौरान कवरेज			1.4.95 की स्थिति				1995-96 के दौरान लक्षित कवरेज		
		एनसी	पीसी	एफसी	कुल	एनसी	पीसी	कुल	एनसी	पीसी	एफसी	कुल	एनसी	पीसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	आंध्र प्रदेश	4055	19595	44033	67684	2519	255	2774	1536	19341	46807	67684	1536	1564	3190
2	अरूणाचल प्रदेश	465	710	1271	2446	148	0	148	317	710	1419	2446	150	0	150
3	असम	3660	24462	42347	70669	800	736	1536	12860	23726	34083	70669	1500	0	1500
4	बिहार	1542	24376	159518	205436	0	7185	7185	21542	17191	166703	205436	10000	7621	17621
5	गोआ	60	140	205	405	0	62	62	60	78	267	405	21	33	54
6	गुजरात	1318	8981	19970	30269	37	427	464	1281	8554	20434	30269	700	400	1160
7	हरियाणा	0	3420	3064	6484	0	845	845	0	2575	3909	6484	0	1000	1959
8	हिमाचल प्रदेश	6402	12878	24502	43781	538	262	800	5864	12616	25302	43781	825	100	925
9	जम्मू और कश्मीर	1378	3988	2397	7763	107	0	107	1271	3988	2504	7763	350	0	330
10	कर्नाटक	6085	21504	29092	56682	8	4927	4935	6079	16577	34027	56682	3500	6914	19414
11	केरल	1140	8792	87	9719	0	214	214	1140	8278	301	9719	301	761	1063
12	मध्य प्रदेश	3976	36940	76268	127083	1121	11017	12318	12655	25823	88405	127083	7000	0	7903
13	महाराष्ट्र	2960	23002	51162	77124	2758	4070	6828	202	18932	57990	77124	292	5793	4940
14	मणिपुर	608	1105	1102	2815	86	84	170	522	1021	1272	2815	190	128	120
15	मेघालय	1506	2014	4356	7876	223	140	363	1283	1874	4719	7876	526	80	605
16	मिजोरम	42	624	251	919	0	222	222	42	402	476,	919	42	198	210
17	नागालैंड	358	787	159	1304	0	0	0	358	787	159	1304	124	0	194
18	उड़ीसा	278	23520	40433	74231	4914	2437	7351	5364	21083	47784	74231	5000	1000	6050
19	पंजाब	6113	345	6340	12797	426	0	426	5687	345	6766	12797	681	0	634
20	राजस्थान	6980	13912	45043	81773	1460	1594	3054	15528	17348	48897	81773	1000	960	4500
21	सिक्किम	80	1177	422	1679	0	66	66	80	1111	488	1679	90	30	62
22	तमिलनाडु	720	45291	20604	66615	172	3636	3800	548	41655	24412	66615	548	1952	2500
23	त्रिपुरा	1800	2823	2789	7412	537	73	610	1263	2740	3393	7412	703	92	995
24	उत्तर प्रदेश	5250	113959	137421	274641	3719	7564	11283	19523	106405	148704	274641	10285	2668	12953
25	पश्चिम बंगाल	6178	31221	42978	80377	3973	1399	5372	2205	29822	48350	80377	2205	3313	5378
26	अंडमान निकोबार	11	100	390	504	0	20	20	11	80	413	304	0	19	13
27	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0	112	112	0	0	0	0	0	12	17
28	दमन व द्वीव	0	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	29	29
29	दिल्ली	1	61	138	200	0	0	0	1	61	138	200	0	0	0
30	लक्षद्वीप	0	10	1	11	0	2	2	0	8	3	11	0	5	5
31	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	20	28
	कुल :	40975	430377	7473471318699		23546	47388	70934	117429	383140	818130	1318699	52442	34354	86746

एन.सी. - कवर नहीं की गई

पी.सी. - आंशिक रूप से कवर की गईफो.न.

एफसी - पूर्ण तथा कवर की गई

[अनुवाद]

गुजरात द्वारा प्रस्तुत की गयी पेयजल योजनाएं

1292. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी पेय जल योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना के संबंध में कितनी धनराशि की सहायता दी गयी है अथवा दिए जाने की सहमति हुई है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास आज की तारीख तक स्वीकृति हेतु लम्बित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजी भाई पटेल) : (क) और (ख) 1992-93 से 1994-95 की अवधि में 8 पेयजल आपूर्ति योजनाएं प्राप्त हुई थीं। इन योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। इन योजनाओं के लिए दी जाने वाली अथवा प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता 2282.86 लाख रुपए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नही उठता।

ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करना

1293. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना में ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुल कितना परिव्यय है ;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु योजनाओं पर योजनावार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार इन योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार के कितने श्रम दिवस सृजित किए गए और ग्रामीण बेरोजगारों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(घ) वर्ष 1995-96 हेतु श्रम दिवसों के सम्बन्ध में कितना वित्तीय आबंटन किया गया और क्या वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ङ) गत वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 1995 तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी और इस अवधि के दौरा कितने श्रम दिवस सृजित किए गए ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) आठवीं योजना अवधि के (अर्थात् 1992-93, 1994-95) वर्षों के अन्त तक जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना नाम की ग्रामीण रोजगार हेतु योजनाओं पर कुल परिव्यय (राज्य अंश सहित) तथा खर्च को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत 1992-93 से 1994-95 की अवधि के दौरान (1 अप्रैल, 1995 तक) 30830.79 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजित किया गया था। योजना आयोग का अनुमान है कि मार्च, 1995 के अन्त तक कुल बेरोजगारी 18.69 मिलियन थी। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 9054.75 लाख श्रम दिनों को सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। इस अवधि के दौरान 31 दिसम्बर, 1995 तक योजना के अन्तर्गत 2458.48 करोड़ रुपये का खर्च हुआ जिससे 5001.59 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजित किया गया। सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग पर आधारित योजना है इसलिए कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96) 31 दिसम्बर, 1995 तक) के दौरान 1942.79 लाख श्रम दिनों के रोजगार का सृजन किया गया था और इस पर 957.37 करोड़ रुपये का खर्च किया गया।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत परिव्यय, रिलीज और खर्च

वर्ष	जवाहर रोजगार योजना		सुनिश्चित रोजगार योजना	
	परिव्यय (केन्द्र + राज्य)	खर्च	रिलीज (केन्द्र + राज्य)	खर्च
1	2	3	4	5
1992-93	316905.05	270958.93	-	-
1993-94	318122.39	359020.56	54876.56	18376.03
1994-95	349872.39	335987.91	141025.00	123545.28

नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए विश्व बैंक की सहायता

1294. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में चार सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से ऋण मांगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने प्रस्तावित ऋण स्वीकृत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो शीघ्र अनुमोदन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक ऋण सहायता

के लिए पेश किए जाने हेतु निम्नलिखित चार सड़कों के सुधार के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

1. राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को जोड़ने के लिए मैसूर-श्रीरंगापट्टनम-हरियुर-बेलारी-गुलबर्ग-हुमनाबाद।
2. तुमकुर-अरासीकेरे-शिमोगा-होन्नावार (राष्ट्रीय राजमार्ग-4 से राष्ट्रीय राजमार्ग-7 तक)
3. चिक्कनयहल्ली-तितुर-हासन-अराकलगढ़-पैरीपयापट्टनम-विराजपेट से राज्य सीमा से केरल राज्य से तल्लीचेरी को जोड़ने के लिए।
4. बंगलोर-बन्नरगट्टा सड़क।

इन प्रस्तावों को विश्व बैंक के समक्ष पेश करने से पहले राज्य सरकार से कुछेक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

भूमिगत पैदल पारपथ का निर्माण

1295. **श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप बढ़ते शहरीकरण तथा इन मार्गों के दोनों ओर बढ़ते नगर-क्षेत्र के कारण विशेष रूप से स्कूल के बच्चों के साथ घातक दुर्घटनाओं तथा अन्य दुर्घटनाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों में सघन आबादी वाले नगर-क्षेत्रों में अंडरपासों/भूमिगत पैदल पारपथों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ग) क्या संसाधनों की कमी को देखते हुए भूमि के व्यावसायिक दोहन की अनुमति सहित अंडरपासों का निर्माण करने संबंधी किसी निजीकरण प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) सड़क परिवहन की बढ़ोत्तरी, विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकता, भारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रचलन, खतरनाक तथा अधिक सवारियों से लदी बसें, बढ़ती भीड़-भाड़, अधिक गति से वाहन चलाने की प्रवृत्ति, सड़क प्रयोक्ताओं का अप्रत्याशित व्यवहार तथा सड़क-ज्यामिति और क्षमता की समस्याओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ बढ़ते शहरीकरण तथा राजमार्गों के दोनों ओर कस्बों की बढ़ोतरी जैसे अनेक कारणों से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थल की अपेक्षाओं और राजमार्गों को पार करने वाले पैदल यात्रियों की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूमिगत मार्गों/सब-वे के निर्माण पर विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) फिलहाल निजी क्षेत्र के तहत 'अंडरपास' के निर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

भारत-अमरीकी संबंध

1296. **श्री दत्ता मेघे :**

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए गत एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) 1994 में प्रधानमंत्री की वाशिंगटन यात्रा के दौरान जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि शीतयुद्धोत्तर विश्व की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए नई भागीदारी करेंगे तथा राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और सामाजिक मसलों पर पूरी तरह उच्च-स्तरीय आदान-प्रदानों की गति और क्षेत्र का विस्तार करेंगे। भारत-अमरीकी व्यापार और पूंजी-निवेश के संवर्धन के लिए विभिन्न ठोस उपाय करने पर भी वे सहमत हुए। उस निर्णय के अनुसार भारत-अमरीकी संबंध गत वर्ष एक अत्यन्त व्यापक फलक पर बराबर घनिष्ठ और संवर्धित होते रहे।

आम का उत्पादन

1297. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसी व्यापक योजना को तैयार करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने 'समेकित फल विकास' की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना आरम्भ की है जो सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है जिसके अंतर्गत नर्सरियों की स्थापना के माध्यम से अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री का उत्पादन करने, क्षेत्र विस्तार, आदानों की सप्लाई के जरिए उत्पादकता बढ़ाने/उद्यानों को फिर से ठीक करने, प्रदर्शनों, किसानों के प्रशिक्षण, प्रचार सामग्री के लिये सहायता दी जा रही है। ताकि आम सहित फलों का उत्पादन बढ़ सके। इस संबंध में ड्रिप सिंचाई प्रणाली के प्रदर्शन और स्थापना के लिये भी सहायता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

परमाणु परीक्षणों पर अमेरिका की चेतावनी

1298. श्री श्रीकान्त जेना :
श्री एस.एस.आर. राजेन्द्र कुमार :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने भारत सरकार को यह चेतावनी दी है कि उसके द्वारा परमाणु परीक्षण किये जाने की स्थिति में उसके विरूद्ध कड़े प्रतिबन्ध लगाये जाने की संभावना होगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को स्थागित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) अमरीकी समाचार तंत्र में प्रकाशित इस तथाकथित खबर के प्रत्युत्तर में कि भारत परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, अमरीकी विदेश विभाग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि अमरीकी परमाणु प्रसार निवारण अधिनियम, 1994 में किसी भी परमाणु हथियार विहीन राज्य पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो परमाणु उपकरण दागता है। अमरीकी सरकार ने इससे किसी भी अधिकारिक डिमार्श के द्वारा भारत सरकार को अवगत नहीं कराया है।

नई दिल्ली में सरकारी प्रवक्ता ने एक वक्तव्य में कहा कि परमाणु परीक्षण के सम्बन्ध में अमरीकी समाचार तन्त्र में प्रकाशित खबरें काल्पनिक हैं।

(ग) और (घ) सरकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के आधार पर भारत के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम की दिशा तय करने के लिए वचनबद्ध है।

'सेल' द्वारा कोयला खानों के विकास हेतु पहचान

1299. श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. ने उत्तम श्रेणी का कोयला प्राप्त करने के लिए कुछ कोयला खानों के विकास हेतु पहचान की है;

(ख) क्या 'सेल' कम राख वाला कोयला प्राप्त करने के लिए कोयला धोबन शाला स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) अपने निजी उपयोग के लिए 'सेल' द्वारा विकास करने हेतु कोयला मंत्रालय की 'स्क्रीनिंग कमेटी' द्वारा पर्वतपुर, महल, सीतानाला और तासरा ब्लाक अभिज्ञात किए गए हैं। पट्टों के हस्तान्तरण के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। पट्टों के हस्तान्तरण के बाद शक्यता रिपोर्ट उस समय तैयार की जाएगी जबकि कोयले की गुणत्ता में सुधार के लिए धोवन शालाओं पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

पंचायत और नगर निगम के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

1300. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात राज्य से पंचायतों और नगर निगमों के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को पंचायती राज और नगर निगम के नियमों के अन्तर्गत सभी निर्वाचित सदस्यों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी कोई विशेष दिशा-निर्देश जारी किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल): (क) केवल पंचायतों के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता हेतु गुजरात सहित कुछ राज्यों से इस मंत्रालय को प्रस्ताव मिले हैं। नगर निगम के बारे में शहरी क्षेत्र और रोजगर मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए सदस्यों को उचित प्रशिक्षण दें। किन्तु इस संबंध में कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं किए गए थे।

ग्रामीण श्रमिकों का कल्याण

1301. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन योजनाओं से ग्रामीण श्रमिकों को क्या-क्या लाभ होंगे; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उद्देश्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित योजना के अलावा सरकार ने 1995-96 के दौरान सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरु किया है जिसके अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना कार्यान्वित

की जा रही है। इन योजनाओं में अन्य बातों के साथ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को भी कवर किया जाता है।

(ग) (I) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के दीन हीन व्यक्तियों को 75 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।

(II) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना : गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्रमुख जीविकोपार्जक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर 5,000 रुपए तथा दुर्घटना मृत्यु होने पर 10,000/- रुपये की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए 18 से 64 वर्ष के व्यक्ति पात्र हैं।

(III) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना : गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की 19 वर्ष से अधिक वर्ष की गर्भवती महिलाओं के मामले में प्रथम दो जीवित बच्चों तक 300 रुपए प्रति प्रसव की सहायता दी जाती है।

1995-96 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनावार आबंटित निधियां निम्नानुसार हैं :

(लाख रुपये में)

	योजना का नाम	आबंटित निधियां
1.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	29550.90
2.	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	15396.55
3.	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	8402.55
	कुल	53350.00

राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय निधि का उपयोग न किया जाना

1302. श्री राम कृपाल यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्य 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान निर्धारित कार्यक्रमानुसार केन्द्रीय निधि का उपयोग नहीं कर पाये;

(ख) किन-किन राज्यों ने वर्ष 1992, 1994 और 1995 के दौरान गरीबी उन्मूलन और रोजगार हेतु निर्धारित धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया और सम्बद्ध योजनाओं सहित इस धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन से राज्य इस निधि में अपना योगदान नहीं दे पाये और उनके द्वारा कितनी राशि दी जानी थी ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 1992-93 से 1994-95 तक के वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित धनराशियों 90 प्रतिशत तक का उपयोग नहीं किया है:-

विवरण

वर्ष/योजना	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1992-93	
1. आई.आई.डी.पी. :	बिहार, गोआ, कर्नाटक राज्य/संघ
2. जे.आर.वाई. :	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर, मेघालय।
3. ए आर डब्ल्यू एस पी:	असम, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली।
1993-94	
1. आई.आर.डी.पी. :	अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोआ, कर्नाटक महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दमन और द्वीव और पांडिचेरी।
2. जे आर.वाई. :	हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।
3. ए.आर.डब्ल्यू.एल.पी. :	अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, दादर व नगर हवेली, दिल्ली और पांडिचेरी।
1994-95	
1. आई.आर.डी.पी. :	अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोआ, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, प.बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और द्वीप और पांडिचेरी।
2. जे.आर.वाई. :	केरल, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अंडमान, निकोबार, द्वीप समूह और दादर और नगर हवेली को छोड़कर सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।
3. ए. आर. डब्ल्यू एस. पी.:	आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश और दादर व नगर हवेली।

(ख) धनराशियों के अन्यत्र उपयोग करने का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) पिछले वर्ष अर्थात् 1994-95 के दौरान आई. आर. डी. पी., जे. आर. वाई. ए. एस. और ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों द्वारा जारी की गई धनराशियों का विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले वर्ष (1994-95) के दौरान आई.आर.डी.पी., जे.आर.वाई, ई.एस.एस. तथा ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अन्तर्गत केन्द्र व राज्यों द्वारा जारी की गई निधियां

सं.राज्य/संघ शा.	समेकित ग्रा. वि. कार्यक्रम (लाख रुपये)		जवाहर रोजगार कार्यक्रम (लाख रुपये)		सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम (लाख रुपये)		त्वरित जल सफाई कार्यक्रम (लाख रुपये)	
	केन्द्रीय रिलीज	राज्य रिलीज	केन्द्रीय रिलीज	राज्य रिलीज	केन्द्रीय रिलीज	राज्य रिलीज	केन्द्रीय रिलीज	राज्य रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	5252.48	5253.87	22078.81	5519.70	10390.00	2597.50	4644.00	6108.71
अरूणाचल प्रदेश	313.00	185.10	143.14	35.79	960.00	240.00	842.00	932.00
असम	2373.00	793.74	7425.55	1856.39	4632.00	1158.00	449.17	4364.00
बिहार	6464.95	3142.00	42964.48	10741.12	10390.00	2597.50	2804.42	2736.71
गोआ	57.16	35.50	278.77	69.69	0	0	129.00	375.00
गुजरात	1507.63	1507.62	8802.65	2200.66	3580.00	895.00	3039.00	5791.28
हरियाणा	782.26	905.76	2187.03	546.76	2880.00	720.00	2039.82	1577.00
हिमाचल प्रदेश	175.08	58.26	1188.96	297.24	500.00	125.00	958.52	3526.10
जम्मू और कश्मीर	451.32	169.32	1570.74	392.69	2950.00	737.50	3639.00	3945.20
कर्नाटक	2506.29	2506.29	15218.61	3804.65	6550.00	1637.50	4407.73	5187.74
केरल	1150.08	1059.73	5733.13	1434.53	1360.00	340.00	2172.00	2361.33
मध्य प्रदेश	4888.00	3233.85	27603.74	6900.94	1456.00	3634.00	5033.49	5242.00
महाराष्ट्र	3958.53	3963.38	22182.79	5545.70	722.00	1805.50	682.00	11616.63
मणिपुर	225.00	87.87	291.04	72.76	990.00	247.50	309.00	115.43
मेघालय	239.00	101.00	366.08	91.52	540.00	160.00	532.80	1000.00
मिजोरम	101.00	50.50	162.70	40.68	1600.00	400.00	246.37	340.00
नागालैंड	168.00	0	414.76	103.69	1120.00	280.00	0.00	0.00
उड़ीसा	3243.29	1792.84	17095.55	4273.89	7884.00	1971.00	2483.22	2735.00
पंजाब	695.94	396.65	2736.89	684.22	0.00	0.00	857.00	1804.00
राजस्थान	2017.03	2025.62	11025.78	2756.45	9900.00	2475.00	8231.00	8428.80
सिक्किम	28.00	28.00	151.02	37.76	160.00	40.00	465.00	335.00
तमिलनाडु	4455.92	4767.21	20166.38	5041.50	3942.00	985.50	4235.63	4872.00
त्रिपुरा	288.59	249.00	899.84	224.96	1818.00	454.50	899.00	899.00
उत्तर प्रदेश	9813.02	9810.52	57586.48	14396.62	10990.00	2747.50	8616.00	5793.66
पश्चिम बंगाल	3295.74	4504.11	19675.42	4923.86	1698.00	1924.50	2824.50	2960.55
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	35.50	0.00	152.70	0.00	40.00	0.00	0.00	300.00
चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
दादर व नगर हवेली	12.66	0.00	81.47	0.00	20.00	0.00	25.00	57.00
दमन व द्वीव	14.00	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55.44
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	0.00	352.00
लक्षद्वीप	5.21	0.00	76.06	0.00	100.00	0.00	0.00	87.11
पांडिचेरी	33.32	0.00	149.45	0.00	–	–	13.00	89.00
अखिल भारतीय	54610.00	47287.74	288471.62	71993.84	112852.00	28173.00	67595.74	82529.28

[अनुवाद]

कुमारस्वामी खान का निजीकरण

1303. **श्री अमरपाल सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कर्नाटक में कुमारस्वामी खान के निजीकरण के विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) के पास कर्नाटक में कुमारस्वामी के ब्लाक 'बी' और 'सी' का खनन पट्टा है। कर्नाटक सरकार से एन.एम.डी.सी. को यह सलाह देने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वह ब्लाक 'सी' को राज्य सरकार को दे दे ताकि राज्य सरकार उसे एक निजी कम्पनी जोकि उस क्षेत्र में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित कर रही है, को पट्टे पर दिया जा सके। इस संबंध में कुछ जन प्रतिनिधियों तथा ट्रेड यूनियनों/एशोसिशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया है।

कोचीन तेलशोधक कारखाने द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1304. **श्री पी.सी. थामस** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य कम्पनियों के सहयोग से रिफाईनरी लिमिटेड द्वारा एक पांच सौ मेगावाट वाले विद्युत परियोजना की स्थापना का कार्य शुरु किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) मैं. कोचिन रिफाइनरीज़ लिमिटेड (सीआरएल) केरल में 500 मे.वा. का अम्बालामुगल विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। दिनांक 22.12.1995 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना को 'सिद्धान्त रूप में' 'शर्तबद्ध स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना ने राज्य बिजली बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

1305. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उद्योग पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ग्रामीण स्तर पर नहीं चलाया जा रहा है ;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की भरपूर संभावनाएं हैं वहां उन उद्योगों का प्रचार करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु व्यापक कार्यक्रम शुरु न किए जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार कृषि को बढ़ावा देने, ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रभावी बनाने हेतु खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों को ग्रामीण स्तर पर शुरु करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों समेत लघु तथा कुटीर स्तर के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित तथा तैयार करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 8वीं योजना के दौरान एक योजना चला रहा है। इसमें बढ़िया उत्पाद की प्रसंस्करण तकनीकी, गुणवत्ता नियंत्रण, लेखाकर्म, हिसाब-किताब, विपणन इत्यादि समेत विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था है ताकि वे लघु तथा कुटीर स्तर के खाद्य प्रसंस्करण यूनिटे स्थापित कर सकें। खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने में रूचि रखने वाले स्वयंसेवी संगठनों समेत संगठनों को सहायता दी जाती है। उक्त स्कीम के प्रचार के लिए प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र नोडल एजेसियां मनोनित की गई हैं ताकि, ग्रामीण लोग स्कीम से परिचित हो सकें और अपनी यूनिटें शुरु कर सकें।

8वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, 150 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों को मदद दी गई है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से 52 केन्द्र काम शुरु कर चुके हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण - II में दिए गए हैं। 1000 से अधिक लोगों को केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उनमें से कुछ ने अपना लघु उद्यम स्थापित कर लिया है।

विवरण - I

क्र.सं.	राज्य	सहायता प्राप्त उद्यम प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	1
2	अरूणाचल प्रदेश	1
3	असम	16
4	बिहार	16
5	गोआ	-
6	गुजरात	3

1	2	3
7	हरियाणा	8
8	हिमाचल प्रदेश	3
9	जम्मू व कश्मीर	4
10	कर्नाटक	4
11	केरल	5
.12	मध्य प्रदेश	2
13	महाराष्ट्र,	5
14	मणिपुर	-
15	मेघालय	-
16	मिजोरम	6
17	नागालैण्ड	2
18	उड़ीसा	30
19	पंजाब	-
20	राजस्थान	3
21	सिक्किम	-
22	तमिलनाडु	5
23	त्रिपुरा	1
24	उत्तर प्रदेश	25
25	पं. बंगाल	9
26	अंडमान और निकोबर द्वीप समूह	-
.27	चंडीगढ़	-
28	दादर व नगर हवेली	-
29	दमन व दीव	-
30	दिल्ली	-
31	लक्षद्वीप	-
32	पांडिचेरी	-
	कुल	150

विवरण – II

क्र.सं.	राज्य का नाम	खुल चुके खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	स्थान
1	2	3	4
1.	असम	2	जोगी रोड और रंगिया
2.	बिहार	8	रांची, अंगारा, गुमला-2, गोत्रा, तोरपा, दुमका, साहिबगंज।
3.	हरियाणा	1	गुडगांव
4.	हिमाचल प्रदेश	1	शोगी
5.	कर्नाटक	3	हब्बल, हुलकोट्टि, बीजापुर
6.	मध्य प्रदेश	1	सतपुड़ा
7.	मिजोरम	4	सैरंग, बीथैनगो, खाज्वाल, रिंगलिक
8.	उड़ीसा	10	कासी हरिपुर, नवागढ़-2 सुन्दरगढ़-2, कोरापुट, पारलेख मंडी, गजपति-2, खुर्द, धनकनाल।
9.	तमिलनाडु	1	तिरूपत्तूर
10.	उत्तर प्रदेश	13	लखानऊ-2, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, गोरखपुर, इलाहबाद-4, बस्ती, सीतापुर, अमेठी।
11.	पश्चिम बंगाल	8	बैरीपुर, दक्षिणी-24, परगना, उत्तरी-24, परगना हावड़ा, झरिग्राम, बेलापठेसि, माल्दा।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां

1306. श्री मंजय लाल : क्या विदेश मंत्री 27 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 112 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की अस्थियों को वापस लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : इस मामले पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

मेट्रोनिडेजोल का मूल्य

1307. श्री के. प्रधानी : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल कास्ट्स एण्ड प्राक्लन की सिफारिशों में परिवर्तन करते हुए मेट्रोनिडेजोल का मूल्य काफी अधिक निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या -क्या है और इसका संस्तुत मूल्य कितना था ;

(ग) बी आई सी पी द्वारा संस्तुत मूल्य की वैधता कब समाप्त होगी और क्या इसका कोई नए सिरे से अध्ययन किया गया है; यदि हां, तो कब और इसमें संस्तुत मूल्य क्या है ;

(घ) क्या उत्पादक को इसके उचित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करने की अनुमति जान-बूझकर दी गई थी ; और

(ङ) इस पूरे मामले की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ङ) बी आई सी पी ने प्रपुंज औषध मेट्रोनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल ऐंजोएट के सम्बन्ध में नवम्बर, 1990 में लागत-सह-तकनीकी अध्ययन किया है और क्रमशः रुपये 436/- प्रति कि.ग्रा. और रुपये 457/- प्रति कि.ग्रा. के मूल्य की सिफारिश की है, किन्तु जांच करने के पश्चात् मूल्यों को कम कर दिया गया था और 8.2.91 को रू. 428/- प्रति कि. ग्रा. और रु. 380/- प्रति कि.ग्रा. अधिसूचित किया गया था। बाद में, इन प्रपुंज औषधों के मूल्यों को रिपोर्ट में दिए गए वृद्धि फार्मूले के आधार पर बढ़ाकर संशोधित किया गया था। लागत-सह-तकनीकी अध्ययन की वैधता अवधि 31.3.1993 को समाप्त हो गई है। बी आई सी पी ने इस प्रपुंज औषध के अध्ययन की प्रक्रिया पहले ही प्रारम्भ कर दी है जो कि अग्रिम अवस्था में है।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार किया जाना

1308. श्री हरिन पाठक : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति के संबंध में अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या नीति के प्रारूप को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों से चर्चा कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास सरकार की औद्योगिक नीति के व्यापक मानदंडों के भीतर किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के त्वरित विकास के लिए विभिन्न विषयों पर नए नीति उपाय तैयार करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। जिसके बारे में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया था।

इस पर आगे कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

[हिन्दी]

म्यांमार के लिए सड़क परिवहन सुविधा

1309. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों को सस्ती सड़क परिवहन सुविधा की संभावना के बावजूद भी हवाई जहाज द्वारा म्यांमार जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीयों को म्यांमार तक की सड़क परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। इस समय भारत और म्यांमार के बीच सड़क यात्रा की सुविधा केवल सीमावर्ती व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए ही प्रयोग की जा रही है।

[अनुवाद]

भोपाल में अस्पताल

1310. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अस्पताल के निर्माण की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अस्पताल की लागत में वृद्धि हुई है और क्या यह बढ़ी हुई लागत यूनियन कार्बाइड द्वारा वहन की जाएगी जो इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय में जमा धनराशि से अलग है; और

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा अस्पताल के बारे में दिये गये अपने निर्णय में निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन हुआ है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ख) भोपाल में एक विशिष्ट अस्पताल का निर्माण सितम्बर, 1995 में प्रारम्भ हुआ था और यह नवम्बर, 1997 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य में वर्तमान प्रगति निर्धारित क्रियान्वयन अनुसूची के अनुसार हो रही है। इस अस्पताल का वित्तपोषण उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप यूनियन कारबाइड के शेयर भोपाल अस्पताल ट्रस्ट को बेचकर उपलब्ध धन राशि द्वारा किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

कम सल्फर तथा फासफोरस वाले कच्चे लोहे का उत्पादन

1311. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम सल्फर तथा कम फास्फोरस वाले कच्चे लोहे तथा लचीले एवं खींचे हुए लोहे और पाइप का उत्पादन इसकी मांग से कम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में संयुक्त उद्यम वाली कंपनी स्थापित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) मैटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेन्टस (इण्डिया) लिमिटेड (मेकन) द्वारा 1994 में तैयार की गई शक्यता रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त निर्यात क्षमता के अलावा घरेलू बाजार में 1996-97 तक और 2001-02 में निम्न सल्फर एवं निम्न फास्फोरस युक्त कच्चे लोहे की उपलब्धता में प्रक्षेपित अन्तर क्रमशः लगभग 2,67,000 टन और 3,91,000 टन है। इसी प्रकार उपरोक्त डक्टाइल आयरन स्पन पाइपों की

उपलब्धता में अन्तर अनुमान क्रमश: 55,000 टन और 1,33,000 टन लगाया गया है।

(ग) और (घ) उच्च ग्रेड के कच्चे लोहे और कास्ट आयरन स्पन पाइपों की उपलब्धता में प्रक्षेपित (के.आई.ओ.सी.एल) एम.एस.टी.सी. लिमिटेड और मेकन, जो इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, ने निम्न सल्फर, निम्न फास्फोरस युक्त कच्चे लोहे और डक्टाइल आयरन स्पन पाइपों का उत्पादन करने के लिए क्रमश: 1,55,000 टन और 50,000 टन वार्षिक क्षमता के लिए एक नई संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाई है। इसमें लगभग 233 करोड़ रुपए की लागत आने की सम्भावना है। संयुक्त उद्यम कम्पनी के साम्या में सरकारी क्षेत्र के इन तीन उपक्रमों की भागीदारी 50 प्रतिशत '(अधिकतम) होगी तथा शेष साम्या की पेशकश जनता एवं वित्तीय संस्थाओं को की जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी पर संयुक्त राज्य अमेरिका के विचार

1312. **श्री मणिकराव होडल्या गावीत :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लिंटन प्रशासन का भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता प्रदान करने के संबंध में नकारात्मक विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका ने जर्मनी और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। तथापि, अमेरिका ने भारत की उम्मीदवारी के सम्बन्ध में कोई रूख नहीं अपनाया है।

दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसों की संख्या

1313. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यात्री बसों की कुल आवश्यकता की 40 प्रतिशत जरूरत को पूरा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों की वर्तमान आवश्यकता कितनी है;

(ख) उपरोक्त (क) की तुलना में, दिल्ली परिवहन निगम के डिपों में वास्तव में ऐसी कितनी बसें हैं जो सड़क पर चलने के लायक हैं या इसके लायक बनाई जा सकती हैं ;

(ग) उपरोक्त (ख) में से, अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रति दिन चलने वाली बसों की औसत संख्या क्या है;

(घ) वर्तमान कमियों से निबटने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) वर्ष 2000 तक कितनी बसों की आवश्यकता होगी तथा इसे किस प्रकार पूरा किए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के सड़क परिवहन संबंधी कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम और निजी प्रचालकों के अपेक्षित बस बेड़े की संख्या का निम्न प्रकार अनुमान लगाया गया था :-

दिल्ली परिवहन निगम की बसें	- 7419
निजी रूप से प्रचालित बसें	- 2968

(ख) और (ग) दिनांक 29.2.96 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के बस बेड़े की संख्या 2770 है। इनमें 1692 बसें सड़क पर चलने योग्य हैं और 1078 बसें मरम्मत के लिए खड़ी हैं।

(घ) सरकार ने बसों की मरम्मत के लिए दिल्ली परिवहन निगम को हाल ही में 10 करोड़ रुपये प्रदान किए थे और पर्याप्त संख्या में बसों को सड़कों पर लाया गया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को अर्थोपाय ऋण के रूप में भी 37 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

(ङ) 9वीं योजना अवधि की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए हाल ही में एक सड़क परिवहन संबंधी कार्य दल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाया जाना

1314. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला मार्ग बनाने के संबंध में आज की तारीख तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(ख) अब तक इस कार्य के निष्पादन में क्या प्रगति हुई है तथा कितना कार्य अभी पूरा किया जाना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख) राजस्थान राज्य में जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के कुछेक खंडों (162.5 से 248.0 कि.मी.) को 4 लेन का बनाए जाने के कार्यों पर 74.72 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। ये कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के हरियाणा से गुजरने वाले भाग (36.630 - 107.180 कि.मी.) पर अनुषंगी कार्यों पर 1.96 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। हरियाणा और राजस्थान में 36.630 और 162.50 कि.मी. के बीच निर्माण कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है। दिल्ली से गुजरने वाला भाग पहले ही चार लेन का है।

कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

1315. **श्री विजय एन. पाटील :** क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के उत्थान के लिए ग्रामीण और शहरी रोजगार तथा ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने हेतु

विभिन्न योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है और इन पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना जैसी रोजगार सृजन करने वाली योजनाएं चलाई जा रही हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए लक्षित है, जिसमें उन्हें आयोपार्जक कार्यों हेतु परिसम्पत्तियों अर्जित करने के लिए सावधि ऋणों और सब्सिडी प्रदान की जाती है। जबकि, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना ऐसी मजदूरी रोजगार योजनाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प-रोजगार वाले व्यक्तियों को आयोपार्जक रोजगार प्रदान करने के लिए लक्षित हैं। इन योजनाओं के अतिरिक्त, नेहरू रोजगार योजना को भी अक्टुबर, 89 में शुरु किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। वर्ष 1995-96 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत हुई भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। जहां तक ग्रामीण आवास से संबंधित कार्यनीति का प्रश्न है, तो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे गांव के लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख मकानों को निर्मित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान व्यय एवं उपलब्धि

कार्यक्रम	व्यय (लाख रुपये में)	उपलब्धि
1 2	3	4
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	57219	11.10 (लाख परिवार)
2. जवाहर रोजगार योजना	245848	5001.59 (लाख श्रम दिन)
3. सुनिश्चित रोज ार योजना	91225	1942.79 (लाख श्रम दिन)
4. नेहरू रोजगार ोजना	47210	(1) 7.45 लाख (सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या)
		(2) 598.90 लाख (सृजित किए गए श्रम दिनों की संख्या)
		(3) 2.50 लाख (प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या)

[अनुवाद]

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

1316. श्री प्रेम चन्द राम : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या बिहार के मखाना (प्रसंस्कृत कमल बीज) उद्योग को सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्योग को केवल बड़ी कंपनियों के रूप में ही नहीं बल्कि लघु-उद्योग कुटीर उद्योग के स्तर पर भी विकसित करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई और कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) सरकार की उदारीकरण की नीतियों और बिहार राज्य समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आठवीं योजना के दौरान विभिन्न योजना स्कीमें चला रहा है जिनका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/उन्नयन करना है।

(ख) और (ग) माखाना उद्योग की स्थापना/उन्नयन हेतु सहायता प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) माखाना उद्योग के विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर स्थित फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा एक माखाना प्रसंस्करण मशीन का डिजाइन तथा विकास किया गया है। इस मशीन से छोटे व लघु स्तर के उद्यमियों को भी लाभ होगा।

कालीकट बाइपास निर्माण कार्य चरण दो, तीन और चार

1317. श्री के.मुरलीधरन : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट बाइपास निर्माण कार्य चरण दो, तीन और चार इस समय किस स्थिति में है; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ख) बाईपास के पूरा होने की तारीख के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

फलों और सब्जियों की चोरी

1318. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी का फल ओर सब्जी विभाग उनके द्वारा किराये पर लिये गये निजी ट्रकों/मेटाडोरों के फल और सब्जी की चोरी किये जाने की घटना का पता नहीं लगा पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी ट्रक/मेटाडोर के मालिक रास्ते में ही ताजे फलों एवं सब्जियों को बासी और सड़े फल एवं सब्जियों से बदल देते हैं ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वाहनों के मालिकों द्वारा ताजे फल/सब्जियां बदल दिये जाने के कितने मामले हुए हैं; और

(घ) मदर डेरी द्वारा निजी ट्रक/मेटाडोर से फलों और सब्जियों की चोरी रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

लघु इस्पात संयंत्र

1319. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लघु इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर लगाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : लघु इस्पात संयंत्र से अभिप्राय सामान्यतया विद्युत चाप भट्टी प्रक्रिया के जरिए तुलनात्मक रूप से कम क्षमता की इस्पात निर्माण इकाइयों से है।

उपलब्धता सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सिल्तारा, रायपुर, मध्य प्रदेश में 1.75 लाख टन वार्षिक क्षमता की एक विद्युत चाप भट्टी इकाई अर्थात् मैसर्स राजेन्द्र स्टील लिमिटेड चालू की गई है।

उपग्रह प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का सम्पर्क

1320. डा. वसंत पवार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विद्युत परियोजनाओं को जोड़ने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चयन की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत परियोजनाओं को इस प्रकार जोड़ने द्वारा सरकार क्या लाभ प्राप्त करने की आशा रखती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ऊर्मिला सी. पटेल) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) उत्तर प्रदेश के नोएडा तथा दिल्ली में स्थित अपने निगम मुख्यालय के साथ अपने विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को जोड़ने वाले एक समर्पित दूर संचार नेटवर्क का प्रचालन पहले ही प्रारम्भ कर चुका है।

(ख) सेटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से जोड़ी गई विद्युत परियोजनाएं निम्नवत: हैं :

क्र.सं.	परियोजना	राज्य
1.	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एसटीपीएस)	उत्तर प्रदेश
2.	रिहन्द एसटीपीएस	उत्तर प्रदेश
3.	फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजैक्ट	उत्तर प्रदेश
4.	औरैया गैस पावर प्रोजैक्ट	उत्तर प्रदेश
5.	नैशनल कैपिटल पावर प्रोजैक्ट, दादरी	उत्तर प्रदेश
6.	कोरबा एसटीपीएस	मध्य प्रदेश
7.	विंध्याचल एसटीपीएस	मध्य प्रदेश
8.	फरक्का एसटीपीएस	पश्चिम बंगाल
9.	रामागुंडम एसटीपीएस	आन्ध्र प्रदेश
10.	कहलगांव एसटीपीएस	बिहार
11.	अन्ता गैस आधारित पावर प्रोजैक्ट (जीबीपीपी)	राजस्थान
12.	कवास जीबीपीपी	गुजरात
13.	गंधार जीबीपीपी	गुजरात
14.	तलचेर एसटीपीएस	उड़ीसा

एनटीपीसी पटना, इलाहाबाद, नागपुर, सिकन्दराबाद स्थित क्षेत्रीय/कार्यालयों तथा केरल स्थित कायमकुलम संयुक्त साइकिल परियोजना से भी इस नेटवर्क को जोड़ रहा है।

(ग) बड़े आकार की विद्युत परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन तथा दिन-प्रतिदिन के प्रचालन के लिए संचार सुविधा एक महत्वपूर्ण निवेश हैं। नेटवर्क की बढ़ाई गई संयोजकता से सूचना प्रदान करने की गति में व्यापक वृद्धि हुई है, जिसके कारण प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रभावी बनी है और इसके द्वारा एनटीपीसी के प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ तथा संगठनात्मक क्षमताओं में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

भारत में जहाज

1321. श्री एन.जे. राठवा : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक, भारत में जहाजों की राज्यवार और श्रेणीवार संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से पंजीकृत और अपंजीकृत जहाजों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ग) इनमें से कार्यरत और खराब पड़े जहाजों की राज्यवार और श्रेणीवार अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(घ) सरकार द्वारा सभी खराब जहाजों की मरम्मत करवाने और राज्यों को और अधिक जहाज उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अनुसार पोतों को रजिस्ट्री पत्तनों पर पंजीकृत करवाना अपेक्षित होता है न कि राज्यवार। 1.2.1996 की स्थिति के अनुसार कुल 7074969 सकल पंजीकृत टन भार (जो आर टी) के 480 पोत हैं। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रत्येक भारतीय पोत को वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य है जब तक कि पोत की क्षमता 15 टन से अधिक न हो और उसे पूर्णत: भारतीय तटों पर नौचालन के लिए तैनात न किया गया हो।

(ग) और (घ) 480 पोतों में से कुल 68,428 सकल पंजीकृत टनभार के 9 पोत खराब पड़े हैं। जहां तक इन पोतों की मरम्मत का संबंध है, व्यापार कार्य को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय संबंधित नौवहन कम्पनी को लेना होता है कि इनकी मरम्मत कराई जाए अथवा न कराई जाए।

विवरण

1.2.1996 की स्थिति के अनुसार जलयानों का वर्गवार ब्यौरा

क्र.सं.	जलयान की किस्म	जलयानों की संख्या	जी आर टी
1	2	3	4
1.	शुष्क कार्गो	98	578019
2.	टग	21	9844
3.	शुष्क कार्गो (बल्क कैरियर्स)	137	3106527
4.	टैंकर (उत्पाद कैरियर)	45	697974
5.	सैल्यूलर कन्टेनर	7	85546
6.	टैंकर (क्रूड आयल कैरियर)	36	2004432
7.	ओर आयल बल्क कैरियर	3	171101
8.	यात्री सह कार्गो	13	67478
9.	यात्री सेवा	3	505
10.	टिम्बर कैरियर	4	15829
11.	एथिलीन गैस करियर	3	8725
12.	एसिड कैरियर	6	106109
13.	रो-रो जलयान	1	956
14.	रसायन कैरियर	1	14960
15.	अपतटीय आपूर्ति जलयान	73	88397
16.	अपतटीय सेवाओं के लिए विशिष्ट जलयान	27	83189
17.	एलपीजी कैरियर्स	2	35378
	जोड़	480	7074969

[अनुवाद]

भारत अमरीका समझौता

1322. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के साथ कृषि अनुसंधान के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राज्य कृषि विभाग के मध्य 27 जनवरी, 1996 को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के अन्तर्गत सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे-जनन द्रव्यों का संग्रह मूल्यांकन और आदान-प्रदान, कृषि वानिकी, पशु-पौध रोगों की पहचान और उनका नियंत्रण, बारानी/टिकाऊ कृषि उत्पादन पद्धति, जैव-प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जैविकी और कृषि व्यवसाय के विकास पर सहमति व्यक्त की गई है।

(ग) इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे-कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अनुसंधान की संस्थाओं पर आपसी सहयोग में वृद्धि, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य उच्च ज्ञान का विकास; कृषि अनुसंधान कर्ताओं और संस्थाओं को सूचना, विचारो, निपुणता और तकनीकों के आदान-प्रदान के अवसर उपलब्ध कराना; कृषि से संबंधित सामान्य हितों की समस्याओं के समाधान में सहयोग देने के लिए अवसरों में वृद्धि तथा अनुसंधान के लिए उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करना।

गैर-सरकारी विद्युत विकास नीति

1323. श्री राम कापसे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गैर-सरकारी विद्युत विकास नीति की समीक्षा करने के लिए एक विशेष पैनल गठित करने और इसके प्रोत्साहन पैकेज सम्बन्धी प्रस्ताव को अभी स्वीकृति प्रदान नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही निजी विद्युत विकास के लिए कई प्रमुख

नई नीति सम्बन्धी निर्णय लिए हैं, जिनमें वृहत् विद्युत परियोजनओं संबंधी नीति, आधुनिकीकरण एवं नवीकरण कैप्टिव/सह उत्पादन संयंत्र इत्यादि में निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल हैं। टैरिफ संरचना एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कुछ अतिरिक्त अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। अत: सरकार ने वैकल्पिक टैरिफ संरचनाओं का अध्ययन करने तथा जहां आवश्यक हो, उन परिवर्तनों को सुझाने के लिए एक अन्त:मंत्रालय समिति का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य बिजली बोर्डों को न्यूनतम लागत पर विद्युत की उपलब्धता के योग्य बनाना है। समिति द्वारा मामलों पर विचार किया जा रहा है।

जैव उत्पादों के पेटेंट

1324. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जैव उत्पादों के पेटंटीकरण तथा पादप किस्मों के स्वामित्व के संबंध में 8 फरवरी, 1996 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त विद्वान नार्मन ई. धोरलार्ग द्वारा दिए गए वक्तव्य पर गया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुवांशिकी पदार्थों के पेटेंटीकरण के सिद्धान्त के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) सरकार को जैव उत्पादों के पेटेंटीकरण तथा पादप किस्मों के स्वामित्व के संबंध में नोवेल पुरस्कार प्राप्त विद्वान नार्मन ई. बोरलाग द्वारा दिए गए वक्तव्य को जानकारी है। फिलहाल सूक्ष्म जीवों तथा पादप किस्मों का भारत में पेटेंटीकरण नहीं किया जाता है। तथापि, पादप किस्मों की सुरक्षा के लिए एक अद्वितीय प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित अद्वितीय प्रणाली का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ किसानों के परंपरागत अधिकारों तथा पादप प्रजनकों तथा अनुसंधान कर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है।

[हिन्दी]

ऊर्जा समिति का गठन

1325. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों के विद्युत क्षेत्र में वैधानिक विनियामक समिति गठित करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्युत अधिनियम में संशोधन लाने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ऊर्मिला सी. पटेल) : (क) कुछ राज्यों ने राज्य स्तर पर विद्युत उद्योग के पुनर्गठन/पुनसंरचना की प्रक्रिया को आरम्भ कर दिया है। उनके विचाराधीन उपायों में से एक राज्य स्तरीय नियामक निकायों की स्थापना करना है, जैसे कि उड़ीसा विद्युत सुधार अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत उड़ीसा में किया गया है।

(ख) से (घ) इस तरह के राज्य स्तरीय नियामक निकायों के गठन को सुविधाजनक बनाने के लिए केन्द्रीय अधिनियमों के कुछ विद्यमान प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक है। अगर काफी संख्या में राज्य इस तरह के आयोग/निकाय स्थापित करने के इच्छुक होते हैं तो केन्द्र सरकार केन्द्रीय अधिनियमों में इसके योग्य प्रावधान किए जाने पर विचार कर सकती है।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना

1326. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को सौंपने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) इसे सौंपे जाने के रास्ते में क्या अड़चने आ रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जिसे दिल्ली दुग्ध याजना को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव था, निश्चित प्रस्ताव के साथ आगे नहीं आई है।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

1327. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ::** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जल विद्युत गृहों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और सुधार के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ग) इन परियोजनाओं से प्रतिवर्ष मेगावाट और एम.यू. में कितनी अतिरिक्त बिद्युत क्षमता का उत्पादन किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ऊर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) 1987 में गठित की गई राष्ट्रीय समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई उत्तरवर्ती समीक्षाओं के आधार पर, 55 जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयनीकरण (आर एम एण्ड यू.) के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की ऐसी 7 आर एम एण्ड यू स्कीमें हैं, जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में इन परियोजनाओं से प्रत्येक वर्ष उत्पादित की जाने वाली अतिरिक्त विद्युत क्षमता मे.वा. और मि.यू. में क्रमश: 170.8 मे.वा. और 715 मि.यू. है।

[अनुवाद]

दवाइयों के मूल्य

1328. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी संख्या में दवाइयों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने हेतु चुना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आम आदमी के हितों की रक्षा, जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में कमी करने और गरीब रोगियों को उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) मूल्य नियंत्रण के अधीन रखे गए औषधों की सूची 'औषध नीति, 1986 में संशोधन' में निर्धारित मानदंडों के आधार पर विशेषज्ञ दल द्वारा एकत्रित और समेकित आंकड़ों के आधार पर बैठक में विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। उन औषधों के मामले में जिसमें कोई एकाधिकार की स्थिति नहीं है, यदि बिक्री कारोबार 100 लाख रुपये से अधिक था अथवा बाजार प्रतियोगिता थी, यदि बिक्री कारोगार 400 लाख रुपये या अधिक था, मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं।

दि.प.नि. बसों द्वारा प्रदूषण

1329. श्री वी.श्रीनिवास प्रसाद : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा डी.टी.सी. बसों के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए गठित कार्यबल कोई लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी में डी.टी.सी. बसें अभी भी पर्यावरण में भारी प्रदूषण फैलाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) से (ग) दिल्ली में लगभग 2.5 मिलियन की वाहन संख्या में से दिल्ली परिवहन निगम के पास केवल 2872 बसों (प्राधिकृत संख्या 3500 वाहन) का बेड़ा है। यद्यपि, दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या दिल्ली के वाहनों की कुल संख्या का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका कोई महत्व नहीं है परन्तु दिल्ली परिवहन निगम को सबसे अधिक बसों का प्रचालक माना जाता है इसलिए वाहनों के प्रदूषण से प्रभावित विभिन्न संबंधित समूहों का ध्यान आकर्षित करता है।

2. दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा छोड़े जाने वाले अधिक धुंए से संबंधित समस्याओं का मूल्यांकन करते हुए सरकार द्वारा गठित कार्य दल ने दिनांक 15.2.1995 से 31.12.1995 तक पहले चरण में दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सम्मिलत कार्रवाई की है। इस संबंध में दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी बसों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए निवारक, सहभागिता और दंडात्मक उपायों की तीन स्तरीय नीति अपनायी है। ये उपाय निम्नलिखित हैं :-

(I) दिल्ली के सभी 33 डिपों में से बसों के निकलने से पहले प्रतिदिन उनकी जांच की जाती है।

(II) इसके अतिरिक्त प्रत्येक तीन महीने के पश्चात् उनकी प्रदूषण जांच की जाती है। जिसके बाद उन्हें 'नियंत्रित प्रदूषण' का प्रमाण पत्र दिया जाता है।

(III) इसके अतिरिक्त, राज्य परिवहन प्राधिकरण/दिल्ली परिवहन निगम का एक संयुक्त निरीक्षण दल डिपो में अचानक जाता है और बसों की जांच करता है। जांच में उपयुक्त न पाई जाने वाली बसों को तुरंत सड़कों से हटा लिया जाता है और सुधारात्मक उपायों के लिए भेजा जाता है तथा सुधार होने के पश्चात् उन्हें प्रचालन की अनुमति दी जाती है।

3. बसों द्वारा ईंधन की खपत और धुंआ छोड़ने के संबंध में डायनो मीटर द्वारा भी जांच की जाती है। इन उपायों के बावजूद यदि कोई बस अधिक धुंआ छोड़ती हुई पाई जाती है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण 'उपयुक्तता प्रमाण' पत्र को रद्द करने के लिए सक्षम है। दिल्ली परिवहन निगम ने एक प्रदूषण नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और उसे शिकायत करने के लिए एक टेलीफोन नम्बर दिया गया है जिसका समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दिया गया है। वाहन के बारे में शिकायत मिलते ही सड़क से तुरन्त हटा लिया जाता है।

4. दिल्ली परिवहन निगम के वाहनों द्वारा अधिक धुंआ छोड़े जाने पर नियंत्रण करने के लिए निगम द्वारा किए गए सभी उपायों के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्य परिवहन प्राधिकरण/दिल्ली परिवहन निगम के संयुक्त जांच दस्ते द्वारा अचानक की गई जांचों में अधिक धुआं छोड़ते हुए पाए गए वाहनों की संख्या में पर्याप्त कमी हुई है।

परमाणु नीति के संबंध में बैठक

1330. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को स्वीकृत करने के संदर्भ में भारत की परमाणु नीति पर विचार करने के लिए नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के तत्वाधान में वरिष्ठ सरकारी और सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों और प्रबुद्ध व्यक्तियों की जनवरी, 1996 के प्रथम सप्ताह के दौरान एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या-क्या सुझाव और टिप्पणियां की गयी थीं; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। नीति अनुसंधान केन्द्र ने 4 जनवरी, 1996 को व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि से सम्बद्ध बातचीत और इस संबंध में भारत की नीति पर एक संगोष्ठी आयोजित की थी। इस में भाग लेने वालों में कई गणमान्य विद्वान, भूतपूर्व मंत्री, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। कुछ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने प्रर्यवेक्षक के रूप में निजी हैसियत से भाग लिया था।

(ख) इस संगोष्ठी में भारत की स्थिति का समर्थन किया गया जो कुआलालम्पुर तथा कार्टागेना में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री के भाषण में सुसस्पष्ट थी कि भारत वास्तविक व्यापक संधि का हिमायती है, जो पूर्णत नाभिकीय निरस्त्रीकरण की चरणबद्ध और समयबद्ध योजना का अभिन्न भाग हो।

(ग) सरकार ने संगोष्ठी में भाग लेने वालों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर गौर किया है।

[हिन्दी]

इन्दिरा आवास योजना

1331. **श्री बलराज पासी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी बेघर व्यक्तियों को वर्ष 2000 तक मकान उपलब्ध कराने का निर्णय किया है ;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत कितने मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है ; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की जायेगी ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, नहीं। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2000 वर्ष तक सभी बेघर ग्रामीण गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की है लेकिन यह इस प्रयोजन के लिए धनराशियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) वर्ष के अन्तरिम बजट में धनराशियों के आबंटन के आधार पर इंदिरा आवास योजना के अधीन 1996-97 में दस लाख मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1996-97 (अंतरिम बजट) के दौरान इंदिरा आवास योजना के लिए 1194.00 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है।

[अनुवाद]

मछली पालन के लिए सहायता

1332. **श्री अन्ना जोशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से राज्य के पिछड़े/ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षित पिछड़े ग्रामीण जनजातीय एवं अन्य पिछड़े वर्गों के युवकों को मछली पालन के लिए सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शुरु की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार सहायता राशि में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, ताजा जल कृषि, समेकित खारा जल मत्स्य फार्म विकास और तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों को दिए गए धन का उद्देश्य मात्स्यिकी कार्यकलापों को प्रारम्भ करने के लिये ग्रामीण जनजातीय, पिछड़े तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की सहायता करना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरु की गई योजनाएं निम्नवत हैं:-

(I) समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन तथा कृत्रिम चट्टानों की स्थापना तथा समुद्री जल कृषि (सी-फार्मिंग)

यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना समुद्री मत्सयन विनियम के प्रवर्तन हेतु राज्यों की सहायता देने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान शुरु की गई थी। इस योजना के अधीन परंपरागत मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रादेशिक जल में निगरानी करने हेतु पेट्रोल चलित नौकाओं की पूंजीगत लागत और खरीद के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान दिया जाता है। मुक्ता शुक्ति, खाद्य शुक्ति शिपी और समुद्री खर-पतवार आदि के संवर्धन हेतु कृत्रिम चट्टान की स्थापना तथा समुद्री जल कृषि परियोजनाओं के लिए समुद्रवर्ती राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शत् प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है।

(II) मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार

वर्ष 1994-95 के दौरान शत प्रतिशत सहायता से एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 'मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार' शुरु की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है ताकि वे कुशलतापूर्व मात्स्यिकी विस्तार कार्यक्रम प्रारम्भ कर सकें। इस योजना में मछली पालकों/मछुआरों का प्रशिक्षण भी शामिल है।

(घ) और (ङ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र में योजनाओं की प्रगति और पहले से दी गई सहायता के संबंध में निधियों को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ शासित क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सहायता निश्चित की जाती है।

उर्वरक उद्योग का विस्तार

1333. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच.बी.जे. पाइपलाइन के साथ-साथ गैस आधारित उर्वरक संयंत्र 15 को चालू किए जाने के बाद से उर्वरक क्षेत्र की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) उत्पादन में कमी, यदि कोई हो, के कारणों सहित 1991-92 से उर्वरक उद्योग के सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में कितना विस्तार हुआ है तथा इसकी क्षमता का कितना उपयोग हुआ है;

(ग) 1991-92 सं उर्वरकों की मांग एवं आपूर्ति में कितनी प्रतिशत वृद्धि/कमी हुई;

(घ) 1995-96 के दौरान उर्वरकों का कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा 1996-97 के दौरान आयात की जाने वाली उर्वरक की संभावित मात्रा कितनी है ; और

(ङ) उर्वरक उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) वर्ष 1987-88 में एच.बी.जे. पाइप लाइन पर प्रथम उर्वरक संयंत्र के आरम्भ से पहले देश में उर्वरकों की स्थापित क्षमता 70.33 लाख टन नाइट्रोजन और 22.63 लाख टन फास्फेट थी। वर्तमान स्थापित क्षमता 93.06 लाख टन नाइट्रोजन और 28.22 लाख टन फास्फेट है।

(ख) 1991-92 में सार्वजनिक और सहकारिता क्षेत्र में उर्वरक की स्थापित क्षमता 59.08 लाख नाइट्रोजन तथा 11.01 लाख टन फास्फेट थी। युक्तिसंगत करने के पश्चात् इन क्षेत्रों में वर्तमान स्थापित क्षमता 56.66 लाख टन नाइट्रोजन और 11.01 लाख टन फास्फेट है।

1991-92 से उर्वरक उद्योग में सम्पूर्ण उत्पादन और क्षमता उपयोगिता नीचे दी गई है :-

वर्ष	नाइट्रोजन		फास्फेट	
	उत्पादन (लाख मी.टन में)	उपयोगिता %क्षमता	उत्पादन (लाख मी.टन में)	उपयोगिता %क्षमता
1991-92	73.01	88.5	25.62	93.0
1992-93	74.30	88.0	23.06	82.7
1993-94	72.31	83.9	181.6	64.3
1994-95	79.45	91.2	24.93	88.3
1995-96	87.60	96.7	25.77	91.0

गत तीन वर्षों में उर्वरक संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता में अनुकूल सुधार हुआ है। यद्यपि फास्फेटिक उर्वरकों के नियंत्रण के कारण फास्फेटिक उर्वरक संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता में अस्थायी कमी हुई थी। तथापि, उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है और क्षमता उपयोगिता में सुधार हुआ है।

(ग) राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके नियंत्रित उर्वरकों की मांग का प्रत्येक फसल मौसम के दौरान अलग-अलग मूल्यांकन किया जाता है और इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत किये गये आबंटनों में दर्शाया गया है। इस समय यूरिया नियंत्रणाधीन एकमात्र उर्वरक है। 1991-92 के पश्चात् यूरिया का मौसमवार इसीए आबंटन और संचयी उपलब्धता नीचे दी गई है :-

(लाख टन में)

	ईसीए आबंटन	संचयी उपलब्धता	गत वर्ष के समतुल्य मौसम की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	
			ईसीए आबंटन	संचयी उपलब्धता
खरीफ, 1991	67.15	79.25		
रबी, 1991-92	77.88	85.60		
खरीफ, 1992	69.37	75.25	3.31	(-) 5.05
रबी, 1992-93	80.01	93.50	2.73	9.23
खरीफ, 1993	77.06	86.16	11.09	14.50
रबी, 1993-94	94.33	96.54	19.15	3.53
खरीफ, 1994	83.81	84.42	8.76	(-) 2.02
रबी, 1994-95	101.09	102.75	6.04	6.43
खरीफ, 1995	96.61	972.27	15.27	15.22
रबी, 1995-96 (15.2.96 तक)	108.23	89.26		

फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों को अगस्त, 1992 से अनियंत्रित कर दिया गया। अनियंत्रित उर्वरकों की मांग और आपूर्ति जो बाजार शक्तियों द्वारा शासित है, उनके खपत स्तरों में दर्शायी गई है। फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों की पोषकों के रूप में 1991-92 के पश्चात् वर्षवार खपत नीचे दी गयी है :-

	फास्फेटिक उर्वरक (लाख टन)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी	पोटेशिक उर्वरक (लाख टन)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/ कमी
1991-92	33.21		13.61	
1992-93	28.44	(-) 14.36	8.84	(-) 35.05
1993-94	26.69	(-) 6.15	9.08	2.71
1994-95	29.32	9.85	11.25	23.90
1995-96 खरीफ	15.02		6.06	

(घ) 1995-96 के दौरान, आज तक की तारीख के उर्वरक आयात नीचे दिए गए हैं :-

(लाख टनों में)

	1995-96
यूरिया (जनवरी, 1996 तक)	32.63
एमओपी (दिसंबर, 1995 तक)	17.02
डीएपी (दिसम्बर, 1995 तक)	14.07

आने वाले वर्षों के लिए यूरिया के आयात के अनुमान को बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह अनेक कारणों जैसे कि देश में उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन और खपत की प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों का रूख, विश्वव्यापी मांग आपूर्ति स्थिति आदि पर निर्भर करता है।

(ङ) कृषि के लिए आवश्यक प्रमुख तीन उर्वरक पोषकों अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश में से स्वदेशी कच्चा माल मुख्य रूप से नाइट्रोजन के लिए उपलब्ध हैं। अत: उर्वरकों में आत्मनिर्भरता की नीति का नाइट्रोजनी उर्वरक जो अधिकांशत: स्वदेशी फीड स्टॉक पर आधारित है, के संदर्भ में महत्व है। इस समय नाइट्रोजन के मामले में लगभग 84 प्रतिशत तक देश आत्मनिर्भर है।

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से वर्ष 1997-98 तक 15.79 लाख टन नाइट्रोजन क्षमता में वृद्धि होने की आशा है।

जहां तक फास्फेट का संबंध है कच्चे मालों की घरेलू उपलब्धता में बाधाओं के कारण उत्पादन में आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त हो पाती। चूंकि स्वदेशी रॉक में उत्पादित फास्फेटिक उर्वरक अधिकांश रूप से आयातित कच्चे मालों और मध्यवर्तियों पर आधारित होते हैं। इसके अलावा, अन्तर्विष्ट इन कमियों के कारण स्वदेशी फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन की लागत आयातित तैयार उत्पादों की तुलना में सामान्यत: अधिक होती हैं। इस समय, तैयार फास्फेटिक उर्वरकों के संबंध में आयात निर्भरत: 13 प्रतिशत तक है। कार्यान्वनाधीन परियोजनाओं से वर्ष 1997-98 तक 0.3 लाख टन फास्फेट उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की आशा है।

देश में पोटाश के ज्ञात और वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य भण्डार नहीं हैं। फलस्वरूप इन उर्वरकों की सम्पूर्ण आवश्यकता को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है। सीधे प्रयोग के अलावा आयातित पोटाश का प्रयोग स्वदेशी उत्पादकों द्वारा कम्प्लेक्स उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है।

विद्युत की आवश्यकता और उत्पादन

1334. **डा. विश्वनाथम कैनिथी :**
डा.के.वी. आर. चौधरी :
श्री विश्वेश्वर भगत :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :
श्री नीतीश कुमार :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री इन्द्रकरन रेड्डी :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री नरेश कुमार बालियान :
डा. सत्य नारायण जटिया :
डा. मुमताज अंसारी :
श्री चन्द्रेश पटेल
श्री रतिलाल वर्मा :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1996 तक राज्यवार विद्युत की कुल कितनी मांग है ;

(ख) प्रत्येक विद्युत परियोजना की 31 जनवरी, 1996 तक राज्यवार कितनी स्थापित क्षमता है ;

(ग) प्रत्येक राज्य की सम्बन्धित राज्य में स्थापित विद्युत संयंत्र से कुल कितनी विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है और अन्य राज्यों में स्थित विद्युत संयंत्रों से राज्यवार कितनी विद्युत आपूर्ति की जा रही है;

(घ) आठवीं योजना के दौरान राज्यवार विद्युत उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य की पूर्ण मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें कुल कितनी लागत आयेगी और इस लक्ष्य को पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जनवरी, 1996 के दौरान राज्यवार ऊर्जा की आवश्यकता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 31.1.96 की स्थिति के अनुसार केन्द्रवार एवं राज्यवार क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण - II में दिया गया है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण - III में दी गई है।

(घ) आठवीं योजना के दौरान राज्यवार क्षमता अभिवृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण - IV में दिया गया है।

(ङ) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं; नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा संवर्धन उपायों को क्रियान्वित करना, अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कम ऊर्जा वाले क्षेत्रों को ऊर्जा का अन्तरण करना आदि।

विवरण - I

राज्यवार ऊर्जा की आवश्यकता

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	जनवरी,96 मांग(मे.वा.)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
चण्डीगढ़	72
दिल्ली	1100
हरियाणा	1075
हिमाचल प्रदेश	216
जम्मू एवं कश्मीर	440
पंजाब	1425
राजस्थान	1860
उत्तर प्रदेश	3350
उत्तरी क्षेत्र	9538
पश्चिम क्षेत्र	
गुजरात	3240
मध्य प्रदेश	2950
महाराष्ट्र	5075
गोवा	104
पश्चिमी क्षेत्र	11369
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	3550
कर्नाटक	2265
केरल	965
तमिलनाडु	2865
दक्षिणी क्षेत्र	9645
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	850
डीवीसी	695
उड़ीसा	920
प.बंगाल	1200
पूर्वी क्षेत्र	3665
उत्तरपूर्वी क्षेत्र	
अरूणाचल प्रदेश	13.4
असम	230.9
मणिपुर	39.0
मेघालय	39.1
मिजोरम	16.0
नागालैण्ड	16.2
त्रिपुरा	34.4
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	389.0
अखिल भारत	34606

विवरण - II

31 जनवरी 1996 की स्थिति के अनुसार राज्यवार/प्रणालीवार क्षमता

राज्य/प्रणाली/केन्द्र	क्षमता (मे.वा.)
1	2
बीबीएमबी	
भाखड़ा	1200.0
गांगुवाल	77.5
कोटला	77.5
डेहर	990.0
पौंग	360.0
दिल्ली	
इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	277.75
राजघाट - 2	135.0
राजघाट	14.0
डेसू जीटी	231.0
केन्द्रीय क्षेत्र	
बदरपुर	705.0
हरियाणा	
फरीदाबाद	165.0
पानीपत	650.0
प.यमुना	48.0
हिमाचल प्रदेश	
बारसी	60.0
गिरि बाटा	60.0
अन्य	22.9
संजय भाबा	120.0
केन्द्रीय क्षेत्र	
बेरास्यूल	180.0
चमेरा	540.0
जम्मू एवं कश्मीर	
पम्पौर जीटी	175.0
लोअर जेलम	105.0
चिनानी	23.8
अपर सिन्ध	22.6
अन्य	22.6

1	2
केन्द्रीय क्षेत्र	
सलाल	690.0
पंजाब	
रोपड़	1260.0
भटिण्डा	440.0
यूबीडीसी	90.0
शानान	110.0
मूकेरियां	207.0
आनन्दपुर साहिब	134.0
राजस्थान	
कोटा	850.0
रामघाट जीटी	3.0
आर.पी. सागर	172.0
जवाहर सागर	99.0
माही बाजाज	140.0
अन्य	19.0
केन्द्रीय क्षेत्र	
अन्ता जीटी	413.0
आर ए पी एस	300.0
उत्तर प्रदेश	
ओबरा	1482.0
पनकी	274..0
हरदुआगंज ए	90.0
हरदुआगंज बी	425.0
परिछा	220.0
अनपारा	1630.0
टाण्डा	330.0
अन्य	10.0
रिहन्द (एच)	300.0
ओबरा हाइडल	99.0
राम गंगा	198.0
माताटिला	30.0
खाटिमा	41.4
गंगा कैनाल	45.2
धाकरानी	33.8
धालीपुर	51.0
कुल्हाल	30.0
चिबरो	240.0
खोदरी	120.0
चिल्ला	144.0

1	2
मानेरी भाली	90.0
खारा	72.0
केन्द्रीय क्षेत्र	
सिंगरौली	2000.0
रिहन्द	1000.0
औरैया जीओ	652.0
ऊंचाहार	420.0
दादरी (एनसीटीपीपी)	840.0
दादरी जीटी	8179.0
एन.ए.पी.एस.	440.0
टनकपुर	120.0
गुजरात	
धुवरण	534.0
उकाई	850.0
गांधीनगर	660.0
उत्राण	39.0
उत्राण जीटी	144.0
वानाकबोरी	1260.0
सिक्का रिप्लेसमेंट	240.0
कच्छ लिग्नाइट	140.0
धुवरण जीटी	54.0
उकाई (एच)	305.0
कदाना	120.0
ए.ई.कम्पनी	179.0
साबरमती	330.0
जीआईपी कम्पनी	145.0
केन्द्रीय क्षेत्र	
कावास जीटी	644.0
गान्धार जीटी	648.0
के.एस.पी.एस.	440.0
मध्य प्रदेश	
सतपुरा	1142.5
कोरबा-2	160.0
कोरबा-3	240.0
कोरबा वेस्ट	840.0
अमरकंटक	50.0
अमरकंटक विस्तार	240.0
संजय गांधी	420.0
गांधी सागर	115.0
बारगी+हसदेवबांगो	210.0

1	2
पेंच	160.0
बाणसागर	315.0
बिरसिंघपुर	20.0
केन्द्रीय सागर	
कोरबा एस टी पी एस	2100.0
विन्ध्याचल	1260.0
महाराष्ट्र	
नासिक	910.0
कोराडी	108.0
खापरखेड़ा - 2	420.0
पारास	50.0
भुसावल	478.0
पारली	690.0
चन्द्रपुर	1840.0
उरण जीटी	672.0
उरण डब्ल्यूएचआरपी	240.0
कोयना	920.0
पैतरणा	60.0
टिल्लारी	60.0
भिरा टेलरेस	80.0
अन्य	140.0
ट्राम्बे	1150.0
ट्राम्बे जीटी-।	180.0
धानु	500.0
कोपिली	72.0
भिवपुरी	72.0
भिरा	132.0
केन्द्रीय क्षेत्र	
टीएपीएस	320.0
आन्ध्र प्रदेश	
कोठागुडम	670.0
विजयवाड़ा	1260.0
रामागुण्डम बी	62.5
नैल्लौर	30.0
विजेश्वरम	99.0
रायलसीमा	420.0
मचकुण्ड	114.7
टीबी डैम	72.0
अपर सिलेरू	180.0
लौअर सिलेरू	460.0

1	2
नागार्जुन सागर	810.0
नागार्जुन सागर आर.	90.0
नागार्जुन सागर एल	60.0
डोन्कारायं	25.0
श्रीसेलम	770.0
अन्य	57.0
केन्द्रीय क्षेत्र	
रामागुण्डम एसटीपीएस	2100.0
कर्नाटक	
रायचूर	840.0
सारावती	891.0
जोग	120.0
कालिन्दी	810.0
कालिन्दी सुपा	100.0
भाद्रा	33.2
लिंग्नामाक्की	55.0
शिवसामुद्रम	42.0
शिम्शा+माल्लापुर	26.2
मुनिराबाद	27.0
घाटप्रभा	32.0
वाराही डैम	239.0
शिवपुरा	18.0
केरल	
कुट्टियाडी+काल्लडा	90.0
शोलेयार	54.0
पोरिंगकुथु	32.0
पाल्लीवासात	37.5
सेंगुलम	48.0
पान्नियार	30.0
नारीमंगलम	45.0
इड्डुकी	78.0
साबरगिरि	300.0
इडामालायार	75.0
मानियार	4.0
तमिलनाडु	
एन्नौर	450.0
तूतीकोरिन	1050.0
मैत्तूर	840.0
नार्थ मद्रास	420.0
नारीमन जीटी	10.0

1	2
पाईकारा डैम	720.0
मोयारा+एल. भवन	440.0
कुण्डाह 1-5	555.0
मैत्तूर	240.0
एल्लियार	60.0
शोलयार 1-2	95.0
सार्कारपाथी	30.0
पैरियार	140.0
सुरलियार	35.0
पापानाससाम	28.0
कोडायार 1-2	100.0
सरवालार+वागाई	26.0
लोअर मैत्तूर	120.0
कादाम्पाराई	400.0
केन्द्रीय क्षेत्र	
नेवेली	595.0
नेवेली एम/सी	1470.0
एमएपीएस	440.0
बिहार	
पतरातु	770.0
बरौनी	310.0
मुजफ्फरपुर	220.0
तेनुघाट	210.0
कोसी+वैस्ट कैनाल	31.7
सुबरणरेखा	130.0
केन्द्रीय क्षेत्र	
कहलगांव	630.0
डीवीसी	
चन्द्रपुरा	750.0
दुर्गापुर	350.0
बोकारो	820.0
मेजिया	210.0
मैथोन जीटी	90.0
पंचेत	80.0
टिल्लैया	4.0
मैथोन	60.0
उड़ीसा	
इब घाटी	210.0
बालीमेरा	360.0
हिराकुड	307.5
रेंगाली	250.0
अपर कोलाब	320.0

1	2
केन्द्रीय क्षेत्र	460.0
तलचेर	5000.0
तलचेर एसटीपीएस	
पश्चिम बंगाल	
बन्देल	530.0
सन्तालडिह	480.0
गैस टबाइन्स	60.0
स्माल हाइड्रो	41.3
कोलाघाट	1260.0
डीपीएल	390.0
मुलाजोर	60.0
न्यू कोरिसपुर	130.0
टिटागढ़	240.0
सदर्न रिप्लेसमेंट	135.0
कस्बा जीटी	40.0
केन्द्रीय क्षेत्र	
फरक्का एसटीपीएस	1600.0
सिक्किम	
स्मार हाइड्रो	24.0
असम	
चन्द्रपुर	60.0
नामरूप	30.0
नामरूप जीटी	81.5
नामरूप डब्ल्यू/एच	22.0
बोंगईगांव	240.0
गैस टबाईन	141.0
मणिपुर	
लोकतक	105.0
केन्द्रीय क्षेत्र	
कठलगुड़ी	134.0
मेघालय	
काइर्डेम्कुलाई	60.0
उमियम	114.0
उम्तरू	11.2
खोण्डोंग	50.0
कोपिली	100.0
अरूणाचल प्रदेश	
टागो	4.5
त्रिपुरा	
गैस टबाईन	48.5
गुम्टी	15.0

विवरण - III

कुल उपलब्ध ऊर्जा

(जनवरी, 1996)

(सभी आंकड़े निवल मिवू में)

राज्य	राज्य का अपना विद्युत उत्पादन (साझा परियोजना के हिस्से समेत) (क)	केन्द्रीय क्षेत्र से प्रापण (ख)	निवल सहायता (+) आयात/ (-) निर्यात (ग)	कुल उपलब्धता (क+ख+ग)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	53.7	17.0	+0.3	71
दिल्ली	537.2	528.1	+5.7	1071
हरियाणा	482.4	505.2	+3.4	991
हिमाचल प्रदेश	76.7	114.8	+24.5	216
जे एंड के	60.9	242.4	+4.7	308
पंजाब	1022.2	378.7	-10.9	1390
राजस्थान	863.8	892.5	+17.7	1770
उत्तर प्रदेश	1833.3	1115.8	-8.1	2941
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	2188.4	781.0	+3.6	2973
मध्य प्रदेश	1641.1	1026.8	+13.1	2681
महाराष्ट्र	4042.2	897.2	+0.6	4940
गोवा	0	103.5	0	104
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	188.9	722.4	+68.7	2680
कर्नाटक	1060.4	461.4	+47.2	1569
केरल	516.8	246.2	0	763
तमिलनाडु	1857.5	615.5	0	2473
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	234.3	369.9	+1.8	606
डी.वी.सी.	570.1	122.0	-7.1	685
उड़ीसा	682.7	239.8	-12.5	910
पश्चिम बंगाल	1069.4	171.3	-69.7	1171
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
अरूणाचल प्रदेश	3.6	5.6	0	8.6
असम	107.8	99.3	+15.9	223.0
मणिपुर	0.5	28.3	+9.8	38.6
मेघालय	45.5	0.0	-6.4	39.1
मिजोरम	1.1	13.9	+1.0	16.0
नागालैण्ड	0.8	15.1	+0.3	16.2
त्रिपुरा	19.1	13.4	0	32.5

विवरण - IV

8वीं योजना (1992-97) हेतु क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश	ज.वि. मे.वा.	ता.वि. मे.वा.	न्यूक्लीय मे.वा.	जोड़ मे.वा.
1	2	3	4	5
हरियाणा	22.0	210.0	0.0	232.0
हिमाचल प्रदेश	27.0	0.0	0.0	27.0
जम्मू एवं कश्मीर	111.8	100.0	0.0	211.8
पंजाब	300.0	630.0	0.0	930.0
राजस्थान	0.0	213.0	0.0	213.0
उत्तर प्रदेश	497.5	1110.0	0.0	1607.0
चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	0.0	762.0	0.0	762.0
केन्द्रीय क्षेत्र	2755.0	2891.0	220.0	5866.0
जोड़ (उ.क्षे.)	3713.3	5916.0	220.0	9849.3
गुजरात	352.0	268..0	0.0	620.0
मध्य प्रदेश	1091.0	1260.0	0.0	2351.0
महाराष्ट्र	1144.5	1960.0	0.0	3104.5
गोवा	0.0	0.0	0.0	0.0
दादर व नगर हवेली	0.0	0.0	0.0	0.0
केन्द्रीय क्षेत्र	0.0	1153.0	440.0	1593.0
जोड़ (प.क्षेत्र)	2587.5	4641.0	440.0	7668.5
आन्ध्र प्रदेश	463.6	840.0	0.0	1303.6
कर्नाटक	580.0	416.0	0.0	996.0
केरल	271.0	0.0	0.0	271.0
तमिलनाडु	15.5	750.0	0.0	765..5
पांडिचेरी	0.0	22.5	0.0	22.5
केन्द्रीय क्षेत्र	0.0	630.0	440.0	107.0
जोड़ (द.क्षेत्र)	1330.1	2658.5	440.0	4428.6
बिहार	56.9	920.0	0.0	976.9
उड़ीसा	736.0	840.0	0.0	1576.0
पश्चिम बंगाल	117.5	920.0	0.0	1037.5
डीबीसी	0.0	840.0	0.0	840.0
सिक्किम	12.0	0.0	0.0	12.0
केन्द्रीय क्षेत्र	60.0	263.0	0.0	2690.0
जोड़ (पू.क्षेत्र)	982.4	6150.0	0.0	7132.4
असम	126.0	420.0	0.0	546.0
मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0
मेघालय	60.0	0.0	0.0	60.0
नागालैण्ड	24.0	0.0	0.0	24.0

1	2	3	4	5
त्रिपुरा	0.0	16.0	0.0	16.0
अरूणाचल प्रदेश	10.3	0.0	0.0	10.3
मिजोरम	3.6	0.0	0.0	3.6
केन्द्रीय क्षेत्र	445.0	354.0	0.0	799.0
जोड़ (उ.पू.क्षे.)	668.9	790.0	0.0	1458.9
अं. व नि. द्वीप समूह	0.0	0.0	0.0	0.0
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0
अखिल भारत	9282.2	20155.5	1100.0	30537.7
राज्य क्षेत्र	5854.2	10477.5	0.0	16331.7
निजी क्षेत्र	168.0	1180.0	0.0	1348.0
केन्द्रीय क्षेत्र	3260.0	8498.0	1100.0	12858.0
अखिल भारत	9282.2	20155.5	1100.0	30537.7

[हिन्दी]

अल्प अवधि में पूरी होने वाली विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन

1335. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प अवधि में पूरी होने वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में राज्यवार किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चालू की गई अल्पावधि विद्युत परियोजनाओं, जिनमें गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन और डीजल जेनरेटिंग सैट शामिल हैं, का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	
उत्तर प्रदेश		
केन्द्रीय क्षेत्र		
दादरी सीसीजीटी	एसटी-1	146.5
	एसटी-2	146.5
राजस्थान		
राज्य क्षेत्र		
रामगढ़	जीटी-1	3
	जीटी-2	35.50
जम्मू एवं कश्मीर		
राज्य क्षेत्र		
पम्पार चरण - 2	जीटी-1	25
	जीटी-2	25
	जीटी-3	25
	जीटी-4	25
दिल्ली		
राज्य क्षेत्र		
आईपी डब्ल्यू.ए. (डेस्)	यूनिट-1	34
	यूनिट-2	34
गुजरात		
केन्द्रीय क्षेत्र		
गंधार सीसीजीटी	जीटी-1	131
	जीटी-2	131
	जीटी-3	131
गंधार सीसीएसटी	एसटी-1	255
राज्य क्षेत्र		
उत्राण सीसीजीटी	एसटी-1	45
महाराष्ट्र		
राज्य क्षेत्र		
उराण वेस्ट हीट	यूनिट-1	120
रिकवरी	यूनिट-2	120
ट्राम्बे	जीटी	120
	एसटी	60
कर्नाटक		
राज्य क्षेत्र		
येलाहांका डीजी सैट्स	यूनिट-1	21.32
	यूनिट-2	21.32
	यूनिट-3	21.32

	यूनिट-4	21.32
	यूनिट-5	21.32
असम		
राज्य क्षेत्र		
लाकवा	जीटी-5	20
	जीटी-6	20
	जीटी-7	20
केन्द्रीय क्षेत्र		
कैथलगुड़ी	जीटी-1	33.50
	जीटी-2	33.50
	जीटी-3	33.50
	जीटी-4	33.50
	जीटी-5	33.50
तमिलनाडु		
राज्य क्षेत्र		
बेसिन ब्रिज	जीटी-1	30
	जीटी-2	30
त्रिपुरा		
राज्य क्षेत्र		
1. रोखिया-3	जीटी - 3	8.00
2. रोखिया-4	जीटी - 4	8.00

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक जल प्रदूषण

1336. **श्री चित्त बसु** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री ने 15 दिसम्बर, 1995 को उनके साथ पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या पर विचार विमर्श किया ;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श के क्या परिणाम रहे ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से पहले से तैयार 'मास्टर-योजना' को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहातया प्रदान करने के लिए आग्रह किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई ह्मरजी भाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प. बंगाल सरकार ने 24 परगना जिलों में संखिया से प्रदूषित जल से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए 228.00 करोड़ रुपए की लागत से 19.2.96 को एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

(घ) संखिया की समस्या पर पेयजल से अधिक संखिया को दूर करने संबंधी सब मिशन के कार्यक्रम के अधीन कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता भारत सरकार द्वारा निर्धारित सब मिशन मानदंडों के अनुरूप दी जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सड़कों का विकास

1337. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतर सड़कें खस्ता हालत में हैं ;

(ख) क्या गांव को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कें भी खराब हालत में हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सड़कों की हालत समयबद्ध ढंग से सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई ह्मरजी भाई पटेल) : (क) से (घ) यह मंत्रालय राज्य सड़कों के जिलेवार और ग्रामवार आंकड़े नहीं रखता है। राज्य सड़कों के निर्माण व रख-रखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं

1338. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** :
श्री अन्ना जोशी :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है और इनमें कुल कितना निवेश किया है ;

(ख) और उनमें से स्थानवार कितनी विद्युत परियोजनायें (संयंत्र) इस समय चालू हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कुल कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वास्तव में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी जानी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नाबार्ड ऋण

1339. श्रीमती केसरबाई सोनावी क्षीरसागर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान आज तक महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कितनी धनराशि की मांग की गई है; और

(ख) उक्त परियोजनाओं का ब्योरा और प्रत्येक परियोजना के लिए आबंटित और जारी की गई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) देश में पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए ग्रामीण विद्युतीरकण निगम और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से प्राप्त पुनर्वित पोषण के माध्यम से विशेष कृषि परियोजना (एसपीए) कार्यक्रम के अधीन 1:1:1 के अनुपात से वित्त पोषण किया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान अब तक महाराष्ट्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए एसपीए के अधीन नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का ब्यौरा निम्नवत है :-

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	पुनर्वित पोषण आबंटन	नाबार्ड द्वारा मुहैया कराई गई राशि (करोड़ रुपये में)	
1993-94	156	0.32	26.16	निर्माणाधीन परियोजनाओं समेत
1994-95	98	27.03	22.56	-वही-
1995-96	शून्य	शून्य	15.08	-वही-

[अनुवाद]

पश्चिम तट नहर

1340. श्री ए.चार्ल्स :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्विलोन और कोवालम के बीच वेस्ट कोस्ट के विकास के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सर्वेक्षण को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राइट्स के माध्यम से पहले कराए गए व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार पश्चिमी तटीय शहर के क्विलॉन-कोवालम खंड को उपयुक्त नहीं पाया गया। तथापि, विकास लागत का नए सिरे से आकलन करने के लिए राइट्स की रिपोर्ट मैं. एन ए टी पी ए सी को भेजी गई है।

काजू अनुसंधान हेतु धनराशि

1341. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में काजू अनुसंधान हेतु कृषि विश्वविद्यालयों को कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काजू अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय काजू अनुसंधान प्रायोजना के अधीन कार्यरत निम्नलिखित केन्द्रों को धनराशि आबंटित की गई है :

1.	बापटला आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (आंध्र प्रदेश)	23.58 लाख रुपये
2.	भुवनेश्वर उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (उड़ीसा)	17.18 लाख रुपये
3.	चिंतामणि कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (कर्नाटक)	22.53 लाख रुपये
4.	झाडग्राम बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (पश्चिम बंगाल)	19.08 लाख रुपये
5.	मडक्कातारा केरल कृषि विश्वविद्यालय (केरल)	18.01 लाख रुपये
6.	पिलीक्कोड केरल कृषि विश्वविद्यालय (केरल)	11.82 लाख रुपये
7.	वेंगुर्ला कोंकण कृषि विद्यापीठ (महाराष्ट्र)	18.29 लाख रुपये
8.	जगदलपुर इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश)	14.65 लाख रुपये
9.	विरूधाचलम तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, (तमिलनाडु)	20.03 लाख रुपये

उपरोक्त के अलावा, काजू अनुसंधान पर निम्नलिखित तदर्थ योजनाएं भी चल रही है :-

1. तीन वर्ष के लिए केरल कृषि विश्वविद्यालय में 'भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर काजू की बढ़वार, उपज, काजू के दाने के वजन और गुण पर मौसम और मृदा तत्वों के प्रभाव' संबंधी योजना।
(392260.00 रुपये)
2. तीन वर्ष के लिए केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर में 'परखनली विधियों' द्वारा काजू का द्रुतप्रगुणन।
(703500.00 रुपये)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक उत्पादकों को राजसहायता

1342. **श्री रामकृष्ण कौंताला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के उत्पादनों को राजसहायता देने के सम्बन्ध में वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) क्या सम्बन्धित राज्यों में उत्पादकों को राजसहायता देने के संबंध में राज्य सरकारों की सिफारिशें मुख्य मानक हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकारों की सिफारिशों के बिना ही मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को राजसहायता का भुगतान कर दें ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख) वर्तमान में केवल यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है और उर्वरक विभाग द्वारा प्रत्येक उतपादक इकाई को राजसहायता का भुगतान किया जाता है और प्रत्येक इकाई के लिए यह राजसहायता अलग-अलग होती है।

भारत सरकार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त बिक्री को प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर उर्वरक को आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को विनियंत्रित स्वदेशी फास्फेटयुक्त तथा आयातित पोटाशयुक्त उर्वरकों को बिक्री (कृषकों को) पर भी रियायत की प्रतिपूर्ति कर रही है।

(ग) और (घ) जी नहीं। विनियन्त्रित उर्वरकों के लिये समान मूल्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

सब्जी और पुष्प विकास

1343. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में सब्जी और पुष्प विकास के लिए हालैंड की सहायता हेतु एक परियोजना का प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है ; और

(घ) इस परियोजना प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। [हिन्दी]

गांवों में घरों का निर्माण

1344. **श्री छेदी पासवान** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अधिकतर जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ते और टिकाऊ घर बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव सरकार को कब प्राप्त हुआ था, उक्त प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितने घरों का निर्माण किया जाना है और इन पर कितना खर्च आने का अनुमान है तथा उक्त योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) इन घरों को पात्र लोगों को आबंटित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, हां।

(ख)ग्रामीण आवास योजना, जिसे गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों हेतु ग्रामीण आवास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1993-94 में शुरु किया गया था, के अन्तर्गत 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे तथा क्रमशः 11.00 करोड़ रुपए और 30.00 करोड़ रुपए विभिन्न राज्य सरकारों को रिलीज किए गए थे। 1995-96 के दौरान अर्थात् 1.1.1996 से इस योजना का इंदिरा आवास योजना में विलय हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1995-96 के दौरान ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था और राज्यों को किसी प्रकार का अनुदान रिलीज नहीं किया गया था।

1995-96 के दौरान गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ये सभी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करते हुए लगभग 30,000 मकानों को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान वर्ष के दौरान सक्षम स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय सहायता रिलीज की जाएगी।

इंदिरा आवास योजना, जो सरकार की एक चालू योजना है, के अन्तर्गत 1985 में इसकी शुरुआत से जनवरी, 1996 के अन्त तक 3129.28 करोड़ रुपए के व्यय से 24,61,759 मकानों का निर्माण किया गया है।

(घ) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले गैर अनु.जाति/अ.जनजाति ग्रामीण निर्धनों को आवास प्रदान किए जाते हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंधी परिषद की परामर्श दात्री समिति

1345. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंधी परिषद द्वारा परामर्श दात्री समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) सदस्यों के चयन हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी नहीं। शासी निकाय की दिनांक 22 फरवरी, 1994 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एक योजना समिति गठित की गई थी और उसे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। यह योजना समिति संसार के सभी क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों का कार्य देख रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों की जेलों में बंद भारतीय

1346. **प्रो. सावित्री लक्ष्मण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देशों की जेलों में अनेक भारतीय छोटे-मोटे कारणों के लिए ही बिना किसी औचित्य के बंद हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने जेलों में बंद पड़े इन व्यक्तियों की रिहाई के लिए वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान सम्बद्ध देशों के साथ कोई पारस्परिक समझौता किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा है; और

(ङ) सरकार द्वारा शेष व्यक्तियों की शीघ्र रिहाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अन्य देशों के राष्ट्रिकों तथा स्थानीय नागरिकों की भांति भारतीयों पर भी स्थानीय कानून लागू होते हैं और इन कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है।

(ख) हमारे मिशनों में उपलब्ध सूचना के अनुसार, खाड़ी देशों में जेलों में बन्द भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या इस प्रकार है :-

क्र.सं.	देश का नाम	दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार जेलों में बन्द भारतीयों की संख्या
1.	बहरीन	130
2.	इराक	2
3.	कुवैत	57
4.	ओमान	38
5.	कतर	206
6.	सऊदी अरब	3140
7.	संयुक्त अरब अमीरात	1000
8.	यमन अरब गणराज्य	4

(ग) और (घ) खाड़ी स्थित हमारे मिशन जेलों में बन्दियों के पास जाकर और उनकी स्थिति तथा कल्याण का सुनिश्चय करके अपने कौंसली क्षेत्राधिकार का निरन्तर उपयोग करते हैं। अवैध उतप्रवासन, जैसे अपराध के मामले में राजदूतावास राष्ट्रीय पूर्ववृत की जांच के पश्चात आवश्यक दस्तावेज जारी करके बन्दियों की शीघ्र रिहाई तथा भारत में उनकी वापिसी के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से मिलते हैं।

(ङ) यद्यपि मेजवान सरकार का यह आग्रह है कि कानून अपना समय लेगा परन्तु हमारे मिशन विधिक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करके स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मामलों को उठाकर भारतीय बन्दियों की शीघ्र रिहाई का निरन्तर प्रयत्न करते हैं।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा बधाई कार्ड भेजा जाना

1347. **डा. एस.पी. यादव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को नव वर्ष के उपलक्ष्य में भेजे गए बधाई कार्ड में पाक अधिकृत कश्मीर की तस्वीर है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) कार्ड में इस प्रकार का फोटो शामिल करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रति दिखाई गई अशिष्टिता के लिए सरकार ने राजनयिक माध्यम से पाकिस्तान से अपनी कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की है।

[हिन्दी]

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

1348. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली, उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली पड़े हैं ; और

(ख) इन पदों को कब तक भरे जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली में रिक्त पदों का विवरण नीचे दिया गया है :-

श्रेणी	क	-	142
	ख	-	5
	ग	-	169
	घ	-	209

(ख) रिक्त पदों को भर्ती नियमों में वर्णित नियुक्ति संबंधी विभिन्न तरीकों से भरा जाता है जैसे कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल, विभागीय प्रदोन्नति समितियों, चयन समितियों आदि से यह एक अनवरत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाया जाना

1349. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अल्वे से सर्थालाई के बीच चार लेन का मार्ग बनाये जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) जनवरी, 1996 तक 15.21 प्रतिशत वस्तुगत प्रगति हुई है।

(ख) अल्वे से शेरथलाई तक 4 लेन की सड़क बनाने के लिए 93.97 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

विद्युत मूल्य में वृद्धि

1350. **श्री नीतीश कुमार** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1996 के "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया' में साल्वे स्ट्रैसैस नीड टू हाइक पावर टैरिफ', शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है ;

(ख) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा लगातार घाटा उठाने के प्रमुख कारणों में से एक विद्युत का सामान्यत: और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ने देश में हो रहे कुल विद्युत उपभोग में से कृषि क्षेत्र, उद्योग-व्यापार सार्वजनिक सुविधाओं और घरेलू उपभोग के लिए प्रदान की जा रही विद्युत आपूर्ति के प्रतिशत का अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अलग-अलग ब्यौरा क्या है और उपरोक्त में से प्रत्येक क्षेत्र को प्रदान की जा रही विद्युत आपूर्ति से कितना अनुमानित घाटा हुआ है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ऊर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) विद्युत मंत्रियों के जनवरी, 1993 में आयोजित सम्मेलन में अपनाई गई कार्य योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि कृषि टैरिफ को, जहां ऐसा पहले नहीं किया गया हो, 50 पै. प्रति कि.वा. घं. की न्यूनतम दर तक संशोधित किया जाना चाहिए।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई विद्युत प्रतिशतता निम्नलिखित है :

क्षेत्र	प्रतिशतता
कृषि	29.84
औद्योगिक	39.61
घरेलू	18.17
वाणिज्यिक	5.93
अन्य(जनसुविधा, ट्रैक्शन आदि समेत)	6.66
जोड़	100.00

वर्ष 1993-94 के दौरान, ऊपर दिए गए प्रत्येक क्षेत्र में दी जा रही विद्युत से अनुमानित राशि/परियोजना की राशि निम्नलिखित है :-

क्षेत्र	(केवल रा.वि.बो.) हानि (-)/लाभ(+) (करोड़ रु. में)
कृषि	(-) 9680
घरेलू	(-) 2860
औद्योगिक	(+) 3970
वाणिज्यिक	)+) 180
अन्य (जनसुविधा, ट्रैक्शन आदि समेत)	(+) 1360
निबल	(-) 7030

[अनुवाद]

बीड़ी तम्बाकू किसान

1351. **श्री एस.एम. लालजान वाशा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू विकास परिषद ने बीड़ी तम्बाकू किसानों के लिए विशेष विपणन सुविधाएं देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि पर आधारित उत्पादों का निर्यात

1352. श्री महेश कनोडिया :
श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात के संवर्धन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूंजी निवेश के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) जी हां। पिछले दो सालों अर्थात् 1993-94 और 1994-95 के दौरान सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए 258 मंजूरियां दी हैं। इन परियोजनाओं में 2217 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश शामिल हैं और यूनिटों द्वारा प्रथम 5 वर्षों में 20940 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात करने का लक्ष्य है। लेकिन उनका कार्यान्वयन डावांडोल होगा।

[अनुवाद]

रायचूर ताप विद्युत केन्द्र

1353. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने रायचूर जल विद्युत केन्द्र की 200-200 मेगावाट की पांचवी और छठी इकाइयों के विस्तार हेतु तकनीकी-मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह मंजूरी कब दी गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। रायचूर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (2×210 मे.वा.) यूनिट-5 और 6 स्कीम, जिसे कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड (केपीसीएल) द्वारा निष्पादित किए जाने का प्रस्ताव है, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिसंबर, 1995 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी :

(1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करना।

(2) मै. सिंगरैनी कोलीरिज़ कंपनी लि. से कायेले की आपूर्ति करना जिसका मै. केपीसीएल/कोयला मंत्रालय द्वारा पता लगाया जाना है।

(3) समुपयोजित किया जाने वाला लाभकारी कोयला और बुलाई लागत जिसे ईष्टतम बनाया जाना है, और

(4) मै. भेल के माध्यम से 200 करोड़ रुपये के लिए लीड़ वित्त पोषण हेतु स्वीकृति प्राप्त करना।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र

1354. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : सुन्दरवन में दोआगराखल और हुगली नदी में चैनल क्रीक (बाराटोली नदी) के संगम से बेहराखल और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर रायमंगल नदी के संगम तक का स्टीमर मार्ग उन दस जलमार्गों में से एक मार्ग है जिनका राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) ने राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषणा करने के लिए विचार किए जाने हेतु पता लगाया था। वर्ष 1988-89 में किए गए व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर इस मार्ग (197 कि.मी.) पर राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विचार करके घोषणा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करने हेतु कार्यवाही की गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय की सलाह के अनुसार उक्त परियोजना का पर्यावरणीय अध्ययन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर टनल

1355. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर सहारा तथा पुणे के बीच खंभात की घाट पर टनल का निर्माण किये जाने की परियोजना बनाई है ;

(ख) क्या इस परियोजना को निजी कम्पनी को दिये जाने की संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा क्या इनके लिये निविदाएं आमंत्रित की गई हैं ; और

(घ) क्या इसे निजी कंपनी को देने की शर्त, पथ-कर संरचना, इसके वित्त पोषण तथा इसके स्वामित्व के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1356. श्री दत्ता मेघे : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम हैं जिन्हें महाराष्ट्र राज्य सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र में निर्धारित किए गए लक्ष्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

वर्ष	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (लाभार्थी लाख में)		जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रम दिन)		सुनिश्चित रोजगार* योजना (लाख श्रम दिन)
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6
1993-94	2.22	2.18	1378.28	1188.50	31.53
1994-95	1.82	1.97	1119.13	1100.73	233.89
1995-96	-	0.84	9974.58	447.70	161.28

* सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवधिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत प्रगति की निगरानी, परियोजना निवेशकों की समीक्षा बैठकों का आयोजन, राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों और क्षेत्र अधिकारी योजना के तहत केन्द्र सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षण दौरों के दौरान तैयार की गई पर्यवेक्षण रिपोर्टों के आधार पर उपचारी कार्रवाई जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में विदेशी निवेश

1357. श्री सत्यदेव सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी विदेशी कंपनियां देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश कर रही हैं ;

(ख) उक्त कंपनियों के क्या नाम हैं और इन्होंने इन उद्योगों में कितना-कितना निवेश किया है; और

(ग) इनके क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान (अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1995) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों/अनिवासी भारतीयों/ओ.सी.बी. द्वारा विदेशी पूंजी निवेश संबंधी 309 मामलों को मंजूरी दी है।

(ख) विदेशी निवेशकों में प्रमुख निवेशक कैलांग एंड कंपनी अमेरिका; कोका कोला, अमेरिका, पेप्सिको इंक, अमेरिका, मैकडानल्ड कारपोरेशन, अमेरिका, पीजा हट इंटरनेशनल, हांगकांग, फैट्टी, इटली; सी.पी. एक्वाकल्चर ग्रुप थाईलैंड; कोर्न प्रोडक्ट्स; अमेरिका; फार्म फीटीज हालैंड; सीग्राम कंपनी लि., कनाडा; यूनाइटेड डिस्लेशन, ब्रिटेन, हिंज, इटालिया, इटली, के.एफ.सी., हांगकांग; मार्स इन्कॉपोरेटिड; अमेरिका; डब्लू एम. रिंगले, थाईलैंड; फोर्सटेनक्रवरिंग ग्रुप, आस्ट्रेलिया; कारगिल साउथ एशिया लि., अमेरिका आदि हैं। विदेशी कंपनियों/अनिवासी भारतीयों/को.सी.बी. द्वारा क्षेत्रवार किया गया पूंजी-निवेश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विदेशी कंपनियों द्वारा पूंजी निवेश करने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बरबादी को कम करने, ग्रामीण रोजगार सहित रोजगार के अवसर पैदा करने, प्रतियोगिता बढ़ाने बाजार का विस्तार, बढ़िया उत्पाद उपलब्ध कराने और निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

विवरण

दिसम्बर, 1995 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों/अनिवासी भारतीयों/ओ.सी.बी. द्वारा किए गए पूंजी निवेश के ब्यौरे।

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	विदेशी पूंजी निवेश
1.	खाद्यान्न मिलिंग तथा खाद्यान्न आधारित उत्पाद	319
2.	फल तथा सब्जी उत्पाद	523
3.	मांस तथा पॉल्ट्री	291
4.	गहन समुद्री मत्स्यन, मछली प्रसंस्करण और एक्वाकल्चर	540
5.	किण्वन उद्योग	287
6.	शीतल पेय/वातित जल/मिष्ठान समेत उपभोक्ता उद्योग	1054
7.	दूध तथा दूध उत्पाद	224
8.	खाद्य योगज, सुगंध आदि समेत अन्य	111
	कुल	3349

[अनुवाद]

निजी विद्युत परियोजना का अनुमोदन

1358. श्री राम नाईक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई सभी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या "फास्ट ट्रैक निजी विद्युत परियोजनाओं की लागत का पृथक-पृथक ब्यौरा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकतर विद्युत परियोजनाओं में विद्युत का शुल्क और पूंजीगत लागत पुनर्निर्धारण डाभोल लागत आकलनों से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो अनुमोदित लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) निजी विद्युत परियोजनाओं, जिनको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (केविप्रा) द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान की गई है; का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त उत्तर (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित पुर्नसमझौता दल के साथ दभोल विद्युत कम्पनी द्वारा सहमत शर्तों एवं निबंधन के आधार पर विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) में संशोधन के संबंध में वार्ता करने के लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी) को निर्देश दिये गये हैं। एमएसईबी द्वारा वार्ता पूरी कर लेने तथा मामले को भारत सरकार के पास भेज देने के बाद ही दभोल विद्युत परियोजना की संशोधित लागत संबंधी ब्यौरों को इंगित किया जा सकता है। केविप्रा परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना के टैरिफ तथा लागत की युक्तिसंगतता की भी जांच करता है। केविप्रा द्वारा स्वीकृत लागत वह लागत सीमा है, जिसके अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण विद्युत उत्पादन कंपनियों के साथ पीपीए निष्पन्न करने के प्रयोजनार्थ लागत तथा टैरिफ के संबंध में समझौता करने के लिए स्वतंत्र है।

विवरण

के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित निजी क्षेत्र की स्कीमें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
		जल विद्युत स्कीमें
	हिमाचल प्रदेश	
1.	बासपा चरण-2 (मै. जे आई एल)	3×100=300
	मध्य प्रदेश	
2.	महेश्वर (मै. एस.कुमार्स लि.)	10×40=400
3.	भिवपुरी पीएसएस (मै. टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी)	1×90=90
	ताप विद्युत स्कीमें	
	गुजरात	
1.	पागुथाण सीसीजीटी (मै.जीटीईसीएल)	654.7
2.	हजीरा सीसीजीटी (मै. एस्सार पावर लि.)	515
3.	सीसीजीटी प्लांट ऑफ बड़ौदा (मै.जीआईपीसीएल)	167
	महाराष्ट्र	
4.	दभोल सीसीजीटी (मै. दभोल पावर कंपनी ऑफ मै. एनरॉन यूएसए)	2015
5.	भद्रावती (निष्पादन डेनरो इस्पात लि. द्वारा संप्रवर्तित मै. सैण्ट्रल इंडिया पावर कंपनी लि.)	2×536=1072
	आन्ध्र प्रदेश	
6.	जेगुरूपाडू सीसीजीटी (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज)	216
7.	गोदावरी सीसीजीटी (मै. एसपीजीएल)	208
	तमिलनाडु	
8.	नैवेली जीरो यूनिट (मै. एसटी-सीएमएस इलैक्ट्रिक कंपनी)	250
9.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (मै. डायना मकोवस्की पावर कं.)	330.5
	उड़ीसा	
10.	इब घाटी यूनिट-3 एवं 4 (मै. आई बी पी एल)	2×210=420
	पश्चिम बंगाल	
11.	बालागढ़ (मै.बीपीसीएल)	2×250 =500

[हिन्दी]

ग्रामीण रोजगार

1359. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार और 31 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार राज्यवार ग्रामीण आबादी कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत देश में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों संबंधी कोई आंकड़े हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यवार ग्रामीण आबादी बताने वाला विवरण संलग्न है। 31 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण आबादी उपलब्ध नहीं है।

(ख) गरीबी रेखा से नीचे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए जवाहर रोजगार योजना, गहन जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाएं हैं। जे.आर.वाई., आई.जे.आर.वाई. और ई.ए.एस. की उपलब्धियों को लाख मानव दिवसों में सृजित रोजगार और आई.आर. डी.पी. की उपलब्धियों को लाभान्वित परिवार की संख्या के रूप में आंका जाता है। गत तीन वर्षों में इन योजनाओं की उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	जवाहर रोजगार योजना (लाख मानव दिवस)	सुनिश्चित रोजगार योजना	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (लाभान्वित परिवारों की संख्या)
1992-93	7821.02	@	20,68,773
1993-94	10258.40*	494.74	25,38,320
1994-95	9517.07*	2739.56	21,82,018

* आई.जे.आर.वाई. शामिल है जो 1993-94 से शुरु हुई थी।

@ कार्यक्रम 1993-94 से शुरु हुआ था।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुमान लगाया गया है जो निम्न प्रकार है :-

मार्च को समाप्त	बेरोजगारी (10 लाख में)
1993	17.10
1994	18.87
1995	18.69

उपर्युक्त आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी (10 लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1	आंध्र प्रदेश	48.62
2	अरूणाचल प्रदेश	0.75
3	असम	19.93
4	बिहार	75.02
5	गोआ	0.69
6	गुजरात	27.06
7	हरियाणा	12.41
8	हिमाचल प्रदेश	4.72
9	जम्मू व कश्मीर	5.88*
10	कर्नाटक	31.07
11	केरल	21.42
12	मध्य प्रदेश	50.84
13	महाराष्ट्र	48.40
14	मणिपुर	1.33
15	मेघालय	1.44
16	मिजोरम	0.37
17	नागालैण्ड	1.00
18	उड़ीसा	27.43
19	पंजाब	14.29
20	राजस्थान	33.94
21	सिक्किम	0.37
22	तमिलनाडु	36.78
23	त्रिपुरा	2.34
24	उत्तर प्रदेश	111.51
25	पं. बंगाल	49.37
26	अंडमान व निकोबर	0.20
27	चंडीगढ़	0.07
28	दादर व नगर हवेली	0.13
29	दमन व दीव	0.05
30	दिल्ली	0.95
31	लक्षद्वीप	0.02
32	पांडिचेरी	0.29
	कुल	628.69

* अनुमानित आंकड़े क्योंकि जनगणना नहीं की गई थी।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण

1360. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने आवासों के निर्माण का लक्ष्य है; और

(ख) अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा उस पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लक्ष्य वर्षानुवर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1992-93 के बाद (आठवीं योजना का पहला वर्ष) मकानों के निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण-I में दिए जाते हैं। 1996-97 के लिए राज्यवार लक्ष्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को किए गए आबंटनों के आधार पर निर्धारित किए जायेंगे।

(ख) इंदिरा आवास योजना के अधीन अब तक हुई प्रगति और किए गए खर्च के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण -II और III में दिए जाते हैं।

विवरण - I

आठवीं योजना के दौरान इन्दिरा आवास योजना के लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	7719	49034	23817	77642	158212
2	अरूणाचल प्रदेश	282	222	204	727	1505
3	असम	1091	6209	5987	25560	38847
4	बिहार	14509	37396	85249	152292	289446
5	गोआ	54	276	249	861	1440
6	गुजरात	4566	6598	9574	28501	49219
7	हरियाणा	917	1848	1707	6346	11318
8	हिमाचल प्रदेश	363	809	701	2736	4589
9	जम्मू और कश्मीर	200	1084	1964	5561	8809
10	कर्नाटक	5309	14197	16365	52133	88004
11	केरल	1690	13245	12570	24624	52129
12	मध्य प्रदेश	17816	28399	35416	98384	180015
13	महाराष्ट्र	6974	6974	26684	84641	125273
14	मणिपुर	58	290	268	1022	1638
15	मेघालय	439	353	306	1195	2293
16	मिजोरम	220	185	129	504	1038
17	नागालैंड	383	438	328	1281	2430
18	उड़ीसा	8885	11649	20158	62986	103678
19	पंजाब	1255	5963	4855	7047	19120
20	राजस्थान	7166	11388	13035	40875	72464
21	सिक्किम	51	142	119	466	778
22	तमिलनाडु	7044	18930	19824	70187	115985
23	त्रिपुरा	279	431	340	1327	2377
24	उत्तर प्रदेश	18448	44135	51472	189211	303266

1	2	3	4	5	6	7
25	पश्चिम बंगाल	11308	19860	21722	69579	122469
26	अंडमान व निकोबार	16	120	109	377	622
27	दादर व नगर हवेली	60	71	59	205	395
28	दमन व द्वीव	8	38	35	121	202
29	लक्षद्वीप	16	0	0	189	205
30	पांडिचेरी	47	79	107	* 369	602
	कुल	117133	280363	353353	1007519	1758368

0 - शून्य/असूचित

* - अगस्त 1995 तक

विवरण - II

1985 से 1995-96 की अवधि के दौरान इन्दिरा आवास के अन्तर्गत बनाए मकान

(इकाई सं.)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	कुल (का. 3 से का. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	3321	19482	12832	9363	6850	6162	10876	10961	6897	57683	31657	215366
2	अरूणाचल प्रदेश	0	20	34	90	99	68	233	218	120	219	74	1175
3	असम	0	1107	1991	809	1960	2299	1231	1037	6304	5862	17857	41452
4	बिहार	1585	18932	24028	24315	20361	21155	22561	28189	88960	59715	6317	375091
5	गोआ	0	216	190	0	121	51	52	55	86	201	401	1371
6	गुजरात	418	5907	8901	4088	6806	6736	6939	4889	7117	1895	10711	666041
7	हरियाणा	390	1019	1422	1153	1495	859	968	1002	1557	3535	4393	12499
8	हिमाचल प्रदेश	0	412	1085	783	648	435	362	351	629	853	875	4481
9	जम्मू और कश्मीर	0	638	0	1499	845	275	495	425	390	1691	2397	8639
10	कर्नाटक	3533	1562	9670	1896	5147	11341	6397	7199	8870	13381	18537	87696
11	केरल	4002	14800	11040	8554	77732	8724	5172	41100	4877	3891	17113	10604
12	मध्य प्रदेश	4521	8836	10033	6857	6386	18770	40699	67156	48138	68961	43784	286780
13	महाराष्ट्र	6404	12198	7431	9647	14442	9730	9927	8778	18870	29812	15008	135267
14	मणिपुर	0	12	160	111	286	170	140	213	202	171	512	1981
15	मेघालय	110	157	230	140	150	387	388	432	312	241	169	2392
16	मिजोरम	0	27	37	70	104	1964	956	224	240	368	476	3914
17	नागालैंड	84	182	130	196	373	649	1581	1605	1536	895	470	7677
18	उड़ीसा	0	4485	7091	6563	3896	9041	17028	11305	15021	13291	19314	107597
19	पंजाब	0	669	1366	0	1578	336	1171	3359	2739	3819	1121	16899
20	राजस्थान	46	2120	10180	4958	1766	2028	13176	10541	13758	28931	33732	129437
21	सिक्किम	112	150	150	51	99	96	166	140	162	108	875	2037
22	तमिलनाडु	9291	34038	24535	26917	41666	47260	40768	14409	38798	33176	13280	31998

(इकाई सं.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	त्रिपुरा	168	1208	604	781	810	471	472	343	636	567	114	5774
24	उत्तर प्रदेश	16467	25191	25709	23871	32947	25300	20262	22218	67722	47555	123472	410716
25	पश्चिम बंगाल	0	6711	10547	6178	13866	9421	8223	13800	13389	15596	16523	111631
26	अंडमान व निकोबार	0	0	10	60	56	53	17	20	21	21	79	325
27	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	दादर व नगर हवेली	0	50	0	62	130	53	53	52	60	57	13	532
29	दमन व दीव	0	0	0	0	7	10	26	21	13	45	4	125
30	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
32	पांडिचेरी	0	0	96	180	205	40	22	67	48	0	13	625
	कुल	51252	160197	169302	139192	186023	181303	207299	132535	355047	372975	441789	2441653

0 1987-88 में गोवा शामिल

0 शून्य/अभूचित

* अंतिम जनवरी, 95 तक

विवरण - III

1985 से 1995-96 की अवधि के दौरान इन्दिरा आवास के अन्तर्गत संसाधनों का उपयोग

(इकाई सं.)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	कुल (का. 3 से का. 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	335.16	1684.62	1431.09	1052.38	629.77	984.82	1411.65	1264.00	5956.77	6610.08	4790.60	26180.74
2	अरूणाचल प्रदेश	0.0	1.57	4.03	10.03	14.00	8.00	31.00	37.13	26.88	26.16	9.75	168.51
3	असम	0.0	119.56	238.92	121.17	235.20	223.86	172.26	130.76	573.08	934.47	2526.59	5275.85
4	बिहार	164.00	1893.41	2559.03	2418.89	2056.88	2471.17	2663.31	3271.50	13664.86	7121.09	13855.40	52119.54
5	गोआ	0.0	0.0	13.25	1.83	4.93	2.64	2.06	3.65	5.78	5.97	16.37	56.48
6	गुजरात	94.99	525.16	893.76	350.58	465.47	567.10	795.07	638.94	937.63	1137.37	1667.41	8073.43
7	हरियाणा	53.70	91.71	129.81	97.68	149.51	114.96	132.92	120.58	217.50	507.68	618.37	2234.42
8	हिमाचल प्रदेश	0.0	60.15	124.67	88.70	73.31	57.69	50.77	52.08	84.37	126.26	158.56	876.32
9	जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	124.30	113.12	49.70	24.53	35.15	38.03	45.02	245.76	343.92	1019.71
10	कर्नाटक	108.59	352.14	778.17	450.35	668.95	948.21	836.61	803.70	1270.11	2060.40	3143.76	11405.99
11	केरल	991.52	1308.75	7230.97	1034.81	1452.21	472.26	488.75	527.98	685.99	595.65	2511.69	17300.56
12	मध्य प्रदेश	603.11	1033.03	1040.11	766.18	605.90	2043.13	3379.37	2631.94	2931.17	3246.09	6367.39	72647.42
13	महाराष्ट्र	635.72	874.89	809.62	873.28	14004.67	1313.51	1372.30	1180.91	3189.86	3219.14	4641.21	19519.07
14	मणिपुर	0.0	14.00	14.00	0.0	27.08	21.80	11.42	22.15	24.15	22.38	89.75	246.73
15	मेघालय	11.64	16.53	25.62	15.91	12.58	20.21	52.24	61.31	44.20	66.40	12.43	317.07
16	मिजोरम	0.0	2.00	6.80	7.88	11.27	144.17	34.86	32.11	33.21	68.01	34.76	372.57
17	नागालैंड	10.00	20.00	14.24	30.12	44.76	94.10	229.25	232.44	222.72	141.41	74.26	1113.39
18	उड़ीसा	0.0	632.36	820.29	739.83	423.40	1177.99	2099.51	1402.39	1633.88	1962.02	3132.75	13774.42
19	पंजाब	0.0	162.29	172.64	191.96	161.20	111.95	242.06	790.98	704.33	527.34	95.50	3161.25
20	राजस्थान	0.0	330.75	924.15	510.30	334.57	178.06	1007.77	1128.73	2287.96	2989.27	3084.56	12776.12
21	सिक्किम	12.70	17.01	18.90	6.43	11.87	11.61	26.00	20.73	20.37	21.08	78.74	245.42
22	तमिलनाडु	392.26	2866.24	2674.91	2979.88	5943.95	6687.60	7765.73	4810.54	4526.95	7619.52	7831.76	55099.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11	12	13	14
23	त्रिपुरा	50.85	119.41	90.31	114.05	97.20	57.71	50.18	33.00	108.42	95.65	68.86	892.14
24	उत्तर प्रदेश	329.05	2196.51	2337.16	2465.61	2904.58	255.63	2303.88	2933.01	5585.68	5917.62	14315.72	66575.25
25	पश्चिम बंगाल	0.0	616.10	974.86	509.47	1048.17	993.11	1101.42	1695.48	1843.68	2170.54	2260.78	13213.61
26	अंडमान व निकोबार	0.0	1.19	3.70	2.68	3.17	4.88	2.98	4.96	15.57	15.93	11.30	66.61
27	चंडीगढ़	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	दादर व नगर हवेली	0.0	8.92	125	11.76	7.63	6.20	10.10	7.01	20.8	8.66	1.19	70.56
29	दमन व द्वीव	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.34	2.33	1.31	16.4	6.06	1.30	12.98
30	दिल्ली	0.0	0.0	0.0	0.0	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.60
31	लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.87	2.87
32	पांडिचेरी	0.0	0.0	9.79	0.0	27.76	9.63	10.07	6.16	6.65	18.17	22.68	110.71
	कुल	5793.29	14918.30	23536.90	14964.86	18850.09	21307.45	26300.80	23883.51	46450.49	47426.15	67493.72	312927.56

0 1987–1988 तक

★ अंतिम जनवरी, 96 तक

हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की राजभाषा बनाना

1361. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत छः माह के दौरान हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है ; और

(ग) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पर इस मामले को किस स्तर पर उठाया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषा के मसले की ओर कई वर्षों से सरकार का ध्यान आकृष्ट होता रहा है। किसी भी नई भाषा को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए अत्यधिक वित्तीय प्रभावों के अलावा सदस्य देशों के बहुमत की आवश्यकता है। इस संबंध में हमारे परामर्शों के परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे हैं। इस बीच हिन्दी में बोलने के इच्छुक हमारे प्रतिनिधियों को हिन्दी अनुवाद/टंकण की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में इस संबंध में अस्थायी प्रबंध करती रही है। जब भी अपेक्षित होगा, संयुक्त राष्ट्र और अन्य विशेष एजेंसियों में हिन्दी में दिए गए वक्तव्यों के तत्काल अनुवाद उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश की पनबिजली विद्युत परियोजनाएं

1362. **श्री जीवन शर्मा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में स्वीकृत तथा निर्माणाधीन कुल पन बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आयेगी, इससे कितनी विद्युत का उत्पादन किया जायेगा और इसके पूरा होने की परियोजनावार निर्धारित तिथियां क्या-क्या हैं;

(ग) वर्ष 1991 से अब तक परियोजनावार बजट की कितनी राशि प्रदान की गई है; और

(घ) क्या इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हुआ है और इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में 6 मे.वा. (2×3 मे.वा.) की अधिष्ठापित क्षमता वाली सोबला पन बिजली परियोजना ही अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में क्रियान्वयनाधीन एक मात्र अनुमोदित और चालू पन बिजली परियोजना (3 मे.वा. से अधिक) है। परियोजना पर 15.98 करोड़ रु. लागत आने का अनुमान है। सोबला पन बिजली परियोजना को निवेश सम्बन्धी अनुमोदन 1988 में प्रदान किया गया था और इसे वर्ष 1993-94 में चालू किया गया था। तथापि, इसे वर्ष 1996-97 में चालू करने का वर्तमान कार्यक्रम है। अक्टूबर, 1995 तक परियोजना में 10.8 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

चमेरा पन-बिजली

1363. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमेरा पन बिजली को कार्यान्वित करने वाली उन विभिन्न एजेंसियों को किए जाने वाले अंतिम भुगतान और दावे सहित उन सभी देय भुगतानों का ब्यौरा क्या है जो निर्धारित से इतर प्रतिस्थानापन्न अथवा उन अन्य मदों के अन्तर्गत हैं और जिनके बारे में ठेके में सीधा/स्पष्ट उल्लेख नहीं है;

(ख) एनएचपीसी द्वारा इन एजेंसियों को भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ;

(ग) क्या इन निर्माण एजेंसियों की न्यूनतम मजदूरी आदि के दावों पर विचार करने हेतु गठित उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समिति के निष्कर्ष लागू कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-I के निर्माण कार्य में लगे हुए ठेकेदारों को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा उनके द्वारा किए गये कार्य की मात्रा के लिए बिल में निर्धारित दरों पर भुगतान किया गया है। छूट गई मदों/स्थानापन्न मदों तथा अतिरिक्त मदों आदि के सम्बन्ध में ठेकेदारों और कुछ और दावे प्रस्तुत किए गए हैं। इन दावों में से कुछ के संबंध में मध्यस्थता/कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है। मध्यस्थ निर्णय/अदालती नियमों अथवा पारस्परिक समझौता की शर्त पर दावों की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के पश्चात ही ठेकेदारों के दावों में शामिल वास्तविक भुगतानों का निर्धारण किया जा सकेगा।

(ग) और (घ) संविदाओं में किए गए प्रावधानों के अनुसार मजदूरी तथा सामग्री आदि के कारण होने वाली मूल्य अभिवृद्धि का एनएचपीसी द्वारा भुगतान कर दिया गया है। संविदाओं के प्रावधानों से अधिक के दावों की एनएचपीसी द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की गई थी। निगम द्वारा इन सिफारिशों के संबंध में वास्तविक वित्तीय निहितार्थों का अनुमान लगाने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

बिजली का प्रतिव्यक्ति उत्पादन तथा खपत

1364. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार बिजली का प्रतिव्यक्ति वार्षिक उत्पादन तथा खपत कितनी-कितनी हुई;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में बिजली का उत्पादन कम है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिहार में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने, ताकि राज्य इस मामले में पीछे न रहे, के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) वर्ष 1992-93 से 1993-94 तक राज्यवार वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत की खपत तथा वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान ऊर्जा उत्पादन क्रमश: संलग्न विवरण - I तथा संलग्न विवरण - II में दिया गया है।

(ख) और (ग) बिहार में वास्तविक उत्पादन, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों की तुलना में कम था। वहां पर कम उत्पादन होने का मुख्य कारण राज्य के ताप विद्युत केन्द्रों का खराब निष्पादन तथा राज्य क्षेत्र में अपर्याप्त नई क्षमता अभिवृद्धि का होना है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अधिष्ठापित क्षमता के इष्टतम समुपयोजन के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करना, अनुरक्षण एवं प्रचालन कार्मिकों को प्रशिक्षण देना तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना शामिल है।

विवरण - I

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विद्युत की राज्यवार वार्षिक प्रतिव्यक्ति खपत।

(कि.वा.घं. में)

क्षेत्र/राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	507.24	490.82	477.83
हिमाचल प्रदेश	207.94	218.52	251.03
जम्मू एवं कश्मीर	188.24	195.06	210.88
पंजाब	683.58	702.51	785.55
राजस्थान	246.45	256.12	265.88
उत्तर प्रदेश	178.62	185.74	197.32
चंडीगढ़	714.68	626.08	676.27
दिल्ली	823.26	733.45	745.61
उप जोड़	282.45	286.41	302.82
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	538.43	587.33	598.65
मध्य प्रदेश	280.59	310.54	334.34
महाराष्ट्र	438.58	459.09	498.95
गोवा	540.74	588.49	601.37
दमन और दीव	1014.70	1182.09	1552.36
दादर व नगर हवेली	11745.09	1392.13	1574.40
उप जोड़	486.21	436.66	464.65
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	312.49	344.96	371.34
कर्नाटक	302.98	327.72	362.85
केरल	200.10	215.42	235.72
तमिलनाडु	368.85	386.04	430.62
पांडिचेरी	855.91	842.55	968.11
लक्षद्वीप	183.20	207.20	185.00
उप जोड़	311.80	335.47	368.37

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	117.03	125.78	129.91
उड़ीसा	296.95	313.48	321.16
पश्चिम बंगाल	157.70	171.31	175.74
अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	162.35	167.74	178.34
सिक्किम	113.93	122.50	143.17
उप जोड़	162.39	174.04	178.86
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
असम	96.77	94.98	104.27
मणिपुर	103.88	111.03	129.15
मेघालय	129.10	109..95	136.46
नागालैण्ड	72.90	67.92	59.02
त्रिपुरा	58.53	59.57	66.28
अरूणाचल प्रदेश	54.13	66.52	65.76
मिजोरम	90.86	101.29	111.74
उप जोड़	93.44	91.96	101.53
जोड़ अखिल भारत	283.10	298.96	318.84

विवरण - II

देश में राज्यवार विद्युत उत्पादन

मिलियन यूनिट में (मि. कि.वा. घं.)

राज्य/प्रणाली	प्रकार	वास्तविक विद्युत उत्पादन (मि.यू.)		
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
दिल्ली	थर्मल	7331	6994	7034
जम्मू एवं कश्मीर	थर्मल	36	55	88
	हाइड्रो	2869	2690	2749
	जोड़	2905	2745	2837
हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	13210	11036	15282
हरियाणा	थर्मल	3565	2888	3184
	हाइड्रो	235	245	231
	जोड़	3800	3133	3425
राजस्थान	थर्मल	6370	7128	6615
	न्यूक्लीय	1006	1195	381
	हाइड्रोज	1111	1115	1475
	जोड़	8487	9438	8469
पंजाब	थर्मल	7146	8853	8444
	हाइड्रो	3988	3753	4268
	जोड़	11134	12606	12712

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	थर्मल	41145	44937	46740
	न्यूक्लीय	1769	334	950
	हाइड्रो	4352	5687	6524
	जोड़	47266	50958	54212
गुजरात	थर्मल	23827	25141	27111
	न्यूक्लीय	62	660	365
	हाइड्रो	659	1211	1373
	जोड़	24548	27012	28849
महाराष्ट्र	थर्मल	33507	35578	40067
	न्यूक्लीय	1935	1821	1517
	हाइड्रोज	4983	5726	6287
	जोड़	40425	43125	47871
मध्य प्रदेश	थर्मल	31741	36162	37422
	हाइड्रो	1293	1590	2279
	जोड़	33034	37752	39701
आन्ध्र प्रदेश	थर्मल	21919	24763	25777
	हाइड्रो	9117	10046	10114
	जोड़	31036	34809	35891
कर्नाटक	थर्मल	2728	3693	3698
	हाइड्रो	10025	10461	12654
	जोड़	12753	14154	16352
केरल	हाइड्रो	6195	5823	6573
तमिलनाडु	थर्मल	19615	22395	24952
	न्यूक्लीय	1976	1389	2433
	हाइड्रो	5637	4601	5845
	जोड़	27228	28385	33210
बिहार	थर्मल	2825	2784	2867
	हाइड्रो	138	204	419
	जोड़	2963	2988	3286
उड़ीसा	थर्मल	1389	1432	1490
	हाइड्रो	3798	3685	4065
	जोड़	5187	5117	5555
पं. बंगाल	थर्मल	15166	17236	19512
	हाइड्रो	96	108	85
	जोड़	15262	17344	19597
डीवीसी	थर्मल	4984	6706	6498
	हाइड्रो	217	212	417
	जोड़	5201	6918	6915
सिक्किम	हाइड्रो	30	34	55
असम	थर्मल	1070	908	1255

1	2	3	4	5
	हाइड्रो	858	906	860
	जोड़	1928	1814	2115
मेघालय	हाइड्रो	432	584	381
त्रिपुरा	थर्मल	121	104	124
	हाइड्रो	45	41	42
	जोड़	166	145	166
मणिपुर	हाइड्रो	432	584	381
अरूणाचल प्रदेश	हाइड्रो	0	0	20
अखिल भारत	थर्मल	224485	247757	262868
	न्यूक्लीय	6748	5399	5646
	हाइड्रो	69833	70375	82511
	जोड़	301066	323531	351025

[अनुवाद]

दि.प.नि. बसों के किराए

1365. **श्री संत राम सिंगला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 4 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1078 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस संबंध में डी टी सी के निदेशक मंडल की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान किरायों में विसंगतियां दूर करने और बस यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विकास में केन्द्र प्रयोजित कार्यक्रम

1366. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम की संवीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो अब (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार) प्रत्येक कार्यक्रम की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये दल की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजी भाई पटेल) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा त्वरित ग्रामीण जिला आपूर्ति कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों की (1) आवधिक प्रगति रिपोर्टों (2) केन्द्र/राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दौरों (3) राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (4) संगोष्ठी/कार्यशाला एवं समवर्ती मूल्यांकन अध्ययनों की मार्फत समीक्षा द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। तथापि, 8 वीं योजना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अलग से कार्यक्रम का गठन नहीं किया गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान इन कार्यक्रमों राज्य/संघशासित क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्य और सूचित भौतिक उपलब्धि को दर्शानेवाला विवरण - I और विवरण - II संलग्न हैं।

विवरण - I

1995-96 के दौरान वार्षिक भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों (दिसंबर, 1995 तक) को दर्शाने वाला एक विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रम दिवस)		सुनिश्चित रोजगार योजना (उपलब्धि)
		उपलब्धि (सहायता प्राप्त परिवार)	लक्ष्य	उपलब्धि	लाख श्रम दिवस
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	54722	742.72	340.51	147.32
2	अरूणाचल प्रदेश	4989	9.51	18.1	6.94
3	असम	34983	178.63	116.20	105.21
4	बिहार	159028	1372.41	808.43	157.35
5	गोआ	533	7.94	6.83	-
6	गुजरात	38333	230.59	136.05	50.22
7	हरियाणा	13704	34.63	15.94	31.16
8	हिमाचल प्रदेश	3288	24.27	11.00	1.90
9	जम्मू और कश्मीर	5288	101.70	28.09	70.57
10	कर्नाटक	25200	514.02	275.14	154.22
11	केरल	30321	108.01	53.66	21.31
12	मध्य प्रदेश	72436	958.16	35.42	255.46
13	महाराष्ट्र	83599	974.58	507.76	161.28
14	मणिपुर	2774	5.78	7.01	15.96
15	मेघालय	1615	7.88	2.72	4.62
16	मिजोरम	1339	4.15	3.59	17.89
17	नागालैंड	47	11.82	0.0	6.07
18	उड़ीसा	60556	671.79	355.77	176.89
19	पंजाब	9052	28.25	6.44	-
20	राजस्थान	49735	335.06	170.33	165.82
21	सिक्किम	878	5.38	4.35	4.27
22	तमिलनाडु	119977	876.61	603.83	90.26
23	त्रिपुरा	3106	12.94	14.58	26.66
24	उत्तर प्रदेश	238864	1371.35	857.97	178.83
25	पश्चिम बंगाल	93473	455.79	232.07	91.65
26	अंडमान व निकोबार	338	2.26	0.42	0.03
27	दादर व नगर हवेली	38	2.36	0.0	0.09
28	दमन व द्वीव	89	1.55	0.48	0.01
29	लक्षद्वीप	6	1.45	0.75	0.00
30	पांडिचेरी	1362	3.16	4.13	-
	अखिल भारतीय	1109673	9054.74	5000.59	1942.79

विवरण - II

भौतिक लक्ष्य और वास्तविक आवास इकाईयां

वर्ष 1995-96 के दौरान (एआरडब्ल्यूएसपी)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	माह	आवास इकाइयों की संख्या/गांव					
			एन.सी.	पी.पी.	कुल योग	एनसी	पीसी	कुल मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	1/96	1536	1564	3100	1202	1244	2446
2	अरूणाचल प्रदेश	1/94	150	0	150	95	25	120
3	असम	1/96	1500	0	1500	649	0	649
4	बिहार	12/95	10000	7621	17621	1513	2075	3588
5	गोआ	1/96	21	33	54	5	27	32
6	गुजरात	12/95	700	400	1100	380	347	727
7	हरियाणा	1/96	0	1000	1000	0	540	540
8	हिमाचल प्रदेश	1/96	825	100	925	594	122	706
9	जम्मू और कश्मीर	1/96	350	0	350	353	0	353
10	कर्नाटक	12/95	3500	6914	10414	368	4151	4519
11	केरल	12/95	301	764	1065	47	379	426
12	मध्य प्रदेश	12/95	9000	0	9000	4415	2527	6942
13	महाराष्ट्र	1/96	202	5798	6000	202	3176	3378
14	मणिपुर	1/96	190	120	310	111	44	155
15	मेघालय	1/96	526	80	606	42	0	42
16	मिजोरम	12/95	41	198	240	4	78	75
17	नागालैंड	12/95	124	0	124	0	0	0
18	उड़ीसा	1/96	5000	1000	6000	5106	1160	6266
19	पंजाब	1/96	684	0	684	248	3	251
20	राजस्थान	1/96	4000	500	4500	3183	623	3806
21	सिक्किम	1/96	50	38	88	60	44	104
22	तमिलनाडु	1/96	548	1952	2500	109	1591	1700
23	त्रिपुरा	12/95	703	92	795	500	0	500
24	उत्तर प्रदेश	12/95	10285	2668	12953	5771	7633	13401
25	पश्चिम बंगाल	1/96	2205	3373	5578	2336	1425	3761
26	अंडमान व निकोबार	1/96	0	15	15	0	16	16
27	दादर व नगर हवेली	12/95	0	12	12	0	50	50
28	दमन व द्वीव	9/95	0	29	29	0	11	11
29	दिल्ली	1/96	0	0	0	0	0	0
30	लक्षद्वीप	1/96	0	5	5	0	3	3
31	पांडिचेरी	12/95	0	28	28	0	14	14
	कुल योग		52442	34304	86746	27293	27291	54584

कालीकट विमान पत्तन को हज यात्रियों के लिए प्रस्थान स्थल बनाना

1367. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के कालीकट विमानपत्तन को हज यात्रियों के लिए प्रस्थान स्थल के रूप में घोषित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) हज 1996 के लिए सऊदी अरब द्वारा वायुयान से हाजियों को लाने ले जाने के लिए प्रबंधों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की आशा है। तथापि, इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि इस वर्ष कालीकट हवाई अड्डे को हज यात्रियों को यात्रा पर भेजने का स्थान घोषित किया जाए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए आबंटन

1370. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिल के विकास कार्य हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) उसमें से कितनी धनराशि विकास कार्य पर जिलावार खर्च की गई;

(ग) सरकार को धनराशि के संबंध में अनियमितताएं बरतने, गबन एवं दुरूपयोग करने के बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) क्या गाजीपुर, जौनपुर आदि अभी भी अत्यंत पिछड़े एवं दलित जिले हैं, और

(ङ) यदि हां तो उन जिलों के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाने तथा पटेल आयोग द्वारा उन जिलों में केन्द्रीय सरकार के उद्योग स्थापित करने संबंधी सिफारिश किए जाने के बावजूद भी वहां किसी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं किए जाने के क्या-क्या कारण हैं।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) और (ख) प्रमुख रोजगार कार्यक्रमों जैसे कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 1992-93 से 1994-95 के दौरान आबंटित, रिलीज और उपयोग की गई धनराशि, विवरण-I से V में दी गई है।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के बारे में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को कुछेक शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों को उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

(घ) और (ङ) गाजीपुर और जौनपुर जिलों में रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना है ताकि वे अपना जीवन स्तर सुधार सकें।

विवरण -I

1992-93 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में केन्द्र तथा राज्य द्वारा आबंटित निधियों की रिलीज तथा उपयोग

क्र. सं.	जिला	आंबटन	केन्द्रीय रिलीज	राज्य रिलीज	उपयोग (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	244.32	130.160	130.160	276.89
2	सहारनपुर	191.19	45.600	145.600	269.23
3	मुजफ्फराबाद	207.42	139.720	139.720	240.95
4	गाजियाबाद	161.05	98.280	98.280	158.35
5	बुलन्दशहर	239.46	133.730	133.730	293.08
6	हरिद्वार	86.92	57.200	57.200	103.60
	मेरठ मंडल	1131.16	704.690	704.690	1342.10
7	मुरादाबाद	275.30	177.660	177.660	367.85
8	बिजनौर	192.84	111.600	111.600	202.43
9	रामपुर	90.14	43.600	43.600	92.83
	मुरादाबाद मंडल	558.28	332.860	332.860	663.11
10	बरेली	194.89	87.180	87.180	203.84

1	2	3	4	5	6
11	बदायूं	218.19	120.650	120.650	242.71
12	शाहजांपुर	190.01	101.010	101.010	192.70
13	पीलीभीत	103.73	59.870	59.870	118.18
	बरेली मंडल	706.82	368.710	368.710	757.43
14	आगरा	218.11	107.840	107.840	226.64
15	अलीगढ़	256.05	140.010	140.010	326.07
16	मैनपुरी	122.16	59.360	59.360	131.91
17	एटा	194.89	95.910	95.910	213.04
18	मथुरा	154.17	80.080	80.080	154.06
19	फिरोजाबाद	125 05	76.050	76.050	145.12
	आगरा मंडल	1071.23	559.250	559.250	1196.81
20	झांसी	134.71	78 360	78.360	163.94
21	बांदा	193.86	96.930	96.930	210.41
22	हमीरपुर	158.01	83.000	83.000	215.29
23	जालौन	130.86	68.530	68 530	147.95
24	ललितपुर	64.01	42.450	42.450	100.92
	झांसी मंडल	681.45	369.270	369.270	838.51
25	इलाहाबाद	475.83	208.170	208 170	506.07
26	फतेहपुर	202.52	94.570	94 570	216.51
27	प्रतापगढ़	247 13	130.060	130 060	258.84
	इलाहाबाद मंडल	925.53	432 800	432 800	901.44
28	कानपुर नगर	30.98	18.070	18.070	55.16
29	कानपुरदेहात	302.15	192 230	192.230	334.84
30	इटावा	216.14	127.080	127.080	252.35
31	फरूखाबाद	207 43	103 720	103.720	220.34
	कानपुर मंडल	764.70	44.100	44.100	862.48
32	वाराणसी	394.38	16.000	16.000	413.38
33	जौनपुर	332.41	17.720	17.720	381.52
34	गाजीपुर	234.58	117 290	117 290	251.38
35	बलिया	222.50	114 450	114.450	270.80
36	मिर्जापुर	194.23	137 560	137 560	235.22
37	सोनभद्र	129.49	79 190	79 190	158 12
	वाराणसी मंडल	1507 59	785.690	785.690	1710 42
38	लखनऊ	178.25	89.480	89.480	125.83
39	सीतापुर	327 55	119 000	119.000	324 96
40	उन्नाव	252 00	133 390	133.390	271 60
41	हरदोई	310.44	164 750	164.750	337.23
42	लखीमपुर खीरी	247 13	120.710	120.710	281 50
43	राय बरेली	292.72	136 530	136 530	295 94
	[illegible] मंडल	1607.79	763.940	763.940	1657 98

1	2	3	4	5	6
44	गोरखपुर	300.58	151.310	151.310	328.17
45	बस्ती	273.39	148.110	148.110	247.53
46	देवरिया	411.03	166.240	166.240	406.98
47	आजमगढ़	340.08	160.070	160.070	370.44
48	सिद्धार्थ नगर	187.06	108.520	108.520	212.42
49	मऊनाथगंज	145.70	72.850	72.850	142.97
50	महाराजगंज	189.84	105.170	105.170	193.55
	गौरखपुर मंडल	4855.68	941.270	941.270	1903.08
51	फैजाबाद	313.98	173.230	173.230	363.98
52	बहराइच	257.88	136.840	136.840	273.51
53	बाराबंकी	269.41	120.400	120.400	256.49
54	गौंडा	330.62	144.650	144.650	376.46
55	सुलतानपुर	316.02	158.010	158.010	281.14
	फैजाबाद मडल	1487.91	733.130	733.130	1551.56
56	पौड़ी गढ़वाल	99.10	49.200	49.200	93.17
57	देहरादून	81.13	49.120	49.120	104.24
58	चमोली	79.64	33.130	33.130	94.82
59	टेहरी गढ़वाल	71.77	32.120	32.120	88.97
60	उत्तरकाशी	46.59	26.740	26.740	55.55
	गढ़वाल मडल	381.53	190.310	190.310	416.75
61	नैनीताल	151.35	85.670	85.670	171.61
62	अल्मोड़ा	129.06	84.530	84.530	150.37
63	पिथौरागढ़	101.92	50.520	50.520	142.42
	कुमायुं मंडल	382.33	220.720	220.720	464.40
	कुल	13062.00	6843.740	6843.740	14395.38

विवरण - II

1993-94 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में केन्द्र तथा राज्य द्वारा आबंटित निधियों की रिलीज तथा उपयोग

क्र. सं.	जिला	आबंटन	केन्द्रीय रिलीज		राज्य रिलीज		उपयोग (लाख रुपये में)
			*	**	*	**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेरठ	383.59	191.80	38.00	191.80	38.00	383.49
2	सहारनपुर	330.18	160.09	9.00	160.09	9.00	323.77
3	मुजफ्फराबाद	325.65	177.83	17.00	177.83	17.00	365.11
4	गाजियाबाद	259.11	107.41	10.00	107.41	10.00	226.11
5	बुलन्दशहर	375.96	187.90		187.90		654.80
6	हरिद्वार	136.47	78.23		78.23		140.47
	मेरठ मंडल	175.97	893.34	74.00	893.34	74.00	1793.75
7	मुरादाबाद	432.25	225.12	4.00	225.12	4.00	466.76

1	2	3	4	5	6	7	8
8	बिजनौर	303.77	172.83	4.00	172.83	4.00	373.74
9	रामपुर	141.62	70.76	9.00	70.76	9.00	136.12
	मुरादाबाद मंडल	1176.52	468.76	17.00	468.76	17.00	936.62
10	बरेली	205.97	144.74	10.00	144.74	10.00	255.32
11	बदायूं	242.57	171.88	9.00	171.88	9.00	323.93
12	शाहजहांपुर	298.83	149.16	38.00	149.16	38.00	317.72
13	पीलीभीत	162.05	84.03	4.26	84.03	4.26	177.13
	बरेली मंडल	1109.75	549.29	61.26	549.29	61.26	1073.90
14	आगरा	342.96	171.23	38.00	171.23	38.00	319.38
15	अलीगढ़	453.27	201.84	38.00	201.84	38.00	400.13
16	मैनपुरी	191.80	95.90	38.00	95.90	38.00	197.75
17	एटा	305.59	140.93	38.00	140.93	38.00	295.03
18	मथुरा	292.05	125.02	4.00	125.02	4.00	227.70
19	फिरोजाबाद	196.33	128.65	4.00	128.65	4.00	233.86
	आगरा मंडल	1681.55	863.40	180.00	863.40	180.00	1665.86
20	झांसी	211.50	105.75	17.00	105.75	17.00	243.70
21	बांदा	309.37	162.18		162.18		174.06
22	हमीरपुर	248.08	166.94		166.94		247.50
23	जालौन	205.45	163.35	6.00	163.35	6.00	213.48
24	ललितपुर	100.50	59.25	9.00	59.25	9.00	310.72
	झांसी मंडल	1089.91	550.58	32.00	550.58	32.00	387.54
25	इलाहाबाद	747.08	373.54		373.54		767.77
26	फतेहपुर	318.05	156.29	10.75	156.29	10.75	273.46
27	प्रतापगढ़	3001.01	193.37	15.09	193.37	15.09	368.15
	इलाहाबाद मंडल	1453.14	756.20	29.73	756.20	29.73	1409.38
28	कानपुर नगर	61.20	31.60	4.00	31.60	4.00	65.74
29	कानपुर देहात	474.39	212.22	5.00	212.22	5.00	510.73
30	इटावा	339.39	184.68		184.68		345.35
31	फिरोजाबाद	315.60	162.84	9.00	162.84	9.00	328.75
	कानपुर मंडल	1200.62	591.34	10.00	591.34	10.00	1751.75
32	वाराणसी	619.20	309.68		309.68		536.00
33	जौनपुर	521.90	260.48		260.48		553.33
34	गाजीपुर	383.30	184.15	27.00	184.15	27.00	376.92
35	बलिया	399.34	172.66	17.50	172.66	17.50	360.67
36	मिर्जापुर	304.95	154.24	4.00	154.24	4.00	332.21
37	सोनभद्र	203.31	134.15		134.15		211.80
	वाराणसी मंडल	2367.00	1215.28	48.50	1215.28	48.50	2370.93
38	लखनऊ	279.86	128.63	38.00	128.63	38.00	230.21
39	सीतापुर	514.27	198.03		198.03		409.83
40	उन्नाव	395.65	197.82	17.00	197.82	17.00	372.10

1	2	3	4	5	6	7	8
41	हरदोई	486.94	202.14	9.00	202.14	9.00	475.97
42	लखीमपुर खेरी	388.01	189.05		189.05		370.14
43	राय बरेली	459.59	229.80	9.00	229.80	9.00	380.96
	लखनऊ मंडल	2524.32	1146.27	73.00	1146.27	73.00	2239.21
44	गोरखपुर	471.93	235.96	9.00	235.96	9.00	434.25
45	बस्ती	429.24	214.62	38.00	214.62	38.00	467.44
46	देवरिया	645.34	322.65	38.00	322.65	38.00	568.60
47	आजमगढ़	596.50	273.29	9.00	273.29	9.00	500.02
48	सिद्धार्थ नगर	293.69	146.85	27.00	146.85	27.00	307.07
49	मऊनाथगंज	228.76	114.38	10.00	114.38	10.00	223.29
50	महाराजगंज	298.06	149.03	9.00	149.03	9.00	286.02
	गोरखपुर मंडल	2913.52	1456.74	14.00	1456.74	140.00	2786.69
51	फैजाबाद	492.96	240.23	9.00	240.23	9.00	504.30
52	बहराइच	404.88	202.44	16.50	202.44	16.50	316.70
53	बाराबंकी	422.99	211.49	10.00	211.49	10.00	383.73
54	गोंडा	519.09	259.55		259.55		536.97
55	सुलतानपुर	496.17	218.08	38.00	218.08	38.00	501.88
	फैजाबाद मंडल	2576.09	1161.79	73.50	1161.79	73.50	2323.60
56	पौड़ी गढ़वाल	155.59	82.30	4.00	82.30	4.00	179.93
57	देहरादून	127.85	63.50	1.00	63.50	1.00	183.96
58	चमोली	125.04	62.52	6.00	62.52	6.00	131.28
59	टेहरी गढ़वाल	117.39	68.70	17.00	68.70	17.00	163.92
60	उत्तरकाशी	73.15	35.45	17.00	35.45	17.00	85.44
	गढ़वाल मंडल	599.02	312.47	45.00	312.47	45.00	694.05
61	नैनीताल	257.63	118.81	33.70	118.81	33.70	243.55
62	अल्मोड़ा	203.68	73.75	12.00	73.75	12.00	196.99
63	पिथौरागढ़	150.02	50.01	17.00	50.01	17.00	182.80
	कुमायुं मंडल	600.28	282.57	62.70	282.57	62.70	621.94
	कुल हिल्स	1199.28	593.04	107.70	593.04	107.70	1315.99

*वर्ष के दौरान आईआरडीपी के अन्तर्गत जारी की गई सामान्य राशि।

** वर्ष के दौरान जारी की गई अतिरिक्त धनराशि।

विवरण – 3

1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में आईआरडीपी के अंतर्गत केन्द्र और राज्य द्वारा आबंटित रिलीज और उपयोग

क्र.	जिला	आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	राज्य रिलीज	उपयोग (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	380.35	38.00	38.00	416.37
2	सहारनपुर	297.68	9.00	9.00	297.27
3	मुजफ्फर नगर	322.91	17.00	17.00	331.68

1	2	3	4	5	6
4	गाजियाबाद	251.97	10.00	10.00	236.68
5	बुलन्दशहर	372.79			330.65
6	हरिद्वार	135.32			135.21
	मेरठ मंडल	1760.99	74.00	74.00	1747.89
7	मुरादाबाद	428.58	4.00	4.00	378.04
8	बिजनौर	300.22	4.00	4.00	323.85
9	रामपुर	140.33	9.00	9.00	122.72
	मुरादाबाद मंडल	869.13	17..00	17.00	824.61
10	बरेली	303.41	10.00	10.00	274.12
11	बादायुं	339.68	9.00	9.00	375.02
12	शाहजांपुर	295.81	38.00	38.00	151.64
13	पीलीभीत	161.49	4..26	4.26	167.23
	बरेली मंडल	1100.30	61.26	61.26	1368.06
14	आगरा	339.55	38.00	38.00	313.77
15	अलीगढ	399.87	38.00	38.00	452.07
16	मैनपुरी	190.18	38.00	38.00	249.21
17	एटा	303 41	38.00	38.00	314.30
18	मथुरा	240.01	4.00	4.00	252.39
19	फिरोजाबाद	194.67	4.00	4.00	103.01
	आगरा मंडल	1667.69	160.90	160.90	1784.75
20	झांसी	209.72	17.00	17.00	200.80
21	बांदा	301.80			239.75
22	हमीरपुर	215.99			212.84
23	जालौन	203.73	6.00	6.00	160.69
24	ललितपुर	99.64	9.00	9.00	99.01
	झांसी मंडल	1060.88	32.00	32.00	968.22
25	इलाहाबाद	740.70			704.19
26	फतेहपुर	315.37	10.75	10.75	334.12
27	प्रतापगढ़	381.73	15.00	15.00	321.82
	इलाहाबाद मंडल	1440.88	25.75	25.75	360.88
28	कानपुर नगर	60.68	4.00	4.00	65.21
29	कानपुर देहात	470.39	5.00	5.00	324.31
30	इटावा	336.49			287.51
31	फरूखाबाद	422.93	9.00	9.00	286.44
	कानपुर मंडल	1190.49	13.00	13.00	1944.47
32	वाराणसी	613.90			531.22
33	जौनपुर	51.75			529.53
34	गाजीपुर	365.19	27.00	27.00	323.52
35	बलिया	316.39	17.50	17.50	322.05
36	मिर्जापुर	302.38	4.00	4.00	291.85
37	सोनभद्र	201.59			198.90
	वाराणसी मंडल	2347.03	48.50	48.50	2197.87

1	2	3	4	5	6
38	लखनऊ	277.50	38.00	38.00	239.14
39	सीतापुर	509.93			474.70
40	उन्नाव	392.31	7.00	7.00	376.84
41	हरदोई	402.83	9.00	9.00	482.84
42	लखीमपुर खेरी	384.74			370.92
43	राय बरेली	455.72	9.00	9.00	368.81
	लखनऊ मंडल	2503.03	73.00	73.00	2232.35
44	गोरखपुर	467.95	9.00	9.00	413 06
45	बस्ती	425.62	38.00	38.00	428.23
46	देवरिया	639.60	38.00	38.00	676.31
47	आजमगढ़	541.89	9.00	9.00	490.71
48	सिद्धार्थ नगर	291.21	27.00	27.00	261.69
49	मऊनाथ भंजन	226.83	10.00	10.00	202.59
50	महाराजगंज	295.54	9.00	9.00	321.10
	गौरखपुर मंडल	2888.94	140.00	140.00	2693.60
51	फैजाबाद	488.80	9.00	9.00	373.50
52	बहराइच	401.46	16.50	16.50	390.65
53	बाराबंकी	419.42	10.00	10.00	393.20
54	गौंडा	514.71			490.83
55	सुलतानपुर	491.99	30.00	30.00	383.67
	फैजाबाद मंडल	2316.38	73.50	73.50	2041.93
56	पौड़ी गढ़वाल	154.20	4.00	4.00	137.51
57	देहरादून	126.77	1.00	1.00	119.84
58	चमोली	123.99	6.00	6.00	131.27
59	टेहरी गढ़वाल	116.40	17.00	1700	95.69
60	उत्तरकाशी	72.53	17.00	17.00	67.10
	गढ़वाल मंडल	593.97	45.00	45.00	551.41
61	नैनीताल	235.63	33.70	33.70	236.20
62	अल्मोड़ा	200.91	12.00	12.00	141.09
63	पिथौरागढ़	158.56	17.00	17.00	130.71
	कुमायुं मंडल	595.20	62.70	62.70	529.90
	कुल हिल्स	1189 17	107.70	107.70	1072.21
		20335.00	830.70	830.70	19335.12

विवरण - IV

1992-93 और 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना/सुनि.रोज.योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में केन्द्र तथा राज्य द्वारा आबंटित निधियों की रिलीज तथा उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

		जे.आर.वाई. 1992-93		जे.आर.वाई. 1993-94 पृथम चरण		जे.आर.वाई. 1993-94 द्वितीय चरण		ई.ए.एस. 1993-94		
क्र.सं.	जिला	केन्द्र अंश	राज्य अंश	केन्द्र अंश	राज्य अंश	केन्द्र अंश	राज्य अंश	केन्द्र अंश	राज्य अंश	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उत्तरकाशी	215.37	83.84	820.20	205.05			6.50	16.88	*** केन्द्रीय मंत्रालय
2	चमोली	225.68	56.42	840.99	210.25			123.75	30.94	द्वारा निधियों के
3	टेहरी गढ़वाल	274.03	68.51	857.66	214.42			112.50	28.12	उपयोग की जिलेवार
4	देहरादून	268.47	67.12	346.48	84.62			67.50	16.88	निगरानी नहीं की
5	गढ़वाल	337.96	84.47	877.61	219.40	540.00	136.50	75.00	18.75	जाती है।
6	पिथौरागढ़	295.03	73.76	905.04	226.26	564.00	141.00	135.00	33.75	
7	अल्मोड़ा	440.96	10.24	944.45	236.11	588.00	147.00	420.00	105.00	
8	नैनीताल	513.39	128.35	390.43	97.61			135.00	33.75	
9	सहारनपुर	713..01	178.25	559.54	139.88					
10	मुजफ्फरनगर	650.12	162.53	527.59	131.90					
11	बिजनौर	733.22	183.30	660.00	165.00					
12	मेरठ	751.97	187.99	495.31	123.83					
13	गाजियाबाद	437.79	109.44	380.93	95.23					
14	बुलंदशहर	732.46	183.12	751.18	187.90					
15	मुरादाबाद	69917	174.79	670.55	167.64					
16	रामपुर	238.64	59.66	349.01	87.25					
17	बदायुं	548.88	137.22	723.03	180.76					
18	बरेली	423.74	105.94	604.00	151.00					
19	पीलीभीत	300.76	75.19	350.62	87.66					
20	शाहजहांपुर	441.88	110.47	501.70	25.42					
21	अलीगढ़	807.49	201.87	865.20	216.30					
22	मथुरा	561.44	140.36	529.15	132.29					
23	आगरा	528.19	132.45	549.72	137.43					
24	एटा	534.12	133.53	805.71	201.43					
25	मैनपुरी	435.58	108.90	468.04	117.01					
26	फरूखाबाद	554.54	138.54	528.26	130.06					
27	इटावा	584.40	146.10	703.74	175.94					
28	कानपुर देहात	817.96	204.49	799.02	199.76					
29	फतेहपुर	576.86	144.21	694.37	173.59					
30	इलाहाबाद	1569.16	392.29	1504.56	376.14	704.00	176.00	30.00	7.50	
31	जालौन	556.88	139.22	603.61	150.90			90.00	22.50	
32	झांसी	633.49	158.37	679.15	169.79			90.00	22.50	
33	ललितपुर	272.69	68.17	590.93	147.73			60.00	15.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	हमीरपुर	701.46	175.36	713.67	178.42			150.00	37.50	
35	बांदा	865.94	216.48	749.48	187.37	375.00	93.75	300.00	75.00	
36	खेरी	816.98	204.24	827.00	206.75			20.00	5.00	
37	सीतापुर	1070.19	267.55	1129.40	281.35	523.00	130.75	90.00	22.50	
38	हरदोई	949.16	237.29	1075.98	268.99	510.00	127.50			
39	उन्नाव	781.49	195.37	1106.70	276.68					
40	लखनऊ	506.74	126.68	767.70	191.92					
41	राय बरेली	782.72	195.68	954.70	238.68					
42	बहराइच	726.96	181.74	888.84	222.21	434.00	108.50	420.00	105.00	
43	गौंडा	873.76	218.44	940.36	235.09			120.00	30.00	
44	बाराबंकी	684.33	171.08	938.95	234.74					
45	फैजाबाद	847.79	211.95	917.24	229.31					
46	सुलतानपुर	840.81	210.20	853.06	213.26					
47	प्रतापगढ़	693.58	173.40	745.99	186.50					
48	बस्ती	831.30	207.95	894.87	223.72					
49	गोरखपुर	1144.36	286.09	962.57	240.64					
50	देवरिया	939.08	234.72	938.59	234.65					
51	आजमगढ़	1053.88	263.47	1010.07	252.52					
52	जौनपुर	891.68	222.92	924.52	231.13					
53	बलिया	620.58	155.25	1001.20	250.30	593.00	148.25			
54	गाजीपुर	734.84	183.71	1202.49	300.62	649.00	162.25			
55	वाराणसी	1068.42	267.10	1580.05	395.01					
56	मिर्जापुर	779.41	194.85	1099.33	274.83	582.00	145.50	60.00	15.00	
57	सोनभद्र	597.77	149.44	1109.66	27.42	600.00	150.00	240.00	60.00	
58	मऊनाथ भंजन	380.33	95.08	523.95	130.99					
59	सिद्धार्थ नगर	570.17	142.54	514.82	128.71					
60	हरिद्वार	277.03	69.27	295.88	73.97					
61	फिरोजाबाद	388.14	96.54	487.32	121.83					
62	कानपुर नगर	192.66	78.16	411.12	102.78					
63	महाराजगंज	580.44	145.11	559.43	139.86					
64	भदोई									
65	फतेहपुर									
66	महोबा									
	कुल	39865.89	9966.44	47998.72	11999.81	6668.00	1667.00	2806.29	701.57	

विवरण - V

1994-95 के दौरान ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में निधियों का जिलावार आबंटन तथा उपयोगों को दर्शानेवाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिला	जेआरवाई (प्रथम चरण)		जे.आर.वाई (द्वितीय चरण)		ई.ए.एस.		उपयोग
		केन्द्र अंश	राज्य अंश	केन्द्र अंश	राज्य अंश	केन्द्र अंश	राज्य अंश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उत्तरकाशी	1086.77	271.69			360.00	90.00	** केन्द्रीय मंत्रालय
2	चमोली	1117.07	279.27			572.00	143.00	द्वारा निधियोंके उपयोग
3	टेहरी गढ़वाल	1115.66	278.92			600.00	150.00	की जिलेवार निगरानी
4	देहरादून	434.61	108.65			360.00	90.00	नहीं की जाती है।
5	गढ़वाल	1121.96	280.49	546.00	136.50	300.00	75.00	
6	पिथौरागढ़	1167.51	291.88	564.00	141.00	624.00	156.00	
7	अल्मोड़ा	1229.26	307.32	588.00	147.00	840.00	210.00	
8	नैनीताल	415.14	103.79			720.00	180.00	
9	सहारनपुर	602.60	150.65					
10	मुजफ्फर नगर	465.54	116.39					
11	बिजनौर	614.60	153.65					
12	मेरठ	543.09	135.77					
13	गाजियाबाद	443.64	110.91					
14	बुलंदशहर	748.14	187.04					
15	मुरादाबाद	787.20	196.80					
16	रामपुर	344.73	86.18					
17	बदायुं	681.20	170.30					
18	बरेली	499.46	124.87					
19	पीलीभीत	315.39	78.82					
20	शाहजहांपुर	467.87	116.97					
21	अलीगढ़	936.10	234.03					
22	मथुरा	551.11	137.78					
23	आगरा	583.93	145.98					
24	एटा	842.80	210.70					
25	मैनपुरी	414.60	103.65					
26	फरूखाबाद	622.71	155.68					
27	इटावा	776.13	194.03					
28	कानपुर देहात	872.69	218.17					
29	फ	799.27	199.82					
30	इल ाबाद	1681.70	420.42	704.00	176.00	60.00	15.00	
31	जा न	603.27	150.82			240.00	60.00	
32	झांस	623.37	151.07			300.00	75.00	
33	ललितपुर	608.01	152.00			160.00	40.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	हमीरपुर	633.93	158.48			300.00	75.00	
35	बांदा	852.04	218.01	375.00	93.75	630.00	75.00	
36	खेरी	818.34	219.59			128.00	32.00	
37	सीतापुर	1270.86	317.72	523.00	130.75	180.00	45.00	
38	हरदोई	1230.83	307.71	510.00	127.50			
39	उन्नाव	1089.73	272.43			150.00	37.50	
40	लखनऊ	862.06	215.52					
41	राय बरेली	1161.20	290.30			180.00	45.00	
42	बहराइच	985.04	246.26	434.00	108.50	840.00	210.00	
43	गौंडा	1013.67	253.42			480.00	120.00	
44	बाराबंकी	1027.84	256.96			150.00	37.50	
45	फैजाबाद	1043.83	260.96			180.00	45.00	
46	सुलतानपुर	1012.69	253.17			210.00	52.50	
47	प्रतापगढ़	907.76	226.94			150.00	37.50	
48	बस्ती	851.70	212.93			210.00	52.50	
49	गोरखपुर	863.11	215.93			210.00	52.50	
50	देवरिया	981.73	245.43			1500.00	31.50	
51	आजमगढ़	1100.49	275.12			210.00	52.50	
52	जौनपुर	1067.31	266.84			210.00	52.50	
53	बलिया	1271.81	317.95	593.00	148.25			
54	गाजीपुर	1426.06	356.52	649.00	162.25			
55	वाराणसी	1841.00	460.26			180.00	45.00	
56	मिर्जापुर	1270.39	317.60	582.00	145.50	120.00	30.00	
57	सोनभद्र	1317.37	324.34	600.00	150.00	416.00	104.00	
58	मऊनाथ भंजन	563.17	140.79			90.00	22.00	
59	सिद्धार्थ नगर	531.49	132.87			150.00	31.50	
60	हरिद्वार	301.11	77.28					
61	फिरोजाबाद	426.39	106.72					
62	कानपुर नगर	385.70	96.43					
63	महाराजगंज	533.31	133.34					
64	भदोई					120.00	30.00	
65	पदरोमा					60.00	15.00	
66	महोबा					150.00	37.50	
	कुल	52836.40	13208.33	6668.00	1667.00	10990.00	2747.50	

रिखनीखाल से बगरखाल तक सड़क का निर्माण

1371. **श्री बलराज पासी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के रिखनीखाल प्रखण्ड में रिखनीखाल से बगर खाल तक बरास्ता बायला माला मोटर रोड़ बनाने का है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्माण कार्य किये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजी भाई पटेल) : (क) से (ग) यह मंत्रालय राज्य सड़कों के जिलेवार और ग्रामवार-आंकड़े नहीं रखता है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप और कार्यवाही को लें, मैं आपकी सेवा में एक निवेदन करना चाहता हूं। सत्र की बैठक समाप्त हो रही है, अब सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जाएंगे। अनेक प्रश्न हैं, जो सदस्यों को आन्दोलित कर रहे हैं। जिन प्रश्नों के बारे में उन्हें अपने क्षेत्र में, प्रदेश में जाकर उत्तर देना होगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों का मामला है। गन्ना खेतों में सूख रहा है, गन्ने का कोई खरीददार नहीं है। इस समय गन्ना उत्पादक बर्बादी के कगार पर खड़े है। यह मामला कई बार उठाया जा चुका है, मगर कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? इन्हें क्या परेशानी है? (व्यवधान)

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : हमें परेशानी नहीं है, हम आपकी मदद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, ठीक है। वह आपका ही प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से चुना गया हूं, मैं अगर उत्तर प्रदेश की पहले बात करूं तो क्या आपत्ति है?...(व्यवधान) इसलिए मैंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के सवाल हैं जिन्हें सदस्य उठाना चाहेंगे। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आज और कल में थोड़ा समय निश्चित कर दीजिए, जिसमें माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र और प्रदेश के गंभीर मामले उठा सकें और मंत्री महोदय उनका उत्तर दे सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। मैं समझता हूं कि संबंधित मंत्री महोदय को कैसे इस विषय पर उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्रिकेट के मामले में भारतीय टीम को बधाई देने की बात थी।...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, एन.टी.सी मिलों के बारे में महाराष्ट्र के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है।...(व्यवधान) एन.टी.सी. का सवाल है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एन.पी.सी.टी. के मजदूरों ने अपने वेतन इत्यादि में संशोधन की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी भूख हड़ताल को निरन्तर पन्द्रह दिन से अधिक हो गए हैं। मजदूरों की हालत बहुत गंभीर हो गई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और उनकी समस्याओं को हल करें ताकि मजदूरों का जीवन बचाया जा सके।

12.03 म. प.

भारतीय क्रिकेट टीम को उसकी विजय पर बधाई

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : महोदय, भारत की क्रिकेट टीम द्वारा पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने से भारत की 90 करोड़ जनता अत्यंत ही आनन्दित व उत्साहित है। यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के खिलाड़ियों का अद्वितीय सफल प्रदर्शन है। अतः उन्हें पूरे सदन की ओर से बधाई दी जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सम्मानित सदन के माननीय सदस्य भारतीय क्रिकेट टीम को उसकी जाति पर सम्मिलित रूप से बधाई देना चाहते हैं।

श्री सोम नाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें सेमी फाइनल और फाइनल मैचों के लिए भी अपनी शुभकामनाएं टीम को भेजनी चाहिए।

12.05 म.प.

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, दल के भिन्न-भिन्न नेताओं के साथ कुछ दिन पहले इस सिलसिले में बात हुई थी कि एक एडीशनल सैशन जज श्री धींगरा ने कल्पनाथ राय जी के मामले को लेकर सारी संसद के ऊपर अपमान जनक टिप्पणी की थी। उस सिलसिले में जो बात हुई थी, मैं जानना चाहता हूं कि उस सिलसिले में क्या हुआ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, दलों के माननीय नेताओं ने इस सभा में जो विचार प्रकट किए थे और यह इच्छा प्रकट की थी कि उनके विचारों को सभा में भी रखा जाए, मैं उन विचारों ठीक उन्हीं शब्दों में नहीं, पढ़कर सुनाता हूं। दलों के नेताओं की मेरे कक्ष में हुई बैठक में मुझ से संसद और संसद सदस्यों के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में सदस्यों द्वारा व्यक्त खेद और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए कहा गया था। ऐसा करने से पूर्व ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपत्तिजनक टिप्पणियों को निकाल दिया और कहा कि :

"इस मामले में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से यह अपेक्षित था कि वे कार्यवाही अथवा संसदविदों अथवा राजनीतिज्ञों के विरुद्ध टिप्पणियां न करें। उन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत विशिष्ट मुद्दे तक ही सीमित

रहना चाहिए था। प्रश्न पर विचार करना चाहिए था अन्य किसी बात पर नहीं।"

दुपोर्ट इस्पात लिमिटेड बनाम एस.ए.एस. वीकली लॉ रिपोर्ट 142 में लार्ड कौरमन ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

"यदि जनता और संसद यह सोचने लगे कि न्यायिक शक्ति न्यायाधीशों के केवल क्या ठीक हैं के भाव तक ही सीमित होनी चाहिये तो न्यायिक प्रणाली में विश्वास होने के बजाय इसके अनिश्चित और निरंकुश हो जाने का डर है।

अब्राहम लिंकन ने कहा है :

"लगभग सभी व्यक्ति विपत्ति का सामना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा लेना चाहते हैं तो उसे शक्ति दे दीजिए।"

यह कथन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जो उद्धृत किया है उस पर भी लागू होता है :

"यह कथन न्यायिक शक्ति सहित के सभी स्वरूपों पर लागू होता है। न्यायिक शक्ति का उपयोग भी अत्यधिक संयम से किया जाना चाहिए। वास्तव में जितनी बड़ी शक्ति हो उतने ही अधिक संयम की शक्ति हो उतने ही अधिक संयम की आवश्यकता होती है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संसद, उसी कार्यवाही संसदविदों और राजनीतिज्ञों के विरुद्ध अवांछित टिप्पणियां करने में न्यायिक संयम द्वारा आरोपित सामान्य सीमाओं का पूरी तरह से अतिक्रमण किया है। ऊपर उद्धृत टिप्पणियों को एतद्द्वारा निकाला जाता है।"

माननीय उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किए है, मेरा कहना यह है कि उच्च न्यायालय ने जो किया है वह न्यायोचित है और न्याय की मांग के अनुरूप है अस्तु यह प्रशंसनीय है। राज्य के सभी अंगों को इसी भावना से न्याय, लोक कल्याण और राष्ट्र की एकता के हित में काम करना चाहिए। व्यक्ति विशेष द्वारा यहां-वहां की गई गलती से राज्य के अंगों में कार्य कर रहे व्यक्तियों में एक-दूसरे के लिए लोगों के लिए और राज्य के लिए राज्य की अखंडता के लिए सम्मान कम नहीं होना चाहिए। सभी के द्वारा संतुलित न्यायिक और सही संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाना लोगों, न्याय और राष्ट्र की एकता के हित में होगा।

मैं समझता हूँ कि इन घटनाओं और उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संसद को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, क्या मैं इस मुद्दे पर कुछ कह सकता हूँ?

अध्यक्ष महोदय, अब तक जितनी गतिविधियां हुई हैं उनका स्वागत करते हुए मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने वक्तव्य के आरंभ में "इस मामले में" शब्द का इस्तेमाल किया है। वास्तव में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा श्री कल्पनाथ राय से संबंधित मामले में

ऐसी टिप्पणी किए जाने के बाद उन्होंने श्री एच.के.एल. भगत के मामले में भी अपने आदेश में 24 जनवरी 1996 को उसी तरह की टिप्पणी की है।

मैं उस आदेश को उद्धृत करके सभा का समय नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन मैं आपके अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस सभा की ओर से आपके अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा 24 जनवरी, 1996 के आदेश के संबंध में पहले जो कार्रवाई की जा चुकी है उसकी अनुपूरक कार्रवाई के रूप में उसी तरह की कार्रवाई की जाए जैसा कि उच्च न्यायालय ने उन्हीं श्री धींगरा के 1 मार्च, 1996 के आदेश के संबंध में पहले ही की है।

इस संदर्भ में यह कहना महत्वपूर्ण है कि राजनीतिज्ञों को तब तक निर्दोष माना जाए जब तक वे दोषी सिद्ध नहीं हो जाते हैं, अतः यह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि श्री धींगरा की अदालत में जिन राजनीतिज्ञों पर अभियोजन चल रहा है उनके मामले में निष्पक्ष सुनवाई हो।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे नोटिस दिया हुआ है और उसकी प्रति मेरे पास है। मैंने नोटिस को अपनी सहमति नहीं दी है। आपने उस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं जिस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : नोटिस किस संबंध में है?

अध्यक्ष महोदय : यह वही बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या यह विशेषाधिकार नोटिस है?

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशेषाधिकार नोटिस है। फैसलों के उद्धरण और सभी बाते हमारे सामने हैं; और आपने भी अपने नोटिस में कहा है कि वह टिप्पणी राजनीतिज्ञों से संबंधित है। निश्चय ही, संसदविद भी राजनीतिज्ञ हैं फिर भी उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है वह न्यायपूर्ण और उचित है। इस सम्माननीय सभा का विचार है कि जो कुछ कहा गया है या किया गया है जिसे नहीं कहा या किया जाना चाहिए था पर भी उसी सिद्धांत को लागू किया जाए।

12.12 म.प.

[हिन्दी]

दलितों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हमले के बारे में

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं कल सीकरी गया था। मुझे इस बात का दुःख है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो दलितों के ऊपर जुल्म और अत्याचार की घटनाये बढ़ने लगती हैं। आपने कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि देश के विभिन्न भागों में दलितों के ऊपर जुल्म और अत्याचार की घटनायें बढ़ रही हैं।

मैं एक डैलिगेशन के साथ सीकरी गया था। सीकरी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। वह फरीदाबाद से 11 किलो मीटर दूर है। वहां दलितों की अच्छी तादाद है। उनका जुल्म इतना ही था कि उन्होंने होली से एक दिन पहले होलिका दहन को जलाने से रोकने का काम किया। उस अपराध में कितने गांव के लोग जुटे, मुझे पता नहीं, लेकिन पूरे गांव पर हमला कर दिया गया। इस घटना में हरिशचन्द्र नाम का व्यक्ति मारा गया। करीब 50-60 घरों में आग लगाने का काम हुआ। 4 तारीख को यह घटना हुई। इस बारे में पुलिस को भी खबर की गई। लोकल पुलिस की मौजूदगी में यह सारा हमला हुआ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह हमला किस ने किया?

श्री राम विलास पासवान : हमला सवर्ण लोगों ने और ऊंची जाति के लोगों ने किया। यह हमला सुनियोजित तरीके से किया गया। यह एक निन्दनीय घटना है। इसी तरीके की तमिलनाडु की घटना सामने आई है। मैं कोडाइकुलम गया था। वहां 388 दलित परिवार के लोग गांव छोड़ कर भाग गये हैं। लोगों ने यहां तक कहा कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। सीकरी गांव में दो साल पहले अत्याचार से तंग आकर लोग सिख बन गये और बुद्धिस्ट बन गये। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर घटना है। पूरे सदन को इस घटना की निन्दा करनी चाहिए। उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं चाहे वे पुलिस कर्मचारी हो, उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिये।

सबसे आश्चर्य की बात यह है कि गंगा राम जो कि सेना में काम करता है, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर था और छुट्टी लेकर यहां आया हुआ था, उससे 15 हजार रूपये ले लिये गये, उसके घर में आग लगा दी गई और उसके परिवार के लोगों को घायल कर दिया गया।

मेरी मांग है कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिये और इसमें जो दोषी व्यक्ति हों, चाहे उसमें पुलिस कर्मचारी हों, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाये। जो मरे हैं, उनके परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये तथा जो घायल हुये हैं, उनको एक लाख रूपया मुआवजा के रुप में दिया जाना चाहिये। गांव के उन लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जिन लोगों के घर जलाये गये हैं, या डैमेज हुये है, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार ने इन्दिरा आवास योजना में हरिजनों और दलितों के लिये जो मकान बनाये है, इन लोगों को मकान दिये जाये और जवाहर रोजगार योजना के तहत उन लोगों को रोजगार प्रदान किया जाये। सरकार को इस सदन को बताना चाहिये कि देश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी इसके लिये सरकार को प्रिकाशनरी मैजर्स पूरे देश में अपनाने चाहिये। यह किसी दल विशेष का मामला नहीं है। देश की आजादी को 50 साल हो गये हैं लेकिन दलितों पर अत्यचार की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। इससे सदन का अपमान हो रहा है। इसलिये घटनाओं की निन्दा की जानी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय हम इसका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री कालकादास (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैने भी इस संबंध में नोटिस दिया है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस बारे में बोलने का मौका दिया।

इस देश को आजादी मिले आज 50 साल हो गये है लेकिन देश के विभिन्न भागों में हरिजनों और दलितों पर अत्याचार की घटनायें बढ़ रही हैं, उन लोगों की निर्मम हत्यायें की जा रही हैं। अभी इस सदन में ऐसी कई घटनाओं के बारे में चर्चा की गयी थी। चाहे सादुपुर, देहुली, दीना कांड हो, सब पर गंभीरता से चर्चा की गयी थी। सदन को मालूम है कि संविधान का दायित्व है कि हरिजनों, दलितों के मानवाधिकारों, जीवन और उनकी सम्पति की सुरक्षा होनी चाहिये लेकिन 50 साल की आजादी के बाद भी यह नहीं हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में 3 और 5 तारीख को किस प्रकार से होली के दिन फरीदाबाद से 13 किलोमीटर दूर सीकरी गांव में दलितों के साथ होली खेली गयी, उस घटना की जितनी निन्दा की जाये, उतनी कम है। मैं इन लोगों के नाम नहीं दोहराना चाहता लेकिन देश में जिस तरह से इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है, उसमें दलितों को न्याय नही मिल रहा है। उनके जीवन और अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। दिल्ली के नजदीक इस गांव सीकरी में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी, उनके घरों को लूटा गया और जलाया गया। इस कांड में 12 व्यक्ति घायल हुये, महिलाओं का अपमान किया गया।

अध्यक्ष जी, इस प्रकार की घटनायें देश में हो रही हैं, हम इससे क्या समझें? दलितों का इस देश के नियमों पर से विश्वास उठ गया है इस देश का 1/5 भाग दलित हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जा रही है। यह अत्यंत ही निन्दनीय घटना है। होली के पावन पर्व पर हरिजनों के जीवन को कितना मूल्यहीन कर दिया गया, यह घटना इस बात को दर्शाती है। वहां के लोगों का कहना है कि पुलिस ने षड्यंत्र करके इस घटना को कराया है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि सीकरी कांड के जितने दोषी हैं, उनको कठोरतम दंड दिया जाये और हरिजनों को यह आश्वासन दिया जाये कि आगे उनका जीवन सुरक्षित रहेगा।

दूसरी बात यह है कि दलितों के अधिकारों की सुरक्षा का काम अपने हाथ में ले और मेरी मांग है कि जहां भी उनके अधिकारों का हनन हो, ला एंड आर्डर का मामला न मानकर अपने हाथ में लेकर दलितों के जीवन और सम्पति के अधिकार को सुरक्षित करें।

अगर यह सरकार वास्तव में गंभीर है और चाहती है कि यहां के दलितों को संरक्षण मिले, उनके अधिकार उनको मिलें, उनके जीवन की सुरक्षा हो, उनकी सम्पती की सुरक्षा हो तो एक दलित मंत्रालय बनाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। जब तक एक शक्तिशाली दलित मंत्रालय नहीं बनेगा, तब तक कमीशन के द्वारा जो इम्पेक्शन होती है, उससे कुछ नहीं होगा। मैं मांग करता हूं कि सरकार एक दलित मत्रालय की रचना करे ताकि इनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : माननीय अध्यक्ष जी, जो मामला श्री पासवान जी ने उठाया है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। सीकरी गांव में वहां के दलित लोग जो साधारण रूप से हर वर्ष की तरह होली का त्यौहार मना रहे थे, कोई नयी बात नहीं थी। एक मंसूबे के तहत जान-बूझकर उनका पूरा गांव जला दिया गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह केवल सीकरी की घटना नहीं है। आज यदि हम देखें तो तमिलनाडु में, आंध्रप्रदेश में, कर्नाटक में, कुछ प्रांतों को छोड़कर सभी प्रांतों में इसी तरह की घिनौनी हत्याएं हो रही हैं। पूरा का पूरा गांव जला देना, महिलाओं के साथ ऐट्रोसिटीज होना, यह हमारे लिए साधारण रूप से जीवन का हिस्सा बन गया है। ऐसा लगता है कि आज के स्वतंत्र भारत में भी हम लोग उसी तरह से रह रहे हैं, जैसा बहुत पुराने जमाने में रहते थे। खासकर जब हमारे देश में लोक सभा के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में कमजोर वर्ग के लोगों को, दलित आदिवासी लोगों को भयभीत करने के लिए यदि इस तरह से गांव के गांव जला दिये जाएं और पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो तो वह बहुत गंभीर बात है। इससे भी घिनौनी घटना तमिलनाडु में हुई है जहां अभी भी वे लोग कोडइकैनाल में वापस नहीं आए हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि भारत सरकार की ओर से ऐसा प्रबंध किया जाए कि जो इस तरह का भयंकर किस्म का आतंकवाद हमारे देश के दलितों पर हो रहा है, उसका असर आने वाले लोक सभा के चुनावों में न पड़े। उनको अपना मतदान देने के लिए पूरी-पूरी छूट होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इन चुनावों से पहले इस बात को सुनिश्चित करें और जो मांग पासवान जी ने की है कि जिन लोगों को घर से बाहर कर दिया गया है, उन लोगों को मकान बनाने के लिए सहायता दी जाए और जो लोग भयभीत होकर गांव वापस नहीं जा रहे हैं उनकी रोजी-रोटी का बंदोबस्त हो ताकि वे फिर से अपने गांव में रह सकें।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में पूरे हिन्दुस्तान में एक भावना बन रही है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है कि किन्हीं दो जातियों में अगर किसी भी प्रकार से वैमनस्य आ जाता है तो सबसे पहले स्त्री को ही भुगतना पड़ता है। अत्याचार तुरन्त स्त्री पर ही होता है। उस समय वह केवल स्त्री रहती है, किसी जाति की नहीं रहती है। मुझे यह कहने में बड़ा दुख: हो रहा है कि अभी हाल में जो मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें मध्य प्रदेश इन सब बातों में अव्वल रहा है। वहां रायगढ़ के पास अनुसूचित जाति की महिला सरपंच को भरी सभा में इस प्रकार बेइज्जत किया गया कि बाद में वास्तव में उसे आधुनिक द्रोपदी की तरह डिक्लेयर करना पड़ा कि जब तक ऐसे दोषी व्यक्तियों को सजा नहीं मिलती है, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेंगी। यह घटना मध्य प्रदेश में हो रही है इससे भी ज्यादा गंभीर बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जो ऐसे लोग है जो अत्याचार करते हैं, आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं-झाबुआ के सांसद यहां पर मौजूद हैं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो वे बताएं झाबुआ में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा आतंक फैलाया है और सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर किये हैं, उनके मकान दिये, पूरा गांव जलाने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति को हमारे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया।

....(व्यवधान) तो मैं चाहूँगी कि इन बातों पर एक बार विचार-विमर्श होना बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलवेरिया) : महोदय, मैं हरिजनों, दलितों तथा अनुसूचित जाति के लोगों जिनमें से ज्यादातर कृषि मजदूर थे पर हुए अत्याचारों तथा हमलों की हाल ही में हुई घटना की निंदा करता हूँ। और अपने साथियों की बात का समर्थन करता हूँ।

महोदय, तीन-चार घटनाएं पिछले सप्ताह हुई थी। कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश में लखनऊ के हवाई अड्डे के नजदीक कैथी गांव में हुई थीं। उत्तर प्रदेश में होली के दिन सोलह अन्य स्थानों पर भी हरिजनों तथा अन्य गरीब लोगों पर हमले हुए हैं। दूसरी घटना सीकरी हरियाणा में हुई जिसके बारे में पहले ही यह कहा जा चुका है कि उच्च जातियों के लोगों ने किस तरह से हरिजन गांवों पर आक्रमण किया और उनके लोगों को मारा इसी तरह का एक जातीय दंगा तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में चल रहा है जहां नौ लोग मारे गये है तथा चार कृषि मजदूर नारियल के खेत में जलाये गये हैं। इसी तरह की घटनाएं पिछले सप्ताह हुई और देश के कई भागों में लगातार हो रही हैं। इस देश के लिए यह शर्म की बात है कि ऐसे कृत्यों पर बार-बार चर्चाएँ तथा निंदा करने के बावजूद भी हम अभी इस स्थिति में नहीं हुए है कि हरिजनों तथा गरीब लोगों के विरुद्ध आक्रमणों की संख्या में कमी ला सकें।

महोदय, इन पीड़ितों में ज्यादातर कृषि मजदूर हैं। हमने पिछले सत्र में कृषि मजदूर पर चर्चा के लिए अनुरोध किया था और कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने एक विधेयक लाने का वायदा किया था। इन लोगों में जो पीड़ित है ज्यादातर कृषि मजदूर हैं अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ ने सभी स्थानों पर जाने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे थे। सरकार ने वायदा किया कि कृषि मजदूरों की रक्षा के लिए वह एक विधेयक लाये गये लेकिन इस सत्र में अभी तक ऐसा नहीं किया गया। कृषि मजदूरों के लिए एक व्यापक विधान लाने हेतु सरकार विफल हो रही है। महोदय, मैं मांग करता हूँ सरकार को चाहिए वह पीड़ितों को पर्याप्त मुअवजा दे तथा अपने इसी सत्र में कृषि नजदूरों हेतु एक व्यापक विधेयक भी लाये।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : महोदय, मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया है। वहां दलितों को पीटा गया तथा उनको हत्या की गई। महोदय, मैं यह मांग करता हूँ कि सरकार को चाहिये कि इस संबंध में इसने जो कदम उठाये हैं उनका विवरण दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से कहूंगा कि वह जानकारी एकत्र कर उसे सदन में दें।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं राम विलास पासवान तथा सभा के अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का समर्थन करती हूं यह तथ्य है कि सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग गठित किये हैं। यह भी तथ्य है कि ये लोग कई बार तो राजनैतिक कारणों तथा कई बार जातीय राजनीति के कारण शिकार हुए मैं इसकी निंदा करती हूं और सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

महोदय, पिछले सत्र में मैंने कई नोटिस दिये थे लेकिन तब सभा न चलने के कारण मैं यह विषय नहीं उठा सकी। मैं हवालात तथा जेल में हुई मौतों के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं। मैं यहां यह भी समझती हूं कि 99 प्रतिशत पीड़ित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अल्प संख्यक वर्ग के हैं। महोदय, पूरे देश में पुलिस हवालात तथा जेलों में मौतों की संख्या बहुत बढ़ गई हैं।

महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता अधिकार देता है तथा अनुच्छेद देश हमें "प्राण दैहिक सम्पति के संरक्षण का अधिकार देती है। महोदय, आप जानते हैं कि सरकार ने लोगों के जीवन को बचाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठित किया है। लेकिन लोगों की जान बचाने की बजाय जेलों में पुलित हवालातों के अंदर नृशंस यातनाएं दी जाती हैं तथा प्रत्येक जगह बुरे तरीके अपनाए जाते हैं। महोदय, यह जानकार आपको आश्चर्य होगा कि वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में दिल्ली के तिहाड़ जेल, में पश्चिम के जाल तथा देश के कई भागों में भी हवालात में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बेचारे पीड़ितों को कोई न्याय अथवा मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं इस मुद्दे को राजनैतिकरण करने के लिए नहीं अपितु यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक परिवार को 20,000 रुपये मुआवजा देने की बजाय कम से कम परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाये और यदि यह ऐसा नहीं है तो परिवार को न्यूनतम 1,500 रुपये पेंशन दी जाये। इस हेतु मैं 21 दिन तक धरने पर बैठी थी।

यह जानकर आपको हर्ष होगा कि गृह संबंधी स्थाई समिति को सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया था क्योंकि इस समिति में मैंने यह मुद्दा उठाया था। मेरा इस पक्ष के तथा दूसरी पक्ष के सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि पुलिस हवालात में पिटाई करना एक दण्डित अपराध है और इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लोग पुलिस हवालात में मरे हैं उनकी देखभाल करना सरकार का दायित्व है। जब सरकार लोगों को मार सकती है तो पीड़ितों को मुआवजा देना भी उसका दायित्व है। वे तो मात्र चिल्ला रहे हैं, वे तो सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। यह सभा उनको न्याय नहीं दे सकती। उनकी ओर से मैं अपील करती हूं। और आपका संरक्षण चाहती हूं और महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करती हूं. ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने अच्छी बात कही है जो कुछ स्थाई समिति ने कहा है उस पर उचित कार्यवाही हेतु समिति द्वारा जांच की जायेगी।

कुमारी ममता बैनर्जी : धन्यवाद, महोदय, मैं आपकी बड़ी आभारी हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईये। इस मुद्दे पर हमने सरकार की वक्तव्य मांगा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : यह मसला मेरे राज्य से संबंधित है और मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री कालकादास : अध्यक्ष महोदय, इस घटना की सदन में निन्दा की जाये...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं भी थोड़ा इस विषय पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसे नहीं। आप बैठ जाईये प्लीज।

[अनुवाद]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं पासवान साहब की बातों का समर्थन करता हूं और इसमें किसी पार्टी की सीमा का सवाल नहीं है, इस मामले के बारे में हरियाणा सरकार ने गंभीर दृष्टिकोण अपनाया है और उचित मुआवजा दिया जा रहा है और उन्हें हर तरह की मदद दी जा रही है। मैं इस विषय में किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूं बल्कि माननीय सदस्य की बातों को समर्थन करता हूं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने बोल दिया, अब आप बैठ जाइये। आपने बोल दिया कि आप बैठ जाईये। आपने बोल दिया कि आप इन्हें एन्डोर्स कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : महोदय, 27 फरवरी, 1996 को मैंने नोटिस दिया था यह मामला उठाने...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अर्जुन सिंह का वक्तव्य कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : यह सभा के चार माननीय सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन तथा सभा की अवमानना का प्रश्न है और... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिव शरण वर्मा (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने

सवाल को तीन बार उठाने की कोशिश की है, लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा मत कीजिये। मेहरबानी करके बैठ जाईये।

श्री शिव शरण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी लोक सभा का एक मैम्बर हूँ और तीन बार मेरी पिटाई हुई है...(व्यवधान)...बड़ा अनर्थ हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : यह नोटिस नियम 222 के अधीन दिया गया। (व्यवधान)

[हिन्दी]

12.33 म.प.

(इस समय श्री शिव शरण वर्मा, माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर आकर बैठ गए।)

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट में बता दीजिये। अर्जुन सिंह जी, जरा इनको बोलने दीजिये।

12.33¼ म.प.

(इस समय श्री शिव चरण वर्मा, माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री शिव शरण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर सांसद के रूप में मछलीशहर जौनपुर, उत्तर प्रदेश से आता हूँ .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, जरा मुझे सुनने दीजिये।

श्री शिव शरण वर्मा : मैंने अपने क्षेत्र के सुजानगंज ब्लाक में एक 33 के.वी. क्षमता का पावर हाउस स्वीकृत करवाया था और अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ उसका शिलान्यास करने जा रहा था, जो कि क्योंकि मैंने 58 लाख रूपया इस योजना के लिये स्वीकृत करवाया था। यह 2 सितम्बर 1988 की घटना है। जब मैंने वहां शिलान्यास करने के लिये प्रस्थान किया तो मौके पर जिला अधिकारी, श्री राजा राम और पुलिस अधीक्षक, श्री राम सिंह मीना ने अपने बर्बर पुलिस अधिकारियों को संकेत देकर, मेरे सामने खड़े होकर, हमें बहुत बुरे तरीके से, बर्बरता के साथ पिटवाया।

मेरे साथ केसरीनाथ पांडे, पूर्व विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता भी थे। हमको मारकर गिरा दिया, हाथ-पैर तोड़ दिए। मैं बीमारी में था। मैंने पानी मांगा तो पानी भी नहीं दिया और कहा, "साले, तुमको पेशाब पिलायेंगे"। मुझे पेशाब पिलाया और फिर मुझे गाड़ी में लेकर रात भर घुमाते रहे। वे मेरी हत्या करने पर तुले हुए थे लेकिन मेरे साथ वक्रर्स लगे हुए थे इसलिए मेरी हत्या नहीं हो सकी। इस घटना में पुलिस ने घरों में घुसकर औरतों से बलात्कार किया, उनके घरों में लूटपाट की। हमारी जो गाड़ियां थी उन सबको बुरी तरह से तोड़ा गया। हमें और केसरीनाथ पांडे को गिरफ्तार करके रात भर व दिन भर घुमाते रहे। हम असहाय स्थिति में थे। हमारे सारे वर्करों को अलग-अलग थानों में उन्होंने बंद कर दिया और हम लोगों के ऊपर सैकड़ों बंदूकों की फायरिंग करायी गई, आंसू गैस छोड़ी गई। गरीब बच्चों और हमारे कार्यकर्ताओं पर, 53 व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर दफाओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। हमने सारे संबंधित अधिकारियों को, अपने गृह मंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, सबको लिखकर दिया लेकिन मेरा मुकदमा वापस नहीं हुआ। सुजानगंज कांड से संबंधित सारे पुलिस अधिकारी और वहां के कर्मचारी जो हमारे क्षेत्र में नियुक्त हैं उनके कारण मेरा घूमता-फिरना मुश्किल है। अगर मैं चलता हूँ तो वायरलैस से सभी पुलिस स्टेशनों को सूचित करते हैं। वे मेरी हत्या करने पर तुले हुए हैं। इस समय वहां के पुलिस अधीक्षक कमल सक्सेना हैं। मैंने कई बार पत्र लिखे, होम मिनिस्टर को लिखा, राज्यपाल को लिखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। चूंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सक्सेना हैं इसलिए कमल सक्सेना का स्थानान्तरण नहीं हो रहा है। मेरी मांग है कि जिन आदमियों को क्षति हुई है उनको पांच-पांच हजार रूपए का भुगतान किया जाये और सारे अधिकारियों को निलम्बित किया जाये और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। सबसे पहले हम लोगों के खिलाफ जो मुकदमे कायम किए गए हैं वे तत्काल वापस लिए जाएं।

आपने यहां आश्वासन दिया था कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के सामने लायेंगे, लेकिन वह भी नहीं हुआ। इस मामले में राज्यपाल को तत्काल निर्देशित करना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में इस मामले में जो भी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी थे उनको निलम्बित करके स्थानान्तरित किया जाए और पुलिस अधीक्षक कमल सक्सेना को तत्काल निलम्बित कर स्थानान्तरित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह माननीय सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य का सावधानी से अध्ययन करें तथा समुचित कार्यवाही करें और मुझे भी की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

12.39 म.प्र.

विशेषाधिकार का प्रश्न

[अनुवाद]

28 जुलाई, 1993 को अविश्वास प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान करने के लिए कुछ सदस्यों को कथित रूप से धन दिए जाने तथा प्रलोभन दिये जाने के बारे में

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक विशेषाधिकार का मामला सभा में उठाने की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस मामले को उठाने की अनुमति इसलिए दे रहा हूँ कि आप यह स्पष्ट करें कि किस सीमा तक यह ग्राह्य है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, ग्राहता एक अन्तिम प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके वक्तव्य को सीमित नहीं करूंगा लेकिन यह मुख्य बात होगी।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, यह स्वाभाविक है यदि यह ग्राह्य नहीं है तब मैं यहां पर बोल क्यों रहा हूं? केवल मैं कह रहा हूं इसलिए इसे ग्राह्यता किया जाना चाहिए। विशेषाधिकार के प्रस्ताव की ग्राह्यता दलगत बातों से ऊपर का मामला है। सभा की मर्यादा पर प्रश्नचिह्न लगा है और इस प्रश्न का निर्णय दलगत आधार पर न कर सम्पूर्ण सभा की राय से होता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या मैं आधा सेकण्ड का समय ले सकता हूं? महोदय, एक गंभीर मामला उठाया जा रहा है और ग्राह्यता आदि की बातें हो रही हैं। हम कुछ विनम्र निवेदन करना चाहते हैं .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बात यह है कि इस समय हमारी माननीय राष्ट्रपति जी के साथ बैठक है इसलिए क्या इस मुद्दे को थोड़ी देर बाद अर्थात दो बजे लिया जा सकता है? (व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : आप इस मामले पर 2 बजे चर्चा कर सकते हैं। किंतु हमें लेखानुदान पर चर्चा करनी चाहिए ..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अभी वोट ऑन अकाउंट कैसे हो जायेगा। अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है- (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : उससे आपका क्या तात्पर्य है? यह भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है ..... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री अर्जुन सिंह जी, आप अपनी बात जारी रखिए। हम बाद में आ जाएंगे .....(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : महोदय, मैं एक आवश्यक मामला उठाना चाहता हूं ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा,

डा. कार्तिकेश्वर पाल (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुद्दे के बारे में मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, श्री अर्जुन सिंह बोल रहे हैं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, कृपया मुझे उनके बाद बोलने की अनुमति दीजिए ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में?

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के बारे में .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर चर्चा समाप्त होने के बाद आप इस मामले को उठा सकते हैं।

श्री अर्जुन सिंह : जैसा कि इस गंभीर मामले की ओर इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने अपने वक्तव्य की भूमिका में कहा है आपकी अनुमति से मुझे शिकायत के रूप में नहीं अपितु खेद के रूप कहने की अनुमति दी जाय। मैं इस बात को बहुत चाहता था और महोदय मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से मेरे साथ सहमत होगी कि इस प्रकार के मामले पर वर्तमान सत्र के पहले या दूसरे या तीसरे दिन ही चर्चा हो जानी चाहिए थी।

मैं जानता हूं कि कुछ प्रक्रियाओं का अनुसरण करना होता है तथा अध्यक्ष महोदय उन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य है। उन्हें किया जाना चाहिए तथा मुझे विश्वास है कि वह किया गया है। मुझे इस बात के अलावा किसी चीज की जानकारी नहीं है, जिसकी जानकारी मुझे कुछ दिनों पूर्व दूरदर्शन के प्रसारण से मिली जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि इस मामले में मेरे द्वारा भेजी गई सूचना के जवाब में प्रधानमंत्री ने आरोपों का खंडन किया है .....(व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : यह सभा में भी कहा गया था ....(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : कृपया मेरी बात सुनिये, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक सदस्य वक्तव्य नहीं दे सकता है। महोदय यह संसद एवं अन्य संसद भी कुछ प्रक्रियाओं के आधार पर चलती हैं। किसी भी मुद्दे पर कोई भी सदस्य वक्तव्य देने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु यदि मुझे विशेषाधिकार कानून की कुछ जानकारी है तथा जब अध्यक्ष को विषय की जानकारी है तथा वे किसी सदस्य को उसने जो नोटिस दिया है उसका जवाब देने का अधिकार देता है तो मेरे विचार से वह एक विशेषाधिकार का मामला है। इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता है। इसे प्रक्रिया के माध्यम से सभा में आना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं .....(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, यह हमारे नेता के विरूद्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि एक चर्चा के दौरान जब श्री वाजपेयी ने इस मामले को उठाया था तो आपने कहा था, "मुझे नेता का एक पत्र मिला है जिसमें आरोप का खंडन किया गया है।" उसका रेडियो से प्रसारण किया गया था। यह विशेषाधिकार का मुद्दा कैसे हो सकता है? (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सभा में उसका उल्लेख करने से पूर्व यह समाचार प्रसारित किया गया था। अब मैं उस मुद्दे को यही पर समाप्त करता हूं क्योंकि वह ऐसा मामला है जिसमें ....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौडगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही ठोस बात उठाई गई है और उठाई जा रही है, पूरे आदर के साथ मैं माननीय अर्जुन सिंह से कहना चाहता हूं कि अब यह बात उन पर निर्भर नहीं है कि वे इस मामले को बंद करें, महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है और वे इस मामले को बंद नहीं कर सकते हैं .....(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मैं इस मामले को बंद नहीं कर रहा हूँ..... (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : आप इस मामले को बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने कहा है और मैं उसका गवाह हूँ यदि आपके द्वारा दिए गए किसी विशेषाधिकार के प्रस्ताव और उस जैसा कि पीठासीन अधिकारी ने घोषणा की है कि उस विशेषाधिकार प्रस्ताव के उत्तर को आपको सौंपे जाने से पूर्व ही दूरदर्शन या आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया गया है तो तब यह बहुत गंभीर मामला है तथा श्री अर्जुन सिंह यह नहीं कह सकते है कि वे मामले को समाप्त कर रहे हैं, वे इस मामले को अब समाप्त नहीं कर सकते हैं .....(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मैं इसे बंद नहीं कर रहा हूँ तथा मैं अपनी सारी दलीलों पर रोक नहीं लगाना चाहता। मैंने इसे माननीय अध्यक्ष के ध्यान में ला दिया है। अब उन्हें स्वयं इस ओर ध्यान देना है।

श्री जसवंत सिंह : उन्होंने जो कहा है कि यह आपके ध्यान में लाया गया है, मैं उसी पर जोर दे रहा हूँ। यह सदन के विशेषाधिकार का गंभीर उल्लघंन है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह विशेषाधिकार का उल्लघंन है तथा यदि आप नोटिस देंगे, तो मैं उस पर विचार करूंगा कि क्या किया जाना चाहिए।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : आपकी अनुमति से मैं इस सीमित मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि चूंकि ये तथ्यों से संबंधित मामले हैं, अत: कृपया बिना विस्तार से अध्ययन किए कुछ न कहें? हम सभी मानव मात्र हैं तथा तथ्यों के संबंध में गलती होने की संभावना हो सकती है।

श्री बूटा सिंह : महोदय, सिर्फ तथ्यों पर ही बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके विषय में नहीं कह रहा था।

श्री बूटा सिंह : महोदय, यह सदन जानता है, देश जानता है तथा आप भी इस बात से पूरी तरह अवगत है कि इस मामले को न केवल एक बड़े पत्रकार सम्मेलन में सार्वजनिक रूप दिया गया अपितु इस पत्रकार सम्मेलन को दूरदर्शन पर भी दिखाया गया जबकि इससे पहले न तो इस सदन में कुछ बताया गया और न ही माननीय अध्यक्ष अथवा इस सदन को कोई नोटिस दिया गया। अत: ऐसा करने के बाद, मुझे नहीं मालूम श्री अर्जुन सिंह इस तथ्य से अवगत हैं अथवा नहीं। यदि यह सच है तब प्रभावित सदस्य, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो अथवा इस सदन का साधारण सदस्य, को यह अधिकार है कि वह इसका सार्वजनिक तौर पर खंडन करे तथा यदि ऐसा हो तो उसे दूरदर्शन पर दिखाया जाना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें कोई तकनीकी मुद्दा शामिल नहीं है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, कृपया श्री अटल जी के पत्रकार सम्मेलन का संदर्भ लें। यदि श्री अर्जुन सिंह का विशेषाधिकार प्रस्ताव उससे संबंधित है तो यह अत्यधिक आपत्तिजनक है। अत: हम इस पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस देना चाहेंगे।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मेरे विचार से, मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह विशेषाधिकार के खिलाफ विशेषाधिकार लाने तथा इस प्रकार मामले की गंभीरता को कम करने का प्रयास नहीं है, चाहे आज इस पर कुछ भी निर्णय हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक पूर्वोदाहरण बनाने जा रहे हैं, एक पूर्वोदाहरण जिसे बाद में आदर दिया जाएगा तथा आने वाली उत्तरवर्ती संसदें इसका आदर नही करेंगी जिस तरह हम इस गंभीर मामले पर विचार करेंगे। मैं अपनी ओर से सुनिश्चित ढंग से कह सकता हूँ कि आपको यह नोटिस भेजने के बाद, न तो नोटिस भेजने से पहले और न ही नोटिस देने के बाद, मैंने इस विषय में कहीं भी सार्वजनिक तौर पर बात नहीं की है। अब प्रश्न केवल विषय-वस्तु का रह गया है जिसके द्वारा अध्यक्ष महोदय इस विशेषाधिकार प्रस्ताव की ग्राह्यता अथवा अन्यथा पर विचार करेंगे। मैं इस पूरे नोटिस को पढ़कर सुनाना नहीं चाहता क्योंकि यह पहले ही आप के पास है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

यदि यह नियम 225 के तहत है तो नोटिस को पढ़ कर सुनाया जाना चाहिए क्योंकि यदि आपने इसे स्वीकार कर लिया तो वह नोटिस .....

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह चुका हूँ।

श्री जसवंत सिंह : यदि आप इसकी ग्राह्यता पर विचार कर रहे हैं तब आपको हमें बताना होगा कि हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। आपको इसे पढ़कर बताना ही होगा।

श्री अर्जुन सिंह : ठीक है, महोदय, मैं इसे पढ़ देता हूँ। मैंने आपसे नियम 222 व 223 के अधीन अनुरोध किया था।

> कृपया आज दिनांक 27 फरवरी, 1996 को इस सभा के सदस्यों सर्व श्री शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरान्डी, शैलेन्द्र महतो के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार भंग करने तथा सदन की अवमानना करने का एक प्रश्न सदन में उठाने की अनुमति की जाए। इस संव्यवहार में प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव सीधे तौर पर संबद्ध हैं। तथ्य इस प्रकार है :

(1) 28 जुलाई, 1993 को विपक्ष के इन सदस्यों पर अनुचित ढंग से प्रभाव डाला गया तथा दबाव डाला गया तथा इन्होंने नरसिंह राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत नहीं दिया।

(2) इस बात के दस्तावेजी प्रमाण हैं जिनसे पता लगता है कि सावधि जमा/बचत खातों में धनराशि जमा की गई जिसका ब्यौरा संलग्न है।

मामले को यथाशीघ्र उठाने की अनुमति मांगी जा रही है क्योंकि इस मामले का ठोस प्रमाण पिछले अंत: सत्र अवधि के दौरान ही मिल पाया था।

यह अनुरोध किया गया है कि इस मामले में सभा को शीघ्र और

गंभीरतापूर्वक हस्तक्षेप करना चाहिए। यह स्पष्टया विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का मामला है क्योंकि :

सभा के समक्ष रखे गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान न करने के लिए धन लेकर संसद सदस्यों ने सदन में स्वतंत्रता के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और प्रधानमंत्री सदन की स्थिति हास्यास्पद बनाई है और जनता की नजरों में सभा की प्रतिष्ठा को कम किया है।

हमारा विचार है कि सदन में संसद सदस्यों के आचरण संबंधी स्वतंत्रता का सौदा किया गया और उन्हें राव सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने हेतु कई गलत तरीकों से प्रभावित किया गया।

अपनी सरकार को गिरने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं इन संसद सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने से रोकने के लिए गलत तरीके से लुभाने के प्रयास में शामिल थे।

यह उन सदस्यों द्वारा स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का हनन और सदन की अवमानना है जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के मामले में अनुचित रूप से धन लिया है और प्रधानमंत्री भी सहायक भूमिका के कारण इस मामले में शामिल है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, यह आशा है कि मामले को उठाने की अनुमति तुरन्त दे दी जायेगी।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): मैं एक छोटा सा मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): मैं भी एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ।

श्री पवन कुमार बंसल : प्रधानमंत्री के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का भी जिक्र किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमें अन्य सदस्यों को भी जवाब मिले हैं क्योंकि उन दो सदस्यों में से एक ने सदन में खड़े होकर ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उस संबंध में वक्तव्य दिया है।

श्री पवन कुमार बंसल : उन्होंने सदन में एक वक्तव्य दिया है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में भी कोई जवाब दिया गया है।

श्री अर्जुन सिंह : इसकी जानकारी केवल अध्यक्ष महोदय को है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उत्तर नहीं मिला है और उन लोगों को नोटिस दिए गए हैं और उनके उत्तर का मैं और इंतजार नहीं करूंगा।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। मैंने आपको इस बारे में जानकारी देने का अनुरोध नहीं किया क्योंकि मुझे उसके लिए आपसे अनुरोध करने का हक ही नहीं है। लेकिन मैं श्री पवन कुमार बंसल जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा काम सरल कर दिया (व्यवधान) सदन के सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करते हुए मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मामला ऐसा नहीं है कि हम दूसरों पर आरोप लगाएं और यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य का सम्मान करता हूँ। सच तो यह है कि यदि सदन की कार्य स्थिति यही रही तो जनता की नजरों में तथा सांसदों की नजर में संसद का क्या सम्मान रह जायेगा?

श्री पवन कुमार बंसल : ये बहुत गूढ़ प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इन सभी मुद्दों का खंडन करने का अवसर दूंगा। कृपया उन्हें कागज पर नोट कर क्रमवार लिख लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, हम जानते हैं कि इस मामले की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। मैं अन्य दो कारणों से इसका जिक्र करना नहीं चाहता और यही कारण है कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले सदन को इस मामले पर विचार करना चाहिए था क्योंकि यह मामला सीधे सभा की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। न्यायालय के निदेश पर इसकी जांच की जा रही है और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार इसकी जांच आय कर विभाग द्वारा की जा रही है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मेरे कुछ कहने से ..... (व्यवधान)

डा0 कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत ?

डा0 कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, नियम 223 के अंतर्गत मैं विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में जानना चाहता हूँ। इस नोटिस के साथ ठोस दस्तावेज सम्पन्न है।

दूसरे नियम 224 में जो कहा गया है मैं उसे उद्धृत करता हूँ "एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे।" इस बैठक में झारखंड के लोगों को पैसा देने का प्रश्न उठाया गया है। अत: यह प्रश्न दोबारा नहीं उठाया जा सकता। एक बार सभा में प्रस्ताव रखने और श्री अटल बिहारी और सभा के अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा प्रस्ताव के रूप में इस पर चर्चा करने के बाद इसे पुन: विशेषाधिकार प्रस्ताव के रूप में सदन में नहीं लाया जाना चाहिए।

तीसरे, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि माननीय सदस्य को इस सभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का विशेषाधिकार प्राप्त है तो इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह एक तरह से विशेषाधिकार का हनन है उन्होंने प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो आरोप लगाए हैं, यदि यह प्रश्न दृष्टया का मामला है तो आपको माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देने के विषय पर विचार करना चाहिए था। यदि यह प्रथम दृष्टया का मामला नहीं है तो उन्हें सदन में यह प्रस्ताव उठाने से रोका जाना चाहिए।

श्री बसवंत सिंह : मेरा यह प्रश्न है अन्यथा यह मुद्दा बहुत ठोस है कि सभा में दो समान प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते। माननीय सदस्य का अन्य मुद्दा यह है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव पर नियम 184, 193 या किसी अन्य नियम के अंतर्गत चर्चा नहीं की जा सकती। किन्तु वस्तुत: मैं यह कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मैंने और माननीय अर्जुन सिंह ने सभा में यह मामला उठाया था और उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए यह कहा था कि इस के बावजूद कि हम नियम 184 के अंतर्गत बोल रहे हैं, का

अर्थ यह नहीं होना चाहिए हमें पृथक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने से वंचित रखा जाये। महोदय, अध्यक्ष पीठ पर आसीन आपने यह टिप्पणी की थी, "नहीं, विशेषाधिकार के प्रश्न को शामिल होने से रोका नहीं जा सकता और आप जो कहना चाहते हैं आप को उसे कहने का अवसर देंगे। मैं केवल यह बात कहना चाहता हूँ।

कुमारी ममता बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी अन्य मुद्दे पर ही आपके व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न को सुनुंगा। लेकिन व्यवस्था के प्रश्न पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। किंतु मैं आपकी बात सुनुंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्राही जी ने अभी कहा है .....

कई माननीय सदस्य : वह कार्तिकेश्वर पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं डा0 पात्र से हार्दिक क्षमा चाहता हूँ। आपके कथन ठीक हैं। मैंने इसी मुद्दे पर श्री अर्जुन सिंह जी को बोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है क्योंकि नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव लाने की बात कहने में बहुत सावधानी बरती गई थी और इसे ऐसे ढंग से कहा गया कि विशेषाधिकार हनन का मामला न बने। इसलिए जब उन्होंने यह बात उठाई मुझे इस बात पर सोचना पड़ा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। कई बार कोई मुद्दा उठाया जाता है तो मैं तुरन्त उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ। जब मैंने अन्य सभी विवक्षाओं पर विचार किए बिना तुरन्त प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ और जब वे मेरे शब्दों को उद्धत करते हैं तब मुझे लगता है कि मुझे हमेशा इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने कुछ सोचा और सावधानी पूर्वक यह कहा कि इस मामले की अनुमति दी जाएगी और मैं उन्हें इसे उठाने की अनुमति दे रहा हूँ। आपने जो कहा है वह ठीक है।

आपका अगला मुद्दा यह है कि इसके साथ दस्तावेज रखे जाने चाहिए। आपकी बात ठीक है। इसके साथ दस्तावेज रखे जाने चाहिए। उन्होंने दो दस्तावेज रखे हैं। एक दस्तावेज श्री महतो का वक्तव्य है और दूसरा दस्तावेज बैंक रसीदों आदि की प्रतियां हैं। मेरे समक्ष ये दो दस्तावेज रखे गए हैं। और आपकी यह बात ठीक है कि सामान्यत: किसी सदस्य को दस्तावेज बाद में रखने की अनुमति नहीं दी जाती हैं। अत: जो भी दस्तावेज जमा कराने हों, उन्हें नोटिस के साथ जमा कराना होता है, और उन्होंने ऐसा ही किया है।

1.00 म.प.

वह इन दस्तावेजों पर निर्भर कर रहे हैं, अत: उनके द्वारा इन दस्तावेजों का उल्लेख किए जाने पर मैं कोई आपत्ति नहीं कर सकता। इन दस्तावेजों को क्या महत्व दिया जाए, क्या वे प्रमाणित है अथवा नहीं है, परस्पर विरोधी वक्तव्य क्या है, ये सभी बातें पूर्णतया भिन्न है। लेकिन उन्होंने दस्तावेज दिए हैं और आप उस मुद्दे पर सही है। माननीय सदस्य अर्जुन सिंह जी, जो एक वरिष्ठ सदस्य हैं, ने यह किया है और यही कारण है कि मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूँ।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो.पी.जे. कुरियन) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। इस प्रकार नहीं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, प्रथम दस्तावेज के संबंध में केवल एक बात कहनी है। जब वह सदस्य स्वयं इसी सभा में इससे इन्कार चुके हैं, तो क्या वह दस्तावेज निष्फल और निरर्थक नहीं हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल मैं माननीय सदस्य से इसी बात पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। ये बहुत प्रवंचक क्षेत्र हैं और यदि आप इस प्रवंचक क्षेत्र में पांव रखते हैं, विशेषाधिकार हनन के पक्ष अथवा विपक्ष में बोलते हैं, तो आप एक अत्यधिक दुर्जन क्षेत्र में पांव धर रहे हैं। आपने जो कहा है, वह ठीक है, किन्तु मैं सभी सदस्यों को यह सलाह नहीं दे सकता कि वे इस पर निर्भर करें अथवा न करें। मैं यह उन पर छोड़ता हूँ कि वे इस पर निर्भर करें अथवा नहीं करें ..... (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा इस सभा में वक्तव्य उनके द्वारा बाहर दिए गए वक्तव्य से बढ़ा-चढ़ा कर दिया गया है तथा यह उससे श्रेष्ठ है।

अध्यक्ष महोदय : जब आप बोलेंगे, तब आप उसका कृपया उल्लेख करेंगे।

डा0 कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा, आप इस तरह से व्यवधान उपस्थित न करें और मुझ पर दया करें क्योंकि मेरी समझ इतनी अच्छी नहीं है कि आपकी सभी अच्छी बातों को पूरी तरह ग्रहण कर सकूं और तत्काल उन सभी बातों का उत्तर दे सकूं। आप अपने मुद्दे अपने भाषण के दौरान व्यक्त करें।

श्री मृत्युंजय नायक (फलबनी) : महोदय, मेरा एक सामान्य मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो मेरे लिए निर्णय करना और भी कठिन है।

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, नहीं, मेरा एक मुद्दा है कि क्या श्री महतो के हस्ताक्षर की पहचान की गई है। यह मेरा पहला मुद्दा है। मेरा दूसरा मुद्दा यह है .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह वक्तव्य देने की अनुमति बाद में दूंगा अभी नहीं। आप मुद्दों को लिखकर रख लें। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, मुझे एक अन्य मुद्दे पर भी बात करनी है।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी मुद्दे एक साथ उठाएं।

डा0 कार्तिकेश्वर पात्र : केवल एक बात कहनी है महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कोई अन्य बात नहीं, पात्र जी। आपने अच्छे मुद्दे उठाए है।, अब और मुद्दे आप नहीं उठाएं।

डा0 कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, केवल एक मुद्दा। इस अवसर पर मैं आपसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस प्रश्न को उठाने वाले सदस्य के विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूँ उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए हैं और महोदय इसीलिए मैंने यह निवेदन किया है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य अपनी संतुष्टि के लिए जो करना चाहते हैं, हमें उन्हें ऐसा करने से मना नहीं करना चाहिए।

महोदय, इस सभा की प्रक्रिया के माध्यम से मैं ये मामले आपके समक्ष लाया हूँ और मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच की जाए। यह तभी संभव है जब माननीय अध्यक्ष महोदय इसे ग्रहीत करेंगे तथा इस संबंध में जांच करवाएँगे। मैं जांच नहीं करवा सकता। यह जांच संसदीय प्रक्रिया में निर्धारित नियमानुसार ही की जा सकती है तथा यह जांच या तो विशेषाधिकार समिति द्वारा की जाएगी अथवा विगत में ऐसे भी अवसर आए हैं जब उप-समितियां गठित की गई हैं, जैसा कि मुद्गल मामले में, जिसमें बताया गया है कि किसी सदस्य का ऐसा आचरण इस सभा के सदस्य के लिए अशोभनीय है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अथवा सभा इसका संज्ञान ले सकती है।

श्री अर्जुन सिंह : अथवा सभा संज्ञान ले सकती है। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता लेकिन यदि जांच बन्द कर दी जाती है, तो फिर सवाल हवा में ही पूछे जाएंगे और हवा में ही इनके उत्तर दिए जाएंगे और तब इस संसद के बारे में संदेह और अस्पष्टता बनी रहेगी कि जब हमारे सामने कुछ गंभीर मामले आए, तो हमने किनारा काट लिया तथा संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस मामले की जांच नहीं की। इस मामले का कुल निचोड़ यही है। आप कृपया यह न समझें कि मैं यह बात किसी 'व्यक्ति विशेष के प्रति शत्रुतावश कर रहा हूँ। माननीय सदस्यों ने सभा में जो कहा है, मैं उस पर भी आऊंगा क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट बातें कही हैं। महोदय, उनकी इस स्पष्टवादिता के कारण ही मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि इसी के फलस्वरूप सभा में यह मुद्दा उठाया जा सका है कि सभा में उनके मतों को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अनुचित दबाव डाला गया.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी मुद्दे नोट कर लें और तभी आपको उत्तर मिल पाएगा।

श्री भृगुवंश मांझक : मैं सभी मुद्दों को एक साथ सम्बद्ध करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा न करें। कृपया मेरी मदद करें।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, प्राप्ति अथवा अप्राप्ति के बारे में जांच, प्राप्ति का औचित्य, इसे किस प्रकार खर्च किया गया अथवा नहीं किया गया, इन सब बातों पर, जैसा कि बताया गया है, अदालत द्वारा विशेषाधिकार समिति, विशेष समिति अथवा स्वयं सभा द्वारा, जो प्रक्रिया नियमों में पहले से ही निर्धारित है, विचार किया जाना है। महोदय, क्या आप इसकी जांच कराना उचित समझेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मामले को सभा में किस प्रकार पेश किया जाता है और फिर अपने न्यायपूर्ण विचार से कोई निर्णय लेंगे जिससे सामान्यतया सभी स्वीकार करेंगे, मैं स्वीकार करूंगा। जब मैंने माननीय सदस्यों के वक्तव्य देखे, तो उसमें यह कहीं नहीं कहा गया है, निश्चित रूप से मेरे ध्यान में नहीं है, कि प्रधानमंत्री ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनको कोई धन दिया है। मैंने वह नहीं कहा है। उन पर निश्चित रूप से अनुचित दबाव डाला गया है। मेरी याचिका में यह उल्लिखित है।

अब, महोदय, नियम 184 संबंधी प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दौरान लगाए गए आरोपों को स्पष्ट करते हुए माननीय सदस्यों ने जो वक्तव्य दिए हैं, उसके बारे में माननीय सदस्य श्री सूरज मंडल जी का कहना है, और मैं उनके उस भाषण को उधृत कर रहा हूँ जो उन्होंने यहां 28 फरवरी, 1996 को दिया था। उनका यह कहना है मैं उधृत करता हूँ।

(व्यवधान)

> आप उस दिन की प्रोसीडिंग्स निकाल कर देखिए। उस दिन का मतलब है, 28 फरवरी, 1993, जब वह मोशन लिया गया था - मैंने उसी जगह पर कहा था कि अगर प्रधानमंत्री झारखण्ड का सवाल हल करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने सदन में पूछा, लेकिन उन की सरकार बच जाने के बाद हम लोगों के साथ बेईमानी की गई और बिहार सरकार के साथ गुप्त समझौता कर दिया गया।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य ने यही कहा है। अपने भाषण में बाद में वे पुन: इसी मामले पर आते हैं। ये पुन: उधृत करता हूँ।

[हिन्दी]

हमने सोचा था कि कोई भी सरकार बनेगी, वह हमारे साथ इन्साफ करेगी। लेकिन हमारे लिए कोई इन्साफ नहीं करता है। मैं बूटा सिंह जी के साथ इसीलिए प्रधानमंत्री के पास गया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब मैं स्वयं इस मामले को देखूंगा। बूटा सिंह जी दलित वर्ग से हैं, हरिजन हैं और होम मिनिस्टर थे। उन्हीं के प्रयास से सी ओ जी एम कमेटी बनी थी। हम लोग मैम्बर थे। उन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश की थी। बूटा सिंह जी ने कहा यही मौका है, आप प्रधानमंत्री से बात कर लें। प्रधानमंत्री जी डील करें, तो आपकी काउन्सिल बन सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी बाद में बिहार सरकार से मिल गए।

[अनुवाद]

महोदय अब मैं सभा का ध्यान इस सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री बूटा सिंह जी द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ .....

(व्यवधान)

मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो खुद श्री बूटा सिंह जी ने

कहा उसका श्री सूरज मण्डल ने खंडन नहीं किया। उन्होंने इसकी पुष्टि की है।

महोदय श्री बूटा सिंह जी ने 28 फरवरी, 1996 को भी वक्तव्य दिया था। मैं उनके वक्तव्य को उधृत करता हूँ और इस बात को दोहराता हूँ कि मैं उन पर कोई लाइन अथवा आरोप नहीं लगा रहा हूँ और न ही विशेषाधिकार हनन का दोषी ठहरा रहा हूँ। लेकिन मैं उनके वक्तव्य को उधृत करूंगा क्योंकि यह सभा के समक्ष प्रस्तुत मुद्दे से सम्बन्ध है। उनका कहना है :

> "जब झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के लोग प्रधान मंत्री जी से मिले तो मैं उनके साथ था। झारखण्ड विकास परिषद् के मुद्दे पर सिद्धान्त: व्यापक रूप से विचार विर्मश हुआ। बस यही बात थी और मुझे याद है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय में इस मुद्दे पर उत्तर दे रहे थे तो भाषण के अन्त में मुक्ति मोर्चा के नेता उठ खड़े हुए और यह कहते हुए प्रधानमंत्री जी के भाषण में हस्तक्षेप किया कि झारखण्ड विकास परिषद के बारे में आपने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया तथा प्रधानमंत्री जी ने इसका सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि हम इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं।

अत: इससे स्पष्टत: दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह है कि ऐसी बैठक हुई है। माननीय सदस्यों ने यह कहा है और माननीय बूटा सिंह जी ने यह कहा है। प्रधानमंत्री जी ने सदन में इस चर्चा का जवाब देते हुए यह कहा कि सिद्धान्त: इस पर विचार किया जाएगा। अत: इससे स्पष्ट हो गया है कि बातचीत हुई थी। इसीलिए वे जवाब दे रहे थे। मैं समझता हूँ कि इस सदन में किसी व्यक्ति का वोट प्राप्त करने हेतु अनुचित रूप से प्रभावित करने का आरोप सिद्ध करने का यह मानदण्ड माननीय अध्यक्ष महोदय को यह सन्तुष्ट करने के लिए काफी है कि वास्तव में विशेषाधिकार का हनन हुआ है और अब केवल इसके कारण .... (व्यवधान) आप मुझे चुप करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इतिहास को नहीं मिटा सकते। इतिहास उन लोगों पर यह आरोप लगाएगा जिनके पास इस समय को मनमाने ढंग से संचालित करने का अधिकार है।

महोदय, इस सदन में कई गम्भीर बातें हुई हैं, कई परिस्थितियों का सामना करने के लिए ऐसे तरीकों को अपनाया गया है जो न केवल आपत्तिजनक है बल्कि उनसे विशेषाधिकार की निश्चित रूप से हनन हुआ। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस मामले पर अपनी सहमति दें। चूंकि अब यह सम्पूर्ण मामला सभा के समक्ष है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभा को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने दें। अब इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने या इसके लिए एक विशेष समिति गठित करने का समय नहीं है। क्योंकि कुछ ही दिनों में सभा का सत्रावसान हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस समय को इतिहास के ध्यान रखते हुए, भावी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए, इसके भविष्य में झांकते हुए बड़ी सूझबूझ से और अपनी अन्तरआत्मा से इस बात का निर्णय करना चाहिए कि क्या इस सभा का आचरण, संचालन ऐसा हो जिससे सभा की प्रतिष्ठा बढ़े। जिस पर लोग गर्व कर सकें या सभा का संचालन सभा की प्रतिष्ठा को दाव पर लगाकर इस तरह दावपेंच लड़ाने के लिए हो सभा को इस बात का निर्णय करना चाहिए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दे रहा हूँ। कृपया इस तरह खड़े मत होइए।

डा0 कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय मैं आपके ध्यान में नियम 224(II) को लाना चाहता हूँ। इसमें कहा गया है "प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक ही समिति रहेगा।"

अब मैं चाहूँगा कि अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें उक्त घटना का उल्लेख किया गया है। हाल ही की घटना है।

महोदय, इसमें दो बातें हैं। हाल ही की घटना क्या है? हाल की घटना प्रस्ताव में उठाई गई वह घटना है जिसमें एक सदस्य ने एक बार कहा था कि उसने पैसा लिया है और उसके पश्चात् उसने यह भी ब्यान दिया कि उसने पैसा नहीं लिया इस प्रकार दो बातें हो गई हैं। पहली बात पहली घटना है दूसरी बात दूसरी घटना हुई। मैं महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह .....

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे सवाल कर रहे हैं?

डा0 कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, प्रश्न विशेष यह है कि क्या इसे हाल की घटना माना जा सकता है? यह अविश्वास प्रस्ताव जुलाई, 1993 में लाया गया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया आप अपने हाथ खड़े न करें। मैंने आपके नाम नोट कर लिए हैं।

डा0 कार्तिकेश्वर पात्र : उक्त घटना यानि अविश्वास प्रस्ताव शायद जुलाई, 1993 में बताया गया था।

महोदय, यदि कोई इस सभा में एक दशक से पहले की घटना से सम्बन्धित कोई सवाल उठाता है तो क्या उक्त घटना को विशेषाधिकार संबंधी प्रस्ताव के रूप में उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है डा0 पात्र। डा0 पात्र ने एक भाषण दिया है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। लेकिन वे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि मैंने श्री अर्जुन सिंह जी को ठीक से समझा है तो उनका कहना है कि जहां तक धन के भुगतान का सम्बन्ध है, उन्हें उस पर उतना विश्वास नहीं है जितना इस सभा के सदस्य को प्रभावित करने जैसी बात पर है।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैंने कहा कि जहां तक धन के भुगतान का सम्बन्ध है इस मुद्दे की जांच की जानी है इसके पश्चात् मैंने उस बात का उल्लेख किया जो सभा में ही घटित हुई है। दोनों बातें भिन्न-भिन्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ सभा में घटित हुआ था आप उसके बारे

में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी एक वक्तव्य दिया था। यह बात हुई है। अब यहां वक्तव्य में समस्या पैदा होती है। डा0 पात्र ने नियम 224 उधृत किया है जिसमें यह उल्लिखित है" विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। इसमें कहा गया गया है अधीन होगा, ऐसा नहीं कहा गया है कि अधीन हो सकती है। इन शर्तों नियम 224(II) में से एक शर्त में यह कहा गया है :

"प्रश्न झारखंड में घटित किसी विशिष्ट विषय तक ही सीमित रहेगा।"

अब प्रश्न विशिष्ट विषय तक ही सीमित रहेगा। निश्चित रूप से यह एक विशिष्ट मामला है। इसमें आगे कहा गया है, झारखंड में घटित संबंधित मामला। अब वह कह रहे हैं कि आप इसे तीन साल बाद उठा रहे हो। यह झारखंड का मामला कैसे हो गया?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको यह पता चला कि प्रधानमंत्री ने इस तरीके से सदस्य को प्रभावित किया तो यह झारखंड का मामला कैसे हो गया? उसके तुरन्त बाद दूसरे दिन आप यह मामला उठा सकते थे। वे पूछ रहे हैं कि यदि आपने यह मामला उस समय नहीं उठाया तो अब आप इसे कैसे उठा सकते हैं? मैं आपको इसे स्पष्ट करने का अवसर दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : महोदय : मैं जानता हूँ कि इसमें दो बातें हैं। एक बात तो धन के भुगतान के बारे में है जो उनसे सम्बन्धित खातों का पता लगने के कारण प्रकाश में आई है। मैंने इस मुद्दे पर अपने नोटिस में भी इसका उल्लेख किया है। चूंकि इस सूचना एवं जानकारी का हमें अन्तर-सत्रावधि के दौरान में ही पता चला है इसलिए मैं ऐसा कैसे सोच सकता था और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आज भी मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस संसद को घूस दी जा सकती है। लेकिन यदि कतिपय बातें सामने आई हैं तो संसद का कर्तव्य है कि उसकी जांच करायें। जहां तक अगले मामले का सम्बन्ध है, इसका उल्लेख सभा में ही किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यही कठिनाई है और डा. पात्र ने बहुत सही कहा है कि यह जानते हुए भी कि सदस्यों पर प्रभाव डाला गया था हम तीन वर्षों तक इंतजार करते रहे।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मुझे इस बात की जानकारी कैसे हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि सभा में वक्तव्य दिया गया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, प्लीज। आप जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि वह स्पष्ट करना चाहते हैं तो मैं उन्हें यह अवसर दे रहा हूँ अन्यथा मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, बात यह है कि यह रहस्योद्घाटन केवल कुछ दिन पहले ही किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। सभा में ही सदस्यों पर प्रभाव डाला गया।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा किया गया होता ..... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, 28 जुलाई, 1993 को .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया मल्लिकार्जुन जी। मैं आपको भी अवसर दूंगा। उन्हें स्पष्ट करने दीजिए।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं वास्तव में यह नहीं समझ पाया हूँ कि क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में यह हुआ है कि अविश्वास के प्रत्येक प्रस्ताव की परिणति दल-बदल में हुई है। इसका रिकार्ड है।

कुमारी ममता बनर्जी : आप भी मंत्री थे।

श्री अर्जुन सिंह : मैंने कभी किसी को दल-बदल के लिए प्रेरित नहीं किया। इसके विपरीत, मैंने इसका विरोध किया .....(व्यवधान)

महोदय, प्रश्न यह है कि क्या यह झारखंड ही में घटित मामला है ... ...(व्यवधान) मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया।

मैंने दल-बदल नहीं किया और आपकी सूचना के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे गलत ढंग से, धोखेबाजी से और अनुचित ढंग से निष्कासित किया गया। (व्यवधान)

अब प्रश्न यह है कि ये दोनों मामले श्री बूटा सिंह जी और माननीय सदस्य के इस सभा को सम्बोधित करने के बाद ही प्रकाश में आये। इसलिए अत: वे विशेषाधिकार के हनन के आरोप का सार उनकी बातों से निकलता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री बूटासिंह : महोदय, डा0 कार्तिकेश्वर पात्र ने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया है। उन्होंने नियम 224 (II) उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है कि 'प्रश्न झारखंड ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा।' आप जानते हैं कि यहां पर कठिनाई सामने आती है। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव उस स्तर के अत: के अंतिम रूप से उत्तर दे रहे थे, यह विषय सभा के सम्मुख आया जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य श्री सूरज मंडल ने यही प्रश्न प्रधानमंत्री के सम्मुख उठाया और जब प्रधानमंत्री ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया तो मेरे विचार से श्री लालकृष्ण आडवाणी खड़े हुए और..... पर कुछ टिप्पणियां की .....(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यह सौदा अब सिद्ध हो गया है।

श्री बूटा सिंह : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह बुद्धिमान लोगों के वाक युद्ध का स्थान है।

श्री बूटा सिंह : रिकार्ड यहां है ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति देता हूं

श्री बूटा सिंह : रिकार्ड यहीं पर है, प्रत्येक सदस्य इसके बारे में जानता है, आप भी यहां उपस्थित थे और उस पर श्री सूरज मंडल ने प्रतिकार किया था ..... (व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, एक दिन आपने कहा था कि चाटुकारिता शब्द असंसदीय है क्योंकि इससे सदस्यों को ठेस पहुंचती है। यह शब्द भी ठेस पहुंचाने वाला है। महोदय, आपने कहा, 'चाटुकारिता' शब्द असंसदीय है यदि इससे किसी सदस्य को ठेस पहुंचती है।

अध्यक्ष महोदय : असंसदीय क्या है ?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : चाटूकारिता के संदर्भ में असंसदीय क्या है?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आपने व्यवस्था दी।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बतायें कि इस मामले में असंसदीय क्या है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : वह उस व्यक्ति के बारे में इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो यहां उपस्थित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट शब्दों में इसका क्या अर्थ है?

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : चाटुकारिता भी एक आम शब्द है।

अध्यक्ष महोदय : सही शब्द क्या है? मैं इसे कार्यवाही - वृतांत से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह क्या शब्द है जिसे मुझे निकालना है। कृपया, इस तरह न करें। यदि इसके कुछ भी असंसदीय हैं तो मैं इसे कार्यवाही - वृतांत से निकाल दूंगा।

श्री बूटासिंह : महोदय, यदि ..... शब्द* असंसदीय है तो मैं इसे वापस ले लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैंने इसे हटा दिया है।

श्री बूटा सिंह : श्री लालकृष्ण आडवाणी ने उस विषय पर श्री सूरज मंडल को उकसाने की कोशिश की। जब श्री सूरज मंडल ने सशर्त यह प्रस्ताव किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा समूह सरकार का समर्थन करेगा यदि वे झारखंड परिषद् की उनकी मांग के लिए सकारात्मक उत्तर देंगे। इस बारे में प्रधानमंत्री के शब्द कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सभा के अंदर और बाहर यह बात सार्वजनिक की कि प्रधानमंत्री के उस विशेष आश्वासन के आधार पर उन्होंने सरकार को सत्ता में बनाये रखने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। यह एक तथ्य है और 28 जुलाई, 1993 की बात है। और यदि सभा के अन्दर की घटना को माननीय सदस्य श्री अर्जुन सिंह द्वारा या विपक्ष के सदस्य द्वारा नोट नहीं किया गया तो मुझे मालूम नहीं कि इस हाल ही की घटना को कैसे कहा जाये। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक सदस्य को चुनने और उसे प्रैस सम्मेलन ले जाने के लिए विपक्ष के नेता के रूप में अपनी क्षमता के प्रदर्शन कराने के लिए और वर्तमान सरकार गिराने के लिए तीन वर्ष का लम्बा समय लगा। (व्यवधान) मेरे विचार से हाल ही की घटना में कोई सार नहीं है जो कि किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए एक पूर्व शर्त है।

इस विशेष आधार पर ही श्री अर्जुन सिंह का प्रस्ताव गिर जाता है।

श्री अर्जुन सिंह : मैं एक बात कहना चाहता हूं । इसके बाद, मैं चुप रहूंगा और जो माननीय सदस्य कहते हैं और जो आपका निर्णय होगा उसका धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा। अदल-बदल पूरी घटना की है यह उस पत्र के जरिए जानकारी में आया जिसे बाद में श्री शैलेन्द्र महतो जी ने न कि श्री सूरज मंडल ने वापस ले लिया था। त्रिमूर्ति नाटकीय घटना में स्पष्ट किया गया और तब ही हर बात का पता चल पाया कि पहले एक प्रस्ताव किया गया था उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इसे सभा में पूरा नहीं किया गया था, अत: उस सदस्य ने विरोध किया।

कुमारी ममता बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 224(1) के अन्तर्गत है क्योंकि श्री अर्जुन सिंह जी ने तीन या चार बातें एक ही समय पर उठाई। मैं उनका बहुत आदर करती हूं। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। पहली बात यह है कि यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। उन्होंने कई प्रश्न उठाये हैं। .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं इसका लाभ उठाना चाहती हूं। पहली बात यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के विरूद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात की है, दूसरी बात यह है कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बात की है। उन्होंने इससे इंकार नहीं किया है। उन्होंने पैसा लिया है। उसके पास दस्तावेज है।

तीसरी बात उन्होंने जांच-पड़ताल के बारे में कही है।

इन तीनों प्रश्नों का संबंध नियम 224 (1) से नहीं है। अत: नियमों के अनुसार यह विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पुन: मैं नियम संख्या 224 (2) पर आती हूं।

"प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा।"

मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है। यह मामला जुलाई, 1993 में सामने आया। इस मामले का संबंध हाल ही के मामलों से नहीं है। नियम 224 (3) के अनुसार :-

"विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित है।"

मैं नहीं समझती कि नियमों के अनुसार सभा इस मामले को स्वीकार करने के लिए सहमत होगी क्योंकि इसका संबंध इन मामलों से बिल्कुल

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही - वृतांत से निकाल दिया गया।

नहीं है और श्री अर्जुन सिंह भली प्रकार जानते हैं कि वह सरकार में मंत्री थे। वे यहां पर थे क्योंकि मैं उनके साथ थी और वह मेरे बॉस भी थे।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके सहयोगी थे।

कुमारी ममता बनर्जी : वह उस समय मेरे बॉस थे, मेरे वरिष्ठ मंत्री। मैं उनकी कनिष्ठ सहयोगी थी अगर मुझे ठीक से याद है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पैसा लिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है झारखंड क्षेत्र के विकास के बारे में (व्यवधान) उन्होंने कहा कि "सारी स्थिति को संभालने के लिए वे प्रधानमंत्री के पास गये।" श्री बूटा सिंह अविश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं बल्कि झारखण्ड क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा हेतु उनके साथ गये। उन्हें इसकी सराहना करनी पड़ेगी.....'

अत: इस मामले में मैं नियम 224 (1), 224 (2), तथा 224 (3) को उद्धत करना चाहती हूं। मेरे विचार से अर्जुन सिंह जी ने जो पढ़ा है, वह पूर्ण रूप से राजनीतिक और असंबद्ध है और इसे सभा को स्वीकार नहीं करना चाहिये। .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी का व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। मुझे कुमारी ममता बैनर्जी के व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय लेने दीजिये। ममता जी, आपने नियम 224 (1) की बड़ी अच्छी प्रकार से व्याख्या की है। मैं आपको बधाई देता हूं। यह मामला तीन घटकों वाला एक मामला है, इसीलिए वह इस पर लागू नहीं होता। बाकी सभी बातों का निर्णय हो चुका है।

श्री उमराव सिंह : महोदय, प्रेम व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी क्या प्रश्न है?

श्री उमराव सिंह : महोदय, हाल ही में छपे एक समाचार के आधार पर श्री अर्जुन सिंह ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। मैं कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 267 का संदर्भ देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट रूकिये। मुझे इसे पढ़ने दीजिये।

श्री उमराव सिंह : मैं पृष्ठ 267 सदस्यों के विरूद्ध शिकायतों को उद्धत कर रहा हूं, जिसमें कहा गया है:

जहां सभा के विशेषाधिकार भंग या अवमान की शिकायत किसी सदस्य द्वारा सभा से बाहर दिये किसी कथित वक्तव्य के समाचारपत्र में छपे समाचार पर आधारित हो और उस सदस्य ने कह दिया हो कि उसने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है, तो अध्यक्ष ने समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की बजाय सदस्य के कथन को स्वीकार किया है और उसे विशेषाधिकार प्रश्न के उठाये जाने की अनुमति नहीं दी है।"

श्री अर्जुन सिंह जी का तर्क यह है कि यह घटना हाल ही में घटित हुई है क्योंकि यह वक्तव्य सा पत्र में आया है। अत:, वह वक्तव्य, जो समाचारपत्रों में प्रकाशित है, उसे इस सभा में ही नकार दिया गया है। अत:, इस नियम के आधार पर इसे नहीं उठाया जा सकता है और यह विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात स्पष्ट करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसमें कुछ वजन है। मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : मेरा बहुत छोटा सा पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : पाइंट ऑफ आर्डर है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : पॉइन्ट ऑफ आर्डर ही समझ लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भाषण देने के लिए मैं बाद में समय दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मृत्युंजय नायक : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियम को उद्धत कीजिए। जब भी आप यह कहते हैं कि आपका व्यवस्था का प्रश्न है तो आपकी बात सुनने के सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता।

श्री मृत्युंजय नायक : मैं नियम 224 का उल्लेख करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 224 में क्या कहा गया है?

श्री मृत्युंजय नायक : मैंने नियम 224 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ तथ्य और दस्तावेज प्राप्त होने पर विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा। अब, प्रश्न यह है कि जब श्री वाजपेयी वक्तव्य दे रहे थे, तब हमने हस्तक्षेप करके उन्हें इस प्रकार बताया था; "आप श्री महतो को अपनी पार्टी में लेकर सिर्फ दल-बदल की प्रवृत्ति को ही बढ़ावा देंगे।" श्री वाजपेयी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है : "हमारे साथ आने के पश्चात् उन्होंने स्वंय को पश्चात उन्होंने स्वयं को सुरक्षित किया और तभी उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है।" अपने भाषण में यह वक्तव्य दिया। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह दस्तावेज हस्ताक्षरित हैं, हस्ताक्षर की पहचान कर ली गई है अथवा नहीं; क्या पैसा लेने पर, जैसा कि आरोप लगाया गया है, हस्ताक्षरकर्ता, श्री महतों ने न्यायालय में कोई हलफनामा दर्ज किया है। श्री पात्र के वक्तव्य की परिपुष्टि के लिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप बैंक प्राप्तियों के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी नेता के भड़काने पर किसी सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य के आधार पर श्री अर्जुन सिंह द्वारा दिये गये वक्तव्य में प्रथम दृष्टया लगाये गये आरोप पर विचार करने जा रहे हैं। मेरा यही विशेष प्रश्न है. ...(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : यह विनिर्णय दिया गया है कि उसमें दो दस्तावेज हैं....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप व्यवस्था का प्रश्न रखने के बजाय मुझसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप फाइल का उल्लेख करके स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने स्थान पर खड़ा हो जाऊं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैं यह नहीं चाहता कि आप खड़े हों या हस्तक्षेप करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : किस विषय पर ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसी विशेष विषय पर।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपको इस विशेष विषय पर बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी : मैं सिर्फ इस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ. ...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजरी) : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह आप अपना भाषण देते समय कह सकते हैं। आप उसे अभी संभाल कर रख सकते हैं।

श्री ई. अहमद : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष महोदय : मैं अब किसी भाषण की अनुमति नहीं देना चाहता।

श्री ई. अहमद : मैं केवल एक मिनट चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दूंगा।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं समझता हूँ कि यह इस सभा के कुछ सदस्यों के साथ न्याय करने से इंकार करना होगा। यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि जब किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत लाई जाती है, तो यह अनिवार्य है कि संबंधित सदस्य सभा में मौजूद हो। मान लीजिये कि वह सदस्य सभा में उपस्थित नहीं है, तो वह शिकायत अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। यही बात कौल और शकधर की प्रक्रिया संबंधी पुस्तक में पृष्ठ 267 पर छपी है। जब यह बात मेरे नोटिस में लाई गई थी, तब इसे आपके ध्यान में लाना मेरा कर्त्तव्य नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि सदस्यों की अनुपस्थिति में ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि यह मामला काफी समय से लंबित है। और मुझे उम्मीद थी कि सदस्यगण सभा में उपस्थित रहेंगे। आपने जो कहा है, वह ठीक है।

श्री जसवन्त सिंह : यह प्रश्न माननीय अर्जुन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के बारे में है। हममें से भी कुछ लोगों ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इनमें बात एक होने के कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पर अवश्य विचार क्यों किया जाना चाहिए। वास्तव में इसमें तीन मुद्दे शामिल हैं- प्रस्ताव की स्वीकार्यता अर्थात क्या इसे समिति को भेजा जाना चाहिए; और तीसरा कि क्या समिति को भेजने की बजाए सभा द्वारा ही निर्णय लिया जाना चाहिए। अब विशेषाधिकार हनन का सार क्या है? आपने यह देखा होगा कि इन तीन बातों का एक मुद्दा है। विभिन्न संसद सदस्यों पर पैसा लेने का आरोप लगाया गया है। जहां तक विशेषाधिकार हनन का संबंध है; इसमें रिश्वत का मामला शामिल है। मैं एक मिनट में उस बात पर आ रहा हूँ और मैं घूसखोरी का हवाला दूंगा। मैं उसकी व्याख्या करूंगा क्योंकि यही शब्द नियमों में इस्तेमाल किया गया है।

दूसरा लालच का प्रश्न है। माननीय श्री अर्जुन सिंह जी द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द है 'अनुचित प्रभाव'। 'लालच' शब्द भी है और मैं अभी संबंधित नियमों का हवाला दूंगा।

तीसरा प्रश्न यह है कि यह हाल ही में घटित मुद्दा कैसा है जिसे उठाया गया है? यदि मैं गलती पर नहीं हूँ तो यह नियम 224(3) के अंतर्गत आता है। मैं संक्षेप में इन तीनों के बारे में बताऊंगा।

मामले की वास्तविता क्या है? प्रथम, पैसा लेने के आरोप अथवा रिश्वत का आरोप है। मामले की सच्चाई यह है कि धनराशि ली गई है। वह धनराशि बैंक में जमा करायी गई है। जिन्होंने धन लिया है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। विवाद इस बात पर है कि यह धनराशि किसने दी है अर्थात यह धनराशि कहां से आई। धनराशि के इस्तेमाल अथवा प्रयोग के लिए यह दावा किया जाता है कि यह पार्टी का फंड है और यह बात भी विवादग्रस्त है, जिसमें अचल सम्पत्तियों अथवा जो कुछ भी है, वह शामिल है। अब प्रश्न यह है कि घूस के रूप में धन प्राप्त करने के आरोप की जांच की जानी है, विशेषरूप से इस पहलू की जांच की जानी चाहिए कि इस धनराशि का स्रोत क्या है। उन्होंने सभा में धन लेने की बात को स्वीकार किया है, वह पहले से सभा के औचित्य का मामला है। धन लेने की बात को यहां स्वीकार किया गया है। इस धन की प्राप्ति को पार्टी फंड के रूप में दर्शाया गया है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह पार्टी फंड है और क्या पार्टी फंड का उपयोग अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए किया जाता है अथवा जो कुछ भी है, यह जांच का मामला बन जाता है तथा इसके साथ-साथ यह भी कि क्या ये दोनों बातें बिना किसी कारण संसद को प्रभावित करती है। दूसरा लालच के बारे में है। यहां बिना अधिक समय लिए, मैं वह बातें उद्धृत करना चाहूँगा जो कि श्री अर्जुन सिंह जी ने उद्धृत नहीं की हैं। यह बातें सतारूढ़ दल के वरिष्ठ नेता माननीय श्री बूटा सिंह जी द्वारा कही गई हैं जिन्होंने भी अभी हस्तक्षेप किया था, लेकिन कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया वह लालच क्या है? हमारा निवेदन यह है कि लालच विश्वास मत प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। इसलिए कुछ माननीय संसद-सदस्यों को यह कहकर लालच दिया गया कि "यदि आप इस तरीके से वोट देंगे तो आपको काऊंसिल अथवा झारखंड मुक्ति मोर्चा अथवा जो कुछ भी होगा, उसका लाभ-प्राप्त होगा'।

एक बैठक के रूप में इस लालच का इंतजाम किया गया। इसका इंतजाम माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ माननीय श्री बूटा सिंह जी ने किया। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि उस बैठक का इंतजाम श्री बूटा सिंह जी ने किया था क्योंकि बूटा सिंह जी स्वयं कहते हैं कि 'जी हां? मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कार्य करता रहा हूं। मैंने बैठक का इंतजाम किया था।'

श्री सूरज मंडल भी कहते हैं

[हिन्दी]

"बूटा सिंह जी ने ही इस मीटिंग की व्यवस्था की थी।" न माननीय श्री बूटा सिंह जी ने न श्री सूरज मंडल ने और न ही किसी अन्य व्यक्ति ने इस बात में कोई विवाद उत्पन्न किया कि बैठक हुई थी और इस समय तक माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि बैठक नहीं हुई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे वहां थे।

श्री जसवन्त सिंह : वे वहां उपस्थित थे। वास्तव में बैठक उनके साथ थी। अविश्वास मत की शाम इस बैठक का क्या उद्देश्य था? इस बैठक का उद्देश्य था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लालच देना लालच देकर गलत तरीकों से वोट हासिल किये गये थे।

यह मेरा निवेदन है। अब, मैं माननीय श्री बूटा सिंह जी तथा माननीय श्री सूरज मंडल द्वारा कही गई बातों की पुष्टि कैसे करूं? यह एक छोटा सा उद्धरण है। यह उद्धरण है जिसमें से माननीय बूटा सिंह जी ने सभा में कहा है।

अध्यक्ष महोदय : उस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि यह मुझे अपनी बात कहने में मदद करेगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री जसवन्त सिंह : यह है, जो कि माननीय श्री बूटा सिंह जी ने कहा है :

> "झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने प्रधान मंत्री जी को बुलाया। मैं उनके साथ था और झारखंड विकास परिषद के मुद्दे पर मुख्य रूप से विस्तार पूर्वक विचार किया गया था।"

बस इतना ही था। मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस सभा में अपना जवाब दे रहे थे। वक्तव्य के अंत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य उठ खड़े हुए और प्रधान मंत्री वक्तव्य में यह कहने के लिए व्यवधान उत्पन्न किया कि आपने हमें झारखंड विकास परिषद पर आश्वासन नहीं दिया है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने जवाब दिया। अंत माननीय सूरज मंडल क्या कहते है? मैं उनकी बात उद्धृत कर रहा हूं, महोदय।

[हिन्दी]

> "आप उस दिन की प्रोसीडिंग्स निकालकर देख लीजिये। मैंने उसी जगह पर कहा था कि अगर प्रधानमंत्री झारखण्ड का सवाल हल करेंगे...(व्यवधान) झारखण्ड का सवाल अगर हल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं वोट दूंगा, वर्ना नहीं दूंगा"।...(व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक : ऐसा उन्होंने छुपकर बोला था।

श्री जसवन्त सिंह : लेकिन यह तो सदन के रिकार्ड पर है, यह तो सदन की प्रोपर्टी है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां। आप सही है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं सभा की कार्यवाही से उद्धरित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

> "प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा। लेकिन इनकी सरकार बच जाने के बाद हम लोगों के साथ बेईमानी की गई।"
>
> उसके बाद जो पोरशन श्री अर्जुन सिंह जी ने नहीं कहा, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वह यह है...(व्यवधान)
>
> "हमने उस अविश्वास प्रस्ताव पर वोट दिया था और हम वोट देकर आज जरूर पछता रहे हैं।"

कृपया इस वाक्य को ध्यान से सुनिए, महोदय..(व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक : आप 'हिन्दुत्व' का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : केवल एक मिनट।

आप कहते हैं 'लालच'। जब आपने श्री वी.पी. सिंह को एक वर्ष तक समर्थन दिया तो आपको यह लालच था कि वे आपके मंदिर के मुद्दे को समर्थन देंगे....(व्यवधान)

जब आपने अपना समर्थन वापस लिया तो आपने कहा था कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। क्योंकि उन्होंने मंदिर के मसले पर आपको समर्थन नहीं दिया। इसलिए आपने अपना समर्थन वापस ले लिया। क्या आपका अर्थ यह है कि आपने भी वही किया?...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : लाईये, आप भी प्रिविलेज ईश्यू लाईये।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, इस तथ्य के बावजूद के माननीय श्री संतोष मोहन देव ने जो मुद्दा उठाया है, वह पूर्णत: असंगत है...

मैं जो कहना चाहता था, मुझे उस बात पर वापस आने दीजिए।

[हिन्दी]

"हमने उस अविश्वास प्रस्ताव पर वोट दिया था और हम वोट देकर आज जरूर पछता रहे हैं। (अनुवाद) कृपया इस बात को नोट

कीजिए। " क्योंकि जिस सहमति के आधार पर उसको बनाना था वह नहीं बनाया गया और आज हम कॉम करने लायक नहीं रहे।" अब वे मीटिंग का उल्लेख कर रहे हैं। "मैं बूटा सिंह के साथ इसलिए प्रधान मंत्री जी के पास गया था क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अब मैं स्वयं इस मामले को देखूंगा। बूटा सिंह जी दलित वर्ग से है"।

[अनुवाद]

श्री डी.के. नायकर (धारवाड़ उत्तर) : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जसवंत सिंह जी, वे कह रहे हैं, कि वे व्यवस्था के प्रश्न पर हैं। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री डी.के. नायकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 222 के अंतर्गत है। कृपया इसे पढ़िए। इसमें बताया गया है कि...

" कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से, कोई ऐसा प्रश्न उठ सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का अंतर्ग्रस्त हो।"

यहां पर समिति के विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं उठता। उसके बाद एक सदस्य के विशेषाधिकार हनन का प्रश्न आता है। जिन सदस्यों पर धन का आरोप लगाया गया है उन्होंने कभी नहीं कहा है कि उन्होंने धन लिया है। उन्होंने यह बात भी नहीं कही है कि उनहें प्रभावित किया गया था। श्री बूटासिंह के वक्तव्य के अनुसार झारखण्ड स्वायत्तशासी परिषद के गठन के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया था। संबंधित सदस्यों ने यह कहा कि उनहें प्रभावित किया था। माननीय सदस्य द्वारा सभा के विरुद्ध अब प्रभावित करने के इस प्रश्न का अनुमान लगाया जा रहा है। यह कहना बहुत अनुचित है कि उन्हें प्रभावित किया गया था जबकि सदस्य यह नहीं कह रहे है कि प्रधान मंत्री ने उन्हें प्रभावित किया था। अन्य सदस्यों को ऐसा कहने का क्या अधिकार है? अत: अनुमानों और परिस्थितियों के अनुसार इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण होने चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 223 के अंतर्गत है। नियम 223 में कहा गया है :

"जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना महासचिव को देगा..."

महासचिव को 27 फरवरी को सूचना दी गई थी। अनुचित प्रभाव डालने का आरोप प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को 28 फरवरी को उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। हम 27 फरवरी को हमारे सामने लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि 28 फरवरी को उपलब्ध करवाई गई जानकारी को 27 फरवरी को उठाए गए प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है। यदि श्री अर्जुन सिंह 28 फरवरी को सभा में दिए गए वक्तव्यों के आधार पर कोई प्रस्ताव उठाना चाहते हैं तो उन्हें वक्तव्य देने की तारीख के बाद की तारीख को इस संबंध में सूचना देनी होगी। अन्यथा चार संबंधित संसद सदस्यों के साथ-साथ आपके माध्यम से प्रधान मंत्री को उस मामले के बारे में नोटिस देना एक दम अनुचित हो जाता है जो उस तारीख को अस्तित्व में ही नहीं था जिस तारीख को विशेषधिकार प्रस्ताव की सूचना दी गई थी। श्री अर्जुन सिंह और अब उनके एक अच्छे मित्र श्री जसवंत सिंह बार-बार ऐसे मामले ला रहे हैं प्रस्ताव की तारीखों के बाद के हैं। हम स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि इन दो सदस्यों के पास प्रस्ताव की सूचना दिए जाने की तारीख को उपलब्ध जानकारी में ऐसी क्या बात है जिसके आधार पर वे कह रहे हैं कि अनुचित प्रभाव डाला गया था? यदि वे फिर केवल 28 जुलाई 1993 के रिकार्ड का हवाला देते हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरी आपत्ति को माना जा सकता है। यदि वे नोटिस भेजे जाने की तारीख के बाद की घटनाओं को उठाना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि हम संज्ञान लेने की स्थिति में हैं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, क्या मैं अपनी बात जारी रख सकता हूँ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, क्या मैं आपसे अपना विनिर्णय देने के लिए कह सकता हूँ?

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, कृपया पहले प्रश्न के बारे में भी अपना विनिर्णय दीजिए क्योंकि वह माननीय सदस्य कहेंगे कि हमारा कोई विनिर्णय नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मेरा विनिर्णय यह है कि "उन्होंने अच्छा भाषण दिया।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मणि शंकर जी, मैं समझता हूँ कि सदस्य दो बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। सभा के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। वह कह रहे हैं कि सदस्यों को प्रभावित किया गया है इसलिए हनन हुआ है और वह कह रहे हैं कि सदस्यों को इसलिए प्रभावित किया गया क्यों झारखंड परिषद बनाने या इसी तरह का वायदा किया गया था। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि धन दिया गया था। वे दो बातें कह रहे हैं और उन पर कायम हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह था कि सदस्यो को नोटिस देने की तिथि के बाद जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी क्या उसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? या क्या हमें सभा या सदस्यों के समक्ष उस तिथि के बाद लाई गई जानकारी पर विचार करने के लिए एक अलग प्रस्ताव लाना पड़ेगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम किस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, 27 तारीख को दिए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव पर या 29 तारीख को दिए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव पर?

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन सिंह जी द्वारा दिए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : उस स्थिति में, 27 तारीख के बाद जो कुछ हुआ है उसे संज्ञेय न माना जाए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उच्च न्यायालय है या संसद ?..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हूं। नीतियां बनाने के बजाय यदि आप जांच और फैसले चाहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : बाद की घटनाओं को हमेशा ध्यान में लिया जाता है।...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी बात जारी रखूंगा। मैं प्रलोभन देने के प्रश्न के तथ्यों पर पहलू पर बोल रहा था और श्री सूरज मंडल द्वारा सभा में किए गए हस्तक्षेप की कुछ पंक्तियां, जिन्हें मैं महत्वपूर्ण समझता हूं, को मैं उद्धृत करना चाहता हूं। महोदय, मैं उद्धृत करता हूं।

[हिन्दी]

'इस मामले को देख रहे थे। वे हमें प्रधानमंत्री जी के पास ले गए थे।' यह सब कहने के बाद माननीय सूरज मंडल कहते हैं, यहां मैं उद्धृत कर रहा हूं-

"उन्होंने (श्री बूटा सिंह जी ने) हमारी मदद करने की कोशिश की थी। बूटा सिंह जी ने कहा कि यही मौका है, आप प्रधानमंत्री जी से बात कर लें। प्रधानमंत्री जी डील करें तो कौंसिल बन सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बाद में बिहार सरकार से मिल गए।"

[अनुवाद]

"डील" शब्द की व्याख्या दो तरह से की जा सकती है।.... (व्यवधान)

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं फिर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। यह बात उचित और न्यायपूर्ण है कि जिन सदस्यों के विरुद्ध शिकायत की जा रही ह वह सभा में मौजूद हों। प्रश्न यह है कि क्या उस सदस्य विशेष ने यह नोटिस दिया है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव-(व्यवधान)

हम किसी अजनबी के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं, हम इस सभा के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला रहे हैं और...(व्यवधान) जब किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत सभा के समक्ष लायी जाती है तो यह आवश्यक है कि संबंधित सदस्य भी सभा में मौजूद हो।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इसलिए है कि उस माननीय सदस्य के साथ ऐसा अचानक नहीं किया जाना चाहिए।

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय, आप उन्हें बुला सकते हैं, हम उनसे यहां उपस्थित रहने के लिए कह सकते हैं लेकिन उसके लिए भी उपाय दिया गया है। यदि वह उपस्थित नहीं हैं तो शिकायत को अगली बैठक तक स्थगित किया जाता है। हम सभा के उस सदस्य का केवल उल्लेख और उसके विरुद्ध शिकायत कैसे कर सकते हैं जो सभा में उपस्थित नहीं है। दो बातें हैं।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग के बाद भी क्या कोई सदस्य उसी मामले को फिर उठा सकता है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है। कृपया अपनी बात आगे रखिए।

श्री ई. अहमद : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। . . . .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद जी, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं केवल एक निवेदन करूंगा। सहमति के विचार से भी नियम पुस्तक जैसा कि कौल-शकधर की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन का पहले ही उल्लेख किया गया है, मैं यह बात पहले ही काफी स्पष्ट की गई है कि सहमति देना या न देना अध्यक्ष का विवेकाधिकार है। मैं उस बात में नहीं जा रहा हूं। यहां पर इस बात का पहले ही उल्लेख किया गया है कि "अपनी सहमति देने के लिए अध्यक्ष विशेषाधिकारों के प्रश्नों की ग्राह्यता के लिए निम्नलिखित निर्धारित शर्तों से नियंत्रित होता है।0

उसी बैठक में एक से ज्यादा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए; प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट मुद्दे तक ही सीमित होना चाहिए, और मामले में सदन द्वारा हस्तक्षेप की जरूरत होती है।

महोदय, एक और मुद्दा है।

"किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न शीघ्र उठाया जाना चाहिए और इसमें सदन की मध्यस्थता की आवश्यकता होनी चाहिये। विशेषाधिकार की सूचना देने में एक दिन का विलम्ब भी घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि किसी विशिष्ट समय में उठाया गया यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का होता है।" किसी विशेषाधिकार की सूचना में एक दिन का विलम्ब भी घातक सिद्ध हो सकता है।

यहां पर माननीय सदस्य पहले ही यह सवाल उठा चुके हैं कि क्या यह मामला हाल ही में हुआ हो दूसरी और मेरे मित्र श्री कुरियन और अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह कहा है। कि अध्यक्ष पीठ को सदस्य द्वारा सदन में गई बातों को तरजीह देनी चाहिए न कि बाहर कही गर्म बातों को। तीसरी बात, सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं।

इन तीन पूर्व शर्तों को देखते हुए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सदस्यों की अनुपस्थिति में न केवल चर्चा जारी रहनी चाहिए अपितु नियमों के मुताबिक इसका निपटान भी किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, आपने अच्छे मुद्दे रखे हैं पहला मुद्दा यह है कि सदस्यों को सदन में उपस्थित रहना चाहिए। यह नियम क्यों बनाया गया? यह नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि सदस्यों को एकाएक अचरज में नहीं डालना चाहिये इस मामले में सदस्यों को अचरज में डाले जाने की कोई संभावना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : एक दिन का ही विलम्ब घातक है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी यह बात भी सही है। जब आप कहते है कि एक दिन का विलम्ब भी घातक होता है तो बिलकुल ठीक कहते है और इसकी बात की अनदेखी करना मेरे लिए कठिन है।

...(व्यवधान)

डा. आर. मल्लू (नगर कुरनूल) : महोदय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग अपने अधिकारो के लिए लड़ रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : महोदय, सदन में दिया वक्तव्य बाहर दिये गये वक्तव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही निर्णय हो चुका है। मैं वह विनिर्णय नहीं बदल सकता हूँ। मैं एक अलग विनिर्णय दे सकता हूँ। लेकिन मैं अपने उस विनिर्णय का खंडन नहीं हूँ कि सदन में दिया गया कोई वक्तव्य बाहर दिये गये वक्तव्य से कही ज्यादा विश्वसनीय और अधिकृत होता है। कोई व्यक्ति इसका खंडन नहीं कर सकता। इसमें विवाद नहीं है।

...(व्यवधान)

डा. आर. मल्लू : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी समय से विकास परिषद् के गठन के लिए लड़ाई लड़ रहे है। यह कोई नई बात नहीं है। यह उनका अधिकार है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा भाषण है। लंबा भाषण देने लिए मैं आपको समय दूंगा।

...(व्यवधान)

डा. आर. मल्लू : इसमें उकसाने वाली बात नहीं है..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए आपको बाद में अनुमति दूंगा। आप उस मुद्दे पर वाद-विवाद कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बाद में आप उस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। श्री जसवन्त सिंह भाषण में बाधा न डाले मैं इस तरह से आपको अनुमति नहीं दे सकता हूँ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय सदस्य श्री सूरज मंडल द्वारा प्रयोग में लाये गये "साले" शब्द पर चर्चा कर रहा था क्योंकि अन्य वक्तव्य में भी उसी शब्द का प्रयोग किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्यों के बीच एक सौदा हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि आप हमारे लिए विकास परिषद् का गठन करें और हम आपको वोट देंगे एक अन्य जगह पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इन दोनों शब्दों की व्याख्या में प्रलोभन की भावना तो विद्यमान है ही।

महोदय, दूसरी बात यह है कि मैं भुगतान संबंधी आरोपों के प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रलोभन के आरोप के प्रश्न पर चर्चा करना चाहता हूँ...(व्यवधान) महोदय, जहां तक प्रलोभन का संबंध है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीन चीजें सिद्ध हो चुकी हो (क) बैठक हुई थी। इसका खंडन किसी ने नहीं किया हो (ख) यह बैठक अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित किसी संदर्भ में हुई थी और इसका भी किसी ने खंडन नहीं किया है।

2.00 म.प.

(ग) उस बैठक में सदस्यों ने, जिन पर विशेषाधिकार के हनन का आरोप है, प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक में झारखंड विकास परिषद् के प्रश्न पर चर्चा की गई थी। जब इसका खंडन किया ही नहीं गया तब जो बात बच जाती है वह है हाल ही में हुई घटना जिसके संबंध में आपने अभी-अभी इशारा किया है 'हाल की घटना क्या है?' महोदय, मेरा निवेदन है कि...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : "यह हाल की घटना है"

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मैं जानता हूँ कि महोदय। मैं 'हाल की घटना के बारे में बात कर रहा हूँ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिससे इस शब्द को समझने में आप मेरी सहायता कर सके।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : मेरी कहां हैसियत है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके विचारों का आदर करता हूँ और आपको मेरी सहायता करनी होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : मैं सूरज को दिया दिखाने की...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं पुन: नियम 224 (II) का उल्लेख करता हूँ जिसमें 'एक विशिष्ट मामलों के बारे में कहा गया है। यहां मैं यह बताना चाहता हूँ कि विशेषाधिकार के इस सम्पूर्ण विवाद का आधार प्रलोभन का प्रश्न था। ऐसा करते हुए जो दो तर्क दिए गए वे दो मुद्दों से संबंधित हैं। पहला यह है कि जहां तक प्रलोभन का संबंध है तो क्या विनिमय पर आधारित मामला है और दूसरा, लोक नीति अथवा एक लोक मुद्दे से संबंधित मामला है। झारखंड मामला काफी समय से एक लोक मामला रहा है। प्रश्न यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने झारखंड मामले पर एक विशेष समय में 301 सदस्यों से मिले थे। महोदय, वास्तविकता यह है कि मेरे जैसे लोगों ने भी, जो उसे क्षेत्र से संबंध नहीं रखते हैं, प्रधानमंत्री से तीन बार मिलकर इस मामले को उठाया था और प्रधानमंत्री जी ने हरेक बार हमें इस मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया था। (व्यवधान)

यह एक मुद्दा है। में यह कहना चाहता था कि झारखंड मामला एक व्यापक मामला है जिस पर चर्चा की जा चुकी है। दूसरा पहलू विनियम

से संबंधित है। अब, जो श्री जसवन्त सिंह जी ने जो कहा है वह इस प्रकार है। श्री बूटा सिंह ने इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों से कहा था कि अमुक-अमुक के बीच में सौदा हुआ था .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनके मुद्दे की व्याख्या कर रहे हैं। वह जो भी कह रहे हैं उसकी व्याख्या आप न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ने पहले ही एक अच्छा मुद्दा उठाया है।

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावन्त : नहीं महोदय, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है प्रश्न यह है कि जब आप विनियम से इसे जोड़ते हैं तो अन्य प्रश्न भी उठता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं चाहता हूं कि इसमें आप मेरा ज्ञान बद्ध न करें, क्या उसे प्रलोभन के रूप में माना जाना चाहिए। क्या प्रलोभन के रूप में व्यवहार किया जा रहा है? मैं बाद में आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावन्त : महोदय वह एक विशिष्ट मुद्दा है ....(व्यवधान)

अहमद महोदय : नहीं, अभी नहीं।

(व्यवधान)

श्री सुधीर सावन्त : मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपने अच्छे मुद्दे उठाये हैं। वह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह, यहां दो बातें हैं। वे इनमें अच्छा भेद स्पष्ट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप तो कहते हैं कि धन का भुगतान हुआ है और आप यह कहते हैं कि प्रलोभन दिया है। ये दो बातें हैं। क्या आप इनको दो अथवा एक चीज़ समझ रहे हैं। यह मुझे बताइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे बताइये। क्या आप इन्हें दो बातें मान रहे है अथवा एक?

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : महोदय, आपने पीठासीन होते हुए यह टिप्पणी की थी .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए वे समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं यह जानता हूं। यह एक अलग शैली में ली गयी वही प्रश्न नियम 224(एक) में केवल एक मुद्दे का उल्लेख है। मुद्दा वही है। इसमें अवयव है। प्रलोभन रिश्वत के रूप हो सकता है, प्रलोभन राजनैतिक दान के रूप में हो सकता है। मैं विवरण का उल्लेख करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक ही मुद्दा है ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कानूनी तौर पर इसका निष्कर्ष बड़ा कठिन है। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका निष्कर्ष बड़ा कठिन है। यदि आप रिश्वत तथा प्रलोभन को एक ही मुद्दे के अवयव के रूप में मानते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि प्रलोभन के भाग की जानकारी आप को तीन साल पहले थी।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मैं इसका उल्लेख करूंगा, मैं इसका उत्तर दूंगा .....(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, एक मिनट! श्री जसवन्त सिंह जी, कृपया एक मिनट इसे छोड़िए .....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : तो मैं इसे अवश्य प्रो. कुरियन पर छोड़ूंगा और आप पर नहीं .....(व्यवधान) महोदय, मैं प्रो० कुरियन पर छोड़ूंगा उस पर ही .....(व्यवधान) महोदय यदि मैं इसे छोड़ूं तो उस पर नहीं छोड़ सकता मैं प्रो० कुरियन पर छोड़ूंगा.....(व्यवधान) महोदय मैं उस पर नहीं छोड़ सकता।

महोदय, ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है .... . (व्यवधान) तो राष्ट्रपति ने हमें सभा की सहमति को मानने के लिए कहा है। ऐसा पांच वर्ष पहले हुआ है। उसका तर्क क्या है? मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मल्लिकार्जुन जी, मैं आपको वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा।

श्री मल्लिकार्जुन : तब तो मैं अन्य राजनैतिक दलों के समर्थन पर निर्भर हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए आप सहयोजित रूप से यह बता सकते हैं।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्षणभर में जवाब मत दीजिये। आपका तैयार किया गया वक्तव्य है और कृपया आप इसे दीजिये इसे सुनकर हमें अति हर्ष होगा।

श्री मल्लिकार्जुन : श्री जसवंत जैसी शब्दावली अथवा अभिव्यक्ति प्रत्येक संसद सदस्य की नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : आपका है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बात की खाल क्यों खींच रहे हो? मुझे खेद है।

(व्यवधान)

प्रो० पी.जी. कुरियन : महोदय, मुझे अनुग्रहीत करने के लिए आपका

धन्यवाद। मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं। प्रलोभन तथा अदल-बदल के सिद्धांत को उठाया गया है। जब अदल-बदल का सिद्धान्त तथा प्रलोभन का सिद्धांत सभा के सदस्यों तक चला जायेगा कि सभा में वे क्या कर रहे हैं, वे स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष कहां है, आप इसे कैसे लागू करते हैं? ..... (व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नही है। यह एक वक्तव्य है। मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

प्रो. पी. जी. कुरियन : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। महोदय, उन्होंने अनुग्रहीत किया है .....(व्यवधान) यह प्रत्येक माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह लोकहित का कोई मुद्दा उठाये और सरकार से आश्वासन प्राप्त करे। यह उसका अधिकार है।

माननीय सदस्य अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और यदि सरकार अनुग्रहीत कर रही है तो सदस्य यह अधिकार है। फिर यह प्रलोभन कैसे हो सकता है। यह बात मैं जानना चाहता हूं .....(व्यवधान) मैं तो केवल सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों की वकालत कर रहा हूं। यह एक पार्टी का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कर ली है। तो आप इसे फिर क्यों दोहरायें। आपको प्रत्येक सदस्य को जवाब नहीं देना है। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक शब्द कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण होता है। इसमें एक बात होती है। यदि आप इसे दोहराते हैं तो इसका महत्व समाप्त हो जाता है।

श्री जसवंत सिंह : मैं समझता हूं कि मेरे अच्छे मित्र, माननीय प्रो0 कुरियन को निश्चय ही व्यवस्था के प्रश्न के छमावेश में भी मुझे हस्तक्षेप करने का प्रत्येक अधिकार है। मैं तीन पहलुओं की बातें कर रहा था। जो अब सुस्थापित हो गयी है। लेकिन नकारी नहीं गई है। उस मांग को आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार किया गया था उसे सभा में दोहराया गया था कि उसे पुन: स्वीकार किया गया था जो प्रलोभन का एक अन्य रूप है कि एक बैठक हुई, कि उस बैठक में मांग की गई।

वहां तक अदल-बदल तथा हाल की घटना का प्रश्न है आपने कहा था: "जसवंत सिंह जी, क्या यह हाल की ही घटना है? यदि आप धन का भुगतान तथा विकास परिषद् को शामिल कर रहे हैं तो विकास परिषद् का पहलू मालूम हो गया, धन के भुगतान के पहलू का भी पता चला गया है, अत: आप इसे हाल की घटना क्यों अथवा कैसे कह सकते हैं?"

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। बहुत अच्छा।

श्री जसवंत सिंह : यह आपके प्रश्नों के एक पहलू का सार है।

अध्यक्ष महोदय : हां जी।

श्री जसवंत सिंह : पहले तो मैं नियम 224 में यथा इस्तेमाल हुई उस हाल की घटना को निवेदित करता हूं जिस का वास्तव में संकेत उस घटना से है जिसका आशय होता है 'बन्द' घटना से आशय है 'ज्ञान'। महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये ..... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : घटना बन्द नहीं हो सकती। घटना तो घटना ही होती है। यह बंद नहीं होती .....(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बंद भी यह घटना होती है।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं बहस करने के लिए यह बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बहुत ही सुन्दर ढंग से कह रहे हैं। मैं इसकी प्रशंसा कर रहा हूं।

श्री जसवंत सिंह : मेरा आपसे निवेदन है कि हाल की घटना केवल तभी एक घटना बनती है जब उस घटना में ज्ञान, प्रवेश तथा बड़े हों। कृपया हमारी बात समझिये.....(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह बंद नहीं है .....(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप मेरे काम में भी बाधा मत डालिये।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं तो उन्हें केवल यह बात बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें यह बात नहीं बतानी है। मैं आपको आपकी बातें कहने की अनुमति दे दूंगा।

श्री जसवंत सिंह : यह मेरे लिए कुछ दु:ख की बात है किस संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ने *.....(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मुझे खेद है कि .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल रहा हूं। अब आम कृपया इस* बात को और न बढ़ायें।

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : लेकिन जो मैं कह रहा हूं, वह यह है कि यह घटना अलग है। महोदय, आप कृपया इसकी जांच करें।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप जो कह रहे हैं, उसमें एक मुद्दा निहित है।

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : साक्ष्य और हाल की घटना, दोनों दो बातें हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं साक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि कोई घटना कब घटित होती है।

अध्यक्ष महोदय : जब यह घटित होती है।

श्री जसवन्त सिंह : जी, नहीं। यह तो एक व्याख्या हो सकती है। कोई घटना कब घटित होती है? मैं समझता हूं कि इसका संसद के कार्यों पर काफी लम्बबे समय तक प्रभाव पड़ेगा। महोदय, मैं पूर्ण विनम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हवाला डायरी के मामले में ये डायरियां

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

1991 से सरकार के पास पड़ी हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि हवाला डयरियों से संबंधित घटना वस्तुत: कब घटित हुई है?

अध्यक्ष महोदय : हमें यह समझना चाहिए कि विशेषाधिकार के हनन के मामले में हम जो यहां सभा में करते हैं, वह बिल्कुल किसी न्यायालय द्वारा जांच के दौरान जो किया जाता है, वैसा नहीं होता।

श्री जसवन्त सिंह : बिल्कुल ठीक। स्पष्टतया मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि केवल इस तकनीकी आधार पर कि 1993 में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के कारण इसलिए .....

अध्यक्ष महोदय : अब मान लीजिए कि आपसे कोई यह पूछे कि जब आपको पता था कि सदस्यों पर दबाव डाला गया था, तो आपने तीन साल तक इंतजार क्यों किया। क्यों इंतजार किया आपने तीन साल तक, तो आपका क्या उत्तर होगा?

श्री जसवंत सिंह : मैं इस विशिष्ट सवाल का जवाब दूंगा।

श्री बूटा सिंह : यह इसलिए क्योंकि यह उनके साथ नहीं घटी है। अब, यह उनके साथ घटित हो रही है....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : यह मेम्बर का काम नहीं है। ....(व्यवधान) ... अगर स्पीकर के दिमाग में किसी तरीके से कोई बात ऐसी आ गई तो स्पीकर सुओ-मोटो ला सकता है। अगर स्पीकर नहीं लायेगा तो फिर यह भी हो जाता है कि ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप उसी में गलती कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह काम ब्रीच ऑफ प्रीविलेज का है, सिर्फ स्पीकर का नहीं है, यह हाउस का है। इसमें स्पीकर को कन्सलटेशन देने के लिए इसलिए कहा गया है कि वह टाइम बचायें। आप उसका पूरा लो पढ़ लीजिये। बाद में उसको कहिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझापुर) : सदन की सम्मति ले ली जाये और प्रस्ताव पुट कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वह भी आपका कहना है।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : मैं हाल की घटना के बारे में प्रश्न पूछ रहा था। मेरा आप से निवेदन है, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक बताया है, कि हाल में घटित किसी घटना की व्याख्या के संबंध में यह सभा कोई कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकती।

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि सूचना के साथ सभी दस्तावेज पेश किए जाएं।

श्री जसवंत सिंह : मेरा निवेदन है कि हाल में घटित एक घटना अथवा 'हाल में' को प्रकटीकरण स्वीकृति तथा जानकारी द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। आप जो भी निर्णय चाहें, दे सकते हैं। किसी घटना का प्रकटीकरण, स्वीकृति तथा जानकारी वह मापदंड है, जो यह निर्धारित करना है कि क्या यह घटना हाल में घटी है अथवा विगत में। महोदय, मैं इसके लिए एक और आधार प्रस्तुत करना चाहता हूं। 26 फरवरी को, इस सत्र के प्रथम दिन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक माननीय सदस्य द्वारा (क) भुगतान के बारे में, (ख) मुलाकातों के बारे में, कुछ स्वीकार किया जाता है और प्रकट किया जाता है कि प्रधानमंत्री ने अमुक-अमुक आश्वासन दिया था, एक आरोप लगाया गया है जिसे उन्होंने बाद में इस सभा में एक वक्तव्य के रूप में पढ़ा है। अत: यदि आप विशुद्ध रूप से "यह घटना कब घटित हुई" की कानूनी व्याख्या के पहलू को ही देखेंगे, तो मेरा निवेदन है कि यह घटना 26 फरवरी को घटित हुई है जब एक माननीय सदस्य ने इसे 26 फरवरी को प्रकट किया। उन्होंने 26 फरवरी को पहली बार यह प्रकट किया था कि एक बैठक हुई थी ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह इस सदन में ही हुआ था।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं जानता हूं कि 26 फरवरी को ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस प्रकटीकरण के संबंध में कोई प्रश्न नहीं है। वह वहां से खड़े हुए, प्रधानमंत्री यहां से बोले।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : ऐसा हुआ है क्योंकि यह प्रकटीकरण एक अदल-बदल है .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इससे भिन्न है?

श्री जसवंत सिंह : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह इससे भिन्न है तो फिर एक और कठिनाई है। यदि यह इससे भिन्न है, तो फिर ये दो मामले हैं। यदि ये एक है, तो यही चीज क्यों नहीं? यही कठिनाई है।

श्री जसवंत सिंह : जी हां, महोदय, यह मेरी कठिनाई भी है, जिसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। 26 फरवरी को एक घटना घटित होती है जिसमें हमारे लिए प्रकटीकरण, स्वीकृति और जानकारी है और 26 फरवरी की उस घटना के आधार पर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, उससे मिली जानकारी के आधार पर हमने निवेदन किया है, मैंने विशेषाधिकार के हनन के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है, उन्होंने भी किया है ....(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, 26 फरवरी को सभा स्थगित हो गई थी. ....(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : महोदय, क्या आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री को नियंत्रण में रखेंगे ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं आपका ध्यान 'मे' के पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, पृष्ठ 156 और 157 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने पहले ही रैफर किया था, लेकिन उसका तो जवाब नहीं आया।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं जानता हूं कि मेरे प्रमुख सहयोग एवं विख्यात बैरिस्टर द्वारा पहले ही 'में' के पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का सन्दर्भ दिया जा चुका है....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जरा धीरे पढ़ें, मैं इसका उल्लेख कर दूंगा। यह पुस्तक मेरे पास नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : अध्याय अथवा पैराग्राफ का शीर्षक इस प्रकार है जिसे मैं उद्धत कर रहा हूं "सदस्यों के संसदीय आचरण पर अनुचित साधनों से प्रभाव डालने की चेष्टाएं इसका पहला शब्द है "घूस"

"2 मई 1695 को कामन्स ने संकल्प किया, कि संश्रयी अथवा सभा में संचालित किए जाने वाले किसी भी मामले को समर्थन देने के लिए किसी संसद सदस्य को धन अथवा किसी अन्य लाभ का प्रस्ताव करना, एक बड़ा लाभ का प्रस्ताव करना, एक बड़ा अपराध और दुराचरण है तथा इससे संविधान का नाश हो सकता है....."

इस संकल्प का सार यह है कि किसी सदस्य के आचरण को प्रभावित करने के लिए किसी भी सभा के सदस्य को रिश्वत का प्रस्ताव करना अथवा किसी विधेयक के समर्थन अथवा विरोध करने के लिए कोई शुल्क अथवा पुरस्कार देना . . . . .

महोदय, मैं। इसे दोहराता हूं।

"या किसी विधेयक या संकल्प या किसी ऐसे विषय या बात के विरोध को, जो सभा या उसकी समिति के सामने विचार के लिए आने या रखी जाने वाली तो हो, विशेषाधिकार हनन माना गया है।"

महोदय इसमें आगे कहा गया है :

'किसी सभा के किसी अधिकारी या सदस्य को किसी विधेयक संकल्प या सभा अथवा उसकी समिति के सामने आने या रखी जाने वाली किसी बात या विषय का मसौदा तैयार करने, सलाह देने या उसका पुनरीक्षण करने के लिए कोई शुल्क या इनाम देना सभा का अवमान हो सकता है।

महोदय, आपकी अनुमति से, 'मे' के पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पश्चात्, मैं कौल और शकधर, पृष्ठ 254 को उद्धत करना चाहूंगा। जैसा कि आपने में के पार्लियामेंटरी प्रैक्टि में पैराग्राफ शीर्षक में देखा, लगभग वही बात इस पुस्तक में की गई है, लेकिन विषय-वस्तु थोड़ा अलग है क्योंकि हमारी ससंद को ध्यान में रखते हुए विषयवस्तु में बिल्कुल सही टिप्पणी की गई है। अत: आपकी अनुमति से मैं इसे उद्धत कर रहा हूं। इसमें भी शुरूआत रिश्वत से ही है।

सदस्यों के संसदीय आचरण पर अनुचित ढंग से प्रभाव डालने भी कोई चेष्टा विशेषाधिकार हनन है। अत: किसी सदस्य को घूस देना या सदस्य के नाते उस पर प्रभाव डालने के लिए कोई धन देना, या किसी विधेयक या किसी संकल्प या किसी ऐसे विषय या बात के समर्थन या विरोध के लिए, जो सभा या उसकी किसी समिति के सामने विचार के लिए आने या रखी जाने वाली हो, कोई शुल्क या इनाम देने को विशेषाधिकार भंग माना जाएगा।

यह बिल्कुल स्पष्ट है। फिर, इसमें अवमानना है। मैं आपका ध्यान इसके दूसरे पैरा की ओर ले जाना चाहता हूं -

किसी सदस्य को किसी मंत्री के साथ कोई प्रश्न उठाने के लिए तैयार करने हेतु यदि कोई धन या अन्य लाभ देने का प्रस्ताव किया जाय तो वह भी विशेषाधिकार भंग होगा क्योंकि सदस्य के सामने उस प्रकार के विषय इस कारण रखे जाते हैं कि उसे सभा में प्रश्न पूछने और दूसरे तरीकों से किसी मामले को उठाने की शक्ति प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय : हां

श्री जसवंत सिंह : फिर आदान-प्रदान का प्रश्न उठाया गया। इसे आपने भी उठाया है। अदल-बदल का प्रश्न यह है कि क्या इसे अदल-बदल वास्तव में विशेषाधिकार हनन है, सभा के सही संचालन में हस्तक्षेप है। महोदय, मेरा निवेदन है कि जब विश्वास मत के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विकास परिषद् बनाने की लम्बे समय से चली आ रही मांग को प्रधानमंत्री द्वारा पूरा करने की बात की जाती है तथा उन सदस्यों की प्रधानमंत्री से मुलाकातें करवाई जाती है, तो इसे एक प्रलोभन कहा जाएगा और

[हिन्दी]

अपने आप प्राइम मिनिस्टर से अपील कर लीजिए, यह मौका है और वह प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां खुद कहते हैं।

[अनुवाद]

अब मैं इस मामले को स्वयं देखूंगा। फिर, वह मामले को स्वयं देखते हैं। यह बात सभा में दोहराई गई है और प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि वह इस मामले को स्वयं देखेंगे। महोदय, मेरा निवेदन है कि इन सब में विशेषाधिकार का हनन हुआ है, प्रलोभन को स्वीकार करके माननीय सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार का हनन किया गया है; और प्रधानमंत्री ने इस मामले में जो कुछ किया है, उससे भी विशेषाधिकार का हनन हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों को प्रलोभन देना, उन्हें भुगतान करने के लिए धन की व्यवस्था करना भी विशेषाधिकार का हनन ही तो है। महोदय, सभा को इस संबंध में निर्णय करना चाहिए और इस मामले को एक समिति को भेजा जाना चाहिए।

श्री उमराव सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री उमराव सिंह : मेरे विद्वान मित्र, श्री जसवंत सिंह ने सारे पहलुओं को प्रलोभन के अन्तर्गत लाने की कोशिश की है। अब, मेरा उनसे मतभेद है क्योंकि हमारी संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, हमारे पास एक आश्वासनों संबंधी समिति है और 'आश्वासन' क्या होता है, इसे नियम 323 सभा के अन्दर समय-समय पर मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों, आदि की छानबीन करने के लिए सरकारी आश्वासनों संबंधी एक समिति होगी .....

अब महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अब एक प्रतिज्ञा के रूप

में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। यह एक आश्वासन हो सकता है अथवा यह एक वचन हो सकता है। किन्तु यह प्रलोभन नहीं हो सकता। यदि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में आप इस शब्द का अर्थ देखेंगे, तो स्पष्टतया पता चल जाएगा कि यहां अथवा वहां क्या किया गया है।

मैं ऑक्सफोर्ड शब्दकोश से आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि 'आश्वासन' का क्या अर्थ होता है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण दे रहे हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है। मैं आपको भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री उमराव सिंह : मेरा निवेदन यह है कि यह मात्र एक 'आश्वासन' है और न कि एक 'प्रलोभन'।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : एक बात जो मैं कहना चाहता था। वह श्री जसवन्त सिंह द्वारा उठाया जा चुका है, अत: इसे मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो पृष्ट 254 का उल्लेख कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई बात न दोहराएं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जन पर सदस्य का ध्यान अच्छी तरह नहीं गया है, अत: इनका दोहराया जाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे के संबंध में नियम बिल्कुल स्पष्ट है। हम इसके आदी हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अत:, मैं आपका ध्यान घटना की अभिनवता के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूँ।

मैं इस मुद्दे पर एक अलग दृष्टि से विचार करना चाहता हूँ। इस पर अधिक बल क्यों दिया गया है कि घटना हाल में घटित हुई होनी चाहिए। इसका उत्तर यह है कि जब तक कोई घटना हाल में घटी हुई नहीं होती है, वह अपनी प्रासंगिता खो देती है। अन्यथा, हम इस प्रकार की अर्हता को शामिल नहीं करते।

अब, विशेषाधिकार के सम्पूर्ण मसले में अविलम्बिता नाम की कोई चीज नहीं है। अत: यह विशेषाधिकार महत्व के रूप में है और न कि अविलम्बिता के रूप में। विशेषाधिकार के प्रश्न को संविधान और नियमों में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि क्या कोई ऐसी बात हुई है जिससे किसी संसद सदस्य के भाषण एवं व्यवहार को चोट पहुंचाई गई है। प्रश्न की प्रासंगिकता वास्तव में यह नहीं है कि क्या यह अविलम्बनीय है। अत:, अभिनवता को पहले इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:

"किसी लोक सभा विशेष की अवधि के दौरान घटित कोई घटना।"

इसे नकारते हुए, मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। विशेषाधिकार मामले पर विचार करते समय, कोई लोक सभा किसी अन्य लोक सभा की अवधि में घटित किसी मामले को किस प्रकार निपटा सकती है। यह एक नकारात्मक उदाहरण है किन्तु मैं इस साधारण सी बात पर जोर देना चाहता हूँ कि घटना की अभिनवता से अधिक महत्व इसमें निहित मसले का है जिसे सामने लाया गया है।

अब, मैं उस विशेष घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। यह एक बहुत ही रोचक घटना है। मैं कौल और शकधर के पृष्ट 232 को पढ़ना चाहता हूँ। इसमें कहा गया है :

"कि 18 नवम्बर, 1977 को, सभा द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकार किया कि अवरोध, प्रज्ञापन, परेशानी तथा झूठे मामले बनाने इत्यादि के संबंध भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सभा का अवमान के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। विशेषाधिकार समिति ने विचार व्यक्त किया कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन तथा सभा का अवमान किया था।

19 दिसम्बर, 1978 को, मैं अब तारीखों पर जोर दे रहा हूँ, व्यक्तियों पर नहीं अर्थात् 1977 के पूरे एक साल बाद, सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को जेल भेजा जाए इत्यादि, इत्यादि।

7 मई, 1981 को, सातवीं लोक सभा में छठी लोकसभा में भी पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, अर्थात् लगभग चार साल बाद जब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया तो निर्णय किया गया कि जबकि छठी लोकसभा 19 दिसम्बर, 1978 को स्वीकृत एक संकल्प द्वारा समिति (विशेषाधिकार) की सिफारिशों तथा निष्कर्षों से सहमत हुई थी, और अब यह लोक सभा विशेष रूप से यह संकल्प करती है और घोषणा करती है कि वह सब प्रभावहीन था।"

यदि प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर इस पर एक लोक सभा से दूसरे लोकसभा में विचार किया जा सकता है। उन्हें विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया था। सातवीं लोकसभा ने सोचा .....(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मैं दोनों लोकसभा में था। मुझे इस बात को स्पष्ट करने दिया जाए...(व्यवधान)

महोदय, जनता सरकार ने बिल्कुल बदले की भावना से काम करते हुए उन्हें, 19 दिसम्बर, 1978 को सभा से निष्कासित कर दिया। यह कुछ नहीं बल्कि प्रतिशोध की भावना थी और इसीलिए इस मामले को 1981 में फिर उठाया गया .... (व्यवधान) इसे लाया गया, जनता सरकार .. ... (व्यवधान) इस प्रकार इसे 1981 में पुन: लाया गया...

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उनके जानने-समझने के अधिकार से बिल्कुल इन्कार नहीं कर रहा हूं ....(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मैं आपके अभिव्यक्ति के अधिकार से भी इन्कार नहीं कर रहा हूँ। .....(व्यवधान) उस समय जनता सरकार क्या कर रही थी? यह प्रतिशोधात्मक व्यवहार के अलावा कुछ नहीं था ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मुद्दा यह है कि आपके पास एक लोकसभा में विशेषाधिकार हनन संबंधी प्रस्ताव किया दूसरे में आपने इसके विरुद्ध निर्णय लिया और तीसरी लोकसभा में आपने इसे खारिज कर दिया। क्या यही आप मुझसे करने के लिए कह रहे हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुद्दा स्पष्टतः यह है कि .... का सवाल ....(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो आप कहते हैं कि यह मामला हाल ही की घटना का नहीं है और दूसरी ओर जब यह कहते हैं कि अगली लोक सभा के बाद भी यह मामला उठाया गया तो आप कह रहे हैं कि "क्या इस पद्धति पर चलना ठीक है?" सवाल यह नहीं है। या तो आप परिपाटी के अनुरूप चलें या सभा के लिए और देश के लिए मामलों की घटना के महत्व के अनुरूप चलें....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा आशय यह है कि यदि आप कोई अच्छी परिपाटी स्थापित कर रहे हैं तो यहां मामला इस प्रकार है। जिसमें एक लोक सभा एक तरीके से निर्णय लेती है तो अगली लोकसभा उस पर तीसरे तरीके से निर्णय लेती है तथा उससे अगली लोकसभा किसी चौथे तरीके से निर्णय लेती है। क्या इसी पद्धति का अनुसरण किया जाना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसीलिए मैं आपका ध्यान (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, निःसन्देह आपका कहना ठीक है। इसमें इतिहास बनने या न बनने की बात कहां है। लोक सभा इस मामले पर 20 सालों या 100 साल बाद भी चर्चा कर सकती हैं .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय तो सभा स्वयं ही कर सकती है।

श्री चन्द्रशेखर : इतिहास इसी प्रकार बनता है। देश का इतिहास अध्यक्ष के विनिर्णय से नहीं बनता .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय न तो अध्यक्ष करेगा न कोई सदस्य। इसका निर्णय तो सभा करेगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय मेरा तर्क बिल्कुल साधारण है।

अध्यक्ष महोदय : आपका तर्क सामान्य है। मैं इसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। क्या इसमें कोई राजनीति अन्तर्ग्रस्त है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं, उस बात पर भी आऊंगा। हम यह सभी राजनीति के लोग ही हैं। इसलिए मुझ से ऐसा प्रश्न मत कीजिए। क्या किसी बात का घटित होना राजनीति है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मुझे उत्तर मिल गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा मुद्दा साधारण सा है। चूंकि संसद सर्वोच्च है प्रभुतासम्पन्न है, इसलिए किसी सदस्य के अधिकार की रक्षा के लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें, हम इस पर एक नियत तरीके से चर्चा कर सकते हैं जिसमें सभा का प्रत्येक सदस्य खुलकर भाग ले सकेगा। महोदय, यही कारण है कि मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि नियम एवं प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि एक नियम कुछ भी हो, सभा अपने विवेक से यदि वह चाहे और प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो तो इसमें संशोधन कर सकती हैं।

अब मैं इन घटनाओं की श्रृंखला का उल्लेख करने का प्रयास करता हूं कि यदि हम घटना की नवीनता को केवल तकनीकी नवीनता के रूप में लेते हैं तो यह सभा की गलती ही होगी। यही कारण है कि मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि एक लोक सभा में घटित स्थिति को अगली लोक सभा में बदलना भी पड़ा था क्योंकि ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं था। वह एक पारित संकल्प था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह विशेषाधिकार के हनन का मामला ही था.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ कार्य संकल्प पारित करके ही किए जाते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्रीमती इन्दिरा गांधी पर भी विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा था। यह 1977 में हुआ था .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में भी यदि आप चाहें तो संकल्प पारित कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं जानता हूं कि इस संकल्प में आप विशेषाधिकार हनन समिति के निर्णय को निरस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि ये किस प्रकार जुड़े हुए हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि चार वर्ष बीत जाने के बाद भी सभा ने यह निर्णय लिया कि ये मामले इतने महत्वपूर्ण हैं कि चार साल बाद भी इन्हें उठाया जाना चाहिए और निपटाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बात पर गौर किया जाना मेरा यही मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा मुद्दा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं वह नहीं करने जा रहा हूं। आप इस तरह की कई दार्शनिक चर्चाओं या तर्कसंगत प्रमाण, शब्दों आदि का अध्ययन कर सकते हैं। एक घटना क्या है? मुझे उस बात पर आने दो। एक घटना क्या है? घटित स्थिति क्या है? इस पर महान दार्शनिकों ने दार्शनिकों ने दार्शनिक चर्चाओं में काफी चर्चा की है। मेरा निवेदन यह है कि यदि यह एक घटित स्थिति है तो जब आपको उक्त घटना का पता चलेगा तब मैं इसे वैज्ञानिक रूप से भी प्रस्तुत करूंगा। कोई तारा 300 प्रकाश वर्ष पहले अस्तित्व में आया। यह एक घटित स्थिति है। यह एक घटित स्थिति है जब 3 लाख प्रकाश वर्ष के पश्चात् प्रकाश मुझ तक पहुंचता है। ये दोनों घटित स्थितियां हैं। यही कारण है कि आज ऐसी घटना घटी है कि समय का अर्थ घटना का परिणाम नहीं है। विपक्ष के नेता और अन्य की मध्यस्थता से जो कुछ प्रेस में हुआ है। जो कुछ सभा में हुआ है यह सब सामाजिक कार्यकलापों के संदर्भ में घटनाएं ही हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम इस विशेषाधिकार प्रस्ताव से इन घटनाओं की संज्ञेयता को ले रहे हैं और इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को शीघ्र ही लिया जाए और इसे समिति में न भेजा जाए बल्कि इस पर यहीं और अभी चर्चा की जाए। धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, इस वादविवाद में भाग लेते समय मैंने विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया था। यद्यपि मैंने इसे विशेषाधिकार संबंधी मुद्दे के रूप में नहीं उठाया क्योंकि मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि इसमें ऐसा कुछ जरूर है जिसमें इस सरकार के नेता और सभा के नेता को नहीं फंसना चाहिए था। महोदय, विशेषाधिकार कानून या परिपाटी, जो भी हो, का समूचा स्वरूप इस सभा की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाए रखने पर आधारित है। इस सभा की अपनी स्थिति, इसकी विश्वसनीयता, इसकी प्रतिष्ठा और इसकी मर्यादा कायम रखी जानी चाहिए। अब यहां क्या हुआ है अब तो जो बातें हुई हैं चाहे वह घटना है या नहीं, कोई भी इस पर विवाद नहीं कर सकता है। यह घटित होने का सवाल है। घटना का मतलब घटित होना है। क्या किसी घटना पर, चाहे वह हाल की हो या पहले की, प्रलोभन के रूप में चर्चा की जा सकती है? हाल के समय को परिभाषित किया गया है। मैं शब्दिक अर्थ पर भी जा रहा हूं। 'हाल की घटना' का आशय 'कुछ समय समय पूर्व घटित या प्रतीत हुई घटना से है। महोदय, इस बात पर गौर कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों के साथ कोई व्यवस्था की है जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। यदि यह लोगों की जानकारी में नहीं लाई गई, सभा की जानकारी में नहीं लाई गयी और हाल में घटित स्थिति तक इसका पता नहीं चल पाया तो किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ऐसी कोई व्यवस्था हुई थी। अब ऐसी उम्मीद की जा रही कि कोई व्यवस्था हुई थी। ....

अध्यक्ष महोदय : श्री बन्सल आप इस बात पर गौर करें। मैं आपको समय दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मैं दो मिनट लूंगा। प्रधानमंत्री महोदय और इन सदस्यों के बीच एक बैठक हुई थी और उस बैठक के परिणामस्वरूप ही मतदान हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि जो प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान नहीं करना उसने मतदान किया। वास्तव में उसने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। कुछ ने जिनसे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान की उम्मीद थी अब उसने उसके विरोध में मतदान किया। उक्त व्यवस्था का यह परिणाम निकला और इस तरह के परस्पर समझौते से यदि इन तथ्यों को सभा की जानकारी में नहीं लाया जाता या देश की जानकारी में नहीं लाया जाता तो हम इस बारे में कैसे जान सकते हैं?

इस प्रकार 'जो कुछ हाल ही में हुआ है। जो कुछ समय पहले घटित हुआ है' वह भी हाल ही की घटना है हाल ही कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो वास्तव में इस समय नहीं हो रही हैं बल्कि कुछ समय पहले हो रही थी और इस समय जानकारी में आई है।

प्रलोभन क्या है?

महोदय, प्रलोभन का मतलब यह है कि यदि मैं किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए उकसाता हूं या प्रभावित करता हूं तो मैं उसके लिए उसे प्रलोभन देता हूं। यह स्पष्ट है यहां तक कि जाने माने शब्दकोष में भी यही अर्थ है। इसकी व्याख्या स्पष्ट है। लेकिन फिर भी इसका शाब्दिक अर्थ यही है।

अध्यक्ष महोदय : आप यही बात शुरू से कह रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, यदि आप किसी को कुछ विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे उसके लिए प्रलोभन दे रहे हैं। यहां कुछ असाधारण ही हुआ है। जब तक ये बात सामने नहीं आती मैं रिश्वत के बारे में कुछ नहीं जानता।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उस सब में नहीं जा रहा हूं। मैं तो केवल यही कर रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यदि इससे कोई राजनैतिक समझ-बूझ बनती है या कोई राजनैतिक लाभ होता है। उन्हें राजनैतिक लाभ हुआ है, तो महोदय मेरे विचार में यह 'प्रलोभन' ही है। ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। किसी को उकसाने के लिए कुछ किया जाता है ताकि उससे नियत काम कराया जा सके। वह उपहार हो सकता है, वह रिश्वत हो सकती है या कोई अन्य अच्छी वस्तु हो सकती है। राजनैतिक रूप से वे कतिपय विशेष पक्ष लेने या विशेष प्रबन्ध करने या विशेष व्यवस्था करने के लिए रहे हैं हम इसे यह माने कि यह रिश्वत या कुछ और नहीं है। यह उपहार नहीं है। लेकिन कुछ बात है जो वे प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए वे राजनीतिक रूप से उद्वेलित थे, राजनैतिक रूप से लड़ रहे थे। अब प्रधान मंत्री महोदय एक गोपनीय व्यवस्था में कहते हैं, "ठीक है, यदि आप मेरे लिए मतदान करते हैं, इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान करते हैं तो आपको वह मिलेगा जिसके लिए आप राजनैतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इतनी कठिनाई झेलने के बजाए आप मेरे पक्ष में मतदान करें, मैं तुम्हारी मांग पूरी कर दूंगा। "यह प्रलोभन के सिवाय क्या है? इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है। शायद मैं इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाया। इसलिए मैंने कहा कि उस संसद सदस्य को कुछ राजनैतिक लाभ हो रहा था जो अपने राजनीतिक आचरण, राजनैतिक उद्देश्य में एक राजनैतिक प्राणी है। उनका राजनैतिक घोषणा पत्र इस प्रकार है। अब उन्हें यह बिना लड़ाई के मिल रहा है। और कुछ क्या हुआ है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं वरना आप मेरी बात पर आपत्ति उठा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि 'हाल ही की घटना' का मतलब है जो अब पता चला है। प्रलोभन की बात स्पष्ट है। श्री बूटासिंह जी ने इसे माना है और उस समय प्रधानमंत्री जी भी यहीं बैठे हुए थे। उन्होंने इस पर कभी आपत्ति नहीं की। मैंने सोचा कि अपनी भाव-भंगिमा से आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। वह कभी भी इसका विरोध करने के लिए खड़े नहीं हुए क्योंकि श्री बूटा सिंह ने अपना वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ही दिया था जब वे बैठक की बात कर रहे थे। इसलिए लक्ष्यपरक पहलू को स्वीकार किया गया है। अब बात केवल यह है कि क्या इसे इस तर्क के आधार पर अस्वीकार कर देना चाहिए कि यह बातचीत हाल में नहीं हुई है। बल

घटना पर नहीं है बल्कि बल हाल के समय पर होना चाहिए। हाल की घटना का आशय यहां यह है जो कुछ जानकारी में आया है, जिसका पता चला है, अन्यथा जोड़तोड़ से, गलत तरीके से इसे सभा की जानकारी से, देश की जानकारी से दूर रखा जा सकता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है जो दुर्भावना से किया जाता है, जो कुछ गलत तरीके से किया जाता है जो कि सभा से सम्बन्धित है। सभा के कार्य से सम्बन्धित है और बाद में जब यह प्रकाश में आता है और जब इसके बारे में हम विशेषाधिकार का सवाल उठाते हैं तो वे कहते हैं, 'नहीं, नहीं, अब एक महीना बीत चुका है। तीन साल बीत गए हैं इसलिए आप अब इसे नहीं उठा सकते। जो कुछ भी गलत मैंने किया है, जो कुछ भी मैंने विशेषाधिकार का हनन किया है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मुझे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि मैं सभा की पकड़ में नहीं आ सकता।

महोदय, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं का, इस सांसद का यही अन्त होगा। हमारी प्रतिष्ठा और हमारी विश्वसनीयता पर गहरा आघात होगा और जो कुछ भी थोड़ा बहुत सम्मान है वह भी चला जाएगा। इस प्रकार इस महान संस्था की नियति का निर्णय अन्त: नियम 224 की विशेष व्याख्या से नहीं हो सकता। मैं समझता हूं इसका मतलब तो इस सभा की प्रभुसत्ता और महानता पर चोट करना है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्री अर्जुन सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे का भारतीय जनता पार्टी, सी पी एम, सी पी आई सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा समर्थन करना मैं सही समझता हूं इसे अच्छी राजनीति मानता हूं चाहे इसके पीछे उद्देश्य कुछ भी हो। इसी प्रकार मैंने उसे भी सही राजनीति माना था। जब 1989-90 में भाजपा ने सरकार बनाने के लिए श्री वी.पी. सिंह को समर्थन दिया।

इसी प्रकार मैं इसे भी मान्य, सही राजनीति मानता हूं जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मायावती को समर्थन दिया क्योंकि वे श्री मुलायम सिंह सत्ता से बाहर करना चाहते थे। मैं इसे किसी सभा के विशेषाधिकार का मामला नहीं समझता हूं कि एक दल विशेष, एक ग्रुप विशेष ने दूसरे दल को अपना समर्थन क्यों किया?

जुलाई 1993 में सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कुछ लोग खुलकर कुछ लोग गुपचुप रूप से सरकार गिराने को एकजुट हो रहे थे। मैं समझता हूं कि हमारे लिए, प्रधानमंत्री के लिए यह कहना तर्कसंगत था कि मुझे समर्थन दें। मुझे, मेरी सरकार को स्थिरता दें। यही काम मैं आने वाले दिनों में भी करूंगा, इन्हीं कार्यक्रमों का मैं आने वाले दिनों में अनुसरण करना चाहूंगा। इनमें से एक कार्यक्रम यह था जिसके अन्तर्गत हमने अपने झारखण्ड मुक्ति मोर्चे के माननीय सदस्यों से अपील की। वे काफी समय से झारखण्ड विकास परिषद् की स्थापना की मांग कर रहे थे।

महोदय हम सभी को अच्छी तरह याद है कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो हमारे माननीय मित्रों ने विभिन्न मुद्दे उठाए। वास्तव में उन्होंने कई मुद्दे उठाए। यदि उस समय सरकार यह कहती कि हम इन मुद्दों से सहमत हैं और हम इन्हें स्वीकार करते हैं तो क्या फिर भी वे अविश्वास प्रस्ताव पर जोर देते? झारखण्ड मुक्ति मोर्चा द्वारा लगातार एक मांग की जा रही थी। वह मांग हमारी सरकार ने मान ली। जैसा कि मेरे विद्वान साथी ने कहा है। 'कृपया आश्वासन संबंधी नियम देखिए'। सभा में सरकार द्वारा दिया गया था। विधिवत आश्वासन धारण अलग-अलग हो सकती है लेकिन वह आश्वासन पूरा हो गया है। (व्यवधान) मैंने कहा कि धारण अलग-अलग हो सकती है। वे कोई अन्य नहीं बल्कि श्री सूरज मण्डल थे जिन्होंने यहां इस मुद्दे का हवाला दिया यद्यपि जैसे मैंने कहा - धारण अलग-अलग हो सकती हैं। वे जो कुछ किया गया था उससे पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री का एक आश्वासन जिसकी उन्हें उम्मीद थी और उस आश्वासन को प्रधानमंत्री ने पूरा किया। मैं इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य से कहूँगा कि यदि हम आगे आते और यह कहते कि सरकार ने किसी सदस्य का मत हांसिल करने के लिए धनराशि का भुगतान किया तो यह बात ठीक नहीं होती। मैं समझता हूँ कि अपने तर्क की कमजोरी को मांपते हुए श्री अर्जुन सिंह ने इस पर अधिक बल नहीं दिया।

श्री अर्जुन सिंह : मैं इस बात को पसन्द नहीं करूंगा कि मेरी बात गलत ढंग से उद्धत की जाए। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि यह जांच का मामला है जो माननीय अध्यक्ष महोदय को करवानी है आप कृपया मुझ से जबरदस्ती कुछ मत कहलवाइए।

श्री पवन कुमार बंसल : इससे मैं स्पष्ट रूप से इस बात पर आता हूं। यदि सरकार के विरूद्ध ठोस एवं प्रमाणित आधार है कि रिश्वत दी गई है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा।

महोदय अन्य जिसका पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से हवाला दिया गया है वह कतिपय विधयकों, कतिपय प्रस्तावों से सम्बन्धित है। लेकिन यहां हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। सरकार के कार्यकारण के बारे में विशेष आपत्तियां उठाई जा रही थी।

यदि कोई दल विशेष यह स्वीकार करता है कि उनकी काफी लम्बे समय से चली आ रही एक मांग पूरी की जा रही है तो वह अपना मत दे देता है तो इसमें आपित्तजनक क्या है? मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी के अंतर्गत तर्क को सुनकर तब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि एक ग्रुप ने, जिससे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष के मतदान करने की उम्मीद थी, प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। उन्हें ये उम्मीद कहां से हुई? क्या पहले उनके बीच किसी प्रकार की बातचीत हुई थी या आज किसी प्रकार की बातचीत हुई है? (व्यवधान) श्री जसवंत सिंह जी भी एक मुद्दा उठा रहे थे और वास्तव में मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं सका। लेकिन वे घटित हो रही घटना विशेष के बारे में जनता को दी जा रही जानकारी का हवाला दे रहे थे। मुझे विश्वास है कि श्री जसवंत सिंह को वह तारीख याद होगी जब श्री शैलेन्द्र महतो ने ऊब कर जैसा कि कहा गया, उनके दल में शामिल हुए क्या उन्होंने यह बताया कि वे किन कारणों से उनके दल में शामिल हुए।

उनको अरूचि कैसे हो गई थी? वह कौन सी प्रेरणा थी, जिसके वशीभूत होकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने का निर्णय किया? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनकी जांच-पड़ताल करके कोई निष्कर्ष निकालना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

जो दूसरा तर्क मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ वह अवैध रूप से कुछ धनराशि के लेन-देन से संबंधित अभिकथन के संबंध में है। यह प्रश्न अभी न्याय-निर्णयाधीन है। इसीलिए मैंने यह कहा कि श्री अर्जुन सिंह जी ने वह प्रश्न नहीं उठाया। ऐसा कहने का उन्हें अधिकार है कि उन्होंने इस पर जोर दिया था। उन्होंने इसका उल्लेख किया था। यह प्रश्न अभी न्याय-निर्णयाधीन है अर्थात दिल्ली उच्च न्यायालय और आयकर विभाग, जिसने विभिन्न संबंधित लोगों को नोटिस जारी किये हैं, इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। अगर ये दोनों संस्थाये अर्थात दिल्ली उच्च न्यायालय और आय-कर विभाग स्वतंत्र रूप झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य अनेक लोगों को इस मामले पर नोटिस जारी कर चुके हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में उन आरोपों के संबंध में यह चर्चा कि वे ठीक हैं अथवा नहीं, हमारे लिए उचित होगा? इस मामले का निर्णय न्यायालयों को करना है। और मैं यह नहीं कहता कि उसके पश्चात भी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अत्यधिक विनम्रता और जवाबदेही की भावना के साथ मैंने यह वक्तव्य दिया है कि अगर कल को न्यायालयय इस पर अंतिम निर्णय दे देते हैं कि इसमें कुछ गलत है, तो फिर इस पर विचार करना हमारे अधिकारक्षेत्र में हो सकता है कि यह तथ्य न्यायालय द्वारा सुस्थापित है, और इसीलिए हम निश्चित रूप से इसके बारे में चिन्तित हैं, यह सभा इसे बारे में चिन्तित है और इसीलिए, हम किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे वह कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न आसीन हो, विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करने के साथ-साथ एक विशेष प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि यह मामला दो विधिक, सांविधिक संस्थाओं के सामने लंबित है, अत: मेरे विचार में हमें इस मामले पर विचार नहीं करना चाहिये।

आरम्भ में ही, श्री अर्जुन सिंह ने सभा की मर्यादा को बनाये रखने के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करके ठीक ही किया है मैं यही कहूँगा कि यह हममें से प्रत्येक के लिए बड़े सम्मान, शालीनता और अत्यधिक महत्व की बात है। संभवत: हम उस प्रकार का आचरण करने में असमर्थ रहे हों, कुछेक अवसरों पर बोलते हुए हमारे अंदर उस भावना का अभाव हो सकता है लेकिन वह हमारा मुख्य प्रयोजन होना चाहिए और मुझे विश्वास है कि हममें से प्रत्येक का हमेशा से ही वह मुख्य प्रयोजन रहा है। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जब हम कोई प्रस्ताव जैसे कि प्रधान मंत्री के विरुद्ध जैसा कि दूसरी ओर के माननीय सदस्यगण ने कहा है, विशेषाधिकार हनन जैसे गंभीर परिणामों वाला प्रस्ताव लाते है, तो मेरे विचार में हमें इस महान सभा में किसी विशेष मामले परं, विशेषतौर पर उस समय जब वह मामला न्याय-निर्णयाधीन हो जैसाकि यह मामला उच्च न्यायालय तथा आय-कर विभाग में लंबित है, पर चर्चा के लिए कोई प्रस्ताव लाने से पहले गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

चूंकि इस मामले में इससे संबंध विभिन्न मामलों की जांच-पड़ताल शामिल होगी उन्होंने इससे उत्पन्न होने वाले विभिन्न मामलों के स्वाभाविक परिणाम का उल्लेख किया है-उनमें से जैसा कि मैंने कहा है, यह होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों में एक सदस्य कब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ समाचारपत्रों में जो वक्तव्य छपा है, वह उसने दिया अथवा नहीं दिया, अगर उसने यह वक्तव्य दिया तो यह अपनी इच्छानुसार था, अथवा यह वक्तव्य दिलाने के लिए उसके पीछे कोई और शक्ति काम कर रही थी और क्या उसने वही सब बातें जो स्वयं कही थी सभा में आकर उनसे मुकर गये तथा क्या एक अन्य सदस्य, उन चार सदस्यों से में एक सदस्य, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष....(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, अगर वह एक मिनट के लिए रूकें तो मैं तथ्यों को ठीक कर दूं। सभा के बाहर जो वक्तव्य दिया गया था, बिल्कुल वही वक्तव्य सभा में भी दोहराया गया था, सिवाय उस बात के जो धनराशि प्राप्त करने से संबंधित थी। बाहर जो वक्तव्य दिया गया था, उसमें धनराशि प्राप्त करने का कोई और कारण दिया गया था जबकि यहां जो कारण दिया था, वह कारण पार्टी से संबंधित कार्यों के लिए धन लेना बताया गया था। वे सभा पहलू, जो प्रधान मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक के बारे में है, बिल्कुल वही हैं, जो बहार बताये गये है।

श्री मल्लिकार्जुन : अगर एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते वह किसी विशेष कार्य के लिए झारखंड मामले के संबंध में मिलते हैं और सरकार से अपनी मांग पूरी करने के लिए कहते हैं, तो उसमें गलत क्या है?...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : यह बात ठीक है या गलत, इसका निर्णय आपके द्वारा नहीं बल्कि विशेषाधिकार समिति द्वारा किया जायेगा...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, विनम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि श्री जसवन्त सिंह ने जो कुछ कहा है, उससे मेरा औचित्य कम नहीं होता श्री जसवन्त सिंह जी जिस तरीके से अपने विचार रखते हैं, हमेशा उसकी सराहना करता हूँ। अक्सर वह सरकार पर आरोप लगाते हैं और लोक-अभियोजक की शैली में बहस करते हैं, संभवत:, ऐसा फिर कर रहे हैं और पैसे के लालच, उसकी प्राप्ति और धनराशि के स्रोत में अंतर करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, एक बात जिसका यहां महत्व है और जिससे भी महतो ने बिल्कुल इंकार किया है, वह धनराशि के स्रोत से संबंधित है। मुझे विश्वास है कि इस समय हम विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले पैसे के बार में चिंतित नहीं हैं। मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता। महोदय, वह एक अत्यधिक वैध प्रश्न है लेकिन प्रश्न यहां यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के चार माननीय सदस्यों के पास जो तथाकथित धनराशि है, उसका स्रोत क्या था?

श्री अर्जुन सिंह : क्या यह बात न्याय-निर्णयाधीन नहीं है?

श्री पवन कुमार बंसल : वह भी न्याय-निर्णयाधीन है। महोदय मैं यही बात कह रहा हूँ...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : आप अपनी बात रख पाने में असफल रहे है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि वह इसमें असफल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : अगर इससे आपको संतुष्टि मिलती है, तो आप संतुष्ट हो जाइए...(व्यवधान) महोदय, कुछ ही दिन पहले प्रधान मंत्री ने संसद के बाहर वक्तव्य दिया था आप मुझे स्थिरता दो, मैं आपको समृद्धि दूंगा। उन्होंने यह अपील उन देशवासियों से की, जिनके समर्थन के सहारे, जिनके विश्वास पर अविश्वास प्रस्तावों, निन्दा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्तावों के बराज के पश्चात भी पिछले पांच वर्षों से देश को चला रहे हैं। महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब इस सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही थी और अंतोगत्वा उस पर मतदान किया गया था, मैं वही बात दोहरा रहा था, जो मैंने पहले भी कई अवसरों पर कही थी.हम चार मतों से नहीं जीते थे, अविश्वास प्रस्ताव 14 मतों से गिरा था। इस सभा में कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया था। उन्होंने मतदान इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सरकार अपना काम अच्छे ढंग से कर रही है।

श्री अर्जुन सिंह : मेरे विचार में श्री अजीत सिंह की याचिका इस बात को स्पष्ट करती है।

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया रिकार्ड देखिये, आपको पता चलेगा कि अन्य सदस्य भी थे मुझे विश्वास है कि इस सभा में कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सहमत नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी में कुछ सदस्य ऐसे थे, जो यह नहीं चाहते थे कि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये। महोदय, क्या इसका तात्पर्य यह है कि हमने उन लोगों को अपने पक्ष में कर दिया था? महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि इस सभा में ऐसे भी माननीय सदस्यगण थे, जो इन सारे पांच वर्षों के दौरान यही चाहते रहे कि देश में स्थिरता हो। वे चाहते थे कि सरकार चलती रहे क्योंकि सरकार ने जिन विभिन्न कदमों की शुरूआत की थी, उनके परिणाम आने शुरू हो गये थे, और हम उन सभी कदमों से पीछे नहीं हट सकते, उन सभी प्रयासों के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को उसी संकल्प, उसी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिये।

महोदय, आज इस संसद के अंतिम सत्र के अंतिम दिन में हमारे सामने अनेक मदें हैं। हमने अभी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा नहीं की है। क्या ऐसा कभी हुआ है, महोदय, कि सत्र समाप्त होने को हो और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत भी न हुई हो? आज सुबह कई अन्य मदों का भी उल्लेख किया गया था। 3.00 म.प.

इस स्थिति में अगर हम सरकार की छवि खराब करने के उद्देश्य से ऐसे मामले उठाते हैं और उनसे सरकार के विरुद्ध कुछ प्रमाण जुटाने का असफल प्रयास करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि इसे लोग अधिक महत्व नहीं देंगे।

महोदय, जैसाकि मैंने पहले कहा था, इतिहास बनया जा रहा है। जब इतिहास कोई निर्णय देता है तो यह बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के रहित होता है और कई बार, वहीं निर्णय जनता के लिए बड़ा कठोर होता है हमें सभी को सचेत रहना पड़ेगा कि अगर इतिहास ऐसा कोई निर्णय देता है तो उससे हम समाज का कोई भला नहीं कर सकेंगे और ऐसा लगेगा कि अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है और भविष्य में देश की जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इन

इन शब्दो के साथ, मेरे विचार में यह जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, सभा की अनुमति प्राप्त करने योग्य नहीं है।

श्री राम कापसे : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल न्याय-निर्णयाधीन मामले के बारे में बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने केवल उसी शब्द का उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री राम कापसे : कौल और शकधर की संसदीय कार्य तथा प्रक्रिया पुस्तक के पृष्ठ 946 पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट की गई है कि न्याय-निर्णयाधीन मामले पर निर्णय लेते समय, हमें अपने मौलिक अधिकारों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं केवल एक पैराग्राफ पढ़ूंगा।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन हमने यह तो नहीं कहा है कि सभा में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री राम कापसे : वह कह रहे थे कि चूंकि मामला न्याय निर्णयाधीन है इसलिए चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन हमने सभा में चर्चा की अनुमति दो हुई है।

श्री राम कापसे : वह कह रहे हैं कि चूंकि मामला न्याय-निर्णयाधीन है, अत: विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। उनका यही कहना है। मैं उसका विरोध करना चाहता था। इसे पुस्तक के पृष्ठ संख्या 946 पर स्पष्ट किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके संबंध में कोई शंका नहीं है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं टिप्पणियां बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी टिप्पणियां। आप मेरी टिप्पणियों की सराहना मत कीजिये, अपना प्रश्न रखिये।

प्रो. एम. कामसन : महोदय, मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूँ। मैं यह सोच रहा था कि हम केवल यह विचार कर रहे हैं कि प्रस्ताव को स्वीकृति ही जाए अथवा नहीं। माननीय अर्जुन सिंह जी ने कहा है कि वह प्रस्ताव रखने की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। नियम 224 (II) के अंतर्गत एक विशेष विषय देना पड़ता है। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा किया गया है या नहीं आपने टिप्पणी की है कि इसे दो पहलू है। एक पहलू धनराशि की अदायगी और दूसरा अनुचित प्रभाव से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा है। वे ऐसा कह रहे है।

प्रो. एम. कामसन : आपने उसी प्रकार से उद्धृत किया था। मैं वह

पंक्ति सुन रहा हूं। जहां तक अनुचित प्रभाव का सम्बंध है, जिसे इस प्रस्ताव को लाने का आधार माना जाता है, अथवा कई बार इसे अन्य शब्दों में संसद को रिश्वत....

अध्यक्ष महोदय : आपको व्यवस्था का प्रश्न क्या है? आपको व्यवसथा का प्रश्न उठाने की अनुमति देता हूं।

प्रो. एम. कामसन : मैं उस पर आ रहा हूं। जसवंत सिंह जी ने प्रलोभन शब्द का प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : वह तो एक तर्क है।

प्रो. एम. कामसन : अगर प्रस्ताव का यही आधार है, तो यह अपर्याप्त है और यह कोई विशेष मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह सब ठीक है। मुझे यह बताइये कि कौन से नियम का उल्लंघन किया गया है।

प्रो. एम. कामसन : मैं नियम 224 (II) का उल्लेख कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 224 (II) में क्या कहा गया है। यह नियम यह कहता है कि प्रश्न हाल ही में घटी किसी घटना से संबंधित विशेष विषय के बारे में ही होना चाहिए।

प्रो. एम. कामसन : यह विशेष विषय नहीं है। मेरा प्रश्न यही है क्योंकि यह लोकतंत्र की आधारशिला तथा परंपरा को चुनौती देता है। उन्होंने कहा है कि सरकार का आश्वासन एक प्रलोभन है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठे जाइये।

प्रो. एम. कामसन : अगर सरकार के आश्वासन, वायदे और पार्टी के चुनाव-घोषणा पत्र को प्रलोभन माना जाता है तो फिर लोकतंत्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। यह एक अच्छा प्रश्न है।

प्रो. एम. कामसन : यह प्रस्ताव की स्वीकार्यता का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है, उसके ऊपर ढाई घंटे से चर्चा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर चर्चा नहीं करनी है, बल्कि आपको मुझे बताना है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : विशेषाधिकार का मामला बनता है या नहीं बनता है, इसके ऊपर ढाई घंटे से ज्यादा समय हो गया है और अभी डिस्कसन हो रहा है। जस्टिफिकेशन कि बनता है या नहीं बनता है। नियम, उपनियम सारी चर्चा हो रही है। अच्छी चर्चा हो रही है। मैं इस पक्ष में हूं कि चर्चा होनी चाहिए। बहस से ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सदन बहस के लिए है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी घटनाक्रम है, उसको देखने से यदि आपका समाधान नहीं होता है तो बात खत्म हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बहुत अच्छा भाषण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे समाधान का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

वह आप मुझ पर अथवा सभा पर छोड़ दीजिये। मैं इसे सभा पर छोड़ने के लिए तैयार हूं। सभा को निर्णय करने दीजिये। मैं सभा से यह पूछने जा रहा हूं कि यह स्वीकार्य है अथवा नहीं। अध्यक्ष भी यह फैसला कर सकता है कि यह स्वीकार्य है अथवा नहीं। अब, यदि आप यह कहते हैं कि इसका निर्णय सभा करेगी तो मैं इसे सभा पर छोड़ता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सदन और आसन दोनों का समाधान होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, वह समाधान नहीं है।

[अनुवाद]

आपको व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिये। मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि इसका निर्णय अध्यक्ष पर छोड़ा जायेगा अथवा सभा पर। आप जो कुछ कहेंगे, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। यदि आपका समाधान होने और भी विलंब है..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कह रहा था।

[अनुवाद]

हो सकता है कि मेरी समझ तथा मेरा निर्णय सभा की सहमति और सभा के निर्णय समान नहीं हो सकते। मैं निवेदन सभा की सहमति और सभा करे। लेकिन अगर आपके विचार में इसका निर्णय मुझे करना चाहिये तो मैं इससे पीछे नहीं चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपाल गंज) : इसमें एक कंडीशन और लगा दीजिए कि लीडर आफ दी हाउस भी ऐलान कर दें कि आपको जिधर वोट देना है, अपनी कंन्शास से दें। नहीं तो रूलिंग पार्टी तो एक खास तबकि की तरफ जाएगी। और ये लोग ये एक तरफ जाएंगे। यह मैटर बहुत बड़ा है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं केवल सीमित बात रखना चाहता हूं। इसमें जिस विस्तार से चर्चा हो रही थी, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था। मैं कह रहा हूं कि इसे सीमित क्यों नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सीमित होने दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसमें सीधा सा मामला है, जो बहस हो रही है, उसमें सच्चाई छिपी हुई है। इन दो बातों के बीच सच्चाई पिस रही है। इस सच्चाई को निकालने के लिए इस घटनाक्रम का जो समय है, जो प्लेस है और जो कारण है इन तीनों बिन्दुओं पर विचार करना है। प्लेस ऑफ अकर्रेंस, टाइम ऑफ अकर्रेंस, एन्ड कॉज और अकर्रेंस। यदि प्रेरित करने का, प्रभाव डालने का या किसी तरह के किसी काम

के लिए प्रभावित करने का घटनाक्रम हुआ है, अन्य तरीके का इस्तेमाल हुआ है और वैसे समय में हुआ है जब प्रभावति करने की, प्रेरित करने की और समर्थन लेने की जरूरत थी। जो भी घटनाक्रम है उसके तथ्य में मुझे यही कहना है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा बोलेंगे तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊंगा।

[अनुवाद]

मेरा अब काफी ज्ञानवर्धन हो चुका है।

श्री उमराव सिंह : महोदय, कुछ व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये है, आपको उन पर विनिर्णय देना पड़ेगा। मैंने तथा श्री पात्र ने एक-एक व्यवस्था के प्रश्न उठाये हैं।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यदि आपको इसको प्रथम दृष्टया मानते हैं..(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रथम दृष्टया क्या है? प्रथम दृष्टया साक्ष्य का अर्थ समझिये। प्रथम दृष्टया साक्ष्य वह साक्ष्य है जो किसी भी मामले पर, बशर्ते कि वह अखंडनीय हो, निर्णय करने के लिए पर्याप्त हो।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : प्रथम दृष्टया यही है कि चाहे निजी स्वार्थ के लिए हो चाहे सामूहिक स्वार्थ के लिए झारखंड विकास परिषद बनाने की बात हो, इसमें ये दोनों मामले आते हैं। जो घटनाक्रम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य का इस सदन में बयान दर्ज है। प्रोसीडिंग गवाह है कि प्रथम दृष्टा है कि माननीय सदस्य बाहर कुछ बयान देते हैं और सदन में फिर पलट कर कुछ बयान देते हैं। इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। यह संदेह, संशय,देश की करोड़ों जनता में बना हुआ है और लोग सदन की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं। हवाला की हवा इतनी तेज चल रही है कि सब लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसी घटनाक्रम में मेरा निवेदन है कि आपका समाधान हो जाए तो सदन में इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव को कूट कर दीजिए और मतदान करवा दीजिए। इसकी स्वीकृति प्रदान करें। नहीं तो आपका समाधान हो गया हो तो उसको स्वीकार करके कमेटी में जांच के लिए, इन्वेस्टीगेशन के लिए और रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाय। यह मेरा प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। मैं सभी माननीय सदस्यों श्री अर्जुन सिंह, श्री जसवन्त सिंह, श्री सोमनाथ चटर्जी और हर उस सदस्य का सम्मान करती हूँ जिन्होंने अपने विचार सभा के समक्ष रखे हैं। मैं इस मामले के गुणदोषों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभा और माननीय अध्यक्ष महोदय भी इस मामले के दूसरे पहलू पर विचार करें।

यहां, दो मुद्दे उठाए गए है। पहला सदस्यों को भुगतान के बारे में और दूसरा उन्हें गलत तरीकों से प्रलोभन देने अर्थात् उन्हें मुआवजा देने के बारे में। पहले मुद्दे में जिस माननीय सदस्य की बात की जा रही है, उन्होंने सभा में पहले ही विस्तार में बता दिया है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कुछ कहा है, वह किसी ठोस सबूत के बिना लगाए गए आरोप के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण है। गलत तरीके से प्रलोभन देने के संबंध में यह कहा गया है कि बातचीत श्री सूरज मंडल और श्री बूटा सिंह के बीच हुई, दूसरे, बैठक प्रधानमंत्री, श्री सूरज मंडल और श्री बूआ सिंह के बीच हुई।

3.11 म.प.

[श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए]

यह पाया गया अथवा यह कहा गया है कि उन्हें कुछ प्रलोभन दिया गया था। यदि किसी प्रकार की पूर्वन्योजना बनाई गई है थी अथवा कोई पूर्व प्रबंध किया गया था या कोई वायदा किया गया था तो यह अपेक्षा की जाती है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में सर्वप्रथम झारखंड मुक्ति मोर्चा का अनुरोध मानते हुए उन्हें वचन देंगे। महोदय, आप जानते हैं कि उस समय क्या स्थिति थी। यदि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने साथ न दिया होता तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता सरकार पर, प्रधानमंत्री पर जबरदस्त दवाब था। सत्ता पक्ष का सामना करना पड़ रहा था। यदि वैसी बात होती तो प्रधानमंत्री सर्वप्रथम यह कहते कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांगे वह स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या कारण है कि उन्होंने न तो सबसे पहले, न अपने भाषण के बीच अथवा न ही भाषण के अंत में इस बारे में कुछ कहा। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का उल्लेख किए बिना ही अपना भाषण समाप्त कर दिया। अत: यदि यह सौदा था अथवा प्रलोभन था, तो मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति उस बात का जिक्र करना भूल गए हों जिस पर पहले सहमति हो गई थी। वैसी बात नहीं थी। और इसलिए उनके भाषण में इसका कुछ जिक्र नहीं किया गया था। जब श्री सूरज मंडल ने यह कहा कि उनकी मांग मंजूर की जानी चाहिए केवल तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिद्धात: वह उनकी बात से सहमत हैं।

3.15 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जब श्री सूरज मंडल ने कहा कि यदि उनकी मांग स्वीकार की गई तो वे उनका समर्थन करेंगे, तब उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मांग स्वीकार करूंगा बशर्ते कि तुम मुझे समर्थन दो उन्होंने कहा है कि सिद्धात: वह इससे सहमत हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह संसदीय प्रथा रही है कि जब भी प्रधानमंत्री या वित्तमंत्री अथवा रेल मंत्री या कोई अन्य मंत्री संबद्ध मंत्रालय के बारे में भाषण देते है तो तब माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी सीट से जो कहना चाहें, कहते हैं। यदि उनकी मांग स्वीकार करने योग्य होती है तो मंत्री 'हां' कहते हैं और यदि स्वीकार

करने योग्य नहीं होती तो मंत्री 'नहीं' कह देते हैं। ऐसी संसदीय प्रथा रही है। यदि प्रधानमंत्री अपने स्थान से खड़े होकर मान लीजिए यह कहते हैं कि वह इस पर विचार करेंगे तो इसमें गलत क्या है? यह संसदीय परम्परा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे सभा में कई बार उठाया गया है कि यदि माननीय सदस्य अपने स्थान से खड़े होकर कोई प्रश्न पूछते हैं, तो आप क्या समझते है कि प्रधानमंत्री को इस समय क्या करना चाहिए? क्या आप उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वह इसका जवाब न में दे। यदि वह सचमुच इस मामले पर विचार करना चाहते है तो आप प्रधानमंत्री से किए उत्तर की अपेक्षा करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब उन्हें उत्तर देना चाहिए तब वह उत्तर न दें? इसलिए उन्होंने कहा, मैं उस पर विचार करूंगा। उसमें गलत क्या है? मैं समझता हूं कि इसे अनुचित रूप से लुभाने अथवा प्रलोभन देना नहीं मानना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं कि जब सरकार का आस्तिव खतरे में हों और प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण मद्दे पर बोलना भूल जाएं।

महोदय, मैं नहीं समझता कि यह तर्क सही है। वास्तव में सदन की यह परम्परा रही है कि माननीय सदस्य कोई मुद्दा उठाते हैं और मंत्री महोदय पर मंत्रीमंडल का सदस्य उस मांग को, यदि वह स्वीकार योग्य है, तो उसे स्वीकार करे और यदि स्वीकार योग्य नहीं है तो 'न' कह दें। प्रतिदिन सभा की बैठक शुरू होते ही प्रश्न काल होता है और सदस्य कुछ मुद्दे उठाते हैं, यदि वे स्वीकार योग्य हों तो सरकार उन्हें स्वीकार कर लेती है। एक बार मैने भी तब प्रश्न पूछा था जब कृषि मंत्री महिला कृषकों को 75 प्रतिशत राज सहायता देने वाले थे। वह उस पर सहमत हो गए थे। वह प्रलोभन नहीं था। ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि वह प्रलोभन है। मैं चाहता हूं कि आप तथा सदन इस पर इस पहलू से विचार करें। उस पहलू से नहीं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, निर्मल बाबू जब एक बिन्दु पर बोल रहे थे तो चन्द्रशेखर जी ने उठकर एक व्यापक सवाल उठाया। मैं विश्व इतिहास से एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है कि नाजी जिस वक्त यहूदियों को मार रहे थे, विश्व युद्ध की समाप्ति पर जो चालक लोग थे उनके पीछे गये और करीब 38 साल के बाद इसाइल में वहां के कानून के अनुसार, जहां तक मुझे याद है

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपराधिक मामलों और विशेषाधिकारों के मामलों में यही फर्क है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैं कोई क्रिमिनल केस या सिविल केस की बात नहीं उठा रहा। मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा सवाल है, आप मेज पार्लियामेंट की प्रोक्टिस को देख लीजिये, भ्रष्टाचार के बारे में जो बताया गया है पेज .. 119 में -

[अनुवाद]

मैं मेंज पार्लियामेंट प्रोक्टिस से उद्धत करता हूं-"किसी विधेयक, संकल्प या मामले, चाहे वह सदन में अथवा उसकी किसी समिति में पेश किया गया हो अथवा किया जाना हो, के समर्थन अथवा उसके विरोध के संबंध में किसी भी सदन के किसी सदस्य द्वारा लिया शुल्क मुआवजे अथवा वस्तु के रूप में ली गई रिश्वत, जो किसी भी तरह सदस्य के रूप में उसके आचरण को प्रभावित करें, विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा।"

[हिन्दी]

मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मेज पर्लियामेंट को पढ़ लें। करप्शन, ब्राइबरी जो पार्लियामेंट का सदस्य लेगा तो वह केवल प्रजातंत्र को नुकशान ही नहीं पहुंचायेगा, बल्कि उसे खत्म करने का ब्राइस बन जायेगा। अध्यक्ष जी, आपको फैसला करना है, सदन को नहीं, इसलिए मैं आपकी गाइडेंस के लिए एक बात कहकर अपना आसन ग्रहण करूंगा। मैं परम्परा ढूंढ़ रहा था कि जिस समय हमारी संसद ने बहुत बढ़िया ढंग से स्थिति पर काबू पाया। आज अर्जुन सिंह जी ने अपने भाषण में एक सेकण्ड के लिए मुद्गल केस के बारे में कहा। यह भी एक नमूना है। मैं आपके जरिये सदन से और देश से कहना चाहता हूं जो काम के बारे में बात हुई है जब विश्वड-प्रो-क्यो का सवाल आया 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के समय यहां पर डिफेक्शन हुआ। जेएमएम, जनता दल, तेलुगू देशम और शिवसेना, बहुत सारे दलों से लोगों ने जाकर डिफेक्शन किया। मैं समझ नहीं पाता हूं, पवन साहब जी यहां बैठे हैं। जब जे.एम.एम., जनतादल और दूसरे दलों की तरह विरोधी दल के पक्ष में वोट देंगे, सरकार के पक्ष में नही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर बहस नहीं हुई है। 1993 में जब डिफेक्शन हुआ। पिछली बार जब दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष यह चीज आई, यह जो पेमेंट वगैरह हुआ, यह देश में जिस तरह से उजागर हुआ कि देशवासी इस दिन को फिर याद करेंगे कि किस तरीके से डिफेक्शन किया गया था। किस तरीके से हमारे मेम्बर्स आपराधिक कार्यों में लिप्त थे। इसलिए आज मैं सदन से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज सारा संसद ब्रीच ऑफ प्रीविलेज की बात करता है। हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर बात करते है, हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर वोट देंगे। यह परम्परा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुदगल कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और जब जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं सदन के नेता थे और वह इससे संतुष्ट नहीं थे, इसी अध्यक्ष के पद पर मावलंकर जी बोले थे, मैं सदन की खिदमत में इसे पढ़कर सुनाता हूं-

[अनुवाद]

"(यद्यपि) नियमों के तहत विशेषाधिकार समिति बनाई गई है तथापि सभा को यह अधिकार है कि परिस्थितियों में वह अन्य विशेष समिति का गठन कर जांच करा सकती है। उसमें कुछ असंगत नहीं है। साथ ही, इस विवादास्पद प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि जैसा कि आरोप लगाया गया है क्या ऐसा आचरण वास्तव में सदन के

विशेषाधिकार हनन का मामला है या कोई जिसकी सदन उससे अपेक्षा नहीं करता, और इस बात पर भी विवाद हो सकता है कि यह विशेषाधिकार हनन नहीं है। इन सभी परिस्थितियों में हाँऊस कॉमन्स को यह परम्परा रही है कि एक विशेष समिति बनाई जाए और प्रस्ताव रखने का तरीका वही है जो आमतौर पर हाऊस ऑफ कॉमन्स में अपनाया जाता है विशेषाधिकार समिति है।" [हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मावलंकर जी ने पांच लोगों की कमेटी बनाई थी क्योंकि उस वक्त 1951 में प्रोवीजनल पार्लियामेंट में जब शुरु-शुरु में संसदीय प्रजातंत्र का अभ्यास कर रहे थे, उस वक्त जवाहर लाल नेहरू के दिमाग में आया होगा कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बर होते हुए भी हम कड़ा दंड उनको देंगे। अभी जो हुआ, अभी पूर्व होम मिनिस्टर कहते है कि वह जो, एम.एम. के मेम्बर को प्रधानमंत्री के पास ले गये और उस वक्त कहते हैं कि यही मौका है (व्यवधान) वे बहुत मार्के के शब्द हैं, क्या इस तरह की चीजों से यह जो मुदगल का केस था, बम्बई के किसी बिजनेस हाउस की वह कुछ सेवा कर रहे थे। क्या यह उससे बढ़कर अपराधिक कार्य नहीं है? मैं सिर्फ सदन से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह मुद्गल मामले से भी बड़े अपराध का मामला नहीं है। आपसे कहना चाहता हूँ और सदन के सारे सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि यह कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। इसलिए कि प्रधानमंत्री जी इस सदन के नेता है और उनके खिलाफ इस तरह का एलीगेशन आया है। इसलिए उसको सदन एक विशेष कमेटी बैठाकर भी कर सकता है और सदन इसको प्रीविलेज कमेटी के पास भेज सकता है। अब मैं कहना चाहता हूँ मेरी व्यक्तिगत राय हे कि प्रधानमंत्री जी इसमें इंवाल्व्ड हैं, इसलिए इसको मामूली तौर पर प्रीविलेज कमेटी को नहीं भेजकर मावलंकर का जो प्रीसिडेंट सामने है, उसको भेजना चाहिए क्योंकि पार्लियामेंटरी डेमेक्रोसी सारे हिन्दुस्तानियों के लिए एक वे ऑफ लाइफ है। यह वे ऑफ लाइफ खतरे में पड़ गया है। इसलिए मैं आप से विनती करूंगा कि प्रीविलेज कमेटी को स्वीकार किया जाये।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, निर्मल कान्ति चटर्जी ने इस प्रश्न को अधिक सही रूप में रखा है। घटना कब हुई, कैसे हुई, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उस घटना का हमारे राजनैतिक और सामाजिक जीवन पर क्या असर है, यह महत्वपूर्ण है। कभी-कभी छोटी घटनायें भी इतिहास को बदलने वाली होती है और घटनायें किस से सम्बन्धित होती हैं, वे भी अपने में महत्व रखती हैं। किसी घटना में अगर सदन के नेता, देश के प्रधानमंत्री की ओर दूर से भी संकेत हो तो घटना अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और उस घटना को रूल के अन्दर, नियमों के अन्दर लाकर अगर हम सोचेंगे तो शायद हम इस संसद के प्रति न्याय नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ में ही कह दूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ में ही कह दू, मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष के नाते यह आपका अधिकार है और अध्यक्ष को इसलिए अधिकार दिए गए हैं कि अगर कोई गम्भीर समस्या आए, तो नियमों के अन्तर्गत क्या सही है या क्या गलत है, उससे ऊपर भी उठ कर के, संसद की मर्यादा के अनुरूप, देश के भविष्य को ध्यान में रख कर आप निर्णय दें, क्योंकि अध्यक्ष के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। जो नियम है, घटना सही या गलत हुई, उसके अनुसार ही करें।

अभी हमारे मित्र चले गए। उन्होंने एक बात कही। 1977 में जो हुआ, वह बदले की भावना से हुआ। मुझे जरा दुःख लगा कि एक दिन इंदिरा जी जेल में गई थीं और 18 महीने में भी जेल में रहा, लेकिन मैने कुछ नही कहा कि वह बदले की भावना से हुआ था। तो कहना आसान है और आपने अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए कह दिया कि क्या जो उस संसद ने किया और उसी पम्परा को फिर दोहराना चाहते है। उस संसद में भी कुछ समझदार लोग थे। सभी लोग गैर जिम्मेदार लोग नहीं थे। सभी लोग बदले की भावना से काम नही कर रहे थे। इस सवाल के ऊपर मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगा।

हमारे कुछ मित्र कहते है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि आश्वासन दें। आश्वासन मत के पहले दिया गया और मत के बाद उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। इसमें मुझे कुछ अच्छी बात नहीं लगती। प्रधानमंत्री का उस समय आश्वासन देना कुछ बहुत सही नहीं था और आश्वासन दे कर के उसको नहीं पूरा करना और भी बुरा था। यह बात अपनी जगह पर है। अब आप पूछेंगे कि पैसा लिया गया या नहीं लिया गया? लेकिन क्या संसद को यह जानने की जरूरत है या नही, इस संसद का सदस्य नेता विरोधी दल की उपस्थिति में अखबार वालों के सामने, एक-दो लग नहीं 50 लोगों के सामने, एक वक्तव्य देता है और दूसरे दिन आकर के उस वक्तव्य को बदल देता है। अध्यक्ष महोदय, आज नियमों के अनुसार यह सही है कि उसने जो वक्तव्य यहां दिया है, उसको मानना चाहिए। क्या हमारी मर्यादा हमसे यह मांग करती है या नही, हम यह भी जानें कि 24 घन्टे के अन्दर उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? इस बात को हम लोग सोचेंगे या नहीं, क्या यह नियमों के अन्दर आता है या नहीं? मैं नियमों का पारंगत नही हूँ। मैं रूल्स नहीं जानता हूँ, लेकिन संसदीय जनतन्त्र में एक संसद सदस्य संसद के बाहर, पत्रकारों के बीच में, पत्रकार सम्मेलन बुला कर के एक वक्तव्य देता है और 24 के अन्दर बदल जाता है। कांग्रेस के मित्र इसको बड़ी भारी विजय मान सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह संसदीय जनतन्त्र की सबसे बड़ी पराजय है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ, मैं अभी एक दूसरे सदस्य का वक्तव्य पढ़ रहा था। इस संसद में उनहोंने कहा है कि हम गरीब लोग है, हमने सोना नहीं खरीदा, हमने बैंकों में पैसा जमा कर दिया। मैं नहीं जानता, प्रधानमंत्री जी या इस संसद के मंत्री यह जरूरी नहीं समझते कि इस तरह के वक्तव्य का खंडन करें। मैं नही जानता, विरोधी दल के नेता, क्षमा कीजिए, मैं उस समय नहीं था, कोई संसद सदस्य इस तरह का वक्तव्य देता है, तो क्या इससे कोई प्रश्न उठता है या नही? दूसरे अध्यक्ष महोदय, माहौल को भी देखना चाहिए कि वातावरण

देश का क्या है और वातावरण क्या है, संसद के बारे में। अगर, अध्यक्ष महोदय, वातावरण ऐसा है, जहां हर एक छोटे से संकेत पर संसद की मर्यादा को गिराने की बाहर से कोशिश हो रही है, तो क्या हम इन मामलों को केवल टैक्नीकल मान कर, तकनीकी सवाल मान कर यह कहेंगे कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? मैं, अध्यक्ष महोदय, नहीं जानता, यह विशेषधिकार का सवाल बनता है या नहीं, लेकिन क्या सदन के नेता का यह कर्तव्य नहीं होता था कि इतना बड़ा सवाल उठा, संसद सदस्य कहें कि हमने बैंक में रुपया जमा करा दिया। उसमें कहा जाए, पूर्व गृह मंत्री उसमें शामिल थे। यह कहा जाए कि प्रधान मंत्री जी से बातचीत हुई। इसलिए प्रधान मंत्री जी का इतना भी कर्तव्य नहीं होता था कि संसद के सामने वे आकर के बयान दें। आकर के स्थायित्व का सवाल उठा करके, पांच वर्षों की अपनी उपलब्धि पर बड़ा अभिमान है, अभिमान रखिए, शायद कुछ और करिश्मा करके, जैसे अल्पमत को आपने बहुमत में बदल दिया और फिर इस गद्दी पर आ जायें, लेकिन गद्दी पर आने वाले लोग कभी-कभी जनतन्त्र को मिटा देते है ।

इसलिए हम कहेंगे कि आज अर्जुन सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, यह सवाल कोई मामूली नहीं है। क्षमा कीजिए, मैंने गुस्से में कुछ कह दिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय : आप बुजुर्ग है, आपका गुस्सा भी मार्गदर्शन होता है।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, आपको इस सदन का डिरेक्शन करना चाहिए। आप अगर यह कहेंगे कि मैं सदन पर छोड़ देता हूं। टैक्नीकली सही है या नहीं है, निर्मल चटर्जी ने सही सवाल उठाया कि मामला कितना गंभीर है। किसी व्यक्ति से संबंधित मामला है। उसका इतिहास पर क्या असर पड़ने वाला है, संसद की मार्यादा पर क्या असर पड़ने वाला है। इसको दृष्टि में रख करके अगर आप निर्णय लेंगे तो इस निर्णय में जो कुछ अर्जुन सिंह जी ने कहा है वह सही दिशा में संकेत करता है। उसकी दृष्टि में रख करके अगर आप निर्णय लें तो इतिहास के साथ न्याय होगा और संसद की मर्यादा के अनुरूप होगा।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं एक तरीके से निर्णय लेने पर सही और दूसरे तरीके से गलत हो, यह न हो। इसलिए सदन उसका निर्णय करें और अगर वैसा नहीं करना है तो मैं जरूर करूंगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, मैं दो तीन मिनट का समय लूंगा।

मैं आरंभ से ही इसमें भाग लेने की बात सोच रहा था क्योंकि हवाला कांड के बारे में चर्चा के दौरान मैंने इसका उल्लेख किया है चूंकि प्रस्ताव श्री अर्जुन सिंह जी द्वारा रखा गया है, मैंने सोचा कि यदि मैं इस महत्वपूर्ण चर्चा के समय भी कुछ शब्द न कहूं तो यह मेरी बहुत बड़ी भूल होगी (व्यवधान) यह के लिए नहीं है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, आप अपने मित्रों की बात पर ध्यान न दीजिए।

श्री श्रीकांत जेना : जी नहीं, महोदय।

जहां तक दल-बदल का संबंध है, संसद द्वारा दल-बदल विरोधी कानून पारित किया गया है। अतः हम जनतादल के सदस्य ही पिछले पांच वर्षों के दौरान सर्वाधिक पीड़ित रहे हैं। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, यह बात सब जानते है। न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा . . . . (व्यवधान) न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा, 20 से अधिक सांसद उसमें शामिल हो गए। अग्रिम पंक्ति में बैठे मंत्रियों में से एक मंत्री भी इनमें से है। वह कांग्रेस के विरुद्ध जनता दल के टिकट पर जीत कर आए थे। वह जनता दल के नाम पर वोट पर इस सभा में आए थे किन्तु आज वह सत्ता पक्ष के मंत्री है। मैं उस बात की परवाह नहीं करता (व्यवधान)

मुझ श्री चन्द्रशेखर जी, श्री रवि राय जी और इस सदन के अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा उठाए गए मामलों का है। उन्होंने नैतिकता का प्रश्न उठाया है- क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान सदन में नैतिकता बनाए रखी गई है। श्री रवि राय और अन्य सदस्य इससे सहमत नहीं है और उन्होंने कहा भी है कि हम असहमत हैं और संसदीय दल बिखर गया।

मुझे याचिका दर याचिका की बारे में बताने की जरूरत नहीं। आपके समक्ष कई याचिकाएँ लंबित पड़ी है। मैं इस बारे में कहना नहीं चाहता। यह मुद्दा उठाया गया था

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वह इसके शिकार नहीं हुए है। उनकी पदोन्नति हुई है। अब वह नेता हैं।

श्री श्रीकांत जेना : यदि आपके नेता त्यागपत्र दे तो आपकी भी पदोन्नति हो जाएगी।

श्री नीतिश कुमार : उनके आगे पदोन्नति के अवसर मिलेंगे

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : बात सीधी सी है। माननीय सदस्य श्री सूरज मंडल का कहना है "मैं नहीं जानता था कि इस पैसे को कैसे रख जाए।" एक बैंक में एक दिन में विभिन्न सदस्यों के नाम से 1 करोड़ 20 लाख रुपये जमा होते हैं। वित्तमंत्री जी यहां उपस्थित है। यदि यह पार्टी की धनराशि होती, तो वह रांची में जमा की जा सकती थी। यदि पार्टी की धनराशि रांची में एकत्रित की गई थी तो उसे रांची में ही किसी बैंक में जमा कराया जाना चाहिए था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिल्ली के आसपास और दिल्ली में बहुत से समर्थक हैं और उन्होंने यह धनराशि दी और उन्होंने एक साथ यह राशि दी और एक बैंक में एक ही दिन चार सदस्यों के नाम से जमा कराई। वैसे तो और भी कई मामले हैं, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। श्री बंसल ने कहा कि यह मामला न्यायाधीन है। ठीक है। यह मामला न्यायाधीन है किन्तु क्या आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या सचमुच आप पार्टी नीति में बंट जाएंगे। यह धन कहां से आया?

जहां तक प्रलोभन का संबंध है प्रतिमा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं उस बारे में प्रधानमंत्री जी ने सभा में कई बार आश्वासन दिए हैं और आश्वासनों के आधार पर ही व्यक्ति के विचार बदल सकते हैं। लेकिन

आश्वासन देने से पहले ही प्रबंध कर लिया गया था। जैसा कि श्री बूटा सिंह जी ने कहा कि वह उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व प्रधानमंत्री जी के घर ले गए थे। इस बारे में 7, रेसकोर्स रोड में सब तय हुआ था। एक सौदा किया गया था। यह सब प्रबंध प्रभाव डालने के लिए किया गया था। वास्तविक सौदा उनके आवास स्थल पर ही तय हो गया था। श्री सूरज मंडल और श्री बूटा सिंह दोनों ने ही यह बात कही थी। आपने एक बार यह कहा था कि आप चाहे अध्यक्ष पद रहें या नहीं लेकिन इतिहास साक्षी रहेगा कि हमने क्या सौदा किया है और भविष्य के लिए हमने क्या छोड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : यह मुझ पर दबाब डाला जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है?

श्री श्रीकांत जेना : जी नहीं महोदय, मैं केवल आपसे अपील करूंगा और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इसका निर्णय करें। इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव में प्रधानमंत्री और सदन के नेता की प्रतिष्ठा का प्रश्न जुड़ा है। अत: कृपया इसे विशेषाधिकार समिति को भेजिए। विशेषाधिकार समिति को सच कहने दीजिए विशेषाधिकार में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या अधिक है। यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाने दीजिए, उन्हें इस पूरे पहलू की, न केवल पूरे पहलू की, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ-साथ अन्य दल के सदस्य भी शामिल हैं, जो हमारा दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए- जिन्हें प्रलोभन दिए जाने का प्रश्न उठाया गया है। उस पर विचार किया जाना चाहिए ताकि भानुमति का पिटारा पूरा ही खुले आंशिक रुप से नहीं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : इस चर्चा में मेरा बार-बार उल्लेख किया गया है। इसलिए मेरे लिए कुछ कहना आवश्यक हो गया है। श्री अर्जुन सिंह जी ने, श्री जसवन्त सिंह जी ने विशेषाधिकार के उल्लघंन के मामले को बड़ी प्रभावशाली के साथ उपस्थित किया है। मैंने कांग्रेस के मित्रों के उत्तर भी सुने। आप जो कुछ बोलते रहे है उससे भी कुछ संकेत मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैं कह रहा था कि मेरे संकेत पर आप भरोसा मत कीजिए। यह मेटर हाउस में आप वोट करके डिसाइड कीजिए।

[अनुवाद]

जिसकी कानूनी तौर पर भी अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

नहीं तो आप कहेंगे कि मैने संकेत किए हैं, मैंने डिसाइड किया है, कुछ और बात कहेंगे।

[अनुवाद]

मैं यह सभा पर छोड़ रहा हूं। वे जिस तरह कहेंगे भी चाहे निर्णय ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम सब आपके ऊपर छोड़ देते है।

अध्यक्ष महोदय : नही, नही, वाजपेयी जी कह रहे है

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (व्यवधान) अध्यक्ष जी, आपने यह कैसे समझा कि मुझे जो संकेत मिले हैं वे अच्छे संकेत नहीं है, वे बुरे संकेत नहीं है। (व्यवधान) मुझे तो यह संकेत मिला है कि आप मामला सदन पर नहीं छोड़ेंगे, स्वयं तय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, वाजपेयी जी, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है। आप और सीनियर मैम्बर्स जब बोलते है तो वह एक मार्गदर्शन रहता है

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (व्यवधान) अध्यक्ष जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सारा प्रसंग 1993 का है और अगर आप नियमों की संकीर्ण और संकुचित व्याख्या करेंगे तो तात्कालीन घटना के साथ उसको जोड़ने का प्रयत्न हुआ है और वह प्रयत्न ठीक भी है लेकिन उत्तर के तौर पर कहा जा सकता है कि पुराना मामला उठाया जा रहा है। 1993 में भी इस बात पर संदेह प्रकट किया गया था कि अल्पमत बहुमत में कैसे बदल गया।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अजीत सिंह जी ने कहा था जो मिनिस्टर हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अजीत सिंह जी ने उस समय जो कहा था वह मैं उद्धृत करना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

पार्टी के संसद सदस्यों ने दल बदली का काम बड़ी तत्परता से किया। जिसमें कारों तथा धन का उपयोग किया गया।

[हिन्दी]

झारखंड मुक्ति मोर्चा के चार सदस्य सरकार के खिलाफ थे, प्रतिपक्ष के साथ बैठते थे। वे अपने मत का उपयोग करने वाले थे। उन्हें तोड़ने की कोशिश की गयी और उसमें सफलता मिली। इस समय आडवाणी जी सदन में नहीं है। प्रतिभा जी कह रही थी कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई वायदा किया होता तो भाषण के दौरान में ही कह देते। और इस बात के लिये नहीं रोकते कि सूरज मंडल उन्हें याद दिलाये। जब सौदा हो गया था तो कहने की जरुरत ही क्या थी? सौदा हुआ, यह बात उस समय सदन में कही गई थी। प्रधानमंत्री उत्तर दे रहे थे तो लाल कृष्ण आडवाणी खड़े हुए, उन्होंने मामला उठाया। मैं उसको उद्धृत कर रहा हूँ। यह प्रधानमंत्री को सम्बोधित करते हुए आडवाणी जी कह रहे हैं :

> "आपने स्थानीय और क्षेत्रीय आन्दोलन के बारे में तो बात कही है, बिहार के बारे में और असम के बारे में। मैं निवेदन करूंगा कि उत्तरांचल के बारे में जो राज्य सरकार ने भी सिफारिश की है, असेम्बली ने प्रस्ताव पास करके आपको भेजा है, यह बात ठीक है कि हम कोई नो-कॉनफिडैंस के दौरान उसको कोई सौदे का हिस्सा नहीं बना रहे हैं, कोई और बन सकता है लेकिन आप उसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं।"

सौदा हुआ, यह उस दिन भी हवा में था। यह सही है कि पुष्ट प्रमाण नहीं थे। पुष्ट प्रमाण अब सामने आये है और इसके लिये महतो जी को बधाई देनी चाहिये क्योंकि उन्होंने हिम्मत के साथ आकर कहा, चूंकि समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि दिल्ली के एक ही बैंक में, एक ही दिन और एक ही दस्तखत से झारखंड मुक्ति मोर्चा के संसद सदस्यों के नाम बड़ी रकम जमा की गई। जब श्री महतो ने उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि लगता है कि गलती हुई है, इस सम्बन्ध में जो भी बातें हुई हैं, वह मैं साफ करना चाहता हूं। प्रेस कान्फ्रेंस में हम उन पर कुछ कहने के लिये दबाव नहीं डाल सकते, दबाव तो सरकार डाल सकती है (व्यवधान) उन्होंने बयान दिया। चन्द्रशेखर जी ने सवाल किया कि एक दिन उन्होंने बयान दिया, फिर बदला क्यों? सचमुच में बयान नही बदलना चाहिये था। उन्होंने एक दिन बयान में हिम्मत के साथ साफ-साफ बात की। इसके लिये उनकी तारीफ भी होनी चाहिये, नहीं तो अन्य संसद सदस्यों की तरह से वह भी मामले पर चुप रह जाते और यह न कहते कि उस सौदे का हिस्सा था।

अध्यक्ष महोदय, तीन बातें साफ है लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि वे बार-बार कही गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य बूटा सिंह जी के साथ प्रधानमंत्री के यहां गये। प्रधानमंत्री ने उन्हें बिहार में झारखंड के क्षेत्र में विकास परिषद् बनाने का वायदा किया और इसके बाद चारों सदस्यों के नाम एक ही दिन, एक ही बैंक में, एक ही दस्तखत से बड़ी-बड़ी रकमें जमा कर दी गई। क्या इससे कुछ नतीजे नहीं निकाले जा सकते हैं? आखिर, यह नैतिक व्यवस्था है। आप नियम का हवाला देकर अपनी व्यवस्था दे सकते हैं लेकिन हम हवाला देकर मानेंगे। क्या सरकार गिरने का खतरा होते हुए सब तरह के तौरीकों से सरकार को बचाये रखना लोकतंत्र को कसौटी पर खरा सिद्ध होता है? अगर सरकार बचाने के लिये सब तरीके अपनाये जा सकते हैं तो फिर सरकार बनाने के लिये सब तरीके अपनाने से कौन रोक सकता है? ऐसे में लोकतंत्र में क्या होगा? आम चुनाव में (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील (नान्देड़) : आपने श्री महतो को कितना पैसा दिया?

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अब तो वह आपके साथ है (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। इस वर्ष में किसी महिला के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों को जो धन मिला, वह बैंक में जमा है। अगर हमारी तरफ से कोई पैसा मिला होता तो वह बैंक मे जमा होता (व्यवधान) आप जाकर पता लगाईये। पहले आप यह तो मान लीजिये लेकिन आपने यह सवाल पूछकर कि कितना दिया, यह मान लिया है कि आपने दिया है। (व्यवधान) अध्यक्ष जी, सारे मामले को गंभीरता से लेने की जरुरत है (व्यवधान) आम चुनाव में किसी वोटर से मत लेने के लिये उसे लालच दिया जाये तो यह भ्रष्ट आचरण की कोटि में आता है। आप लालच देकर वोट नहीं ले सकते है। आपका चुनाव रद्द होने का खतरा पैदा होता है। अगर सरकार गिर रही थी तो लालच देकर सरकार को बचाना चाहते है और वह बचा ली। किस कीमत पर सरकार बची है, इस पर विचार करने की जरुरत है। अपनी सरकार को बनाये रखने के लिये आप लोग किस हद तक जा सकते हैं और ये दोनों चीजे अलग नहीं की जा सकती हैं। झारखंड विकास परिषद के लिये वायदा करना और बैंक में उन सदस्यों के नाम धन जमा होना, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये जुड़ी हुई घटनाये हैं, इनमें तारतम्य हैं, संबंध है और ये संबंध उजागर हैं। अब विशेषाधिकार का मामला आया है। सचमुच में एक अनहोनी स्थिति है। कांग्रेस पार्टी का बहुमत है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये हम तो कांग्रेसी सदस्यों से ऐन वक्त पर उनकी आत्मा को जगाने की अपील भी नहीं कर सकते हैं (व्यवधान) लेकिन हम आपसे अपील कर सकते है कि हम आपको कठिनाई में नहीं डालना चाहते हैं। आखिरी वक्त है लेकिन जाते जाते. .... हम भी जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप वापस आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप भी वापस आयेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन जाते सारी परिस्थिति एवं लोकतंत्र के ताकतों को ध्यान में रखकर .... आखिर तो यह नैतिक व्यवस्था है यहां पर नियमों और कानूनों के भरोसे..... नियम कानून अपनी जगह पर है मगर उनसे भी ऊंचा कोई तकाजा है और आज इस तकाजे की मांग है कि सत्ता पक्ष वाले यहां सदन में आकर कहें कि जो कुछ उन्होंने किया था, वह गलत किया था, हमको माफ कर दो, हम माफ करने के लिये तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय कई घन्टों से अर्जुन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किए गए विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव पर बल्कि उसकी पर चर्चा की जा रही है। मैं समझता हूं कि हमें कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए अथवा कोई निर्णय कर लेना चाहिए। आप वह निर्णय लेंगे अथवा निर्णय लेने के लिए उसे सभा पर छोड़ देंगें, यह एक अन्य बात है। मैं उस संबंध में अपनी राय अन्त में दूंगा। सबसे पहले, मैं आपको तथा सभा को मुझे मिले नोट के बारे में बताऊंगा। मैने उसे अपने पास रखा था।

मैंने उसे अपने पास रखा था लेकिन मैंने उसके बारे में पहले कोई उल्लेख नहीं किया। प्रधानमंत्री के कार्यालय से 23 फरवरी को उस पर 'अत्यनीय' लिख कर आया उसका विषय है "सरकार के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने के लिए संसद को बदनाम करके संसद सदस्यों को कथित रुप से भारी धनराशि दिये जाने के संबंध में संसद सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा 27 फरवरी, 1996 को प्रधानमंत्री को विरुद्ध लाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न संबंधी सूचना।"

मैंने यह सूचना आपको दी थी आपने जिसकी अनुमति नहीं दी। तपश्चात् मुझे यह नोट प्राप्त हुआ। मै हैरान था। फिर भी यह एक तरह

की कलंक लगाने वाली बात थी।"लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 फरवरी के लोक सभा सचिवालय के पत्र को देखें।"

इस पर प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के हस्ताक्षर हैं और उसे उनकी स्वीकृति प्राप्त है।

"श्री शैलेन्द्र महतो के प्रकाशित वक्तव्य में लगाए गए आरोप गलत और आधारहीन है और इसलिए उन्हें अस्वीकार किया गया है। और दृष्टि से संसद को बदनाम करने का प्रश्न ही नही उठता। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि किसी प्रकार का विशेषाधिकार भंग नहीं हुआ है। सम्बन्धित सदस्य को यह सूचना देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इसलिए प्रधानमंत्री ने अन्य अपराधों पर जो कुछ कहा है अथवा नहीं कहा है, इसके अतिरिक्त कागजों में प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित नोट है जिसमें कहा गया है कि श्री शैलेन्द्र महतो की प्रकाशित वक्तव्य से लगाए गए आरोप गलत और निराधार है। और इसलिए अस्वीकार किया जाता है? इसके पश्चात् हम जानते है कि श्री शैलेन्द्र महतो के साथ क्या हुआ। चाहे कुछ भी हो, विशेष प्रकार के व्यवहार अथवा वोट प्राप्त करने के लिए और कुछ भी करवाने के लिए सदस्यों को दी गई राशि 'लालच' है। लालच अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। राजनीतिक लालच भी हो सकते है। पैसे का लालच भी हो सकता है। अब इस सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ सदस्यों, विशेषाधिकार श्री मंडल का भाषण सुना है। कहा गया था कि उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उन्हें झारखंड विकास परिषद दे दी जाएगी और उस संबंध में कोई समझौता हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि "मुझे इस बात का दुःख है कि हमने प्रधानमंत्री पर विश्वास किया। उनके आश्वासन के आधार पर हमने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट देने का निर्णय लिया। अब, मुझे इस बात पर बहुत दुःख हो रहा है"

उन्होंने कहा, 'यह एक भारी' गलती जो हमने की है। अब हम देखते हैं कि आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है और जो समझौता किया गया था उसे भी पूरा नहीं किया गया है। ऐसा हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। जहां तक आश्वासन का संबंध है, मेरे पास कोई प्रथम जानकारी नहीं है। मैं उनको यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री से किस तरह का आश्वासन मांगा था और उन्होंने उन्हें किस तरह का आश्वासन दिया है। शायद श्री सूरज सिंह उस पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं क्योंकि वे उपस्थित थे। मुझे बहुत खुशी है और मुझे श्री अर्जुन सिंह को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इस मामले को उठाया और सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। यह किसी पर आरोप लगाने अथवा न लगाने का प्रश्न नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से सम्बन्धित घटना सहित हवाला मामले में जिस पूरे रहस्योद्घाटन हुआ है और ये जो सब घटनाएं घटित हुई हैं यह हमारे संसदीय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार दूर करने की शुरुआत है। भ्रष्टाचार को दूर करने की प्रक्रिया को बहुत आवश्यकता थी। इस कुप्रथा को दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि दुर्भाग्यवश यह पूरा देश तथा जनता राजनीतिक दलों तथा राजनीतिज्ञों को बेईमान मानती है। निश्चय ही यह समाचार पत्रों द्वारा काफी हद तक बढ़ाए चढ़ाए गए जनता के विचार है। लेकिन सामान्यतः हमें बेईमान तथा अवांछित चरित्रों के रुप में देखा जाता है। यह आवश्यक है कि कोई ऐसी प्रक्रिया आरम्भ की जाए जिससे तथ्यों को प्रकाश में लाया जा सके और जो वास्तव में अनुचित कार्य, अनैतिक कार्य तथा अवैध कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए और किसी तरह का भ्रष्टाचार दूर करने वाली प्रक्रिया आरम्भ करनी चाहिए। उन लोगों के दिलों तथा दिमागों में डर डालना चाहिए जिन पर इस तरह की उत्प्रेरणाएं प्राप्त करने का शक है और जो आज दुर्भाग्यवश अपने आपको बेचना चाहते है। राजनीतिज्ञो तथा दल के लोगों में खरीदी तथा बेची जाने वाले तत्व कोई छिपी बात नहीं है, यह इस देश में बहुत साधारण सी बात हो जाएगी। अब, जहां तक कि राजनीतिक उत्प्रेरणा का संबंध है, यदि कोई दी गई थी, सभा में श्री सूरज मंडल द्वारा कहे गए अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि लालच दिया गया थी। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई पैसे का लालच भी दिया गया था अथवा नही? इसकी जांच कौन करेगा? आगे की जांच कौन करेगा जो कि बहुत आवश्यक है? इन आरोपों का उत्तर किसी ने नही दिया है जो कि श्री अर्जुन सिंह के विशेषाधिकार भंग के नोटिस का हिस्सा हैं जिसमें नीति दिखाने के लिए उस पाठ को उद्धृत किया है। अगस्त 1993 में इस बड़ी धनराशि को सभा के सदस्यों के खातों में जमा करवाया गया था और रसीदों की फोटोकॉपी यहां है और श्री सूरज मंडल के अनुसार उन्हें बैंक में रखा गया था। यह उनका पैसा था, पार्टी का पैसा था न कि यह पैसा था जो कि उन्हें लालच के रुप में दिया गया था। ऐसा हो सकता है लेकिन अब मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि मैं श्री सूरज मंडल के साथ सहमत नहीं हूँ समझता हूँ कि वह अपने लोगों की छोटा कर रहे हैं जब

[हिन्दी]

हम लोग तो शिक्षित लोग नहीं
तो जानवर है। हम लोगों को अ
जानवर समझता है? हम उ

[अनुवाद]

लेकिन यहां मुद्दा
किया जा रहा है
और अगर म
दिनांक
नही

है। अन्य सदस्यों के खाते भी हैं जिनमें लाखों रुपए हैं। श्री शिबूसोरन, श्री सूरज मंडल, श्री साईमन मरांडी और श्री शैलेन्द्र महतो के नाम पर 60 महीनों के लिए 30 लाख रुपए का संयुक्त सावधि जमा रसीद संख्या 195 है। 4.00 मा0.प0

इस सावधि जमा खाते को 18.5.94 को बन्द कर दिया गया था और उसे 30 लाख रुपए की विशेष सावधि जमा खाता संख्या 2000 में परिवर्तित कर दिया गया था। अन्य सदस्यों ने पहले ही यह प्रश्न उठाया है कि इतनी बड़ी धनराशि इन चार अथवा पांच आदमियों के नाम बैंक खातों में कैसे जमा हुई। मैं समझता हूं कि किसी के लिए इस मामले की आगे जांच करना बहुत जिज्ञासापूर्ण है। इसलिए, महोदय, इस 'हाल ही की घटना' का कोई अर्थ नहीं है। तीन अथवा चार वर्ष पूर्व कुछ हुआ, लेकिन वह सामने नहीं आया होगा। हमें उस बारे में हाल ही में पता चला होगा। जनता के सामने खुले तौर पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए, यदि कोई घटना 1993 में घटित हुई, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह हाल ही की घटना नहीं है क्योंकि उस घटना के बारे में जनता को, सभा को तथा सभी को अभी पता चला है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। इतने महत्वपूर्ण विषय में इस प्रकार का कोई समय बंधन नहीं है। इसलिए, मेरा कहना है कि यह पूरा मामला ऐसा है, जिस पर इस संसद की निष्ठा, उसके आचरण का स्तर, उसकी ईमानदारी, उसकी एकनिष्ठा तथा सब कुछ निर्भर करता है। इसमें इस सभा के नेता स्वयं प्रधानमंत्री पूरी तरह से फंसे हुए है। समाचार पत्रों में विपक्ष के नेता ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया है। हमने एक दिन माननीय प्रधानमंत्री से पूछा कि 'उनके विरुद्ध जो आरोप लगाए जा रहे हैं चाहे वह सच है या झूठ हैं क्या उनकी जांच की जा रही है अथवा नहीं?' जहां तक मैं जानता हूं महोदय, समाचार पत्रों से यह पता चला है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न्यायालय में कहा था कि जो आरोप लगाए गए है जिसके आधार पर आगे जांच की जा सके। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले को बन्द करना चाहा क्योंकि उनके अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन महोदय, जैसा कि आप जानते है न्यायालय ने उन्हें कहा कि वे जांच बन्द नहीं करेंगे, न्यायालय को जानकारी देते रहेंगे, उन्हें जारी रखनी है और जांच बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इसलिए मैं नम्रतापूर्वक सुझाव देता हूं कि इस सभा के नेता माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध लगाए गए अरोपों पर अभी भी जांच की जा रही है। अन्त में परिणाम क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता। यदि उन मामलों की अभी भी जांच की जा रही है तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कि यह एक व्यक्ति की संसदीय निष्ठा के पूणत: विरुद्ध होगा विशेषकर इस तथ्य कि वह व्यक्ति जिसने सरकार में उच्चतम पद धारण किया हो, [illegible] के कारण अपने पद पर बना रहे। यह विश्व के किसी भी [illegible] लोकतंत्र की आधार शिला में नहीं है। महोदय, हमें इस [illegible] कि [illegible] की संसद की परम्परा का अनुपालन करते है। लेकिन आप [illegible] जानते हैं कि दक्षिणी मामले ऐसे देखे जा सकते हैं जिनमें किसी मंत्री पर मामूली सा शक होने पर वे अपने पद से इस्तीफा देने में संकोच नहीं करते है और जांच का कार्य निष्पक्ष रुप से चलने देते हैं ताकि कोई भी उन पर जांच के पक्षपात पूर्ण होने का आरोप न लगा सके। लेकिन, यहां कोई भी कुछ भी नहीं कहता, कोई भी अपने पद से हटना नहीं चाहता।

मैं समझता हूं कि इस बात से प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ेगा यदि वे कहते कि 'ठीक है, मेरे विचार में यह आरोप पूर्णत: गलत है' जैसा कि उन्होंने इस नोट में मुझे कहा है- "लेकिन चूंकि सभी लोग मेरे विरुद्ध चिल्ला रहे है और क्योंकि जांच का कार्य बन्द नहीं हुआ है इसलिए मैं किसी भी तरह जांच का कार्य बिगड़ना नहीं चाहता अथवा न ही यह चाहता हूं कि मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जाए कि पक्षपात पूर्ण जांच की गई है, इसलिए मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं।" मैं नहीं समझता कि इससे हमें कोई नुकसान पहुंचेगा। इससे उनका बड़प्पन बढ़ेगा और उनका सम्मान बढ़ेगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या आप समझते है कि वे ऐसा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं आपकी तरह बड़ा क्रांतिकारी नहीं हूं। (व्यवधान) मैं सहमत हूं। मैं काफी अलग बात कहना चाहता हूं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और श्री वाजपेयी के प्रस्ताव के संबंध में मेरी आपत्ति यह है कि उसमें तथ्य नहीं है। उसमें केवल यह कहा गया है कि हम इन आरोपों का जवाब देने में सरकार की असफलता पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते है। यह सही है। हम भी असन्तुष्ट है। लेकिन चूंकि इन आरोपों तथा उसकी जांच के प्रति सरकार के रवैये को देखते हुए उनके प्रस्ताव में स्पष्ट रुप से यह कहा जाना चाहिए कि उन्हें अपना पद छोड़ने अथवा इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए मैं ऐसे प्रस्ताव को समर्थन देने की स्थिति में नहीं हूं। इस प्रस्ताव में स्पष्ट रुप से सभा के माननीय नेता का इस मामले में शामिल होने पर जोर देने और उन्हें इस्तीफा देने पर बाध्य करने की बात कही गई है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता जी चाहते तो मेरे मोशन में अमेण्डमेंट ला सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम लाये हैं, दिया है हमने।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने इसलिए रास्ता छोड़ा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने अमेण्डमेंट दिया है। वह अमेण्डमेंट यहां दफ्तर कबूल कर रहा है या नहीं,यह मुझे मालूम नहीं है। हम 5-6 लोगों ने मिलकर अमेण्डमेंट दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कब दिया है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह आपके प्रस्ताव के अंत में हमने यह कहा है, "वह जोड़ दीजिये।"

[अनुवाद]

इसलिए, हम यह मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना

चाहिए (व्यवधान) [हिन्दी] अब वह आपको स्वीकार है या नहीं, यह आप जानिये। [अनुवाद] इस प्रस्ताव की अस्वीकार्यता का कोई प्रश्न नहीं है और न ही होना चाहिए। यह एक नाजुक मामला बन जाता है जिससे प्रधानमंत्री कार्यालय की पूरी स्थिति तथा भविष्य संबंध रखता है और इस तरह से इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए, मुझे खेद है, हम चिन्तित हैं, हम यह महसूस कर रहे हैं कि मामले पर विचार किया जाना चाहिए और इन सभी मुद्दों की आगे पुष्टि की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए और फिर पुष्टि की जानी चाहिए। वह कौन करेगा? हमारे पास वह साधन उपलब्ध है जो यह कार्य कर सकता है और वह है विशेषाधिकार समिति। हम जिसके लिए कह रहे हैं वह अन्त: यह है कि यह विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए। उन्हें रोच साक्ष्य लेने दें, उनको पूरे मामले की जांच करने दें, उनको गहन जांच करने दें और रिपोर्ट के साथ हमारे समक्ष आने दें। हम यही कह रहे हैं।

निश्चय ही, बहुत सम्मान के साथ सभी की राय तथा इच्छा यह है कि आपसे अन्तिम निर्णय दें। आखिर आप अभिरक्षक से अधिक एक व्यक्ति है- लेकिन मैं समझता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा तरीका क्यों नहीं अपना रहे है? इतना जटिल तरीका क्यों?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सीधा रास्ता क्या है? (व्यवधान) सीधा रास्ता है अविश्वास प्रस्ताव। हम वह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भी तैयार हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कह रहा हूं। अन्यथा आप यह कहेंगे कि मैंने आपको ऐसा करने के लिए उकसायी है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह हाल की घटना होगी। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रस्ताव की यही मांग है। (व्यवधान) इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि अमुक व्युक्ति को फांसी दे देनी चाहिए अथवा अमुक व्यक्ति को जेल में बन्द कर देना चाहिए। हम ऐसा भी नहीं कर सकते है। इसमें केवल इस मामले को उपयुक्त, गहन तथा व्यापक जांच के लिए कहा गया है और फिर सभा को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसा किया जाना चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट होनी ही चाहिए। स्थिति काफी अस्पष्ट है। कोई नहीं जानता। काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): आप राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण की बात कर रहे है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं राजनीतिक प्रदूषण की बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं आप इस बात से सहमत होगे कि देश में काफी राजनीतिक प्रदूषण व्याप्त है। इस सभा को इस देश को तथा इस विश्व को कहने दीजिए कि हमें इस राजनीतिक प्रदूषण पर ध्यान केन्द्रित कर दिया है, जो हम सब पर अपनी प्रभाव डाल रहा है। अब हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरम्भ करने की स्थिति स्पष्ट करने तथा यह पता लगाने के लिए कि कौन क्या है और क्या-क्या है, दृढ़ हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाएगा।

श्री उमराव सिंह : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं के संबंध में पहले की गई कुछ टिप्पणियों पर मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं।

नियम 224 में कहा गया है कि मामला हाल में ही घटित होना चाहिए। इस नियम को सम्मिलित करने पर कुछ कारण है। इसका कारण यह है कि ऐसे अवसरों से निपटने के लिए प्रक्रिया नियमों में अन्य प्रावधान भी हैं, विपक्ष जिनका सहारा ले सकता है। अत: इस नियम के अन्तर्गत एक ऐसे मामले पर जो कि हाल ही में घटित नहीं हुआ है विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना श्री अर्जुन सिंह के लिए उचित नहीं है।

हमारे समक्ष दो सूचनाएं, अर्थात नियम 184 और नियम 222 के अन्तर्गत हैं। आप नियम 184 के अन्तर्गत दोनों सूचनाओं के सार पर जाइए इसमें कहा गया है :

"कि यह सभा 'हवाला मामले से संबंधित आरोपों और कुछ संसद सदस्यों को गैर कानूनी रूप से धन देने संबंधी आरोपों का उत्तर देने में सरकार की असफलता पर असंतोष व्यक्त करती है।

अब यह एक सूचना जिस पर अब दो प्रस्तावों में अर्थात विशेषाधिकार प्रस्ताव और नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा हो रही है, का संसार है। नियम के अनुसार एक विषय पर दो प्रस्तावों में चर्चा नहीं की जा सकती है। नियम 186 (5) में यह बात स्पष्ट रूप से कहीं गई है कि "इसके अन्तर्गत विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठेगा," यदि इस मामले को नियम 186 (5) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है तो इसे नियम 222 के अन्तर्गत पुन: स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो कि विशेषाधिकार के मामलों के लिए बना है। महोदय, अत: यह नियम 186(5) के विपरीत है जो अनिवार्य है और हम इससे बाध्य भी हैं। अत: मेरे हिसाब से यह प्रस्ताव विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि इसका एक भाग नियम 186(5) के अन्तर्गत आ चुका है।

अब मैं आश्वासन के बारे में कहना चाहता हूं ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने यह बात कह दी है। आपका हस्तक्षेप वास्तव में बहुत रोमांचकारी था।

श्री उमराव सिंह : मैं आश्वासन के बारे में बात नहीं करूंगा। इसका कारण यह है कि क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि नियम के अन्तर्गत आश्वासन की अनुमति दी जाती है उसका उपाय भी है और यदि उस आश्वासन को पूरा नहीं किया जाता है तो उसका एक तरीका है।

अब यहां पर मैं अनौचित्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अब प्रधानमंत्री जी द्वारा 1993 में सभा में दिए गए वक्तव्य के बारे में मामला उठाया गया है। श्री अर्जुन सिंह जी उस समय वहीं थे। वह मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है :

"मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।" सन् 1993 में दिए गए वक्तव्य के लिए वह भी सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। उस समय वह भी मंत्रिमंडल में थे। अब वह पार्टी छोड़ कर एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिसमें वह भी शामिल थे। यदि वह इस मामले को उठाने के लिए अपने ही विरुद्ध नोटिस देते तो मुझे प्रसन्नता होती।

इसका कारण यह है कि उन्हें इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुसार नियमों के अनुसार मंत्री द्वारा किसी भी सभा के लिए वक्तव्य दिए जाने पर पूरी सरकार चाहे प्रधानमंत्री हो या राज्य मंत्री हो - उसे बाध्य है। मंत्री द्वारा दिया गया कोई भी वक्तव्य हर एक मंत्री पर लागू होता है। श्री अर्जुन सिंह जी भी उसके अन्तर्गत थे...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : क्या वह मंत्रिमंडल का निर्णय था।

श्री उमराव सिंह : यह मंत्रिमंडल का निर्णय नहीं था। किसी मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के लिए पूरा मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। मैंने यही बात कही है। श्री अर्जुन सिंह भी उसमें एक थे और वह स्वयं को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : उस समय वह ये काम नहीं देख रहे थे।.... (व्यवधान)

श्री उमराव सिंह : उस समय वह मंत्रिमण्डल के सदस्य थे।

महोदय, यह अनौचित्य का मामला है। यह अनैतिकता का मामला है। यह असंवैधानिक है, देश के इतिहास में कभी नहीं सुना गया है कि मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य ने अपने पद से त्याग-पत्र देने के बाद उस समय के कार्य से अपना पल्ला झाड़ लिया हो जब वह सरकार का एक अंग था और इस तरह का नोटिस दिया हो। महोदय, यह नितान्त रूप से (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, उनका भाषण समाप्त होने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

श्री उमराव सिंह : महोदय, यह नोटिस स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसे एक वैध नोटिस के बतौर स्वीकार नहीं किया जा सकता है और मैं सम्प्रेषित हूँ कि इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह सारा मामला इस स्तर तक आएगा। मैं अपमान और रोष और चिन्ता जनित भावना की उम्मीद कर रहा था और वह असहयोग की भावना सभा के नेता या सरकार की ओर से बोल सकने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्त नहीं की जा रही है।...(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह (सिहोर) : इस सभा का नेता कौन है? वह कहां है? (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : हमें मालूम नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा सीधे की जा रही निन्दा का संबंध है वह चिन्ता की बात है, मैं केवल वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि इस गहमागहमी में उन्हें इसका ज्ञान न हो। ये निर्णय मंत्रिमण्डल ने नहीं लिए थे। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि उस अवधि के रिकार्ड, सार्वजनिक रिकार्ड, निजी रिकार्ड से ही सच्चाई का पता चलेगा कि मैंने इस पूरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मैंने यहां तक भी कहा था कि कांग्रेस कार्यकारिणी में चर्चा और परामर्श किए बगैर ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए। यह सब सार्वजनिक रिकार्ड का भाग है। अब मैं और क्या कर सकता हूँ ?

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी विपक्षी दल चुनावों से ठीक पहले विशेषाधिकार हनन के इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए एक साथ मिल गए हैं। अतः मुख्य उद्देश्य इस मुद्दे को इस तरह से उठाकर प्रधान मंत्री और कांग्रेस को बदनाम करना है जिससे इस दल और उसके नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा सकें। महोदय, अब यह देखने के बाद कि यह प्रस्ताव नियमों के अनुकूल नहीं है, सभी नेता कह रहे हैं कि नियमों को छोड़ो। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री शरद दिघे : वे यह कह रहे हैं कि यह एक व्यापक मुद्दा है, अतः हर कहीं इसकी व्यापक व्याख्या की जाए या किसी तरह से इस प्रस्ताव का समर्थन किया जाए या इसे पारित किया जाए।

महोदय, अब मेरा नम्र निवेदन है कि विशेषाधिकार कार्यवाहियों का हनन आपराधिक कार्यवाही है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब यह एक आपराधिक कार्यवाही जैसा है तो सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अर्द्ध (व्यवधान)

श्री शरद दिघे : अर्द्ध क्या, यह आपराधिक कार्यवाही है क्योंकि आप इस मामले में न्यायालय हैं और उस व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं। आप फौजदारी न्यायालय हैं और यदि ऐसा पाया जाता है कि उसने विशेषाधिकार का हनन किया है तो उसे जेल जाना पड़ता है। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि यह दृष्टिकोण हमेशा रहता है। जहां तक विशेषाधिकार के हनन का संबंध है, सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यदि कोई ऐसी बात है जो उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है तो उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए। अतः अब उस दृष्टिकोण से केवल तीन बातों पर चर्चा की जा रही है जो इस प्रकार है :-

पहली बात यह है कि क्या ये हाल की घटनाएं हैं। अब उस बात पर स्पष्टीकरण यह है कि यद्यपि यह घटना 1993 में हुई थी, उन्हें अब पता चला है और प्रमाण अब उपलब्ध है। अतः अब हम प्रमाण मिलने और घटना घटित होने में ही उलझकर रह गए हैं। उनके अनुसार कथित घटना सन् 1993 में घटित हुई थी अर्थात धन देने या मतदान करने के लिए अनुचित प्रभाव डालने की बात 1993 में हुई थी। यदि यह बात सन् 1993 में हुई थी तो हो सकता है कि आपको इसका अब पता चला हो या अब आपको कोई ठोस प्रमाण मिले हों। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे तीन वर्ष बाद उठा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि ऐसी बात है।

कुछ माननीय सदस्य : समय सीमा के बारे में आपका क्या कहना है?

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है।

श्री शरद दिघे : यही तो मैंने कहा था कि यदि यह आपराधिक कार्यवाही है तो हर दिन का महत्व है।

श्री रोषनाद्दीश्वर राव वाडडे (विजयवाड़ा) : यह आने वाले समय के लिए है।

श्री राम नाईक : क्या आप मुझे दो मिनट देंगे? चुप रह सकते हैं? किसी की तीन साल पहले हत्या हो गई होगी और अभी पता चला तो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे?

श्री शरद दिघे : कौल और शकधर की पुस्तक जिसका पहले उल्लेख किया गया है, के पृष्ठ 263 पर यह लिखा हुआ है कि एक दिन का विलंब भी घातक हो सकता है।

श्री राम नाईक : हमारे नेता इस बात पर आएंगे।

श्री शरद दिघे : यदि एक दिन का भी विलंब हो गया है तो अध्यक्ष महोदय आपकी सहमति देने से इन्कार कर सकते हैं। अब जो अध्यक्ष महोदय कर सकते हैं वह यह सभा भी कर सकती है। अत: इस दृष्टि से हम सहजता से यह नहीं कह सकते हैं कि क्या यह घटना हाल ही में घटित हुई है या नहीं। अत: जो मैंने कहा है उस आधार पर यह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव टिक नहीं सकता है क्योंकि इसे तीन साल के बाद लाया गया है।

कुछ माननीय सदस्य : यह एक बहुत अच्छा तर्क है।

श्री शरद दिघे : यदि यह एक बहुत अच्छा तर्क है तो कृपया इसे मानिए और तदनुसार मतदान कीजिए।

श्री राम नाईक : आप एक मिनट शान्त रहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, ऐसा कैसे होगा, जब हमारे लोग बोल रहे थे तो आप चाहे जैसे बोल सकते हैं और अब आपकी सुनने की ताकत नहीं है।

श्री शरद दिघे : अब आरोप के दो भाग हैं अर्थात अनुचित प्रभाव डालना और धन देना। अब जहां तक अनुचित दबाव का संबंध है श्री जसवन्त सिंह जी संसदीय प्रक्रिया पर बहुत निर्भर कर रहे हैं। इन टिप्पणियों पर विचार करते हुए भी, जो मैंने कहा है, इस सभा के सदस्यों को बुलाना और यह कहना है कि आपकी राजनीतिक मांगों को यह सरकार पूरा करेगी। मेरे हिसाब से यह अनुचित प्रभाव नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बात प्रधानमंत्री जी को कहनी चाहिए।

श्री शरद दिघे : यदि ऐसी बात है तो लोकतंत्र में कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती है। मैं आपसे एक बात पूछूंगा। महाराष्ट्र में आपको अनेक निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला। क्या आपने उनसे कतिपय वायदा नहीं किया। ..... (व्यवधान)

श्री राम नाईक : क्या मैं इस बात का जवाब दूं? पहले आपको यह बात समझनी चाहिए कि अपराधिक कार्यवाहियों में भी यदि किसी अपराध का आठ या दस वर्ष बाद पता चलता है तो उस पर कोई रोक नहीं है। अत: आपका तर्क बेमानी है। जहां तक महाराष्ट्र सरकार का संबंध है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए विधायकों ने सरकार का समर्थन किया है और उसके बदले उन्हें कुछ नहीं दिया गया है।

श्री हरिन पाठक : यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो आप उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव क्यों नहीं लाते?

श्री शरद दिघे : क्या आपने ऐसा नहीं कहा था कि आपके प्रतिनिधि को मंत्री पद दिया जाएगा? क्या आपने कतिपय निगमों के अध्यक्ष पद उन्हें नहीं दिये हैं? अत: ये राजनीतिक चीजें हैं।

श्री राम नाईक : जो आप कह रहे हैं उसमें कोई अदल-बदल वाली बात नहीं है।

श्री शरद दिघे : समर्थन ही इस शर्त पर दिया गया है कि आप हमें यह देंगे। उसके अलावा मैं सिर्फ यह कहूंगा कि यह एक नैतिक मामला है। "हम झारखण्ड विकास परिषद" देंगे बिलकुल भी अनुचित बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी किसी भी समय यह कह सकते हैं कि "आपकी पार्टी की यह मांग है, ठीक है मेरी सरकार उन मांगों को पूरा करेगी" और जहां तक लोकतंत्र के राजनीतिक कार्यवरण का संबंध है उसमें गलत क्या है? आज कल हर सरकार को समर्थन प्राप्त करना पड़ रहा है और उसके लिए आप व्यक्तिगत बातों का वायदा नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप नीति को स्वीकार करते हैं, यदि आप कतिपय नीति पर आधारित मांग को स्वीकार करते हैं तो उसमें कुछ भी गलत या "अनुचित" नहीं है। अत: यह विशेषाधिकार का हनन नहीं है।

अत: मेरा निवेदन है कि मुख्य मानदण्ड यह है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अपराधिक मामलों पर कोई प्रतिबंध है। मैं यह कह रहा था कि आपराधिक मामला होने पर नियमों का सख्ती से पालन करना होता है और यदि कोई विशेष नियम है तो आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उसे बढ़ा नहीं सकते हैं, और आप उसकी अनुपस्थित व्याख्या नहीं कर सकते हैं। मेरा तर्क यह था। यह अपराध क्षेत्राधिकार का एक मूलभूत सिद्धान्त है। अत: अब प्रश्न यह है कि जब कभी हम यह निर्णय करते है। कि विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव को सभा में उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए तो मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रथमदृष्टया मामला बनता है क्योंकि पीठासीन अधिकारियों द्वारा हमेशा यह बात लागू की जाती है। अब हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह बात हम पर छोड़ दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह सिद्ध करने के लिए किस तरह साक्ष्य चाहिए कि प्रथमदृष्टया मामला बनता है? क्या उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिए हैं? मेरे विचारानुसार यदि खण्डन नहीं किया जाता है तो मामला सिद्ध करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त है।

श्री शरद दिघे : जी, हां। यह सिद्धान्त है कि जहां कहीं ऐसा

प्रथमदृष्टया मामला निर्धारित किया गया है उसका अर्थ यह है कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उसका खण्डन नहीं किया गया है यद्यपि उसमें मामले की और जांच की जानी है। इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में इस सभा के सदस्यों ने जो कि इसमें एक पक्ष हैं इस बात से इन्कार किया है। आप जोर देकर यह कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है। यह बात कोई महत्व नहीं रखती है। तथ्य यह है कि हमने इस सभा में जिम्मेदारीपूर्ण वक्तव्य दिए हैं क्योंकि यदि कोई इस सभा में झूठा वक्तव्य देता है तो उसे विशेषाधिकार के हनन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अत: सदस्य जब भी सभा में वक्तव्य देते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ देते हैं। जब इन चार सदस्यों ने सभा में धन प्राप्त करने की बात से इन्कार कर दिया तो प्रथमदृष्टया मामला कहां बनता है? यदि संबंधित व्यक्तियों ने सभा में इस बात से इन्कार कर दिया है तो जहां तक प्रथमदृष्टया मामले का संबंध है, हम केवल आरोप के आधार पर आगे कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

अत: इन दो आधारों को, कि यह मामला हाल ही में घटित नहीं हुआ है और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, इस सभा में उठाने की अनुमति न दी जाए और इस पर इस सभा द्वारा कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : जब माननीय श्री अर्जुन सिंह ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया तब ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे इस प्रस्ताव को वह सभा में धन-संबंधी लेन-देन पर ही केन्द्रित रखेंगे। परन्तु चर्चा के दौरान ऐसा होता है कि इसका स्वरूप धन संबंधी लेन-देन से उनके प्रस्ताव में उल्लिखित अनुचित साधना की ओर अंतरित हो गया है जिसको श्री जसवन्त सिंह ने प्रलोभन शब्द विशेष रूप से सौदा शब्द को सम्मिलित करके और विस्तृत कर दिया है। अत: मैं पहले दूसरे पहलू को उठाना चाहता हूं और उसके बाद पहले पहलू पर चर्चा करूंगा।

जहां तक अनुचित साधनों, प्रलोभन या लेन-देन के दूसरे पहलू का सम्बन्ध है, पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह पहला अवसर नहीं जब कि इस सभा में इस प्रकार के आरोप लगाये जा रहे है। वस्तुत:, मेरे पास 28 जुलाई, 1993 को इस संभा की कार्यवाही का अंग्रेजी संस्करण है और जब मैं कालम 597 को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि विपक्ष के भूतपूर्व नेता जिनकी कमी अभी हमें बहुत खला रही है* श्री लालकृष्ण आडवाणी ने विशेष रूप से आरोप लगाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ एक सौदा किया गया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ शब्द कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किये जाएंगे। मैं अभी कार्यवाही वृतांत को देखूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : अंग्रेजी संस्करण में अभी कार्यवाही संस्करण में कहा गया है : "हम इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई सौदा नहीं करेंगे, अन्य लोग ऐसा कर सकते हैं।" श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सभा में यह आरोप लगाया था और प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव आज भी सभा में हमारे नेता वही है जो पहले थे हालांकि विपक्ष के नेता अभी वे नहीं जो तब थे-न तुरंत कहा : "किसी ने सौदा नहीं किया जाएगा।" दूसरे शब्दों में, इस सभा में, सौदे का यह आरोप 28 जुलाई, 1993 को लगाया गया था और ठीक उसी दिन सभा में इसका खंडन किया गया था। यदि श्री अर्जुन सिंह जुलाई, 1993 में श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा लगाये गए आरोप को उचित मानते थे और प्रधानमंत्री द्वारा इसके खंडन को अनुचित मानते थे तो मेरे विचार से उनका 29 जुलाई, 1993 को मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने इस सभा के समक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का नैतिक साहस हुआ होता, जिसे लीव में उन्हें तीन वर्ष का समय लगा है। फिर भी, 28 जुलाई,1993 का कार्यवाही-वृतांत जो हां हमारे पास है किसी गुप्त सौदे के आरोप की पुष्टि नहीं करता है।

मै यहां पर 28 जुलाई को श्री सूरज मंडल द्वारा इस सभा में दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करता हूं, जिसे कालम 573 से 575 में दिया गया है। इस बारे में, मैं निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्री सूरज मंडल ने कहा :

> "हमारी केवल एक राष्ट्रीय समस्या है और वह है झारखंड" उन्होंने आगे कहा और में इस सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे ध्यानपूर्वक श्री सूरज मंडल के शब्दों को सुनें।" ऐसा उन्होंने इस सभा में 28 जुलाई, 1993 को कहा। उन्होंने आगे कहा :
>
> "यदि माननीय प्रधानमंत्री आज हमें इस सदन में यह आश्वासन देते हैं कि झारखंड को राज्य, संघ शासित प्रदेश या स्वायतशासी जिला परिषद का दर्जा प्रदान कर देंगे तो हम सीधे उनके पक्ष में मतदान करेंगे। यदि आप अपने भाषण में ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपका विरोध करेंगे।"

उन्होंने इसे सभा में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। इस बात में कोई गोपनीयता नहीं रह गई थी कि जो समर्थन वह सरकार को देने जा रहे थे वह प्रधानमंत्री के इस आश्वासन पर कि (क) सभा में और (ख) उसी दिन झारखंड को या तो राज्य, संघ शासित प्रदेश या स्वायतशासी जिला परिषद् का दर्जा दिया जायेगा, निर्भर था। तब उन्होंने अपना भाषण यह कहते हुए समाप्त किया, मैं पुन: उद्धृत करता हूं।

> "आज झारखंड का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अत: प्रधानमंत्री को हमें आश्वासन देना चाहिए कि झारखंड की समस्या का समाधान किया जायेगा। तब ही हम उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार है।"

उन्हें सभा में इस सौदे को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वह उस अविश्वास प्रस्ताव पर उन्हें समर्थन तभी देंगे जब प्रधानमंत्री उन्हें या तो स्वायतशासी जिला परिषद् या संघशासित प्रदेश या राज्य का दर्जा देने का आश्वासन देंगे। इस बीच, प्रधानमंत्री ने सभा में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। इस तथ्य के बावजूद कि श्री सूरज मंडल ने हमारी सरकार

---

* आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

को अपना सशर्त समर्थन दिया था परन्तु प्रधानमंत्री ने सभा में उनकी शर्तों को मानने से इंकार कर दिया था। मैं उस दिन के वाद-विवाद की कार्यवाही से कालम 594 को अद्धृत करना चाहता हूँ जिसमें प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने कहा है :

"तीन या चार मामले हैं, जो बातें मुझे बहुत थोड़े शब्दों में कहनी थीं और मैंने कह दी है"।

उस समय सभा में व्यवधान हुआ जिसके कारण कोई रिकार्डिंग नहीं हो पाई झारखंड के हमारे मित्र ने कहा और तत्पश्चात उन्होंने अपनी बात जारी रखी।

"यह स्थानीय आकांक्षाओं में से एक है जिसे भारतीय राज्य व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। यह कोई नई बात नहीं है।"

कृपया नोट करें 'यह कोई नई बात नहीं है' जो 28 जुलाई, 1993 को सामने आई हर जगह आन्दोलन हुए हैं, इन मामलों के कारण कुछ व्यक्तियों की जानें गईं। और तत्पश्चात् उन मामलों का निपटारा हो गया। इन आंदोलनों के कारण काफी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी। यहां पर शरद यादव बीच में बोले और कहा, "कृपया उत्तरांचल के बारे में भी बोले"। इसके बाद और व्यवधान हुए और श्री पी.वी. नरसिंह राव ने अपना निम्नलिखित भाषण जारी रखा।

"क्योंकि यह मामला उठाया गया है, इसलिए मैं केवल इसी का उत्तर दे रहा हूँ।"

दूसरे शब्दों में, पी.वी. नरसिंह राव जी सूरज मंडल जी द्वारा सभा में उठाये गये मामले का उत्तर दे रहे थे और कहा :

"हमारे ससामने बोडो समस्या थी हमने इसका समाधान किया। असम में हमारे सामने कारबी-आंगलौंग समस्या थी, हमने इसका समाधान किया। दार्जिलिंग में समस्या थी, हमने उसका समाधान किया।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "इसलिए इसमें कोई अर्थ नहीं है कि हमने इसे दबाए रखा। इससे कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए, हमने कतिपय उपाय किए हैं। उनका फल अभी मिला नहीं है। मुझे मालूम है कई कारणों से उनका फल प्राप्त नहीं हो पाया है। जब यह कहा जाता है कि दोनों दल-बिहार में विपक्ष के नेता और बिहार के मुख्य मंत्री इस भोग के खिलाफ एकजुट हैं तो यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मामले दलगत राजनीति से उपर हैं। यही कारण है कि केन्द्र सरकार को इन मामलों से निपटने में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि हमारी जल्दबाजी के कारण समस्या और गंभीर न हो जाये।"

उन्होंने वह आश्वासन देने से मना कर दिया था जिसकी श्री सूरज मंडल ने मांग की थी। जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी के इन मामलों पर सभाओं में बोलने के पश्चात श्री सूरज मंडल खड़े हो जाते हैं और उनके भाषण में व्यवधान पहुंचाते हैं। वाद-विवाद के कालम 596 में श्री सूरज मंडल ने जो कहा उसे सम्मिलित किया गया है, यह रिकार्ड किया गया है- "बिहार सरकार ने आज विधेयक को नामंजूर कर दिया है।" इसी विधेयक का प्रधनमंत्री ने उल्लेख किया था। मुख्य मंत्री ने भी मना कर दिया है, उसके बाद सरकार क्या करने जा रही है? कृपया हमें बतायें प्रधानमंत्री ने उसे बताने से इन्कार कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सौदा कहां हुआ है। स्पष्टतः, इस मामले के बारे में 7 रेसकोर्स रोड या अन्यत्र कहीं वार्तालाप हुआ है। तत्पश्चात्, सूरज मंडल अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान इस सभा में आते हैं, इस बात को पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि कोई भी समर्थन सरकार को इस शर्त पर दिया जायेगा जब प्रधानमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांगों का सकारात्मक उत्तर देंगे और प्रधानमंत्री जिनकी सरकार का असतित्व दांव पर लगा हुआ है, ऐसी संकट की घड़ी में श्री सूरज मंडल को किसी भी प्रकार का आश्वासन देने से इन्कार कर देते हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए बार-बार कहा गया। उन पर सौदा करने का आरोप भी लगाया गया। उन्होंने केवल यही नहीं कहा कि उन्होंने कोई सौदा नहीं किया है अपितु सभा में मतदान के अवसर पर ही इस बात को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया कि सौदे की अफवाहें चल भी रही हों लेकिन जहां तक उनका सम्बन्ध है, उन्होंने कोई सौदा नहीं किया और इसलिए श्री सूरज मंण्डल को कोई उत्तर नहीं दिया। यह अलग बात है कि यह आश्वासन न मिलने के बावजूद श्री सूरज मंण्डल और उनके साथियों ने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। यह एसा मामला है जिसे स्वयं श्री सूरज मंण्डल को देखना है।

श्री हरिन पाठक : अन्य आश्वासन बैंकों में पूरे किये गये (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : लेकिन श्री सूरज मंण्डल के अविश्वास प्रस्ताव में हसतक्षेपों और अहस्तक्षेप को ध्यानपूर्वक देखने से आसानी से यह देखा जा सकता है कि किस कारण, आश्वासन न दिए जाने के बावजूद, उन्होंने इस सम्बन्ध में विपक्ष को समर्थन देने से इन्कार कर दिया। इसे उन्होनें अपने भाषणों के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें उन लोगों में कोई विश्वास नहीं रह गया है जिनके साथ वे इस संसद में वापस आने के लिए शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि जनता दल द्वारा और बिहार के जनता दल के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग पूरी की जायेगी और उनके अपने दल के सदस्यों के और राज्य के मुख्यमंत्री के व्यवहार से असंतुष्ट होने के कारण श्री सूरज मंण्डल और उनके साथियों ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल इस बारे में कुछ करने वाले नहीं हैं और यदि कोई उनकी मांगों को पूरा करने की स्थिति में है तो वह कांग्रेस का सत्ता पक्ष है जिन्होंने इसी प्रकार की समस्याओं जो देश में कहीं भी पैदा हुई, का समाधान किया था। अपने हस्तक्षेप में प्रधानमंत्री ने उन सभी समस्याओं का उल्लेख किया था।

तीन वर्ष से इसका रिकार्ड स्पष्ट रूप से हमारे सामने था कि सौदे

का आरोप लगाया गया था, उस आरोप का खंण्डन किया गया था और उसका खंण्डन करने के बाद इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि राष्ट्रीय मोर्चा के एक घटक को राष्ट्रीय मोर्चे में कोई विश्वास नहीं रह गया था, उस समय यह सदन ही में घटित नहीं हुआ था और विशेषाधिकार के किसी प्रकार के हनन का प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता था। लेकिन उस समय ऐसा नहीं किया गया, उन्होंने सीधे-सीधे इंकार किया। प्रलोभन और सौदे के बारे में पूरे का पूरा अंडरटेक अनुबोध की बात है क्योंकि 27 फरवरी, 1996 को श्री अर्जुन सिंह को वस्तुतः जिस बात ने उकसाया था वह धन-संबंधी स्वरूप का लेन-देन था जिसका उल्लेख उन्होंने अपने हस्तक्षेप में किया।

महोदय, लेकिन उस विषय पर आने से पहले, मैं इस सभा को स्मरण कराना अपना लाजिमी कर्तव्य समझता हूँ कि हम किस बारे में बोल रहे हैं। हम उस उच्च नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी श्री इन्द्रजीत गुप्त पिछले तीस वर्षों से बातें करते रहे हैं हम विशेषाधिकार हनन के बारे में बोल रहे हैं। विशेषाधिकार क्या है? कौल और शकधर के अनुसार- मैं पृष्ठ 187 का उल्लेख करता हूँ क्योंकि उसमें संसद के विशेषाधिकार के सिद्धान्त में क्या सम्मिलित है, की परिभाषा दी गई है। वह निम्नवत है :

> "सामान्य सिद्धान्त यह है कि संसद के विशेषाधिकार सदस्यों को इसलिए दिए जाते हैं कि वे संसद में बिना किसी बाधा या रोक के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।"

महोदय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो कहते हैं कि जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सम्बन्ध है उनकी केवल एक राष्ट्रीय समस्या है वह है झारखंड का दर्जा या संघ शासित प्रदेश का दर्जा या कम से कम स्वायत्तशासी विकास परिषद का दर्जा दिया जाना। बिना किसी हस्तक्षेप या बाधा के वह सरकार से मांग करते हैं कि उनकी मांगें को स्वीकार किया जाये अन्यथा कोई समर्थन नहीं दिया जायेगा। इन परिस्थितियों में कौन यह दावा कर सकता है कि कोई व्यक्ति उन्हें संसद के चुने गये सदस्य के रूप में कार्य करने से रोक रहा था? किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया और किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई, श्री अर्जुन सिंह द्वारा उठाये गये वास्तविक मुद्दों पर चर्चा शुरू करने से पूर्व जो इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि स्थापित करें कि कौल और शकधर की किताब के पृष्ठ 187 में दी गई विशेषाधिकार की परिभाषा के अनुसार संसद के किसी सदस्य के कार्य करने के रास्ते में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या बाधा पहुंचाई गई है।

महोदय, तत्पश्चात् दूसरी बात मेरे विचार से जिसकी ओर इस प्रस्ताव के प्रस्तावक और समर्थकों को ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि अनुचित साधनों की परिभाषा क्या है। इन शब्दों का प्रयोग श्री अर्जुन सिंह ने अपने प्रस्ताव में किया है। अनुचित साधनों के प्रश्न का कौल और शकधर ने संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार के पृष्ठ 256 और 257 में विस्तार से वर्णन किया है। खंड का शीर्षक है "सदस्यों के संसदीय आचरण पर अनुचित साधनों से प्रभाव डालने की चेष्टायें।" यह स्पष्ट है कि श्री अर्जुन सिंह के प्रस्ताव में अनुचित साधनों का उल्लेख यही है क्योंकि कौल और शकधर की किताब के खंड के शीर्षक में पृष्ठ 254 में दिया गया है। पृष्ठ 256 में यह खंड दो खंडों में विभाजित किया गया है "अनुचित साधन" जिसका संकेत (क) घूस की तरफ हो सकती है। यहां यह स्पष्ट दिया गया है कि घूस अनुचित साधन है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन इसमें (क) नहीं दिया गया है।

श्री मणि शंकर अय्यर : नहीं, नहीं, यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि "अनुचित साधनों द्वारा चेष्टायें" केन्द्रीय शीर्षक है और घूस वाले खंड की तरफ दिया गया है और अगला शीर्ष है "सदस्यों को डराने की चेष्टा।"

महोदय, यहां "अनुचित साधन" को सावधानी पूर्वक परिभाषित किया गया है। जिसमें दो प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है पहला है घूस और दूसरा है डराने की चेष्टा अब, जहां तक मेरी जानकारी है श्री सूरज मंण्डल को सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए डराने धमकाने का कोई आरोप नहीं है, हालांकि मुझे संदेह है कि कदाचित श्री महतो को बयान देने के लिए जो उन्होंने सभा के बाहर दिया था डराया-धमकाया गया था। लेकिन हम यहां पर डराने की चेष्टा के प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहे है। हम यहां घूस के प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। घूस का प्रश्न धन-संबंधी लेन-देन के घटक से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है जिसका उल्लेख श्री अर्जुन सिंह ने किया है। मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कौल और शकधर ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया गया है कि आपकी खुली राजनीतिक मांगों को प्राप्त करने के अर्थ अनुचित साधन के अन्तर्गत आता है। यदि इसका यह अर्थ हुआ होता तो कोई कारण नहीं था कि कौल और शकधर ने सदस्यों को घूस और डराने की चेष्टा के अतिरिक्त तीसरा उपखंड जोड़ा होता। परिणामस्वरूप, श्री अर्जुन सिंह द्वारा प्रयोग किए गए शब्द "अनुचित साधन" की व्याख्या जो कि श्री जसवन्त सिंह ने चालाकी से करने की कोशिश की है, के रूप में कर सकते हैं कि अनुचित साधन में प्रलोभन और लेन-देन सम्मिलित है। कौल और शकधर में जो दिया गया है उससे श्री जसवन्त सिंह की व्याख्या से सहमत नहीं हुआ जा सकता। कौल और शकधर में न तो प्रलोभन और न ही लेन-देन का कोई उल्लेख हुआ है। वस्तुतः किसी प्रकार का भी ऐसा सुझाव नहीं है कि राजनीतिक दल अपना राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उद्देश्यों के बारे में सभी जानते हैं। इस बारे में कोई विवाद है ही नहीं। तीसरा, घूस के प्रश्न पर मैं सभा का ध्यान कौल और शकधर के पृष्ठ 261 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है कि :

> "यदि कोई सदस्य या मंत्री सभा में कोई ऐसा वक्तव्य देता है जो किसी अन्य सदस्य के विचार में असत्य, अपूर्ण या गलत है तो वह विशेषाधिकार का अंग नहीं है।"

अब यहां स्पष्ट है कि श्री अर्जुन सिंह और उनके समर्थक श्री सूरज मंडल ने सभा में जो कहा है , उस पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका इस पर विश्वास न करने के लिए स्वागत है। लेकिन यदि श्री अर्जुन सिंह फिर भी यह विश्वास करते हैं कि श्री सूरज मंडल ने सभा में जो कहा अपूर्ण या असत्य या गलत है तो मुझे डर है कि विशेषाधिकार हनन को प्रस्ताव स्वीकार करने का कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है। कौल और शकधर में उसी पैरा में कहा गया है कि :

> "विशेषाधिकार भंग तभी होता है जबकि कोई सदस्य या मंत्री कोई गलत या असत्य वक्तव्य जानबूझ कर, सोच समझ कर और यह जानते हुए देता है कि वह गलत या असत्य है।"

अब श्री अर्जुन सिंह को यह कहकर कि 'हमें इसकी जांच करनी चाहिए', धन-संबंधी लेने के प्रश्न से बचना नहीं चाहिए। वह कौल और शकधर के अनुसार सभा में यह स्थापित करने के लिए बाध्य है कि जो वह विश्वास करते हैं कि श्री सूरज मंडल का वक्तव्य गलत था-(क) जानबूझ कर गलत, (ख) सोच समझकर गलत और (ग) यह जानते हुए भी कि वह गलत था। उपरोक्त तीन बातें उन्हें स्थापित करनी होंगी। सभी तीनों आधारों पर, मुझे डर है कि श्री अर्जुन सिंह की बाक पटुता नाकामयाब हो गई है। हमें उनकी बातों से इस बारे में कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि 28 फरवरी को सभा में दिया गया श्री सूरज मंडल का वक्तव्य जानबूझ कर, सोच समझ कर और यह जानते हुए भी कि वह गलत था, सभा को गुमराह करने के लिए था मुझे यह भरोसा करने का पूरा हक है कि जानबूझ कर, सोच समझकर श्री सूरज मंडल ने हमें इस सत्यता के बारे में जानकारी दी यह मेरा विश्वास है। श्री अर्जुन सिंह का विश्वास भिन्न है। उनके विचार से यह जानबूझ कर, सोच समझ कर किया गया है। लेकिन उनके लिए केवल ऐसा सोचना पर्याप्त नहीं है। उन्हें इसे प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध करने के लिए इस सभा में स्थापित करना होगा। अब महोदय, आपने बहुत सही कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की है कि यदि जो तथ्य बताये गये हैं उनका विश्वसनीय ढंग से खंडन नहीं किया जाते है तो प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध होता है।

महोदय, इस सभा में 28 जुलाई, 1993 को हुए कथित सौदे के बारे में जो आरोप लगाये गये हैं, वे निश्चित रूप से नये आरोप नहीं है। तभी से इनके विषय में समाचार-पत्रों में व्यापक रूप से बार-बार उल्लेख किया जाता है। इन आरोपों का भारतीय जनता पार्टी तथा उसके नये रंगरूट, श्री महतो ने माह फरवरी के दौरान में अचानक व्यापक रूप से प्रचार किया था। इन आरोपों को इस सभा के ध्यान में भी लाया गया था। इन पर नियम 184 के अंतर्गत बहस हो रही है। वास्तव में, इनका हमारे दिमाग पर इतना दबाव था कि किसी को यह भी विदित नहीं था कि श्री इन्द्रजीत गुप्त उस प्रस्ताव पर बोल रहे थे, क्योंकि वह उसी प्रस्ताव पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे थे। इस हद तक, हम सभी को विदित है कि यह मुद्दा पिछले तीन वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है। तथा गत तीन वर्षों से ही लगातार इसका खंडन किया जाता रहा है तथा हाल ही में कुछ समय पूर्व इसका अत्यंत नाटकीय तरीके से खण्डन किया गया है। जिस दिन भी अर्जुन सिंह ने अपना प्रस्ताव पेश किया था, उसी दिन उन्होंने यह सोचा था कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में भी महतो के जिस कथन का उल्लेख किया है, उसकी श्री महतो इस सभा-पटल पर अपना वक्तव्य देकर पुष्टि कर सकते हैं। यह उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि यह स्थिति बदल गई तथा श्री महतो ने हमारे पास आकर हमें बताया कि उन्हें इस सभा-पटल से बाहर यह वक्तव्य देने के लिए लिए धमकाया गया है। अब, श्री महतो और श्री मंडल दोनों ने ही इस सभा-पटल पर यह सुस्पष्ट किया है कि उन्हें प्रधानमंत्री से कोई पैसा नहीं मिला है तथा उन्होंने यह शिकायत की है कि जो सौदा करने के बारे में लोगों ने सोचा था, वास्तव में वह सौदा कभी नहीं किया गया। महोदय, इस स्थिति की विडम्बना यह है कि श्री सूरज मंडल के सामने ही मुझे नियम 184 के अधीन उस प्रस्ताव पर बोलने के लिए कहा गया था, जिसे कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पेश किया था। अपने उसी भाषण में प्रधानमंत्री की उपस्थिति का फायदा उठाते हुए मैंने ही यह शिकायत की थी कि जे.एम.एम. की मांगे न्यायोचित है, कृपया इन्हें लागू कीजिये। मैं ही यह कह रहा हूँ कि इन मांगों को कार्यान्वित किया जाये क्योंकि मेरा यह मानना है कि जे.एम.एम. की मांगें न्यायोचित हैं। अब, ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार इन मांगों को न्यायोचित न मानती हो, लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि तीन वर्ष बाद प्रधानमंत्री इस संबंध में कोई आश्वासन देने में असमर्थ हैं तथा तीन वर्षों तक शायद गुप्त रूप से दिये गये अथवा न दिये गये किसी आश्वासन को लागू न करना इस बात का द्योतक हो कि कोई सौदा हुआ था अथवा नहीं? यह कहने का कोई आधार नहीं है कि ऐसा सौदा हुआ था।

जहां तक श्री अर्जुन सिंह द्वारा उल्लिखित धन संबंधी किसी लेन-देन का संबंध है, उनका यह कहना बिल्कुल सही है कि उन आरोपों की दो अलग-अलग एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री अर्जुन सिंह ने कहा ही है कि इन आरोपों की उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशों पर किसी एजेन्सी द्वारा जांच की जा रही है, अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा उन आरोपों की जांच न किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि दूसरे माननीय सदस्य, श्री अर्जुन सिंह ने स्वयं ही यह कहा है कि आयकर विभाग वित्त मंत्री महोदय के निर्देशों पर इन आरोपों की जांच का कार्य कर रहा है, अतः यह मानने का कोई आधार ही नहीं है कि इन आरोपों की जांच नहीं की जा रही है अथवा सरकार किसी भी तरीके से इस जांच कार्य को पूरा होने में रोक लगाने की कोशिश कर रही है। किसी भी स्थिति में, यह मामला उच्चतम न्यायालय की पकड़ में है। जब उच्चतम न्यायालय को इस मामले की जानकारी है, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि कौल एवं शकधर की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 948 पर यह बिल्कुल सुस्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ऐसी

स्थिति में न्यायाधीन होने का नियम लागू नहीं होता है। मैं यह भी मानता हूँ कि यह सभा इस मामले पर चर्चा कर सकती है क्योंकि इस पर न्यायाधीन होने का नियम लागू नही होगा। लेकिन, न्यायाधीन होने का नियम लागू न होते हुए भी इस मामले में न्यायाधीन होने के तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती। न्यायाधीन होने का नियम लागू न होते हुए भी, यह मामला न्यायाधीन है। न्यायाधीन का क्या अर्थ है? महोदय, आप के एक माननीय पूर्वाधिकारी ने 9 मई, 1968 को एक विनिर्णय दिया था, जो कि कौल एवं शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 947 पर उल्लिखित है तथा उसमें जो कहा गया है, मैं उसे उधृत करता हूँ :

> "मेरे विचार से न्यायाधीन होने का परीक्षण ऐसे होना चाहिये कि सभा में जिस मुद्दे को उठाये जाने की मांग की गई हो, उसकी वास्तविकता न्यायालय द्वारा जिस मुकदमें पर फैसला सुनाया जाना हो उससे मेल खाती हो।"

न्यायाधीन क्या होता है, इसकी पीठासीन अधिकारी ने सुस्पष्ट परिभाषा दी है। इस मामले में यह परीक्षण पूर्ण रूप से किया गया है। श्री अर्जुन सिंह जी यह चाहते हैं कि धन सम्बन्धी लेन-देनों से संबंधित आरोपों की जांच समुचित प्राधिकरणों द्वारा करवाई जाये। संक्षिप्त रूप से यह जांच एक ऐसी जांच है, जो कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका दोनों के द्वारा की जाती है-न्यायपालिका द्वारा जांच का अर्थ है, उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी जांच आदेश तथा कार्यपालिका द्वारा जांच का तात्पर्य है, आयकर विभाग द्वारा की जा रही जांच।

इसके परिप्रेक्ष्य में, हमें अपना ध्यान नियम 224 के उप-पैरा (तीन) की ओर केन्द्रित करना पड़ेगा। नियम 224 के उप-पैरा (तीन) में यह कहा गया है कि 'यदि किसी मामले में सभा हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता हो तो-विशेषाधिकार के हनन की स्वीकृत दी जा सकती है।

अब, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से यह पूछता हूँ कि यदि उच्चतम न्यायालय अर्थात् न्यायपालिका तथा कार्यपालिका एक ही मामले की जांच कर रहीं है, तो इस सभा द्वारा बिल्कुल उसी मामले पर तीसरी बार जांच किये जाने की क्या जरूरत है? यदि न्यायपालिका सक्रिय न होती यदि हम न्यायिक निष्क्रियतावाद के दौर से गुजर रहे होते तथा यदि कार्यपालिका जांच कार्य रोकने की कोशिश कर रही होती तो मैं श्री अर्जुन सिंह जी द्वारा इस सभा में आकर यह कहने की सराहना करता हूँ कि "हम न्यायपालिका पर भरोसा नहीं कर सकते। हम कार्यपालिका पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस सभा को स्वयंमेव जांचकार्य करना चाहिये।" लेकिन यह इस विषय के तथ्यों के अनुरूप नहीं है। न्यायालय को पहले से ही इस मुद्दे की जानकारी है। कार्यपालिका को पहले से ही इस मामले की जानकारी है। यह सभा सी.बी.आई. जो कि उच्चतम न्यायालय, आयकर विभाग तथा भारत सरकार के निर्देशों पर काम कर रही है की सहायता के बिना इस मामले की जांच नहीं कर सकती। हम अपने आप इस मामले की जांच नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा था? ऐसा स्वयं श्री अर्जुन सिंह जी ने कहा था। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे दस्तावेज पेश कर सकता हूँ कि किसी के खाते में कुछ धनराशि जमा की गई है। लेकिन मैं इसकी जांच नहीं कर सकता। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह पैसा कहां से आया है तथा क्यों आया है एवं इसे किस प्रयोजन हेतु खर्च किया गया है।" उनका यह कहना बिल्कुल सही है। यह सभी कुछ जानने के लिए, हमें सी.बी.आई. एवं आयकर विभाग दोनों ही की सहायता की जरूरत है। इन दोनों संगठनों जो कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की सेवा करने में व्यस्त है-को इस सभा की सहायता करने का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने की जरूरत है तथा इन्हीं दो एजेंसियों-जो कि भारत की उच्चतम न्यायालय जैसी शीर्षतम प्रतिष्ठित निकायों और मैं तो यह भी कहूँगा कि भारत सरकार के लिए भी जांच कार्य कर रही हैं-को वहीं जांच कार्य करने के लिए कहे जाने की जरूरत है।

इन परिस्थितियों में, मुझे ऐसा कोई आधार दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से श्री अर्जुन सिंह द्वारा इस सभा के समक्ष रखे गये प्रस्ताव को स्वीकार करने में यह पूरे का पूरा दिन लगाना पड़ा। यदि श्री अर्जुन सिंह जी चाहते, तो वह यह मुद्दा इस सभा के समक्ष उस समय भी ला सकते थे, जब उन्हें सूरजकुण्ड में समर्थन देने वाले उनके साथियों सहित पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन, उस समय उन्होंने सरकार का ही एक अंग बने रहना उचित समझा था। जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, तब भी उन्होंने सरकार में बने रहा ही उचित समझा। उस समय जब हमने यह सोचा था कि शायद मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा के चुनावों के परिणाम प्रतिकूल होंगे, तब भी उन्होंने सरकार में ही बने रहना सही समझा।

मेरा यह निवेदन है कि इस सभा के समक्ष जो प्रस्ताव रखा गया है, उसके पीछे दुर्भाग्यपूर्ण राजनैतिक मंशा है। श्री अर्जुन सिंह को जुलाई, 1993 में जो आरोप लगाये जा रहे थे, उन सभी की जानकारी थी। यदि उनमें साहस एवं सत्यनिष्ठा की भावना होती-जैसा कि मैं उनमें प्रतिकूल साक्ष्य के होते हुए अभी भी मानता हूँ-तो उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये था। उन्हें दिसम्बर, 1992 में ही अपने पद से इस्तिफा दे देना चाहिए था। यदि उन्होंने उस समय ऐसा किया होता, तो इससे इतिहास में चाद-टिप्पणी बनने की बजाय वे एक नये अध्याय बन गए होते। उन्होंने उस समय ऐसा नहीं किया। उन्होंने सूरजकुण्ड में ऐसा नहीं किया जब उनको समर्थन देने वाले प्रत्येक सदस्य को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने ऐसा इस सभा-पटल पर तब भी नहीं किया जब यह आरोप लगाये गये थे कि प्रधानमंत्री सम्बन्धी लेन-देन में शामिल हैं, जिसमें प्रलोभन एवं सौदे अंतर्निहित हैं। अब इस मसले में इतनी देर होने के बाद जब उन्होंने यह पाया कि उन्हें समर्थन देने वाला कोई नहीं है तथा वह राजनीति के समुद्र में अकेले पड़ गए हैं और इतिहास ने उन्हें पूर्ण अन्धकार एवं कूड़े के डिब्बे में धकेल दिया है, तब उन्होंने इस सभा के समक्ष यह प्रस्ताव लाकर के एक अंतिम चेष्टा करनी चाही है।

मेरा यह सुझाव है कि हम इस प्रस्ताव को उन प्रयोजनों का अनुचित दुरूपयोग के कारण अस्वीकृत कर दें, जिनके लिए कि इस सभा द्वारा विशेषाधिकार के नियम बनाये गये हैं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। मै। एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो कि मेरे विचार से इस मामले की तह को छू जायेगी।

मैं वास्तव में विवश होकर यह संक्षिप्त हस्तक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि आज इस संबंध में बहुत चर्चा हो गई है। हमने राजनैतिक लाभ, राजनैतिक समझौते, अनुचित साधनों, अनुचित प्रभाव, राजनैतिक प्रभाव और यहां तक कि राजनैतिक घूस के बारे में सुना है। मेरा कहना तो यह है कि राजनैतिक सौदेबाजी हमारी शासन व्यवस्था राजनैतिक संचालन का एक अभिन्न अंग बन गया है।

जैसा कि आपको विदित ही है कि प्रजातंत्र में चर्चा, बहस एवं सर्वसम्मति पर आधारित सुसंस्कृत सरकार का प्रावधान होता है। अक्सर, सर्वसम्मति सौदों पर आधारित होती है, जो कि सभा-पटल अथवा विभिन्न दीर्घाओं की दीवारों के पीछे तय होते हैं।

5.00 म.प.

हुआ है कि प्रधानमंत्री पहले ही यह सुस्पष्ट कर चुके है। कि इस मामले विशेष...में कोई सौदा नहीं किया गया था। महोदय, लेकिन-जैसा कि मैंने कहा ही है-एक बात जो अंतुष रहती है वह यह है कि अधिकांश राजनैतिक सौदे हमारी व्यवस्था के अंग हैं। हमें यह बात स्पष्ट कर लेनी चाहिये कि प्रत्येक मिली जुली सरकार राजनैतिक सौदे बाजी पर आधारित होती है। 1977 की जनता सरकार तथा 1989 की वी.पी. सिंह की सरकार राजनैतिक सौदेबाजी पर आधारित थी और चन्द्र शेखर की सरकार भी बाद में राजनैतिक सौदेबाजी पर ही आधारित थी। महोदय, अत: राजनैतिक सौदेबाजी हमारी शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग है... (व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां भी हमने राजनैतिक तालमेल बिठाया है। मैं एक विशिष्ट मामले का उल्लेख करता हूँ। चूंकि मैं इस सभा का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, अत: मैं संक्षेप में यह उल्लेख करूंगा कि जब हम तिहत्तरवें संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, दार्जिलिंग से संबंधित प्रश्न उठा था। मुझे उस दिन भी दार्जिलिंग के संबंध में कुछ कहना था तथा मुझे आज भी इसका इस सभा में प्रतिनिधि होने के नाते कुछ कहना है। मूल रूप से दार्जिलिंग को इस विधेयक के दायरे से निकाले जाने का इरादा था। श्री राजीव गांधी और जी.एन.एल.एफ. के बीच हुए समझौते के अनुसार दार्जिलिंग में कोई पंचायतें नहीं थी। बाद में, प्रधानमंत्री नरसिंह राव भी इस बात से सहमत थे। इस सभा के समक्ष जो विधेयक लाया गया था, उसमें यह सुस्पष्ट किया गया था कि दार्जिलिंग में पंचायत व्यवस्था नहीं होगी। बाद में, एक संयुक्त समिति गठित की गई वह समिति भी इस बात से सहमत थी कि दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एरिया में पंचायत व्यवस्था का प्रावधान करने की कोई सम्भावना नहीं है। क्योंकि वहां 28 काऊंसलर हैं तथा ऐसी व्यवस्था का प्रावधान करने की वहां कोई गुंजाइश नहीं है। महोदय, जब यह मुद्दा चर्चा हेतु सामने आया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह भलि भांति याद होगा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने उठकर यह कहा था कि वह समझौते के विपरीत एक संशोधन प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं कि दार्जिलिंग को इसमें अवश्य शामिल किया जाना चाहिये। इस चर्चा में व्यवधान उत्पन्न हो गया था तथा बाद में इस संबंध में कोई समझौता हुआ था।

वह समझौता क्या हुआ था? समझौता यह हुआ था कि तिहत्तरवें संविधान (संशोधन) विधेयक मात्र एक ही जिले के कारण लिखा-पढ़ी की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मेरे पास संदेश भिजवाया था और उसमें यह कहा गया था : हम दार्जिलिंग गोरखा हिल काऊंसिल के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ करना चाहते हैं।" श्री सोमनाथ चटर्जी तथा मेरे परम मित्र श्री मणिशंकर अय्यर सहित हममें से कुछ लोगों ने एक साथ बैठक की और इस संबंध में एक सूत्र पर सहमत हुए। इस सूत्र में यह प्रावधान था कि दार्जिलिंग हिल क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था हो सकती है। लेकिन, इस अधिनियम में संशोधन करने से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि इसकी व्याख्या से दार्जिलिंग गोरखा हिल काऊंसिल की शक्तियां एवं कार्यों पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। इस बारे में मैं इतना ज्यादा क्यों नहीं बोलूंता हूँ? क्योंकि यह राजनैतिक समझौते का सुस्पष्ट उदाहरण है। राजनैतिक समझौता हमारी राजनैतिक प्रणाली का एक हिस्सा है। यहां जो इस बारे में कहा जा रहा है, वह मेरी समझ में नहीं आता। हमें यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि झारखंड मुक्ति मोर्चे के मामले में, जैसा कि मैंने कहा है, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा था कि इस संबंध में यहां कोई सौदा नहीं हुआ है, जैसा कि उस दिन मेरे साथी श्री मणिशंकर अय्यर ने भी श्री आडवाणी द्वारा किये हस्तक्षेप के बाद इसे अत्यंत निपुण तरीके से उधृत किया था। लेकिन, जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चे का संबंध है, मुझे एक तथ्य की जानकारी है। क्योंकि श्री सूरज मंडल तथा अन्य साथी सुसंगत तौर पर इस विषय के बारे में मुझ से निकटतम सम्पर्क बनाये हुए थे वे बार-बार यह जानना चाहते थे कि एक स्वायत काऊंसिल के रूप में दार्जिलिंग गोरखा हिल काऊंसिल स्थापित करने का प्रयोग कैसा सिद्ध होगा।

मैं उन्हें जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे थे, उनके बारे में बताता था। मेरा निष्पक्ष रूप से उनसे सम्पर्क बना हुआ था। वे भी मुझे से इस बारे में बराबर सम्पर्क बनाए हुए थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चे की मांग के संबंध में क्या किया जा सकता है। मैंने उन्हें प्रारम्भ से ही यह बताया था कि दार्जिलिंग मण्डल ही इसका व्यावहारिक समाधान है। तथापि इसमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे।

महोदय, मुझे याद है कि उन्होंने मुझ से इस बारे में अनगिनत बार सहायता मांगी है तथा कुछ अवसरों पर मैं सभा-पटल पर झारखंड क्षेत्र हेतु एक स्वायत परिषद् स्थापित करने की बात पर दबाव डालने के लिए

भी खड़ा हुआ हूँ। मुझे यह भी याद है कि जब अविश्वास प्रस्ताव चर्चा हेतु रखा गया था, तब उन्होंने मुझे यह बताया था कि वे प्रधानमंत्री के साथ यह मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरी निष्ठापूर्वक सुस्पष्ट तौर पर यह कहना ही चाहिये कि मैंने उन्हें एक मित्र के रूप में यह बताया था: " आपके पास यही एक अच्छा मौका है। आपको इस विषय पर शीघ्र चर्चा करवाने हेतु दबाव डालना ही चाहिये क्योंकि यह मामला काफी लम्बे समय से लटका हुआ है।" महोदय, अत: मेरा यह निवेदन है कि श्री बूटा सिंह ने झारखंड मोर्चा के इन मित्रों की प्रधानमंत्री के साथ वार्ता की व्यवस्था करके कोई गलती नहीं की थी। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। यह पूर्णतया राजनैतिक प्रतिक्रिया का ही एक अंग है।

अत: इसे प्रलोभन कहकर गलत ठहराया या अनुचित कहकर गलत ठहराना ठीक ही है। इन मित्रों में से कुछ को गलत तरीके से प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करना गलत नहीं है।

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जैसा कि मैंने कहा ही है, मैं अत्यंत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूँ। इस सभा से मेरा यह अनुरोध है : कृपया यह समझ लीजिये कि हम एक राजनैतिक निकाय के सदस्य हैं। हम किसी न्यायिक निकाय के सदस्य नहीं है। एक राजनैतिक निकाय के सदस्य के रूप में, यह राजनैतिक समझौते से संबंधित मुद्दा है। राजनैतिक सौदेबाजी इस व्यवस्था का अतरंग एवं अभिन्न अंग है। आप इनके बिना कार्य नहीं कर सकते। हम पहले ही इस राजनीतिक क्षितिज पर, आम चुनावों के मौके पर यह देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में राजनैतिक सौदेबाजी के लिए नये प्रयास किये जा रहे हैं। अत: हमें अपनी नाक ऊँची करके यह नहीं कहना चाहिए कि ये राजनैतिक सौदेबाजी गलत हैं। ये हमारी व्यवस्था के अतरंग अंग है और हमें इनके साथ ही जीना सीखना है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : चूंकि यह उनका विदतापूर्ण, हस्तक्षेप है, अत: मैं मैंजे पार्लियामेंटरी प्रोकिटसड नामक पुस्तिका के पृष्ठ 129 से उनका ध्यान निम्नलिखित चार पंक्तियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें निम्नवत उल्लिखत है :

> "किसी सदस्य के कर्तव्य निर्वहन करने को प्रभावित करने के सीधे प्रयास में सहायक न बनने वाले आचरण लेकिन उसके भावी कर्तव्य निष्पादन में उसक स्वतंत्रता का क्षय करने वाली प्रवृत्ति को भी विशेषाधिकार का हनन समझा जयेगा।"

इसके पश्चात अध्यक्ष द्वारा दिया गया विनिर्णय निम्नानुसार है :-

> "कि किसी संसदीय एजेंट द्वारा किसी सदस्य को यह सूचित करते हुए भेजा गया कोई पत्र-कि किसी निजी विधेयक के प्रस्तुतकर्ता इस शर्त पर अपने विधेयक में कुछ संशोधन करने के लिए तभी सहमत होंगे कि वह सदस्य एवं उससे संबद्ध अन्य सदस्य प्रस्तुत विधेयक का आगे और विरोध नहीं-भी प्रथमदृष्टया विशेषाधिकार का हनन होगा।"

अध्यक्ष महोदय : कृपया विरोध मत कीजिये। आप अपनी बात कह ही चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : मैं यही छोटी सी बात करना भूल गया था। गत 17 वर्षों से श्री निर्मल कुमार कान्ति चटर्जी एवं उसकी पार्टी बंगाल में शासन करती चली आ रही है। खामपंथी मोर्चा भी राजनैतिक सौदेबाजी का ही परिणाम है तथा इसमें राजनैतिक सौदेबाजी की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य श्री अय्यर ने जो अभी-अभी बोले है, वे जो कुछ कहा है, शायद उसका अर्थ यह है मैंने सभा का समय नष्ट किया है। यह पहली बात है। इसके पीछे कदाशयता है

एक माननीय सदस्य : निश्चित रूप से (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मैं एक-एक करके ले-रहा हूँ। कृपया कुछ धैर्य रखिए। इसके पीछे कदाशयता है। और जो राजनैतिक इतिहास उन्होंने बताया है, उससे यह सुझाव दिया प्रतीत होता है कि मैं इस सभा के समक्ष यह प्रस्ताव लाने के दु:साहस अथवा अपराध के लिए सभा के प्रति जवाब देता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि ऐसे सभी प्रयासों, जो इतिहास की ताकतों की संकीर्ण समझ में और इतने अधिक कार्यों के पीछे निहित उद्देश्यों की संकीर्ण समझ के अनुरूप नहीं है, को ठेस पहुंचेगी। श्री अय्यर मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, न ही मैं इस सभा के किसी अन्य माननीय सदस्य को ठेस पहुंचाना चाहता था। आपने जहर उगलने का जो कार्य किया है वह पूर्णतया स्वविवेक से किया है। मैं आपकी बराबरी नहीं करूंगा। मेरा यह उद्देश्य नहीं है। इसे सभा के ध्यान में लाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि मैं यह एक ऐसा उदाहरण था जहां कतिपय सदस्यों, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भूमिका निभानी थी, के खातों में कतिपय धनराशियां जमा करवाने के बारे में अकाट्य साक्ष्यों का अन्तसंत्रीय अवधि में पता चला है। उसके संबंध में अब कोई संदेह नहीं है। उनके सम्पर्क, उस समय उनकी भूमिका और उनके खातों में जमा की गई धनराशि, अकाट्य तथ्य है। लोगों में आम धारणा यह थी कि यह उनको एक निश्चित ढंग से कार्य करवाने के लिए किया गया था। माननीय विपक्ष के नेता ने उस समय जो कहा था वह निश्चित रूप से संगत है। अन्य लोगों ने भी उस समय जो कहा था वह भी संगत है। लेकिन इस सभा को और हम सभी को इसकी जानकारी बिल्कुल स्पष्ट, बीस दिनों में ही हुई मैं चुप रहा होता। यह एक जानकारी है जिसका पता लगा है। कोई जो चाहे करे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में केवल इस सदस्यों के बारे में बात को लाया हूँ कि सदस्यों के बारे में सभा में उनके कथित व्यवहार के बारे में आरोप लगाया जा रहा है और इन सदस्यों के साथ कतिपय धनराशियों को जोड़ा जा रहा है। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि इस सभा के एक मंच को इसकी जांच करनी चाहिए और इसका खण्डन करना चाहिए लेकिन अगर यह सच है तो इस बारे में उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए। यदि श्री अय्यर के

अनुसार यह मेरी ओर से गलती है अथवा अपराध है, तो मैं दोनों को स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक सदस्य के रूप में, हो सकता है कि मैं आपके बराबर मुखर न होऊं, हो सकता है कि आपकी तरह अपनी बात दृढ़ता से न रख पाता होऊं, हो सकता है कि आप जैसा महत्वपूर्ण न होऊं इस सभा के साधारण सदस्य के रूप में, मैं हूँ और आप मुख्य पंक्ति है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है यह तो समय ही बतायेगा। मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूँ। प्रश्न यह है कि यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया जाना था और उनके माध्यम से इस सभा के ध्यान में लाया जाना था। मेरे विचार से, इस विषय में अध्यक्ष महोदय को निर्णय करना चाहिए। इस विषय में मतदान द्वारा निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। यदि विशेषाधिकार प्रश्न पर राजनैतिक आधार पर निर्णय किया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से उभर कर सामने आयेगा, यदि आप निर्णय को सभा पर छोड़ते है, तो यह संसदीय इतिहास का बहुत दुखद दिन होगा। महोदय मेरे विचार से, आपको इस पर मनन करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने जो कहा है वह अंतिम सत्य है। मैं यह कह रहा हूँ कि इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। मैं यह कह रहा हूँ कि सभा के मंच के माध्यम से जांच होनी चाहिए। जो कोई बाहर कर रहा है, वह सत्य हो सकता है, वह पूरी तरह से उनके लिए आवश्यक हो सकता है लेकिन यह सभा क्या कर रही है? क्या हम तब तक समस्त जानकारी के सामने आने तक दो महीने, एक महीने तक प्रतीक्षा करेंगे कि हमें जिसकी आशंका थी, वह सत्य होता प्रतीत होता है। क्या यह सभा स्वंय को उस स्तर पर ले जाना चाहती है जहां बाहरी लोग हमारा मज़ाक बनायें? मेरे विचार से उद्देश्य की ईमानदारी और कर्तव्य बोध दोनों की यह मांग है कि इस सभा का अध्यक्ष महोदय द्वारा लिया निर्णय के अनुरूप सभा के मंच के माध्यम से इस समस्त मामलें की जांच करनी चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए और यह बताना चाहिए कि क्या यह सही है, गलत है या पूर्णतया बिना किसी आधार के है। इसका निर्णय मेरे भाषण की भावुकता या श्री अय्यर के भाषण की भावुकता से नहीं करना चाहिए। निर्णय करना होगा। महोदय, जो कुछ यहां कहा गया है उसको देखते हुए इस तथ्य आपको इसकी जांच नहीं करनी चाहिए, इस बिंदु का मैं बाद में उल्लेख करुंगा। इस संबंध में सरकारी तर्क-वितर्क हो सकते है कई विचार आपस में मिल सकते हैं, शायद इसके लिए चाणक्यीय पृष्ठ भूमि हो सकती है लेकिन तथ्य यह है कि यदि आपके प्रबन्ध के अन्तर्गत यह सभा स्वयं को संबोधित करने, इस समस्त मामले की वास्तविकता की जांच करने में असफल रहती है तो फिर मेरे विचार से, हम इस देश की संसदीय प्रणाली का और हम सभी का अत्यधिक अहित कर रहे होंगें। अखिरकार, हम सब केवल नश्वर है। हम सभी सामान्य व्यक्ति है। इस सभा में कुछ अपराध हो सकते है, लेकिन अधिकांशतः व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, और मेरे विचार से हमारे हित में इस बात का पता लगाया जाना चाहिए और फिर सभा और देश को इसे जानना चहिए। हम इस बात की प्रतीक्षा क्यों करे कि कोई अन्य इस अपराध में प्रयास करेगा। इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा इसकी हमे जानकारी नहीं है। जो निष्कर्ष निकल रहा है वह भी अच्छा है, निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो भी अच्छा है। क्या हम प्रतीक्षा करेगें और अन्य व्यक्तियों को यह कहने देगे कि मैं यह सही है कि यह धनराशि दी गई थी, कि यह सही है कि एक्स और वाई ने वह धनराशि प्रदान की थी ; हां, यह सही है कि उन्होंने उस धनराशि को जमा किया था? क्या आप किसी अन्य से इसके बारे में सुनना चाहते है? हो सकता है कुछ माननीय सदस्य यह किसी और से सुनना चाहें।

मेरे विचार से इसकी जांच करने और यह पता लगाने कि क्या वह सही है या गलत, का उत्तरदायित्व इस सभा का है। यह मेरे प्रस्ताव का वास्तविक उद्देश्य है। मैं इसे पूर्णतया माननीय अध्यक्ष महोदय पर छोड़ता हूँ। जो वे निर्णय करेंगे वह हमें स्वीकार्य होगा।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले के तथ्य और कानून को स्पष्ट करने के संबंध में मेरी सहायता करने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत अच्छे व्यक्तव्य देने के लिए मैं सभी पक्षों के सदस्यों द्वारा उनका आभारी हूँ। यह मामला न्यायालय के समक्ष है जो इसके समक्ष प्रस्तुत किए गये साक्ष्य के आधार पर उचित निर्णय ले सकता है। तीन वर्ष पूर्व अवैध अदायगी के बारे में कुछ आरोप लगाये गये थे। उस समय सभा को इसकी जांच करने के लिए कहा जा सकता था। अन्य प्रोत्साहनों के आधार पर इस मामलें की सभा द्वारा जांच किए जाने के लिए कहा जा सकता था। इन तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, मेरे लिए इसकी सहमति देना बहुत कठिन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब क्या हम नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर विचार करें ?

नागरिक विमानन और पर्यटन तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, लेखानुदान कार्य सूची में है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : क्योंकि विशेषाधिकार हनन के मामले को वरीयता दी जाती है, हम उससे सहमत थे। शुक्रवार को जिस मुद्दें पर चर्चा हो रही थी उसे अब भी जारी रखना चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : राम नाईक जी आप बैठक में नहीं थे। जो बैठक में उपस्थित थे उन्हे बोलने दीजिए।

श्री राम नाईक : यह सभा का भी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हमे यह समझना चाहिए कि इस सारे सत्र के दौरान हमने केवल एक ही मामले पर चर्चा की है। हमे यह समझना चाहिए कि इस सत्र में हमें लेखानुदान तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी पारित करना है। इस विषय पर नेताओं की बैठकों में एक बार नही, बल्कि एक से अधिक बार चर्चा हुई थी। वे इससे सहमत हो गये थे कि इस कार्य को किया जाये। मुझे विश्वास है कि वे यह कार्य भी करेंगे क्योंकि वे यहां हम सभी द्वारा किए जाने वाले कार्य के निहितार्थों को

समझते हैं। यदि सभी माननीय सदस्य इस से सहमत हों कि इस विषय को वित्तीय कार्य के तुरन्त पश्चात किया जा सकता है, तो सभा आभारी होगी क्योंकि यह मामला दूसरी सभा के पास भी जायेगा। जब हम इन मुद्दों पर चर्चा और विचार कर रहे हैं।

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : महोदय कल भी है।

अध्यक्ष महोदय : हाँ। लेकिन कल इसे भेजना है। हमे इसे आज पारित करना है, अन्यथा यह कल नहीं जा सकता। यदि अपना दिमाग अलग अलग और स्वतन्त्र रुप से कार्यसूची की प्रत्येक मद पर लगाये तो हमारे लिए उचित निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन है। अत: मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया यह देखे कि निर्णय को क्रियान्वित किया जाये और आवश्यक कार्य किया जाये।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : महोदय मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आप कार्यसूची देखे तो जिस स्थान पर नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव को रखा गया है, उसकी बारी कभी नहीं आयेगी।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर तुरन्त चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं और यदि आप चाहें तो मैं इस पर कल भी चर्चा जारी रखूंगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या आप उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर पर चर्चा नहीं करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपको इसी प्रश्न पर विचार करना चाहिए। सभा में बोलने वाला अकेला मैं ही नहीं हूँ।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : उत्तर प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बजट भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सही है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, इसमें दो मत नहीं था और जो लीडर्स व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह तय हुआ था और उसमें मैने उस दिन भी सुझाव दिया था। विपक्ष के नेता जिन्होंने प्रस्ताव को मूव किया हैं।

इसमें यदि सरकार की तरफ से श्रीमती माग्रेट अल्वा चाहेंगी, तो इंटरवीन करेंगी और उसके बाद इसको पहले ले लिया जाए, लेकिन यह तय हुआ था कि पहले वोट आन अकाउंट पास किया जाए। और इसके बाद इसे लिया जाए, परन्तु इसमें यह भी था कि वोट आन अकाउंट को 12 बजे शुरू किया जाए और चार बजे तक खत्म कर दिया जाए और चार बजे के बाद इसको लिया जाए। इसका मतलब यह है कि कम से कम चार घंटे संसदों को इस इतने बड़े बजट के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मिल जाएंगे।

जब मूवर खुद कह रहे हैं कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, ले जीजिये। अब मामला दूसरा हो गया है। अध्यक्ष जी, कल जो बैठक हुई थी, उस बैठक में संसद कोरम के अभाव में बोल नहीं पाए।

अध्यक्ष महोदय : साढ़े सात बजे कोरम का पाइंट उठा था।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन छः बजे तक तो प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस चल रहा था।

अध्यक्ष महोदय : हां, ठीक है, लेकिन उसके बाद डेढ़ घंटा तो मिल गया था।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि जो बजट का मामला है, उसको अभी न लें। यदि आप चाहें तो 184 में जिन पार्टी के लीडर्स अभी नहीं बोले हैं उनको बुलवा लें और सरकार की ओर से उसका रिप्लाई करवा दें तथा लीडर ऑफ दी अपोजीशन को राइट टू रिप्लाई है, इसलिए उनको उत्तर देने दें और उसके बाद यदि आप बजट पास करना चाहेंगे, तो तीन-चार घंटे आपको बजट पर अपने विचारों को रखने के लिए संसदों को देने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय अर्जुन सिंह जी प्रिवलेज मोशन लाए, वह एक-आध घंटे में यदि आप चाहते तो खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने पर्लियामेंट की गरिमा को बनाए रखने के लिए ही इतनी लम्बी बहस करवाई और इतना समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : देखिए यह आपकी गरिमा टिकेगी नहीं यदि आप बजट पर डिस्कसन नहीं करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : सर, हम कमिटेड हैं। मेरा सरकार के ऊपर आरोप है कि वोट आन अकाउंट पास करके इस हाउस को रडजर्न कराने की सरकार की मांशा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, कृपया इसे जानिये।

[हिन्दी]

मिस्टर पासवान : सरकार इस हाउस को एडजर्न नहीं करवा सकती है। इस हाउस को मैं एडजर्न करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार मैनेज कर लेती है। जैसे आज राज्य सभा को मैनेज कर के एडजर्न करवा दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैने यह समिति में कहा था। मैं यह सभा में कह रहा हूँ। एक बार प्रारम्भ होने के पश्चात सभा को स्थगित अध्यक्ष कर सकते है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यदि आपका यह आश्वासन है, वैसे तो आश्वासन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मैम्बरों में संदेह है, सत्र समाप्त होने जा रहा है, चुनाव की छाया पड़ रही है, लोगों को यह डर है कि सरकार वोट आन अकाउंट पास करवा कर सदन को स्थगित कर देगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : आपका 184 कम्पलीट किए बिना इस सदन को स्थगित नहीं किया जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : ठीक है, हमें मंजूर है। [अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हमें वित्तीय कार्य को लेना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : महोदय, क्या मैं एक बात कह सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : कहिए।

श्री जसवन्त सिंह : तीसरा प्रश्न यह है कि यदि लेखानुदान आज सभा द्वारा पारित नहीं किया गया तो यह कल राज्य सभा में नहीं जा सकता और इसके कारण एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पहले भी यह कहा गया था। कोई संवैधानिक समस्या उत्पन्न नही हुई है। यदि आज 11 मार्च की अपेक्षा 29 मार्च या 30 मार्च होता तो संवैधानिक समस्या उत्पन्न हो गई होती। मार्च के काफी दिन बाकी हैं। सभा को दो या तीन अतिरिक्त दिन बैठकें करने की आवश्यकता है। यदि यह निर्णय किया जाता है, तो समस्या कहां है? महोदय, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं कि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव को निपटा नहीं दिया जाता, मैं सभा को स्थगित नही करुंगा।

अध्यक्ष महोदय : हमें दूसरे सदन को इस मुद्दे पर चर्चा करने के अवसर से वंचित नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, इस सदन की बैठक आज नहीं होगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं कल।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : आपको कैसे पता कि क्या होने वाला हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी बैठक केवल एक दिन के लिए स्थगित की गई थी। यह अलग बात है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मैं उन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं करना चहता हूं जिसके अन्तर्गत दूसरे सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन मैं आप जो कुछ भी कहेगें मैं उसी के अनुसार चलूंगा लेकिन मैं अपने कर्त्तव्य को समझता हूं और मैं समझता हूं कि बजट सत्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय बजट होता है इसलिए इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। वरिष्ठ सदस्यों ने सही मायनों में इसकी प्रशंसा की है और वे अब भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। पासवान जी, आपने भी तो इसकी तारीफ की थी। आपने इसकी इसलिए प्रशंसा की है क्योंकि आप जानते हैं कि भिन्न-भिन्न सदस्यों के विचार भिन्न-भिन्न हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि वित्तीय मामलें को निपट जाने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : लेकिन हवाला का बिजनैस किसी से कम नहीं जाना चाहिए, हवाला की इम्पोर्टेंस किसी से कम नहीं है, इतने मंत्रियों की गर्दन कट जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यह कल ले लेंगे। आप ठीक कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : खंडूरी जी, मैं आपको सन्तुष्ट करने का प्रयास करुंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं बजट को सदन के मतदान के लिए रखूं?

कुछ माननीय सदस्य : हां (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह लेखानुदान है। इसका मतलब है कि आपने पिछली बार जो कुछ किया था वही इस वर्ष भी चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, लेखानुदान के पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने चुनावपूर्ण दिये जाने वाला राजनीतिक भाषण दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे तब आप इसका जवाब दीजिए। इस समय आप जो कुछ कह रहे हैं ये सारी बातें इस समय कह सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं। सत्तापक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाया है। हम दोनों ओर से घाटे में हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। हम लोग वास्तव में सारे निर्णय आपकी इच्छानुसार ही ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मेरे एक सवाल का जवाब अभी तक सत्तापक्ष से नहीं मिला है कि वे सत्र को दो या तीन दिन बढ़ाने से क्यों कतरा रहे हैं? अगर ऐसा हो जाए तो यह सारी गड़बड़ी न हो। उन्हें किस बात का डर है? (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बापुरा) : यह अन्तरिक बजट है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, इस समय साढ़े पांच बज गए हैं परन्तु लेखानुदान पर एक शब्द भी नहीं बोला गया है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने इसे अन्तरिम बजट कहा है हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। बिना चर्चा के हम इसे कैसे पारित कर सकते हैं? (व्यवधान) महोदय, हम लोग 6 बजे के बाद भी बैठ सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि आपके कक्ष में 12 और 4 बजे के बाद लेखानुदान मुद्दें पर चर्चा होने की संभावना को लेकर बात हुई थी। तत्पश्चात श्री अर्जुन सिंह जी के प्रस्ताव पर लगभग पांच घंटे लगे इसमें कोई सन्देह नही है कि यह लेखानुदान है परन्तु इसके पहले एक लम्बा भाषण दिया गया। चाहे आप इससे सहमत हों या नहीं पर एक लम्बा भाषण अवश्य दिया गया। नीतिगत निर्णय की घोषणा की गई है। उन्होंने अत्यन्त इसे अन्तरिम बजट

कहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रत्येक दल से एक सदस्य को बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं इससे सहमत हूं।

श्री सोम नाथ चटर्जी : उन्होंने मैत्रीपूर्ण 'हम' की बात की है परन्तु ये सारी बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी क्योंकि वह हम काट दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : स्पीकर साहब, आप एक काम करवा लीजिए, आप मैम्बर्स का भाषण दिलवा लीजिए और कल (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं।

श्री राम विलास पासवान : उस पर वोटिंग करा ली जाय।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी आपने आश्वासन दिया था और वह पुरुलिया में हथियार गिराये जाने के बारे में है। आपने सदन को आश्वासन दिया था कि सरकार वक्तव्य देगी और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। उसके लिए भी समय निर्धारित कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने चर्चा के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैंने आपकी बात मानी है। आचार्य जी, आप इस मुद्दे पर आइए। आप बजट में 'हम' होने की आलोचना करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जर्नलिस्ट के संबंध में भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जर्नलिस्ट्स के बारे में स्टेटमेंट देंगे, जर्नलिस्ट कल से फिर हड़ताल पर जा रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्यमंत्री, यह सब नोट कर लें और हमने जो भी वादा किया है। उसे कल पूरा किया जाय।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जर्नलिस्ट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो इन्टरिम रिलीफ है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे लेकिन कल से फिर जर्नलिस्ट्स हड़ताल पर जा रहे हैं।

[अनुवाद]

यह क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : आप लोगों ने भी प्रोमिस किया था कि हवाला छह दिन पहले खत्म होगा और बाकी डिस्कस होगा, वह आपने खत्म नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एश्योरेंस के बावजूद जर्नलिस्ट्स हड़ताल पर जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, बोलिए न?

श्री गुलाम नबी आजाद : क्योंकि आप हाउस में कोई काम करने नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे करें।

श्री राम विलास पासवान : यह जवाब नहीं हुआ ना (व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : आज राज्य सभा में क्या हुआ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : यह जवाब नहीं हुआ।

श्री गुलाम नबी आजाद : इसे संसद की कार्यवाही में शामिल किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : अब एक दल से केवल एक सदस्य ही बोलेगा। श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस अन्तरिम बजट पर दो तकनीकी आधारों पर आपत्ति उठाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। सी.पी.एम. से आप ही बोलेंगे। सी.पी.आई. के एक सदस्य के रूप में श्रीमती गीता मुखर्जी बात रही हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 'संसद' को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। वह इस प्रकार है-

"संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे।"

बजट संबंधी विवरण में 'संसद पर होने वाला व्यय' एक शीर्ष है और 'राष्ट्रपति पर होने वाला व्यय' दूसरा शीर्ष है।

मैं यह कह रहा हूं कि जब तक व्यय बजट में इस आशय का संशोधन नहीं किया जाता कि यह लोकसभा और राज्य सभा पर होने वाला व्यय तथा राष्ट्रपति पर होने वाला व्यय है जो मिलकर 'संसद पर होने वाला व्यय' बनता है, यह विवरण त्रुटिपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मैं वित्त मंत्रालय में पालन किये जा रहे नियमों से परिचित नहीं हूं। हालांकि मैं इसे समझ रहा हूं लेकिन इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा।

श्री राम नाईक : मेरा व्यवसाय का प्रश्न है। बहुत से मुद्दों को अनदेखा किया जा रहा है। इसका कारण आपने बता दिया और हमने समझ लिया है। परन्तु अन्ततः हम सामान्य बजट अन्तरिम बजट, लेखानुदान जो भी हो, पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमें कुछ भाषण तैयार करने हैं। हम यहां लगातार, बिना भोजनावकाश के, बैठे हैं। मेरा सुझाव है कि 25 मिनट का अवकाश दे दिया जाय और हम 6 बजे सांय पुनः समवेत हों। हम पत्र आदि सामग्री से सज्जित होकर आएं और तब चर्चा आरम्भ हो। यह केवल मेरा अनुरोध है (व्यवधान) आपको भी थोड़ी

राहत मिल जाएगी क्योंकि आपको भी आज काफी मेहनत करनी पड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मुझे थोड़ा समय चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। हर आदमी मेरे ऊपर झपट रहा है। परन्तु यह बात जान लीजिए कि सभी अनुरोधों को एक साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : जैसा कि आपने सवेरे कहा है कि हम कल सदन की कार्यवाही स्थगित कर देंगे। उस समय का उपयोग आज किया जा सकता है और आज के समय का उपयोग कल किया जा सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं और यदि आप आज ही बजट पारित करने के लिए तैयार हैं तो मैं इस मामले को पहले ले लेता हूँ और बजट को बाद में। हम नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव को आज निपटा सकते हैं और तब बजट पर चर्चा कर सकते हैं या यदि आप अधिक समय चाहते हों कुछ सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे, मेरे विचार से उन्हें बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए आपने सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया है। हम आपके आभारी हैं। अब इसे चलने दीजिए। इसे हर क्षण नहीं बदलना चाहिए। यह अच्छा नहीं लगता है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : तय हो गया है कि आज बजट हो जाएगा फिर 104 आएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

5.36 म.प.

अन्तरिम बजट (सामान्य), 1996
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1996
और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, 1995-96 सामान्य

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मदसंख्या 23 से 25 एक साथ लेंगे। श्रीमती गीता मुखर्जी शुरु कर सकती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कि कर्यासूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 26,28,29,31 से 58,60 से 90,92,93 और 95 से 100 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या वे संबंध में कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक संबंधित राशियां भारत की संमित निधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जायें-

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित भागों के संबंध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में संसद के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनार्थक संबंधित अनुपूरक राशियों भारत की संमित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये-

मांग संख्या- 1, 4 से 9, 12 से 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31 से 37, 39 से 46, 48, 49, 51 से 54, 57, 58, 63, से 65, 69, 70, 73, 75 से 81, 84, 85, 89 से 91, 93, 95, से 99"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई 1996-97 की लेखा अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि	484,28,00,000	5,48,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	70,67,00,000	85,60,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	177,80,00,000	
4.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	97,72,00,000	37,03,00,000

1	2	3	4
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	134,95,00,000	21,00,00,000
6.	उर्वरक विभाग	3505,00,00,000	269,94,00,000
	नागर विमानन विभाग और पर्यटन मंत्रालय		
7.	नागर विमानन विभाग	12,33,00,000	17,73,00,000
8.	पर्यटन विभाग	32,01,00,000	4,37,00,000
	नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
9.	नागरिक पूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	29,27,00,000	31,00,000
	कोयला मंत्रालय		
10.	कोयला मंत्रालय	56,02,00,000	137,44,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
11.	वाणिज्य विभाग	221,29,00,000	20,33,00,000
12.	पूर्ति विभाग	11,30,00,000	
	संचार मंत्रालय		
13.	डाक विभाग	838,76,00,000	23,24,00,000
14.	दूर संचार विभाग	4333,79,00,000	2698,33,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
15.	रक्षा मंत्रालय	709,34,00,000	7,89,00,000
16.	रक्षा पेशंन	1099,87,00,000	-
17.	रक्षा सेवा थल सेना	4460,55,00,000	-
18.	रक्षा सेवा नौ सेना	622,58,00,000	-
19.	रक्षा सेवा वायु सेना	1352,45,00,000	-
20.	रक्षा आयुद्ध कारखाने	501,51,00,000	-
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	-	2978,92,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	181,88,00,000	2,37,00,000
	विदेश मंत्रालय		
23.	विदेश मंत्रालय	442,31,00,000	20,68,00,000
	वित्त मंत्रालय		
24.	आर्थिक कार्य विभाग	3181,22,00,000	59,39,00,000
25.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	241,98,00,000	128,44,00,000
26.	वित्तीय संस्थाओं को अदागियां	697,81,00,000	522,24,00,000
28.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	2876,23,00,000	325,00,00,000
29.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		9883,00,000
31.	व्यय विभाग	4,70,00,000	
32.	पेंशन	405,72,00,000	
33.	लेखा परीक्षा	149,28,00,000	

1	2	3	4
34.	राजस्व विभाग	8849,00,000	150,00,000
35.	प्रत्यक्ष कर	157,33,00,000	58,67,00,000
36.	अप्रत्यक्ष कर	225,65,00,000	90,02,00,000
	खाद्य मंत्रालय		
37.	खाद्य मंत्रालय	1983,00,000	40,56,00,000
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		
38.	खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मंत्रालय	13,52,00,000	3,50,00,000
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
39.	स्वस्थ्य तथा भारतीय चिकित्सा प्रणलियां और होमोपैथी	431,59,00,000	147,48,00,000
40.	परिवार कल्याण	626,05,00,000	45,00,000
	गृह मंत्रालयं		
41.	गृह मंत्रालय	94,80,00,000	6,07,00,000
42.	मंत्रीमण्डल	29,94,00,000	500,00,000
43.	पुलिस	1243,29,00,000	153,98,00,000
44.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	102,91,00,000	66,87,00,000
45.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	78,63,00,000	84,47,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
46.	शिक्षा विभाग	1491,14,00,000	17,00,000
47.	युवा कार्य और खेलकूद विभाग	42,06,00,000	69,00,000
48.	संस्कृति विभाग	67,75,00,000	
49.	महिला और बाल विकास विभाग	291,69,00,000	
	उद्योग मंत्रालय		
50.	औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	150,49,00,000	51,00,000
51.	सरकारी उद्यम विभाग	65,00,000	
52.	भारी उद्योग विभाग	5,13,00,000	72,70,00,000
53.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	218,52,00,000	98,86,00,000
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		
54.	सूचना, फिल्म तथा प्रचार	48,01,00,000	6,29,00,000
55.	प्रसारण सेवाएं	474,92,00,000	104,35,00,000
	श्रम मंत्रालय		
56.	श्रम मंत्रालय	225,48,00,000	47,00,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
57.	विधि और न्याय	319,48,00,000	
58.	चुनाव आयोग	2,89,00,000	
59.	कम्पनी कार्य विभाग	5,83,00,000	1,00,000
	खान मंत्रालय		
61.	खान मंत्रालय	70,89,00,000	6,13,000
	गैर पारम्परिक उर्जा		

1	2	3	4
	स्रोत मंत्रालय		
62.	गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्रालय	73,61,00,000	38,36,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
63.	संसदीय कार्य मंत्रालय	119,00,000	
	कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
64.	कर्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	3780,00,000	97,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
65.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस योजना और कार्यक्रम	121,00,000	
66.	योजना	35,01,00,000	12,22,00,000
67.	संख्यकी विभाग	24,72,00,000	130,00,000
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाम	26387,00,000	
	विद्युत मंत्रालय		
69.	विद्युत मंत्रालय	189,55,00,000	806,39,00,000
	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय		
70.	ग्रामीण विकास विभाग	838,53,00,000	
71.	बंजर भूमि विकास विभाग	2311,00,000	
72.	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	3145,67,00,000	
	विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय		
73.	विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग	142,74,00,000	10,05,00,000
74.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	138,25,00,000	2,17,00,000
75.	जैव प्रोद्योगिकी विभाग	29,43,00,000	150,00,000
	इस्पात मंत्रालय		
76.	इस्पात मंत्रालय	201,00,000	6,73,00,000
	भूतल परिवहन मंत्रालय		
77.	भूतल परिवहन	16,79,00,000	16,87,00,000
78.	सड़कें	344,13,00,000	333,89,00,000
79.	पतन, दीपस्तम्भ और नौ वहन	77,71,00,000	87,99,00,000
	कपड़ा मंत्रालय		
80.	कपड़ा मंत्रालय	164,79,00,000	143,92,00,000
	शहरी विकास मंत्रालय		
81.	शहरी विकास और आवास	187,84,00,000	75,70,00,000
82.	लोक निर्माण कार्य विभाग	136,28,00,000	64,98,00,000
83.	लेखन सामग्री और मुद्रण	49,40,00,000	150,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
84.	जल संसाधन मंत्रालय	155,22,00,000	10,25,00,000
	कल्याण मंत्रालय		
85.	कल्याण मंत्रालय	267,36,00,000	61,89,00,000
	परमाणु उर्जा विभाग		
86.	परमाणु उर्जा	204,30,00,000	200,09,00,000

1	2	3	4
87.	नाभकीय विद्युत योजनायें	177,04,00,000	116,75,00,000
88.	इलेक्ट्रॉनिक विभाग	41,48,00,000	10,58,00,000
	मह्मसागर विकास विभाग		
89.	मह्मसागर विकास विभाग	20,19,00,000	2,08,00,000
	अंतरिक्ष विभाग		
90.	अंतरिक्ष विभाग	359,97,00,000	35,15,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		
92.	राज्य सभा	7,19,00,000	
93.	लोक सभा	17,34,00,000	
95.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	17,00,000	
	संघ राज्य क्षेत्र बिना विधान मंण्डल वाले		
96.	अंडमान और निकोबर द्वीप समूह	113,56,00,000	68,75,00,000
97.	चंडीगढ़	120,04,00,000	23,54,00,000
98.	दादर और नागर हवेली	30,66,00,000	6,77,00,000
99.	दमन और दीव	23,36,00,000	4,96,00,000
100.	लक्षद्वीप	41,68,00,000	5,22,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	42925,57,00,000	10563,88,00,000

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई 1995-96 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	कृषि	1,00,000	-
4.	पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	9,66,00,000	-
5.	रसायन और मेट्रो रसायन विभाग	541,00,000	16,26,00,000
6.	उर्वरक विभाग	982,09,00,000	-
7.	नागर विमानन विभाग	34,58,00,000	1,00,000
8.	पर्यटन विभाग	11,48,00,000	-
9.	नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	40,52,00,000	-
12.	आपूर्ति विभाग	90,00,000	-
13.	डाक विभाग	162,49,00,000	50,00,000
14.	दूर संचार विभाग	886,93,00,000	1389,98,00,000
15.	रक्षा मंत्रालय		94,00,000
16.	रक्षा पेंशन	339,98,00,000	
17.	रक्षा सेवाएं थल सेना	499,64,00,000	
18.	रक्षा सेवाएं नौ सेना	300,07,00,000	

1	2	3	4
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	-	686,28,00,000
23.	विदेश मंत्रालय	242,42,00,000	4,99,00,000
24.	आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	-
26.	वित्तीय संस्थाओं को अदागियां	1573,60,00,000	-
28.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	890,87,00,000	120,00,00,000
31.	व्यय विभाग	1,82,00,000	-
32.	पेंशने	110,17,00,000	-
33.	लेखापरीक्षा	36,17,00,000	-
34.	राजस्व विभाग	-	1,00,000
35.	प्रत्यक्ष कर	40,00,00,000	-
36.	अप्रत्यक्ष कर	31,80,0,000	-
37.	खाद्य मंत्रालय	250,82,00,000	-
39.	स्वास्थ्य विभाग	23,88,00,000	39,98,00,000
40.	परिवार कल्याण विभाग	71,63,00,000	-
41.	गृह मंत्रालय	24,65,00,000	5,80,00,000
42.	मंत्री मंडल	2,45,00,000	-
43.	पुलिस	337,12,00,000	1,17,00,000
44.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	-	24,63,00,000
45.	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण	5,06,00,000	214,00,000
46.	शिक्षा विभाग	4,00,000	-
48.	संस्कृति विभाग	5,54,00,000	-
49.	महिला और बाल विकास विभाग	91,33,00,000	-
51.	भारी उद्योग विभाग	8,67,00,000	67,44,00,000
52.	सरकारी उद्यम विभाग	1,11,00,000	-
53.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	3,69,00,000	-
54.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	12,81,00,000	1,75,00,000
57.	विधि और न्याय	10,72,00,000	-
58.	निर्वाचन आयोग	26,00,000	-
63.	संसदीय कार्य मंत्रालय	13,00,000	-
64.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	11,89,00,000	1,74,00,000
65.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	56,00,000	1030,57,00,000
69.	विद्युत मंत्रालय	-	3,00,000
70.	ग्रामीण विकास विभाग	2,00,000	-
73.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	24,87,00,000	-
75.	इस्पात मंत्रालय	10,79,00,000	-
76.	भूतल परिवहन	-	24,50,00,000
77.	सड़कें	95,81,00,000	5,36,00,000
78.	पत्तन, दीप स्तम्भ और नौवहन	72,20,00,000	6,88,00,000
79.	वस्त्र उद्योग मंत्रालय	2,00,000	86,36,00,000

1	2	3	4
80.	शहरी विकास और आवास	8,82,00,000	12,51,00,000
81.	लोक निर्माण कार्य	16,99,00,000	13,01,00,000
84.	कल्याण मंत्रालय	1,00,000	-
85.	परमाणु ऊर्जा	13,64,00,000	-
89.	अंतरिक्ष विभाग	-	27,32,00,000
90.	लोकसभा	7,35,00,000	-
91.	राज्य सभा	56,00,000	-
93.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	18,00,000	-
95.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	43,73,00,000	-
96.	दादरा और नगर हवेली	2,12,00,000	9,00,000
97.	लक्ष्य द्वीप	3,00,00,000	-
98.	चण्डीगढ़	17,12,00,000	78,00,000
99.	दमन और दीव	2,90,00,000	-
	योग	7383,11,00,000	3571,03,00,000

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : अध्यक्ष महोदय, श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा अपने भाषण में किए गए अपनी सरकार की सफलता के ऊंचे दावों को आर्थिक सर्वेक्षण ने झुठला दिया है। उदाहरण के लिए वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि निर्मत बढ़ रहा है और विदेशी व्यापार की स्थिति काफी अच्छी है (व्यवधान)

श्री सोम नाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या वे इसे स्वयं अच्छी तरह से कर सकते है?

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में व्यवस्था बनायें रखें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम सब लोग मिलकर अपना कर्तव्य करने में अपना आनन्द मानते है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : परन्तु आर्थिक सर्वेक्षण ने यह तथ्य उजागर किया है कि एन.ई.पी. लागू किए जाने के पश्चात गत पांच वर्षों के दौरान आयात की अपेक्षा निर्यात की दर में काफी वृद्धि हुई है फलस्वरूप निर्यात की तुलना में आयात 1991-92 में 3810 करोड़ रूपए से बढ़कर इस वर्ष 11,571 करोड़ रुपए हो गया हैं स्वतन्त्रता के बाद विदेश व्यापार का यह सबसे बड़ा घाटा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए हमारे विदेशी मुद्रा कोष को गत वर्ष से लगभग 10 प्रतिशत कम कर दिया गया है।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशें पर शुरू किए गए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के कारण हमारा देश स्वदेशी और विदेशी ऋण जाल में फंस गया है। इस वर्ष हमारे राजस्व का 24 पैसा प्रति रुपए विदेशी और स्वदेशी ऋणों से प्राप्त होगा और हमारे व्यय का 24 पैसा प्रति रुपया स्वदेशी और विदेशी ऋणों के ब्याज के भुगतान हेतु जाएगा। 12,84,425 करोड़ रुपए के सकल राजस्व व्यय में से 60,000 करोड़ रुपए केवल ब्याज के भुगतान के लिए ही चाहिए। हमारे ऋण जाल की यह स्थिति है।

केन्द्र सरकार द्वारा संसाधन जुटाने के लिए अपनाई जा रही नीति घातक होती जा रही है। गत कुछ वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष कर की राशि में भारी कमी की गई है जबकि अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाया गया है। इसके परिणामस्वरूप जिन्हें वर्तमान नीति से लाभ हो रहा है उन्हें कम से कम कर देना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र के प्रमुख लाभ योगियों से संसाधन जुटाने के प्रयास से सकल घरेलू उत्पादन और आयात में काफी वृद्धि हुई है। इसमें निर्माणात्मक कार्य निष्पादन में वृद्धि का कोई स्थान नही था।

इस वर्ष बजट घाटे का 64,010 करोड़ रुपए का आकड़ा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत है भी काफी अधिक है। गत वर्ष की तुलना में यह 6,376 करोड़ रुपए अधिक है। मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए हम मुख्यत: सार्वजनिक ऋणों पर निर्भर हैं न कि प्रत्यक्ष कर में वृद्धि पर। इसके अतिरिक्त गत कुछ वर्षों में कालेधन को सफेद बनाने के एक सौ एक रास्ते खुले छोड़ दिए गए है। हवाला तो इनमें से केवल एक है। अन्त: हमने हवाला पर चर्चा की है और हम पुन: इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं इसको नहीं दोहरा रहा हूँ। लेकिन अनेक अन्य रास्ते भी हैं जैसे अधिक बीजक बनाना, कम बीजक बनाना, तथाकथित बांड (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : किसी दलित ब्यूरो ने भाषण लिखा है - कम्युनिष्ट दल अथवा कम्युनिष्ट (मार्क्सवादी) ने?

श्रीमती गीता मुखर्जी : किसी भी दलित ब्यूरो को भाषण लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पालित ब्यूरो ने इतनी खराब शिक्षा नहीं दी

है कि हम अपना भाषण न तैयार कर सकें। हम पुन: मूल विषय पर आते है। धनवान लोग अपने ऊपर लगाए जा रहे प्रत्यक्ष करों से भी बच रहे हैं। मुरली देवरा जी, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज अच्छी तरह जानते है कि देश में कितने करापवंचक है। श्री सिहं के बजट भाषण में इस सर्वशक्त तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने अनेक विषयों पर कहा है पर न तो काले धन को सफेद बनाने और न ही काले धन में हमें कितना घाटा हुआ है, के बारे में इन्होनें कुछ कहा है। ऐसा क्यों है? क्या इसे ही संसाधन जुटाना कहते हैं?

काले धन का पता लगाने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया जा रहा है। मंत्री जी बताएं कि इस अवधि के दौरान कितने काले धन का पता लगाया गया है? व्यावहारिक रुप से यह कुछ नहीं अपितु समस्या की झलक मात्र है। आज एकदम स्पष्ट हो गया है कि वित्त मंत्री जी ने काले धन को कैसे बढ़ने के लिए छोड़ रखा है। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कल के समाचार पत्र में चन्द्रास्वामी के मामले का ताजा रहस्योद्घाटन आज की स्थिति का एक छोटा सा उदाहरण है। इतने दिनों तक वित्त मंत्रालय ने क्या किया? चन्द्रास्वामी के बडे-बड़े लोगों से सम्बन्ध हैं और बेचारे मनमोहन सिहं जी चन्द्रास्वामी का कुछ नहीं कर सकते थे परन्तु देश यह सब नही सुनेगा और स्वाभाविक रुप से देश चाहेगा कि कालेधन का पता लगाया जाय जिससे कि हम वास्तव में संसाधन जुटा सकें। क्या कालेधन के विरुद्ध व्यापक अभियान छेड़ने के सीधे-साधे तरीके नहीं है? मेरे विचार से तो हैं। उदाहरण के लिए यह सभी जानते हैं कि अत्यधिक खर्चीली विदेशी कारें या विदेशी कल-पुर्जों से निर्मित कारें (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि सदन वित्तीय कार्य और कश्मीर विषय पर चर्चा समाप्त होने तक बैठा रहेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उदाहरणत:, कई लोग बहुत मंहगी विदेशी कारों अथवा विदेशी उपकरणें से बनाई गई कारों की बुकिंग कर रहे है। इन कारों के दाम बहुत मंहगे हैं-मुझे दाम बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने करोड़ रूपये है। क्या सरकार ने इन कारों की बुकिंग करने वाले लोगों के खातों की जांच की है? उन्हें इतना पैसा कहा से मिला? (व्यवधान) काले धन का पता लगाने के अन्य कई तरीके हैं परन्तु मुझे अफसोस है कि इसका पता नहीं लगाया गया है।

राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय से बहुत अधिक है। 1995-96 के संशोधित बजट के अनुसार, पूंजीगत व्यय 21,221 करोड़ रुपये था जबकि राजस्व व्यय, 1,13,099 करोड़ रुपये था। यह स्पष्ट है कि संसाधन जुटाने की ऐसी नीति के चलते व्यय से देश के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अधिक सर्वेक्षण के अनुसार नई आर्थिक नीति आरम्भ करने के पूर्ववर्ती पांच वर्षों, अर्थात 1986-87 से 1990-91 के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत थी किन्तु अगामी पांच वर्षों, अर्थात 1991-92 से 1995-96 के दौरान यह दर 4.7 प्रतिशत तक गिर गई इसी अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत से गिरकर 1.6 प्रतिशत पर आ गई है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत से 5.3 प्रतिशत पर आ गई है। क्या श्री सिंह इसी सफलता का दावा कर रहे हैं? मूल्य वृद्धि के श्री सिंह के दावे वास्तव में हास्यास्पद हैं। बाहर किसी से भी पुछ लीजिए। दवाओं, कपड़े, किताबों अथवा कापियों की बात छोड़िये, क्या आम आदमी को लगता है कि दाल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी आई है? यह सभी दाम हाल के वर्षों में बढ़े हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है और आंकड़ो की बाजीगरी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती। क्या इस बात का सूचक थोक मूल्य संचकांक है अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? श्री सिंह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जगह दूसरे सूचकांक का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? यदि वे ऐसा लोगों को भ्रम में डालने के लिए कर रहे हैं तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि वे किसी को मूर्ख नहीं बना सकते है।

अपने बजट भाषण में उन्होंने रोजगार में 2.33 प्रतिशत की वृद्धि का दावा किया है लेकिन वे यह क्यों नहीं कहते हैं कि योजना आयोग के अनुसार रोजगार की मांग 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है और इसके चलते, 1991-92 से 1994-95 के बीच 50 लाख नये बेरोजगार युवकों का पंजीकरण किया गया है। यह सर्वविदित है कि बहु कम बेरोजगार युवक स्वयं को पंजीकृत कराते हैं आकड़ो की किसी प्रकार की बाज़ीगरी से ग्रामीण बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्याओं पर पर्दा नहीं डाला जा सकता यह बात सभी जानते हैं कि कारखानों के बन्द होने से कई लोग बेरोजगार हुए हैं, इसके अतिरिक्त, डॉलर के मुकाबले में रुपये का लगातार गिरता मूल्य भी श्री सिंह के सभी दावों को खोखला बना देता है क्योंकि यह एक अधोचित अवमूल्यन है।

राज्यों के साथ राजस्व के बटवारे के संबंध में केन्द्रीय सरकार बराबर विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में की गई सिफारिशों की अवहेलना करती आई है। श्री सिंह, वित्त आयोग की नवीनतम रिपोर्ट, जिसमें राज्यों को दिये जाने वाले हिस्से में वृद्धि करने की सिफारिश की गई है, पर भी चुप्पी साधे हुए हैं यह बात अंत: भावी सरकार पर निर्भर करेगी। किन्तु राज्यों के लोग नई सरकार का चयन करते समय यह बात ध्यान में रखेंगे।

लोग अपने अनुभवों आगामी आम चुनावों में एक ऐसी सरकार का चयन करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर पूंजी निर्माण करके एक वैकल्पिक आर्थिक नीति अपनायेगी ताकि उच्च वर्ग के उपभोक्तावाद पर अंकुश लगाकर संसाधन संग्रहण का समुचित प्रबंधन करके तथा गरीब लोगों को उचित दामों पर आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई जा सकें और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा आदि के अवसर जो उनके लिए अत्यावश्यक हैं प्रदान किये जा सकें। मैं यह सब उनके सफलता के दावों को झूठा साबित करने के लिए कह रही हूँ। **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरु)** : महोदय, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार, उत्पादन हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं हो रहा है। हम आशा करते हैं कि औद्योगिक और कृषि उत्पादन

हमारे पूर्वानुमान से अधिक होगा। यद्यपि मुद्रास्फीति में भारी गिरावट आई है फिर भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में हमें वांच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। बेरोजगारी में अभी भी वृद्धि जारी है। भावी योजनाएं बनाते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। हमें इस पहलू पर विचार करना चाहिए ताकि शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का अधिकतम समाधान किया जा सके। बैंकिंग उद्योग की ब्याज दरों से कृषि और उद्योग दोनों के लिए चिन्ताजनक स्थिति पैदा हो रही हैं। धन की कमी से उत्पादन, पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक मूलभूत सुविधाओं का संबंध है, हम पूर्वापेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाये हैं। मुझे विश्वास है कि इससे कृषि उत्पादन और सामान की आवाजाही में काफी गतिशीलता आयेगी।

महोदय, हमारी तेल की आवश्यकता को बढ़ती जा रही है। रुपये के मूल्य में गिरावट आने से विदेशी मुद्रा की हमारी आवश्यकता भी प्रभावित हो रही है। इसकी पूर्ति करने के लिए हमें देश को सुचारु ढ़ंग से चलाना होगा।

उदाहरण के तौर पर, कपास और तम्बाकू के मूल्य ले लीजिए। किसानों को काफी हानि हो रही है क्योंकि उन्हें कपास निगम और तम्बाकू बोर्ड से पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है। देश में उत्पादन बढ़ाने और अधिक विस्तार करके स्वयं के बलबुते जीवन-यापन करने के लिए और कृषि उत्पादन को प्रोत्सहान देकर उन्हें पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए।

अब मैं राज्य आकस्मिकता निधि की चर्चा करता हूँ। हमें प्राकृतिक आपदाओं से पर्याप्त रुप में निपटने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि कई राज्य प्राकृतिक अपदाओं के शिकार हुए हैं किन्तु केन्द्रीय सरकार के पर्याप्त धनावंटन करने की स्थिति में न होने के कारण राज्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त धनावंटन करने का अनुरोध करता हूँ। मुझे विश्वास है कि बजट को अन्तिरम रुप देने से पहले माननीय वित्त मंत्री इन संभी बातों को ध्यान में रखेंगे। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, यह अंतरिम बजट पूर्णतया एक चुनावी बजट है। इसे अगामी चुनावों की दृष्टि से तैयार किया गया है। इसलिए इसमें कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रावधान नहीं है। न तो कोई नया कार्यक्रम आंरभ किया गया है और न ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई उपाय किये गये हैं।

महोदय, यहां मैं यह बताना चाहूँगा कि बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री जी परम्परानुसार इसकी तुलना गत वर्ष के बजट से कर रहे थे। किन्तु अब पिछली परम्परा व प्रथा की लीक से हटकर वर्तमान अंतरिम बजट की तुलना गत पांच वर्षों की उपलब्धियों से की गई है। वर्तमान अंतरिम बजट पर बोलने के लिए काफी समय लिया गया है और विभिन्न अवधियों के साथ इसकी अनावश्यक तुलना की गई है।

इसी प्रकार, जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय से अधिक हुआ है। अत: इससे क्षेत्र में किसी प्रकार की परिसम्पत्ति अथवा पूंजी का निर्माण नहीं हो सकेगा।

मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में निवेश भी बहुत कम है यदि मूलभूत क्षेत्र में निवेश का प्रावधान किया गया होता तो देश में कुछ परि संपति का निर्माण हो चुका होता तथा इससे उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ देश भी सुदृढ़ हो जाता। किन्तु ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है।

आर्थिक अपराधों का मामला भी ऐसा ही है, महोदय, हवाला का बार-बार जिक्र किया गया है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसलिए मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ। जहां तक हवाला घोटाला, कालाधन, का अपवंचन व अन्य आर्थिक अपराधों का संबंध है, इन अपराधों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करना चाहूँगा कि अन्तरिम बजट में इन आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रावधान होना चाहिए था क्योंकि उनका दावा है कि उन्होंने गत पांच वर्षों में सर्वोत्तम बजट प्रस्तुत किये हैं तथा उनके बहुत अच्छे परिणाम रहे। परन्तु परिणाम कहां है? इन परिणामों का फल गरीब लोगों, कृषकों, जुलाहों और हथकरघा मजदूरों को नहीं मिल रहा है। अत: मैं वित्त मंत्री जी से सभी प्रकार के आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कदम उठाने की अपील कर रहा हूँ ताकि गरीब लोगों, कृषकों, मजदूरों और दलितों को आर्थिक लाभ मिल सकें।

जहां तक आयात और निर्यात का संबंध है, मैं कहना चाहूँगा कि विदेशों से सभी प्रकार की विलासप्रिय वस्तुओं का आयात किया जा रहा है और मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं का आयात नहीं किया जा रहा है। अन्य पूंजीगत व मूलभूत मदों एवं उपकरणों का भी आयात नहीं हो रहा है, परन्तु लोग विलासप्रिय वस्तुओं के आयात में रुचि रखते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंच रही है। देश में विभिन्न विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां और बड़े बड़े उद्योग विकसित हो रहे हैं। किन्तु लघु तथा मध्यम उद्योगों को भारी धक्का लगा है। वित्त मंत्री जी चाहे कितने बड़े दावे करें परन्तु वास्तविकता यह है कि देश के विभिन्न भागों में फैले बहुत से आद्योगिक घराने समाप्त होते जा रहे हैं और इन लघु उद्योगों की कीमत पर अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां विकसित हो रही हैं।

6.00 म.प.

लघु उद्योग, बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उद्योग बड़े उद्योगों के स्तर पर न तो धन जुटा सकते हैं, न विपणन प्रबन्ध कर सकते हैं। और न ही अनुसंधान व विकास कार्य कर सकते हैं। किन्तु वित्त मंत्री जी ने लघु उद्योग के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। लघु उद्योग के समुचित और संतुलित विकास के लिए देश में अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए। अत: मैं वित्तमंत्री जी से लघु उद्योगों के सुधार और विकास के लिए कदम उठाने का आग्रह करुंगा।

बेरोजगारी के सम्बन्ध में माननीय वित्तमंत्री द्वारा देश से बेरोजगारी समाप्त करने, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के आश्वासन बार-बार दिये जाने और बजट प्रस्तुत करते समय रोजगार के 80,000 अवसर प्रतिवर्ष पैदा किये जाने के आश्वासनों के बावजूद स्थिति यह है कि ग्रामीण लोगों और शिक्षित बेरोजगार युवकों की दशा में कोई सुधार दृष्टिगोचर नहीं है। वे अभी भी रोजगार की तलाश में सड़कों पर घूम रहे हैं। रोजगार कार्यालयों को बोरोजगार कार्यालय कहना उचित होगा। उन लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। उन्हे वित्तमंत्री जी द्वारा किये गये वायदों के अनुरुप कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने रोजगार के 80,000 अवसर पैदा करने का वायदा किया था। इन 80,000 अवसरों का क्या हुआ? अत: मैं वित्तमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि राष्ट्र की जनता से किये गये वायदे पूरे किये जाने चाहिएं।

मंत्री जी ने मुद्रास्फीति को दर पांच अथवा छ: प्रतिशत तक लाने का दावा किया है। परन्तु इस मुद्रास्फीति की दर का परिकलन कैसे किया जाता है? सूचकांक कैसे तैयार किये जाते हैं? इस बारे में मेरा मत भेद है। इसका आंकलन थोक मूल्यों के आधार पर किया जाता है, परन्तु गरीब ग्रामीण लोगों को थोक के बाजार से क्या लेना है क्योंकि उन तक समान कई बिचौलियों से होकर आता है।

जहां तक खुदरा बाजार और आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों का संबंध है, इनके मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। ग्रामीण लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर नहीं मिल रही है। इसलिए, वित्तमंत्री जी को बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाने होंगे। इन मूल्यों का परिकलन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर न होकर खुदरा बाजार में प्रचलित मूल्यों के अधार पर किया जाना चाहिए, जिनका सीधा संबंध वास्तविक व अन्तिम उपभोक्ता से है। उनसे मेरा यही विनम्र आग्रह है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा कि वित्तमंत्री जी के इस दावे के बावजूद की ऋण की अदायगी 35 प्रतिशत से घटकर 29 प्रतिशत के आसपास लाई गई है, देश अभी भी ऋण जाल से मुक्त नहीं हुआ है। यदि विदेशी ऋण का परिकलन प्रति व्यक्ति के आधार पर किया जाता है तो यह 6000 रु. प्रति व्यक्ति बैठता है। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति विदेशी ऋण का कर्जदार है इस चिन्ताजनक स्थिति से लोगों को उबारने निकालने के और देश को इस ऋण जाल से मुक्त करने के लिए वित्तमंत्री जी द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं और शायद वित्त मंत्री जी भी इनसे परेशान होंगे क्योंकि उनकी नजर अगामी चुनावों पर है। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े दावे और वायदे किए हैं। उन्होंने राष्ट्र के समक्ष बहुत ही आशाजनक तस्वीर प्रस्तुत की है। परन्तु, यदि वास्तव में देखा जाए तो देश में स्थिति वैसी नहीं है। यह बहुत ही चिंताजनक और भ्रमित करने वाली तस्वीर है। इसलिए मैं माननीय वित्तमंत्री जी से अपील करता हूं कि वे इस देश और देशवासियों के दु:खों को दूर करने के लिए कुछ ठोस, वास्तविक और उचित कदम उठाएं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वैसे तो मैं इस बजट पर बोलना नहीं चाहता था परन्तु मुझे यह देखकर बड़ा धक्का लगा कि केवल पांच वर्ष के समय में मनमोहन सिंह जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की बुद्धिमता का पतन इस हद तक कैसे हो सकता है। सत्य के लोपन और असत्य के सुझाव के बारे में हमें जो बताया जाता है यह उसी का संग्रह है। हम कथनी और करनी के बीच संबंध के बारे में सदन और सत्ताधारी दल का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। सामान्य बातें वित्तमंत्री जी के भाषण के अनुरुप नहीं बल्कि पिछले चुनाव घेषणापत्र के अनुरूप हैं। पिछले चुनाव घोषणा पत्र में पांच वर्ष में पांच करोड़, लोगों को अर्थात एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया गया था। हमारे वित्तमंत्री जी उसका हवाला नहीं दे रहे हैं। उन्हें यह कहने में भी शर्म महसूस नहीं हो रही है कि इस वर्ष में वह केवल 70 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम हुए हैं जबकि यह संख्या स्वयं ही संदेहास्पद है। अपने भाषण में उन्होंने पिछले पांच वर्षों का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान वे केवल ढाई करोड़ लोगों को ही रोजगार उपलब्ध करा सके हैं जबकि उन्होंने इस अवधि में पांच करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का वायदा किया था।

यही उनका सबसे बड़ा चुनावी वायदा है जिसका हम सभी ने जिक्र किया है क्योंकि शायद वित्तमंत्री के रुप में यह उनका विदाई भाषण है। इसके पश्चात् वह वित्तमंत्री नहीं रहेंगे। इस बारे में न केवल हमें ही बल्कि स्वयं उन्हें भी कोई संदेह नहीं है।

श्री मुरली देवरा : आप यह कैसे जानते है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप जानते हैं? पिछले चुनाव घोषणा पत्र में एक वायदा और भी किया गया था।

श्री मुरली देवरा : क्या आप वहां रहेंगे?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं वहां रहूंगा, आप चिन्ता मत कीजिए। यह वायदा किया गया था कि कीमतों को कम करके उन्हें अस्सी के दशक की कीमतों के बराबर ला दिया जाएगा। उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। असत्य के सुझाव के तरीके से ही उन्होंने एक बार फिर यह कहा है कि वह मुद्रास्फीति की दर को पांच प्रतिशत से भी नीचे लाने में समर्थ हुए है। तब मैं क्यों कहूं कि यह असत्य सुझाव है। क्योंकि यह दर प्रथमत: अंकों के आधार पर है। यह पिछले वर्षों का औसत नहीं है।

6.10 म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

दूसरी बात यह है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति की दर प्राय: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार नहीं दर्शाई जाती है और वहां पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक कर्मकारों अथवा कृषि श्रमिकों के लिए दो अंकों में ही रहता है। वह देश के समक्ष इस असत्य सुझाव पर बल दे रहे हैं कि मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण कर लिया गया है।

महोदय, उनका चतुराई पूर्ण दृष्टिकोण तो देखिए। अन्य मामलों में उन्होंने पांच वर्ष की अवधि में हासिल की गई सफलताओं का तो उल्लेख किया है परन्तु इस अवधि के दौरान, कीमतों में हुई वृद्धि का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। यह बात इतिहास में दर्ज की जाएगी कि इस अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने डॉ. मनमोहन सिंह, जोकि इस पूरी अवधि में वित्तमंत्री पद पर रहे हैं, की सहायता से अब तक की भी अवधि की तुलना में उच्चतम विकास दर प्राप्त की है। इसलिए, रोजगार, कीमतों और औद्योगिक विकास के बारे में उन्होंने पांच वर्ष की अवधि की बात नहीं की है। परन्तु में सारे वायदे चुनावी घोषणा पत्र में किए गए थे। वे एक बार फिर वायदे कर रहे हैं। यह भी सत्य नहीं है कि सत्ता में आने के पश्चात् अल्पमत में रहते हुए भी उन्होंने वास्तव में थोड़ा बहुत कार्य किया हो। वह सफलताएं बताते हैं। एक अन्य पुस्तक है जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1992-97 कहा जाता है मैं नहीं जानता कि वह पुस्तक उनके विरोधी लिखते है या कोई और लेकिन वह चुनाव घोषणा पत्र के बाद ही लिखी गई है। उसमें उन्होंने कुछ वायदे किए थे (व्यवधान) वह कृषि में हुए विकास का श्रेय ले रहे हैं। जरा यह देखिए। तालिका 3.1 में चुनिंदा वस्तुओं के लिए शेष सामग्री संबंधी कतिपय आंकड़े दिए गए हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्तमंत्री के बीच कुछ शत्रुता हो सकती है क्योंकि अद्यतन वार्षिक योजना वित्तमंत्री के चुनाव घोषणा पत्र से मेल नहीं खाती है और इसमें पूर्व में हुए कार्यों की आलोचना की गई है। उन्होंने कृषि उत्पादन में वृद्धि का श्रेय ले लिया परन्तु वास्तविक आंकड़े यहां मौजूद हैं। 'आठवीं' पंचवर्षीय योजना' नामक पुस्तक के अनुसार, 1996-97 में 210 मिलीयन टन खद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, उन्हें किस बात पर गर्व है? 1995-96 में 191 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त किया गया जो शायद 1996-97 में भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। 'आठवीं पंचवर्षीय योजना' में दर्शाए गए प्रत्येक आंकड़े पर नजर डालिए और उनकी तुलना उपलब्धियों से कीजिए। इसके बारे में वह चुप्पी साधे हुए हैं। इसे सत्य का गोपन कहा जाता है। इसलिए उन्होंने जो भी वायदे किए और जब भी वायदे किए उनके अनुरूप उन्हें ये उपलब्धियों हासिल हुई हैं, जिन्हें वह छिपा रहे है और अन्य बातें कह रहे हैं।

हमें उन अन्य बातों पर भी चर्चा करनी चाहिए। उनमें से एक विषय है-गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग। मैं जानता हूँ कि वह युवा उम्र में राजनीति में आए हैं और उन्हें उनके मित्र गुमराह कर सकते हैं। लेकिन उनमें भी अपनी एक विशेष प्रतिभा है। वह प्रतिभा कहां चली गई? बार-बार यह कहा जाता रहा है कि योजना आयोग द्वारा बनाए गए प्राक्कलनों की विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और उसमें वृद्धि की जाती है। हाल ही में डॉ0. गुप्ता द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया जो प्रकाशित हुआ हैं और हर व्यक्ति कह रहा है कि यही सत्य है। इसके विपरीत वे अपना कौशल दिखा रहे हैं वह डॉ0 गुप्ता को जानते हैं। वह योजना आयोग में थे। मुझे पूरी जानकारी नहीं है परन्तु उन्होंने शायद विरक्त के कारण उसे छोड दिया था। मैं भी उन्हें जानता हूँ। उन्होंने निष्पक्ष रुप से प्राक्कलन तैयार किया था और जो निष्कर्ष निकला, वह वित्तमंत्री द्वारा बताये गये आंकड़ों के विपरीत था सत्य तो यह है, यह प्रथम तथ्य है। गरीबी, 1987-88 की तरह 1993-94 में भी 39 प्रतिशत पर स्थिर रही। उनके प्राक्कलन ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक कुछ और महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि सभी उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि 1993-94 के पश्चात् गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत बढ़ रही है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने जिन आंकड़ों का उल्लेख किया है उनके बारे में भी यही कहा जाता है।

श्री मुरली देवरा : जब आप बोलने के लिए उठे तब वह जा चुके थे (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसलिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे यही सत्य है और ऐसा क्यों न हो? उन्हें यह समझ लेना चाहिए था कि मंत्रीमंडल में रहते हुए राजनेताओं के इस प्रकार के सम्पर्क में रहने से मानव होने के नाते उनमें कतिपय विकृतियां आना स्वाभाविक ही है। इन विकृतियों के कारण वह यह नहीं देखते कि उनका अवबोधन उन्हें उन लोगों क दशा देखने की अनुमति नहीं देता जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां भूमि सुधार नहीं हुआ है और जहां व्यवहारिक पंचायत प्रणाली लागू नहीं है। बढ़ती हुई कीमतों और बेरोजगारी का प्रभाव यह हुआ है कि पहले की अपेक्षा उनका जीवन और अधिक दु:खद हो गया है। मंत्री महोदय विकास पर गर्व करते है। यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है। अस्सी के दशक में भी वह मौजूद थे परन्तु उस समय वह मंत्री नहीं थे। उन्होंने आंकड़ों का अध्ययन न करके इस पंचवर्षीय योजना अवधि में जिस विकास दर की बात की है परन्तु वह विकास दर अस्सी के दशक की पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान ही प्राप्त कर ली गई थी। और उन्होंने इसका श्रेय ले लिया। इन दोनों अवधियों में विकास दर उससे कम नहीं थी जो उन्होंने बतायी है। वास्तव में यदि हम पांच वर्ष की अवधि को एक साथ लें तो पायेंगे कि श्री राव और श्री वी.पी. सिंह के शासनकाल में विकास दर पहले के मुकाबले काफी निराशाजनक रही है और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि वह वर्ष 1991 को अपने कार्य की शुरुआत मानते हैं जो कि अस्सी के दशक की दो पंचवर्षीय अवधियों का चरम बिन्दू है। उन्होंने यह उल्लेख किए बिना श्री वी.पी. सिंह और अन्यों की आलोचना की कि उस वर्ष जो भी हुआ वह दो उच्च विकास की अवधियों का परिणाम था। इसका उल्लेख कभी नही किया जाता है और न ही उसे स्वीकार किया जाता हैं। यह कभी नहीं बताया जाता है। मैं ईश्वर का धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि हमने इसलिए बोलना शुरु किया है क्योंकि हम अस्सी के दशक में भी बोले थे। हमने अभी तक भी ऐसा नहीं किया है। यदि हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी फिर से उसी संकट की स्थिति में आ जाएंगे जैसी 1990-91 में थी। निश्चय ही, हम उसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान शासन की सापेक्ष अक्षमता के

कारण ही वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। गति थोड़ी धीमी है। आरामदायक वस्तुओं का आयात बढ़ रहा है और उसी अनुपात में रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। वे जो कर रहे हैं उसका उल्लेख नहीं करते हैं। उनका कहना है कि नियमों के अनुसार डालर का मूल्य 34 रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इन तीन वर्षों की अवधि में, उनका विश्वास है, कि रुपए का अवमूल्यन अनिवार्य हो गया है। 1991-92 में उन्होंने दो बार रुपए का अवमूल्यन किया था। अब वे दोबारा रुपए का अवमूल्यन कर रहे हैं। वे कैसे करते है?

श्री मुरली देवरा : आप कलकत्ता जाते समय चर्चा क्यों नहीं कर लेते?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस पर मैं आपके साथ चर्चा करुंगा क्योंकि मेरे पास आपके बारे में काफी सामग्री है।

श्री मुरली देवरा : नही, मैं सक्षम नहीं हूँ। वह बंगाली हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इस रहस्य को बताना नहीं चाहता था। यदि मैं यह कहूँ कि मैं जो कुछ अकेले में उनसे कहता हूँ उससे वह सहमत हो जाते है तो क्या आप नाराज हो जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : नहीं, मुझे कोई दोष मत दीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उन दोनों का मेलजोल भी है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपके साथ नहीं। आप यह जानना चाहती हैं कि मैं किसके साथ मेलजोल रखता हूँ। मैं उसे गुप्त रखना चाहता हूँ।

श्री मुरली देवरा : आप उन्हें क्यों नहीं बता देते?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उन्हें बताना नहीं चाहता हूँ।

महोदय, सही मायने में खतरा यह है कि बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे, बढ़ती हुई ऋणदेयता और भुगतान संतुलन में घाटे की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए रुपए का दो बार अवमूल्यन कर रहे हैं। 1991 में जब रुपए का दो बार अवमूल्यन हुआ था तो उस समय भी यही तर्क प्रस्तुत किया गया था। 1980 के पूरे दशक में भी यही तर्क दिया गया था। वही कहानी फिर दोहरायी जा रही हैं। पर वे इससें सहमत नहीं होंगे और सत्य को नहीं बताएंगे।

महोदय, वास्तव में, मैं बोलना नहीं चाहता था। परन्तु फिर भी मैं एक कारण से बोलना चाहता हूँ। अगले चुनावों के बाद नए लोग आएंगे और हम अगली शताब्दी में प्रवेश करेंगे, परन्तु हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए वह शताब्दी कैसी रहेगी? इस प्रश्न का उत्तर निर्वाचक मंडल और पूर्व वित्तमंत्री को देना है।

महोदय, 1980 के दशक में भी इस प्रकार का खतरा नहीं था। पूरे विश्व में किसी प्रौद्योगिकीय क्रान्ति आने से ही सारी विश्व अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसर कम होते जा रहे हैं इसलिए विश्व के विकसित देशों में बड़ी मात्रा में अधिशेष निधियां जुटाई जा रही हैं। उन्हें मानव के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये निधियां लगभग 100 बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कुछ पूंजीपतियों के हाथों में एकत्रित होती जा रही हैं जो हमारे शेयर बाजार में दखल दे रहे हैं और जिनकी सुविधा के लिए निक्षेपागार विधेयक परित कर रहे हैं। इस प्रकार उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। पूंजी की ताकत की वजह से बहुत अधिक दबाव बना हुआ है। यह कोई नई बात नहीं है। परन्तु अब जबकि यह शताब्दी समाप्त होने वाली है उन्होंने अर्थव्यवस्था और वित्त क्षेत्र पर नियंत्रण आरम्भ किया है। परन्तु उन्होंने अब एक नई तरकीब निकाली है वे नये बाजार ढूढ़ रहे हैं तथा उसके लिए रिश्वत भी दे रहे हैं। ताकि वे उनमें अपने पैर जमा सकें। वे केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों को रिश्वत दे रहे है। रिश्वत लेने वालों में जापान के प्रधनमंत्री, विकसित देशों के लोग यहां तक कि इटली के केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हैं। महोदय, मैं हवाला घोटाले के सभी लेनदेनों के बारे में होने वाले समाधान की प्रतीक्षा कर रहा था। इसका बहुत ही साधारण सा समाधान था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि बाद में हम सत्ता में आएंगे तो हम वह समाधान अवश्य ढूढ़ लेंगे। वह समाधान है- 'फेरा' को समाप्त करना। इन सभी विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों को 'विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम' के कारण ही गैर कानूनी करार दिया गया है। आप उसे हटाकर सभी सौदों को कानून के अंतर्गत लाइये। यह सीधे ही रिश्वत देने संबंधी मामला है। इसलिए मैं पूरे वाममोर्चा, श्रमजीवी वर्ग और देश के उन सभी नागरिकों की ओर से कुछ कहना चाहता था जो हमारी युवा पीढ़ी के बारे में यह सोच कर चिन्तित हैं कि अगली शताब्दी में हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जब तक हमारी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं घटेगा तब तक हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकते।

मैं केवल एक या दो अन्य शब्दों का उल्लेख करूंगा। मैंने, उद्योग में प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले फिल्टर के निर्माताओं के पक्ष में वाणिज्य मंत्री को एक पत्र लिखा था। अब एक ही मुद्दा यह है कि वे उनका उत्पादन सस्ती लागत पर तथा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुसार करते हैं और बड़ी फर्में इन मदों का उत्पादन किए बिना इनका बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में आया करती है। और हमारे देश में अपना कार्यालय खोलकर इनकी आपूर्ति करते हैं। इस लघु क्षेत्र के उत्पाद के बारे में यह संदेह है कि राजनैतिक क्षेत्र में कुछ लेनदेन हुआ है। ऐसा वहां भी हो रहा है। इस संबंध में वाणिज्य मंत्री जी ने मेरे पत्र का जो उत्तर दिया था उसका विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने सीधा सा उत्तर यह दिया था कि हम उदारीकरण के रास्ते पर चल रहे हैं इसलिए चाहे कुछ भी हो हम छोटे लोगों के विकास के लिए हालात पैदा नहीं कर सकते। चाहे वे उसका उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुसार करें, सस्ती लागत पर करें तो भी उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वेदी पर स्वयं को बलिदान करना ही होगा। हमें इसी बात का डर है और इसी कारण हमें इस प्रकार के बजट प्रस्तावों का विरोध करना पड़ रहा है। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूँ।

कुमारी ममता बनर्जी : खालसा स्कूल के बारे में क्या हुआ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उन्होंने केवल दो ही स्कूलों के बारे में सुना है। एक तो वह जिसने उन्हें डॉक्ट्रेट की उपाधि दी थी और दूसरा खालसा स्कूल। उन्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वह स्कूल मेरे निर्वाचक क्षेत्र में है। परन्तु वह हर जगह समस्याएं तो उत्पन्न कर ही सकती है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि मैं उनके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूं। परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहती हूं कि मैं वहां पर कांग्रेस के उस युवा कार्यकर्त्ता की मां से मिलने गई थी जिसकी मृत्यु साम्प्रदायिक दंगों में लोगों को बचाते हुए हुई थी। और ये लोग अन्य लोगों के साथ वहां केवल साम्प्रदायिक दंगा कराने गए थे।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, जब हम अपने देश के भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या संभावनायें हो सकती हैं। इस बात का उल्लेख भी किया गया है तथा वे इसका श्रेय लेते है कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा तीव्रता से बढ़ रहे हैं।

हमारा कहना यह है कि जहां तक संभव हो सके प्रत्यक्ष करों की वसूली उस स्तर तक की जा सकती है जहां तक कि हमारा राजस्व घाटा कम हो। जिससे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की बचत बढ़ेगी, वित्तीय घाटा कम होगा तथा जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्योगों पर ध्यान दिया जायेगा जो घाटे में चल रहे है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। अन्य वक्ता भी हैं तथा हमारे पास समयाभाव है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप इस प्रकार चर्चा को रोक नही सकते हैं।

सभापति महोदय : फिर आपको मध्य रात्रि तक बैठना पड़ेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया हमें उसकी भी अनुमति दें।

सभापति महोदय : आपने काफी समय ले लिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय अत: हमारा सुझाव यह है कि प्रत्यक्ष संसाधनों को एकत्रित करके पूर्णतया यह संभव है। यदि वे अपने तथा गुजरात के सेन्टर फार मॅनेल्टी इकोनोमिक्स में आंकड़ों को भली प्रकार देखे तो 5,000 ऐसी कंपनियां हैं जो कि कर की अदायगी नहीं करती हैं जबकि उनका लाभ 1 करोड़ से 500 करोड़ के बीच है।

डॉ. देवी प्रसाद पाल : यह ठीक नहीं है। आई.सी.आई.सी.आर. की रिपोर्ट के अनुसार जहां तक 5,000 से अधिक कंपनियों का सवाल है, कर की दर 20 प्रतिशत से कम नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरे पास कागजात हैं, क्या इसके बाद अपने शब्द वापस ले लेगें? मेरे पास पूरी सूची है। मैं उन्हें बता दूं कि यहां सूची मैंने उनके विभाग से ही प्राप्त की है तथा लगभग सभी मामलों में कर की दर शून्य है। यह सी.एम.आई. का प्रकाशन है। विकट का कोई लाभ नहीं है क्योंकि उनके विभाग ने ही मेरा ध्यान आकर्षित किया है। अब मैं बैंकों के सम्बन्ध में बोलूंगा। बैंकों में क्या तसवीर है?

सभापति महोदय : पहले, आपने कहा था कि यह आपका अन्तिम मुद्दा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने कहा था कि यह कई अन्य मुद्दों में से एक है। क्या बैंक क्षेत्र में वे संसाधन जुटा सकते हैं? उन्होंने विगत तीन वर्षों के दौरान बैंकों में पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए 11,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 5000 चूककर्त्ताओं की सूची में, लगभग 350 ऐसी कम्पनियां है जिन पर 38000 करोड़ रुपये बकाया है। सत्तापक्ष ने 110000 करोड़ रुपया अलग कर दिया ताकि वह इसमें गड़बड़ कर सके। यह सब हो रहा है।

जहां तक इस चूक अथवा बकाया राशि की बात है ग्रामीण बैंकों तथा अखिल भारतीय ग्रामीण बैंकों के मामले में ऋण का यह भुगतान नहीं किया गया तथा 11000 करोड़ रुपये का प्रावधान पूंजी की कमी के लिए किया गया किन्तु वे कर्मचारियों के विषय में चिन्तित नहीं है।

सभापति महोदय : चटर्जी महोदय, कृपया आज तो आप सहयोग कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे बीमा क्षेत्र व बैंक क्षेत्र के कर्मचारियों के विषय में चिन्तित नहीं है। कर्मचारी, समझौते से अप्रसन्न हैं। ग्रामीण बैंकों में क्या हुआ है समझौते के बावजूद भी कर्मचारियों को, किए गए वायदे से वंचित रखा गया है। सरकार इससे कदाचित शर्मिन्दा भी नहीं है। वे चूक कर्ताओं के लिए भुगतान करने को तैयार हैं किन्तु कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं।

जैसा कि हमने कहा है कि हम यह नहीं चाहते की धन उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय आपातकाल की बात की जाए। सरकार के बारे में तो कुछ भी कहने के लिए नहीं है, यह पूरी तरह असफल रही है। यह उनकी चुनावी चाल है। मैं आय वृद्धि आदि के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वास्तविकता यह है कि यह एक अन्तरिम बजट है। हम वित्तीय आपातकाल की आवश्यकता से बचने के लिए तथा अनुमति देने हेतु यथा संभव प्रयास करने के लिए लेखाअनुदान पास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह राशि भी उन्हें उपलब्ध न हो तथा चुनाव जल्दी हों ताकि इन चार महीनों के समाप्त होने से काफी पूर्व ही सत्ता में ऐसे लोग आयें जो कम भ्रष्ट हों (व्यवधान) वे लोग सत्ता में आ सकें जोकि कामगार जनता तथा किसानों से जुड़े हों तथा देश को उस स्थिति में ले जा सकें जहां कि देश 21वीं सदी में गर्व से खड़ा हो सके।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण चर्चा में हस्तक्षेप है तथा विरोध स्वरुप यह हस्तक्षेप किया गया है। यह हमारे समय का प्रतिबिम्ब है तथा इस सरकार की कमजोरी का द्योतक भी है कि बजट जैसा एक महत्वपूर्ण विषय जिसे कि अन्तरिम लेखाअनुदान के रुप में आना चाहिए लेखाअनुदान को कभी-कभी

चुनावी राजनीति के लिए एक अन्तरिम बजट कहा जाता है। में नहीं समझता कि इतने शब्द प्रविष्ट वित्तमंत्री के संदर्भ में यह एक न्यायपूर्ण बात है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यह कहना भूल गया कि बजट भाषण में उन्होंने वह प्रस्ताव रखे हैं जिनको रखने के लिए वह पात्र नहीं हैं, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र को 4000 करोड़ रुपये तक के शेयर दिए हैं। कोई कर नहीं दिए जाते हैं। यह प्राप्तियों का एक भाग है। उनका, इसको बजट में सम्मिलित करना उसका काम नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से इस महत्वपूर्ण विषय, अन्तरिम बजट या लेखाअनुदान को लिया जा रहा है वह हमारे इतने प्रख्यात वित्तमंत्री महोदय के संदर्भ में न्याय संगत नहीं है। प्रत्येक अवसर पर जब भी मुझे चर्चा में हस्ताक्षेप करने का मौका लगा मैने माननीय वित्तमंत्री महोदय की ईमानदारी तथा सार्वजनिक भावना की प्रशंसा करने में कोई शर्म महसूस नहीं की। मैं यह सोचता हूँ कि यह सरकार के प्रबन्ध का तथा बदलाव के राजनैतिक प्रबन्ध का एक प्रतिबिम्ब है, जिस पर की मैं बल देता रहा हूँ। जोकि लगातार चलता रहा है और आगे भी रहेगा, आर्थिक परिवर्तन के साथ चलने की आवश्यकता का शुभारम्भ आपने यह उत्तरदायित्व संभालते ही किया है। यह आर्थिक परिवर्तन की असफलता ही है कि आज एक जाने माने वित्तमंत्री महोदय को अटपटे ढंग से पेश आना पड़ रहा है। में इस बात से ज्यादा प्रसन्न होता, यदि माननीय वित्तमंत्री महोदय अपने पांच वर्षों के परिश्रम का लेखा-जोखा राष्ट्र के सामने रखते तथा मैं यह समझता हूँ कि वह इस मामले में सौभाग्यशाली रहे हैं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर 1991 से संभाल रखी है। उन्होंने न केवल उसकी अगुवाई की अपितु, मैं यह समझता हूँ कि वह सम्भवत: स्वतंत्र भारत के एक मात्र ऐसे वित्तमंत्री हैं, यदि मेरे आंकड़े गलत न हों तो, जिन्होंने इसके साथ एक अन्तरिम बजट जिसे कि आप एक लेखाअनुदान की भांति, बिना चर्चा के धकेल रहे हैं, सम्भवत: सात बजटों में से (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : छ:

श्री जसवन्त सिंह : सम्भवत: यह छ: हो सकते हैं, तथापि यह अन्य किसी वित्तमंत्री से अधिक हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आगे और भी आऐंगें अथवा नहीं।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : वे पांच अन्य बजट प्रस्तुत करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह : मैं यह नहीं जानता।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : आप उसके बारे में कभी नहीं जानते हो (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यदि निवेशकों द्वारा अवसर प्रदान भी किया जाता है तो मुझे संदेह है कि आपने उन्हें वित्तमंत्री बनाये रखेंगें।-(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : निश्चित रुप से वे अगले वित्तमंत्री बनेंगे (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस विवाद में नहीं फंसना चाहता क्योंकि मैं ...

[हिन्दी]

कुश्ती के अखाड़े में कोई खम तो ठोकने नहीं है। आप जोर-जोर से कहिये, हम जीतेगे, मैं उसी अवाज में आपको कहूँ कि हम जीतेगे, उससे जीत नहीं आती। जो जीत आयेगी, वह आयेगी, देने वाले जीत देगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। उन्हें तंग मत कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मुझे अधिक प्रसन्नता होती यदि उन्होंने राष्ट्र को देश की अर्थव्यवस्था का उचित उद्देश्यपूर्ण तथा निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत किया होता तथा गत 5 वर्षों में देश कि उपलब्धियों के बारे में बताया होता। मैं यह बात समझता हूँ कि यह वर्ष होने के कारण सदन में तथा अन्यत्र उनके हस्तक्षेप को इस परिदृष्टि में देखा जा रहा है। तथा इसमें कोई संदेह नहीं है कि गत 5 वर्षों में देश के प्रति उनके द्वारा की गई इस महान सेवा के प्रति लिए न्याय नहीं किया गया है।

महोदय, यह मेरे लिए अत्यन्त दु:ख की बात है कि पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी देने का जो वचन सभा में दिया गया था तथा जिससे हमें मूल्याकंन करने तथा अगली सरकार को कार्यभार सौंपने में बहुत अधिक सहायता मिलती क्योंकि इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है तथा चुनावों के द्वारा नई सरकार आने वाली है और यदि कार्यभार सौंपते समय योजना आयोग द्वारा योजना की पूर्ण जानकारी दी जाती तो हमें भी अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी होती।

मेरे कुछ मुद्दे हैं, मैं विस्तृत विशलेषण में नही जाना चाहता, मेरा प्रथम मुद्दा वास्तव में सांख्यकि सम्बन्धी कुछ कठिनाईयों से उत्पन्न होता है। ऐसी बात नही है कि माननीय वित्तमंत्री द्वारा सभा को दिए गए आंकड़ो में मुझे विश्वास नही है लेकिन एक गम्भीर टीकाकर्ता द्वारा जब मुझे वैकल्पिक आंकड़े दिए गए संख्यिकीयविद् तथा मेरे मित्र श्री निर्मल कान्ति चटर्जी जो अब यहां उपस्थित नहीं है, जिस कारण मैं थोड़ा सा संशय में हूँ मेरा पहला प्रश्न वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद के बारे में है, इसमें कोई संदेह नही हे कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, किन्तु इस सरकार द्वारा दावा किए गए सकल घरेलू उत्पाद को देर विवादास्पद है। मुझे यह जानकारी दी गई है कि वर्ष 1991-92 और 1995-96 के बीच के 5 वर्षों की वृद्धि दर पूर्ववर्ती 5 वर्षों की वृद्धि दर को तुलना में वस्तुत: 4.6 प्रतिशत है। सांख्यिकीविद् द्वारा मुझे बताया गया था कि यह 5.8 प्रतिशत थी। अब मैं चर्चा को आंकड़ों के विवाद का रुप नही सदेना चाहता। लेकिन क्योंकि हमारे पास यह पता लगाने के लिए कि क्या ठीक है और क्या गलत कुछ मानदण्ड होने चहिए अत: इन आंकड़ों का कुछ महत्व है। मैं माननीय वित्तमंत्री के साथ कृषि सम्बन्धी स्थिति के बारे में भी कुछ गम्भीर बाते करना चाहता हूँ। यह जानते हुए भी कि वे इस

समय जिस पद को संभाले हुए है तथा उन्हें जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है उनकी जड़े मेरे जैसी, है मेरा घर एक गांव है, तथा शायद सांख्यकीय द्वारा जानकारी की तुलना में कृषि के क्षेत्र में वास्तव में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मुझे अधिक जानकारी है। मैं चिंतित हूँ कि 185 से 190,192 मिलियन मेट्रिक टन तक खाद्यान्नों के उत्पादन में मानसून वरदान साबित हुआ और हम बावजूद इसके आज संघर्षरत है। मैं इसलिए भी चिंतित हूँ कि पिछले पांच वर्षो के इस सरकार के कार्यकाल के दौरान कृषि क्षेत्र में जो पूंजी निवेश होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। यदि वह पूंजीनिवेश कृषि के क्षेत्र में नहीं होता तो जाहिर है कि अगर मानसून पहले जैसा दयालू नहीं रहता है तो खाद्यान्न के मोर्च पर देश को भारी कठिनाईयों का समाना करना पड़ सकता है। यदि आप खाद्यान्न के मोर्च पर कठिनाईयों का समाना करते तो जाहिर है कि विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता हेतु आये आएंगा।

मैं तीसरा मुद्दा कीमतों से जुडा हुआ है। मैं चाहूँगा कि सरकार और वित्तमंत्री हमें यह अवगत कराएं कि थोक मूल्य सूचकांक में और उपभोक्ता संबंधी सूचकांक से कुल कितनी वृद्वि हुई हैं। और वृद्वि दर क्या रही है। पिछले पांच वर्षो की वृद्वि और वर्तमान वृद्वि दर में काफी अंतर रहा है। मैं माननीय वित्तमंत्री जी से सहमत हूँ कि थोक मूल्य सूचकांक में वृद्वि दर अपेक्षाकृत कम होने कि प्रवृत्ति रही है। लेकिन इस वृद्वि से मुझे संतोष नहीं होता है। मुझे आंकड़े दिए गए है कि इन पांच वर्षो की अवधि में थोक मूल्य सूचकांक में 9.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि पांच साल पहले इस संबंध में तुलनात्मक आंकड़ा 7.1 प्रतिशत था। दूसरी तरफ उपभोक्ता मूलय सूचकांक में10 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। यह चिंता का विषय है।

मूल्य सूचकांक में मूल्यवन के लिए यह तीसरा मानदण्ड है। क्या हमारे देश के पुरुष और महिलाएं दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद-फरोख्त करने में.सक्षम है या गृहणियां अपना मासिक बजट पूरा कर पाने में उस कठिनाई महसूस कर रही है। मैं ही अवैधानिक तरीका जुटाता हूँ और वह अवैसनिक तरीका जुटाता हूँ और वह अवधानिक तरीका है मेरी मैं उसे पूछता हूँ कि क्या तुम वित्तमंत्री के वक्तव्य से संतुष्ट है कि कीमतों में प्रति वर्ष गिरावट आ रही है और या कीमते नहीं बढ़ रही है या फिर कीमतें आरामदायी नहीं है। उस पक्ष से मुझे अभी तक आश्वस्त करने वाला उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : वित्तमंत्री की पत्नी भी इससे सहमत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पॉकेट खर्च के लिए आप उनको देते है।

श्री जसवन्त सिहं : मैं उनको उतनी ही रकम दे सकता हूँ जितना मेरी जेब से मुझे अनुमति मिलती है। मैं इसके बारे में नही जाना चाहता कि क्या यह खाद्य तेल है या सब्जी का तेल है मांसया अनाज है। एक सामान्य गृहिणी को ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। और यदि सामान्य गृहिणी को ज्यादा भुगतान हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है और यदि माननीय वित्तमंत्री यह जोर देते रहे कि नही नहीं। कीमत कम होती जा रही है तो मैं चकित हूँ क्योंकि मैं वित्तमंत्री के प्रति स्नेह सम्मान और मेरी अपनी पत्नी के प्रति जो और सम्मान है इन दोनों के बीच मै अपने को फंसा हुआ पाता हूँ (व्यवधान) यदि माननीय वित्तमंत्री जी मुझे और मेरी पत्नी को बांट दे तो वह इस संदेह को दूर कर सकते है। श्री संतोष मोहन देव आप अपनी पत्नी को कह सकते है कि वह उनकी पत्नी से बात करे तब आपको कई सामानतायें मिलेंगी।

श्री जसवन्त सिहं : यह साख्यिकीय पद्वति की तुलना में वास्तविक मूल्य सूचकांक के मूल्यकंन करने का बेहतर तरीका सिद्व हो सकता है। महोदय, मेरा वित्तीय घाटे का प्रश्न है। में प्रत्येक मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि माननीय वित्तमंत्री ने स्वयं कहा है कि वह वित्तीय घाटे के प्रबन्धन के प्रश्न से सतुष्ट नही है। यह स्वीकारोंक्ति है। इसे मैं उनके विरुद्व बहस करने के लिए इस्तेमाल में नही लाना चाहता। लेकिन मैं इसको लेकर काफी चिन्तित हूँ। मैं दो या तीन मुद्दो पर चिन्तित हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि यह वित्तीय घाटों लघु बचत की वजह से है। जो अपने आप में जटिल तर्क है। लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नही दिया है। मैं इसे अस्वीकार नहीं करता। संभवतया यह मुख्य कारक है लेकिन वित्तीय घाटे में मेरी समझ से दो अन्य कारणों ने भी योगदान किया है जोकि चिंता का विषय है। और यह सरकार की पिछले पांच वर्षों की भारी विफलता है। ये दो इस प्रकार हैं एक सरकार का आकार, नौकरशाही की लागत और सरकार की लागत। मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूँ। और दूसरा कारण है अप्रत्यक्ष रुप से दी जाने वाली राज सहायता।

मैं समझ सकता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ कि भारत जैसे देश में चाहे गरीबी संबंधी आंकड़े जो भी हों उस वर्ग को सहायता देने हेतु जो समाज के अन्य वर्ग के बराबर नहीं है और राज्य द्वारा हस्तक्षेप ही है और जिसे सहायता की वाकई में आवश्यकता है। उस राज्य सहायता के बगैर, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यह सहायता राज्य के हस्तक्षेप के लिये दी जानी चाहिए।

मेरी कठिनाई भिन्न है। मेरी कठिनाई यह है कि इस सरकार ने राज सहायता के विषय में चर्चा शुरू करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी कठिनाई है कि इस सरकार ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम के आधार पर आसान निर्णय लिए है। इस सुधार के आधार पर वह कोशिश कर रही है कि राष्ट्र के समक्ष सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत की जाय। मैं चिंतित हूँ और मुझे उस चिंता में सरकार को भी अवश्य शरीक करना चाहिए कि सरकार का आकार कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। और अप्रत्यक्ष राज सहायता की समस्या भी है। क्या वित्त मंत्री हमें वे आंकड़े उपलब्ध कराएंगे जो उनके पास हैं, यदि कल घरेलू उत्पाद और अप्रत्यक्ष राज सहायता के बीच अनुपात स्थापित किया जाए तो क्या निष्कर्ष निकलता है और तब, यदि सकल घरेलू उत्पाद और देश के राजस्व के

बीच एक अनुपात स्थापित किया जाए तो क्या आंकड़ा बनता है और यदि इन दो अनुपातों के दोनों आकंडों की तुलना की जाए तो मैं चिंता में पड़ जाता हूँ कि यह सकल घरेलू उत्पाद अनुपात राजसहायता और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात राजस्व एक समान हैं और यदि 'क' राजसहायता पर खर्च किया जाता है और यदि 'क' प्रतिशत हम राजस्व के द्वारा अर्जित करते हैं, तो हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह राजसहायता पर खर्च होता है बहुत ही कम बचता है। इसका मतलब माननीय वित्त मंत्री जी ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जिसे सरकार उपलब्धि कहा जाए। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। मेरे पास कई आंकड़े हैं। एक आंकड़ा तो स्वयं वित्त मंत्री जी ने हमें दिया है। हमारा ऋण संबंधी व्यय 60000 रूपये तक होगा।

महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने पहली बार इन दोनों शब्दों के अन्तर को जाना। पहले ऋण और रक्षा व्यय का अनुपात काफी संतुलित होता था। मैं इन आंकड़ों में विस्तार से नहीं जाना चाहता। आज ऋण 60,000 करोड़ है और रक्षा व्यय लगभग 27,820 करोड़। हमारी ऋण आवश्यकता की तुलना में रक्षा व्यय आधे से भी कम हो गया है। मैं समझता हूँ कि रेलवे पर यह सम्मेलन कहीं बाहर आयोजित किया जाता तो अच्छा होता।

सभापति महोदय : कृपया सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें।

श्री जसवन्त सिंह : मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैंने पहले ही ऋण के बारे में मुद्दे उठाने की बात कही थी। मेरे आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1991 में उस वर्ष परिपक्व आंतरिक ऋण के भुगतान के लिये लगभग 988 करोड़ रूपये आप मोटे तौर पर 1000 करोड़ रु. मान सकते हैं। खर्च हुए थे। वर्ष 1993-97 के दौरान मुझे बताया गया है कि हमें इसके लिये 7921 करोड़ रूपये लगभग 8000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह लगभग 700 प्रतिशत वृद्धि है। यह वृद्धि इतनी अच्छी नहींहै कि मैं संतुष्टि महसूस करूं। एक सी मात्रा से मैं परेशान हूँ। वित्त मंत्री जी आपके नेतृत्व में पिछले पांच-छ: वर्षों के दौरान लगभग 1000 करोड़ रूपये से लगभग 8000 करोड़ रूपये तक की यह वृद्धि चेतावनी सूचक है।

नि:संदेह विदेशी ऋण की स्थिति के बारे में सभी संसद सदस्यों को श्वेत पत्र भेजा गया है। यह इसे समझने में सहायक सिद्ध होगा। मैंने नौकरशाही और सरकार के व्यय पर कहा है और इस विषय पर मैं और नहीं बोलूंगा। माननीय वित्तमंत्री के अच्छी तरह से तैयार किये गये भाषण में आने वाले वर्षों के लिये लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों अथवा आर्थिक क्षेत्र के बारे में भी बताया गया है। यह उद्देश्य ऐसे हैं जिनसे संभवत: बहुत ही कम लोग असहमत हों।

उदाहरण के तौर पर इन उद्देश्यों में आर्थिक आधारभूत ढांचे के बारे में उल्लेख किया गया है। मेरे विचार में यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस सरकार ने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया है। आर्थिक आधारभूत ढांचे से मेरा तात्पर्य ऊर्जा, परिवाहन, संचार और क्षेत्रीय असंतुलन से है। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो शायद माननीय वित्त मंत्री ने भी इस संबंध में यही मानदण्ड अपनाया है। संदर्भ में प्रयोग किया है। पिछले कई वर्षों के लिए मुझे ऊर्जा समिति का सभापति बनने का सम्मान मिला है इस क्षेत्र में मेरा बहुत अधिक ज्ञान नहीं था लेकिन इस अवधि में इस विषय में मैंने बहुत कुछ सीखा जो कि समिति के सभापति होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व था। मोटेतौर पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 38000 मेगावाट के प्रारम्भिक लक्ष्य की तुलना में यदि हम 19000 मेगावाट का लक्ष्य भी प्राप्त कर पाये तो हम भाग्यशाली होंगे। आर्थिक सुधार की गति विशेषकर आर्थिक आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में कतई संतोषजनक नहीं रही है। यही बात परिवाहन के संबंध में भी है। मेरे साथी इस संबंध में रेलवे पर बोलेंगे। रेलवे की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। संचार और क्षेत्रीय असंतुलन की भी लगभग यही स्थिति है। पिछले पांच वर्षों में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। कम नहीं हुआ है। इसे सरकार की उपलब्धि नहीं कहा जा सकता।

मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के सामाजिक बुनियादी ढ़ांचे के संदर्भ में उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी उत्तरदायी हैं। इस तरह यह एक विवादास्पर विषय बन जाता है - हमने यह किया है, आपने यही नहीं किया, इस प्रकार के तर्क दिये जाते हैं। लेकिन शायद अंतरिम बजट के मामले में इसकी भी आवश्यकता नहीं है।

अब मैं संक्षेप में रक्षा पर कुछ कहना चाहता हूँ। माननीय वित्त मंत्री ने एक घिसेपिटे वाक्यांश का प्रयोग किया है। अगर वे इसका प्रयोग नहीं करते तो मुझे खुशी होती क्योंकि आज इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है यह वाक्यांश है : रक्षा तैयार का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है और यह सभा आश्वासन देती है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जायेगा।

7.00 म.प.

मुझे सरकार के इरादों पर कोई शक नहीं है, परन्तु जब इन इरादों को अमल में नहीं लाया जाता तब मुझे परेशानी होती है। मैं तो यह भी नहीं बताना चाहता हूँ कि 10 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की दर में गिरावट की ओर ध्यान न देते हुए रक्षा व्यय 25,000 करोड़ रू0 से बढ़ाकर लगभग 27,819 करोड़ रूपये किया गया है, जो कि विकास की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है तथा वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह रक्षा मंत्रालय को जिम्मेदारियों के अंतर्गत आएगा। मान लीजिये वेतन आयोग सिफारिश करता है कि वर्तमान वेतन में 'क' प्रतिशत की वृद्धि की जाये तो यह 'क' प्रतिशत कहां से आयेगा?

मेरा मुद्दा यह है सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि रक्षा समिति के सभापति के रूप में आपने समिति के नवीनतम प्रतिवेदन में इस ओर संकेत किया है। इसलिये माननीय वित्त महोदय का यह कहना कि 'हम रक्षा तैयारियों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ठीक नहीं लगता। वित्त मंत्री के इस वक्तव्य के ही दिन आपकी संसदीय समिति यह टिप्पणी करने हेतु

मजबूर हुई कि आज तक रक्षा पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मैं मनहस्तन के माननीय संसद सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे को ध्यान से सुने और इस ब्यान दें। महोदय, यदि आपकी समिति सर्वसम्मति से यह पाती है कि यह सरकार अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में आज तक रक्षा पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दे पायी है और अब तक किये गये सभी आबंटन तदर्थ आधार पर किये गये हैं, तथा जब आपकी समिति ने रक्षा सचिव से पूछा-मैं यहां पर दी गयी सूचना के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं प्रतिवेदन में से भी कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं तो इस तथ्य से हैरान हो गया कि आपने इस बारे में रक्षा सचिव का साक्ष्य आवश्यक समझा-तो आप अब तक रक्षा पंचवर्षीय योजना को पूरा क्यों नही कर पायें? महोदय मुझे आश्चर्य है कि इसके प्रत्युतर में रक्षा सचिव ने कहा। मैं अपनी स्मरणशक्ति से कह रहा हूं। अभी मैं कोई सीधा उत्तर नहीं दे सकता रक्षा सचिव एक विशिष्ट सिविल प्रशासनिक अधिकारी होता है और जिस निपुणता से वह अपना उत्तरदायित्व पूरा कर रहे हैं उसके कारण मैं उनका सम्मान करता हूं। आश्चर्य है, कि हम इस बात से पूरी तरह असहमत हैं क्योंकि सरकार के एक विंग के लिए, रक्षा सचिव ने आपकी समिति के सम्मुख जो कुछ कहा है उसके विपरीत दूसरी और हमें इस भ्रम में डालने की कोशिश की जाती है कि देश की रक्षा की आवश्यकताएं भली भांति पूरी की जा रही है। यह मेरा मुद्दा नहीं है और मैं इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया की अपेक्षा भी नहीं करता। हम एक पूर्ण व औपचारिक कार्यवाही से गुजर रहे हैं-ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी-मैं सत्तापक्ष के आपने सार्थियों को बताना चाहता हूं-आप विपक्ष के साथ क्या न्याय करेंगे जबकि आप अपने वित्त मंत्री के साथ ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं।

जिन्होंने देश बेहतरी के लिये वास्तव में प्रयत्न किया है। अब सात बजे थोड़े से उपस्थित संसद सदस्यों के सामने इस सदन में जिस प्रकार से सरकार के पिछले पांच वर्षों के आर्थिक प्रबंधक लेखा-जोखा रखा जा रहा है उससे सरकार के सामने रखी गयी परिवर्तन के प्रबंधन की राजनैतिक चुनौतियों के पूरा करने में असफलता का पता चलता है। महोदय, यह समय सिर्फ इस बहस को खत्म करने का ही नहीं है बल्कि समय है कि सरकार हमें स्वतंत्र छोड़ दें और आप लोग यहां से पूरी तरह चले जायें...(व्यवधान)

जिस विषय के जाल मे हम फंस गए हैं और अपना अधिकार जमा लिया ह मैंने जानबूझ कर उसके बारे मे अब तक कुछ नहीं कहा है पर माननीय सदस्य के उकसाने पर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने भ्रष्टाचार के अख्यान का विश्लेषण करें। यह वास्तव में प्रतिष्ठा को कम करने वाला कार्य है। क्या आपको पता है कि किसने हमारे प्रयत्नों को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई है। किसने राजनैतिक और आर्थिक तौर पर हमें अपंग बनाया है और आगे भी बनाता रहेगा? यह भ्रष्टाचार के कैंसर को मुकाबला करने में असफलता है क्योंकि यह आपकी सरकार में फैल रहा है और यदि यह बना रहा तो यह निचले सार पर भी फैलेगा। यह आपकी सबसे बड़ी असफलता है।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, अभी माननीय श्री जसवन्त सिंह अपनी बात कर रहे थे। इसलिए मैं उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहता हूँ। उन्होंने एक वाक्यांश का प्रयोग किया है, मनहात्तत के माननीय सदस्य।

श्री मुरली देवरा : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : लकिन मुझे इसमें आपत्ति है। यह आपकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है। (व्यवधान) मैं इस बारे में काफी गंभीर हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश में मनहत्तन नाम से कोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है।

सभापति महोदय : उन्होंने मज़ाक में ऐसा कहा।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : मैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदलता। (व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : आप संसदीय निवार्चन क्षेत्र नहीं बदलते, परन्तु क्या आप मन हात्तन के संसद सदस्य हैं? (व्यवधान)

मैं आपसे इसे स्पष्ट करने की प्रार्थना करता हूँ।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसे गंभीरता से न लें।

(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : क्या इस देश में मनहात्तन नाम का कोई संसदीय क्षेत्र है?

सभापति महोदय : आपको देश के सभी संसदीय क्षेत्रों के बारे में पता है। इसकी सूची बजट में भी प्रकाशित होती है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि आपको यह पहले ही पता है।

श्री मुरली देवरा : सभापति महोदय, मैं डा. मनमोहन सिंह और श्री जसवन्त सिंह को 'शायद' शब्द प्रयोग करने पर बधाई देता हूँ। लेकिन इस शब्द के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। वे भारत के इतिहास में अकेले वित्तमंत्री हैं जो अपने पूरे कार्यकाल में वित्त मंत्री बने रहे और जिन्होंने पांच या छः बजट अथवा एक अंतरिम बजट अथवा एक लेखानुदान प्रस्तुत किया है। केवल यह सदन ही नहीं बल्कि पूरा देश इन पांच वर्षों की अवधि के दौरान आर्थिक दिशा देने के लिये उनका आभारी हैं। मुझे इस पर दो या तीन बातें कहनी है। जब इन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्य भार सम्भाला था, उसमें पहले सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी, उस समय विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति क्या थी तथा वर्ष 1991 से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में कितनी कमी आई है और अब उनकी संख्या कितनी है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बाधा न डालें।

(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : जोशी जी, आप कृपया पुणे में ही बैठे रहिये, आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी बात पर व्यवधान नहीं डाला था। (व्यवधान)

आप कृपया रोजगार के अवसरों में हुई वृद्धि और औद्योगिक क्षेत्र में बड़े निवेश की ओर देखिए। (व्यवधान) पूंजी की मात्रा में हुई भारी वृद्धि को देखिये। मुझे खुशी है कि कुछ पहली बार अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं ने डा. मनमोहन सिंह को 'उत्तम वित्तमंत्री' का पुरस्कार, एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार, दिया है। न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि पुरे देश को पिछले पांच वर्षों के दौरान डा. मनमोहन सिंह जैसा वित्त मंत्री मिलने पर गर्व है। महोदय, जसवन्त सिंह जी एक मुद्दे पर बोले थे। मैं रक्षा बजट और रक्षा तैयार पर ज्यादा नहीं कहूँगा। मुझे इस विषय में बहुत जानकारी नहीं है। भारत की रक्षा तैयार में कमी के बारे में आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के मुम्बई अधिवेशन से पहले आपने पुणे में, क्षमा कीजिए मुम्बई में, प्रैस सम्मेलन बुलाया था जिसमें कि सेना के सेवानिवृत जनरल भी सम्मिलित थे। आप भी हो, मुझे नहीं मालूम सेना कुछ सेवानिवृत जनरलों ने रक्षा तैयार में कमी की बात कही थी। मैं इसे कोई ठीक संकेत नहीं समझता। हमें इन बातों में दलगत राजनीति नहीं लाना चाहिये। हम सभी जानते हैं कि रक्षा तैयार हेतु कोई पंचवर्षीय योजना थी या नहीं परन्तु हमारे देश की सीमाओं पर रक्षा की पूरी तैयार है।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : पुरुलिया में क्या होता है?

श्री मुरली देवरा : वहां आपके जैसे लोग हैं

[अनुवाद]

हमारे देश में आंतकवादी है जो कि पुरुलिया जैसी घटनाओं के लिय उत्तरदायी हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे कौन हैं? वे कौन है। भारतीय जनता पार्टी के हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हैं या आनन्दमार्गी हैं, आप सब जानते हैं। आप चिन्तित न हों मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आप वहां हथियार गिराने के लिये जिम्मेदार हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, क्या आप मुझे सेना की रक्षा तैयार पर बोलने के लिए एक मिनट का समय देंगे? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आज सेना देश की सीमाओं की रक्षा काम में सक्षम नहीं है। पुणे में उस सम्मेलन में कहा गया था कि सरकार की अकुशलता, मनमानेपन के बावजूद, वे रक्षा तैयार के माले को ठीक से नहीं ले रहे हैं .(व्यवधान) यह मैंने स्वयं कहा है। हमने इसीलिये तैयारी की बात की है और किस चरण में क्या-क्या करना चाहिये, इसकी बात की है। भारतीय सरकार पिछले पांच वर्षों में ऐसा करने में असफल री ... यदि आप चाहते हैं तो इस पर बहस की जाए।

श्री सुरेश केसरी : अब इस लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। यह समय इस विषय में टिप्पणी करने का नहीं है न ही इस समय कुछ करने के लिए सुझाव दिया जा सकता है क्योंकि अब समय ही नहीं है। जल्दी ही हमें जनता के पास जाने वाले हैं। भारत की जनता को निर्णय लेना है कि पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के आर्थिक मुद्दे क्या थे तथा इस पांच वर्षों की अवधि के दौरान हमारी क्या उपलब्धियां रहीं। इसका निर्णय अब जनता को लेना है। मुझे विश्वास है कि इस बार चुनाव के समय मंदिर, मस्जिद और मंडल के मुद्दों जिनसे देश में लोग बंट गए, जिससे अव्यवस्था पैदा हुई और खून खराबा हुआ, के स्थान पर मतदाताओं के सामने आर्थिक मुद्दे रहेंगे। मुझे आशा है कि आने वाले चुनावों में सरकार की उपलब्धियों और असफलताओं का ब्यौरा भी आर्थिक मुद्दों की कार्यसूची में शामिल होगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। यही कार्यसूची होगी।

7.14 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मुझे विश्वास है कि भारत के लोग यह महसूस करेंगे कि यह एक अच्छी सरकार थी। इस सरकार ने अच्छा कार्य किया, इस सरकार का समर्थन किया गया था, डा. मनमोहन सिंह ने अच्छा कार्य किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं डा. मनमोहन सिंह को पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए बधाई देता हूँ।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं सिर्फ वित्त मंत्री को पिछले पांच वर्षों से जो कठोर परिश्रम उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। श्री मुरली देवरा के विचारों का समर्थन करता हूँ। जहां तक किसानों, श्रमिकों, गरीबों, एवं दलितों का सवाल है, इन सब मुद्दों पर बल दिया गया। हमें इस बात की खुशी है कि कई योजनाएं आरंभ की गयी। इनके परिणाम अच्छे रहे। मैं सिर्फ दो उदाहरण दूंगा। एक, सुनिश्चित रोजगार योजना है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि विभिन्न बजटों में इस योजना को सुदृढ़ किया गया। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक उन्नति हुई है। ऐसी योजना आरंभ करने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ।

गरीबों के आवास के लिए व्यापक गरीबों के परियोजना आरंभ करने के लिए मैं प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ी क्रान्ति है। मेरे विचार से इसे इमनदारी और सद्भावना से आरंभ किया गया। इसे व्यापक स्तर पर आरंभ किया गया। मगर इस संबंध में मैं भारत सरकार एवं वित्त मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूँगा कि हालांकि गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं, हमारे पास केवल कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, बड़ी संख्याओं के प्रतिवेदन लंबित पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जैसे कपार्ट के लिए प्रतिवेदन आमंत्रित किए गए थे, हालांकि कपार्ट के अंतर्गत आवासीय योजनाओं की स्वीकृति की सुविधा नहीं है, श्री वेकर, जो कि कम लागत के छोटे

आवास बनाने के लिए विख्यात हैं, उनकी अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई यह समिति दो-तीन महीने से कार्य कर रही है। मगर मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ी संख्या में प्रतिवेदन लंबित पड़े हैं। और इनको तत्काल स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र से ही केवल 3000 प्रतिवेदन लंबित हैं। मुझे विश्वास है कि अन्य अनेक क्षेत्रों से भी प्रतिवेदन लंबित हैं। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस विषय में कुछ ही दिनों में कुछ न कुछ किया जा सकता है, सरकार ने पूर्ण विनम्रता से नीति का निर्धारण किया है और इस पर कार्यान्वयन शीघ्र ही किया जाएगा। मेरे विचार से इसे तत्काल आरंभ किया जाना चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा किसानों के संबंध में है। मैं अपने राज्य के किसानों के बारे में बताना चाहूँगा। अनेक कृषि उत्पाद विशेष रूप से केरल में काफी हद तक संतुष्ट हैं क्योंकि नीति में थोड़ा परिवर्तन किया गया है जिसमें, इस क्षेत्र में कुछ वास्तविक परिवर्तन की कल्पना की गई है।

अध्यक्ष महोदय : अभी अन्य कई बजट पारित किये जाने हैं।

श्री पी.सी. थामस : मगर नारियल के संबंध में अकेले .....

अध्यक्ष महोदय : आपने नारियल के बारे में कहा और 45 मिनट से हम इस पर बहस कर रहे हैं।

श्री पी.सी. थामस : मैं कृषि मंत्री के ध्यान में इसे लाया था मगर अब मैं वित्त मंत्री के ध्यान में भी इस बात को लाऊंगा कि कुछ ही दिनों में केरल एवं भारत के उन किसानों के बारे में कुछ किया जाना चाहिए जो बड़ी मात्रा में नारियल की पैदावार कर रहे हैं। और महोदय आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वो इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान दें। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अन्तिम क्षणों में यह अवसर प्रदान किया।

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बरहामपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अंतरिम बजट के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी आर.एस.पी. की तरफ से कहना चाहूँगा कि मैं इस अंतरिम बजट को सही नहीं मानता हूँ। यह केवल इसलिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण और निजीकरण के चार वर्ष के पश्चात् हम इस संकट की स्थिति में पहुंचे हैं। इस बजट में यह कहा गया है कि हम विकासोन्मुख वर्षों के दौरा से गुजर रहे हैं और विकास दर बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गई है। मेरा मत है कि विकास के लाभ का इस्तेमाल रोजगार उत्पन्न करने के लिए नहीं किया गया। विकास का लाभ गरीब लोगों को नहीं मिला। इसका लाभ भाग्यशाली लोगों को मिला है। इस बजट में यह भी दावा किया गया है कि मुद्रास्फीति की दर को पांच प्रतिशत से कम कर दिया गया है। मेरे विचार से यह वास्तविक स्थिति को प्रतिबिम्बित नहीं करती है। जहां तक कृषि उत्पादों के ऊंचे मूल्य का सवाल है, यह तथ्य से परे हैं।

वित्तीय घाटे का भी मुद्दा है। इन वर्षों में इस सरकार ने आंतरिक बाजार, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारी मात्रा में ऋण लिया है। यह ऋण, सरकार ने घाटा पूरा करने के लिए लिया। मगर वित्तीय घाटा कम नहीं किया जा सका। अतः मैं इस बजट की सराहना नहीं कर सकता। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार के लिए इस बजट में इमानदारी से प्रयास नहीं किया गया। वे रूग्ण हो गए हैं और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया है।

मैं एक और बात कहना चाहत हूँ। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी प्रोद्योगिकी को आमंत्रित किया है। मगर उन्होंने कोई आंतरिक तैयारी नहीं की है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया गया है मगर प्रमुख उद्योगों के लिए आधारभूत तैयारियां नहीं की गई हैं। परिणामस्वरूप आधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पिछड़े दशी उद्योगों में असमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति है। इस असमान प्रतिस्पर्धा के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में कई संकट उत्पन्न हो गए हैं।

महोदय, मैं सीधे-साधे तरीके से यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस अंतरिम बजट का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं इस अंतरिम बजट का विरोध करता हूँ। चूंकि यह सिर्फ अंतरिम बजट है इसलिए मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामलों के प्रति सरकार के रवैये पर चर्चा करने तक ही सीमित रहूँगा।

माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन में घोषणा की है कि वह पूर्वोत्तर राज्यों को गृहित करेंगे। उस समय हमने इसका स्वागत किया था और हम बहुत ही प्रसन्न थे कि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए जाऐंगे। लेकिन हमें निराशा हाथ लगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सका। खासकर मेरे राज्य मणिपुर में, कोई भी महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया।

मुझे बहुत ही निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राज्य के लिए आवंटित धनराशि लोगों की आकांक्षा से काफी कम है। लोग उम्मीद करते थे कि वर्मा को राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दे दिए जाने के बदले और इस राज्य द्वारा किए गए त्याग को देखते हुए उन्हें और भी धनराशि प्राप्त होगी। लेकिन हमें निराशा ही हाथ लगी और ऐसा नहीं हो सका। इस राज्य के लिए आवंटित धनराशि का अधिक से अधिक हिस्सा सुरक्षा उद्देश्यों और राज्य में कानून और व्यवव्था बनाए रखने पर खर्च किया जाता है। इस समय वहां स्थितियां बहुत ही भयावह हैं। यहां मंत्री और विधायक अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उन्हें भूमिगत आतंकवादियों द्वारा धमकियां दी जाती हैं कि निकलने पर गोली मार दी जायेगी। इसलिए, इन विधायकों और मंत्रियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने पर ही अधिक से अधिक धनराशि खर्च की जाती है!

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तथ्य पर विचार करें कि राज्य में विशेष और एक अजीब स्थिति विद्यमान है। हाल ही में, वहां की कानून और व्यवस्था संबंधी स्थिति पुलिस

कमांडो द्वारा अंधा-धूंध गोली चलाने से काफी बिगड़ी है। इस गोली-बारी के दौरान जॉस्टन नाम के हायर सेकेन्डरी स्कूल के थोकम नेता नाम के एक छात्र की मृत्यु हो गई थी। वह इस दौरान सड़क पर बस का इंतजार कर रहा था। इससे इम्फाल में काफी उत्तेजना फैल गई तत्पश्चात् कर्फ्यू लागू किया गया और निर्दोष लोगों को जासद भरी स्थितियों से गुजरना पड़ा।

इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ही नहीं बल्कि विकास के लिए और धनराशि प्रदान कराए।

महोदय, मेरा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राज्य बड़े स्तर के उद्योग नहीं चला सकता है। यह राज्य लघु उद्योगों पर निर्भर रहा है। लेकिन अनुदान के रूप में राज्यसहायता के लिए बहुत ही छोटी राशि आवंटित की जाती है इन लघु उद्योगों को चलाने के लिए। हम लोग यहां मांग कर रहे हैं कि मणिपुर के जिरम क्षेत्र में एक पेपर मिल स्थापित की जाए। लेकिन असम ने इसे हमसे छीन लिया। हमें इस पेपर मिल से वंचित कर दिया गया, यद्यपि इस मिल की स्थापना के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं और जरूरत की अन्य सभी सामग्रियां उपलब्ध हैं।

महोदय, अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर और इस क्षेत्र के अन्य राज्यों के विकास के लिए अधिक धन आवंटित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जिन आर्थिक नीतियों का अपने पहले बजट में जोरशोर के साथ प्रचार डा. मनमोहन सिंह ने किया था, अपने अंतिम अंतरिक बजट में उन्होंने उन्हीं नीतियों का मरसिया पढ़ दिया। देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि देश की असल समस्या गरीबी नहीं, बेकारी है बेकारी से ही गरीबी पैदा होती है और उस बेकारी को खत्म करने की जो संगठित योजनाएं बननी चाहिए, पिछले पांच वर्षों में नहीं बनी। संगठित क्षेत्र के रोजगार कम हो रहे हैं। करीब -करीब पिछले तीन वर्षों में संगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या घटकर 2 करोड़ 80 लाख हो गई है। चालीस लाख मजदूर संगठित क्षेत्र के कम हुए हैं और संगठित क्षेत्र में भी सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि नई आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। लेकिन वह रोजगार के अवसर नहीं बढ़े और गैर-पढ़े आज की तरीख में 25 करोड़ बेरोजगार हमारे देश में हो गये हैं। गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या के बारे में आंकड़ों में जादूगरी की जा रही है। सरकार कहती है कि 19 करोड़ लोग ही आज गरीबी की रेखा के नीचे रह गये हैं। लेकिन इसको दूसरे अर्थशास्त्री चुनौती दे रहे हैं और वे कहते हैं कि इनकी संख्या 31 से 35 करोड़ के बीच में है, क्योंकि गरीबी की रेखा के ऊपर लाने के लिए जो योजनाएं आप चलाते हैं, उन योजनाओं का उन्हें लाभ देने के साथ ही आपने अपने आंकड़ों में यह मान लिया कि ऐसे सभी लोग गरीबी की रेखा से ऊपर हो गये हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दिन और जिस वर्ष ये सुविधायें दी जाती हैं, उस वर्ष और उस सीमा तक उन लोगों के पास काम हैं, वे गरीबी की रेखा के ऊपर हैं। लेकिन साल भर बाद, 6 महीने बाद वे सारे काम से वंचित हो जाते हैं और आपके आंकड़ों की किताबों में भी सभी लोग गरीबी की रेखा से ऊपर हैं। धरातल की वास्तविकता यह है कि वे सभी अपनी पुरानी स्थिति में हैं। वही स्थिति श्रीमन् निर्यात और आयात के बारे में भी है। सकार ने निरंतर दावा किया कि निर्यात बढ़े हैं। निर्यात के भी मामले में ये सारे आंकड़े असत्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देश के सामने मैं यह मान सकता हूँ कि अभी जिस घोटाले का उद्घाटन हुआ है, जिसमें लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं वह आपके जमाने का नहीं है। लेकिन जिन नीतियों को आपने चलाया है उसके बाद भी लगातार हवाला बढ़ रहा है, इसका कारोबार बढ़ रहा है। जब से निर्यात में आयकर में छूट मिली निर्यात में ओवर इनवाइसिंग आयात में अंडर इनवाइसिंग यह आम स्थिति हो गई है। इसके बारे में आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि दुनिया भर की फर्जी कंपनियां निर्यात के नाम पर साइन बोर्ड लगाकर इस देश में खुल गई और खुलने के बाद केवल आयकर में छूट उनका एकमात्र हथियार और जरिया बन गया है।

क्या सरकार इस बारे में सोचेगी कि निर्यात के ऊपर जो आयकर की छूट है क्या वह फर्जी निर्यात को बढ़ावा देने, आंकड़ों को गलत ढंग से देश के सामने प्रस्तुत करने तथा हवाला के कारोबार को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पिछले तीन वर्ष के उदाहरण इस बात के प्रमाण नहीं हैं कि डॉलर के मुकाबले रूपये की कीमत हर जनवरी या फरवरी महीने में ही क्यों कम होती है और इसके पीछे कारण क्या है? मार्च का पहला हफ्ता खत्म होने के बाद, फिर डॉलर के मुकाबले रूपये की कीमत स्टेबिलाइज करने लगती है। पिछले तीन सालों से हम ऐसा ही देख रहे हैं। जनवरी और फरवरी महीने ऐसे होते हैं जब डॉलर के मुकाबले रूपये की कीमत गिरने लगती है। उसका कारण यही है कि इन तीन महीनों में आयकर की रिटर्न भरनी होती है और ऐसे वक्त निर्यात करने वाली साईनबोर्ड फर्जी कम्पनियां इस तरह का कारोबार करती हैं जिससे मजबूरी में हमारे देश में डॉलर के मुकाबले रूपये की कीमत घटती है। मैं चाहता हूँ कि इस नीति के बारे में भारत सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आंतरिक ऋण बढ़ रहा है। सरकार के जो संसाधन हैं, हर विभाग अपने कारोबार के लिये नई तरकीबें निकालता है, हर विभाग की ओर से आयकर छूट देने वाले बांड शुरू किये जाते हैं, योजनाएं शुरू की जाती हैं। हर रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक विभाग की ओर से जारी किये गये बांड पर आयकर की छूट है, किसी के ऊपर 20 परसेंट की छूट है, किसी पर 22 परसेंट की छूट है। आपकी तरफ से ऐसे बांडों पर सूद देने की आकर्षक योजनाएं रोज हमें देखने को मिलती हैं। हम अपने देश को आखिर किस सीमा तक आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाने में ऐसी योजनाओं

से सफल होंगे, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। हमारे देश में अंतरिक ऋण को बढ़ाने की जो पद्धति है, मैं चाहता हूँ कि सरकार उसके बारे में सोचे तथा अपने संसाधनों को बढ़ाने के नये नये उपाय होने चाहिये। इस बारे में पिछले तीन-चार वर्षों में आपने कोई नया विचार देश के सामने नहीं रखा है। इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी नीतियों के चलते देश में गैर-बराबरी बढ़ रही है, क्षेत्रों की गैर-बराबरी भी बढ़ रही है और व्यक्तियों की गैर-बराबरी भी बढ़ रही है। जिस तरह हमारे देश पर उपभोक्ता संस्कृति लादी जा रही है, बाहर की सामग्री हमारे देश में आ रही है, बाजार में उसकी उपलब्धता के चलते भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और निजी विषमता भी बढ़ रही है। एक से बढ़कर एक ऐसी विदेशी वस्तुएं हमारे देश में आ गयी हैं, आपकी योजनाओं के चलते, कि जिसके कारण भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और निजी पूंजी बढ़ाने की मंशा भी बढ़ रही है। जब सार्वजनिक पूंजी खत्म होगी तो निजी पूंजी बढ़ेगी जो भ्रष्टाचार को जन्म देने का सबसे बड़ा जरिया होता है। मैं यहां उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता कि कितनी मंहगी चीजें बाजार में आ गयी है लेकिन बहुत थोड़े से लोग उन चीजों को अपने घरों में उपभोक्ता सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें अर्जित करने के लिये, प्राप्त करने के लिए जितना भ्रष्टाचार संभव है, उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

पिछले पांच वर्षों के कारण हमारी योजनाओं के चलते, देश की जो बढ़ती हुई आबादी है, वह देश की गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने में एक बुनियादी कारण है। इस बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण पाने के लिये भारत सरकार ने कोई कारगर उपाय पिछले 4-5 वर्षों में नहीं किया। हमारे देश की बढ़ती आबादी, देश की जितनी आगे बढ़ने वाली पूंजी है, उसे हड़प करती जा रही है, खत्म करती जा रही है।

इन थोड़ी सी चीजों पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये, आग्रह करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में तो चुनावों की घोषणा होने वाली है, इस देश का नियमन अब इनके हाथ में रहने की संभावना कम नजर आती है लेकिन जो भी सरकार में आये, इस बुनियादी चीज के ऊपर सोचकर, जब तक नई नीतियों का निर्माण नहीं होगा, उस समय तक, मैं ऐसा समझता हूँ कि इक्कीसवीं शताब्दी हमारे देश के लिये एक भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाली है, इस आशंका की ओर चेतावनी देते हुए, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आपको, अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने नई आर्थिक नीति की सफलता का दावा किया है। सबसे पहले सरकार को एवं विशेष तौर से वित्त मंत्री को यह बताना चाहता हूँ कि यह दावा न्यायोचित नहीं है।

महोदय, इस बारे में कोई शक नहीं है कि बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी हुई है। 1991 में कुल 30-40 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया था। वर्ष 1995 में यह संख्या पांच करोड़ से ज्यादा हो गई है। अत: आप नई आर्थिक नीति के परिणाम एवं बदलाव को समझ सकते हैं।

महोदय, गरीबी बढ़ी है और मैं आंकड़े नहीं देना चाहता क्योंकि श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने पहले ही इनका जिक्र किया है। इस अवधि के दौरान, वर्ष 1991-92 के दौरान 1,775 व्यापारिक घरानों का सकल लाभ करीब 3,900 करोड़ रूपए था। वर्ष 1994-95 में इनका लाभ बढ़कर 7,580 करोड़ रूपए अर्थात लगभग दुगुना हो गया।

अत: मेरा निष्कर्ष यह है कि नई औद्यागिक नीति के दौरान कुछ सौ या चुने हुए औद्योगिक घरानों ने प्रचुर लाभ अर्जित किया। मैं इस संबंध में कुछ कंपनियों के नाम उल्लेख करना चाहता हूँ।

वर्ष 1990 से 1994 की अवधि में अर्थात नई आर्थिक नीति के दौरान दस बड़ी कंपनियां जैसे, बजाज ऑटो ने 157 प्रतिशत से ज्यादा लाभ अर्जित किया; रिलायंश ने 318 प्रतिशत; टिस्को ने 121 प्रतिशत महेन्द्र एवं महेन्द्र ने 393 प्रतिशत इत्यादि। अत: मेरा निष्कर्ष यह है कि नई आर्थिक नीति के दौरान गरीब, बेरोजगार, आम आदमी एवं दलित को नई आर्थिक योजना से कुछ नहीं मिला। बल्कि बड़े औद्योगिक घरानों ने प्रचुर लाभ अर्जित किया और निर्बाध रूप से लाभ अर्जित कर रहे हैं।

महोदय, मैं बैंकों के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मार्च 1990 में मेरे हिससाब से 9,354 करोड़ रूपए के अशोध्य ऋण थे। 1994 में यह बढ़कर 1,62,000 करोड़ रूपए हो गये। अत: राष्ट्रीयकृत बैंक भी ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं और राष्ट्र की समृद्धि में योगदान नहीं कर रहे हैं।

महोदय, देश ऋण के जाल में फंस चुका है। इसका क्या अभिप्राय है? यह सभी को मालूम है। वास्तव में हम गर्व करते हैं कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऋणी देश है। अगर यह हमारे लिए गर्व की बात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं भरोसा केवल .....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम दो देशों को पीछे छोड़ .....(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : सीधी सी बात है कि जितनी पूंजी देश में आ रही है उससे ज्यादा बाहर जा रही हैं और यह बढ़ती जा रही है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं मगर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। निष्कर्ष यह है कि देश में जो पूंजी आ रही है उससे ज्यादा पूंजी देश के बाहर जा रही है जिसके कारण देश ऋण के जाल में फंसता जा रहा है। बजट में ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि देश ऋण के जाल में नहीं फंसेगा और हम अपनी आर्थिक संप्रभुता कायम रख सकेंगे। महोदय, इसके विपरीत बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हमारे आधारभूत उद्योगों में विशेषकर विद्युत उद्योग तथ्य उन उद्योगों में भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। जिनको हमारे देश के विकास में हरदम संवेदनशील माना गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऋण और परिसम्पत्तियों में विषमता बढ़ती जा रही है। मेरे पास आंकड़े हैं और आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह अंतर्विष्ट है। यह प्रत्येक देश भक्त एवं प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। मैं आंकड़े उद्धृत नहीं करूंगा।

महोदय, अंत में घाटे के संबंध में साधारणत: यह बताया जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत घाटे से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। मगर यह आंकड़ा कितना है? वर्ष 1991-92 में यह 509 प्रतिशत था; 1992-93 में 5.7 प्रतिशत; 1993-94 में 7.7 प्रतिशत और 1994-95 में 6.7 प्रतिशत, क्या इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था का समुचित प्रबंध नहीं किया जा रहा है? अत: अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के द्वारा देश की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा नहीं की जा सकती। अगर आर्थिक संप्रभुता खतरे में है तो राजनीति संप्रभुता को बरकरार नही रखा जा सकता है। अत: यही राष्ट्रीय संकट भी ही है। मैं समझता हूं कि लोग उचित निर्णय देंगे। और मेरा विश्वास है कि लोग अपना निर्णय वैकल्पिक आर्थिक नीति के पक्ष में देंगे जिससे आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक सम्पन्नता सुनिश्चित हो सके तथा जिससे किसी भी अन्य देश पर निर्भरता न बढ़े।

मैं प्रस्तावित अंतरिम बजट का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और केवल उन्हीं बिन्दुओं को उठाना चाहता हूं जिनकी लोग प्राय: उपेक्षा करते हैं।

अध्यक्ष जी, नई औद्योगिक नीति ली गई और नई आर्थिक नीति ली गई इस नई औद्योगिक नीति की शुरूआत उस समय हुई थी जब जनता दल की सरकार थी और हम उस सरकार का समर्थन कर रहे थे। इसके अन्तर्गत निर्यात बढ़ाओं आयात के लिए और आयात बढ़ाओ निर्यात करने के लिए। इस आयात-निर्यात के चक्रव्यूह में हमारा अर्थतंत्र फैलता जा रहा है और इसको हमारे वित्त मंत्री और हमारी सरकार सफलता में गिनती है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और अब फिर चाहूंगा कि वित्त मंत्री अपने जवाब में जरा इसको स्पष्ट करें कि जब हम गुलाम थे, तो हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार विलायत में था और वह पौंड में था तथा बढ़ रहा था क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। 45 लाख लोग बंगाल में अकाल के कारण मर गए, तो हमारा पौंड तो इंग्लैंड में और जमा हो गया और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई जिस बात को लेकर सरकार चल रही है और सही कहा निजी क्षेत्र की तरह, निजी क्षेत्र की ही भाषा में बोले हैं देवड़ा जी, वहां जाकर कि एक नकल प्रदेश सरकारें भी कर रही है कि कौन सा बड़ा कारखाना हम ऐसा लाएं जिससे बाहर के उद्योगपति वह पैदा कर दें जो हमारे यहां नहीं हैं।

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार दावा करती है कि अन्न का भंडार बढ़ा है। चूंकि हम, आप सभी जानते हैं कि करोड़ों लोग आधा पेट खाकर जिन्दा रह रहे हैं। क्यों इनका भंडार है? इसलिए कि क्रयशक्ति नहीं है, खरीदने की ताकत नहीं है। कपड़ा भी ज्यादा है लेकिन अभी तक करोड़ों लोग जाड़े में ठिठुरते रहते हैं। तो फिर यह क्यों हो रहा है ? वही क्रयशक्ति का मामला है। आप ज्यादा का दावा करेंगे, क्रयशक्ति नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल वित्त मंत्री जी को यह समझने में दिक्कत नहीं होगी कि हमारा उत्पादन भी घटेगा। कोई भी निजी क्षेत्र हो, वह इसलिए पैदा नहीं करेगा कि माल नहीं बिके, भंडार पड़ा रहे। मन्दी आएगी, सुस्ती आएगी, 1929-30 की तरह मंहगाई नहीं घटेगी। मंहगाई भी बढ़ेगी, मन्दगी भी बढ़ेगी, वह रोग हमारे आगे है। यह ज्यादा खतरा हमारे सामने आ रहा है। हाल क्या होगा? मेरा आग्रह होगा, हमारे जो प्रसार माध्यम हैं, वे सिंगापुर की नकल देते है, ताईवान की बात कहते हैं। हमारा 95 करोड़ लोगों का देश है, यह नहीं होगा कि केवल रूपये के बल पर हम विदेशों से मंगाकर खाएं। 95 करोड़ मस्तिष्क, 190 करोड़ हस्त, मैं बेकारी की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनका हुनर उत्पादन में लगाया जाए। उनको साधन दें, धन दें, कड़ाई करें। हमारी सबसे बड़ी उत्पादन की शक्ति मानव शक्ति है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। जो भी थोड़ा आई.डी.पी. में हुआ, जो मैं जानता हूं, बीच में ही लोग खा जाते हैं। .....(व्यवधान) मैं सबकी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यह सामूहिक बीमारी है कि हम उत्पादन नहीं करेंगे। नौकर संस्कार, सर्वेंट कल्चर हमारे उत्पादन को धक्का दे रहा है। बिहार उसका बड़ा शिकार है, बंगाल में भी कुछ है, भूमि सुधार के बाद कुछ प्रगति हुई है लेकिन बीमारी वहां पर भी है। हमको कोई नौकर बना दे इसलिए नौकर के पीछे हम मालिक बनेंगे, इस प्रवृति पर अपनी वित्तीय नीति के चलते आप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उसमें हमारे वित्त मंत्री का भी नियंत्रण नहीं है।

मैं कुछ मित्रों को धन्यवाद दूंगा जिनके चलते करोड़ रूपये तय हुए। मैंने दो सालों में लगभग एक करोड़ रूपये सिर्फ उत्पादन के लिए ढांचा तैयार करने में कलस्टर में लगाए। 20 एक जगह, 20 एक जगह, 25 एक जगह, इस तरह से 95 लोगों को तैयार किया है कि कोई यहां टी. वी. बनाए, कोई रेडियो बनाए, कोई रेडिमेड गारमेंट्स बनाए, कोई जूता बनाए आदि। लेकिन पहले भी वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा था, शायद उनका कोई आदेश भी पाया गया था लेकिन बैंक समझता है कि या तो रिश्वत दें या थोक व्यापारी को दें ताकि तुरन्त अदायगी हो जाए। उत्पादन के लिए देने में बैंक भी आगे नहीं आ रहा है। कहीं-कहीं ऐसा है, कहीं कहीं बिहार में भी है।

अभी मैं त्रिपुरा के अगरतला में गया था तो मेरी तबियत खुश हो गई जब मैंने कहा कि देखूंगा। मेरे पास है, लोग देखना भी चाहेंगे, केवल बांस की खड़ी दीवार खड़ी। त्रिपुरा की सरकार ने चुराकर विदाई में मुझे दे दी ....(व्यवधान) मैं वहां दाम देने में अड़ गया था। ....(व्यवधान) चार जगह मैंने देखा, तबियत खुश हो गई मैं चाहता हूं कि हमारी श्रमशक्ति, हुनर, बुद्धि का इस्तेमाल देश के हित में कराइए। यदि कोई गरीब भी बैंक का कर्जा खा लेता है तो उसे भी कुछ दंड मिलना चाहिए क्योंकि यदि गरीब किसान भी बीज लेकर खेत में बोने जाए लेकिन रास्ते में खा ले, खेत में नहीं दे तो वह दंडनीय है। मैं चाहता हूं कि उत्पादन संस्कार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारा जनतंत्र हममें कायरता लाता है। लेकिन जब हम यहां से करेंगे, स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे तो

लोग इस बात को समझेंगे। इसलिए मैं अभी भी आग्रह करूंगा वित्त मंत्री जी, थोड़ा संशोधन के जरिए काम को करें कि स्वनियोजित उत्पादक काम करने वाले हैं, उनके लिए धन और साधन देकर कड़े नियंत्रण में काम करें।

मैं सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि हम एक तूफान देश में ला सकते हैं और तब जो जापान ने 1945-46 के बाद किया था, वह पांच एकड़ के भूमि सुधार पर लेकर बड़े हैं, भारत उससे बहुत आगे बढ़ सकता है।

इसी पहलू पर मैं जोर देकर, देर हो गई है, आप सदन के मित्रों को धन्यवाद देकर मैं अपना कथन खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, नारीमन प्वाइंट के माननीय सदस्य द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी का गुणगान किये जाने के बावजूद मुझे खेद है कि इस संदेश की जनता उनकी बातों से सहमत नहीं होगी। वित्त मंत्री जी के अति-लघु चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने इस सरकार को, जिसके वे गत पांच वर्षों से वित्त मंत्री रहे हैं, बचाने की कोशिश की है। उनकी यह विशिष्टता रही है कि उन्होंने पांच बजट भाषण दिये हैं परन्तु आज इन पांच वर्षों की समाप्ति पर हम जानते हैं कि उनके आंकड़े भले ही कुछ भी हो, देश में अभी भी अत्यधिक मूल्य-वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी और व्यापक भ्रष्टाचार व्यापप्त है। मेरे दल के एक और साथी, श्री निर्मल चटर्जी जी ने भी इसका उल्लेख किया है। यद्यपि माननीय वित्त मंत्री जी ने संभवत: निर्मल चटर्जी की बात को सुनना नहीं चाहा फिर भी मुझे इन सब बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है। निर्मल चटर्जी पार्टी की ओर से बोले थे। मैं अब केवल कुछेक मुद्दों का उल्लेख करूंगा क्योंकि वित्त मंत्री जी, जो कि कुछ और दिनों तक इस देश के वित्त मंत्री रहेंगे, इस समय जवाब दे सकते हैं।

हम यह कहते हैं कि इस देश में संतुलित विकास की आवश्यकता है। ऐसे कुछ समृद्ध और कई पिछड़े क्षेत्रों और व्यापाक निर्धनता के कारण देश समग्र रूप से सुदृढ़ नहीं बन पाया। श्री देवरा को गर्व है कि स्वयं उनके निर्वाचन क्षेत्र का देश के राजस्व में 22 प्रतिशत योगदान है। क्या ये कोई अच्छे लक्षण हैं?

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, आप के लिए 'क्यों नहीं' कहना ठीक लगता होगा। महोदय, क्या ये कोई अच्छे लक्षण हैं? यहां तक कि असम, जिसमें एक विशिष्ट नागरिक का अधिवास है जिसने अपनी सुविधा के लिए राज्यसभा से निर्वाचित होने के लिए असम को अपना निवास स्थान बना लिया था, आज भी न्याय मांग रहा है। आज सम्पूर्ण पूर्वोत्तर भारत न्याय मांग रहा है। सभापति महोदय भी इसके समर्थन में अपना सिर हिला रहे हैं। क्या इसमें सरकार को कोई भूमिका निभानी है? सुधार, उदारीकरण, विश्व व्यापीकरण की बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्या हम नहीं चाहते कि हमारा एक औद्योगिक रूप से सुदृढ़ अत्यन्त समर्थ देश हो जहां सभी को लाभ मिल सके। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीतियां नहीं हैं और सरकार ऐसा करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं कर रही है। आज, मैंने देखा कि वह जो कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं - मैं प्रयोजक उन पर नहीं थोप रहा हूं। व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। एक दिन मैंने उनसे सदन के बाहर एक बहुत ही साधारण प्रश्न किया था कि क्या इस परिमाण के सुधार एवं भ्रष्टाचार एक साथ हो सकते हैं और क्या ऐसी अवस्था में कोई देश आगे बढ़ सकता है। मुझे यह कहने का खेद है कि वित्त मंत्री जी के प्रति मेरे मन में शुभ कामना होने के बावजूद मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने बुरी संगत को चुना है। हम क्या कर सकते हैं? केन्द्र के पास अभी भी जो मामले हैं, उनको स्वीकृति देने में अत्यधिक समय लिया जा रहा है। मुझे उनको कई बार लिखना पड़ा। मुझे प्रधानमंत्री जी से औपचारिकता से मिलता पड़ा और यह कहना पड़ा कि केन्द्र सरकार के पास जो परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं, उनकी स्वीकृति में काफी समय लिया जा रहा है। एक भारतीय नागरिक द्वारा तेल शोधनशाला खोले जाने की एक महत्वपूर्ण परियोजना को इस दलील पर आज तक स्वीकृति नहीं दी गई है कि यह अर्थक्षम नहीं होगा। मैंने प्रधानमंत्री जी से इस संबंध में पूछा था। मैंने जब उनसे इस मुद्दे पर मुलाकात की तब मैंने उन्हें एक पुस्तिका दी जिसमें उद्योग की सूची थी। मैंने इसे वित्त एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भी दिया। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि यह अर्थक्षम है नहीं इससे उन लोगों का क्या लेना-देना? क्या यह सरकार का धन है ? नहीं, यह निजी धन है। मैंने कहा कि आप मुझसे कैसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछने के लिए आपके पास आया हूं। वित्त मंत्री जी, अब आप जो कुछ कह रहे हैं, उसके लिए मुझे खेद है।

अब, मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाऊंगा कि भारतीय उद्योग की परियोजनाओं का वित्त पोषण कैसे होता है। सभी लोग धनवान नहीं होते हैं। देश में मझोले, छोटे तथा अत्यन्त बड़े उद्योग भी हैं। आज देश में भारी वित्तीय संकट छाया हुआ है और वित्त मंत्री जी बहुत खुश और संतुष्ट हैं। मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। आज इस सदेश में प्रमुख वित्तीय संस्थान, जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, ये सभी इस देश के प्रमुख बैंक हैं, और आज ये वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। मुझे वित्त मंत्री जी को बधाई देनी होगी क्योंकि मुझे लगा कि वह उन लोगों की सहायता बिना किसी पूर्वग्रह के, मेरे दल की ओर से जो कुछ भी कहा गया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। मैं एक या दो प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अब वह देश में हुई भारी प्रगति, भारी उपलब्धि का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। श्री देवरा जी को मैंने दूरदर्शन पर सुना है आप पूंजी बाजार की बात कर रहे थे।

श्री मुरली देवरा : जी, हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, क्या कह रहे हैं आप। आप अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं। देश को बेवकूफ मत बनाओ .....(व्यवधान) परियोजना का वित्त पोषण कैसे किया जाना था? धन कहां से आएगा

जहां तक वित्तीय संकट का संबंध है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं जो कि हमारे प्रमुख मंत्रियों में से एक मंत्री, जो कि सुधारों के बड़े हिमायती हैं, ने कहा था। उन्होंने वित्तीय संकट पर गहरी चिन्ता भी व्यक्त की है। प्रमुख वित्तीय संस्थों के पास धन नहीं है। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो आप यह प्रमाण-पत्र क्यों दे रहे हैं? यह ठीक है कि वित्त मंत्री जी चिन्तित नजर नहीं आते हैं। नि:सन्देह, इस देश में हमारे पास किसी के विचारों को जानने की संभावना नहीं है। इस देश में, हमें कई प्रमुख मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री जी के विचारों को जानने का मौका नहीं मिला है। वह अपने विचारों से देश को अवगत नहीं करना चाहते हैं और अपने आप को सबसे दूर रखते हैं। तब हमारे पास इस भले इन्सान को परेशान करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नारीमन प्वाइंट के इस सदस्य ने भी उसकी पुष्टि की है। डॉलर की तुलना में रूपये के मूल्य में आई कमी का परिणाम क्या निकला है? वित्त मंत्री जी आसानी से कह देते हैं कि इससे हमारी सुधार प्रक्रिया, उद्योग और प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कहना बहुत ही आसान होगा कि कई लोग परियोजना की अर्थक्षमता जिसका उन्होंने हिसाब लगाया था, गलत सिद्ध हो गयी है। रूपए की तुलना में डालर के मूल्यों में 20 प्रतिशत अन्तर आया है। इस संबंध में क्या किया जा रहा है। क्या किया जाना चाहिए ? वह फ़तवा जारी करते हैं कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि आधारभूत स्तर पर वास्तविकता कुछ और ही है।

मुझे भले ही यह पसन्द हो अथवा न हो, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिक्रिया मिली है। इसलिए मुझे वह सब कुछ मालूम हुआ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। इस देश में कुछ लोग उतने ही देशभक्त हैं जितने कि हममें से कुछ लोग या हम सब लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर एक व्यक्ति गैर - कानूनी ढंग से लाभ प्राप्त करना चाहता है। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जो कि गैर कानूनी ढंग से धन अर्जित कर रहे हैं। वे लोग ज्यादा से ज्यादा धन अपनी झोली में भर रहे हैं। परन्तु देश में ईमानदार और सच्चे लोग भी होते हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मेरे 14 वर्ष के अनुभव में, आज कल, गत पांच-छह महीनों में कई युवा लोग प्रौद्योगिकी ज्ञाता जिनके पास दुर्भाग्यवश अपने वित्तीय संसाधन नहीं हैं, सामने आये हैं और हो सकता है वे अन्य लोगों की अपेक्षा बेहतर उत्पाद कर सकते हैं और सेवा प्रदान कर सकते हैं।

उस दिन ऐसा ही एक युवक, मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि 10 से 12 लोगों ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को छोड़ दिया है और निजी क्षेत्र के विभिन्न कम्पनियों में शामिल हो गये हैं। स्पष्ट है, उन्होंने ऐसा अधिक वेतन प्राप्त करने के लिए किया है। अब वे मिलकर 'स्टैनलैस स्टील एकक' खोलना चाहते हैं। लेकिन उनके पास धन नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूं। मैंने उनसे कहा कि "आप लोगों ने भारत में जन्म लिया है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कहां जा सकता हूं? मैं नि:सन्देह, इस संबंध में वित्त मंत्री से और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष से बात करूंगा।

श्री मुरली देवरा : उद्यम पूंजी की क्या स्थिति है?

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह कैपिटल ही नहीं बना सकते।

[अनुवाद]

यही परेशानी है। मैंने पाया है कि वह एक विद्वान अर्थ शास्त्री से बढ़कर कुछ और भी हैं। कृपया इनकी मदद कीजिए। मैंने इन लोगों को आप के पास भेजा है। श्री मुरली देवरा जी, मैं इन लोगों को आप के पास खुशी - खुशी से भेज सकता हूं। कृपया उनकी मदद कीजिए।

श्री मुरली देवरा : आप जानते ही हैं कि मैं उन लोगों की मदद करता हूं जिन्हें मेरे पास भेजा जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं कोई बेकार के मुद्दे नहीं उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि आज श्री देवरा जी बहुत ही सक्रिय हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : शुद्धि के अध्याधीन, मेरा विश्वास है कि वित्त मंत्री भी कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं। यद्यपि उन्हें अपना भाषण तैयार करना पड़ा। यद्यपि यह अंतरिम बजट है, उन्होंने संभवत: दस बार प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया। उन्होंने कुछ काम न करने के लिए उनका धन्यवाद किया। मैं समझता हूं कि वह परेशानी महसूस कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है? लोगों को क्या आभास दिलाया जा रहा है। मैं जानता हूं कि आपका भाषण प्रकाशित होगा, उसका अनुवाद किया जाएगा और सब जगह उसकी प्रतियां निशुल्क वितरित की जाएंगी। टेलीविजन और बहुत से अन्य माध्यमों से इसका प्रचार किया जाएगा और लोगों को गलत जानकारी दी जाएगी। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। जीवन की जरूरी आवश्यकताएं उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि मूल्यों में कमी आई है, लेकिन उनका अनुभव अलग है। जहां तक कुल मिलाकर इस देश के विकास का सम्बन्ध है, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका भाषण, तथाकथित बजट-भाषण इस देश की वास्तविक स्थिति को सही सही प्रदर्शित करता है। इस तरह जो आपने किया है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पूर्णरूपेण राजनैतिक भाषण था। यह चुनाव बजट भाषण था। यह विकासोमुखी भाषण नहीं था। एक दिन, इन माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस सभा में कहा था कि चुनाव घोषणापत्र चुनाव के उद्देश्यों के लिए होता है क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी में नये भर्ती हुए हैं। मुझे मालूम नहीं कि क्या पहले भी वह कांग्रेसी थी।

श्री राम नाईक : अब उन्हें स्थायी सदस्य बना दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब वे स्थायी सदस्य हैं। क्या इसके लिए वे किसी अंशदान का भुगतान करे हैं?

श्री मुरली देवरा : आपको इस बारे में चिन्ता नहीं करनी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अपनी पार्टी के बारे में बोलते हैं। एक दिन, इस सभा में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि चुनाव घोषणापत्र

चुनाव के उद्देश्यों के लिए होता है। यह देखते हुए कि उनकी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र हर तरह से पूरी तरह नकामयाब रहा है - खासतौर पर प्रति वर्ष एक करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट के संबंध में चुनाव घोषणा पत्र चुनाव के लिए हैं। वह पूरा करने के लिए नहीं है। आप नहीं जानते हैं। आप भूल गये हैं। इसीलिए आप परेशानी में हैं। आप उनके पास नहीं जाते हैं।

महोदय, इसलिए यह उनका विचार रहा है, उन्होंने अपने नेता को खुश करना चाहा है जिनका कार्यकाल कुछ ही दिन का रह गया है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। वे इस देश में क्षीण ओर बदनाम सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं मुझे दुःख है कि मनमोहन सिंह इसके शिकार बने हैं।

महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह अंतिम है लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कांग्रेस पार्टी के सदस्य पूरी रात बैठने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप समझते नहीं कि कितने विधेयक और कितने बजट पारित किये जाने हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं रुग्ण उद्योगों के बारे में एक मिनट और लूंगा। हमने माननीय प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री से बार-बार अनुरोध किया था कि व्यक्तिगत रूप से इन मामलों की समीक्षा करें। प्रबल आग्रह के कारण उनमें से कई को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उनमें से कुछ को पुनर्जीवित किया गया है और वे अब बन्द किये जाने वाले 37 कम्पनियों की प्रथम सूची में है। उन्हें पुनः चालू किया गया है और वे लाभ कमा रही हैं। एन जे एम सी और एन टी सी में स्वतंत्र भारत के 56,000 कामगारों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। उनका दोष यह है कि वे भारत सरकार के उपक्रमों में नौकरी कर रहे हैं। इसे बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। एन जे एम सी जैसे तैसे चल रही है। इसे पुनर्जीवित किये जाने की कोई आशा नहीं है। आई एस सी ओ का भाग्य अनिश्चित है। जूट निगम के कर्मचारी कष्ट उठा रहे हैं। ये सभी केन्द्र सरकार के उपक्रम हैं। शुरू के महीनों में उनके कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं मिल रहा था। ह्रास के महीनों की स्थिति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एम ए एम सी इत्यादि जैसी बड़ी कंपनियों को बन्द किया जा रहा है।

अब, वित्त मंत्री महोदय, कृपया देश को सत्यता के बारे में बताएं। जो हो रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन आपके बजट भाषण से इस देश के कार्यकलापों की सही स्थिति के बारे में गलतफहमी उत्पन्न हो जायेगी। उन भारतीय नागरिकों का क्या होगा जिनका दोष केवल यह है कि वे केन्द्र सरकारके उपक्रम में काम कर रहे हैं।

अब, आपका राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष कहां है? आपका पुन प्रशिक्षण और पुनः तैनाती के कार्यक्रम कहां हैं? मुझे कामगारों की शिक्षा पर संगोष्ठी को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और श्री सनत मेहता जो गुजरात के वित्तमंत्री थे, भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष सबसे बड़ा मजाक झांसा हो गया है। यह और भी कष्टकर है क्योंकि इसका प्रयोग केवल तथाकथित स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति राशि के भुगतान के उद्देश्य लिए किया गया है। यह इसका प्रयोग पुनः तैनाती के लिए नहीं है। यह पुन प्रशिक्षण के लिए भी नहीं है। 2000 करोड़ रुपये में से अधिकांश धनराशि खर्च कर दी गई यह इनका लिखित भाषण था। यह उसमें दिया गया है।

महोदय, इस कारण से ये ऐसे मामले हैं जिनका माननीय वित्त मंत्री से सीधा उत्तर अपेक्षित है। मैं उनसे केवल यही अनुरोध करूंगा कि वे कृपया वह बात न कहें जो उन्होंने पहले ही कह दी है। हमने पांच बार आपकी बातें सुनी हैं। तथापि वे हमें यह उत्तर दें ताकि लोगों को अपना निर्णय देने का अवसर मिल सके। लोग अपना निर्णय देंगे, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस देश को सही बात बतायें और आप उन कठिनाईयों को कैसे स्पष्ट करेंगे जो इस देश में ईमानदार और परिश्रमी उद्यमी सामना कर रहे हैं अर्थात परियोजना के वित्तपोषण की समस्याएं, परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब। कुछ परियोजनाओं को आज भी मंजूरी नहीं मिली है। वे कई-कई महीनों से पड़ी हुई हैं। आप इन परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। वे अभी भी विचाराधीन हैं।

महोदय, ये वे मुद्दे हैं जो मैं मेरे सहयोगी श्री निर्मल चटर्जी ने पहले भी उठाए हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री उनका समाधान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री पात्र क्या आप अवश्य बोलना चाहेंगे?

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, आपके आदेश के अनुसार हमने सिर्फ एक नाम दिया है। अगर यह प्रथा चली तो हम भी एक और नाम देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे दूसरे दलों के अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति देनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपका आदेश है कि बहुत ही कम समय में हम अपनी बातों को रखें, इसलिए मैं कुछ ही मुद्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं।

नीति विषयक पर बहस करना मैं आज के दिन उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि यह कुछ ही दिनों की सरकार है और आज उनको नीतियों के बारे में उपदेश देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जो मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कही है और एक प्रचार के तौर पर देश के सामने रखी है कि पिछले पांच सालों में किस तरह से देश का विकास आप लोगों ने किया है। अध्यक्ष महोदय, अभी नेशनल कांउसिल ऑफ एप्लाइड एनोनोमिक रिसर्च का एक दस्तावेज प्रकाशित

हुआ। बिजनेश टुडे ने फरवरी, 22 और मार्च, 6 के अंक में इसके कुछ हिस्से दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री जी ने इसको यहां आने से पहले देखा होगा और अगर न देखा हो तो यहां पर इसको रखने के बाद वह निश्चित ही देखेंगे, क्योंकि तब लोगों के बीच में जाकर उनको अपनी बातें रखनी होंगी। बजट में जिस तरह से उन्होंने एक तस्वीर लोगों के सामने रखी है उसमें जो बदलाव करने की जरूरत है। उसे वह महसूस करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह जो पूरा एन.सी. ए. ई. आर. का खोज किया हुआ दस्तावेज है, यह न्यू कंज्यूमर क्लासिस के बारे में हैं। आपने जो न्यू उपभोक्तावादा चलाया है और उसका लाभ प्राप्त किए हुए जो लोग हैं, उनके बारे में है। इसके मात्र दो-तीन वाक्य मैं पढ़ूंगा, क्योंकि यह बहस नहीं है केवल कुछ मुद्दों को रखना है। पहली बात यह है कि अमीरी देश में कैसे बढ़ी है, इसका इसमें विवरण है और चूंकि उन्होंने उनके आवरण पर ही पूरी कवर स्टोरी के बारे में रखा है। या इस अखबार के 90 नम्बर पन्ने पर है।

[अनुवाद]

"धनी व्यक्तियों की उन्नति कई परिवारों को उनकी अघोषित आय ने और अधिक धनी बनाया।"

[हिन्दी]

यानी जो अमीर हैं उनमें भी जिनके पास अनएकाउंटेड इन्कम है वह और अधिक अमीर हो गए हैं। इस पर वह यह कहते हैं कि जब पहले हम लोगों ने कुछ हिसाब-किताब इस चीज का किया था कैसे लोगों के हाथों में काला धन जुट रहा है तब हम लोगों ने यह अंदाज लगाया था।

[अनुवाद]

"पहली संगणना में बिना हिसाब-किताब की आय कुल भौतिक प्रयोग आय का 20 प्रतिशत मानी गयी थी जैसाकि केन्द्रीय सांखिकी संगठन ने अनुमान लगाया था।"

[हिन्दी]

मैं मानता हूं कि सरकारी संस्था है। यह उनके शब्द हैं।

[अनुवाद]

"अब, बिना हिसाब-किताब की आय कौक्तिक प्रयोग आय की 50 प्रतिशत आंकी गई है और इसका-पांचवां भाग ग्रामीण परिवारों के पास है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, पांच साल की उपलब्धि का जहां पहले 20 प्रतिशत बड़े लोगों के हाथों में काले धन का हिसाब-किताब किया था, वह आज 50 प्रतिशत पर पहुंच में आपकी सरकार कामयाब हो गई है। यह नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च का दस्तावेज है। यह जो 6 लाख 10 लाख ऐसे घर हैं जिनकी आय आज 10 लाख रुपये से अधिक हो चुकी है, लेकिन इसमें मात्र 1 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी आय 50 लाख रुपए से अधिक हो गई है। हिन्दुस्तान में केवल 1 लाख परिवार हैं जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक हो गई है। यह भी आपकी उपलब्धियों में एक उपलब्धि है। हम तो शुरू से ही आपको कह रहे हैं कि जो आपकी नयी आर्थिक नीति है वह इस देश में अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको बढ़ाने का काम करेगी। इससे बढ़ कर आपसे हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। आपने उसमें कामयाबी पाई है, यह नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च मिलेगा, इसका दाम 25 रुपए है आप उसको पढ़ लें। मैं एक दो-दो बातों को कहना चाहता हूं, चूंकि यह जो कुल विकास की बात आ रही है, 7 परसैंट ग्रोथ, 6.5 परसैंट, 5.9 परसैंट ग्रोथ है यह कभी-कभी महीने-महीने में बदलता रहता है। यह ग्रोथ किन-किन क्षेत्रों में हुआ है इसको हम मंत्री जी से सुनना चाहेंगे। अब आप हमको जी.एन.पी. या जी.डी.पी. के ग्रोथ की कहानी सुना रहे हैं।

तो वे भी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि जी.डी.पी. में जब आप आयात-निर्यात को भी जोड़ते हैं तो उनकी जो सीमा है उसको भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन कुल विकास का ढांचा यदि हमें देखना हो तो अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री इस बात को कबूल करेंगे कि सबसे अधिक उत्पादन जो हो रहा है वह बड़े लोगों की मोटर गाड़ियों का हैं। हिन्दुस्तान में पिछले साल की आपकी ऑटोमोबाइल ग्रोथ,

[अनुवाद]

मोटर गाड़ियों में तीस प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई थी।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मोटर गाड़ियों की संरक्षा कितनी है?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नम्बर की बात नहीं है। आप जो पैकेज लेकर बता रहे हैं कि देश में कितना विकास हो रहा है।

[अनुवाद]

यदि सकल घरेलू उत्पाद 5.9 प्रतिशत था 6 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है तो आटोमोबाइल क्षेत्र 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

[हिन्दी]

मतलब यह है कि जो अमीर आदमी है उसके हाथों में हिंदुस्तान की दौलत केन्द्रित होती जा रही है और उसकी जरूरतों का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। आज मर्सीडीज-बैंज 25 लाख रुपये में बिक रही है। अमरीका की फोर्ड और जनरल मोटर्स कंपनी बाजार में आ गई हैं। लेकिन इनमें कोई भी गाड़ी हिंदुस्तान में नहीं बनती है। अध्यक्ष महोदय, सुजुकी ने 12 साल में हिंदुस्तान में एक भी गाड़ी नहीं बनाई है। उसका नाम आप चाहे मारूति रखिये या कुछ और रखिये। यह ज्वाइंट सी.के.डी. में होता है। मैं सुजुकी कंपनी का नाम लेकर चुनौती देता हूं कि इस कंपनी ने 12 साल में जितना पैसा हिन्दुस्तान से विदेश भेजा है उससे कम ये लोग विदेश से लाए हैं। ये लोग ही निर्यात की बात करते हैं। 2000 गाड़ियां किसी पूर्वी यूरोपीय देश में चली गई तो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको आज जेल में रखना चाहिये था वह ऐलान करते है, रोज प्रैस-कांन्फ्रैंस करते हैं कि "निर्यात का ही निर्यात"। उस कंपनी का

आप हिसाब रखिये सामने तो पाएंगे कि जितनी विदेशी मुद्रा इन पिछले 12 सालों से बाहर गई है इससे कम ही यहां आई है। आप इंकार कीजिए।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : आप सभा को गुमराह कर रहे हैं। आप केवल यह कह रहे हैं कि मारूति या सुजुकी महत्वपूर्ण है, आप चिल्ला रहे हैं। दूसरों को भी आपसे बात करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप तो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवक्ता हैं। मैं इससे खराब शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप उनके लिए नेतागिरी करते हो। विदेशी कंपनियों के मामले में आपसे मेरी क्या अपेक्षा हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : मुझे आपके प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : मैं व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : हमारा दूसरा मुद्दा यह है कि इन लोगों का सारा विकास का ढांचा विदेशी लोगों को हिंदुस्तान बुलाने और उनके लिए हर प्रकार रास्ता बनाकर देना है। अध्यक्ष जी, आजकल क्रिकेट का मैच चल रहा है या युद्ध चल रहा है। आजकल कोला-वार हिंदुस्थान में चल रहा है। एक कहता है कि हम ही ऑफिसशियल हैं तो दूसरा कहता है कि इस बारे में कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। लेकिन युद्ध चल रहा है। आप विज्ञापन पर विज्ञापन इनके देखेंगे। आप देखेंगे कि क्रिकेट का मैच होना है तो विदेशी पैसे की आपको जरूरत है, टैनिस का मैच हिंदुस्तान में चलाना है तो विदेशियों के पैसे की आपको जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा क्षेत्र है जहां आप विदेशियों की मदद के बिना अपना काम चला रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : टैलीकम्यूनिकेशन में।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यहां पर सुखराम जी बैठे हुए हैं। उन्होंने जो काम किया था उसमें उनको बचाने की जिम्मेदारी मुझ पर आई थी। हम चाहते थे कि आप यहां बोलें ताकि हम यहां टोक सकें लेकिन मुझ पर यह मुसीबत आ गई . . . (व्यवधान)। हम पहले से इस बात को बताते आए हैं और टेलीकॉम के मामले में विदेशी हाथों में हिन्दुस्तान की बागडोर दी गई अमेरिका जो कि पूंजीवादी देश है, वह 20 परसैंट से अधिक विदेशी कम्पनी को नहीं देता है। आपने 50 परसैंट देकर देश के साथ जो अन्याय किया मैं, 'गद्दारी' शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि स्पीकर साहब उसको हटा देंगे .....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 49 परसैंट किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 50 नहीं तो 49 परसैंट किया है। हिन्दुस्तान के लोगों के सांस्कृतिक जीवन पर जो विदेशी आक्रमण हो गया, वह इनकी 5 साल की उपलब्धि है। इनका फ्रैंडली हाथ हिन्दुस्तान के गरीबों के साथ नहीं है। 25 लाख की गाड़ी चलाने वाले हिन्दुस्तानी लोग और ऐसी गाड़ियों से पैसे पाने वाले विदेशी लोग यहां रहते हैं।

मैं वित्त मंत्री को एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जिस को जानकर इनको आश्चर्य होगा। एक विदेशी कम्पनी हिन्दुस्तान में दवाई बनाती है। उसका नाम रोसल इंडिया लिमिटेड है। यह शत प्रतिशत विदेशी पूंजी वाली कम्पनी है। नाम केवल इंडिया लिमिटेड है। 8-10 महीने पहले उसका नाम फ्रेमीसेटिन ट्यूले था। यह बैंडेज हिन्दुस्तान में बनाती थी। इसका कारखाना मुम्बई के निकट थाने में है। जैसे ही इनकी आर्थिक नीति तेजी से चलने लगी तो रोसल कम्पनी ने इस चीज को हिन्दुस्तान में बनाना बंद कर दिया और लगभग उसी नाम से सोफ्रा ट्यूले फ्रेमीसेटिन गेज खोल दिया। नाम में कोई फर्क नहीं है। वह वही वस्तु बनाने लगी। उसने 30 परसैंट अधिक दाम से विदेश से मंगा कर हिन्दुस्तान की धरती पर चीजें बेचनी शुरू कर दी। जो चीज हिन्दुस्तान में बना कर 30 परसैंट कम दाम पर हम लोगों को मिलती थी और 50-100 लोगों को जिस कारखाने में काम मिलता था, वह सब खत्म हो गया और रोजगार मिलना भी बंद हो गया। वह कम्पनी ब्रिटिश कम्पनी है। इंग्लैंड में रोजगार मिलने में मदद मिली तो उसके 30 परसैंट दाम बढ़ा दिये। इससे अधिक मुनाफा विदेश में चला गया। यह नई आर्थिक नीति का एक नमूना है। आप इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि वह बात मैं 5 साल पहले बोल चुका हूं। आप हिन्दुस्तान को बेचने में लगे हैं। ऐसे में क्या जवाब देंगे? यह एक उदाहरण है। ऐसे उदाहरण देना मेरी मूर्खता है।

कोकाकोला और पेप्सीकोला आने के बाद हमारे देश के शीतल पेय चकनाचूर कराने के बाद और हर चीज उनके हाथों में देने के बाद आप इनका कोई जवाबब नहीं दे पायेंगे। दिल्ली के बाजारों में चले जाइये। खान मार्किट में कॉर्नफ्लैक्स बनाने वाली एक कैलाग्स कम्पनी है। उसके पौंड स्टर्लिंग में दाम लिखे हुए हैं। खान मार्किट से लेकर दिल्ली की हर मार्किट में इसके ऐसे दाम लिखे हुए मिलेंगे। यह पुणे में बासमती राइस फ्लेक बनाती है। जब मैं 4 साल का था तो हमारे बंगल में एक विधवा बुढ़िया च्यूड़ा बनाती थी। बिहार में हर गांव में 10-10 च्यूड़ा बनाने वाले परिवार मिलेंगे। आप च्यूड़ा बनाने के लिये विदेशी कम्पनी को लाये और शत-प्रतिशत उनके हाथ में पूंजी दे दी। आपने इस देश के रूपये-पैसे को विदेश भेजने, विदेश में नौकरी देने और गांव की उस विधवा के रोजगार को मिटाने का काम किया।

श्री हरि किशोर सिंह : वह 28 रूपये किलो में बिकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप किस दुनिया में है? 275 रूपये किलो में बिक रहे हैं। उन्होंने पहले जब इसे बाजार में बेचना शुरू किया था, यह 250 रूपये प्रति किलो था। आज पौने दो सौ रूपये किलो में यह बिक रहा है। हिन्दुस्तान में ऐसे देशभक्त है। जिन का इस च्यूड़ा के बगैर सुबह का नाश्ता नहीं होता। और उसमें भी पाऊंड स्टर्लिंग पैकेट पर

लिखा हो और उसके दाम डेढ़ गुना ही क्यों न हों, तब उनके पेट का समाधान हो जाता है। बड़ी मस्ती से उसका दिन शुरू हो जाता है। यह सारा काम आपने बनाया है। यह फ्रैंडली हैंड है, लेकिन कस के लिये? समाज के इन तबको के लिये?

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : यह ब्रहमासुर का हस्त है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लेनि यहां पर वाणिज्य मंत्री बैठे हुये हैं जो दुनिया को अपना आयात निर्यात दिखा रहे हैं? वे सारे विश्व में भाषण देकर आते हैं। कौन सा आयात निर्यात कर रहे हैं ? आपने पिछले पांच वर्ष में कौन से क्षेत्र में निर्यात की मात्रा बढ़ायी है? हमें बताईये। यहां पर अभी खाद्य मंत्री नहीं हैं क्योंकि यह विभाग अब प्रधानमंत्री जी के पास है। आप लोग दो लाख टन दाल का निर्यात करने के लिये तैयार हो गये हैं। अध्यक्ष जी, मुझे मालूम नहीं कि आपके हाथ में कितना अधिकार है, वह है तो विदेश के लिये निर्यात करिये और उसका इस्तेमाल करिये क्योंकि यहां के गरीब आदमी को प्रोटीन न मिल सकें.....

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपका आदर करता हूं। लेकिन आपको सभा को गुमराह नहीं करना चाहिए। यदि हम मसूर बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहे हैं, यदि मुझे ठीक से याद है तो मसूर के निर्यात का कुल कोटा केवल दस हजार टन है। मेरे विचार से जो आप कह रहे हैं वह पूरी तरह भ्रामक है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं कल सुबह आपको अखबार की वह कतरन लाकर दे दूंगा.....(व्यवधान) मैं मानने के लिये तैयार हूं अगर मंत्री जी की बात सही है। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मुझे इस बात की खुशी होगी। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा.....

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपको यह भी बता दूं कि हम 10 लाख टन से अधिक दालें आयात करते हैं और वह केवल दस हजार टन निर्यात करते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी मुझे बड़ी खुशी होगी अगर हिन्दुस्तान से एक टन भी दाल विदेश में न जाये। विदेश से दाल आयात करने की नौबत ही न आये। मेरी तो बस इतनी शिकायत है कि हम लोग गरीब आदमी के खाने पीने की चीजों के निर्यात और बड़े आदमियों के लिये मोटरगाड़ियां आयात करने का इन्तजाम कर रहे हैं। आज साधारण आदमी को मछली खाने के लि नहीं मिल रही है जबकि उसे विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। केला विदेश में जा रहा है। आप तो खाने-पीने की चीजों को विदेश में भेजने में लगे हुये हैं। इस चीज से आप क्यों इन्कार करेंगे? डायमंड पालिशिंग के निर्यात में सबसे ज्यादा पैसा आता है। इसके लिये भी आप अनकट डायमंड विदेशों से मंगाते हैं। उसके बाद उसका मूल्य 20-30 प्रतिशत ज्यादा हो जाता है। उसे विदेश में भेज रहे हैं। इसपर कौन सी तारीफ करने की बात है फिर क्या भेज रहे हैं? रेडीमेड गारमेंट्स भेज रहे हैं।आप कम्पीटीशन में जाकर ग्लोबलाईजेशन के नाम पर विदेशों के साथ बराबरी का सामना करके कौन सी बाजी मार रहे हैं? जरा हमें समझा दें। अध्यक्ष जी, निर्यात की जो गप्प चलती है, उसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी ओर आप मोटरगाड़ियां, स्काच ठिहस्की और कट ग्लास आयात कर रहे हैं .....

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : आपके समय में यह तस्करों के जरिए आता था और आपके मित्र आपको देते थे। अब लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और वह भी 250 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करके। हम शुल्क एकत्र कर रहे हैं जबकि आपके शासन में केवल तस्करों को फायदा हो रहा था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरी यह शिकायत है कि आप इस देश को आधी प्रतिशत आबादी के लिये चला रहे हैं। आप 250 प्रतिशत ड्यूटी लगाकर बड़े होटलों के लिये स्काच ठिहस्की मंगा रहे हैं। इससे किस प्रकार देश की सेवा कर रहे हैं यह बताइए। इसमें भी उन्होंने देश को गुमराह करने के सिवाय कुछ नहीं किया है।

अंतिम बात यह है कि जो निजीकरण का सिलसिला इन्होंने चलाया है, इसमें भी कुछ नहीं है। कल आप संसद बरखास्त करेंगे और उसके बाद सड़क पर जो लड़ाई होनी है वह होगी। उसके नतीजे भी सामने आएंगे, लेकिन निजीकरण का जो खेल इन्होंने चला है, वह किन चीजों का हुआ? पिछले 47 सालों में जो लोगों के टैक्स से जुटाए हुए पैसे हैं, उनको पूंजी के तौर पर देकर जिन उद्यमिकयो को देश में खड़ा किया गया, उनको ग्रयू अवे प्राइस पर उन चीजो को दिया। हिन्दुस्तान के हर गरीब का खून उस पैसे में है या कहें पसीना उस पैसे में है। हर गीब का पैसा उसमें है जिसने टैक्स दिया है और जो टैक्स सरकार ने वसूल किया है, संसद ने पास किया है और उस पर जो दौलत खड़ी हो गई, आज वह दौलत देशी पूंजीशाही और विदेशी पूंजीशाही के हाथ में देने में आप कामयाब हुए हैं और यही अगर आपका फ्रैण्डली हाथ है तो जितनी जल्दी इस हाथ को काटा जाएगा, उतनी जल्दी इस देश का भला होगा और उसको काटने की तैयारी में हम हैं। आप मैदान में आइए।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यगण का आभारी हूं, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। अब चूंकि सभा समवेत होने ही वाली है, मेरे लिए सभी प्रश्नों के जवाब देना संभव नहीं होगा। मेरे विद्वान मित्र श्री जसवन्त सिंह जी, सभा में उपस्थित नहीं है, लेकिन जब मैंने उनका भाषण सुना तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि

तथाकथित स्वदेशी जागरण मंच के सभी दबावों के बावजूद भी, वह अथवा उनकी पार्टी आर्थिक नीतियों के संबंध में कोई स्पष्ट के बावजूद भी, वह अथवा उनकी पार्टी आर्थिक नीतियों के संबंध में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण सामने ला सके हैं और जब मैंने उनकी बात सुनी, तो मुझे उनसे सहानुभूति हुई क्योंकि जो कुछ भी किया गया है, वह उसकी सराहना करते हैं और उदाहरण के लिए मुझे याद आया, कोका कोला के विरोध किये जाने के इसी प्रश्न पर जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उल्लेख किया था, पिछले वर्ष जब एक सार्वजनिक सभा में श्री जसवन्त सिंह से पूछा गया कि 'इससे क्या फर्क पड़ता है' और उन्होंने कहा, यह उपभोक्ता के लिए विकल्प बढ़ाता है'। लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनके अपने साथी हैं- हम जानते हैं कि उन्हें सावधानी बरतनी पड़ती है और उनको इस विकट परिस्थिति में देखकर मुझे उनसे सहानुभूति होती है।

अब, हमारी सरकार एक ऐसी नीति के लिए वचनबद्ध है, जिसका उद्देश्य गरीबों और बेरोजगारी जैसी मूल समस्याओं से निपटना है। इस संपूर्ण व्यंग्योक्ति के पश्चात भी चाहे वह श्री सोमनाथ चटर्जी की ओर से आई हो या श्री फर्नान्डीज की ओर से, उनकी ओर से कोई सुसंबद्ध जवाब नहीं आया। वे इस सभा में चाहे जो कुछ कहें अथवा न कहें, मैं उन्हें पश्चिम बंगाल की सरकार राज्य में जो कुछ करती है, उसी के आधार पर परखता हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार से मुझे बहुत सी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और मैं उन्हें बधाई देता हूं। मेरे विचार में श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री निर्मल कांन्ति चटर्जी ने सभा में आज जो कुछ कहा, अगर वही बहुराष्ट्रिकों के समर्थन का सूचक है, तो फिर वास्तव में वे पश्चिम बंगाल के लोगों की विचारों में आये बदलाव के प्रतिनिधि नहीं। और मैं कम्यूनिस्ट पार्टी अथवा पश्चिम बंगाल में लोगों की विचाराधारा में परिवर्तन लाने के लिए वास्तव में श्री ज्योति बसूजी और श्री सोमनाथ चटर्जी को बधाई देता हूं...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, भारत में कोई भी राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न यह है कि लाइसेंस हटाने के जो कुछ फायदे हुए हैं, हमें उनसे लाभ उठाना है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्रीय हित पर ध्यान दिए बगैर हम विदेशी निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया निष्पक्ष होकर इसका जवाब दीजिए। मैं हर प्रकार से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने हमें जो चेतावनी दी है, उस पर ध्यान दीजिये और यह बताइये कि क्या हमने कोई उस प्रकार का काम किया है। अत: यह मत कहिये कि यहां हमारी बात सही नहीं है। उनके अनुसार हम जो दृष्टिकोण अपना रहे हैं, वह सही नहीं है। श्री बूटा सिंह : वह पश्चिम बंगाल सरकार की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी विचारधारा किसी अन्य पार्टी के मुकाबले राष्ट्रीय विचार के अनुकूल है।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि श्री जार्ज फर्नान्डीज़ किस पार्टी से जुडे हुए हैं। किसी समय वह जनता दल में हुआ करते थें पिछले महीने मुझे कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री से बातचीत का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस अवसर पर उन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों के बारे में जो कहा वह सरकारी रिकार्ड में है। उन्होंने कहा "मैं संसद सदस्य था। उस समय मुझे नई आर्थिक नीति की अच्छाइयां नहीं दिखी। लेकिन अब मैं देखता हूं कि कर्नाटक के किसानों, कामगारों और समूचे कर्नाटक के लिए यह एक अच्छी नीति है"। यह लोगों का निर्णय है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए।

श्री मनमोहन सिंह : पिछले महीने दावोस में मुझे गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे विचार में उत्तेजित हुए बिना ही उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा कि वे ही सच्चे उदारवादी हैं और यह कि उनके शासन काल में आर्थक नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सभा में वे जो कुछ कहें, मुझे उनकी मजबूरियों का अहसास है। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, मुझे उससे प्रोत्साहन मिलता है। मेरे विचार में संसद किसी न किसी रूप में जनमत का दर्पण होती है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि संसद सदस्य हमारे देश के तेजी से बदलते हुए मूड से परिचित नहीं हैं। उदाहरण के लिए जब मैं देश के दूर दराज के भागों में जाता हूं तो लोग इसके बारे में बातें करते हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि देश में गरीबी बहुत अधिक है। हमें गरीबी और बेरोजगारी संबंध समस्याओं पर सीधा प्रहार करना होगा। आज जब मैं भारत के दूर-दूर के कोनों में गांवो में जाता हूं तो उत्तर-पूर्व के दक्षिण के तथा हिमाचल प्रदेश के सेब वही दिखाई देते हैं। यह सब आ रहे परिवर्तन का सूचक है।

इस देश की, सभी समस्याओं को पांच वर्ष में कोई भी हल नहीं कर सकता। लेकिन मैं ईमानदारीपूर्वक यह कहूंगा कि इस देश के सामने आने वाली दुर्जेय चुनौतियों का सामना करने के लिए गंभीर प्रयास किया जा रहा है। मैं ईमानदारीपूर्वक कह सकता हूं कि वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में हमने जो कुछ किया, अगर न किया होता तो हम भी उसी विषय परिस्थिति में होते, जो कभी अत्यधिक शक्तिशाली देश सोवियत रूस के सामने थी मेरे विचार में, हमने भारत को खंडित होने से बचाया। हमने एक संकट को गरीबी और बेरोजगारी संबंधी मूल समस्याओं को समाप्त करने के अवसर में बदल दिया।

आंकड़ो को कई प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है। श्री जसवन्त सिंह जी यहां उपस्थित नहीं हैं; अत: मुझे आंकड़ों का उल्लेख नहीं करना पड़ेगा। यदि वर्ष 1991-92 के संकट को शामिल करके आप पांच वर्ष की अवधि को लें तो आप उस एक वर्ष को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं क्योंकि उन वर्षों में भी हमारी ही सरकार थी। अत: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे वर्ष खराब रहे। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं। कि आज हमने जो मौलिक सुधार किये हैं,

उससे हमारे देश में कम से कम छह प्रतिशत विकास दर का एक आधार तैयार हुआ है। हमने अपने देश में लगभग 7.5 से 8 मिलियन लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने का एक आधार तैयार किया है, जो अपने आप में रिकार्ड है। उन्होंने दस वर्षों के अंदर गरीबी समाप्त करने का आधार उत्पन्न किया है। ये मेरे अपने आंकड़े नहीं हैं...(व्यवधान)

मैं यही कहूँगा कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का अनुपात कम हो रहा है। यदि आप इन आंकड़ो पर विश्वास नहीं करते तो आप अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन विचार अलग हो सकते हैं तथ्य नहीं। और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का अनुपात जो वर्ष 1987-88 में 25 प्रतिशत से अधिक था, उससे गिरकर 19 प्रतिशत से भी कम होने से संबंधित जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, वह योजना आयोग के उन सत्त प्रयासों के फलस्वरूप जो वह पिछले पंद्रह वर्षों से अपनाए हुए है।

अब, कीमतों के बारे में यह निश्चित रूप से सच है कि वर्ष 1991-92 में हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी जहां हमारे पास सात दिनों का सामान आयात करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे विचार में हम मिट्टी का तेल, उर्वरकों का आयात नहीं कर सके थे। वह एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें हमें एक-एक दिन करके जीना पड़ रहा था। अब, इस प्रकार के वातावरण में, कोई भी कीमतों को बढ़ने से नहीं रोक सकता था। वर्ष 1991-92 में कीमतें बढ़ी थी। एक समय ऐसा आया कि वे लगभग 17 से 18 प्रतिशत के वार्षिक स्तर तक पहुंच गईं उस समय भारत का सोवियत रूस, लेटिन अमरीका और अफ्रीकी देशों की भांति बिखरने का खतरा उत्पन्न हो गया था। हमने धीरे-धीरे उस संकट को हटाया। हमने मुद्रा-स्फीति की दर को नियंत्रित किया। आज, यह पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है। एक बार पुन: मैं यह कहूँगा कि पिछले दो वर्षों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिये जा रहे दोनो ही खाद्यानों गेहूँ और चावल की कीमतों में परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर आप वनस्पति तेल, चीनी की कीमतें देखें तो वे स्थिर रही हैं; अगर आप मिट्टी के तेल की कीमतों पर नजर डालें, तो वे वर्ष 1991 की तुलना में कम हुई हैं। अब, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी नियंत्रण में हैं।

मुझे मालूम है कि मुद्रास्फीति की समस्या अभी भी है और कीमतों पर नियंत्रण लाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। लेकिन हम कीमतों पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते है? हमें वित्तीय घाटे को कम करना होगा, हमें अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में सुधार करना होगा; हमें सरकारी क्षेत्र के घाटों को कम करना होगा; हमें अपनी कृषि की उत्पादकता में सुधार करना होगा। हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं यही बात इस सभा को बताना भी चाहूँगा। मेरे विचार से ज्ञानवन्त सिंह यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कृषि की समस्या का उल्लेख किया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जहां किसानों ने इतना अच्छा [illegible] रहा है और इतनी अधिक कठिनाइयां, वित्तीय कठिनाइयां होने के बावजूद भी ऐसा करने पर हमें गर्व है।

हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले कृषकों को गेहूँ का मूल्य 220 रुपया प्रति क्विंटल अदा किया जाना था आज उनको 380 रुपया प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ का मूल्य अदा किया जाता है। हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले धान का मूल्य 205 रु. प्रति क्विंटल था आज इसका मूल्य 360 रु. प्रति क्विंटल है और इसी तरह से मैं और भी बता सकता हूँ। हमें अपने कृषकों पर गर्व है। भारतीय कृषकों को इतना अधिक मूल्य कभी नहीं मिला हम उनको और प्रोत्साहन देने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद भी हमने पिछले वर्ष कृषको को 6000 करोड़ रुपये की राज सहायता प्रदान की है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भारत के कृषकों का नुकसान हो। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए भी वचनबद्ध है। पिछले वर्ष खाद्य पदार्थों पर 5,000 करोड़ रु. से ऊपर राज सहायता प्रदान की गई थी। मैं सभा को विश्वास में ले सकता हूँ। पिछले वर्ष कर्नाटक के मुख्य मंत्री जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा, 'माननीय प्रधानमंत्री जी, आइए खाद्य के लिए राज सहायता, उर्वरकों के लिए राज-सहायता जैसी मूल चीजों के संबंध में एक मत बना लें।

तत्पश्चात मैंने उनसे यह पूछने के लिए उन्हें लिखा कि आप खाद्य तथा उर्वरक के लिए राजसहायता की कितनी राशि को उपयुक्त समझते है। उन्होंने कहा यदि आप बजट में खाद्य के लिए 5,000 करोड़ रु. को राज-सहायता और उर्वरकों के लिए 6000 करोड़ रुपये की राज्यसहायता प्रदान करते हैं तो यह राशि पर्याप्त होगी। मेरे विचार में, हम पूर्णत: वचनबद्ध रहे हैं। इस बात से यह प्रतीत होता है कि विपक्ष के नेता और विपक्ष के जिम्मेदार नेताओं को जब जिम्मेवारी सौंपी जाती है तो वे भी हमारी सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का उल्लेख करते हैं। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ और ना ही श्री फर्नान्डीज पर कोई आरोप लगा रहा हूँ जब उन्हें इस सभा में विपक्ष की ओर से अपनी ड्यूटी निभानी थी और हमें अपना कार्य करना था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप मुझ पर कर्तव्यनिष्ठ न होने का आरोप लगा रहे हैं?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।...(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने संतुलित विकास के संबंध में एक वैध प्रश्न उठाया है। अपने पहले बजट भाषण में मैंने कहा था कि हम उदारीकरण चाहते हैं लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन सभी समस्याओं का उत्तर है बाजार। मैंने अपने पहले भाषण में कहा था कि ऐसा देश जहां लाखों लोग बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, उन तक बाजार के संकेत कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री बाजारोन्मुख दृष्टिकोण की बात करता है, [illegible] हम सोचते हैं। हमें अपने [illegible]

साथ-साथ निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को भी मजबूत करना चाहिए इस सरकार के कार्य-काल में ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिससे कि प्रत्यक्ष रूप से निर्धनों को सहायता प्राप्त होती है, पर इतना ध्यान दिया गया है जितना कि हमारे विकास कार्यों के इतिहास में पहले कभी नहीं दिया होगा। हमने ग्रामीण विकास पर 30,000 करोड़ रु. खर्च करने का वचन दिया था। हम इसे बढ़ाने जा रहे हैं। अन्तिरम बजट के अनुसार भी हम वास्तव में 34,000 करोड़ रु. खर्च करेंगे।

महोदय, हमने पूरे राष्ट्र में विद्यालयों में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम आरंभ किया है। वित्तीय समस्याओं के बावजूद भारत के 11 करोड़ बच्चे इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। महोदय, पिछले वर्ष हमने बूढ़े लोगों को तथा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे सभी निर्धन लोगों को पेंशन देने का कार्यक्रम आरंभ किया था। मेरी गणना के अनुसार इससे कम से कम 17 लाख बूढ़े लोग लाभान्वित होंगे।...(व्यवधान) केन्द्र सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रह रही सभी गर्भवती महिलाओं की सभी आकस्मिक जरूरतों जैसे प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात् की दवाईयों के लिए 300 रु. की सहायता प्रदान करने जा रही है और इससे कम से कम 50 लाख महिलाएं और जनम लेने वाले बच्चे लाभन्वित होंगे। मेरे विचार में यही वचनबद्धता है।...(व्यवधान) आज शहरी रोजगार आश्वासन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जो कि हमारे देश के 3,000 से ऊपर निर्धनतम खंडो में चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के दो वयस्क सदस्यों की 100 दिनों को निश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा मुझे यह आश्वासन देने दीजिए कि यदि हमारी सरकार सत्ता में वापस आ गई तो पूरे राष्ट्र को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाएंगे। हमारी कार्यसूची की अगली मद है। राष्ट्रव्यापी रोजगार कार्यक्रम की गारंटी। जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि जो कुछ भी हम अगले पांच वर्षों में करने जा रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों को मैंने एक अलग खंड में रखा है। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था कायम करेंगे जो कि कम से कम 10 लाख नए रोजगार का सृजन करेगी। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे जो 7 से 8 प्रतिशत की दर से विकास करेगी। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था कायम करेंगे जो बिहार के गांवो तथा शेष देश में ऐसा वातावरण बनाएगी। जिसमें शिशु मृत्यु दर काफी कम हो जाएगी जैसा कि केरल में है। उस दिशा में हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए कार्य करेंगे। मेरा विचार है कि यही रास्ता है जो हमने अपने लिए अपनाया है।

कृपया मुझे भ्रष्टाचार के बारे में भी कहने दीजिए। आज काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। मुझे इस बात से इंकार नहीं है। लेकिन हम भ्रष्टाचार के साथ अपने तरीके से निपट रहे हैं।

सबसे पहले, हमारे देश में भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत हमारी लाइसेंसिंग प्रणाली है, श्री फर्नान्डीज जिसके चैम्पियन हैं। मैं जानता हूं कि कुछ राजनीतिज्ञों को कुछ उद्योगपति अच्छे क्यों लगते है। मैं अनेक कारणों से उनके नाम नहीं बताना चाहता हूं। लेकिन ये बेईमान उद्योगपति ऐसे शासन तंत्र में फलते-फूलते हैं जिससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। आज, इन लोगों को संपर्क कार्यालय की आवश्यकता नहीं है। जो नई नीतियां हमने अपनाई हैं उसका सबसे अधिक लाभ लघु उद्योगों को है क्योंकि वे राजनीतिज्ञों से फायदा नहीं उठा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें उस ओर इशारा करना चाहिए। न कि हमारी ओर।

अध्यक्ष महोदय : उंगली से इशारा नहीं किया जाएगा।

श्री मनमोहन सिंह : यदि आप लघु उद्योगों के आंकड़े देखें तो लघु उद्योगों ने शेष भारतीय उद्योगों से अधिक तरक्की की है। यह सभी बातों का स्वयं में एक उत्तर है।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : जैन हवाला कांड के बारे में आपका एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इस बारे में आपका एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इस बारे में कुछ नहीं बताया है।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : भ्रष्टाचार का दूसरा स्रोत है तस्करी 50 वर्षों से यह देश सोने का आयात कर रहा था। यह आयात कौन कर रहा था? यह तस्करों और उनके सहयोगियों द्वारा किया जा रहा था। हमने सोने के आयात की नीति का उदारीकरण कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को मानता हूं। वे मुझे संबोधित करेंगे। मैं उपेक्षित नहीं होना चाहता।

श्री मनमोहन सिंह : मैं कह रहा था कि लगभग 50 वर्षों से यह देश सोने का आयात कर रहा था। लेकिन यह सोना तस्करी के जरिए आ रहा था। इसलिए तस्करों ने हमारे राष्ट्रीय जीवन पर ऐसा शिकंजा कस लिया था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप ही की पार्टी उस समय गद्दी पर थी। आप किसको सुना रहे हैं?

[अनुवाद]

आपने उस तस्करी का लाभ उठाया है।

श्री मनमोहन सिंह : हमारी सरकार ने सोने के आयात की नीति का उदारीकरण कर दिया है। हमारी सरकार ने चांदी के आयात की नीति का उदारीकरण कर दिया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तस्करी का लोप हो गया है। लेकिन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तस्करों के दबदबे को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले श्री फर्नान्डीज जैसे लोगों के प्रभाव के कारण कृत्रिम रूप से शुल्क 300 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था, जबकि वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि इससे तस्करी और उनके सहयोगियों को ही लाभ पहुंचेगा। हमने आयात शुल्क को कम कर दिया है। इस प्रक्रिया में तस्करी के अवसर कम हो गए हैं इस तरह पहले

मैं जापान गया और मैंने वहां देखा कि उनकी फैक्ट्रियों में साड़ियां बन रही हैं। मैंने पूछा "आप साड़ियों का निर्यात कहां कर रहे हैं क्योंकि भारत साड़ियों का आयात नहीं करता? हमारे यहां अभी भी उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है।" वे सब मुझ पर हंसे। जापान से भारत में हजारों सिंथेटिक साड़ियों की तस्करी की जाती है। उस अवधि में काफी आयात हुआ था। हम धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन ला रहे हैं। हम ऐसा इस तरीके से कर रहे हैं कि इससे भारतीय उद्योग को नुकसान न हो। इसलिए, हमारा कार्यक्रम न केवल आर्थिक उद्धार के लिए है बल्कि हमारे देश के नैतिक उद्धार के लिए भी है।

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द पाल : जैन हवाला कांड के बारे में आपका एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैं 'हवाला' पर चर्चा करूंगा। यह बेईमानी से कमाए गए काले-धन का महत्वपूर्ण स्रोत है जिस पर कर की दर बढ़ाई गई थी लेकिन उन्हें कभी लागू नहीं किया गया।

इसलिए, बेईमान उद्योग पतियों, बेईमान सिविल कर्मचारियों तथा बेईमान राजनीतिज्ञों को खुली छूट मिल गई।

हमारी सरकार की करों की दरों को संतुलित करने की नीति है लेकिन हम उन्हें सख्ती से लागू भी करना चाहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि इन वर्षों में, हमने अपने बजट में जो आंकड़े दिए हैं, कराधान से लगभग 7000 करोड़ रुपये अधिक एकत्र किए हैं। आज मैं सैकड़ों उद्यमियों से मिला, वह मेरे पास आए और कहा "आपने हमें बचा लिया है। अब हम धन संग्रह कर सकते हैं और उसे उद्योगों में निवेश कर सकते हैं और ईमानदार बने रह सकते हैं।" अत: मैं समझता हूं कि हम जो कर रहे हैं वह केवल सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक विकास कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि नैतिक पुनरूत्थान का कार्यक्रम है।

हवाला कारोबार क्या है? यह कारोबार एक ऐसी व्यवस्था की देन है जिसमें आयात पर आपका सख्त नियंत्रण है, जहां आप नियंत्रण के अनेक उपायों से गुजरे बगैर कुछ भी देश में नहीं आने देना चाहते हैं, विनिमय नियंत्रण के बगैर कुछ भी देश में नहीं आने देना चाहते हैं। आप यह दावा करते है कि भारत शेष विश्व से कट कर रह सकता है। अत: ये ठगी लोग फलफूल रहे हैं। हमारी इन ठगी करने वाले लोगों के व्यापार के आधार को ही समाप्त करने की नीति है।...(व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल : इन वर्षों के दौरान गंभीर आर्थिक अपराध हुए हैं वित्त मंत्र जी इस बारे में क्या कर रहे है वे?...(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : इस दिशा में पहला कदम चालू खाते में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाना था। हम अपनी सरकार के अगले कार्यकाल में पूंजी खाते पर रुपये को परिवर्तनीय बनाएंगे और कल मैंने एक साक्षात्कार देखा जिसमें श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी इस बात का समर्थन किया कि ऐसा किया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ये सब लोग मुझ पर चिल्ला रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : श्री चटर्जी, हम उन लोगों से सहमत नहीं हैं। हम आप का समर्थन करते हैं...(व्यवधान)

श्री मन मोहन सिंह : मैं इसके लिए श्री चटर्जी को बधाई देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत के पास अनेक अवसर हैं। इस सबके के बावजूद आज सभा में कहा गया है कि विद्यमान मूल सहमति यह है कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए और राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करना चाहिए। विश्व जो आज क्षितिज पर है, वह एक नया और प्रतिस्पर्धारक विश्व बनने जा रहा है। केवल आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग करके, भारत की महान जन्मजात नैसर्गिक शक्ति, साहस और उद्यम की भावना को मानते हुए हम दीर्घकाल से चली आ रही गरीबी, उपेक्षा और बीमारी, जो अभी भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है, से छुटकारा पाने के अपने राष्ट्र के मूल आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन पांच वर्षों में हमने एक सुदृढ़ नींव रखी है। यह कहने वाला मैं अंतिम व्यक्ति हूं कि कार्य पूरा हो गया है। यह काम काफी आगे बढ़ गया है और गरीबी से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए हमें और पांच वर्ष की जरूरत है।...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्होंने दो मुख्य बातों अर्थात वित्तीय संकट और परियोजना वित्तपोषण का उत्तर नहीं दिया।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, आज धन की कमी की समस्या है लेकिन यह तेजी से हो रहे विकास का परिणाम है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : धन के बगैर विकास कैसे हो सकता है?

श्री मनमोहन सिंह : हमारे उद्योगा का अब 10-12 प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है। मैं सभा को यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि यह एक अस्थायी समस्या है। हमारे पूंजी बाजार ने पिछले वर्ष लगभग 27,5000 करोड़ रुपए जुटाए और मेरा अनुमान है कि इस वर्ष भी संभवत: मौटेतौर पर उतनी ही राशि जुटाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों के कारण हमारी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार और जी.डी. आर. बाजार में नहीं जा सकी। अब "सेल" (भारतीय इस्पात प्राधिकरण) गया है, उसने धन जुटाया है और आप देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में इनमें से बहुत सी कंपनियां और अधिक धन जुटा पाएंगी।

9.00 म.प.

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे बड़ी कंपनियां हैं।

श्री मनमोहन सिंह : छोटी कंपनियों के संबंध में, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी बैंकिंग प्रणाली किसानों और छोटे उद्योगपतियों के आश्वासन हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पूर्वोत्तर के एक मित्र ने एक बात का उल्लेख किया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले महीने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नए विकास बैंक का उद्घाटन किया जिसकी प्राधिकृत पूंजी लगभग 500 करोड़ रुपए है। यह बैंक पूर्वोत्तर में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने पर विशेष

ध्यान देगा। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि क्षेत्रीय असंतुलन केवल पूर्वोत्तर तक ही सीमित नहीं है। उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमें संसाधनों की आवश्यकता है। लेकिन हमने जो नीतियां अपनाई हैं, यदि अब अधिकाधिक संसाधन सामाजिक विकास पर खर्च होते हैं तो राज्यों को पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं से निपटने के लिए और अधिक कुशल योजनाएं बनानी होंगी। हम...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने सोचा कि आपके अंतिम भाषण से कुछ समस्याओं का उत्तर मिलेगा।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने सभी समस्याओं का उत्तर दे दिया है।...(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर दे दिया है।...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने रूग्ण उद्योगों के बारे में कुछ नहीं कहा...(व्यवधान)...रुग्ण उद्योगों के बारे में हमें कुछ बताइए।...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : एन.टी.सी. और पटसन निगम जैसी कंपनियों के बारे में...(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं आपकी अनुमति से आमतौर से सरकारी क्षेत्र और विशेषरूप से रूग्ण एककों के संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट करना चाहता हूँ...(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय ने स्वरोजगार में लगे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा है...(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : हमारी आर्थिक रुप से सक्षम सरकार सरकारी क्षेत्र के विकास को अवरूद्ध करने के लिए कुछ नहीं करेगी।

हम लाभप्रद सरकारी क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रोत्साहन देंगे। जहां तक अलाभकारी सरकारी क्षेत्र का संबंध है, जिनका पुनरूद्धार किया जा सकता है उनके संबंध में हम हर संभव प्रयास करेंगे।...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने वह किया नहीं है

श्री मनमोहन सिंह : यह सच नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि यह सच नहीं है। आप मेरे पास आए हैं। मैं वह कंपियां आपको गिन कर बता सकता हूँ जिनके लिए मैंने...(व्यवधान)...हमारी नीति यह है कि जहां कहीं सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों को पुनरुद्धार किया जा सकता है हम उनका पुनरूद्धार करेंगे। चाहे...(व्यवधान)...

श्री बसुदेव आचार्य : आप उनका पुनरुद्धार नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें छोड़ रहे हैं। आप उन्हें और रूग्ण बना रहें हैं। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूँ।

श्री मनमोहन सिंह : श्री आचार्य जी, आप सच्चाई जानते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे आपको वह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, मैं यह कह रहा था कि सरकारी क्षेत्र जिस इकाई का भी पुनरुद्धार किया जा सकता है हमारी सरकार उसके पुनरुद्धार के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जहां...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये "पुनरुद्धार किए जा सकते हैं क्या है!" उनका पुनरुद्धार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? यह "पुनरुद्धार किए जा सकते हैं" बहुत रहस्यमय है। मेरा आरोप है कि आप उनका पुनरुद्धार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)...यह बहुत गंभीर है। महोदय, 50,000 कामगार बेरोजगार होने वाले हैं और भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है। मेजें थपथपाने से क्या होता है? यह शर्मनाक है? यह एकदम शर्मनाक है?...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कामगारों को महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लोग अपना फैसला देंगे।...(व्यवधान)...वित्त मंत्री जी जानबूझ कर इस बात को टाल रहे हैं। यह कहने का क्या लाभ है कि जिनका पुनरुद्धार किया जा सकता है?"

उनके पुनरुद्धार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? मैंने उनके नाम बताए हैं। महोदय, प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों ने सभा में वचन दिया था कि हर इकाई की समीक्षा की जाएगी और वह हमें विश्वास में लेंगे। कुछ भी नहीं हुआ है। महोदय, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है।

श्री राम नाईक : वित्त मंत्री जी को सरकारी क्षेत्र की कम से कम उन पांच इकाइयों के नाम बताने चाहिए जिनका पुनरुद्धार किया गया है।...(व्यवधान)...वित्त मंत्री जी को कम से कम उन पांच या छह कंपनियों के नाम बताने चाहिए जिनका पिछले चार वर्षों के दौरान पुनरुद्धार किया गया है।...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वह जवाब देंगे या नहीं?...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यह सच है कि 56,000 कामगारों के सामने समस्या है। एन.टी.सी. और एन.डी.एम.सी. के बारे में, मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि कोई विशेष कार्यक्रम होना चाहिए। ताकि पूरे देश में एन.टी.सी. के कर्मचारियों को लाभ हो सके।...(व्यवधान)...और...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, जो टैक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं यहां पर बार-बार कहा गया था कि जो पुरानी मिल्स बंद हुई है, उनको शुरू करेंगे। अर्थ मंत्री कम से कम पांच कंपनियों के नाम बतायें जिनको शुरू करने की कोशिश की है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री महोदय कृपया हमें यह बतायेंगे कि रूग्ण एन.टी.सी. एन.डी.एम.सी. को पुनर्जीवित करने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं...(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, जहां तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम का संबंध है, हमारी सरकार की...(व्यवधान) बेचकर इसे पुनर्जीवित करने की योजना है।

श्री राम नाईक : पिछले एक वर्ष से आप ऐसा कह रहे हैं... (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये। तत्पश्चात, आप उठाइये...(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : इस विषय पर वस्त्र मंत्री द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिये।...(व्यवधान) मुझे प्रत्येक इकाई के बारे में अलग से जानकारी नहीं है। लेकिन यदि कोई सदस्य यह जानने का इच्छुक है, तो मैं उन्हें उन रूग्ण इकाइयों की संख्या बता दूंगा, जिन्हें पुनर्जीवित किया जा चुका है। श्री आचार्य एवं श्री सोमनाथ चटर्जी को भी यह संख्या पता है।... .(व्यवधान) मुझे अब यह संख्या विदित नहीं है, मैं यह जानकारी उन्हें भेज दूंगा...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सारा भाषण खोखला है, इन्होंने पांच कंपनीज के नाम तक नहीं गिनाये।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वित्त मंत्री बहाना बना रहे हैं क्योंकि वस्त्र मंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं, अत: वह माननीय सदस्यों द्वारा पूछी गई बातों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या उन्हें यह विदित नहीं है कि इस देश में रूग्ण इकाइयों के संबंध में क्या हो रहा है? क्या उनकी देखभाल करना तथा उनको पुनर्जीवित करने हेतु कोशिश करना वित्त मंत्री का कार्य नहीं है? आप अपनी मेजे थपथपाते रहिये, लेकिन इस देश की जनता शीघ्र ही अपना निर्णय दे देगी।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : वित्त मंत्री ने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया इसलिए हम वाकआउट करते हैं।

9.09 म.प.

तत्पश्चात श्री राम नाईक तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : वित्त मंत्री ने सदन में एक अहम सवाल का जवाब नहीं दिया। जब इन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था।

जब उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला था तो एक डालर की वैल्यू 17-18 रुपये थी और इनके पांच साल के कार्य के अंदर इसकी वैल्यू 38 रुपये हो गई रुपये की वैल्यू इतनी क्यों गिरी है, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष जी, मैं सदन से बहिर्गमन कर रहा हूं।

9.12 म.प.

तत्पश्चात श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी सभा-भवन से बाहर चले गये।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या यह सही है कि चूंकि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री निरामिष हैं, इसलिए मछली के निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि चूंकि प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री शाकाहारी हैं, अत: वे इस देश की जनता की परवाह नहीं कर रहे हैं। तथा मछलियों का निर्यात करने की अनुमति दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : वित्त मंत्री तथ्य से बाहर चल गये हैं। नौवी लोक सभा के चुनाव में शासक दल के चुनाव घोषणा-पत्र में 100 दिनों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को पीछे लाने का ऐलान किया गया था, इसके बारे में एक शब्द भी वित्त मंत्री ने नहीं कहा है कि कितनी गुना कीमतें बढ़ी हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब यह दूसरा भाषण हो गया।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा: एक शब्द भी इन्होंने नहीं कहा कि कहां-कहां कीमतों की रखेंगे। कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब मैं सदन से बहिर्गन कर रहा हूं।

9.13 म.प.

तत्पश्चात श्री भोगेन्द्र झा सभा भवन से बाहर चले गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की मांगे (सामान्य) मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जी जायें :

1, 4 से 9, 12 से 18, 21, 23 24, 26, 28, 31 से 37, 39 से 46, 48, 49, 51 से 54, 57, 58 63 से 65, 69, 70, 73, 75 से 81, 84, 85, 89; से 91, 93, 95 से 99,

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1996-97 के लिए लेखानुदानों की मांगे (सामान्य मतदान के लिए रखता हूं।)

प्रश्न यह है :

'कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1से 26, 28, 29 31 से 58, 60 से 90, 92, 93 और 95 से 100 के सामने दिखाये गये मांग ोंों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के

स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

09.15 म.प.

विनियोग (लेखानुदान विधेयक, 1996*)

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष, 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष, 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता** हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय प्रस्ताव विचार करने हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता** हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत को संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.17 म.प.

विनियोग विधेयक, 1996*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, "मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनयोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित**करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय विधेयक पर विचार हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 11.3.96 में प्रकाशित।
** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

* भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2, दिनांक 11.3.96 में प्रकाशित।
** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेंगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खंड, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

9.19 म.प.

वित्त विधेयक, 1996

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं: "कि आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए चालू रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए चालू रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.21 म.प.

अंतरिम बजट (रेल) 1996;
लेखानुदानों की मांगे (रेल) 1996;
अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल) 1995-96
और
अनुदानों की अतिरिक्त मांगे (रेल)-1993-94

अध्यक्ष महोदय : सभा अब अंतरिम बजट (रेल) 1996-97 पर आम चर्चा, लेखानुदानों की मांगे (रेल), 1996-97 पर चर्चा और मतदान, अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) 1995-96 पर चर्चा और मतदान, अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) 1993-94 पर चर्चा और मतदान पर संयुक्त रूप से चर्चा करेंगी।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के बजट (रेल) 1996-97

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

के संबंध में अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं। वे यदि आपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्यायें लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996 के लिए लेखानुदानों की मांगे (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गयी लेखानुदान की मांग की राशि (रुपये)
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	7,46,78,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	37,81,54,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	276,00,49,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण	569,12,04,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	396,47,93,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	589,81,44,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	302,96,37,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	486,53,54,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	1401,33,33,000
10.	परिचालन व्यय-ईधन	1347,53,61,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	220,71,17,000
12.	विविध संचालन व्यय	284,84,28,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	787,32,17,000
14.	निधियों में विनियोग	1878,00,00,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामानय राजस्व के लिए ऋण की अदायगी और अतिपंजीकरण का परिशोधन	8,50,78,000
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	15,00,00,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	472,23,32,000
	रेलवे निधियां	3806,53,68,000
	जोड़	12888,22,47,000

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 1 से 4, 7 से 9, 11 से 14 और 16 के संबंध में अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक सम्बधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गयी अनुदान की मांग की राशि (रुपये)
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	1,52,35,000
2.	विविधि व्यय (सामान्य)	1,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	22,10,63,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण	42,70,60,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	25,36,18,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	71,56,34,000
9.	परिचालन-व्यय-यातायात	77,78,63,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	6,55,39,000
12.	विविध संचालन व्यय	10,74,43,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	110,38,37,000
14.	निधियों में विनियोग	443,00,00,000
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	15,16,28,000
	जोड़	826,89,21,000

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 6,8,11,12,16 के संबंध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी

को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगे (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांग की राशि (रुपए)
1	2	3
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	25,40,45,424
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	35,56,26,915
9.	परिचालन व्यय-यातायात	2,27,40,307
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाए	2,62,08,150
16.	परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव	1,68,97,633
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1149,18,30,375
	जोड़	1216,73,48,804

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं हमने इस पर "घंटे चर्चा की है। अब हमें शेष कितना कार्य निपटाना है?

अध्यक्ष महोदय : कल आप दो विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे। अब हम वित्तीय कार्य और उत्तर प्रदेश के संबंध में चर्चा पूरी कर लेते हैं।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : उत्तर प्रदेश के बारे में आपका क्या विचार है? जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा करनी है।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर भी चर्चा करेंगे।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : यह कैसे संभव होगा।

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा कल आपको सब अव्यवस्थित सा लगेगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : राज्य सभा ने उत्तर प्रदेश पर चर्चा पूरी कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : आपको परेशानी इसलिए भी होगी क्योंकि कल राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : हमने चार घंटे लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में ऐसा नहीं है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी : हमारे दल के केवल एक ही वक्ता बोले हैं जबकि अन्य दलों के दो-दो सदस्य बोले हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी वही कह रहा हूं । वे सत्ता पक्ष के सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : हमें बोलने की अनुमति न देने का यह कारण नहीं होना चाहिए।

श्री राम कापसे (ठाणे) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं रेल राज्य मंत्री को आमान परिवर्तन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बधाई देता हूं। मैं उनको दुर्घटनाओं की संख्या कम-से-कम करने तथा उनके द्वारा शुरू किए गए खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए भी बधाई देता हूं। इन तीन बातों के लिए, मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं उन्हें विशेष रूप से तीसरे घाटा का सर्वेक्षण कार्य आरंभ करने के लिए भी धन्यवाद देता हूं जिसका बजट में कोई उल्लेख नहीं है किन्तु उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उन्होंने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। तीसरे घाट का काम लम्बे समय तक चलेगा। जहां तक मुम्बई से विशाखापत्तनम का संबंध है, दूरी कम की जाएगी। और मैं उन्हें मराठवाड़ा के हित में दक्षिण के लोगों के हित में तथा मुरूबाद तहसील के लोगों के हित में भी इस मामले पर विचार करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं अपने भाषण को मुम्बई के मसालों पर ही केन्द्रित रखूंगा। जहां तक मुम्बई का संबंध है। उपनगरीय रेलवे इसके जीव का स्पन्दन है। मैं उनके बजट भाषण में उनके द्वारा उल्लिखित एक वाक्य का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है, "मैं सभा को तथा मुम्बई के निवासियों को यह आश्वासन देता हूं कि उपनगरीय परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे वास्तव में ऐसा करने में सफल हुए है, क्या उन्होंने सभा को और मुम्बई के निवासियों को जो आश्वासन दिया है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है और क्या ये प्रयास वास्तव में सफल हुए हैं अथवा कम-से-कम शुरू किए गए हैं। आइये, कुछ मसलों पर विचार करें।

उनका कहना है कि मुम्बई उपनगरीय सेवा एक राष्ट्रीय समस्या है तथा कहते हैं कि विभिन्न कार्यों की पहचान का काम कर लिया गया है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जहां तक मुम्बई के विभिन्न कार्यों की पहचान किए जाने का संबंध है तो उसका श्रेय केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है वह व्यक्ति श्री जार्ज फर्नान्डीज हैं। प्रास्थिति पत्र उन्हीं दिनों जारी किए गए थे और रेल मंत्री इस समय जिन योजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं उनमें से अधिकांश उसी प्रस्थिति पत्र की है।

रेल मंत्री ने कहा है कि अल्पकालिक उपाय, मध्यकालिक उपाय और दीर्घकालिक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे है। कार्यान्वित शब्द का एक विशेष अर्थ है और रेल की सलाहकार समिति की बैठकों में हम जो प्रश्न उठाते हैं, उसका मंत्री महोदय जो उत्तर देते है, उससे साफ पता चलता है कि कार्यान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ है। मेरे माननीय मित्र और हमारे सदस्य, श्री राम नाईक ने मुम्बई उपनगरीय, मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे की उन प्रमुख परियोजनाओं जिन्हें 1995-96 में शामिल किया गया था, की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया है।

बजट वास्तव में कुल 963 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए था। 1995-96 के बजट में वास्तव में केवल 27 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। और स्थिति क्या है? माननीय मंत्री महोदय ने कुर्ला-ठाणे पांचवी तथा छठी लाइनों के लिए एक करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की हैं और हमने अनुमानित खर्च की मांग की है। फिर, तीन और परियोजनाएं, वसई रोड-देवा दोहरीकरण, देवा-पनवेल दोहरीकरण और पनवेल-करजत लाइन है, जिसकी कुल राशि 11,089 करोड़ रुपए होती है जबकि 1995-96 के बजट में मात्र 27 करोड़ रुपए की राशि दर्शायी गयी है और अनुपूरक बजट में 4 करोड़ रुपए दिखाया है और इस समय स्थिति क्या है? मैं इसे पढ़ रहा हूं।

मुम्बई में कॉरिहर सं. 2 के भाग ठाणे-कुर्ला-नेरूल-वाशिनक के बारे में रेल मंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं। कि 31.1.1996 तक, छोटे पुलों तथा उपमार्गों के लिए केवल निविदा सूचनाएं आमंत्रित की जा सकी हैं। तथा प्रगति पर है। निविदाएं, एक वर्ष पूरा होने के बाद आमंत्रित की गई है।

एक अन्य परियोजना, बेलापुर-पनवेल डबल कम्प्यूटर लाइन है जो पूर्व-पश्चिम कॉरिटर का एक भाग है। उत्तर दिया गया है कि उपमार्गों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, अस्थायी रेल फाटक का काम प्रगति पर है।

तीसरी लाईन: उपरिपुल वसई रोड, वैतरणी तीसरी लाइन बीसी ट्रैक्शन है। इसके कार्यान्वयन हेतु "किसी बड़ी योजना पर विचार किया जा रहा है।" मुझे नहीं मालूम कि वह बड़ी योजना कब बनकर तैयार होगा।

चौथी परियोजना: वसई रोड में पोरूलु वसई, लाईन की क्वार्टरप्लेटिंग पर "किसी बड़ी योजना के अंतर्गत विचार।" 8 पुन:, ठोस कुछ नहीं।

फिर पांचवी: मुम्बई मध्य बोरूविल्मी पांचवी और छठी लाइन, "कार्य प्रारंभिक चरणों में," अत: कोई कार्यान्वयन नहीं है।

छठी कुर्ला-ठाणे, यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है।

पांचवी और छठी लाइन : विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करने तथा निविदाए आमंत्रित करने का कार्य प्रगति पर है। केवल निविदाएं, वह भी 31.1.1996 के अंत में।

[हिन्दी]

श्री उमरांव सिंह (जालंधर) : केवल चार महीनें की बात है।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : वसई रोड-देवा दोहरीकरण, विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करने तथा निविदाएं आमंत्रित करने का कार्य प्रगति पर है। यही स्थिति देवा-पनवेल दोहरीकरण की है, यही स्थिति पनवेल-करजत दोहरी करण की है। निर्धारित की गई राशि अत्यल्प थी।

अनुपूरक में, इसमें बहुत अधिक विलम्ब हो चुका है और जो काम शुरू किया गया है, वह निविदा अथवा बीओएलटी चरण तक ही सीमित है। यह स्थिति 31 जनवरी को थी। मैं जानना चाहता हूं कि अब स्थिति क्या है। हम कार्यान्वयन चाहते हैं क्योंकि आप बजट भाषण में कह चुके है कि आपने इनके कार्यान्वयन के लिए कुछ मध्यकालिक एवं कुछ दीर्घकालिक उपाय किए है। लेकिन कार्यान्वयन है कहां?

मुम्बई में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए रेल मंत्री ने कहा था, "क्या यह इतना आसान है कि इसे शाक-भाजी क तरह ले आएं? यह उनका भाषण था। जब लोग वर्षों से किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हों और जब वह भी कहते हों कि समस्या वास्तव में विस्फोटक है, तो फिर वह इस प्रकार का उत्तर लोगों को क्यों दे रहे है। हम उनसे कुछ अधिक की उम्मीद करते हैं। हमारी वास्तविक समस्या समय-पाबन्दी, गाड़ियों का विलम्ब से चलना, विस्थापन, इत्यादि की है। इन समस्याओं को शीघ्र हल किया जाना चाहिए। इनके लिए अल्पकालिक उपायों की आवश्यकता है लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। केवल अध्ययन किए जा रहे है। लोक केवल अध्ययन से संतुष्ट नहीं होंगे...(व्यवधान)

फिर, उन्होंने कोलाबा से कुर्ला तक मुम्बई मैट्रो भूमिगत रेलवे की बात की है तथा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया गया है और दिसम्बर, 1996 के अंत में इसे पूरा कर लिया जाएगा। जब तक विस्तृत व्यहार्यता सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वह कैसे घोषित कर सकते हैं कि काम प्रगति पर है और काम पूरा कर लिया जाएगा?

वास्तविक समस्या संसाधनों की है। उन्होंने कहा है कि वह धन कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा है कि रेलवे भूमि और रेल मार्गों के साथ की जगह का वाणिज्यिक विदोहन ही आय का स्रोत बन सकता है। वह उन संसाधनों से धन जुटाएंगे और मुम्बई में खर्च करेंगे। रेलवे की जमीन के वाणिज्यिक विदोहन के मुद्दे का जिस समिति ने अध्ययन किया, मैं भी उसका एक सदस्य था। हमने तीन साल पहले सर्वसम्मति से इसकी सिफारिश की थी और तीन साल के बाद, इस सरकार के अनुसार, स्थिति क्या है? माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। दो-तीन साल में कैबिनेट ने इसे स्वीकृति तक नहीं दी है। उन्होंने जो भी योजनाएं सोची हैं, उनमें से अधिकांश भूमि के वाणिज्यिक विदोहन पर निर्भर हैं। और यदि कैबिनेट द्वारा ये फाइलें नहीं निपटाई जाती है, तो फिर उनके दिमाग में चाहे जो भी योजनाएं हों, जिस किसी भी योजना का उद्घाटन किया गया हो, अंत: ये सभी इन वाणिज्यिक विदोहनों पर ही निर्भर हैं। उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि जहां तक अध्ययन का संबंध है क्या वाणिज्यिक विदोहन से संबंधित फाइलें निपटाई गई हैं अथवा नहीं यदि यह काम अगली सरकार द्वारा किया जाना है, तो उन्हें इन सभी मामलों के बारे में आज निर्णय नहीं करना चाहिए। उन्हें तो केवल लेखाअनुदान पारित करना चाहिए। लेकिन वह तो इतनी सारी योजनाएं लेकर आए हैं।

मैं तो वास्तव में इन सर्वेक्षणों के बारे में पढ़कर दंग रह गया हूं। यह एक अलग सर्वेक्षण-पत्र है। पैरा 24.5 में, अंतिम वाक्य है : लखीडांग सिल्चर, सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी गांधीधाम-पुरुज और मैसूर-हासन

में आमान-परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण-कार्य कर लिया गया है। इन कार्यों को शुरू करने संबंधी प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिए गए हैं। वस्तुत: मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कोई योजना योजना-आयोग को भेजी जाती है, तो क्या इसका उल्लेख बजट में किया जाना चाहिए? यह एक लेखा-अनुदान बजट है और हजारों-करोड़ों रुपयों की योजनाएं योजना-आयोग को भेजी गई हैं। जबतक इन्हें स्वीकृति नहीं मिल जाती है, क्या हमें लेखानुदान बजट में इसका उल्लेख करना चाहिए। यही मेरा प्रश्न है और इस संबंध में मुझे आपका उत्तर चाहिए। अत: , आपके प्राय: सभी निर्णय वाणिज्यिक उपयोग पर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा अब अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं -

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।"

पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत दरभंगा से दिल्ली, हावड़ा से मुम्बई के बीच एक सीधी द्रुतगामी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।(1)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।"

दरभंगा से दिल्ली, हावड़ा और मुम्बई के बीच चलने वाली वर्तमान रेल गाड़ियों का नाम बदल कर क्रमश मिथलांचल एक्सप्रेस, विद्यापति एक्सप्रेस और कमला बागमती एक्सप्रेस रखा जाए। (2)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।"

दरभांगा तथा जयनगर के बीच रेल पटरी को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाने की आवश्यकता। (3)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।"

दरभंगा और रक्सोल के बीच रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने के कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता (4)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।"

दरभंगा से निर्मानी के बीच रेल लाईन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने के कार्य शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (5)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।"

झंझारपुर से लोक्कहबाजा के बीज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने के कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता। (6)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि रेलों का सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 9-16) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

रेल मंत्रालय सलाहकार समिति के सर्वसम्मत निर्णय के बावजूद महा नगरीय उपनगरीय रेल विषय को रेलवे की बजाय शहरी विकास विभाग के पास रखना।(44)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

वर्ष 1995-96 के बजट में मुम्बई में उपनगरीय रेल हेतु संसद द्वारा मंजूर की गई धनराशि को उपयोग करने में असफलता। (45)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

मुम्बई में फालतू और अप्रयुक्त भूमि का उपनगरीय रेलों के विकास हेतु व्यावसायिक दोहन। (46)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

मुम्बई में उपनगरीय रेलों के लिए बीयूटी पी-11 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब। (47)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

पश्चिम रेलवे में उपनगरीय रेलों को विरार से दहानू रोड तक बढ़ाने के लिए ऐस/डीसी ट्रेक पर चलाये जाने हेतु ई.एम.यू. रैक के 12 डिब्बों की खरीद में विलम्ब। (48)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

पश्चिम रेलवे में उपनगरीय जो को विरार से दहानू रोड तक बढ़ाने के बाद यात्रियों के फायदे हेतु अनुवर्ती कार्यवाही करने में विलम्ब।(49)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

पश्चिम और मध्य रेलवे के मुम्बई के उपनगरीय सेक्शन को एक जोन में अंतरित करना तथा स्वायतशासी निगम का गठन। (50)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में कम करके 1 रुपया किया जाये।

मुम्बई उपनगरीय क्षेत्र में रेल भूमि पर गंदी बस्तियों के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को गंदी बस्ती सुधार योजनाए लागू करने की अनुमति देने में विलम्ब। (51)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

सभी रेलवे स्टेशनों पर सफाई और प्रसाधन सुविधओं का प्रावधान। (52)

कि परिसम्पतियों-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रु. कम किए जाएं।

मुम्बई के पूरे उपनगरीय रेल सेक्शन पर मोटर मेन, गार्ड और नियंत्रण कक्ष के बीच दूर संचार सुविधाओं का प्रावधान। (53)

कि परिसम्पतियों-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रु. कम किए जाएं।

विज्ञापनों के संबंध में अधिक और अतिरिक्त व्यय पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता। (321)

कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 9-16) में 100 रुपये कम किये जायें।

पश्चिमी रेलवे मुम्बई में रेलवे क्वाटरों में सीमेन्ट चाल और टारडिओ के अनाधिकृत कब्जाधारियों को हटाने की आवश्यकता।

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 71-76) में 100 रुपये कम किये जायें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

पश्चिम बंगाल में जारी रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन आबंटित किये जाने की आवश्यकता। (108)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

पश्चिम बंगाल की जनता की काफी समय से चली आ रही मांग को देखते हुए पश्चिम बंगाल में किसी नई परियोजना को शुरू करने में असफलता। (109)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

कलकत्ता उपनगर रेलवे के लिए धनराशि आबंटित किये जाने में असफलता। (110)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

कलकत्ता उपनगरीय रेलवे प्रणाली में और नये क्षेत्रों को मिलाकर इसका विस्तार करने में असफलता। (111)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

प्रिंसेप घाट तथा मझेरहाट के बीच उठी हुई रेल लाइन का निर्माण करने तथा कलकत्ता सर्कुलर रेलवे के समस्त मार्ग का विद्युतीकरण करने तथा इसे दोहरी करने की आवश्यकता। (112)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रुपये कम किये जाये।

बर्द्धमान से तारकेश्वर बरास्ता आरामबाग रेल लाइनों के निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (230)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रुपये कम किये जाये।

पश्चिम बंगाल में बर्द्धमान-कटवा, अहमदपुर-कटवा, शांतिपुर-नावबद्वीप घाट, न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार, बारसोई-राधिकापुर रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता। (231)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रुपये कम किये जाये।

ताला नामक स्थान पर प्रस्तावित टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता ताकि ई.एम.यू सेवा शीघ्र चालू की जा सके। (232)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रुपये कम किये जाये।

आसनसोल से रामपुरहाट बरास्ता रानीगंज-दुर्गापुर-बर्द्धमान तथा उसी दिन इसकी वापस आने वाली एक द्रुतगामी रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (233)

कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रुपये कम किये जाये।

आसनसोल और रामपुरहाट बरास्ता अन्डल-सूरी के बीच रोजाना पेसेन्जर गाड़िया चलाये जाने की आवश्यकता। (234)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) को कम करके 1 रुपया किया जाये।

ह्मवड़ा से बारास्ता टिकियापाड़ा-संतरागाछि शालीमार-शिबपुरचर रामकिर्स्तोपुर और बरास्ता लिलुआ-बेलूड़-बाली-बेलानगर-भट्टनाहर-संतरागाछि-शिवपुरचर-रामकिस्तोपुर हेतु सर्कुलर रेलवे के लिए प्रौद्योगिकी -आर्थिक सर्वेक्षण कराने में असफलता। (307)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानदुान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

पूर्व रेलवे के अंडाल-सैथिया और खाना-सैथिया सैक्शन का विद्युती करण करने की आवश्यकता। (308)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानदुान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

पश्चिम बंगाल के उद्योगों तथा लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेलवे नेटवर्क में विस्तार किये जाने की आवश्यकता। (335)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हावड़ा से नई दिल्ली तक एक और सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (336)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

सभी रेलगाड़ियों में निजी खानपान वितरकों के स्थान पर रेल खान पान सेवा द्वारा भोजन प्रदान किये जाने की आवश्यकता (3

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

सभी रेलगाड़ियों में पीने का पानी प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (338)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

सभी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में भोजनयान लगाये जाने की आवश्यकता। (339)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

पूरी एक्सप्रेस रोजाना चलाये जाने की आवश्यकता। (340)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

अपने जोनों के विकास के लिए रेलवे के जोनल कार्यालयों को और प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता। (561)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

रेलवे बोर्ड के खर्चे में कमी करने की आवश्यकता। (562)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

सिराज एक्सप्रेस नाम से प्रातःकाल सियालदह से लालगोला के लिए चलने वाली तथा सांय काल लौटने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की आवश्यकता। (563)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम [illegible] जायें।

अधिक गाड़ियां [illegible] हेतु हावड़ा कोचिंग टर्मिनल का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने आवश्यकता। (564)

कि रेलवे बोर्ड शी[illegible] के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृ. 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

हावड़ा से राजकोट/गांधीनगर/पोरबन्दर के लिए नई रेल सेवा आरंभ करने की आवश्यकता। (565)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 71-76) में 100 रुपये कम किये जायें।

"परिचर" की प्रथा समाप्त करने तथा उसे पास धारक की श्रेणी में ही यात्रा सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता। (566)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 71-76) में 100 रुपये कम किये जायें।

पासधारकों की सुविधा के लिए राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में और बर्थों और सीटों का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता। (567)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 71-76) में 100 रुपये कम किये जायें।

यात्रा टिकट निरीक्षकों को रनिंग भत्ता और कुकिंग तथा काल व्याय की सुविधा बहाल करने की आवश्यकता। (568)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 71-76) में 100 रुपये कम किये जायें।

यात्रा टिकट निरीक्षकों के लिए गाड़ियों में स्थान सुनिश्चिम करने की आवश्यकता। (569)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 71-76) में 100 रुपये कम किये जायें।

कर्मचारियों को उनकी कम आय के नाम पर प्रताड़ित किये बिना सभी गाड़ियों में गहन जांच किये जाने की आवश्यकता। (570)

कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 71-76) में 100 रुपये कम किये जायें।

यात्रा टिकट निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने तथा सभी रिक्तियों को तुरंत भरे जाने की आवश्यकता। (571)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

द्वितीय विश्व युद्ध के वयोवृद्ध को निःशुल्क रेल पास जारी करने की आवश्यकता। (572)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रेलवे किराया रियायत 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने इस रियायत के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने और ऐसी रियायत चाय की सभी श्रेणियों में दिये जाने की आवश्यकता। (573)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

त्रिपुरा सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार किये जाने की आवश्यकता। (574)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

सिलचर के लिए बड़ी लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किये जाने की आवश्यकता। (575)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

रेलवे लाइन का निर्माण करके दक्षिण पूर्व रेलवे के रैना को वर्धमान से जोड़ने की आवश्यकता। (576)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

पश्चिम बंगाल में रेल डिब्बा विनिर्माण ईकाई स्थापित किये जाने की आवश्यकता। (577)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

कलकत्ता उपनगरीय क्षेत्र में 12 कोच ई.एम.यू. रैक चलाये जाने की आवश्यकता। (578)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

उपनगरीय क्षेत्र की वर्धमान से बराकर और चितरंजन तक विस्तार करके यात्रियों को लाभ देने पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता। (579)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

कलकत्ता के सम्पूर्ण उपनगरीय रेलवे सैक्शन पर मोटरमैन, गार्ड और नियंत्रण कक्ष के बीच दूर संचार सुविधायें उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता। (580)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

पूर्व रेलवे के झावड़ा और बराकर सैक्शन के बीच उपरि पुलों का निर्माण करने की आवश्यकता। (581)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

पूर्व रेलवे के झावड़ा, सियालदह, मालदा और आसनसौल डिवीजनों के छोटे स्टेशनों पर सामान को छोटी खेप के लदान के लिए समुचित प्रावधान करने की आवश्यकता।। (582)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

सभी लम्बी दूरी की रेल गाड़ियों में उचित चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता। (583)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

पश्चिम बंगाल में कृशनगर बरास्ता करीमपुर से बहरामपुर तक रेल लाइन का निर्माण कार्य आरंभ करने की आवश्यकता। (584)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

कलकत्ता में महानगरीय रेल के द्वितीय और तृतीय चरण का कार्य आरंभ करने की आवश्यकता। (585)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन की बजाय प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (586)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

2421/2422 को सप्ताह में एक दिन के बजाए सप्ताह में तीन दिन चलाये जाने की आवश्यकता। (587)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

2381-2382 को सप्ताह में तीन दिन के बजाए प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (588)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जायें।

पुरी बारास्ता, आसनसोल, नई दिल्ली से रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (589)

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड़-बोलागीर रेल लाइन के निर्माण के लिए धन आबंटित किये जाने की आवश्यकता। (115)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

पूरी-ओखा एक्सप्रेस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (116)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रेलवे डिवीजन में धोलीमुहान ठहराव को पूर्ण स्टेशन में बदले जाने की आवश्यकता। (117)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रेलवे डिवीजन में कैपाडोव रोड स्टेशन का सुधार तथा उसे उन्नत किये जाने की आवश्यकता। (118)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा तथा भुवनेश्वर के बीच एक शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (119)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 1-4) में 100 रुपये कम किये जायें।

दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन चलाये जाने की आवश्यकता। (120)

प्रो. राम कापसे (वाशिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदान की मांग (पृष्ठ 101-113) में 100 रुपये कम किये जायें।

वरिष्ठ नागरिकों को रेल भाड़े में मिलने वाली रियायत को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने तथा ऐसी रियायत के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने तथा यह सुविधा सभी श्रेणियों में दिए जाने की आवश्यकता। (121)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : से प्रस्ताव करता हूँ।

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

अमृतसर और अजमेर के बीच 'अमृत एक्सप्रेस' चलाये जाने की आवश्यकता। (490)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

अजमेर-दिल्ली-हरिद्वार के बीच 'तीर्थ राज एक्सप्रेस' चलाये जाने की आवश्यकता। (491)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

अजमेर-चित्तौड़-उदयपुर और अजमेर-खण्डवा छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता। (492)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

मारवाड़ जंक्शन-उदयपुर-जोधपुर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाईन में बदले जाने की आवश्यकता। (493)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

रिवाड़ी-रिगस-फलोरा छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता। (494)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

बादीकुई जचनेरा-आगरा फोर्ट छोटी लाईन रेल को बड़ी रेल लाईन में शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता तथा "अजमेर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस" चलाये जाने की आवश्यकता। (495)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

दिल्ली-अजमेर -अहमदाबाद रेल मार्ग के बचे हुए भाग को शीघ्र बड़ी रेल लाईन में बदले जाने की आवश्यकता। (496)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

दिल्ली और अजमेर के बीच बरास्ता जयपुर बड़ी रेल लाईन पर रात में एक नई रेल गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (497)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

बरेली-दिल्ली-अजमेर रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाये जाने की आवश्यकता। (498)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

जयपुर और अजमेर के बीच इंटर सिटी एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता। (499)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

दिल्ली और अजमेर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस को नियमित रूप से चलाये जाने की आवश्यकता। (500)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेर-जयपुर अलवर-रिवाड़ी-दिल्ली रेल मार्ग पर यात्री गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (501)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

जम्मूतवी और जयपुर के बीच चलने वाली पूजा एक्सप्रेस को अजमेर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (502)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

अजमेर-फलेरा बड़ी रेल लाईन पर एक शटल रेल गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (503)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

अजमेर में पुष्कर तक रेलमार्ग का निर्माण कर पुष्कर के रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता। (504)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

मेरटागढ गोविन्दगढ़-अजमेर-देहली-कोटा रेलमार्ग को सर्वेक्षण कर नये रेल मार्ग का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (505)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

बयावर-भीम देवगढ़ मार्ग का सर्वेक्षण कर नये रेल मार्ग का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (506)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

किशनगढ़-रूपनगढ़-पर्वतसार-मकराना मार्ग का सर्वेक्षण कर नये रेल मार्ग का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (507)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत लेखानुदानों की मांगे (पृष्ठ 101-113) में 100 रूपये कम किये जाये।"

श्री राम कापसे : आपकी अधिकांश योजनाएं बी.यू.टी.पी. (II) पर आधारित हैं। यह बीयूटीपी II का अध्ययन मुम्बई के लोगों की आकांक्षा से 5 वर्ष पहले ही पूरा हो गया था। दैनिक यात्री वास्तव में बीयूटीपी II के कार्यान्वयन का इंतजार कर रहे हैं। पिछले चार सालों से केन्द्र और राज्य दोनों जगह वही सरकार अर्थात कांग्रेस की सरकार ही है। लेकिन फिर भी लागत भागीदारी के बारे में आपके विभाग में चार साल से कोई निर्णय नहीं लिया गया। अन्त: अब निर्णय लिया गया है। अब निर्णय यह हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार और केन्द्रीय सरकार अर्थात रेलवे दोनों की लागत में बराबर की भागीदारी होगी। पुन: अध्ययन शुरू किये गए है। विश्व बैंक ने, आप विश्व बैंक के ऋण निर्भर हैं, पांच अध्ययन शुरू किये हैं और ये अध्ययन दिसम्बर 1996 तक पूरे हो पाएंगे। इस प्रकार यदि महाराष्ट्र सरकार आधा खर्च वहन भी करती है तो भी हमें यह उम्मीद नहीं है कि बी.यू.टी.पी. II के अंतर्गत कोई योजना प्रारंभ हो पाएगी उसके पश्चात कई निवेश संबंधी निर्णय लिए जाएंगे और तब आप कार्य शुरू करोंगे। इस प्रकार सभी दैनिक यात्रियों को कोई योजना शुरू किए जाने के लिए कम से कम अगले 5-6 वर्ष तक इन्तजार करना होगा। आज स्थिति यह है कि हमारे दैनिक यात्रियों को बड़ी भीड़-भाड़ की हालत में यात्रा करनी पड़ रही है। इसका उल्लेख 1990 में उपनगरीय रेलवे की स्थिति रिपोर्ट में किया गया था। आप पहले कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर चुके हैं। उपनगरीय रेल निर्माण के महाप्रबंधक की नियुक्ति की गई है। मैं आपसे पूछता हूँ कि उसे क्या काम सौंपा गया है? जब तक वाणिज्यिक विदोहन की मंजूरी नहीं दी जाती बी.यू.टी.पी. II को मंजूरी नहीं दी जाती तब तक आपने क्या परियोजनाएं हाथ में ली हैं? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ठाणे रेलवे स्टेशन के लिए एक 28 करोड़ रुपये की योजना है। पिछले बजट में उसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। यही स्थिति कल्याण स्टेशन की भी है। इस तरह डाम्बिविलि स्टेशन के लिए भी एक योजना बनाई गई थी लेकिन उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया और न ही संबंधित योजना ठाणे निगम को भेजी गई आप कहेंगे इसकी आवश्यकता नहीं है। जनता के हित में यह आवश्यक है। अंत: स्थानीय स्वशासन, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को मिल कर जनता के हित में ही काम करना होगा। चाहे यह परिवहन की समस्या हो, चाहे जलनिकासी की समस्या हो आप को आपस में परस्पर परामर्श करना होगा। वहां क्या परामर्श हुआ है? मेरा यही सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कापसे, प्रश्नकाल में हमें प्रश्न पूछने चाहिए और बजट के समय हमें संबंधित नीतियों पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री राम कापसे : उन्होंने कुछ नीतियों पर निर्णय लिया है। वाणिज्यिक विदोहन के बारे में अभी फाईल पर मजूरी नहीं ली गई है। और उनके पास वाणिज्यिक विदोहन पर निर्भर कई योजनाएं हैं। बी.यू.टी.पी. II के बारे में नीति बिलकुल ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह क्यों कह रहा हूं। क्योंकि अंत में आप कहेंगे "मैंने यह सवाल उठाया और वह सवाल उठाया लेकिन इसका उत्तर नहीं दिया गया।" अंत में ऐसा ही होता है।

श्री राम कापसे : महोदय, मेरे प्रश्न के बारे में उन्हें मालुम है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इसके बारे में मालुम ही न हो। वे ऐसी स्थिति में है कि उन्हें इन प्रश्नों की जानकारी हो क्योंकि मैं प्रत्येक भाषण में, चाहे वह परामर्शदात्री समिति की बैठक हो या किसी परियोजना का उद्घाटन कार्यक्रम हो, इन प्रश्नों का उल्लेख करता रहा हूं। उनके लिए यह नई बात नहीं है। मैं कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा। लेकिन इस समय तो उनके पास केवल योजनाएं ही है उनका कोई कार्यान्वयन नहीं। ऐसी स्थिति में हम उसका अनुसमर्थन कैसे कर सकते हैं?

उसके पश्चात छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के मामले में आपने पुन: प्रतिरूपण और आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम तैयार किया है। आपने इस पर कितनी राशि खर्च की है? आपने स्टेशन का नाम बदल दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बात पर ध्यान दें कि टिकट पर सी एस पी नहीं छपा है। हम नहीं चाहते कि टिकट पर मुम्बई वी.टी. के बजाए सी एस.पी. छपे कृपया इस बात का ध्यान रखें और इसके बारे में कुछ करें।

इसके पश्चात मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने समूचे भारत में विज्ञापन पर कितना खर्च किया है। प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन छपता है। विज्ञापन पर कितनी राशि खर्च की जाती है। और वास्तव में योजना को कार्यान्वयन पर कितनी राशि खर्च होती है? मुझे निश्चित रूप से पता है कि ठाणे स्टेशन में कोई काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन आपने उसके लिए विज्ञापन पर पहले ही धनराशि खर्च कर ली है। विज्ञापन इतना हो रहा है लेकिन काम कुछ नहीं। अत: इससे रेलवे पर ही मुसीबत आएगी। मेरा यही मुद्दा है।

जहां तक स्वतंत्रता सेनानियों को रियायत का सवाल है, आपने उन्हें कुछ रियायतें दी हैं। मेरा एक सुझाव है जिसे मैं सोचता हूं आप स्वीकार कर लेंगे। समूचे भारत में यदि कोई स्वतंत्रता सेनानी यात्रा करता है तो वह निशुल्क यात्रा कर सकता है और उसे सभी प्रकार की रियायतें दी जाती हैं। लेकिन जहां तक कोंकण रेलवे का संबंध है स्वतंत्रता सेनानी को ऐसी कोई रियायत नहीं दी जाती। कोकण रेलवे में यात्रा करने के लिए उसे टिकट खरीदना पड़ता है। वाशी और बंकुर के बीच रेलवे स्टेशनों पर सरचार्ज लिया जाता है यह उचित नहीं है जब इसे लागू किया गया हमने तभी इस पर आपत्ति उठाई थी। यह बुरी बात है। स्वतंत्रता सेनानी इस रियायत के हकदार हैं। मुझे उम्मीद है कि अपने भाषण के अंत में आप इस संबंध में घोषणा करेंगे।

इसके पश्चात मैं महानगरों में रेलवे को शहरी विकास विभाग से अलग करने का सुझाव दूंगा। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। इस बारे में कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि पिछले 10 सालों में शहरी विकास विभाग द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं। क्या उन्होंने वास्तव में कुछ खर्च किया है? क्या उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है? यदि यह विभाग काम नहीं कर रहा है तो रेलवे को 1986 तक की मौलिक स्थिति में ही लिया जाना चाहिए।

श्री उमराव सिंह : अध्यक्ष महोदय क्या रात्रि भोजन की व्यवस्था है?

अध्यक्ष महोदय : हां, संसदीय कार्य मंत्रालय को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री राम कापसे : महोदय, हम मुम्बई में उपनगरीय रेल सेवा के लिए एक स्वायत्त निगम और एक पृथक जोन की सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह अनिवार्य भी है। यह फायदे में चल रहा है।

इस बारे में आप कृपया निर्णय लीजिए और उसे कार्यान्वित कीजिए। हमारी यही उम्मीद है।

स्वच्छता अभियान के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई स्टेशनों का दौरा किया है। इस बारे में मेरी रिपोर्ट तो यह है कि आपके प्रोत्साहन के बावजूद, रेलवे में जहां तक स्वच्छता का संबंध है, स्टेशनों की हालत बड़ी बदतर है। क्योंकि वहां कर्मचारियों को नियुक्त ही नहीं किया गया है।

चाहे आप इसका नारा ही क्यों न दें लेकिन जब तक समुचित तंत्र का गठन नहीं किया जाएगा आप परिणाम की आशा कैसे करते हैं? हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। जहां तक स्वच्छता अभियान का सम्बंध है, हम इस मुद्दे को दैनिक यात्रियों के साथ उठाएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ आपको समुचित तंत्र भी स्थापित करना होगा।

इसी प्रकार समय-सारणी के बारे में भी मेरे पास एक ठोस सुझाव है। वर्षा ऋतु के दौरान अर्थात 1 जुलाई से आप नई समय-सारिणी लागू करते हैं। क्या यह उचित समय है? गाड़ियां सामान्यत: कब देर से पहुंचती हैं? नई समय सारिणी अप्रैल या मार्च या जनवरी से लागू की जानी चाहिए। नई गाड़ियां शुरू करने के लिए जुलाई का महीना उचित नहीं है।

इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी और होलिडे स्पेशल चलाने के कारण रेलगाड़ियां नियत समय पर नहीं चलती या नियत समय पर नहीं पहुंचती। जब तक कुछ विशेष उपाय नहीं किए जाते उपनगरीय रेलगाडियों और लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों की समयनिष्ठा कायम नहीं रखी जा सकेगी। मैं मुद्दे पर रेलवे प्राधिकारियों से बात करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी 'स्पीच' को एक्सप्रेस बनाओगे?

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, ऐसा करने से यह पटरी से उतर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास बोलने के लिए और भी कई लोग हैं।

श्री राम कापसे : मैं तो सुझाव ही दे रहा हूं और मैं इन्हें पूरा करुंगा। ठाकुरली रेलवे स्टेशन में एक बिजली घर है। यह कई सालों

से बन्द पड़ा है। राज्य सरकार इसके क्षेत्र की मांग कर रही है जो आप दे नहीं रहे हैं। वे सदा बिजली घर अपने लिए चाहते थे। आपने कहा कि रेलवे बिजली घर नहीं चलाएगी।

मेरा सुझाव है कि यह स्थल कल्याण निगम को सौंप दिया जाए। इसे नया शिवाजी पार्क बनाया जाएगा जैसा मुम्बई में है और इसके बदले आपको भूमि दी जा सकती है। यह योजना कल्याण निगम ने तैयार की है और उसे राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है। आप इस मुद्दे को ध्यान में रखिए और इसे अपनी मंजूरी दें।

अब पूणे मुम्बई की बात आती है। शताब्दी एक्सप्रेस के पश्चात करजत-ठाणे के बीच यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जहां तक पुणे-मुम्बई का सम्बंध है इसके लिए नई समय-सारिणी की आवश्यकता है क्योंकि रेलगाड़ियों के समय के पुनर्निर्धारण के कारण और एक नई रेलगाड़ी चलाने के कारण लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। तब नासिक और मुम्बई के बीच रेल द्वारा यात्रा करने में कम समय लगता था। वर्तमान में, बहुत अधिक समय लगता है। इसलिये, लोग टैक्सी द्वारा कसारा तक जाते हैं और वहां से स्थानीय रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करते हैं। यह दु:खद स्थिति है।

कुछ नए स्टेशनों जैसे खोपोली, चिखौली, खारीगांव और आरे रोड़ का निर्माण करने की मांग की जा रही है और इस संबंध में अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है।

ठाणे ही एक मात्र ऐसा शहर है जिसके लिये निगम ने रिंग रेलवे का निर्माण करने की योजना बनाई है। निगम धन खर्च करने वाला है। परन्तु इसके लिये रेलवे से स्वीकृति अपेक्षित है।

तत्कालीन रेल मंत्री, श्री सी.के. जाफर शरीफ ने उपनगरीय रेलवे में और अधिक स्टाल ना दिये जाने की मांग के संबंध में कहा था कि भविष्य में नए रेलवे स्टाल का कोई भी ठेका जारी नहीं किया जाएगा, इसके बावजूद भी कल्याण में आपने नए रेलवे स्टाल का ठेका दिया है।

यह यात्रियों के हितों के प्रतिकूल है। कृपया इसको रोकिये। भविष्य में हमको और अधिक ठहराव नहीं चाहिये। जहां तक 12 कार रेक का मुद्दा है, वास्तविकता यह है कि और अधिक रेक और ई.एम.यू. चाहिये और इसके साथ-साथ इन 12 कार रेक को भी चालू किया जाए। नेरार-माथेरन के लिये रेलवे ने स्वीकृत किया था कि नया इंजन लाया जाएगा, परन्तु इसको लागू नहीं किया गया है। इसके कारण नेरार-माथेरन की यात्रा करने की वास्तविक खुशी समाप्त हो गई है। आपने कहा था कि तीर्थ यात्रियों के लिये नई रेलगाड़ियां आरंभ की जायेंगी। मैं पिछले पांच वर्ष से सुझाव दे रहा हूँ कि मुम्बई और हरिद्वार के बीच मध्य रेलवे द्वारा एक रेलगाड़ी आरम्भ की जाए। परन्तु यह आरंभ नहीं की गई है। कृपया इसे ध्यान में रखिये। आपने आश्वासन दिया था कि मुम्बई-ठाणे नगरीय परिवहन व्यवस्था के संबंध में आप एक बैठक बुलायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आज ही वित्तीय कार्य और कश्मीर बजट को पारित किया जाना है। आप जितना समय चाहें, ले सकते हैं। 9.51 म.प.

[श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुईं]

श्री राम कापसे : आपको रेल मंत्री बनने के पश्चात यह बैठक बुलानी चाहिये थी परन्तु अभी तक बैठक नहीं बुलाई गई है। जहां तक नगरीय परिवहन का संबंध है, आपको मुम्बई और ठाणे के संसद सदस्यों को विश्वास में लेना चाहिये। इससे रेलवे को लाभ होगा। आपने इस सुझाव को स्वीकार किया था, परन्तु लागू नहीं किया है। हम कार्यान्वयन चाहते हैं न कि नारे और विज्ञापन।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, आदेश पत्र में यह बताया गया है कि यह चर्चा अंतरिक बजट के बारे में हैं लेकिन मुद्रित बजट भाषण के आवरण में अंन्तरिक बजट के बजाए रेलवे बजट लिखा हुआ है। इसे ठीक किया जाना चाहिए क्योंकि यह रेलवे बजट नहीं है, यह अंतरिम बजट या लेखानुदान है। मंत्री महोदय ने अनेक नीतिगत मामलों पर चर्चा की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। यहां एक ऐसा पृष्ठ है जिसे लगता है कि बाद में सोच विचार कर जोड़ा गया है क्योंकि बजट भाषण में पृष्ठांकन नहीं है, केवल कुछ पैरा दिये गये हैं—पैरा 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 और 24.9। उसमें उन्होंने चालू वर्ष के दौरान और वह भी अनुदानों की मांगों में कराये जानेवाले सर्वेक्षणों की संख्या का उल्लेख किया है। यह केवल चार महीनों के लिए ही लिया जा रहा है। परन्तु अनुदानों की मांगों में सर्वेक्षणों पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया गया है। मैं समझता हूं कि यह पूरे वर्ष के लिए है न कि केवल चार महीनों की अवधि के लिए जबकि यह तो अगले वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए ही है। कोई नई लाइन बिछाने अथवा आमान परिवर्तन करने से पहले व्यापक सर्वेक्षण कराया जाता है या उसका आदेश दिया जाता है। उन्होंने कुछ नई लाइनों का सर्वेक्षण कराने और आमान परिवर्तन के लिए कुछ प्रस्ताव रखे है। उन्होंने केवल कुछ लाइनों, कुछ परियोजनाओं को ही क्यों चुना है और अन्यों को क्यों छोड़ दिया गया है? कुछ नई लाइनों को बिछाने और आमान परिवर्तन हेतु कुछ परियोजनाओं के चयन के पीछे क्या कारण था? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल, जहां अनेक संकटी लाइनें हैं, से एक भी परियोजना इसमें शामिल नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल में निर्माण के कारण बड़ी लाइनों का प्रतिशत अधिक है। परन्तु वहां अनेक संकटी लाइनें भी है जोकि महत्वपूर्ण है। जहां तक आमान परिवर्तन की बात है हम आमान परिवर्तन और समान आमान प्रणाली के खिलाफ नहीं हैं परन्तु यह नीति अपनाते समय कि केवल एक रेल प्रणाली अर्थात बड़ी लाइन ही हो, रेलवे की क्या योजना है तथा कब तक पूरा नेटवर्क बड़ी लाइन में परिवर्तित हो जाएगा? 5000 कि.मी. से अधिक की मीटर लाइन और संकटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा चुका है और आरम्भ में 62.000 कि.मी. में से 30 प्रतिशत रेल लाइन मीटर लाइन और संकटी

लाइन थी! हम समान आमान प्रणाली परियोजना पर विचार कर रहे है। मेरे चुनाव क्षेत्र में संकटी लाइन अर्थात बांकुरा-दामोदर नदी रेलवे को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की भारी मांग है। यद्यपि यह अभी विभाग के पास नहीं है परन्तु रेल विभाग ही इसका प्रबंधन कार्य देख रही है और पट्टे की यह अवधि भी समाप्त हो जाएगी और तब रेलवे को पट्टे की इस अवधि को और इस साल आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लेना होगा परन्तु इससे पूर्व इस लाइन का अधिग्रहण करने, इसका राष्ट्रीयकरण करने तथा इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित करने और इसे तारकेश्वर से जोड़ने की पुरजोर सिफारिश की हैं जिससे कि बांकुरा औरा कलकत्ता की दूरी को 45 कि.मी. कम किया जा सके। यह एक महत्वपूर्ण लाइन है जो हमारे राज्य के 'धान का कटोरा' कहे जाने वाले दो जिलों-बांकुरा और वर्दवान-से होकर गुजरती है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने पिछले सप्ताह ही रेलमंत्री जी से मुलाकात की थी और मैने उन्हें एक पत्र और तार की एक प्रति दी थी और आज फिर उनसे कहा है कि वहां के लिए रेल सेवा 10.12 दिन के लिए क्यों निलम्बित कर दी गई है? मैं लगातार मांग करता रहा हूँ कि 50 वर्ष पूर्व निर्मित भाप से चलने वाले इंजनों, जिनकी कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है तथा जिन्हे सवारी डिब्बों के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है, को बदलकर उनके स्थान पर डीजल से चलने वाले इंजन लगाए जाने चाहिए। याचिका समिति ने भी इसकी सिफारिश की है। इस लाइन का अधिग्रहण किया जाय, इसका राष्ट्रीयकरण किया जाय तथा संकरी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाय एवं उसे भाप के ईंजन द्वारा तारकेश्वर से जोड़ा जाय और कुशल रेल सेवा प्रदान करने हेतु इसमें निवेश किया जाय।

10.00 म.प.

85 कि.मी की दूरी तय करने में 8 घंटे से अधिक का समय लगता है। इस रेलगाड़ी से कौन सफर करना चाहेगा? रेलवे विभाग ने जब से इस रेलवे का प्रबंधन अपने हाथ में लिया है तब से इसमें एक पैसा भी नहीं लगाया। रेल विभाग जब से रेलगाड़ियां चला रहा है तब से रेलपथ के रख रखाव, संकेत प्रणाली (सिग्नालिंग सिस्टम) के रखरखाव और सवारी डिब्बों के रखरखाव पर एक पैसा भी नहीं लगाया गया। कुछ सवारी डिब्बे, यद्यपि नए नहीं हैं, नागपुर से यहां लाए गए हैं जहां संकरी लाइन बड़ी लाइन में बदल दी गई है। हमने भी यह अनुरोध किया था कि इस रेलसेवा को संक्षम बनाने के लिए कम से कम एक-दो डीजल इंजन लाये जायें, बांकुरा और रामनगर के बीच यात्रा समय को कम किया जाय और दोनों ओर से दो जोड़ी रेलगाडियां भी चलाई जाये।

सभापति महोदय : आचार्य जी, कृपया संक्षेप में बोलिए क्योंकि पहले ही 10 बज चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं अपनी बात 10.15 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : नहीं। मैं आपको 10.15 मिनट का समय और नहीं दे सकता।

बसुदेव आचार्य : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : मैं आपाके केवल दो मिनट का समय दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आचार्य जी, कृपया यह बात ध्यान में रखिए कि पहले ही दस बज चुका है। अभी अन्य वक्ताओं को भी बोलना है। मैं आपको केवल दो मिनट का समय दे सकता हूँ। कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं दस मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : आप रेलवे संबंधी स्थायी समिति से संबंद्ध हैं। वहां भी इस मुद्दे को उठाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है।

(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह : वह अंतरिम बजट में राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे है...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आचार्य जी, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : यह अच्छी बात है कि वह सवारी गाड़ियों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। उन्होंने वह कहा है।

सभापति महोदय : आप रेलवे संबंधी स्थायी समिति से संबंद्ध हैं। वहां भी इस मुद्दे को उठाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं उनके भाषण पर टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं बजट के बाहर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो यहां कही गई बातों पर ही बोल रहा हूँ। सवारी डिब्बों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव उनका है जिससे कि भविष्य में तेज रफ्तार वाली सवारी गाड़ियों शुरू की जा सके। यह अच्छी बात है। शताब्दी रेलगाड़ी चलाई गई है। नौ राजधानी गाड़ियां चलाई गई है। हावाड़ा-गुवाहाटी राजधानी की बारम्बारता बढ़ाई गई है, जो पहले सप्ताह में एक दिन चलती थी, अब सप्ताह में तीन दिन चलती है। लेकिन इस समय लोकल गाड़ियों की क्या हालत है? मैं यहां इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हावड़ा स्टेशन से सफाई अभियान शुरू किया था। यह तो अच्छी बात है। हमारा स्टेशन साफ होना चाहिए। लेकिन लोकल गाडियों और उनके सवारी डिब्बों की क्या हालत है? सवारी रेलगाडियों के शौचालयों की क्या हाल है?

इस्पात मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : इस समय स्थिति बेहतर है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप तो रेलगाड़ी से यात्रा नहीं करते।

श्री संतोष मोहन देव : मैं रेलगाड़ी से सफल करता हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य : आप कलकत्ता से होकर सिलचर जाते हैं, रात भर कलकत्ता में रूकते हैं। तब आप सिलचर जाते है और फिर विमान द्वारा वापस लौट आते हैं। आप रेलगाड़ी से सफर नहीं करते। आपको लूमसिंग और बदरपुर के बीच यात्रा का कोई अनुभवन नहीं है। आप एक बार यात्रा करके देखिए, आपको अपने राज्य में ही रेलगाडियों की हालत का पता लग जाएगी.. (व्यवधान)

सभापति महोदय : आचार्य जी, कृपया समय बर्बाद न करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं आपको गुस्सा नहीं दिला रहा।

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उन्हें गुस्सा मत दिलाइये। उन्होंने गुस्सा दिलाने वाला...वापस ले लिया है।...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सवारी डिब्बों, लोकल रेलगाड़ियों तथा रेलगाडियों के शौचालयों की सफाई की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। महोदय, आपको भी इस बात का अनुभव है। आप भी यहां से चंडीगढ़ का सफर रेल से ही करती हैं। आपको इसकी जानकारी है। इसलिए इस संबंध में कुछ होना चाहिए। लेकिन उन्होंने यहां कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने केवल स्टेशनों की सफाई के बारें में बोला है। ठीक है, वह होना चाहिए लेकिन सवारी डिब्बों का क्या होगा? कितने सवारी डिब्बों का कार्यकाल उनके निर्धारित समाज से ज्यादा हो गया है? 35 प्रतिशत सवारी डिब्बों का कार्यकाल उनके निर्धारित समय से अधिक हो गया है इसलिए उनको उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। हम भाप के इंजनों का प्रयोग आठवें दशक के बाद से नहीं कर रहे हैं। भाप के सभी इंजनों का निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो चुका है। भाप के इंजनों के लिए इतनी धनराशि का आवटन क्यों किया गया है? पुरानी जीवन विलुप्त रेल लाइनों को बदलने के लिए क्या किया जा रहा है? रेलगाड़ियों के पट्टी से उतरने की इतनी घटनाएं क्यों घट रही हैं? इसका कारण यह है कि विभाग में रिक्तियों के न भरे जाने के कारण रेल लाइनों और सवारी डिब्बों की समुचित देखभाल नहीं हो पा रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 6000 बेरोजगार युवक प्रशिक्षण प्राप्तकरने के बावजूद पिछले तीन सालों से रेलवे में नौकरी पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे कुशल, बेरोजगार युवक है। उन्होंने रेलवे के विभिन्न मंडलों की कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। परन्तु रिक्तियों को नहीं भरा जा रहा है। रख-रखाव भण्डारों में रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है। वास्तव में मैंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि अन्द्रा में थोड़ी सी पूंजी लगाने से रखरखाव की सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। मैंने मंत्री जी से अंद्रा और मियनापुर के बीच विद्युतीकरण परियोजना की आधार शिला रखने और एक नई एम.ई.एम.यू. गाड़ी चलाने का अनुरोध किया था। एम-ई.एम.यू. रेलगाड़ी पहले मेरे चुनाव क्षेत्र में आसनसोल और बर्दवान के बीच चलाई गई थी। बाद में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी रेलगाड़ी चलाई गई थी तब वह वहां नई रेलगाड़ी को झंडी दिखाने गए थे। उस समय मैंने सुझाव दिया था कि रेलगाडी टिकियापाड़ा तक चलाई जाय। इन रेलगाड़ियों में शौचालय की सुविधा नहीं है। रेलगाड़ी खडगपुर से चलकर टाटानगर तक जाती है।

इन दो स्थानों के बीच की दूरी 130 किलोमीटर से ज्यादा है और फिर टाटानगर से पुरुलिया, अडा और आसनसोल-यह दूरी 200 किलोमीटर से अधिक है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : रेलमंत्री जी कृपा करके यह आश्वासन दे दें कि टायलेट की सफाई का अभियान उनके वहीं से शुरू होगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा सुझाव था कि उस क्षेत्र में रख-रखाव की सुविधाएं विकसित की जाये जिससे कि रेकों को मरम्मत के लिए टिकियापाड़ा न ले जाना पड़े। उस क्षेत्र के लोगों को अधिक सुविधायें मिल सकेंगी और इन सभी पुराने सवारी डिब्बों, रेकों के स्थान पर नई रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं। मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह सदन को यह आश्वासन दें कि बांकुरा-दामोदर नदी रेलवे में रेलगाड़ी की सेवा में बिना किसी विलम्ब के बहाल की जाएंगी। उक्त रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य नौवी पचंवर्षीय योजना के अगले कार्यक्रम में शुरू किया जाएगा। और पट्टे की अवधि समाप्त होने के पूर्व उक्त रेललाइन का अधिग्रहण करके उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रविराय (केन्द्रपाड़ा) : मैडम चेयरमैन, पहले मैं अपने नए मंत्री श्री कलमाडी से कहना चाहता हूँ कि हमारे हिन्दुस्तान में जो सबसे बड़ी पब्लिक अंडरटेकिंग है, उसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली है।

एक माननीय सदस्य : ये कलमाड़ी जी है, कलमांडी नहीं हैं।

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री(श्री सुरेश कलमाडी) : यह तो अच्छा है कि उन्होंने अभी तक आपदा के बारे में नहीं कहा है।

[हिन्दी]

श्री रविराय : मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने जो जिम्मेदारी संभाली है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह नौजवान हैं, नए हैं और जिस तरीके से उनके भाषण का स्वागत मैम्बरों ने किया, मैं उस दिन देख रहा था, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह अपनी कथनी और करनी में आगे चलकर सामंजस्य रखें। सेफ्टी के बारे में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तो हम लोगों को नहीं मिली, लेकिन मैं रेलमंत्री की खिदमत मेंकहना चाहता हूँ कि आज एक अखबार में सेफ्टी के बारे में कहा गया है, मैं उनकी खिदमत में उसे उद्धृत करना चाहता हूँ, वह उनके बारे में जवाब दें :

[अनुवाद]

"...सुरक्षा उपायों को तरजीह न देकर और सुझाव दिया कि आधुनिक संकेत-प्रणाली की व्यवस्थित स्थापना हेतु बिना किसी विलम्ब के एक सुविचारित समयबद्ध एकीकृत योजना तैयार की जानी चाहिए। रेल यातायात में लगातार विस्तार हुआ है लेकिन संकेत प्रणाली और दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण और पर्याप्त विस्तार में प्रगति के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। रेलवे में आधुनिक संकेत (सिंगनल) यंत्र लगाने हेतु कोई दीर्घकालिक एकीकृत योजना नहीं है।

रेल मंत्रालय में इस संबंध में एक योजना प्रस्तुत की है परन्तु यह एकदम अपर्याप्त है और इसमें सुरक्षा उपकरण लगाए जाने के बारे में किसी समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।"

[हिन्दी]

अंत में उन्होंने कहा है कि डेवलब्ड कण्ट्रीजका जो सिगनलिंग सिस्टम हैं, उसको मदेनजर सुटेबल टाइम बाउण्ड प्रोग्राम सरकार को शुरू करना चाहिए, यह रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की राय है। जो आज अखबारों में छपी है, लेकिन सदस्यों को नहीं मिली है, इसलिए मैं इसकों आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, ताकि आप इसका जवाब दे सके।

मैं रेलवे के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठा रहा हूँ। इस सदन में एक विशेष डिबेट हुई थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उड़ीसा के स्पीकर के नेतृत्व में वहां का विधायक दल आया था, वह लोग प्रधान मंत्री से मिले थे और उसके बाद हम लोगों ने इस सदन में एक विशेष डिबेट कराई थी, यहां जितने सदस्य है, उन्होंने पार्टीबाजी को भूलकर वह डिबेट की थी, क्योंकि हिन्दुस्तान में किस तरीके से रेलवे डेवलपमेंट होता है, उसका मापदण्ड उड़ीसा और बिहार जैसे पिछड़े राज्य है, वहां किस हद तक रेलवे की सारी बढ़ोत्तरी हो रही है। इसमें जो डिबेट का नतीजा निकला था, हमने सोचा था यह काम कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं पहले इस चीज को रख रहा हूँ कि जुलाई, 1995 की 20 तारीख को जाफर शरीफ साहब सोरो आये थे, जहां कि रूक्सा बांदीपुर लाइन का 90 किलोमीटर का कन्वर्शन करना है और वहां जाकर उन्होंने सिगनलिंग किया। हमको खबर मिली है कि इसके लिए 50 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बना है, लेकिन इसलिए कि पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, खर्च करने के लिए पैसा नहीं दिया गया, वह काम बन्द पड़ा है।

फिर मैं एक के बाद एक लाइन पर आ रहा हूँ, यह एक चीज है पात्र जी यहां बैठे हैं, यह जिला इनको कांस्टीट्वेंसी का नहीं है और एक पुरानी रियासत मयूरभुज का जिला यह जिला आदिवासियों का जिला है।, क्योंकि पात जी जो कांस्टट्वेंसी है, उसमें मयूरभुज जिले का आदेवासी इलाका भी है। जैसा कि सब माननीय सदस्य जानते हैं, कोरापुट जिले में प्रधान मंत्री गये और वह नवपुड़ा-गुनपुर रेलवे लाइन 90 किलोमीटर की है और इसलिए अभी जो हमको पता लगा खबर लगी है, मंत्री जीइसके बारमें में खुलासा करेंगे, कहा जाता है बावजूद इसके कि प्रधान मंत्री वहा गये, उसके बाद जो धरातल में है, ग्रास रूट में क्या है, कहा जाता है कि रुपया नहीं है।

उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ जो जिला बदनाम है, जो सबसे गरीब जिला है, जिस जिले को उठाने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी वहां गये थे, उस कालाहांडी जिले के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि खुद हमारे राज्य मंत्री जी वहां गये थे और ल्यांजीगढ़-जूनागढ़ लाइन जो 54 किलोमीटर की है, वह जब हो जायेगी तो रेलवे मैप पर कालाहांडी आ जायेगा, सरकार की ऐसी राय है। लेकिन उसके लिए एस्टीमेटिड कास्ट 168 करोड रुपये रखी गई है। हमें पता चला है कि 1994 तक केवल दो करोड़ रुपये ही खर्च किये गये हैं। मंत्री महोदय खुद भवानी पटना के रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का उद्घाटन करने आये थे। चन्द्रशेखर जी की केबिनेट के उस समय के मंत्री भी वहां रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के उद्घाटन के लिए आये थे।

उड़ीसा में इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए तटीय जिलों और पश्चिमी जिलों को जोड़ने के लिए बड़ी लाईन जिसका उद्घाटन करने मंत्री महोदय गये थे, वह बोलांगीर-फुलवानी-खोटा लाइन है, जोकि 289 किलोमीटर है। जहां तक हमारी जानकारी है कि यह जब पूरी हो जायेगी तो भुवनेश्वर पुरी और मुम्बई के बीच 200 किलोमीटर की दूरी घट जायेगी। मुझे नहीं मालूम मंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन क्यों नहीं किया है। जबकि यह बहुत जरूरी है रेलवे की स्टडी रिपोर्ट कहती है कि उड़ीसा विकास के लिए यह बहुत जरूरी है। मंत्री महोदय इसका खुलासा करें कि इसका उद्घाटन अभी तक क्यों नहीं किया गया और वह कब तक पूरा करेंगे।

रेलवे की अकर्मण्यता का जो द्योतक है उसका एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ संभलपुर-तालचर लाइन को 12 साल हो गये हैं, वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसी तरह दैंताणी-पांसपाणी में जहां स्टील प्लांट बन रहा है, इन दोनों लाइंस के लिए 750 करोड़ रुपये रखे गये हैं। लेकिन सरकार ने केवल 170 करोड़ रुपये ही दिये हैं। इसमें और कितना समय लगेगा इसका भी खुलासा करें? आपके अधिकारी कहते हैं कि दैंताणी-पासपाणी के लिए जो रुपया दिया गया था वह सारा रुपया कर्मचारियों की तनख्वाह में ही खर्च हो गया है इस तरह कैसे काम होगा। यहां पर जो रोजी पिक्चर दिखाई जाती है, मैंने उसकी हकीकत बयान की है।

ट्रैक विद्युतीकरण के लिए उड़ीसा में 261 किलोमीटर की बात कहीं गई है। लेकिन उसके लिए सिर्फ पांच करोड़ रुपये रखे गये हैं। अधिकारी कहते हैं कि खर्चा तो हो गया, लेकिन काम शुरू भी नहीं हुआ।

मैंने जो ये चीजें बताई हैं, मंत्री जी उस स्पेशल डिबेट को देखें और फिर खुलासा करें। क्योंकि मैंने बुनियादी सवाल उठाये हैं मंत्री महोदय इंटरप्राइजिंग यंग मैन हैं, मुझे उम्मीद है कि वह इन चीजों को देखेंगे। जहां फंड्स की कमी के कारण काम नही हो रहा है, इनके कमचारी कहते है कि वहां काम नहीं हो रहा है और ये यहां बताते है कि काम हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उड़ीसा का रेल विकास बंद हो जायेगा।

बिहार में सीतामढ़ी-दरभंगा लाइन के बार में आपने कहा है।

दरभंगा-सीतामढ़ी-रक्सौल सैक्शन है, उसको ब्राड-गेज करने का भी काम हाथ में लें। इसके बारे में भी आप जवाब दें। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, समय बहुत होता जा रहा है और अभी बहुत स्पीकर्स बोलने वाले हैं, आप भाषण न दें, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित इम्पोर्टेंट प्वाइंट्स कह

दीजिए और बाकी आप उन्हें लिख कर दे दीजिए। मंत्री जी बहुत सक्षम हैं, आपका कार्य जरूर कर देंगे। मेरा आप से अनुरोध है कि आप प्वाइंट्स में अपनी बात कह दें।

मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति महोदया, मैं चन्द बाते सदनके सामने रखना चाहता हूँ मैं ससे पहले रेल मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत कम समय में जिस तरह रेलवे को देखने का काम किया और खास तौर से जो पिछड़ा इलाका है, उसकी तरफ उनकी निगाह गई है।

मैं खास तौरसे बिहार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ बिहार के सदस्यों द्वारा पिछले 25-26 सालों से समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन के लिए इस सदन में लड़ाई चल रही है, तब से अब तक जो भी सदस्य रहे हैं, उन्होंने इस लड़ाई को देखा है। बिहार के अन्दर लोग सड़क पर आए, रेल रोकी, कई मर्तबा लोग जेल में भी गए, लेकिन अब जा कर दो फरवरी को माननीय रेल मंत्रीजी ने उसका विधिवत उद्घाटन किया है। इस के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसके बावजूद बिहार की जो हालत है, वह मैं आपके सामने दर्शाना चाहता हूँ। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, तो छिले पांच सालों के अंदर तकरीबन पांच हजार किलोमीटर से ऊपर पूरे देश के अंदर ब्राडगेज कन्वर्जन का काम हुआ है। इसमें इन पांच सालों के अंदर जिस तरह से रीजनल इम्बैलेंस हुआ है, उसकी मिसाल आपको कही नहीं मिलेगी। आप आंकड़ों के बारे में पता करवा लीजिएगा, इन पांच हजार किलोमीटर ब्राडगेज कन्वर्जन में बिहार के अंदर कितना गेज कन्वर्जन का काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार सबसे ज्यादा आमदनी का राज्य है, चाहे आदमी ढ़ोने के लिए पंजाब या कलकत्ता में लोग हो या कि कोयला ढोने या जो दूसरे अयस्क ढोने की बात हो, सबसे ज्यादा आमदनी वहां के साधनों से की जाती है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत सरकार ने जो गेज-गन्वर्जन का काम हाथ में लिया है, वह बिहार के अंदर सिर्फ समस्तीपुर से दरभंगा का 35 किलोमीटर का लिया गया है। छोटे-छोटे राज्य जिनकी आबादी कम है, क्षेत्रफल कम है, जैसे राजस्थान, इनको यदि बिहार से कम्पेयर कर लिया जाए, तो दस फीसदी आबादी है और दुगुनी मीटरगेज लाइन होगी। इस हिसाब से पांच हजार किलोमीटर बिहार के अंदर गेज कन्वर्जन होना चाहिए। लेकिन अफसोस है कि बिहार के अंदर समस्तीपुर और दरभंगा के अलावा कोई भी नया प्रोजैक्ट नहीं लिया गया है।

रेलवे के पास जो मंसूबा है।...(व्यवधान) यह प्रोजेक्ट 25 साल पुराना है। मैं रेल मंत्री जी से दरखास्त करना चाहूँगा कि बिहार की तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है। अभी यह दरभंगा गये थे। इन्होंने वहां ऐलान किया था और पहले के रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ साहबने भी ऐलान किया था कि दरभंगा से सीतामढ़ी होते हुए रक्सौल को जोड़ने का काम करेंगे। सीतामढ़ी सीता जी की पैदाइशी जगह है। वहां पर लाखों लोग तीर्थ यात्री के रूप में यात्रा करने के लिए जाते है। आपने वहां ऐलान किया था कि हम सर्वे करवा कर दरभंगा-निरमली, दरभंगा-जयनगर और दरभंगा-रक्सौल को बड़ी रेल लाइन में बदलेंगे। बिहार के अंदर सहरसा और सासाराम जैसे बहुत से पिछड़े इलाके हैं, जिनको ओर रेल मंत्री जी ध्यान देंगे, ऐसी मुझे आशा है। आप सबसे ज्यादा आमदनी आज बिहार से कमाते हैं वहां से सबसे ज्यादा ट्रेने गुजर जाती हैं लेकिन पटना को एक भी कोई अच्छी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। आज सारे राज्यों की केपिटल को शताब्दी या राजधानी से जोड़ने का काम हो रहा है लकिन बिहार कीजो पटना कैपिटल है उसको आज तक आपने किसी अच्छी ट्रेन से जोड़ने का काम नहीं किया है।

आज सबसे ज्यादा आमदनी बिहार से है और कलकत्ता के अंदर दो-दो जोनल ऑफिस हैं, बिहार में एक भी जोनल ऑफिस नहीं है। हम आपसे मिले थे, आपने यह वायदा भी किया था कि हम इस सिलसिले में कुछ करेंगे। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आप पटना के अंदर एक जोनल ऑफिस खुलवाने का काम अविलम्ब करें।... (व्यवधान) आपसे एक मांग यह रखी थी, बिहार के मुख्य मंत्री जी ने भी मांग रखी तथा सारे एम.पी. ने भीमांग की थी कि आज नार्थ बिहार को साऊथ बिहार से, पटना से जोड़ने के लिए गंगा पर एक पुल की जरूरत है लेकिन आज तक हम लोगों की वह मांग पूरी नहीं हुई है। आपने शायद इस बजट के अंदर पांच करोड़ रुपए देने का काम किया है, मुझे जितना याद पड़ता है शायद एक करोड़ रुपए देने का काम किया है लेकिन उससे कुछ काम बनने वाला नहीं है। उसको सरकार को सीरियसली लेना चाहिए। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो कुछ दरभंगा में जाकर बिहार की धरती पर बिहार के लिए एनाउंस किया है, आप पटना के लिए एक नयी ट्रेन पटना से बम्बई देने का काम करें। आपने वहां वायदा किया था कि दरभंगा स्टेशन पर डेवलपमेंट के लिए पांच करोड़ दिया जाएगा लेकिन आज तक वहां पर काम शुरू नहीं हुआ है। आपने वहां वायदा किया था कि आप दरभंगा से झंझड़ा, दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से बम्बई नयी ट्रेन देने जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आज तक उस पर क्या निर्णय लिया गया है।...(व्यवधान)

मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से यह रिजनल इम्बैलेंस रखा गया है, हो सकता है कि बिहार से आपके सांसद न रहे हों। आप वहां हार गए लेकन अगर आपको वहां से कभी जीतने की ख्वाहिश हो तो आप वहां के लिए भी कुछ काम कीजिए। अगर आपकी पार्टी का कोई आदमी उस राज्य से जीत कर नहीं आएगा तो क्या उसकी उपेक्षा होगी? जिस तरह से इन पांच सालों के अंदर रेलवे के जरिए बिहार की उपेक्षा हुई अगर इसी तरह से होता रहा तो वहां पर आंदोलन बढ़ेगा और वहां लोग ट्रेनों को नहीं चलने देंगे। जब दूसरे राज्यों में 500-600 किलोमीटर की ब्राडगेजिंग हो रही है, हर कैपिटल से राजधानी चलाई जा रही है।...(व्यवधान) मैं रेल मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि बिहार के लिए अब भी जो कुछ यहां एनाउंस कर सकते हो, कर दें। आप इसे अंतरिम बजट कहिए या वोट ऑन अकाउंट कहिए, आप जो

कुछ कर सकते हों या आपने जो पहले ऐलान किया है उसको यहां पूरा करने का काम करें।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : आपको बोलने के लिए समय दिया जा रहा है लेकिन आपसे निवेदन है कि आप सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा न बोलें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप कोई व्यवधान न डालिए क्योंकि उतना ही समय खराब हो जाता है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, अंतरिम बजट के ऊपर जो बहस चल रही है इसमें बहुत सी नीतिगत बातें आई हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं आठवीं, नौवीं और दसवीं लोकसभा से हर बजट में यह प्रश्न उठाता रहा हूं कि आप बिहार की उपेक्षा मत कीजिए। बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है और रेलवे पिछड़ेपन को दूर करती है, लोगों को काम देती है। महोदय, गया-पटना लाइन अंग्रेजों के समय की लाइन है, बहुत पुरानी लाइन है, सबसे पहली लाइन है, लेकिन इस लाइन को दोहरा आज तक नहीं किया गया है। इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गया से पटना तक दो घंटे की जगह छः घंटे का समय इसके तय करने में लगता है। इससे लोगों के समय की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही साथ उनकी जरूरतें समय पर नहीं हो पाती हैं। हमारे तत्कालीन रेलवे मंत्री जो थे उन्होंने एक पत्र इसके संबंध में जारी किया था और वह मुझे भी मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम आउट ऑफ अर्न इसे दोहरा करने के लिए लगे हुए हैं और 95-96 में इसे पूरा करने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो रेलवे मंत्री महोदय को अपनी घोषणा में बोलना चाहिए। हमारे क्षेत्र की जनता इसे सुनकर बड़ी खुश हुई थी। लेकिन रेलवे बजट जब पेश हुआ और जब यहां गया-पटना का नाम इन्होंने नहीं लिया तो लोगों ने कहा कि यह एक फ्रॉड था। इसलिए जो इल्जाम लगा है उसको समाप्त करने के लिए इन्हें अपने जवाब में इसके बारे में बोलना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा इलाका रेलवे लाइन से अछूता है। छोटी लाइन के रूप में फतुआ-इस्लामपुर लाइन का राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने इसे बंद कर दिया है जिससे लोगों को 20-25 किलोमीटर का रास्ता तय करके रेलवे-स्टेशन आना पड़ता है जिससे खर्च ज्यादा लगता है। अगर कोई बस से आना चाहे तो 30 रूपया किराया लगता है। आप उनकी मुश्किल को समझ सकते हैं। एक तो गया-पटना रेलवे की बात मैंने कही। रेल न रहने के कारण उनको कितनी मुश्किल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फतुआ-इस्लामपुर जो छोटी लाइन है उसको आप बड़ी लाइन करें, जिससे यह स्थान टूरिस्टों के लिए एक बड़ा स्थान बन सके। सभापति महोदय, इससे किसानों, मजदूरों और सभी लोगों को सुविधा होगी।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने 24 तारीख को रेलवे ऐडवाजरी कमेटी की मीटिंग में कहा था कि आप अपने क्षेत्र में पड़ने वाले स्टेशनों के लिये अनुशंसा कर दीजिये जिससे वहां काम कराया जा सके। मैंने वह दिया और उन्होंने सैंक्शन भी कर दिया। हम चाहते थे कि मंत्री महोदय जवाब दें कि उनमें कब तक काम करायेंगे? मैंने जो बातें यहां उठायी हैं, उनका यहां जवाब दें जिससे मेरे ऊपर लगा गलत इल्जाम समाप्त हो सके।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया किन्तु समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं बोलूंगी। मैं रेल मंत्री, श्री सुरेश कलमाडी को इस विभाग का पदभार संभालने के लिए बधाई देती हूँ। चूंकि यह अन्तरिम बजट केवल चार महीने के लिए है, इसमें सब कुछ शामिल करने की संभावना नहीं है, तथापि, मैं इस सदन में विरोध प्रकट करना चाहती हूँ ताकि अन्य सदस्य मेरे राज्य से किये जा रहे पक्षपात से अवगत हों।

महोदय, आप जानती होंगी कि रेलवे में यह प्रथा है कि जब भी किसी पुल अथवा ऊपरिपुल का उद्घाटन किया जाता है तो इस उद्घाटन समारोह में स्थानीय संसद सदस्य को आमंत्रित किया जाता है। और ऐसा रेल मंत्री और राज्य सरकार संयुक्त रूप से करते हैं। तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैंने लेक गार्डन ऊपरिपुल और बाँडल गेट ऊपरिपुल की दो परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाई है। इन्होंने मुझे आमंत्रित किये बिना और रेल अधिकारियों से परामर्श किये बिना ही इस परियोजना का उद्घाटन किया। ऐसा केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किया गया है। ऐसा देश में अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ है। इन्होंने एक नई प्रथा को जन्म दिया है। मैंने इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाने के लिए संघर्ष किया है और इन्होंने मुझे आमंत्रित किये बिना ही इसका उद्घाटन कर दिया। मैंने कई बार रेल अधिकारियों से पूछा कि इन परियोजना के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद मुझे उद्घाटन समारोह में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? परन्तु उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

दूसरे, मुझे 15 दिन पहले रेल मंत्री, श्री सुरेश कलमाडी का एक पत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने शीघ्र उत्तर देने का अनुग्रह किया है, मैं उनसे पूछना चाहती थी कि क्या वह सोनारपुर ऊपरिपुल को स्वीकृति देंगे अथवा नहीं क्योंकि वहां के लोग बड़े लम्बे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और यदि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो वह इस पर विचार करेंगे। परन्तु 15 दिन पहले मैंने अचानक आमंत्रण पत्र देखा। राज्य सरकार ने रेल अधिकारियों से परामर्श किये बिना इस का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस बात पर मैं आश्चर्यचकित हूँ...(व्यवधान) महोदय, आप आचार्य जी अथवा श्री सोमनाथ चटर्जी के निर्वाचन क्षेत्रों में जाइये, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रही हूँ, पर मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुझे उद्घाटन समारोह में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इन्हें पता होना चाहिए कि वह रेल-पटरी के बारे में नहीं था।

कुमारी ममता बनर्जी : पर यह मेरा विशेषाधिकार है मैं अन्य संसद सदस्यों की भांति अन्य सांसदों के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आने पर आपत्ति नहीं करती हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे अपने मूलभूत अधिकार से वंचित क्यों किया जाए। इसीलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वह किसी दिन वहां आकर इस विशेष समारोह का विधिवत आयोजन करके इसका शिलान्यास करें। राज्य सरकार ने स्वयं ही इस ऊपरिपुल का उद्घाटन किया है जबकि रेल मंत्रालय का कहना है कि इन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यह चालबाजी, यह नाटक खेला जा रहा है...(व्यवधान) इस परियोजना में मेरी बहुत अधिक रूचि होने के बावजूद यह उद्घाटन मेरी अनुपस्थिति में किया गया...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : राज्य सरकार ने अभिगम मार्गों का शिलान्यास करने के लिए ही एक समारोह का आयोजन किया था...(व्यवधान) एक नई रेलगाड़ी आरंभ की गई थी और रेलवे ने जीतेन्द्र जी को भी उस समारोह में आमंत्रित नहीं किया था...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील (नान्देड़) : ममता जी को आंमत्रित क्यों नहीं किया गया? (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वह शिलान्यास राज्य सरकार द्वारा न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित किये जाने वाले अभिगम मार्ग के लिए किया गया था। इसका पचास प्रतिशत व्यय राज्य सरकार वहन करेगी... (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे पता है...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति महोदया, अगर रेलवे का प्रोजैक्ट है तो रेलवे मिनिस्ट्री बनाती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती है। आप रेलवे मिनिस्टर से पूछिये।

कुमारी ममता बनर्जी : इसलिये तो उनसे पूछना है।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप क्यों चिल्ला रहे हैं?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : केवल ममता जी का रिकार्ड में रहेगा।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मेरी बात में व्यवधान मत डालिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। यह मेरा मौलिक अधिकार है...(व्यवधान)* ... आप मुझे बोलने देंगे या नहीं? यह समस्या आपकी भी है, प्रत्येक व्यक्ति की है मैं किसी संसद सदस्य के प्रति पक्षपात का रवैया नहीं अपना रही हूँ। मैं सभी संसद सदस्यों के हित का समर्थन कर रही हूँ।

रेलवे के नियमानुसार एक ऊपरिपुल का निर्माण किया। अभिगम मार्ग का निर्माण राज्य सरकार को करना है। इसलिए, ऊपरिपुल के निर्माण के लिए रेलवे और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केन्द्रीय मंत्री अथवा मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में कभी-कभार संसद सदस्य भी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। मैं श्री बसुदेव आचार्य, श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्री सोमनाथ चटर्जी के नाम का उल्लेख कर सकती हूँ। ये सभी लोग शिलान्यास के अवसर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद थे। मैं यह नहीं कहती हूँ कि शिलान्यास मुझे करना चाहिए परन्तु मैं चाहती हूँ कि यह समारोह विधिवत आयोजित किया जाना चाहिए। मुझे इस अवसर से केवल इसीलिए वंचित किया गया कि मैं कांग्रेस की सदस्य हूँ। महोदया, मंत्री जी ने मुझे यह उत्तर दिया कि उन्हें अभी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने इसका उद्घाटन भावी चुनावों के दृष्टिगत किया। अत: मैं चाहती हूँ कि माननीय रेल मंत्री इस मामले की छानबीन करें। रेल मंत्री जी को वहां की यात्रा करनी चाहिए। मैं यह नहीं कर रही हूँ कि रेल मंत्री जी राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को आंमत्रित न करें, मैं उनसे राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, स्थानीय विधायकों और स्थानीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का आग्रह करती हूँ। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मंत्री जी वहां जाकर इसका शिलान्यास करें।

समय की कमी के कारण, अन्य समस्याओं पर मैं बाद में चर्चा करूंगी। मैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसकी अवहेलना की जा रही है, के बारे में चर्चा करूंगी। कृपया इस क्षेत्र की ओर ध्यान दीजिए। चार माह की अवधि में यह सब करना संभव नहीं होगा। आपने जो कुछ कहा वह पर्याप्त है। यदि आपके पास समय हो तो कृपया टालीगंज से गरिया के बीच की भूमिगत रेल लाइन का उद्घाटन करें। यह एक गौरवशाली कार्यक्रम है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। यह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का प्रथम शताब्दी वर्ष है, यदि यह कार्यक्रम नेताजी के नाम को समर्पित किया जायेगा तो इसे बहुत सराहा जायेगा।

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सी.पी.आई. के दो दो बोलेंगे...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे पास आपके नाम नहीं हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : सभापति महोदया, हमें केवल एक नाम देने के लिए कहा गया था और अनुदेशों का अनुसारण करते हुए हमने मात्र एक नाम दिया। हमें इस कारण अपनी बात कहने के अवसर से क्यों वंचित किया जाये? मैं अभी चार नाम देता हूँ।

सभापति महोदय : आप बाद में नाम दे सकते हैं?

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : जब केवल एक व्यक्ति को बोलने का अवार देने का निर्णय लिया जा चुका है, तो आप अन्य लोगों को बोलने की अनुमति कैसे दे सकती हैं।

[हिन्दी]

हमने शराफत में एक नाम दिया है। यह नहीं चलेगा। हमारी स्ट्रैंथ सबसे ज्यादा है। हमारा सिर्फ एक आदमी बोल रहा है.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : यह पक्षपात पूर्ण निर्णय जैसा लगता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक-एक सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। हमें इससे वंचित किया जा रहा है। सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान भी ऐसा ही हुआ है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आपको अवसर दिया जायेगा। बोलने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को केवल दो मिनट का समय दिया जावेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदया, मैं कुछ बातों पर जोर देना चाहूँगा। देश भर में समय पर गाड़ियां चले, लाभप्रद चले, इसमें मजदूरों की भागीदारी प्रबंधन में सारे देश के पैमाने पर हो और उसमें गुप्त मतदान से मजदूरों के प्रतिनिधि चुने जाएं।

एक और बात जो हमारे देश की एकता को जोड़ने में रेलवे का हाथ तब हो गया है, नीति में है कि दिल्ली से श्रीनगर, जम्मू होते हुए एक बड़ी लाईन बनाई जाएगी, उसकी उपेक्षा की जा रही है और गोवाहटी से आने वाली राजधानी एक्सप्रेस है, वह तीन दिन में शायद ही कभी समय पर आती है। 1968 ईस्वी से मैं लड़ता रहा और यह खुशी की बात है कि दरभंगा तक गाड़ी चालू हुई, मगर दरभंगा-झंझड़ा विद्यापीठ ऐक्सप्रेस, दरभंगा से बंबई कोसी - कमला ऐक्सप्रेस, दरभंगा से दिल्ली मिथिलान्चल एक्सप्रेस, उस बारे में मंत्री जी ने कहा था कि उसको करेंगे, उसकी तिथि कब तक निर्धारित करेंगे? अगर उसमें दिक्कत है तो दो-तीन कोच समस्तीपुर में जोड़ दें। पूर्व में आने के लिए और दिल्ली - बंबई जो गाड़ियां आती है. उसमें जोड़ देने के लिए खर्च नहीं पड़ेगा, नहीं तो आसान परिवर्तन के चलते लोगों की कठिनाईयां बढ़ गई हैं। जिस बात पर मैं जोर दूंगा कि बिहार में कुछ प्रगति हुई है, मगर छितौनी बगाह लाईन पर छोटा आमान बनाने की जरूरत है। मेरा आग्रह होगा कि भले कुछ विलंब हो मगर छोटा अमान मत बनाएं, उसको भी बड़े अमान में परिवर्तित कर दें ताकि तीन वर्ष बाद फिर उसका परिवर्तन करने में ज्यादा खर्च न हो, परेशानियां न बढ़ जाए और तब वह हिस्सा गंडक होकर पूरे पश्चिम भारत में जुड़ जाएगा।

नेपाल हमारा सहोदर देश है। जनकपुर प्राचीन मिथिला की राजधानी है इसलिए दरभंगा-जयनगर-जनकपुर को बड़ी लाईन बनाने से हमारी मैत्री में वृद्धि होगी क्योंकि जयनगर नेपाल रेलवे का और भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का स्टेशन है। उसको करें और दरभंगा-सीतामढी-रक्सौल भी बड़ी लाईन और ट्रेनों का नाम लिया है उनको लक्ष्य के रूप में रखें। निरमली-धरभिटा सुपोह और सहरसा को जोड़ने वाली लाईन है। बिहार में दो प्रशासनिक मण्डल आज तक रेल से नहीं जुड़े हैं और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को भी ट्रेन से नहीं जोड़ा गया है। कृपया उसका लक्ष्य के रूप में रखें। यह हमारे देश की अखण्डता और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम नाईक : सभापति महोदया, जब श्री सुरेश कलमाडी जी ने रेल मंत्री का कार्यभार लिया और कुछ घोषणाएं करनी शुरू कर दी और खासकर कहा कि आने वाला वर्ष मुम्बई उपनगरीय यात्रियों के लिए विशेष वर्ष रहेगा तो हमारे मन में काफी आशएँ जग गई और अलग-अलग समय पर जो आपने घोषणाएं की, उनसे वह कार्यान्वित हुई लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि जैसे-जैसे दिन जाने लगे हैं, वैसे-वैसे आपकी जो धारणाएं हैं वह खोखली होती जा रही हैं। ऐसा जनमत भी बनने लगा है और इसलिए मैं पहली बात आपको कहूँगा कि हमने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उन पर मैं ज्यादा न बोलते हुए इतनी प्रार्थना करूंगा कि आने वाले छः सात दिन में जितने कटौती प्रस्ताव हमने भेजे हैं, आज यहां पर रखे हैं, उसके लिए आप जवाब भेज दें।

दूसरी बात यह है कि 1995-96 के लिए मुंबई के लिए जो प्रोजक्ट्स बजट में हमने पिछले साल मंजूर किए और जिसका उल्लेख कापसे जी ने किया, उस पर एक रूपया भी खर्चा नहीं हुआ है तो आप आज यह बताइये कि इतना काम क्यों नहीं हुआ यह भी आपको बताना चाहिए, ऐसी मेरी दूसरी मांग है और तीसरी सबसे महत्व की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में अच्छी आशाएं बननी चाहिए और आपने वसई-दिवा में आकर वसई-दिवा रेलगाड़ी का 29 दिसम्बर, को वहां भूमि पूजन किया। आपने हमें बुलाया हमें कोई शिकायत नहीं है। हमको नहीं बुलाया , मैं आया था और कापसे जी आये थे और 29 दिसम्बर को उस प्रोजैक्ट का आपने भूमि पूजन किया। अब आपने हमको जो रेलवे कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग में जो जवाब दिया है, उतना मैं पढ़ता हूँ और अपनी बात पूरी कर देता हूँ। आपने यह कहा है-

[अनुवाद]

"दिवा-वसई मार्ग (42.50 किलोमीटर) खण्ड :- इस परियोजना को एक्सपेंडेड बोर्ड ने 11 सितम्बर 1995 की अपनी बैठक में स्वीकृति दे दी है।आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही परियोजना का वास्तविक निर्माण कार्य आरंभ किया जायेगा।"

[हिन्दी]

मतलब जब इसको परयोशन मिलेगी उसके बादमें यह काम किया जायेगा, ऐसा आपने बताया और उसके आगेका जो सेन्टेन्स है वह और गंभीर है।

[अनुवाद]

"यह काम 'बोल्ट' योजना के अंतर्गत निष्पादित किया जायेगा जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की नई तिथियां अभी निर्धारित की जानी हैं।"

[हिन्दी]

यानी टेंडर इन्वाइट करने के लिए नई तारीख तय करनी है यह आप बताते हैं और 29 दिसम्बर को हमें वहां बुलाते हैं आप उसका भूमि पूजन कर देते हैं। लोगों के मन में क्या बात पैदा होगी?...(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : इलेक्शन के वास्ते टेंडर बुलाया जाता है।

श्री राम नाईक : वोट ऑन अकाउंट्स में ऐसा नहीं किया जाता है। यही तो बात बताने की है और इसलिए ये सारे जो बड़े-बड़े आपने एडवरटाइजमेंट्स दिये हैं उस पर पांच करोड़ रुपया आपने खर्च किया है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : आपने परसों स्टेटमेंट दो करोड़ का दिया था, ये दो दिन में पांच करोड़ कैसे हो गया?

श्री राम नाईक : मैंने जो दिया वह 30 दिन का दिया, अब मेरे पास सब डिटेल्स आ गये हैं और इसलिए आपने दो महीने में पांच करोड़ रुपया खर्च किया है तो हम जानना चाहते है।....(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह : उस दो करोड़ का इंटरेस्ट लगा दिया है।

श्री राम नाईक : आप दिमाग से काम लेंगे तो आपको बात समझ में आयेगी,नहीं तो समझ नहीं आयेगी...(व्यवधान) और इसलिए यह बजट की बात समझने के लिए थोड़ा समय लगता है और इतना तो समझ लीजिए कि जो बात बजट में रखी है जिसका टेंडर मंगाया नहीं है जिसको केबिनेट की इकॉनोमिक अफेयर्स कमेटी ने मान्यता नहीं दी है, उसके लिए भूमि पूजन करने के लिए जाते हैं और यह देश को गुमराह करते हैं, यह पार्लियामेंट को गुमराह करते हैं और इसलिए मैं केवल यक बात कहना चाहता हूं कि लोगों को गुमराह मत कीजिए। पहले रेल मंत्री ने एक सौतेला व्यवहार किया, आपने अच्छी बातें की, मीठी बातें की, लेकिन व्यवहार ऐसा होना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं होगा तो जनता माफ नहीं करेगी, इतना ही ख्याल में रखिए और किट मोशंस का जवाब भेजिये, इतना ही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरामिंकिल) : सभापति महोदया, मैं केवल कुछ मिनट का समय लूंगी।

महोदया, केरल में सभी कार्यक्रमों में विलम्ब हो रहा है। दो वर्ष पूर्व माननीय मंत्री ने सदन में कायमकुलम-क्विलोन लाइन का काम मार्च, 1994 तक पूरा करने का आश्वासन दिया था परन्तु इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। मैं नहीं जानती कि इसे कब तक पूरा किया जायेगा? इस काम की प्रगति बहुत धीमी है। क्विलोन-त्रिवेन्द्रम लाइन के लिए भी 15 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे पर क्या आप जानती हैं कि इस पर कितना व्यय किया गया है? पिछले सत्र में मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि 2 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अट्टूर) : वहां स्थानीय मजदूर समस्याएं खड़ी कर रहें है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह कोई मुद्दा नहीं है। मैं समस्या से अवगत हूं उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है। इसके लिए 4 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ सकती है।

यदि आपने सभी पुलों का काम शुरू किया होता तो पैसा खर्च किया जा सकता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्विलोन से त्रिवेन्द्रम तक की रेल लाइन का निर्माण करने में कितने वर्ष लगेंगे?

शोरनूर-मंगलोर एक ऐसी रेल लाइन है जिसकी मांग केरल में सत्ता दल और विरोधी दल दोनो कर रहे हैं। मंगलोर त्रिवेन्द्रम रेल लाइन केरल की जीवन रेखा है। केरल के सभी सांसद इस परियोजना का काम कोंकण निगम को सौंपने की मांग कर रहे हैं। हमने कहा कि हम, केरल के लोग धन जुटायेंगे और कोंकण निगम के ऋण पत्र खरीदेंगे। आपको निजी क्षेत्र का मोह है इसे कोंकण निगम के सुपुर्द क्यों नहीं किया जाता? आप कह सकते हैं कि निविदाओं में वे भी भाग ले सकते हैं। हम इसके लिए पर्याप्त धन देंगे। क्या यह संभव नहीं होगा? इसे कोंकण निगम को देने में आपको क्या परेशानी हो रही है? मैं यही बात जानना चाहती हूं

हमारे संसद सदस्यों की संतुष्टि के लिए हमारे मंत्री ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ सर्वेक्षण कार्य शुरू किया है...(व्यवधान)

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : हमारे लिए यह जरूरी है...(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं कह रही हूं कि में रेल लाइनें पूरी नहीं की जाती। सांसद सदस्यों को केवल संतुष्ट करने के लिए उन्होंने इतने सारे सर्वेक्षण कार्य शुरू किए हैं। ...(व्यवधान)

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : वह पहला चरण है...(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : वो पिछले पांच वर्षों से क्यों सोए हुए थे? इन पांच वर्षों के अंतिम चरणों में उन्होंने सर्वेक्षण कार्य क्यों आरंभ किया।

कोट्टायम-सबीरमाला रेल लाइन के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए की घोषणा की है। यह सुनने में अच्छा लगता है। मगर निकट भविष्य में यह होने वाला नहीं है। अन्यथा इसे पूरा करने के लिए आपको साधन जुटाने होंगे।

केरल औद्योगिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है। केरल राज्य का औद्योगिकरण मुख्य रूप से मंगलूर-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन पर निर्भर करता है। इसी लिए मैं पूछ रही हूं कि यह कब तक पूरी कर ली जाएगी। हमारे केरल राज्य और केन्द्रीय मंत्रियों ने इसको मांग की है।

अंत में मैं भेद-भाव का उल्लेख करूंगी जिस पर यहां काफी कुछ कहा गया है।

क्विलोन-त्रिवेन्द्र रेल लाइन का अधिकांश हिस्सा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। उपरी पुल के उद्घाटन के समय मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। इसका क्या कारण था? आपने राज्य सभा के कुछ संसद सदस्यों को आमंत्रित किया जिनमें वायलार रवि और अन्य व्यक्ति भी शामिल थे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर जाने वाली रेल लाइन से संबंधित कार्य की संवीक्षा के लिए जब समिति का गठन किया गया तो मुझे शामिल नहीं किया गया। मैंने इस संबंध में मंत्री को लिखा भी था मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया . . . (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : निमंत्रण पत्र में कोई नाम नहीं जाता। यह वास्तविक मुद्दा है . . . .(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं यहां तीसरी बार आई हूं। मुझे पता है आप मेरे साथ किस प्रकार का भेद-भाव कर रहे हैं। मेरे साथ इस तरह का भेद-भाव कभी नहीं हुआ। मुझे पता है क्या हो रहा है।

जब वान्चिनाडु एक्सप्रेस शुरू की गई थी तो यह पांच जगह रूकती थी। लेकिन अब यह केवल चार जगह रूकती है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित वरकला शहर में पर्यटन और धार्मिक केन्द्र है। श्री सुरेश कलमाडी ने शिवगिरी के महत्व को नहीं समझा यहां तक कि केरल के मुख्य मंत्री श्री एंटोनी ने भी इसका महत्व नहीं समझा। उन्होंने सन्यासियों और शिवगिरी मठ को तोड़ने के लिए वहां पुलिस दल भेजा। अगर आप शिवगिरी का महत्व नहीं समझते तो मैं जानता हूं। इस जगह रेल क्यों नहीं रोकी जाती? रेल को रूकवाने के लिए संसद में कहना पड़े यह तो बड़ी ज्यादती है। मगर जब भेद-भाव हो तो ऐसे विषय को भी उठाना ही पड़ता है।

11.00 म.प.

एक अन्य रेलगाड़ी 11.30 बजे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर जाती है। एक और भी रेलगाड़ी है-मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है, जो अलेप्पी से होकर जाती है। यह रेलगाड़ी आधे घण्टे के बाद जाती है। मगर इसमें यात्री नहीं चढ़ सकते। यह रेलगाड़ी यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी है और मैं इस संबंध में मंत्री से कई बार मिला। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का वचन दिया। मुझे नहीं पता इसमें क्या दिक्कत है, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या विपक्ष के साथ बर्ताव करने का यही तरीका है?

सुश्री ममता बनर्जी : आप श्री वसुदेव आचार्य से पूछे कि वो अपने राज्य में विपक्ष के साथ कैसा बर्ताव करते हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अगर आप के साथ भेद-भाव हुआ है तो मैं आपके साथ हूं। मगर विपक्ष के साथ भेद-भाव नहीं होना चाहिए। पूर्व मंत्री को पदावधि के दौरान मैंने ऐसी मांग कई बार की थी। मैंने सोचा कि श्री कलमाडी एक युवा एवं गतिशील मंत्री है अत: वे संकीर्ण राजनीति को आड़े आने नहीं देंगे। मगर मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। इस पर मुझे सख्त एतराज है। यह व्यवहार करने का तरीका नहीं है। आपको थोड़ी विनम्रता दिखानी चाहिए। केरल से संबंधित मामलों में हम हमेशा साथ थे। केरल से संबंधित मांगों के विषय पर इस तरह सब सांसद सदस्य एक होकर लड़ते थे। यद्यपि हम विपक्ष में थे हमने हार नहीं मानी। मगर आपको यह समझना होगा और कार्य करने होंगे।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : माननीय सदस्य ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहा है। अत: मुझे दो मिनट का समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री ए. चार्ल्स : पिछले छ: माह में नए मंत्री द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 60 करोड़ रुपए का कार्य किया गया और इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : इसी भेद-भाव का मैंने जिक्र किया (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : जी हां, त्रिवेन्द्रम, केरल की राजधानी है।

सभापति महोदय : ठीक है, मैं आपको समय दूंगा।

श्री. ए. चार्ल्स : शहर के मध्य में, अर्थात मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक पुल का उद्घाटन हुआ था। माननीय सांसद सदस्य महोदय का निर्वाचन क्षेत्र 30 किलोमीटर आगे है। इसका मतलब मुझे हर जगह आमंत्रित किया जाना चाहिए...(व्यवधान) निर्वाचन क्षेत्र में चालीस प्रतिशत कार्य किया जा रहा है। ऐसा कहना बहुत ही अनुचित होगा.. . . .(व्यवधान)

सभापति महोदय : अच्छा ठीक है, ठीक है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : नहीं यह सही नहीं है। यह दूरी केवल चार या पांच किलो मीटर है। श्री वायलर रवि को क्यों आमंत्रित किया जाता है उनका निर्वाचन क्षेत्र कहां है? क्या आप इसे कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित रखना चाहते है? उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पड़ोस के सांसद सदस्य को आमंत्रित नहीं किया जाता। और वायलर रवि को आमंत्रित किया जाता है। आप यह मानदण्ड अपना रहें हैं। ऐसी सोच अच्छी नहीं है।

सभापति महोदय : श्रीमती सुशीला गोपालन, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सुभाष चन्द्र नायक (कालाहण्डी) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं हमारे रेल मंत्री श्री सुरेश कलमाड़ी का स्वागत कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं और बजट का समर्थन कर रहा हूं। उनको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि जब वे पहले मंत्री बने तो कालाहांडी, जो कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है, वहां गए थे और उन्होंने वहां पर भवानी पटना, कैलिंगा, लांजीगढ़ रोड में नया रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन किया। उन्होंने वहां पब्लिक मीटिंग में कहा था कि कांडल रोड, रुपसा रोड नरला रोड इन तीनों रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। लेकिन अभी तक वह हुआ नहीं है।मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे फाउंडेशन स्टोन रखे। मुझे पक्का है ताकि मैं वहां जाकर फाउंडेशन स्टोन रख सकूं, क्योंकि इन्होंने वहां पब्लिक मीटिंग में कहा था कि मैं फाउंडेशन नहीं कर पाऊंगा तो ये माननीय लोकसभा सदस्य फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। इसलिए जनता मुझ पर दबाव दे रही है।

दूसरा, संबलपुर एक्सप्रेस जो चल रही है उसको रांगड़ा तक एक्सटेंशन देने की जनता की बेहद मांग है। मैं निवेदन करता हूं कि इसको जल्दी ही रांगडा तक एक्सटेंशन करें। कालाहांडी, नवरंगपुर और कोरापुर तीन जिले है इनकी जनता को सुविधा मिलेगी।

लिंक एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से मिलती थी, वह बंद कर दी

गई है। इससे जो कालाहांडी, पुलवानी, नवरंगपुर, कोल्हापुर, बलांगीर जिलों में जाते हैं उनको रायपुर ही उतरना पड़ता है। उनको दूसरी गाड़ी लेने के लिए तकलीफ हो रही है। इसलिए पहले जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस यहां से वाल्टेयर तक डाइरेक्ट जा रही थी उसको प्रारंभ करना चाहिए।

सभापति महोदया, समता एक्सप्रैस में खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। उस ट्रेन में चलने वाले भूखे रहते हैं। इसलिए उस ट्रेन में खाने-पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में एयरकंडीशन लगाइए।

लांजीगढ़ रोड से जूनागढ़ तक जो 54 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाने के लिए प्रधान मंत्री जी ने जो फाउंडेशन स्टोन रखा था, उसकी स्थिति अभी माननीय मंत्रीजी देख कर आए हैं। वहां पर उड़ीसा सरकार ने पूरी जमीन नहीं दी है। जितनी जमीन दी है, कम से कम उतनी जमीन में काम जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाना चाहिए। जो आपने दो करोड़ रुपए दिए थे उनको कम से कम दस करोड़ रुपए कीजिए। अंत में मेरा एक निवेदन यह है कि केसिंगा और नरला रोड पर ओवरब्रिज तुरन्त बनाया जाए।

सभापति महोदया, मेरा एक मिनट हो गया। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उमराव सिंह : सभापति महोदया, मुझे भी दो मिनट दीजिए।

सभापति महोदय : उमराव सिंह जी, आप जो सुबह से बैठे हैं। आपको तो बहुत समय बोलने के लिए मिल गया है।

श्री उमराव सिंह : मैडम, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कोई नहीं बोला है। हमें बहुत जरूरी बातें कहनी हैं।

सभापति महोदय : समय बहुत हो गया है।

श्री उमराव सिंह : दो-दो मिनट दे दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदया, मैं इस संबंध में विनिर्णय चाहता हूं। प्रक्रिया क्या है।

[हिन्दी]

आप हमको बताईए यहां पर क्या प्रोसीजर चल रहा है?

सभापति महोदय : पहले यहां पर डिसाइड हुआ था कि एक-एक बोलेगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अभी इसके बाद दो और विधेयक लेने हैं जब आप उनको समय दे रही हैं, तो हमारे भी तीसरे आदमी बैठे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनको बोलने का समय दें।

सभापति महोदय : ठीक है, तो फिर सारी रात बोलते रहिए। आप शान्ति से बात कीजिए। अगर आप लोग तैयार हैं, तो सबको समय दे दिया जाएगा।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : बहन जी, उत्तर प्रदेश से एक भी व्यक्ति नहीं बोला है। बिहार और बंगाल से आप पांच-पांच व्यक्तियों को बोलने का समय दे रही हैं।

सभापति महोदय : जो पहले की लिस्ट बनी हुई है, उसके अनुसार बोलने का समय दिया जा रहा है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : पहली लिस्ट में एक पार्टी से एक आदमी का नाम था, लेकिन वह लिस्ट छोड़ दी है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैडम, जो पहली लिस्ट थी, उसको वायलेट किया जा रहा है।

सभापति महोदय : अब एक बात सुन लीजिए कि कोई भी किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा और एक-एक मिनट में बोलने की कोशिश कीजिए।

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : संसद सदस्यों की चिंता से जाहिर है कि रेल मंत्रालय लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है।यह तथ्य साफ है।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : नहीं, नहीं...(व्यवधान) ऐसा मत कहिए।

श्री शिवाजी पटनायक : रेल मंत्री को इस बात का श्रेय जाता ह कि उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य में उनके द्वारा रेलवे का अच्छा विकास हुआ है। सरकार द्वारा अब तक एक तिहाई बजट का आबंटन किया जा चुका है। यह सिर्फ मुद्दों को अलग नजरिए से देखने का तरीका है। केवल इस वर्ष जबकि कुल आबंटन बहुत ही कम है, इसके लिए एक-तिहाई आबंटन किया गया है।

उड़ीसा के लिए वास्तव में कोई रेल लाइन है ही नहीं। कलकत्ता से मद्रास या कलकत्ता से बंबई की रेल लाइनें उड़िसा से होकर जाती हैं। आजादी के कई दशक तक उड़ीसा के लिए कोई रेल लाइन नहीं थी। केवल नाम के लिए दो रेल लाइने आरंभ की गई हैं। एक सम्बल पुर-तलचर रेल लाइन है और दूसरी खुर्द रोड़-बोलनगीर है। मगर कम राशि का आबंटन और धीमी गति से निर्माण कार्य की प्रगति को देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि बोलनगीर तलचर रेल परियोजना कब पूरी होगी। यद्यिपि इसे तेरह वर्ष पहले आरंभ किया गया था, मैं नहीं समझता कि इस गति से इसे हम इस शताब्दी में पूरा कर पाएंगे।

खुर्द रोड़-बोलनगीर रेल लाइन परियोजना 400 करोड़ रुपए की है। मगर पहले वर्ष में केवल एक करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष केवल दो करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। एक या दो करोड़ रुपए से क्या होगा।

ऐसा करके क्या लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा? क्या यह उनके साथ धोखा-धड़ी नहीं है?

रेल मंत्री को खुर्द रोड़-बोलनगीर रेल लाइन के शिलान्यास के लिए उड़ीसा जाना था। ममताजी कह रही थी कि किसी समारोह में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। मगर यह समारोह तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में था। इस समारोह में रेल मंत्री, मुख्य मंत्री और श्री के. सी. लेंका को उपस्थित

होना था मगर सम्पन्न नहीं हुआ। इस छोटी सी राशि के आवंटन के विरोध में दिन भर हर तरफ प्रदर्शन होते रहे। लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है।

रेल मंत्री कह रहे हैं कि नई रेल गाड़ियां आरंभ की जा रही है। मैं एक गरीब लोगों की रेलगाड़ी, पुरी-ओखा एक्सप्रेस के बारे में कह रहा हूँ। गुजरात के सूरत में कार्यरत पांच लाख उड़िसा कर्मकार इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यह गाड़ी रोज क्यों नहीं चलाई जा सकती? इस गाड़ी में यात्री सामान की तरह भर कर चलते हैं।

मेरा अगला मुद्दा खड़गपुर-चासटैर रेल लाइन के विद्युतीकरण का है। इसकी मांग लगातार किये जाने के बावजूद इसको आरंभ नहीं किया गया। यह राज्य के लोगों के लिए अत्यावश्यक है।

मैं एक अन्य बात जो कहना चाहता हूँ वो कटक-पारीदीप रेल लाइन के दोहरीकरण के बारे में है जो कई वर्षों से लंबित है। इस कारण पारादीप बन्दरगाह के लिए परेशानी हो रही है। पारीदीप की मुख्य समस्या परिवहन और रेल संचार का अभाव है। जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता तब तक पारादीप बन्दरगाह का विकास नहीं हो पाएगा निर्माण कार्य की गति धीमी होने के कारण इसके धीमी होने के कारण इसके पूरा होने तक तो पारादीप बन्दरगाह की आवश्यकताएं और भी बढ़ जाएंगी। उस समय तक एक और रेल लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। अत: पारादीप बंदरगाह की आवश्यकता पूरी करने के लिए अभी से ही एक और रेल लाइन के निर्माण की योजना बनाई जानी चाहिए...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शिवाजी कृपा करके बात समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री शिवाजी पटनायक : जी, महोदया मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : श्री श्याम बिहारी मिश्र जी।

श्री शिवाजी पटनायक : मैं एक या दो मिनट लूंगा...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाएं, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : महोदया, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने उत्तर प्रदेश को बोलने का मौका दिया। मैं आपसे केवल टू दि पाइण्ट बात करूंगा।

पहली बात-उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में कुटीर उद्योग के रूप में ईंट भट्ठे का उद्योग चल रहा है। केवल उत्तर प्रदेश में पांच लाख मजदूर इसमें काम करते हैं। आपने ईंट भट्ठों को रैक देने पर बैन लगा रखा है जबकि ईंट भट्ठे का मुख्य कच्चा माल कोयला है। काफी बार मैंने आपको पत्र लिखा, लेकिन आप कह देते हैं कि ओन वैगन स्कीम के अंतर्गत आप वैगन की व्यवस्था करिये। यह कुटीर उद्योग है, यह वैगन नहीं खरीद सकते हैं। मेरा पहला आपको सुझाव है कि आप ईंट भट्ठे को भी वैसी ही सुविधा दें, जैसे आप सीमेण्ट को वरीयता के आधार पर रैक देते है। सीमेण्ट और ईंट एक ही श्रेणी में निर्माण के कार्य में आते है, पर आप ईंट भट्ठों को सुविधा नहीं दे रहे हैं। मेरी पहली मांग है कि आप ईंट भट्ठों को भी रैक देने की व्यवस्था करिये।

दूसरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में अनाज ज्यादा पैदा होता है। आपने अनाज के लिए रैककी व्यवस्था कर रखी है। आटा, मैदा, सूजी को रैक में नहीं लादा जा सकता है। आपने फुटकर वैगन देने के लिए उस पर रोक लगा रखी है, मेरा आपसे सुझाव है कि दाल, आटा मैदा, चावल के लिए फुटकर वैगन भी आप उपलब्ध करायें। उत्तर प्रदेश में राइस की बहुत बड़ी इण्डस्ट्री है। राइस के लिए आप वैगन ज्यादा तादाद में उपलब्ध करायें।

कानपुर में ब्रह्मावर्त धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है, यहां महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है। यहां पर एक लिंक रेलवे लाइन चलती है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि आप इसे बन्द करने जा रहे हैं। इसे बन्द न करें, क्योंकि यह पुरे ब्रह्मावर्त में लव-कुश का जन्म-स्थान है महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नानाजी पेशवा का जन्म स्थान है और इसलिए लिंक को आप बंद करने का काम न करें।

कानपुर से झांसी की डबल लाइन होनी है और उसका विद्युतीकरण होना है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश दक्षिण से नहीं जुड़ पा रहा है। मेरा आप से अनुरोध है कि कानपुर से झांसी को डबल लाइन में परिवर्तित करिये और उसका विद्युतीकरण कराइये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को संसद सदस्य के समान सुविधाएं रेलवे में उपलब्ध कराइये।

कानपुर में मैडीकल कालेज चौराहे पर, जी.टी.रोड़ आदि स्थानों के ऊपर मैंने कई बार आपको पत्र लिखा है और हमारे पूर्व मंत्री ने आश्वासन भी दिया था, परन्तु उसके ऊपर कहीं पर भी ओवरब्रिज नहीं बनाये जा रहे हैं, जबकि उसकी आबादी इस समय 40 लाख है और उसके ऊपर ओवरब्रिज के लिए घण्टों गाड़ियों की लाइन लगती है।

पनकी रेलवे स्टेशन कानपुर महानगर का उपनगर स्टेशन है, परन्तु उसके विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि पिछले रेल मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया था कि इसके प्लेटफार्मों को ऊंचा किया जायेगा। कानपुर देहात नया जनपद घोषित हुआ है और उस नये जनपद का मुख्यालय माटी है, जिसका निकटतम रेलवे स्टेशन रूरा है आजकल वह पूरे तीस लाख आबादी का नगर बना हुआ है। यहां पर किसी प्रकार की कोई मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के रोकने की व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां पर मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां रोकने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। पिछली मर्तबा भी मैंने लिखा है कि कानपुर से झांसी, कानपुर से इटावा, कानपुर से बांदा, कानपुर से इलाहाबाद इण्टर सिटी की व्यवस्था की जाय, क्योंकि कानपुर प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र है और रोजना यहां पर तमाम व्यापारी और नागरिक आते हैं, लेकिन उनके आवागमन की कोई भी सुविधा नहीं है। जो आपकी पैसेंजर ट्रेन चलती है, वह 4-4 घण्टे चलती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनमें इण्टर सिटी चलाई जाय और सबसे बड़ी व्यवस्था यह की जाय कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी आपकी पैसेंजर ट्रेनें

चल रही हैं, उनका समय 4-4 घण्टे लेट होता है, इसलिए आप इसकी समय-सारणी दुरूस्त करिये और समय पर रेल चलाने की व्यवस्था करिये।

केवल एक बात और कहकर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हुं। कानपुर महानगर और कानपुर देहात में बढ़ती आबादी और वहां के व्यापार को देखते हुए कानपुर को दक्षिण से यानि कानपुर से मद्रास, कानपुर से बैंगलौर, कानपुर से मुम्बई, कानपुर से हैदराबाद और कानपुर से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए मेल और एक्सप्रैस ट्रेन चलाने की व्यवस्था करिये।

11.20 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह : अध्यक्ष महोदय, अमृतसर से नांदेड़ के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने के लिए मैं सिख समुदाय की ओर से रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हु। अमृतसर और नांदेड़ सिख समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं और यह प्रत्येक सिख का कर्तव्य है कि वह इन दोनों स्थलों की यात्रा करें। यह एक ऐतिहासिक अवसर है कि कुछ ही दिन पहले इन दोनों शहरों को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया है और इसके लिए पूरा सिख समुदाय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी का बजट भाषण देश के खिलाड़ियों के लिए एक महाधिकार-पत्र के समान है। यह पहली बार है जब खिलाड़ियों को इतनी सारी रियायतें और लाभ प्रदान किए गए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उनको छोड़ दीजिए, अगर दूसरे बिल पास करने हैं तो।

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह : महोदय, मैं उन रियायतों के लिए रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनका प्रस्ताव उन्होंने खिलाड़ियों के लिए किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जितने आइटम्स सामने हैं उनको देखकर बोलें, अभी चार-पांच बजट पास करने हैं।

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह : महोदय, मैं केवल एक मिनट और लूंगा। पंजाब में दो ताप विद्युत संयंत्र हैं परन्तु कोयला और वैगन उपलब्ध न होने के कारण ये संयत्र कार्य नहीं कर रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप, गेहूँ और धान की फसल के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। इसलिए रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह मालगाड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि पंजाब में कोयला लाया जा सके और हमारे ताप विद्युत संयंत्र कार्य करना आरम्भ कर सकें अन्यथा राज्य को बहुत हानि होगी।

महोदय, मैं रेल मंत्री जी से अंतिम अनुरोध करना चाहूँगा कि दिल्ली से अमृतसर के बीच एक शताब्दी एक्सप्रैस चलाई जाए। इसके लिए बहुत माँग की जा रही है और यह जनता के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है विशेषकर, अनिवासी भारतीयों के लिए जो विदेशों से रात्रि उड़ान सेवा के द्वारा भारत आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें इन मदों से संबंधित विनियोग विधेयक पारित करने हैं। हमें उत्तर प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के लिए बजट पारित करने हैं। आपके सामने जो मद हैं आप उन पर ध्यान दीजिए, हमें इन सभी मदों पर विचार करना होगा।

श्री संत राम सिंगला (पटियाला) : अधयक्ष महोदय, मैं दो मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ।

श्री संत राम सिंगला : महोदय, मैं केवल दो मिनट तक बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलोगे तो मैं उन्हें भी बोलने की अनुमति दूँगा।

श्री शरत पटनायक (बोलनगीर) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल तीन सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा पहला सुझाव यह है कि बोलनगीर-खोरदा रेल लाइन के लिए और अधिक निधि आबंटित की जाए। इसके अलावा, रायपुर से कंटाबांजी जाने वाली डी.एम.यू रेलगाड़ी को टिटिलागढ़ तक बढ़ाया जाए। सम्बलपुर से रायपुर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाए जो बोलनगीर और टिटिलागढ़ से होकर जाए।

श्री संत राम सिंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल राज्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : इन सब औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। हम सब मंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं।

श्री संत राम सिंगला : महोदय, यह विषय मेरे चुनाव क्षेत्र से संबंधित है।

महोदय, पटियाला और जाखल के बीच बरास्ता समना व पटरन, एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए बजट में सर्वेक्षण का प्रावधान करके रेल राज्य मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र पटियाला की जनता की लम्बे समय से चली आ रही माँग को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जब से संसद सदस्य बना हूँ तभी से इस रेल लाइन को बिछाने की माँग करता आ रहा हूँ और मैंने रेल बजट पर बोलते हुए सभी संसद सत्रों के दौरान तथा रेलवे की परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भी इस मुद्दे को उठाया है। मुझे पूरी आशा है और मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए और इस रेल लाइन का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाए ताकि इस पिछड़े हुए क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जा सके और इसके औद्योगिकरण तथा आर्थिक विकास में सहायता मिल सके।

मैं रेल मंत्री का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने रायपुर-चंडीगढ रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू करा कर पंजाब की राजधानी को शेष राज्य से जोड़ दिया है जिसमें पंजाब के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है परन्तु चंडीगढ को लुधियाना से जोड़ने की जो मुख्य मांग है वह अभी पूरी होनी शेष है जिसके लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं।

मैं, पटियाला रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी मंत्रालय का आभार प्रकट करता हूं। मैं मांग करता हूं कि पटियाला व दिल्ली के बीच एक अंतरानगरीय एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई जाए।

श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) : महोदय, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप भी इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी कहिए।

[हिन्दी]

श्री मणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। सूरत-धुसावल सिंगल रेलवे लाइन है। इस लाइन पर 8-अप और 8-डाउन सुपर फास्ट गाड़ी चलती है और 4-अप और 4-डाउन गाड़ी चलती है तथा 9-10 मालगाड़ियाँ चलती हैं। इस लाइन के दोहरीकरण की मांग है। 16 फरवरी को माननीय रेल मंत्री महोदय आजादी के बाद पहले मंत्री हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अमलनेर-नरडाना के दोहरीकरण के सर्वेक्षण के काम की मंजूरी दी है। मैं मांग करता हूँ कि नरडाना-नंदूरबाट, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, 67 किलोमीटर है, इसके सर्वेक्षण की मांग करता हूं। मेरी मांग है, कुरला-मनमाड लाइन को धुलिया तक बढ़ाया जाए और इस गाड़ी का नाम खान्दिश एक्सप्रैस किया जाए और रेलवे स्टेशन के सुधार की मैं मांग करता हूं।

[अनुवाद]

डा. आर. मल्लू (नगर कुरनूल) : महोदय, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, नगर कुरनूल से होकर जाने वाली रायचुर-मार्चेर्ला के बीच एक नई रेल लाइन का निर्माण किया जाए जोकि काफी समय से लम्बित है।

[हिन्दी]

श्री बापू हरि चौरे (धुले) : अध्यक्ष महोदय, धुलिया-नरडाना तक रेल लाइन का सर्वेक्षण हो गया है। यह 37 किलोमीटर की रेल लाइन है। मेरी मांग है कि उसका बजट में प्रावधान किया जाए। दूसरी मांग है, शिरपुर से अहमदाबाद एक्सप्रैस चलती है, इस गाड़ी का नरडाना में स्टाप दिया जाए। इसके अलावा कुरला से मनमाड जो नई रेल लाइन बनाई है, उसको धुलिया तक बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : महोदय, 1994-95 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि दक्षिण-पश्चिम जोन कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री इस संबंध में अपना उत्तर दें।

डॉ. (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम) : महोदय, भूतपूर्व रेल मंत्री महोदय ने त्रिचि से कारक्काल बरास्ता तंचाऊर, गिरूवारूर एवं नगर, तक बड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए स्वीकृति दी थी। परन्तु इस कार्य में विलम्ब हो रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह कार्य शीघ्र किया जाएगा या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नोत्तर सत्र नहीं है। आप यह कहें कि मंत्री महोदय इस कार्य को शीघ्र कराएं।

डॉ. श्रीमती पद्मा : महोदय, मैं चाहती हूँ कि माननीय मंत्री संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दें कि इस कार्य को तुरन्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। आप उन सभी सुझावों को स्वीकार कर लें जिन पर शीघ्र कार्रवाई की जा सकती है।

श्री सुरेश कलमाडी : मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों के लिए उनका आभारी हूँ। पिछले छह महीनों के दौरान जब से मैं माननीय प्रधानमंत्री के अधीन रेल राज्य मंत्री रहा हूँ, मैंने पूरे देश का दौरा करने तथा लोगों की समस्याओं को समझने की पुरी कोशिश की है। मैंने सीमित संसाधनों से ही अधिकतम कार्य करने का प्रयास किया है।

हमने प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में चलाए गए उदारीकरण कार्यक्रम के साथ बड़ी रेल लाइन बिछाने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि बड़ी रेल लाइन के कार्यक्रम के माध्यम से उदारीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है।

संयोग की बात है कि परसों नान्दयाल में जो कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, हमने 5,000 किलोमीटर बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य किया है जो कि आज तक का रिकार्ड है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से श्री नरसिंह राव के प्रधानमंत्री बनने तक केवल 3000 किलोमीटर तक ही बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया जा सका था परन्तु पिछले साढ़े तीन वर्षों में बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य गुवाहाटी में 1992 में आरम्भ किया गया था। गुवाहटी से नान्दयाल तक हमने 5,000 किलोमीटर लम्बी बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया है जिसका अधिकांश भाग ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में पड़ता है। अगलेदिन हम मराठवाड़ा के सबसे अधिक पिछड़े हुए जिले बीद में गए। बीद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रीमती क्षीरसागर करती है। हमें योजना आयोग की स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। बहुत से लोगों का कहना था कि लाभ की दर सही नहीं थी और कोई रेलवे लाइन न होने के कारण बीद में कोई भी उद्योग नहीं लगाया जा रहा था। चूंकि बीद में कोई भी उद्योग नहीं था इसलिए हम वहां रेल लाइन बिछाने के लिए तैयार नहीं थे। परन्तु माननीय प्रधानमंत्री ने कहा "नहीं, हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें देश के पिछड़े इलाकों में बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य करना होगा।" उदारीकरण के फलस्वरूप देश में बड़े, पैमाने पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। हमारी पार्टी की सरकार

बनने से ठीक पहले हम साप्ताहिक आधार पर सोना बेच रहे थें आज उसी खजाने में हमारे पास 60,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मौजूद है। यह धन बम्बई दिल्ली, कलकत्ता, या मद्रास नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसे देश भर में निवेश किया जाना चाहिए। यह बड़ी लाईन के माध्यम से किया जा सकता है और प्रधानमंत्री जी ने पिछले चार वर्षों में यही किया भी है। इसलिए, आज देश के युवक इस बातके प्रति आशा हैं कि उनके क्षेत्र में बड़ी लाईन बिछा दी जाएगी, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कार्य किया गया है। उदारीकरण का ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रभाव पड़ा है। और पिछड़े क्षेत्रों में इसका अच्छा खासा असर पड़ा है। उड़ीसा का काफी विकास हो रहा है। जैसा कि आपने कहा है कि इस वर्ष के बजट में जितनी लाईने बिछा दीजिएगा उनमें से एक-तिहाई उड़ीसा में बिछा दी जाएगी।

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : इस उद्देश्य के लिए उड़ीसा एक अलग जोन होगा।

श्री सुरेश कलमाडी : कर्नाटक और राजस्थान में 20 प्रतिशत बड़ी लाईने बिछाई जा रही है। प्रथम कार्य योजना के अंत में, यह 90 प्रतिशत तक हो जाएगा। यह एक तरह से क्रांति ही है। उड़ीसा में, जैसा कि आपने कहा, हमने राजगढ़-कोरापुट लाईन को पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने उस लाईन का उद्घाटन किया है। यह काफी समय से लम्बित रहा है। पिछले तीन वर्षों में बहुत धन लगाया गया है। हम कालाहण्डी के पिछड़े जिले में गये थे। हमने लंगीगढ़ जूनागढ़ लाईन कार्य शुरू किया, भवानी पट्नम रेलवे स्टेशन पर भी कार्य शुरू हुआ है। श्री रवि राय ने बोल्नगीर लाईन की चर्चा की है। उसके लिए, एक सप्ताह में आधार शिला रखी जाएगी। रुफसा-बंगरीपोसी लाईन को योजना आयोग ने मंजूरी दे है। दैतरी-बासपानी के संदर्भ में, हम कुछ विदेशी बैंकों के साथ वार्ता कर रहे हैं। वे इसमें रूचि ले रहे हैं। निजी क्षेत्र की भी इस कार्य को करने में दिलचस्पी है इसलिए, उड़ीसा में कार्य चल रहा है।

अब मैं बिहार के मेरे मित्र श्री फातमी जी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा जब आप दरभंगा में थे तो मैं वहां आया था और मुख्यमंत्री भी वहां उपस्थित थे और हमने उस वायदे को पूरा किया जो हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को दिया था कि दरभंगा-समस्तीपुर लाईन जनवरी के अंत तक पूरी हो जाएगी। श्री भोगेन्द्र झा यहां उपस्थित नहीं हैं। जैसाकि मैंने कहा है, दरभंगा से रक्सौल नरकटियागंज मार्ग के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण करने हेतु मंजूरी दे दी गई है। दरभंगा से निरयाली, दरभंगा से लोक बाजार दरभंगा से निरमली, दरभंगा से लोक बाजार, दरभंगा से जयनगर के लिए भी सर्वेक्षण हेतु मंजूरी दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। और हम बिहार के इस हिस्से को विकसित करने के प्रति काफी गंभीर है। आप पहले से ही अवगत हैं कि मुज्जफ्फरपुर-रक्सौल लाईन तैयार है। यह कुछ समय पहले तैयार हो गयी थीं लेकिन औपाचारिक उद्घाटन 17 मार्च को होगा जब नेपाल के विदेश मंत्री भी इस पुनीत अवसर पर मौजूद होंगे। बिहार में काफी विद्युतीकरण किया जा रहा हैं आगरा-सासाराम पर सर्वेक्षण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। दूसरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राय जी ने पिछडे क्षेत्र के विषय में चर्चा की थी, यह सीतापुर बहराईच मार्ग है। मुझे आपको कहने में खुशी हो रही है कि सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और हमने योजना आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है।

यह बहुत बड़ा और दूरदेशी से उठाया गया कदम है। मुझे यकीन है कि आप इस बात पर प्रसन्न है।

एक माननीय सदस्य ने श्रीनगर के विषय में चर्चा की थी।मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि जम्मू उधमपुर लाईन पर कार्य तीव्र गति से चल रहा है और अगले वर्ष के अंत तक इसे तैयार हो जाना चाहिए।

आने वाले वर्षों में, हम उधमपुर से कटरा तक कार्य शुरू कर रहे हैं। लेकिन यह लाईन वैष्णोदेवी तक जाएगी। हमने पूरी प्राथमिकता के आ ार पर इस लाइन का कार्य शुरू किया है। यह वैष्णोदेवी तक जाएगी। प्रधानमंत्री जी इसमें काफी दिलचस्पी रख रहे हैं। बैठके हुई थी। हम श्रीनगर की तरफ से भी कार्य शुरू करने जा रहे है उसके लिए बारामूला से श्रीनगर और काटरा-गूंठ की तरफ सर्वेक्षण चल रहा है। श्रीनगर रेलवे स्टेशन के लिए जगह का नक्शा बना लिया गया है। हमें इसमें बहुत ही दिलचस्पी हैं क्यों कि इससे राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में और भी तेजी आयेगी।

इसलिए, हम इन चार राज्यों पर विशेष ध्यान देते रहे हैं। हम पिछड़े क्षेत्र की ओर ध्यान दे रहे हैं ताकि वहां लाईन बिछाई जा सके। इससे पिछड़े क्षेत्र की खनीज सम्पदा का दोहन हो सकेगा और बहुत से उद्योग वहां खुल सकेंगे।

कलकत्ता मेट्रो एक ऐसी परियोजना थी जो 22 वर्ष तक तैयार नहीं हुई और मुझे कहते हुए काफी खुशी होती है कि हमने एक महीने पहले ही इसका उद्घाटन किया है और पिछले चार वर्षों में अधिकांश कार्य किया गया है। कलकत्ता मेट्रो के लिए पिछले चार वर्षों में 1,500 करोड़ रुपये के बजट में से, 750 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वर्तमान सरकार कलकत्ता मेट्रो को पूरा करने में तेजी लाई है।

मद्रास मेट्रो भी अपने अंतिम चरण में हैं जमीन की समस्या है। एक बार हमें जमीन प्राप्त हो जाती है तो मद्रास में अंतिम 10 प्रतिशत कार्य पूरा किया जाएगा।

कोंकण रेलवे का कार्य लगभग पूरा हो गया इसमें दो महीने का समय लगेगा सभी 169 परियोजनाए तैयार हैं। 82 कि.मी की सुरंग में से 81 कि.मी सुरंग का कार्य हो गया है। 600 कि.मी. भी तैयार है। कोंकण रेलवे पर भी बहुत कार्य हो चुका है।

मैं मुम्बई का उल्लेख करना चाहूँगा जिसके विषय में श्रीराम कापसे और श्री राम नाईक संसद में वर्षों से चर्चा करते रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा और आप इस बात पर भी होंगे कि पहली बार वर्ष 1995-96 में मुम्बई के लिए एक बड़ी राशि मंजूर की गयी। इस वर्ष मुम्बई के

लिए 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है। जबकि पिछले वर्ष सिर्फ 100 करोड़ रुपये ही मंजूर किए गये थे। आपने कहा कि धन नहीं आया है। अन्य मित्रों ने भी यही उल्लेख किया कि पहले सिर्फ 1 करोड़ या 2 करोड़ की मंजूरी दी गयी थी। पहले वर्ष में, हमेशा एक करोड़ या 2 करोड़ की मंजूरी दी जाती है। दूसरे वर्ष में इसमें तेजी आती है। और तीसरे वर्ष में आपको पता चलता हैं। आप रेलवे संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं। कार्य पूरी तरह शुरू हो जाता है। आपने कूरदा-ठाणे लाईन और देवा-वरसी लाईन को अनुपूरक बजट में शामिल किया है। आप कहते हैं कि आपका कार्य शुरू नहीं हुआ। लेकिन अन्य बहुत से कार्य शुरू हुए हैं। योजना और निविदा सुचनाएं भी शुरू हो चुकी हैं।

आपने देवा-वरसाई की चर्चाकी है जो आपका चुनाव क्षेत्र है, यदि मैं गलत हूं तो आपने कई बार कहा है कि हमें आधार शिला रखनी चाहिए। आपने आधारशिला समारोह में भाग लिया था। यदि आप महसूस करते हैं कि इसे सीसीए द्वारा मंजूरी नहीं दी गयी है तो आप आधारशिला के लिए कैसे आए। कैसे तैयार हो गये? आप काफी जानकार हैं मैं साफ-साफ बोल दूं कि देवा वरसी लाईन पर सर्वेक्षण हो रहा है। आपको पता है कि किस प्रकार लाईन का सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण के बाद, यह सब रेल मंत्रालय में आता है। और तब यह योजना आयोग में जाता है और फिर यह योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त करता है। यह विस्तारित बोर्ड के पास जाता है। इसलिए, सभी प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। और अंतिम चरण में यह सीसीए के पास जाता है। सीसीए 15-20 दिनों से ज्यादा का समय नहीं लेता है। लेकिन बजट में योजना संबंधी सभी प्रावधान किए गये हैं। मैं इस समय कहना चाहूँगा कि एक भी ऐसी परियोजना नहीं है जिसकी मैंने आधारशिला रखी हो और जो रेलवे बजट में शामिल नहीं हो मैं पूरी गंभरता के साथ यह कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से काफी अधिक कार्यके लिए मंजूरी दे दी गयी है। काफी अधिक पैसा बम्बई आ चुका है। मैंने आपको कहा था कि बम्बई के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि कई आधार-शिलाएं रखी गई हैं। आपको बहुत से विज्ञापन भी मिलेंगे। विज्ञापन कोई नई बात नहीं है। किसी की आधारशिला रखने संबंधी समारोह या कार्य पूर्ण हो जाने पर विज्ञापन देना भारतीय रेलवे परंपरा रही है। हमेशा विज्ञापन दिया जाता है। काफी कार्य किया गया है। लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह कोई नयी बात नहीं है। यह महाराष्ट्र सरकार जैसी बात भी है जिसने चुनाव वर्ष के दौरान कई चीजों का विज्ञापन दिया। मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। नहीं यह वैसी बात है हमने जो कुछ भी किया है, लेकिन एक बजटीय प्रावधान होता है और हमने इसके विषय में विचार भी किया है। मैं इसके विषय में साफ-साफ कहना चाहूँगा।

श्री कापसे ने ठाणे की चर्चा की है। आप वहां समारोह में उपस्थित थे। श्रीमती गोपालन यदि आपको किसी समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है तो मुझे उसके लिए खेद हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आप उस क्षेत्र की सांसद है। लेकिन मैंने हमेशा एक बात देखी है कि भारत में जहां कहीं भी मैं गया हूँ मैंने वहां देखा है कि विपक्षी सांसद को भी आमंत्रित किया जाता है। वास्तव में, ठाणे कुरला लाईन के लिए, जब आपने झिंडकी तो मैं ठाणे आया था। मैं गुरुदास कामत के चुनाव क्षेत्र में आधारशिला रख सकता था इसलिए कि यह उनका चुनाव क्षेत्र है। मैंने उनके चुनाव क्षेत्र में आधारशिला नहीं रखी। मैंने आपके चुनाव क्षेत्र में आधारशिला रखी क्योंकि मेरा पहले सही ही वहां का कार्यक्रम था।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र : आपका कहना गलत है। कानपुर में आपने मुझे नहीं बुलाया।

श्री सुरेश कलमाडी : गलती हो गई हम ऐसा नहीं चाहते थे। राम नाईक साहब इस बात को जानते हैं। प्रमोद महाजन हों या सतीश प्रधान हों या मेयर आफ थाणे हों, एक जगह भी ऐसी नहीं है जहां ओपोजिशन एम.पीज. को न बुलाया हो। हमने उन्हें हमेशा बुलाया। हमने मुख्यमंत्री को तीन बार बुलाया और बिहार के मुख्यमंत्री को भी बुलाया। हर जगह हर मैम्बर को बुलाया है। भूल हो जाती है। आपने कहा कि थाणे में काम शुरू नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है। वहां प्लेटफार्म का काम शुरू हो गया है, शैड का काम शुरू हो गया है। इसके लिए 2.9 करोड़ रुपये सैंक्शन्ड हैं। आपने कहा कि मुम्बई म्यूनिसिपल कारपोरेशन को प्लान सबमिट नहीं किया।

[अनुवाद]

भारतीय रेलवे किसी निगम को कोई योजना प्रस्तुत नहीं करेगा क्योंकि ये यात्री सुविधाओं है। रेलवे अधिनियम के अंतर्गत, यात्री सुविधाओं के लिए, हमें इसे नगरपालिका निगम को भेजने की जरूरत नहीं है। इसलिए, यदि आप इसकी तलाश नगरपालिका निगम में करते हैं तो, मुझे खेद है कि यह वहां नहीं होगी लेकिन हम किसी सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते। मैंने अपने महाप्रबंधक को कहा है कि जो भी प्रस्ताव आता है वह उस पर कार्य शुरू करें। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने उन्हें कहा है कि वे आयें और दिखायें कि कौन सी योजना उनके पास है। हमें इसे दिखाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। इसलिए हम इसे कोई मुद्दा नहीं बनाते हैं।

बजट के विषय में भी, मैंने अभी कहा है कि सिर्फ 1500 करोड़ रुपये दिए गये हैं। जैसा कि आपने ठीक ही कहा है कि यह बाजार की सब्जियों की तरह नहीं हैं। कि जब चाहे शेल्फ से निकाल लें। मैं कहना चाहूँगा कि वर्ष 1995-96 में, अधिकतम राशि बम्बई को दी गयी है। मार्च तक 270 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे बम्बई को सबसे अधिक दिया गया है। लगभग दो गुना। इसलिए हमने सच्चा प्रयास किया है। आप बम्बई मेट्रो के संबंध में विभिन्न वक्तव्य सुनते रहते हैं। हमने कलकत्ता में यह कार्य समाप्त कर लिया है। हम लोग मद्रास परियोजना को अंतिम रूप दे रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : आपने कलकत्ता में प्रथम चरण को पूरा नहीं किया है।...(व्यवधान)

श्री सुरेश कलमाडी : हमने कलकत्ता में गाडिया की तरफ से पहले ही सर्वेक्षण कर लिया है। इस समय, हम बैरकपुर की तरफ सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसलिए वह सर्वेक्षण चल रहा है। और हम इसे जारी रखेंगे। मैं कुमारी ममता बनर्जी को कहना चाहूँगा कि हम लोग उस परियोजना को जारी रखने जा रहे हैं। मैं वहां आ रहा हूं। लेकिन सर्वेक्षण चल रहा है। हम दूसरे चरण के लिए भी सर्वेक्षण करना चाहते हैं। मैं इसकी चर्चा इस वर्ष करना चाहूँगा।

अब मैं बम्बई मेट्रो की चर्चा करना चाहूँगा। बम्बई एक समस्या है। मैंने आपको बजट सत्र के पहले दिन ही कहा था कि आज देश की आधी से ज्यादा आबादी प्रतिदिन बम्बई रेलवे से यात्रा करती है। देश में 120 लाख लोगों में से 55-60 लाख लोग बम्बई की उपनगरीय रेल प्रणाली से यात्रा कर रहे हैं। यदि आप आज इसकी स्थिति देखें तो वास्तव में यह बहुत ही दुखद है। जिस ट्रेन की 2000 लोगों को ढ़ोने की क्षमता है वह 5000 लोगों को ढोती है। लोग वस्सी-विरार से प्रात:काल ही यात्रा शुरू करते हैं और अपने कार्य करने की जगह प्रात: 9-10 बजते-बजते पहुंच जाते हैं। और वे वापस 11 बजे रात को घर आते हैं। हम उनकी परेशानी से अवगत हैं यही कारण है कि हमारी सरकार बम्बई के लिए जितना कर सकती है कर रही है। अब दो अन्य परियोजनाएं पूरी हैं। हम बम्बई के प्रति गंभीर हैं। यहां एक पुरानी योजना है। हमने ऐसा नया कुछ भी नहीं किया है। नि:संदेह हमने इसमें सुधार किया है। छह महीने पहले किये सर्वेक्षण के बाद भी राइटस (आरआईटीईएस) द्वारा इसे बजट में शामिल नहीं किया गया। यह सर्वेक्षण छह महीने पहले आरआईटीईएस यह तय करने के लिए किया गया था कि क्या इसे भूमिगत होना चाहिए या इसे पटरी पर चलना चाहिए या भूतल पर अंतिम रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बाद निर्णय लिया गया है कि प्रोद्यौगिकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाए। यह ऐसी कोई चीज नहीं है जो हवा से पैदा हो गयी है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगले पांच वर्षों के लिए हमारे पास जो भी योजनाएं है उन्हें शुरू करना है। यह किया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे थे कि कलकत्ता मेट्रो ने 20 वर्ष लिये अब एक नयी प्रौद्योगिकी आयी है। बम्बई के मामले में थोड़ी कठिनाई है।अब सुरंग खोदने की नई पद्धति इजार कर ली गयी है। और इसे पांच वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। वाणिज्यिक शोधण के विषय में, मैं जानना चाहूँगा कि धन कहां से आता है। यह आता जा रहा हैं यह अंतिम चरण है। यह मंत्री के समक्ष है। 1,000 करोड़ रुपये का बांद्रा कर और 800 करोड़ रुपये का कुरला स्टेशन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के पास विचाराधीन है और यह अंतिम चरण में है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : क्या इसे चुनाव के पहले मंजूरी दी जाएगी?

श्री सुरेश कलमाडी : यह अंतिम चरण हैं। यह मंत्रिमण्डल के समक्ष है और इसे अंतिम रूप दिया ही जाने वाला है।

श्री राम कापसे : हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले यह बात साफ हो जाये।

श्री सुरेश कलमाडी : मैं इस तर्क में नहीं जाना चाहता कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद।मैं आशा करता हूँ कि यह चुनाव से पहले हो जायेगा। हमने इस बारे में शहरी विकास मंत्रालय, से बातचीत की है और यह मंत्रालय इस संबंध में नियम बना रहा है। मैं सब बातें लगभग अंतिम चरण में हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बंम्बई के लिए धन उपलब्ध हो जायेगा। आप सब पहले से ही जानते हैं कि यह कार्य भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है। जिसमें दो-तिहाई भाग राज्य सरकार द्वारा तथा शेष भाग भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह फार्मुला पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। मेरे विचार से निकट भविष्य में बम्बई के बारे में कोई खास समस्या नहीं है, हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं।

जहां तक स्वच्छता अभियान का संबंध है मुझे श्री वसुदेव आचार्य के सुझाव स्वीकार्य हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पहले ही रेलगाड़ियों में 300 चल सफाई, कामगारों को नियुक्त किया है अर्थात 300 रेलगाड़ियों में ऐसा किया जा चुका है। 2000 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जा चुके हैं। हमने रेलगाड़ियों को धोने के लिए आधुनिक हाई-जेट उपकरण खरीदे हैं। इस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लगभग 4000 शोचालयों की मरम्मत की गयी है और अभी भी की जा रही है। कई और भी कार्य किये जा रहे हैं तथा किये जाने बाकी हैं। हम इस विषय में जागृत हैं और ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। पिछले तीन महीनों में 6000 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया गया है। हम एक दिशा-विशेष में जा रहे हैं बहुत से आकस्मिक निरीक्षण किये गये है और इसमें हमें काफी सफलता मिली है स्वच्छता के निरीक्षण हेतु मैं स्वयं 50 रेलवे स्टेशनों पर गया हूँ। उसमें सुधार है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि श्री राम कापसे कैसे कह रहे हैं। कि इसमें कोई सुधार नहीं है। यह एक न्यूनोक्ति है। मैं इस विषय में और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन इसमें सुधार अवश्य हुआ है।

सदस्यों ने सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा है।जैसा कि श्री रवि राय जी ने अभी कहा, मैं बताना चाहूँगा कि हमने सुरक्षा संबंधी बहुत से कदम उठाये हैं, विशेषकर फिरोजाबाद दुर्घटना के बाद। हमने दो मुख्य रेलमार्गों और बड़े रेलवे स्टेशनों पर ट्रैक-सर्किटिंग प्रारंभ की है जिसकी दिसम्बर 1996 तक तैयार हो जाने की संभावना थी। हम इसे मार्च 1996 तक पूरा कर देंगे। सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। और भी बहुत से कदम उठाये गये हैं। 80 प्रतिशत दुर्घटनायें मानवीय गलतियों के कारण होती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमने लापरवाही के लिये जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं है। जहां कहीं भी रेल दुर्घटना हुई है कोई-न-कोई व्यक्ति अवश्य निलंबित किया गया है। किसी को भी नहीं बख्शा गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी

हो रही है कि दुर्घटना की दर कुछ कम हुई है। पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में यह 25 प्रतिशत है। लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। हमें इससे संतोष नहीं करना चाहिये, बल्कि हमें और आगे बढ़ना है। लेकिन रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनायें अभी भी समस्या बनी हुई है। हमने बी.इ.एल के साथ मिल कर विभिन्न प्रकार के ध्वनिसूचक, ध्वनि एवं प्रकाशसूचक विद्युत यंत्रों का निर्माण किया है। और मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में हम इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ कर देंगे।

वित्त के संबंध में, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सी बोल्ट स्कीमें प्रारंभ की गई है। जो कि पहले शुरू नहीं की गई थी। इन पर पांच वर्षों के लिए करों में छूट दिये जाने के लिए मैं वित्तमंत्री जी का आभारी हूँ। इसके परिणामस्वरूप हमें अब तक 650 करोड़ रुपये की 'बोल्ट' स्कीमें प्राप्त हो चुकी हैं। जिन्हें स्वीकृति दे दी गई हैं। इसके साथ ही 1500 करोड़ रुपये की ओर योजनायें भी हैं जो अभी प्रारंभ की जानी हैं। इस प्रकार आमान-परिवर्तन का अधिकतर कार्य अब निजी क्षेत्रों को मिलेगा क्योंकि लोगों ने इस क्षेत्र में आना शुरू कर दिया है। यहां तक कि बोरीविल्ली-विरार लाईन के लिये भी लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है। मुझे आशा है कि हम इसे 'बोल्ट' स्कीम के अंतर्गत प्रारंभ कर पायेंगे। मैंने पहले ही बताया है कि हमने रेलगाड़ियों और सवारी डिब्बों का आधुनिकीकरण किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपको पहले से बेहतर, सुरक्षित और स्वच्छ रेल यात्रा सुविधा दिला पाने में समर्थ हो पायेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : कलमाडी जी आपने बांकुरा-दामोदर घाटी रेल सेवा फिर से शुरू करने के बारे में कुछ नहीं कहा...(व्यवधान)

श्रीमती सुशीलता गोपालन : आपने मंगलौर रेलवे लाईन के बारे में कुछ नहीं कहा (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : बिहार का जोन छूट गया है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : जो कटौती प्रस्ताव दिये गये है, उनके बारे में यदि वे सहमतहैं कि आठ दिनों के भीतर इसका उत्तर भेज दिया जाएगा। तो वह.....

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतया ऐसा ही किया जाता है और मैं समझता हूँ कि वे ऐसा ही करेंगे कि। प्रत्येक कटौती प्रस्ताव का लिखित उत्तर भेजा जाता है। वे भी ऐसा ही कर रहे होंगे।

श्री राम नाईक : ठीक है, श्रीमान।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों ने अनुदान मांगो पर कितने कटौती प्रस्ताव दिये है

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबकी रिक्वेस्ट के बारे में वह नहीं बोल सकते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : पटना जोनल आफिस के बारे में उन्होंने बजट में प्रावधान रखा है और गंगा ब्रिज के बारे में कुछ नहीं कहा है।...(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : मंत्री जी से कहा जाए कि आप पटना लाईन के बारे में बोलें। पटना-गया लाईन के दोहरीकरण के बारे में बोलिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल पूछने के लिए होता है आप प्रश्न पूछ सकते हैं प्रश्नकाल में। प्रश्न काल में भाषण देते हैं और भाषण के समय प्रश्न पूछते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, आपका प्रश्न शोराण्पुर-मंगलौर रेल लाईन के बारे में है कि क्या इसे कोंकण रेलवे को दिया जा सकता है।

श्री सुशीलता गोपालन : जी हां।

श्री सुरेश कलमाडी : हमने 'बोल्ट' (बी.ओ.एल.टी.) योजना के अंतर्गत इसको विज्ञापित किया है। हमने कहा है कि यह उदारीकरण नीति के अंतर्गत कोंकण रेलवे भी इसमें भाग ले सकता है। एक सरकारी कंपनी होते हुए भी 'इकान' अथवा कोंकण कारपोरेशन को निविदा प्रस्ताव भेजने चाहिये क्योंकि हम रेलवे के लिये कम से कम लागत वाले प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। इसका दूसरा कारण यह है कि हम अभी कोंकण रेलवे के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि इस निगम को वर्तमान परियोजना पूरी करनी है। उनके पास धन की कमी है। हमने उनकी वर्तमान परियोजना के लिये और धनराशि दी है। यदि हम इसे कोंकण रेलवे को देते हैं तो हमारे सामने फिर से धन की समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वे रेल पटरी को गिरवी रखना चाहते हैं और इसमें ढेर सारी कानूनी अड़चने आयेगी। हमने विस्तार से इसका अध्ययन किया है। हम इसे कोंकण रेलवे को देना ही पंसद करते पर उनको 'बोल्ट' योजना के अंतर्गत आवेदन तो करने दीजिए। यदि उनका प्रस्ताव सही रहा तो हम इसकी समीक्षा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : 1996-97 के लिये लेखानुदानों की मांगो (रेल)

पर सदस्यों द्वारा कई कटौती प्रस्ताव दिये गये है। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिये रखूं या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को अलग से रखवाना चाहता है?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं 1996-97 के लिये लेखानुदानों की मांगों (रेल) को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 1-16 के संबंध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक सबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी मांग संख्या 1 से 4, 7 से 9, 11 से 14 और 16 के संबंध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिये कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

00.00 मध्य रात्रि (12.3.96)

अध्यक्ष महोदय : अभी अतिरिक्त मांगों को भी पास किया जाना है। अब मैं 1993-94 के लिये अतिरिक्त अनुदान मांगों (रेलवे) को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 6, 8, 9, 11, 12 और 16 के संबंध में 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

00.01 म.पू.

(12 मार्च, 1996/22फाल्गुन, 1917 (शक)

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक 1996*

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : महोदय मैं वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक मांग की सेवाओ के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय धनराशि निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक की पुन:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय, विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

श्री सुरेश कलमाडी : मैं प्रस्ताव करता हूं**

"कि रेलो के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिऐ भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1996-97के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर लिए विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2 दिनांक 12-3-96 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित और प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खण्ड।, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

00.02 म.पू.

विनियोग (रेल)संख्यांक 2 विधेयक,* 1996

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री सुरेश कलमाडी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं**

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :-

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियिमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक जोड दिये गये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

00.03 बजे म.पू.

विनियोग (रेल) विधेयक,* 1996

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करनेका उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड 2, दिनांक 12.3.96 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 2, दिनांक 12.3.96 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिकहैं,को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृतकरनेका उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश कलमाडी : मैं विधेयक** को पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूँ :-

"कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराश जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए प्रदत्त राशियों से अधिक हैं, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय प्रस्तुत और वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई धनराशि जो उन सेवाओं तथा उस वर्ष के लिए है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशि के विनियोग को प्राधिकृत करनेका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक दर खण्डदार विचार करेगा। प्रश्न यह है :-

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जाड़े दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि अनुसूची, खण्ड1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित और प्रस्तुत।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है -

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

00.04 म.पू.

उत्तर प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी रखने की स्वीकृति के बारे में सांविधिक संकल्प

उत्तर प्रदेश बजट-1996;

लेखानुदानों की मांगे(उत्तर प्रदेश)-1996-97

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (उत्तर प्रदेश) 1995-96

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : श्री एस.बी. चौहान की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 अक्तूबर, 1995 को जारी की गई उद्घोषणा को 18 अप्रैल, 1996 से और छह महीनें की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसा कि सदन को पता है कि राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 18 अक्तूबर 1995 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु एक उद्घोषणा जारी की थी। यह उद्घोषणा पिछले सत्र के दौरान दौनों सदनों द्वारा स्वीकृत की गई थी।

उक्त संकल्प इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि संविधान के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि पश्चात अर्थात 17 अप्रैल, 1995 को समाप्त हो जाएगा।

हमने यह निश्चित करने के लिए कि क्या उत्तर प्रदेश में 17 अप्रैल, 1996 तक विधिवत निर्वाचित सरकार की प्रक्रिया संभव है, राज्यपाल के साथ परामर्श करके राज्य में विद्यमान परिस्थिति का सावधानी पूर्वक और गहन आकलन किया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में इस आधार पर राज्य में अगले छः महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की सिफारिश की है कि उक्त अवधि चुनाव के अनुकूल नहीं है क्योंकि उस समय पूरे राज्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी जिसमें 25 से 30 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। इसके अतिरिक्त उसी समय आल इंडिया सेकंडरी बोर्ड और समकक्ष अन्य परीक्षाएं भी होंगी। इसलिए इस अवधि के दौरान चुनाव कराने से लगभग एक करोड़ छात्रों का अध्यापन परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित होगा। राज्यपाल ने जो कहा है उसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा के कारण चुनाव से संबोधित

इकाइयों के लिए अध्यापकों। पुलिस बलों की अनुपलब्धता के अलावा चुनाव के लिए स्कूल/कालेज भवनों की उपलब्धता के बारे में भी समस्या हो सकती है।

दूसरे राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रश्न का मामला सदन में और कुछ समाचार पत्रों में उठाया गया है। स्मरणीय है कि इस सरकार ने अक्तूबर, 1995 में बड़ी अनिच्छा से उत्तर प्रदेश विधान सभा भंग किए जाने की सिफारिश की थी जब हमें विश्वास हो गया था। कि राज्य में कोई भी दल बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। सरकार वहां शीघ्रातिशीघ्र पुन: एक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए वचनबद्ध है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम निश्चित करते समय हमें अन्य अनेक बातों पर भी विचार करना होगा।

काफी समय से यह महसूस किया गया है कि उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक अर्ध सैनिक बलों की आवश्यकता होती है और इन राज्यों में स्थानीय मुद्दे अपेक्षाकृत अधिक तनाव पैदा करते हैं और चुनाव के दौरान समाज के तबके के लोग न केवल हर तरफ से असुरक्षा महसूस करते हैं बल्कि अपने मताधिकार का भी हमेशा प्रयोग नहीं कर पाते। चुनाव के दौरान ऐसे राज्यों पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्यों को भी भलीभांति पता है कि 1993 के चुनावों के बाद अस्थायी सरकारों के कारण उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब तबके के लोग और प्रशासन बुरी तरह प्रभावित हुए थे। राष्ट्रपति शासन से गरीब तबकों को थोड़ी राहत मिली है और अब प्रशासन धीरे धीरे चुनाव कराने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो रहा है। प्रशासन को जिनता विश्वास और स्थायित्व प्राप्त हुआ है उसका स्थानीय मुद्दों पर तनाव पैदा करने के संदर्भ में मूल्यांकन करना होगा। असामाजिक तत्व, साम्प्रदायिक और जातिवादी ताकतें जो पिछले चुनाव के बाद राज्य में फलती, फूलती रही हैं उन्हें और और प्रभावी ढंग से कुचलना होगा जिससे कि राज्य के लोग विशेषरूप से गरीब तबके के लोग से कठिनाइयों और सदमों का शिकार फिर होने पाएं जिनसे वे उबरने लगे थे। इसलिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से सरकार को उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय शासन की बहाली के समय-निर्धारण हेतु पर्याप्त समय मिल जाएगा।

मेरे द्वारा संक्षेप में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव किया जाता है। कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि 18 अप्रैल 1996 से और 6 महीनें के लिए बढ़ाई जाय।

मैं प्रस्तुत किए गए संकल्प पर इस माननीय सदनकी स्वीकृति चाहता हूं जो राज्य सभा द्वारा 1 मार्च, 1996 को स्वीकृत हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 अक्तूबर, 1995 को जारी की गई उद्घोषणा को 18 अप्रैल, 1996 से और छ: महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

. प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 28, 30 से 82 और 84 से 95 के सामने दिखाए गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए अथवा के संबंध में कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखान संबंधी राशियों से अनाधिक राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचितनिधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जाये।"

1996-97 के संबंध में लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई लेखानुदान संबंधी मांगे (उत्तर प्रदेश)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	आबकारी विभाग	7,48,79,000	...
2.	आवास विभाग	8,95,62,000	15,06,25,000
3.	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	29,42,000	7,50,000
4.	उद्योग विभाग (खाने और खनिज)	2,82,11,000	...
5.	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	24,69,56,000	1,57,93,000
6.	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	16,06,68,000	1,10,06,000
7.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2,17,51,000	5,00,02,000
8.	उद्योग विभाग (लेखन और मुद्रण)	19,69,23,000	...
9.	ऊर्जा विभाग	1,63,74,000	498,54,86,000
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	23,58,31,000	1,89,51,000

1	2	3	4
11.	कृषि तथा अनय संबद्ध विभाग (कृषि)	171,91,64,000	56,07,12,000
12.	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	22,30,02,000	25,00,000
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	351,25,05,000	12,80,96,000
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	144,23,95,000	5,50,000
15.	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग(पशुधन)	60,38,74,000	12,76,000
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	5,14,93,000	3,60,47,000
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्सय)	7,96,62,000	50,000
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	12,40,68,000	290,92,56,000
19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	1,68,82,000	...
20.	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	58,40,000	...
21.	खाद्य तथा रसद विभाग	41,60,25,000	935,41,00,000
22.	खेल विभाग	4,99,38,000	1,31,63,000
23.	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	22,61,09,000	...
24.	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	17,19,08,000	3,37,50,000
25.	गृह विभाग (कारागार)	32,77,66,000	2,41,82,000
26.	गृह विभाग (पुलिस)	627,15,51,000	6,34,82,000
27.	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	33,89,26,000	...
28.	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	17,43,15,000	...
30.	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	40,43,000	...
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	53,15,77,000	5,03,000
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	209,34,11,000	11,86,37,000
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	35,03,26,000	11,00,000
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपेथी-चिकित्सा)	12,61,52,000	1,000
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	115,43,48,000	2,000
36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	92,51,02,000	18,42,000
37.	नगर विकास विभाग	254,21,07,000	4,37,50,000
38.	नागरिक उड्डयन विभाग	3,12,18,000	57,50,000
39.	भाषा विभाग	1,50,06,000	...
40.	नियोजन विभाग	40,82,33,000	30,00,00,000
41.	निर्वाचन विभाग	36,75,98,000	...
42.	न्याय विभाग	58,52,17,000	4,50,00,000
43.	परिवहन विभाग	8,34,63,000	1,000
44.	पर्यटन विभाग	3,41,44,000	6,91,60,000
45.	पर्यावरण विभाग	1,18,52,000	1,000
46.	प्रशासनिक सुधार विभाग	36,31,000	...
47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	44,61,30,000	2,10,91,000
48.	मुस्लिम वक्फ विभाग	54,75,000	...
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	72,95,69,000	52,50,000
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	47,35,14,000	4,72,54,000

1	2	3	4
51.	राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	64,08,38,000	70,62,000
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	173,68,11,000	37,000
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	18,27,90,000	1,10,00,000
54.	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	118,51,21,000	...
55.	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	5,10,38,000	5,06,72,000
56.	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	4,42,50,000	6,25,62,000
57.	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	...	1,69,11,000
58.	लोक निर्माण (संचार साधन)	101,89,04,000	200,21,77,000
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	8,75,81,000	3,00,03,000
60.	वन विभाग	55,52,12,000	11,38,000
61.	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	570,50,73,000	32,27,50,000
62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)	347,32,50,000	...
63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	14,27,02,000	1,000
64.	वित्त विभाग (राज्य लाटरी	19,77,000	...
65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	20,53,77,000	...
66.	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	21,31,000	
67.	विधान परिषद सचिवालय	2,39,77,000	
68.	विधान सभा सचिवालय	6,38,60,000	...
69.	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	...	1,20,00,000
70.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	9,82,87,000	...
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1294,60,99,000	23,13,000
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	746,73,93,000	2,28,77,000
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	189,18,30,000	1,80,01,000
74.	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	7,15,19,000	
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	18,43,45,000	...
76.	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	21,77,47,000	...
77.	श्रम विभाग (सेवायोजन)	28,57,49,000	73,33,000
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग	30,00,71,000	...
79.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	66,93,27,000	52,000
80.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	155,89,06,000	3,23,39,000
81.	समाज विभाग (जनजाति कल्याण)	2,64,55,000	49,51,000
82.	सतर्कता विभाग	3,20,04,000	...
84.	सामान्य प्रशासन विभाग	9,46,000	...
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	40,27,000	...
86.	सूचना विभाग	10,35,19,000	...
87.	सैनिक कल्याण विभाग	6,41,18,000	...
88.	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	36,49,000	1,71,14,000
89.	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	46,31,30,000	20,01,000
90.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	1,81,35,000	...

1	2	3	4
91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	7,45,81,000	2,50,00,000
92.	सांस्कृतिक कार्य विभाग	4,02,58,000	13,00,000
93.	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	191,51,03,000	58,66,22,000
94.	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	418,94,14,000	390,20,13,000
95.	उत्तरखंड विकास विभाग	158,55,71,000	69,83,67,000

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 11, 13 से 19, 21 से 28, 30 से 40, 42 से 46, 48 से 65, 68, 70 से 82 तथा 84 से 95 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

1995-96 के संबंध में लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की अनुपूरक मांगे (उत्तर प्रदेश)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
		राजस्व रूपए	पूंजी रूपए
1	2	3	4
1.	आबकारी विभाग	1,42,53,000	...
2.	आवास विभाग	1,46,74,000	
3.	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	3,03,000	...
4.	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	23,54,000	12,18,34,000
5.	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	14,28,96,000	...
6.	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	2,59,22,000	89,17,000
7.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	91,50,000	19,25,00,000
8.	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	2,00,00,000	...
9.	ऊर्जा विभाग	34,52,42,000	...
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास)	4,70,85,000	...
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	45,61,40,000	25,68,94,000
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	11,27,98,000	...
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,40,54,000	...
15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विकास (पशुधन)	5,27,58,000	29,40,000
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	44,58,000	45,00,000
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	15,00,000	...
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	3,50,19,000	41,69,28,000
19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	32,76,000	...
21.	खाद्य तथा रसद विभाग	5,94,60,000	...
22.	खेल विभाग	1,04,67,000	1,20,44,000
23.	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	10,78,04,000	...

1	2	3	4
24.	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	21,21,28,000	58,16,29,000
25.	गृह विभाग (कारागार)	5,09,40,000	4,00,10,000
26.	गृह विभाग (पुलिस)	61,88,81,000	16,47,55,000
27.	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2,09,55,000	...
28.	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	1,47,97,000	...
30.	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	25,00,000	...
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	6,28,14,000	...
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	74,49,02,000	2,62,19,000
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	9,00,39,000	...
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी-चिकित्सा)	2,66,50,000	...
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	56,98,70,000	...
36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	20,14,60,000	...
37.	नगर विकास विभाग	32,86,41,000	1,00,00,000
38.	नागरिक उड्डयन विभाग	8,08,85,000	8,70,64,000
39.	पाक्ष विभाग	91,93,000	...
40.	नियोजन विभाग	2,56,23,000	3,00,000
42.	न्याय विभाग	24,28,54,000	5,76,44,000
43.	परिवहन विभाग	1,57,40,000	7,28,000
44.	पर्यटन विभाग	63,50,000	5,83,49,000
45.	पर्यावरण विभाग	...	30,22,000
46.	प्रशासनिक सुधार विभाग	1,48,000	...
48.	मुस्लिम वक्फ विभाग	35,00,000	...
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	22,97,85,000	...
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	15,13,54,000	2,49,40,000
51.	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	35,000	...
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1,09,05,46,000	...
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1,53,88,000	...
54.	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	15,88,55,000	...
55.	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	2,16,95,000	36,95,000
56.	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	3,32,19,000	10,57,91,000
57.	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	...	8,66,15,000
58.	लोक निर्माण (संचार साधन)	24,86,82,000	1,07,91,41,000
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2,48,34,000	8,11,02,000
60.	वन विभाग	13,25,22,000	1,000
61.	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	5,50,000	1,000
62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	1,44,69,29,000	...
63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2,24,37,000	1,39,000
64.	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	3,52,08,77,000	...
65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,अल्प बचत आदि)	44,00,000	...

1	2	3	4
68.	विधान सभा सचिवालय	1,96,000	...
70.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2,41,000	...
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2,47,30,85,000	
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1,08,76,07,000	16,00,000
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	13,38,65,000	...
74.	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	16,38,000	...
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4,29,84,000	...
76.	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	4,94,19,000	...
77.	श्रम विभाग (सेवायोजना)	4,34,89,000	43,89,000
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग	11,79,90,000	...
79.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	18,09,000	...
80.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्गों का कल्याण)	1,33,13,000	2,99,00,000
81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	48,16,000	...
82.	सतर्कता विभाग	24,82,000	...
84.	सामान्य प्रशासन विभाग	2,20,000	...
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	29,01,000	...
86.	सूचना विभाग	3,61,45,000	...
87.	सैनिक कल्याण वि	15,36,59,000	31,17,000
88.	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	7,00,000	24,18,000
89.	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	11,81,10,000	...
90.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	35,77,000	...
91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	1,33,59,000	5,00,00,000
92.	सांस्कृतिक कार्य विभाग	4,66,33,000	39,00,000
93.	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	32,85,58,000	...
94.	सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य)	17,48,33,000	48,81,83,000
95,	उत्तराखंड विकास विभाग	52,40,64,000	40,19,58,000

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए अभी माननीय मंत्री जो ने वजह बतायी है और आपने आदेश दिया है कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाने और बजट इन दोनों पर इकट्ठा ही बोलना है। मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन गृह मंत्री जी यहां पर नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण बात है लेकिन वे यहां नहीं महत्वपूर्ण बात है लेकिन वे यहां नहीं हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : दो मंत्री हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री में आप शायद फर्क जानते होंगे, आप तो पुराने आदमी है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : आप भी जानते होंगे कि कौन यह काम कर सकते है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मैं शायद इससे अनभिग हूँ। आज तक हमेशा जब एक्सटेशन की बात आती थी तो गृह मंत्री यहां पर बैठते थे, लेकिन, आज जम्मू कश्मीर व उत्तर प्रदेश का मामला है तो वे नहीं है। मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ और ऐसा करके मैं कोई गुस्ताखी कर रहा हूँ तो माफ कीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के दो विषय हैं, प्रेजिडेंट रूल को एक्टेंड करने और बजट। पहले मैं जो आप राष्ट्रपति शासन बढ़ा रहे हैं उस पर अपने विचार रख रहा हूँ। अभी माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने जो वजह दी है इससे मुझे ठीक उसी प्रकार बू आती हैजिस प्रकार इन्होंने राष्ट्रपति शासन पहले लगाया था। राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में पहली दफा नहीं लगा रहे हैं, इससे पहले भी आपने लगाया था।

ठीक उसी प्रकार की बू आ रही है। जैसे आपने तोड़-मरोड़कर झूठ बहाना कर के राष्ट्रपति शासन लागू करवाया। उसी प्रकार से आप छः महीने और राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर इसलिए कि जो लोक सभा और विधान सभा के चुनाव हैं, वे आप

राजनीतिक स्वार्थ के कारण एक साथ नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन वजह कुछ और दे रहे हैं।

महोदय, मैं आपका ध्यान उस समय की ओर दिलाना चाहता हूं जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय आपने विधान सभा को भंग नहीं किया था और देश में पहली बार ऐसी स्थिति में कोई न कोई पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे आ जाती है। और राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होने देती है। उस समय सभी पार्टियों ने यह कहा कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। आपने, आपकी पार्टी ने, राज्यपाल महोदय के द्वारा यह करवाया कि तोड़मरोड़ कर, खरीद-फरोख्त कर के किसी प्रकार आपकी सुविधा के अनुसार सरकार बन सके और जब आपने देखा कि उस समय प्रक्रिया ऐसी चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ने वाले हैं और उसके समर्थन से सरकार बन सकती है, तो आपने विधान सभा को भंग दिया। इससे यह जाहिर हो जाता है कि आपकी प्रवृत्ति है कि चाहे सही काम हो वह भी नहीं करना है और जो गलत काम है, भले ही उससे राष्ट्र का नुकसान हो जाए, लेकिन वह आपके हित में हो, तो आप तोड़-मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए गलत काम को भी करने के लिए तैयार रहते है।

इससे आप देश का भला नहीं कर सकते। यह बीमारी जब तक कांग्रेस पार्टी से दूर नहीं होगी, तब तक देश का भला नहीं हो सकता है।

महोदय, अभी आपने कहा कि दोनों के चुनाव यदि एक साथ करवाए जाएं, तो स्कूल नहीं मिलेंगे, अध्यापक नहीं मिलेंगे, पैरा मिलिट्री फोर्सेस नहीं मिलेंगे। यह सब बहाने-बाजी और भूमिका आप इसलिए तैयार कर रहे है ताकि विधान सभा और लोक सभा के चुनाव एक साथ नहीं हो सकें। मैं कहता हूं कि इसमें क्या दिक्कत है। क्या लोक सभा के चुनाव के लिए टीचर नहीं चाहिए, क्या स्कूल नहीं चाहिए, क्या पैरा मिलिट्री फोर्सेस नहीं चाहिए? अभी आपने कहा कि कुछ प्रदेश, देश में ऐसे हैं जहां गरीब और पिछड़े लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है। यह तो आप अपनी स्थिति को ही उजागर कर रहे हैं। आज देश में 50 वर्ष के शासन काल में 45-46 वर्ष तो कांग्रेस पार्टी का ही राज रहा है। आपके राज में आज यह स्थिति 50 वर्ष की आजादी के बाद उत्पन्न हो गई है कि गरीब ओर पिछड़े वर्ग के लोग आज स्वतंत्रता पूर्वक अपने मत के अधिकार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान)

यदि आप इस तरह से रनिंग कमेंट्री करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कभी राष्ट्रहित की बात भी सोच लीजिए। आप कहते है कि आप 100 साल पुरानी पार्टी है। और अपने देश को आजादी दिलवाई है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन जब आप इस प्रकार की बाते कर रहे हैं, तो इससे पार्टी का ज्यदा फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि देश को आर्थिक दृष्टि से कितना नुकसान होगा, इसका आपने कभी अनुमान नहीं लगाया। आप दो अलग-अलग चुनाव करवाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है और इससे उबरने के लिए अलग-अलग तरीके निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पैसा कम खर्च हो और विकास ज्यादा हो। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनको अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि दोनों चुनाव एक साथ होंगे। जो आपने बहाने बाजी अभी की है और पढ़कर बताई है, यदि आप उसको गौर से पढ़ेंगे और विचार करेंगे, तो आप स्वयं उससे संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि जो बातें आपने कहीं हैं वे बिलकुल लॉजीकल नहीं हैं। उनमें कोई दम नहीं है।

जहां तक आपने कहा कि कम्युनल फोर्सेस और जातिवादी फोर्सेस के ऊपर काबू पाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी अब आप लोक सभा के अंदर यह बात कह रहे हैं कि इन फोर्सेस को रोकने के लिए चुनी हुई सरकार नहीं चाहिए, बल्कि राष्ट्रपति शासन वाली सरकार चाहिए। यह किस प्रकार का लौजिक है? यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार इस दायित्व को नहीं संभाल सकती है कि वह ऐसे लोगों को ठीक करे। क्या आप आज देश को इस प्रकार का संदेश देना चाहते है। कि जनता जिस सरकार को चुने वह सरकार इन फोर्सेस से नहीं निपट सकती है? इसका मतलब तो यह है कि जहां पर दंगे होंगे, तो आप दो-चार साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर के उस स्थिति को ठीक करेंगे। क्या आपका यह लौजिक है, यह आर्गमेंट है? कृपा कर के आप बताइए?

आपने जो वजह बताई है, उनमें से तो कोई वजह बनती नहीं है। इस समय आपकी पार्टी का स्वार्थ है। आपको मालूम है कि आप लोक सभा में ज्यादा आदमी लाना चाहते हैं और यदि विधान सभा के चुनाव साथ में हो जाएंगे, तो आप लोगों में मार-काट हो जाएगी, टिकिट बंटवारे में आपको मुश्किल हो जाएगी और आपकी लोकसभा की सीटे कुछ कम हो जाएगी। इस डर से आप दोनों के चुनाव एक साथ नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि विधान सभा में क्या होने वाला है। इस डर से आप देश का अहित कर रहे है, देश का अधिक खर्चा कर रहे हैं, यह बड़ी चिन्ताजनक बात है।

दूसरी बात आपने राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की कही है। उसमें मैं 1-2 चीजें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने थोड़ा मैनशन किया है, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन अधिक रहा और चुनी हुई सरकारों का शासन कम रहा है। भारतीय पार्टी का शासन करीब 18 महीने रहा, राष्ट्रपति महोदय का पहले एक साल हुआ और अभी छः महीने से अधिक होने वाले हैं। आप राष्ट्रपति के शासन को और बढ़ाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इस राष्ट्रपति के शासन में किस प्रकार का अत्याचार और राजनैतिक स्वार्थ काम कर रहा है, इसके बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहले मैं अत्याचार के बारे में बताना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र उत्तराखंड के बारे में बताना चाहता हूं। केन्द्र

सरकार और राज्यपाल के माध्यम से आप किस प्रकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बजाए इसके कि वहां पर चुनी हुई सरकार आए, आप इसे बढ़ाना चाहते है और हमारे ऊपर बराबर अत्याचार करवाना चाहते हैं।

2 अक्टूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर कांड हुआ। इसी हाउस में मैंने पता नहीं कितनी बार कहा कि इस प्रकार के अत्याचार हुए है लेकिन आप नहीं माने। आपके साथ पवन जी बैठे हुए हैं ईशूज बिफोर दी पार्लियामैंट में इन्होंने कहा था कि आप तो इसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कर रहे हैं। कोई रेप नहीं हुआ, कोई मैलैस्टेशन नहीं हुआ। आपने कुछ नहीं किया, वहां पर आपकी सरकार द्वारा समर्थन हो रहा था।इसके बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब स्पष्ट कह दिया...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : आपने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं कह रहा हूं। आप साथ थे जब हम सभी गए थे, सिब्ते रिजी जी भी थे। आपके अफसरल क्या कर रहे थे, आपने जिनका साथ दिया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने क्या किया। उसके बावजूद आपने उनको समर्थन दिया।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैं मुजफ्फरनगर विजिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईशूज बिफोर दी पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। उस मुद्दे पर आपने भी कहा था कि मैं इस बात को बढ़ा-चढ़ाकर कह रहा हूं, कोई अत्याचार और रेप नहीं हुआ। मैं उस बात को कह रहा था जोकि ईशूज बिफोर दी पार्लियामेंट में रिकार्डेड है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने यह कहा था कि आप हमेशा बात को बढ़ाकर करते है और ऐसी बात करते हैं जैसे एक ही मुद्दा है। उसके बाद आपने क्या किया? आपने उनको समर्थन दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया।...(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैं कहना चाहता हूं कि पिछले अक्टूबर 1994 से आज तक आपकी केन्द्र सरकार और आपके राज्यपाल वहां पर अनेक चीजों के साथ-साथ हमारे साथ इस बात पर भी अत्याचार करते रहे। मायावती को हमने समर्थन दिया, उनहोंने काम नहीं किया, इस बात से आपकी जिम्मेदारी तो कम नहीं हो जाती।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : आपने इस बात के बावजूद समर्थन दिया कि आप जानते थे उन्होंने गलत काम करवाए हैं, जो उस समय हमको पता नहीं लग पाए थे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खंडूरी जी, कृपया सदस्य को संबोधित न करें। अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए वह उत्तेजित हो रहे हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मुझे खेद है, महोदय। मंत्री जी की तरफ देख रहा था जो उनके पीछे बैठे हैं।

मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, कृपा करके उसे समझिए। मैं दोषारोपण के लिए नहीं कह रहा हूं, भावना से कह रहा हूं। मैं उसे थोड़ा शार्ट कर देता हूं। मायावती जी ने नहीं किया इसलिए हमने उनसे समर्थन वापिस ले लिया। आपको शायद मालूम होगा, यह एक वजह थी कि उतराखंड के आंदोलनकारियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी जिससे हमने समर्थन विदड्रा किया। उन्होंने नहीं किया, वह ठीक है लेकिन आपके राष्ट्रपति शासन में भी वही हो रहा है। आपने उनको इजाजत नहीं दी, एक-डेढ़ महीने तक लटकाकर रखा और आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय दिया गया, आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या किया। आप राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की बात कहते है, हम कहते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन तुरन्त खत्म होना चाहिए ताकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार वहां आए और जो अधिकारी गलत काम कर रहे हैं, उनको सजा मिले। आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट का किस प्रकार का जजमेंट है, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, वह सबको मालूम है। लेकिन आज तक भी राज्यपाल महोदय ने न तो उन अधिकारियों को संस्पैंड किया है और न ही किसी प्रकार की कार्यवाही की है। सिर्फ बहानेबाजी करना कि सी.बी.आई. उसे चला रही है और टाल देना, इससे काम नहीं चलेगा।

उतराखंड के पृथक प्रदेश का सवाल है। आपने और आपके साथ जो दूसरे राज्य मंत्री बैठे हैं, उन्होंने बहुत सारे संगठनों के साथ अभी थोड़े दिन पहले से मीटिंग शुरू की। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वैसे-वैसे आपकी मीटिंग की स्पीड भी तेज हो गई और आप बयान देते है कि आप इस समस्या को सुलझा रहे हैं, आपने दो फरवरी की डेट दो कि कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी प्रोफेसर कामसन जी ने कहा कि सैशन शुरू होने से पहले कुछ होगा, वह सैशन शुरू हो रहा है, खत्म भी हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों के उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को, सीमावर्ती क्षेत्र को, सैन्य बाहुल्य क्षेत्र को आप अब तक इस प्रकार से हरैस करते रहेंगे, तड़पाते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे, कब तक आप इन देशभक्त लोगों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या आपको राज्यपाल महोदय ने इस बारे में कुछ बताया है, इस बारे में कुछ समझाया है कि वहां पर स्थिति क्या है। आज भी वहां पर रात-दिन धरने चल रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों का एक साल जीरो ईयर हो गया। विकास पूरा चौपट हो गया। वहां पर जो फण्ड्स जाते हैं, वह कुछ स्वार्थवश और कुछ बहानेबाजी करके वहां से बाहर ले जाये जा रहे हैं, क्या आप लोगों ने किया है। मैं माननीय मंत्री जीसे यह आशा करता हूं कि इन दो बिन्दुओं पर कि उतराखंड के ऊपर आप क्या निर्णय लेने वाले हैं और कब निर्णय लेने वाले हैं, आपको निर्णय लेने में क्या मुश्किल है, आप कम से कम स्पष्ट तो कीजिए। दूसरी बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट की है, इसके ऊपर राज्यपाल महोदय ने आपको क्या सलाह दी है और क्या

इसके ऊपर आप करने वाले हैं? उन अधिकारियों को आप सस्पैण्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?

जहां तक उत्तर प्रदेश के बजट का सवाल है तो मुझे यह भी दुख है कि राज्यपाल महोदय वहां पर राष्ट्रपति शासन के अंदर पूरे चुनावी प्रक्रिया जैसे काम कर रहे हैं, पैसे का, बजट का पूरा उपयोग या दुरुपयोग इस प्रकार हो रहा है, जैसे कि चुनाव के लिए होता है। जो मंत्री है या राजनेता है, वह तो चुनावी तरीके से घोषणा करे, लेकिन पैसे का जिस प्रकार उपयोग या दुरुपयोग वहां पर किया जा रहा है, जितनी घोषणाएं की जा रही हैं, जितनी योजनाए बनाई जा रही हैं, जिस प्रकार की बात की जा रही हैं, वह सब माननीय राज्यपाल महोदय जी और उनकी तरफ से जो बातें हो रही हैं, वह चुनाव की तैयारी के लिए हो रही हैं और यह जो बजट आप यहां पर पेश कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं अपना यह भी आब्जैक्शन करना चाहता हूं कि यह बजट विकास के कार्यों में नहीं जा रहा है और सब पैसा चुनावी तैयारियों के लिए, चुनावी घोषणाओं के लिए इस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, जहां कि कांग्रेस पार्टी समझती है कि उनके लोगों को फायदा होने वाला है, वहां इसका इस्तेमाल हो रहा है।

मेरे क्षेत्र से, जहां 450 करोड़ रुपये के करीब सालाना बजट होता है, वहां 180 करोड़ रुपया सैण्टर से जाता है, वहां पर 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ रुपया वापस लिया जा रहा है, दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि इनको शायद मालूम है कि यहां पर कुछ सीटें मिलने वाली नहीं हैं। यही काम हमारे साथी मुलायम सिंह जी ने किया, जब आपके समर्थन से उनकी सरकार वहां चल रही थी तो 250 करोड़ रुपया आन्दोलन के बहाने पर उन्होंने हमारा लिया। आप हमसे आन्दोलन करवाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपका काम नहीं हो रहा है, आपका पैसा वापस लिया जायेगा, इस प्रकार की अनेक चीजे विकास के उसमें हो रही हैं।

थोड़ी देर पहले यहां पर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, आपने सब लोगों को भारतवर्ष में सब पहाड़ी इलाकों में जे. एंड के. से लेकर, हिमाचल से लेकर सब को नई इण्डस्ट्रीज के लिए पांच साल की छूट दी है, टैक्स होलीडे दिया है। हमारे आठ जिलों में से छह जिले जीरो इण्डस्ट्री एरियाज हैं और मैं यहां पर लगातार उनसे कह रहा हूं कि हम भी आप इस पर्वकार की छूट दीजिए। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर बड़े सिम्पेथेटिक थे, उन्होंने कहा कि बात तो आप ठीक कहते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश का आपका हिस्सा है, इसलिए हम आपको छूट नहीं दे सकते। आप ही हमारे प्रदेश को पृथक प्रदेश नहीं बनाना चाहते है और फिर हमको दोष देते हैं, क्योंकि आप पृथक प्रदेश हैं, इसलिए हमको आपको सुविधा नहीं दे सकते हैं वहां आठ में से छह जीरो इंडस्ट्रीज एरियाज हैं, न तो गर्वनर साहब करते हैं, न आप करते है यह बड़ी चिन्ता की बात है और आज पैसे का दुरुपयोग का यह हाल है कि इस जाड़ो के मौसम में भी माननीय मंत्री जी विकास की यह स्थिति है कि आज भी पीने के लिए वहां पानी नहीं है। आज भी वहां पर लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर पहाड़ में पानी लेनेके लिए जाते है, यह मैदान के 5-6 किलोमीटर नहीं है, वहां 5-6 किलोमीटर का मतलब होता है कि आधा दिन चलने में लगता है, इस क्षेत्र के अंदर क्या विकास हो रहा है? किस प्रकार का राज्यपाल शासन जो डेढ़ साल में राष्ट्रपति शासन चला रहे हैं, वह क्यों चला रहे हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक और समस्या आज है और वह गन्ने से संबंधित है। इसे मेरे साथियों ने पहले भी उठाया है और मुझे आशा है कि अगर अध्यक्ष जी इजाजत देंगे, एक दो सदस्य और बोलना चाहेंगे, तो वह इसको कवर करेंगे, इसलिए मैं उसको अभी नहीं छेड़ता।

श्री सुभाष चन्द्र नायक (कालाहण्डी) : 12 बज गये।

मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चन्द्र खण्डूरी : आपने 12 बजे तक बैठाया है तो थोड़ा सुन लीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र नायक : हम लोगों ने कहां बैठाया है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : इसलिए मैं दो बिन्दुओं की वजह से इसका विरोध कर रहा हूं, हालांकि मैं यह समझता हूं कि 18 अप्रैल तक वहां पर चुनाव नहीं हो सकते। लेकिन मंत्री महोदय यह साफ करें क 18 अप्रैल के बाद आप जब लोक सभा के चुनाव होंगे, तभी विधान सभा के चुनाव भी होंगे या नहीं। दूसरी बात यह बताये कि उत्तराखंड के बारे में आप कब निर्णय लेंगे और इलाहाबाद हाई-कोर्ट के मामले में कब एक्शन लेने वाले हैं? इसलि 18 अप्रैल से जो राष्ट्रपति शासन बढ़ रहा है उसका मैं समर्थन तो करता हूं, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ करता हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का जो प्रस्ताव आया है, उसका हम पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि विधान सभा के चुनाव भी लोक सभा के चुनावों के साथ कराये जाये। इसलिए तब तक के लिए ही वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जाये। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। पिछले 6 महीने में वहां जो कुछ हुआ,वह सबके सामने है। वहां पर 1991 में चुनी हुई सरकार आई थी। उसने कानून-व्यवस्था के तहत काम किया। एक अप्रिय घटना हुई और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद फिर चुनाव हुए और वहां पर जिस दल को सबसे ज्यादा, 177 सीट्स मिली, उसको महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रस्ताव तक नहीं दिया कि क्या आप सरकार बना सकते हैं या नहीं। जिस दल की सिर्फ 174 सीट्स थीं, वह भी गठबंधन के आधार पर, उनको सरकार बनाने के लिए बुलाया गया था। उसमें हमारे कांग्रेस के दोस्तों ने भी साथ दिया था। उस सरकार ने न्यायपालिका और कार्यपालिका पर हमले किये। पहले दिन विधान सभा में जो घटना हुई वह सर्वविदित है। उसका परिणाम यह हुआ कि पत्रकारों पर हल्ला-बोल जैसे कार्यक्रम अपनाये गये। जब उनके मन में मायावती के खिलाफ घृणा पैदा हुई तो हमने समर्थन किया

और प्रदेश के अंदर पहली बार दलित महिला को मुख्य मंत्री बनाने की बात हुई फिर भी आप लोग हम पर आरोप लगाते हैं।

हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन की वजह से विकास रूका हुआ है। राष्ट्रपति शासन एक संवैधानिक आवश्यकता होती है। वहां राष्ट्रपति शासन की वजह से सांसदों की समिति बनाई गई आप बतायें कि उसने कितनी मीटिंग्स की हैं, राज्यपाल महोदय ने उन सदस्यों को कितनी बार बुलाया? उत्तर प्रदेश में समस्यायें कैसे ढंग से निपटें, आप उत्तर प्रदेश के लिए पैसा तो दे नहीं सकते। दो बार चुनाव कराकर एक अतिरिक्त भार डाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री स्पष्ट रूप से कहें कि वहां विधान सभा के चुनाव लोक सभा के चुनावों के साथ होंगे। अगर विधान सभा चुनी हुई होती तो वहां गन्ना कृषकों का यह हाल न होता। क्रेशर्स की गलत नीति के कारण वे 25-30 रुपये पर भी गन्ना खरीद नहीं रहे हैं। लोगों का करोड़ों रुपया चीनी मिल मालिकों पर बकाया पड़ा है। चीनी मिल मालिक मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष का ही भुगतान नहीं हुआ है, इस वर्ष की तो रहने ही दें। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में सरकार ध्यान दे और सुनिश्चित करे कि उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है। क्रेशर्स पर न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाये। जो गन्ना 75 रुपये के भाव जाना चाहिए वहां उसका मूल्य 25 रुपये से ज्यादा नहीं मिल रहा है। इस समस्या को ध्यान में रख कर काम किया जाये। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में स्थानांतरण एक उद्योग बन गया है। रोज ट्रांसफर होती हैं और रोज रुकती हैं। एक पार्टी विशेष के लोग यह काम करवाते हैं मैं वहां से चुनकर आता हूं, बरेली में एक नेता ने एक अधिकारी का ट्रांसफर करवाया और दूसरे ने रुकवा दिया। लोग कहते हैं कि इसमें रुपये का लेन-देन भी होता है। इस बारे में चिंता करनी चाहिए। ऐसी नौबत न आये, इसका प्रबंध करें।

ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास उत्तरप्रदेश में कुछ काम नहीं है। उसके वहां से पांच सांसद चुनकर आये हैं, लगता है उनको भी खत्म करने की दिशा में वह कदम बढ़ा रही है। सबकी समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सही दिशा दे सकता है। कल्याण सिंह की सरकार जब वहां थी तो वहां सारी नहरों को पक्का बनाने की योजना बनाई थी।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी थी?

श्री संतोष कुमार गंगवार : आप बना दें, कौन मना करता है। आपने तो लाल किले से घोषणा की थी बाबरी मस्जिद बनायेंगे। आप जायें, कल ही बनाइये, अगर आप में हिम्मत है। रामालय ट्रस्ट वालों से कहते हैं कि मंदिर बनाइये और लालकिले से घोषणा करते हैं कि मस्जिद बनायेंगे। हम तो सीधी बात कहते हैं कि हिन्दुस्तान की पहचान अयोध्या में राम मन्दिर से है। हमारी केन्द्र में सरकार आएगी तो अयोध्या में राम मन्दिर ही बनेगा। अब यह बात नहीं चलेगी, आप कानमें कहें कि मंदिर है और सबके सामने कहें कि वहां पर मंदिर नहीं, मस्जिद है। हिन्दुस्तान की पहचान आप क्या करना चाहते हैं, जनता आपसे यही सवाल करेगी कि आप देश को किस रूप में बनाना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। अब मुसलमान समझ गया है, वह भी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले सीधी बात कहते हैं। वे वोट मन्दिर के लिए मांगते हैं, दोनों के लिए नहीं मांगते हैं। आप दोनों को लड़ाने का काम करते हैं। जिस दिन इस समस्या का हल हो जाएगा उस दिन इस देश के अंदर दूसरी दिशा में लोग काम करेंगे, विकास की दिशा में काम करेंगे। आप तो लड़ाते हैं। आपने मुस्लिम लोगों को केवल वोट के लिए बना कर रखा है, उसे इस देश का नागरिक नहीं बनाया है।..(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : हिन्दुओं को ऐसे ही करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, आपका भाषण लम्बा होता जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : हिन्दुओं को नहीं करते हैं। यह पहचान है कि आपने हमेशा मुसलमानों को केवल वोट का मुद्दा बनाया है, इस देश का नागरिक नहीं बनाया है। हम मुसलमानों को इस देश का नागरिक बनाएंगे।...(व्यवधान) जितनी भागीदारी हमारी है उससे ज्यादा भागीदारी मुसलमानों की है।..(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : उन्हें में सब बातें नहीं कहनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बातें कहने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, समय बहुत हो गया है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कहने को तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं। मेरा निवेदन है कि आप सरकार को यह निर्देश दें कि गृह मंत्रालय यह सुझाव दे कि लोकसभा के चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश के भी चुनाव हों।...(व्यवधान)

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा जी, क्या यह आवश्यक है कि आप प्रत्येक बात पर बोलें? यह आवश्यक नहीं है।

[अनुवाद]

मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब प्रोक्लेमेशन की अवधि के लिए जो प्रस्ताव लाए हैं इसमें मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। पहली मर्तबा जब उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन हुआ था तो हम लोगों को उम्मीद बनी थी कि वहां पर कुछ पोलिटिकल सोल्यूशन हो जाएंगे, जिसका जिक्र अभी बीच में आ गया। आप याद करें कि जब वहां राष्टपति शासन लगाना था तब नहीं

लगा था, लेकिन जब एक बड़ा वाकया हो गया जिसको नहीं होना चाहिए था, फिरकापरस्तों ने अपना काम कर लिया उसके बाद वहां पर धारा 356 का इस्तेमाल हुआ। फिर दूसरी मर्तबा उसी प्रदेश के अंदर आपने दोबारा राष्ट्रपति शासन लगानेका काम किया। एक भी आदमी को मौका नहीं दिया कि वह वहां असेम्बली में जाकर अपनी बात को रख सके, वहां पर अपनी मेजोरिटी दिखा सके। यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण राज्य है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि फिर से जो यह राष्ट्रपति शासन वहां लगाया गया है, इसमें इस सरकार की मंशा साफ नहीं है। यह सरकार कब इलैक्शन कराना चाहती है? क्या यह एनाउंस करेंगे कि पार्लियामेंट के इलैक्शन के कुछ दिन बाद वहां चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे या यह इतने महत्वपूर्ण राज्यको राष्ट्रपति शासन के अंदर रख कर चलाना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारे साथी ने कहा कि वहां पर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है वह इस तरह की चीज हो गई है,...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, एक पोलिटिकली तरीके से गर्वनर के घर को इस्तेमाल किया जा रहा है जोकि एक बहुत ही अफसोसजनक और निन्दनीय चीज है। इस अवधि को बढ़ाया तो जाए लेकिन साथ ही यहां पर यह ऐलान हो कि लोकसभा के चुनाव के बाद 15-20 दिन के अंदर वहां असेम्बली का चुनाव करा दिया जाएगा। महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय जी, ने जो प्रस्ताव पेश किया है उससे मैं सशंकित हूं और उसका समर्थन करने की हालत में नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि लोकसभा और उत्तर प्रदेश में विधान सभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, यह देश के हित में होगा। मैं तो इनके लिए बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि यह देश के हित में होगा इनके हित के खिलाफ भी नहीं होगा तो यह इसे क्यों टालने की कोशिश कर रहे है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। बाद में चुनाव कराने पर फिर दोबारा से खर्चा परेशानी और उलझने होंगी। इसलिए मैं इसके समर्थन की हालत में नहीं हूं। इस समय राष्ट्रपति का शासन है और शांत वातावरण मालूम पड़ रहा है।

लेकिन दमन बढ़ा है। अभी गन्ने की बात हुई है। गन्ने का बकाया है और सैंकड़ों करोड़ रुपयों का बकाया है। एक तरफ तो आप खैरात देने की बात करते हैं, बच्चों को भोजन देने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ किसानों का बकाया रखे हुए है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पहली मार्चको मथुरा में वहां किसानों के नेता और अधिवक्ता छतरसिंह सहित सैंकड़ों महिलाओं और पुरूषों ने स्थानीय मांगों को लेकर और गन्ने की बकाया राशि की मांग को लेकर धरना दिया। लेकिन महोदय, वहां पर महिलाओं को पीटा गया और दफा 307में वे लोग और वह अधिवक्ता छतरसिंह आज भी बंद है।

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है।

श्री भोगेन्द्र झा : वे सभी जेल में बंद हैं। मैंने मंत्री जी से मुलाकात करने की कोशिश की। क्योंकि हमें वहां जाना है और जिस तरीके से वहां पर अत्याचार हुआ है और लोगों को झूठे मामलों में फंसाया गया है, गांवो के भीतर जाकर जहां कुछ नहीं हुआ है लोगों को दफा 360 में फंसा कर उनके नाम वारंट भेज दिए दिए गए है। वहां रोज शांतिपूर्वक धरना चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज कन्कलूड नाऊ।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, मैं अपनी परेशानी बता रहा हूं क्योंकि मुझे वहां जाना है। इसलिए मेरा आग्रह है कि उन लोगों को आप रिहा करवाएं और जो गन्ने के बकाए का मामला है वह तय करें। राष्ट्रपति शासन के दौरान टिहरी डेम का मामला बजट में चलता रहा है। मैं चाहूंगा कि वे इसके बारे में ऐलान करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप व्यक्तिगत मामलों को उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि उत्तराखंड का मामला टलता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने का ऐलान मंत्री जी आज करें।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का शासन तो 6 महीने के लिए बढ़ेगा। मैं केवल चार सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव तो यह है कि गर्मी आने वाली है। पेय-जल की समस्या भीषण रूप से उत्तर प्रदेश में है। अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इसको व्यवस्थित कराएं ताकि हैंडपम्प लगाकर पेय-जल की व्यवस्था हो सके।

दूसरा मेरा अनुरोध यह है कि केन्द्र सरकार जो आदेश करती है वह आदेश उत्तर प्रदेश में नहीं माने जा रहे हैं। दस महीने पहले वहां शक्कर की स्टॉक लिमिट बढ़ा दी गयी। देश के दूसरे प्रदेशों में वह लागू हो गयी लेकिन उत्तर प्रदेश में वह आदेश आज तक लागू नहीं हो पाया है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप उस आदेश को उत्तर प्रदेश में लागू कराइये।

धान की कीमतें आज किसानों को नहीं मिल रही हैं। केन्द्र सरकार कहती है कि चावल को विदेशों में निर्यात करने की छूट है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चावल को अडंगे लगाकर निर्यात नहीं करने दे रही है। जिसके कारण धान का पैसा न तो किसानों को नगद मिल रहा है और न ही उसको उचित मूल्य मिल रहा है। धान के संबंध में, चावल के संबंध में यदि केन्द्र सरकार का आदेश है तो उसे उत्तर प्रदेश के अधिकारी लागू क्यों नहीं करते हैं?

चौथा, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के शासन के नाम पर लाल फीता शाही चल रही है। गांवों में न बिजली दी जा रही है, नहरों में पानी नहीं दिया जा रहा है, खाद उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि जब आप 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने जा रहे हैं तो नागरिकों के दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जो हैं,जैसे बिजली है जिसके बिना

उद्योग-धंधे बंद हो रहे हैं, पानी है, उन लोगों को आप उपलब्ध कराएं। गर्मी के मौसम में आप इन्हें सुनिश्चित कराएं।

सैय्यद सिब्ते रजी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 साल से लगातार एक अस्थिरता की राजनैतिक परिस्थिति चल रही है। इसकी शुरूआत 1989 से शुरू हुई और 1991 में फिर दुबारा चुनाव हुए। उसके बाद फिर 1993 में चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ। इस प्रकार जो सरकारें और जो पहुंची हुई पार्टी हैं, जिन्होंने पांच साल तक शासन में रहने के वायदे किये थे लेकिन वे एक साल में, 18 महीने में किसी न किसी कारणवश गिरते चले गये। माननीय सदस्य ने यहां बात उठायी है, इसलिए मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा। 17 अक्तूबर 1995 को वहां जो परिस्थिति खड़ी हुई और उस समय बसपा की मुख्यमंत्री थी...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

सैय्यद सिब्ते रजी : इस प्रकार की स्थिति आई जिससे वहां किसी पार्टी की सरकार बन नहीं सकी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

सैय्यद सिब्ते रजी : राज्यपाल महोदय ने केन्द्र सरकार को इस बात की सलाह दी कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिये। 6 महीने के लिये वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसकी अवधि 17 अप्रैल 1995 को समाप्त होने जा रही है।वहां पर जो सरकारे आई, उनके कारणवश वहां की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा, विकास पर असर पड़ा। 17 अक्तूबर 1995 को ऐसी स्थिति आई जिस के कारण वहां 18 अक्तूबर से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।मार्च तक चुनाव होने की संभावना थी। जैसाकि मैंने अभी अर्ज किया कि वहां चुनाव नहीं हो पा रहे हैं...(व्यवधान) वहां राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का गलत बहाना नहीं किया जा रहा है। परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मार्च में चुनाव संभव हो पाते। 17 अप्रैल के बाद निश्चित रूप से समय लेना था। इसलिये आपके सामने यह बात यहां रखी।

जहां तक लोक सभा चुनाव के साथ विधान सभा के चुनाव कराने की बात है, राज्यपाल महोदय ने भी सिफारिश इस तरह की है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरी है और विकास की गति बढ़ी है। उन सबको कनसॉलिडेट करने के लिए संभव यही हो पायेगा कि लोग सभा चुनाव के बाद वहां चुनाव कराये जाये क्यों कि ऐसा समझा जा रहा है कि कानून और व्यवस्था पर काफी काबू पा लिया गया। इसलिये थोड़ा और समय कनसॉलिडेशन के लिये चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश और आप भी उससे पूरी तरह अवगत है। वहां से 424 विधान सभा सदस्य चुन कर आते हैं इसके लिये न जाने कितने नुमाईदे खड़े होते है, पार्टी के विधिवत नुमाईदे और इसके अलावा आजाद नुमाईदे। आज मुझे इस संदर्भ में अभी-अभी एक सदस्य ने एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझ को एक गनर दिया गया है। वहां चुनाव होने जा रहे हैं, वहां विध्वंस हो सकते है, मारा-मारी हो सकती है और मुझे प्रतिरक्षा की ज्यादा आवश्यकता है, इस कारण मेरे लिये तीन गनर की व्यवस्था की जाये। इससे आप अन्दाजा लगा सकते है कि जब चुनाव होंगे तो क्या सूरत होगी? उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा प्रदेश है, पूरे देश में चुनाव होंगे तो ऐसी व्यवस्था में एक साथ दोनो चुनाव कराने की संभावना, जिस प्रकार की राज्यपाल की संस्तुति आई है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे आपका संरक्षण चाहिए, महोदय।

[हिन्दी]

ऐसी परिस्थिति में अभी हमारे समक्ष यह विचार है कि बहुत सारी पा स्थितियां जो मैंने यहां कही हैं, जब चुनाव के बारे में फैसला किया जायेगा तो उसको रखा जायेगा लेकिन एक दिन से भी ज्यादा चुनाव कराने में देरी नहीं की जायेगी। हमारी सरकार लोकप्रयि सरकार हर जगह लाना चाहती है।यहां तक हम कश्मीर में भी चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिये। फिर कैसे प्रश्न उठता है कि हम उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन के जरिये वहां शासन चलने देंगे। हम जल्दी वहां चुनी हुई सरकार लाने का प्रयास करेंगे। कोई भी कार्य राज्यपाल महोदय के जरिये किसी पार्टी के हित के लिये नहीं हो रहा है। वह प्रदेश के विकास के हित में हो रहा है। वहां आर्थिक और राजनैतिक स्थायित्व की आवश्यकता है। इस कारण वहां राष्ट्रपति शासन चल रहा है।

अभी उत्तराखंड के बारे में यहां कहा गया। निश्चित रूप से वहां अत्याचार हुए। 2 अक्तूबर की घटना बड़ी अशोभनीय घटना थी। उसकी जितनी निन्दा की जाये, उतनी कम है। इस सिलसिले में सी.बी.आई. की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो लोग मरे है, उसमें 24 लोग मारे गये थे और 17 महिलाओं के साथ नामुनासिब हरकत की गयी और करीब 7 महिलाओं का मोलेस्टेशन हुआ। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि दूर के इलाकों में 398 लोगों को जेल में रखा गया। अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जिसके अनुसार एक धनराशि निश्चित की गयी है और वह समयबद्ध तरीके से दी जानी है। हाई कोर्ट ने 60 दिन के अंदर एक कमेटी बनाये जाने के लिए कहा है। जो पूरी स्थिति का जायजा लेकर बतायेगी कि उस में कौन कौन लोग हैं...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं मानता कि किसी व्यक्ति ने वह मुद्दा यहां उठाया था।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मैं उसके बारे में अवश्य जानना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

आपने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पैंड क्यों नहीं किया गया। खाली पैसा देने से काम नहीं चलेगा।

सैयद सिब्ते रज़ी : अभी चार्जशीट उनके खिलाफ फाईल कर दी गयी है और हम स्टेट गवर्नमेंट से पूछने जा रहे हैं कि आगे वह किस तरह से कार्यवाही करने पर विचार कर रही है? यह मुख्य काम हुआ है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : माननीय मंत्री जी, जब छोटे छोटे कामों के लिये अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है तो यह काम तो बहुत बड़ा है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया है तो उनको सस्पेंड करने में क्या समस्या है?

अध्यक्ष महोदय : सस्पैंड करना या पनिश करना हाऊस का काम नहीं है आप ऐसा मत करें।

[अनुवाद]

उन्हें उचित निर्णय लेने दीजिए।

[हिन्दी]

सैयद सिब्ते रज़ी : यह मामला प्रदेश सरकार के सामने लाम्बित है। उत्तराखंड के मामले में हमारे राज्य मंत्री श्री कामसन आन्दोलन कर रहे है विभिन्न संगठनों से बातचीत कर रह हैं। ऐसे 42-43 संगठन हैं जिनसे सुझाव प्राप्त हुये हैं जिसमें एक सर्वमान्य हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। यह एक संवेदनशील मामला है जिसपर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। हमारी सरकार इस विषय पर पूर्णरूप से रूचि ले रही है। जिसमें हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र ही कोई निर्णय निकाला जा सके. ..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में यह बात है कि एक संसदीय समिति बनती है जो लेजिस्लेटिव बिजनैस के लिये बनायी जाती है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि प्रशासन में कैसा काम हो रहा है औरजब विधानसभा भंग हो जाती है तो इसकी शक्ति पार्लियामेंट को मिलती है और पार्लियामेंट के व्यस्त होने के कारण यह शक्ति राष्ट्रपति जी के पास जाती है। और उस हुक्म के अनुसार आपने लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों की एक समिति बना दी है जिसमें लेजिस्लेटिव बिजनैस भविष्य में उसके सामने रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक विकास का सवाल है, हम पुरे संसाधन लगाये हुए हैं। गन्ना के बकाया पेमेंट के बारे में जिलाधिकारियों और प्रशासन द्वारा पूरी रूचि ली जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि जनता को पूरा फायदा मिले और विकास कार्यों में जो अवरोध पैदा हो गया था, उसकी गति में तेजी आये।

श्री झंगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, जो लोगों का धरना चल रहा है.

अध्यक्ष महोदय : कल उसकी चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : गन्ना किसानों को परेशानी हो रही है...

अध्यक्ष महोदय : कनसर्न्ड मिनिस्टिर कल चर्चा करेंगे... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ क्यों नहीं जाते झंगेन्द्र जी? उनको मालूमनहीं है मैंने कह दिया कि गन्ने के बारे में कल चर्चा हो रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :-

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 अक्तूबर, 1995 को जारी की गई उद्घोषणा को 18 अप्रैल 1996 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1996-97 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बजट के संबंध में लेखानुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ :

प्रश्न यह है कि :-

"कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 28, 30 से 82 तथा 84 से 95 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उत्तर प्रदेश राज्य के बजट के संबंध में वर्ष 1995-96 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को मतदान के लिए सदन में रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि :

"कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 11, 13 से 19, 21 से 28, 30 से 40, 42 से 46, 48 से 65, 68, 70 से 82 तथा 84 से 95 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

00.52 म.पू.

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक* 1996

अध्यक्ष महोदय : अब सदन मद संख्या 45 पर विचार करेगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने अनुमति दी जाए।"

श्री एम.वी. चन्द्रशेखरमूर्ति : मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*दिनांक 12.3.96 भारत राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 2 में दिनांक 12.3.96 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक,* 1996

00.53 म.पू.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 47 पर विचार करेगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित नीधि में से कतिपय और और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित नीधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की संचित नीधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की संचित नीधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा।

* भारत राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 2 में दिनांक 12.3.93 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्तुत।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि अनुसूची खण्ड I, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड I, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "विधेयक पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

00.55 म.पू.

जम्मू और कश्मीर बजट-1996

लेखानुदानों की मांगे (जम्मू और कश्मीर) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू और 1996 कश्मीर)

अध्यक्ष महोदय : अब हम जम्मू कश्मीर के बजट का संबंध में यह संख्या 49 से 5 तक एक साथ विचार करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, ये स्तम्भ हमें दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू कश्मीर राज्य की संचित निधि में से लेखे पर राष्ट्रपति को दी जाये।

1996-97 के संबंध में लोकसभा की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत की गई मांगे (जम्मू और कश्मीर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए पेश की गई लेखानुदान संबंधी मांगो की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	14,13,17,000	1,35,30,000
2.	गृह विभाग	149,76,47,000	3,59,45,000
3.	योजनाऔर विकास विभाग	2,80,66,000	2,95,85,000
4.	सूचना विभाग	2,68,27,000	32,18,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	63,09,62,000	32,89,12,000
6.	ऊर्जा विकास विभाग	294,52,73,000	141,19,29,000
7.	शिक्षा विभाग	195,04,64,000	8,04,38,000
8.	वित्त विभाग	88,19,89,000	2,20,00,000
9.	संसदीय कार्य विभाग	95,31,000	...
10.	विधि विभाग	7,82,17,000	...
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	22,67,73,000	22,15,87,000
12.	कृषि, ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग	46,86,46,000	30,73,98,000
13.	पशु पालन विभाग	25,93,34,000	4,59,86,000
14.	राजस्व विभाग	42,82,15,000	1,23,40,000
15.	खाद्य, आपूर्ति और परिवहन विभाग	31,71,00,000	279,01,02,000
16.	लोक निर्माण विभाग	72,53,16,000	38,29,44,000

1	2	3	4
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	86,63,97,,000	9,25,85,000
18.	सामाजिक कल्याण विभाग	12,91,10,000	4,73,77,000
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	15,96,39,000	25,75,09,000
20.	पर्यटन विभाग	6,63,18,000	5,78,33,000
21.	वन विभाग	27,38,73,000	12,01,61,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	35,61,50,000	19,72,83,000
23.	लोक स्वास्थ, अभियांत्रिकी विभाग	50,11,53,000	20,69,72,000
24.	सम्पदा, आतिथ्य और नयाचार तथा उद्यान और बाग विभाग	9,55,27,000	1,07,78,000
25.	श्रम, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग	6,04,10,000	8,91,23,000
26.	मत्स्य पालन विभाग	2,56,86,000	1,15,05,000
27.	उच्च शिक्षा विभाग	27,84,74,000	4,87,28,000

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 24, 26 और 27 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 1995-96 की अनुदानों की अनुपूरक मांगे (जम्मू और कश्मीर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगो की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	11,41,23,000	...
2.	गृह विभाग	103,51,80,000	63,00,000
3.	योजना और विकास विभाग	20,0968,000	15,00,57,000
4.	सूचना विभाग	65,87,000	...
5.	लद्दाख कार्य विभाग	3,89,14,000	4,00,59,000
6.	ऊर्जा विकास विभाग	1,18,37,000	...
7.	शिक्षा विभाग	46,85,91,000	10,57,86,000
8.	वित्त विभाग	...	3,25,00,000
9.	संसदीय कार्य विभाग	18,69,000	...
10.	विधि विभाग	84,51,000	...
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	11,24,08,000	...
12.	कृषि, ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग	19,85,62,000	...
13.	पशु पालन विभाग	7,89,91,000	
14.	राजस्व विभाग	6,49,48,000	
15.	खाद्य, आपूर्ति और परिवहन विभाग	2,09,14,000	...
16.	लोक निर्माण विभाग	11,38,14,000	2846,88,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	28,32,84,000	...

1	2	3	4
18.	सामाजिक कल्याण विभाग	8,98,59,000	5,94,47,000
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	4,91,03,000	...
20.	पर्यटन विभाग	1,25,07,000	...
21.	वन विभाग	16,21,67,000	46,46,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9,09,16,000	58,39,000
23.	लोक स्वास्थ्य, अभियांत्रि की विभाग	22,65,13,000	48,60,17,000
24.	सम्पदा, आतिथ्य और नयाचार तथा उद्यान और बाग विभाग	2,69,03,000	...
26.	मत्स्य पालन विभाग	1,09,92,000	
27.	उच्च शिक्षा विभाग	1,34,60,000	...

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय अध्यक्ष जी, आज हम यहां जम्मू कश्मीर का बजट पास करने जा रहे हैं। बजट तो पास करना ही है। लेकिन यह पास करते समय कुछ बातों पर सोचना भी आज की तारीख में आवश्यक हो गया है। आज करीब-करीब 47 साल से हम यह प्रक्रिया करते जा रहे है और इन सालों में बीच में कुछ साल अगर छोड़ भी दिए जाएं तो करीब-करीब मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर पर हमने सवा लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च किया है, खर्च करना भी चाहिए। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद वास्तव में आज गंभीरता से सोचने की स्थिति आ गई है कि उसका आउट पुट क्या मिला है। अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है और तब कई बातें सामने आती हैं कि इतना पैसा हम खर्च करते हैं, यहां से बजट पास होता है, विकास के नाम पर पैसा वहां पर जाता भी है। लेकिन वास्तव में जिसका रूप में वहां खर्च होना चाहिए वह कहीं न कहीं खर्च होता नहीं हो पाया है। इसके कई कारण हो सकते हैं कई बार हमारी पार्टियों की राजनीति भी उसके आड़े आई है। भ्रष्टाचार भी एक कारण है। पार्टियों की राजनीति जब हम कहते हैं, मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं देना चाहूंगी, लेकिन शुरू के सालों पर हम ध्यान दें कि जिस समय जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए राजा हरि सिंह यहां पर आये उन्होंने अपनी बात रखी और जब वे यहां पर बात कर रहे थे, तीन दिन तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों ने आक्रमणकारियों से मुकाबला किया था, आक्रमणकारियों को रोका था लेकिन हमने अपनी राजनीति कुछ ऐसे ढंग से चलाई कि जब से हमने जम्मू कश्मीर का पूरा राजनीतिक वातावरण बिगाड़ कर रख दिया है। आज की तारीख में भी यही कारण है कि आज एक बात तो है कि उसी समय से दिल्ली का विकास नहीं हुआ है, उसके कारण भी युवकों के लिए आज की तारीख में हमने बजट में पैसा रखा है उनके विकास के लिए, एजूकेशन के लिए पैसा रखा है, स्पोर्ट्स के लिए पैसा रखा है। लेकिन आज अगर देखा जाए कि वहां के युवकों के हाथ में खिलौने कौन से हैं? ए.के. 47 जैसे खिलौने है। आज वहां के युवको के हाथ को काम नहीं मिलता है और इसलिए कई दूसरे कामों पर उनकी नजर जाती है। दूसरे कामों में उनका मन लगजाता है। लेकिन केवल इतना ही कारण नहीं, हम वहां विकास नहीं कर पाये इसलिए वहां के युवक भी गलत दिशा में चल रहे हैं। हमने वहां अपनी राजनीति खेली और इस राजनीति के कारण कई लोग कश्मीर के बाहर निकाल दिये गये और आज की तारीख में वहां आतंकवाद के कारण भी लोखा लोग आज कश्मीर से बाहर हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि इसमें जो हमारी गलतियां है, आज गंभीरता से सोचना इसलिए जरूरी है कई बार हम केवल सब्ज-बाग दिखाते है और उसके अनुसार काम नहीं होता है। अभी-अभी जैसा रेल मंत्री जी ने बात करते समय कहा कि हम जम्मू से श्रीनगर तक रेल लाइन बिछायेंगे। विकास के लिए रेल लाइन आवश्यक है। लेकिन क्या वास्तव में हम यह काम कर सकते हैं ? ऊधमपुर तक की रेल लाईन की हमने किन परिस्थियों में बिछाई कितना सारा करोड़ो रुपया उसमें खर्च हो गया और अगर पूरा रेल का बजट भी हम वहां लगायेंगे तो भी जम्मू-श्रीनगर लाइन डालना क्या वास्तविक रूप से संभव है और अगर संभव नहीं है तो हम वहां के लोगों को इस प्रकार के सब्ज-बाग क्यों दिखाते हैं और अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर वहां अंशाति हो जाती है और वहीं अशांति आज सालो-साल से कश्मीर में फैल रही है और जिसके कारण आज कश्मीर का विकास नहीं हो रहा है। कश्मीर की अलग-अलग प्रकार की राजनीति है, विदेशियों का अपहरण हो गया है लेकिन इन विदेशियों के अपहरण को लेकर भी जो खेल अपनाया गया है।

01.00 म.पू.

आज कई विदेशी राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ वहां जाकर बस गये हैं इस मामले को हल करने के लिये, लेकिन किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। जब भी चरारे शरीफ जैसी घटनाएं होती हैं तो उन पर हमने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया है। गंभीरता से विचार न करते हुए भी हम आज कश्मीर में चुनाव कराने की बातें करने लगे हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब हम कश्मीर में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, प्रजातंत्र में वह कोई मखौल बनकर न रह जाये, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही थी, जिस तरह सारी बातें कहीं

गई कि वहां सुरक्षा का इंतजाम होगा या नहीं होगा और जब प्रजातंत्र के लिये हम कश्मीर में चुनाव कराने की बात करते हैं, वहां डोडा जिले में आज स्थिति यह है कि कोई लड़की पानी भरने के लिये स्वतंत्र रूप से जा नहीं सकती। कोई सामान लेने अगर एक युवक गया है तो वह सामान लेकर वापस आयेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में हम वहां प्रजातंत्र कायम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, यह सोचे बिना, हम कैसे चुनाव की बात कर रहे हैं। हम कोई मजबूत भूमिका कश्मीर के बारे में नहीं ले रहे है। आज वहां विकास की बातें होनी चाहिये।

इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिये करोड़ो रुपये रखे गये हैं, जिसमें और बढ़ोत्तरी हो सकती है, यहां से और पैसा जा सकता है लेकिन पूरे देश की परिस्थित भ्रष्टाचार के कारण आज खराब है। कश्मीर में भी भ्रष्टाचार और आतंकवाद दोनों ने मिलकर पूरे कश्मीर को नष्ट होने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है जबकि हम उस पर गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं।

आज कई हजार कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर गये हैं और जब यहां कश्मीरी पंडितों की बात की जाती है तो ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे किसी साम्प्रदायिकता की बात की जा रही है लेकिन कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होते-होते स्थिति यहां तक आ गई है कि आज वहां का मुस्लिम वर्ग भी सुरक्षित नहीं रह गया है। पूरा कश्मीर एक प्रकार से जल रहा है। यह सब होने के बाद भी हम यहां किस तरह की बातें कर रहे हैं।

अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रेन से आ रही थी, महु कैंटोनमेंट हमारे पास है, जहां से कई ट्रेन आती-जाती रहती है। ट्रेन में बात चल रही थी कि बजट पर हम लोग जब सदन में चर्चा करेंगे, लोगों ने मुझसे कहा कि क्या हम राजनीतिज्ञ जो यहां बैठकर बजट पर चर्चा करते हैं, स्थिति को सही माने में समझते भी है? उनकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में जान की बाजी लगाकर लड़ रहे है लेकिन हमरी स्थिति का जायजा क्या हम राजनीतिज्ञों ने कभी लिया है। वहां भारी बर्फ की स्थित में लोगों को काम करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे जूतों की हालत यह है कि उनके तले नीचे से फटे हुए रहते हैं जिन पर प्लास्टिक का कवर चढ़ाकर हम काम करते है। यह वास्तविक स्थिति है, यह मैं अपने मन से नहीं कर रही हूँ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। आपको जनरल खंडूरी से परामर्श करना चाहिए। यह सयब नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मैं केवल आपसे एक बात कह रही हूँ कि वहां क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कहिये, प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : वहां एक जवान की क्या स्थिति है, वह मैंने बताई इसके अलावा वहां जितने सिविलियन हैं, उनकी स्थिति भी उससे अलग नहीं है। इस बजट में अलग अलग मदों में जितना पैसा रखा गया है, मेरा निवेदन इतना ही है कि वह उसी मद पर खर्च होना चाहिये क्योंकि फिर यह मेरे मुंह की बात नहीं है, बल्कि आपने ही एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम यहां से यदि एक रुपया भेजते है तो गांव तक पहुंचते-पहुंचते सिर्फ 15 पैसे रह जाते हैं और बाकी पैसा बीच में इधर-उधर भ्रष्टाचार में चला जाता है। मैं यहां उनकी बात पकड़ कर ही बोल रही हूँ।

मेरा कहना है कि जब हम कश्मीर पर यहां चर्चा करेंगे तो वहां का वातावरण साफ-सुथरा बनाना बहुत जरूरी है। आज वहां जो आतंकवादी वातावरण है, उसे कम करना बहुत जरूरी है। कश्मीर के विकास के लिए वास्तविक रूप से काम होना चाहिये। केवल सब्जबाग ही हम न दिखाये। जितना पैसा यहां से हम भेजते हैं, उसका सही रूप से वहां विकास के कामों में इस्तेमाल हो, उसका फायदा लोगों तक पहुंचे, यह हमें सबसे पहले देखना चाहिये। अभी वहां चुनाव कराने की बात हमें नहीं करनी चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां कश्मीर के बजट को पास करने के लिये जमा हुए हैं लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक हम लोगों ने और दिल्ली की सरकार ने सीरियसली वहां के मसले की तरफ नहीं सोचा। आज तक कश्मीर के अंदर 18 से 20 हजार लोग मारे जा चुके है, चाहे वे आतंकवाद के कारण मरे हों, गोलियों से मरे हों या क्रांस-फायरिंग में मरें हों।

लेकिन यह हकीकत है कि इतनी छोटी सी आबादी में, पूरे जम्मू कश्मीर की आबादी 50 लाख होगी और उसमें से वहां पर 18 से 20 हजार लोगों की जान जा चुकी है। हर साल हम लोग यहां से बजट पास कर देते हैं लेकिन उस बजट का फायदा वहां के लोगों को होता है या नहीं इसकी जानकारी सही मायने में नहीं हो पती है। आज वहां न तो कोई कल-कारखाना लग रहा है, न तालीम की व्यवस्था है। बहुत से कॉलेज बंद है और वहां के नौजवान हिन्दुस्तान के विभिन्न स्थानों को पढ़ने जाते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए, हिन्दुस्तान को दिखाने के लिए आप वहां लोकसभा के चुनाव कराना चाहते हैं ताकि आपके पांच सदस्य वहां से चुनकर आ जायें और कांग्रेस की थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाये। भले ही नेशनल कांफ्रेंस की मदद से या और किसी प्रकार से हो। अगर आप वहां पर कोई पोलिटिकल सोलुशन चाहते हैं और उसको मुल्क का हिस्सा मानकर वहां कोई पोलिटिकल कदम उठना चाहते हैं तो मेरी मांग है कि पहले वहां पर पंचायत का इलेक्शन होना चाहिए, लोकल बॉडीज का इलेक्शन होना चाहिए। पहले लोगों को उस सिस्टम में इन्वोल्व करना है। ऐसा नहीं हो कि पंचायतों के इलैक्शन को आप छोड़ दें और अपनी स्ट्रेन्थ बढ़ाने के लिए आप लोकसभा के चुनाव कराकर 6 व्यक्तियों को लाने का काम करें। सरकार श्रीनगर की बात करती है कि श्रीनगर

कश्मीर का दिल है। आप लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और उसके लिए तरकीब है कि वहां पर वादा किया गया था और भारत सरकार का कुछ न कुछ करना था, एक पैकेज देना था। उसका क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार कश्मीर के बारे में सीरियस है या अगली बार फिर अगले साल बजट लेकर मौजूद होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार कश्मीर के मामले को सीयिस ले और इस तरह से हर साल प्रेसिडेंट रूल ने बढ़ायें। हर बार आप नया बजट पास करायें, यह भी ठीक नहीं है। यह अधिकार वहीं की असेम्बली को होना चाहिए। इन्हीं चंद अलफाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस बजट चर्चा में भाग लिया।

जम्मू और कश्मीर में राज्य सरकार ने बहुत सी विकास संबंधी गतिविधियाँ शुरू की हैं। इस संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले भी कई माननीय सदस्यों ने विकास संबंधी गतिविधियों को क्रियान्वित करने में धन और भ्रष्टाचार के दुरुपयोग पर अप्रसन्नता प्रगट की है।

मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह वर्षों में पहली बार, वर्ष 1995-96 के दौरान योजनागत धन का शत प्रतिशत उपयोग होगा। कार्य पर निगरानी रखी जा रही है। और गैर सरकारी प्रतिनिधियों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और जिला स्तर के कार्य बल के माध्यमसे वास्तविक जांच करायी जा रही है। लगभग 800 कार्यों की वास्तविक रूप से जांच की गयी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कई कार्यक्रम शुरू किये हैं और अगले चार वर्षों के लिए शिक्षित युवकों में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने 27,000 नौकरियों के प्रत्यक्ष और 54,000 नौकरियों के अप्रत्यक्ष सृजन के लिए एक व्यापक स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया है।

प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत शीघ्र ही 3,100 एककों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की उम्मीद है।

माननीय सदस्य ने जम्मू-श्रीनगर रेलवे लिंक का उल्लेख किया है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जम्मू-श्रीनगर लिंक पर चालू वर्ष के दौरान कार्य शुरू कर दिया गया है। जम्मू उधम पूर लाईन पर कार्य अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत 119 प्रखण्डों में से 48 प्रखण्डों को शामिल कर लिया गया है।

महोदय, मैं इसके चुनाव वाले हिस्से पर नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य फातमी जी ने सुझाव दिया है कि पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाए। पहले भी, कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया था और अब सरकार और गृहमंत्रालय को इस पर निर्णय लेना है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इस बजट का समर्थन करें।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1996-97 के लिए लेखानुदानों की मांगे जम्मू-कश्मीर को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 इसे मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित सूचि में से 'लेखे पर' राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1995-96 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (जम्मू-कश्मीर) को सभा के मतदान हेतु रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 24, 26 और 27 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों के अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्वलेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

01.12 म.पू.

जम्मू कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक,*1996

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की संचित निधि ने से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुन: स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2-2, खंड-2 में दिनांक 12-3-1996 में प्रकाशित।

श्री एन.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव** करता हूँ :-

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी। प्रश्न यह है :-

"कि खंड-2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खंड1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खंड-1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

01.15 म.प.

जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक *1996

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित और प्रस्तुत।

**भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2 खंड-2 दिनांक 12.3.1993 में प्रकाशित।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक** पुर: स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव* करता हूँ कि "वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं क लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा, अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी माननीय सदस्यों का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद कर सकता हूँ?

नगर विमानन तथा पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : मैं पूरे सदन की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सभा आज दिनांक 12 मार्च 1996 को 11 बजे म.पू. पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

01.16 म.पू.

तत्पश्चात् लोकसभा 11 बजे म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित

**भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2 खंड-2 दिनांक 12.3.1998 में प्रकाशित।